सप्तम-माला, खंड 14, अंक 21, सोमवार, 16 मार्च 1981/25 फाल्गुन, 1902 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

[पांचवां सत्र]

सत्यमेव जयते

(खंड 14 में अंक 21 से 30 तक हैं)

PARLIAMENT LIBRARY
Acc. No. 51 (17)
Date 8. 7. 82
लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय सूची

अंक 21, सोमवार, 16 मार्च, 1981/25 फाल्गुन, 1902 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या : 372 से 378	...	1—22
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
तारांकित प्रश्न संख्या : 379 से 391	...	23—30
अतारांकित प्रश्न संख्या : 3570 से 3597, 3599 से 3659, 3661 से 3728, 3730 से 3754 और 3756 से 3769	...	31—195
अतारांकित प्रश्न संख्या 1003 दिनांक 24-11-80 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण	...	—195
स्थगन प्रस्ताव आदि के बारे में	...	—197
सभा पटल पर रखे गये पत्र	...	198—200
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति		
28वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया	...	—201
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	...	201—210
बोकारो इस्पात संयत्र में विस्फोट		
श्री आर०के० महालागी	...	201—205
श्री प्रणव मुखर्जी	...	201—209
श्री सुशील भट्टाचार्य	...	—206
श्री नवल किशोर शर्मा	...	207—208
श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत	...	—209
उत्तर रल में चलाए गए व्यापक टिकट जांच अभियान के बारे में व्यक्तव्य		
श्री केदार पांडे	...	211—214

*किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह † इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय		पृष्ठ
मणिपुर बजट, 1981-82 विवरण प्रस्तुत किया गया		
श्री सवाई सिंह सिसोदिया	...	—214
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (मणिपुर), 1980-81 विवरण प्रस्तुत किया गया	...	—215
नियम 377 के अधीन मामले	...	215—219
(एक) सभी निर्यात योग्य वस्तुओं का अनिवार्यतः गुण-प्रकार नियन्त्रण और जहाज पर लदान से पहले निरीक्षण की आवश्यकता		
श्री सैफुद्दीन चौधरी	...	—215
(दो) पालेकर पंचाट का उल्लंघन करते हुए समाचार-पत्रों द्वारा अंशकालिक संवाददाताओं की बर्खास्तगी		
श्री नवल किशोर शर्मा	...	—216
(तीन) उत्तर प्रदेश के बाराबंकी और बहराइच जिलों को मिलाने के लिए घाघरा नदी पर पुल बनाना		
श्री रणबीर सिंह	...	216—217
(चार) पालघाट से ग्रेनाइट चट्टानों के निर्यात की सम्भावनाओं का पता लगाना		
श्री बी०एस० विजयराघवन	...	217—218
(पांच) बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर बसे ग्रामीणों की कठिनाइयां		
श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा	...	218—219
(छः) विशाल गोमांतक के निर्माण की मांग		
श्री एडुआर्डो फैलीरो	...	—219
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), 1981-82		
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1977-78 और		
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1978-79	...	220—258
श्री नीरेन घोष	...	220—225
श्री राम नगीना मिश्र	...	225—230

विषय		पृष्ठ
श्री सत्यनारायण जटिया	...	230—232
प्रो० सत्यदेव सिंह	...	232—235
श्रीमती गीता मुखर्जी	...	236—238
श्री गिरधारी लाल व्यास	...	238—240
श्री हरिकेश बहादुर	...	241—244
श्री जयपाल सिंह कश्यप	...	244—247
श्री जौ०एम० बनातवाला	...	247—248
श्री सवाई सिंह सिसोदिया	...	248—258
विनियोग विधेयक, 1981	...	258—263
पुरः स्थापित करने तथा विचार करने का प्रस्ताव		
श्री सवाई सिंह सिसोदिया	...	259—260
खंड 2, 3 और 1		
पास करने का प्रस्ताव		
श्री सवाई सिंह सिसोदिया	...	260—261
विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1981		
पुरः स्थापित करने तथा विचार करने का प्रस्ताव		
श्री सवाई सिंह सिसोदिया	...	260—261
खंड 2, 3 और 1		
पास करने का प्रस्ताव		
श्री सवाई सिंह सिसोदिया	...	261—262
विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1981		
पुरः स्थापित करने तथा विचार करने का प्रस्ताव		
श्री सवाई सिंह सिसोदिया	...	262—263
खंड 2, 3 और 1		
विचार करने का प्रस्ताव		
श्री सवाई सिंह सिसोदिया	...	262—263

विषय		पृष्ठ
अनुदानों की माँगें (रेल), 1981-82		
अनुदानों की अनुपूरक माँगें (रेल), 1980-81		
और अतिरिक्त अनुदानों की माँगें (रेल), 1977-78 और 1978-79 और		
रेल अभिसमय समिति के पहले प्रतिवेदन के बारे में संकल्प	...	263—37
श्री केदार पांडे	...	—26
श्री रवीन्द्र वर्मा	...	265—26
श्री मूलचन्द डागा	...	270—27
डा० सरदीश राय	...	274—27
श्री जमिलुर्रहमान	...	280—28
श्री डी०पी० यादव	...	286—29
श्री वी०एस० विजयराघवन	...	290—29
श्री ज्योतिर्मय बसु	...	292—29
श्री जेवियर अराकल	...	299—30
श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा	...	373—37
श्री पी० नामग्याल	...	376—37
श्री नारायण चौबे	...	377—38
श्री एस०बी० सिदनाल	...	—38

लोक सभा

सोमवार, 16 मार्च, 1981/25 फाल्गुन, 1902 (शक)

लोकसभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता

*372. श्री अनादि चरण दास : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में सांस्कृतिक संगठनों को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान वित्तीय सहायता देने का कोई प्रस्ताव हैं ;

(ख) क्या उपरोक्त अवधि में उक्त केन्द्रीय सहायता उड़ीसा को भी दी जाएगी ; और

(ग) यदि हां, तो कटक के एक सांस्कृतिक संगठन "सांस्कृतिक बिहार" को 1981-82 के दौरान कितनी सहायता दी जाएगी ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) योजना के अन्तर्गत सहायता तदर्थ आधार पर दी जाती है। सहायता के लिए आवेदन पत्र राज्य सरकारों/राज्य अकादमियों के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं और एक विशेषज्ञ समिति द्वारा इन पर विचार किया जाता है। उड़ीसा राज्य से प्राप्त आवेदन-पत्रों पर अन्य राज्यों से प्राप्त आवेदन-पत्रों के साथ ही विचार किया गया है और उन्हें अनुदान मुक्त कर दिए गए हैं।

यदि "सांस्कृतिक बिहार" विभाग की किसी भी योजना के अन्तर्गत 1981-82 के दौरान सहायता के लिए आवेदन करता है तो उसका आवेदन पत्र भी विशेषज्ञ समिति के सम्मुख रख दिया जाएगा।

श्री अनादि चरण दास : क्या मन्त्री महोदय यह बतायेंगे कि सांस्कृतिक विकास के लिए राज्यों को धनराशि प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने नीति संबंधी क्या निर्णय किये हैं और क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्र से धन प्राप्त करने के लिए कोई परियोजना भेजी है ?

श्रीमती शीला कौल : वास्तव में सरकार नीति की सभी क्षेत्रों में संस्कृति को बढ़ावा देने की है। हमारे पास कला के सार्वजनिक प्रदर्शन की योजनाएँ हैं, संग्रहालय, सार्वजनिक पुस्तकालय तथा पाण्डुलिपि पुस्तकालय, संस्कृति के क्षेत्र तथा पाण्डुलिपियों के संरक्षण की योजनायें है। सभी प्रकार की योजनायें है। हम उन संगठनों से आवेदन-पत्र मांगते हैं जिनको इस सबकी आवश्यकता होती है और इन संगठनों को पंजीकरण करना आवश्यक होता है।

श्री अनादि चरण दास : क्या मैं मन्त्री महोदय से यह पूछ सकता हूं कि सांस्कृतिक विकास के लिए विशिष्ट रूप से क्या किया गया है या क्या करने का प्रस्ताव है, विशेषतः हमारे उड़ीसा राज्य के आदिवासियों के संबंध में ?

श्रीमती शीला कौल : आदिवासियों के लिए भी हमारे पास योजनायें हैं और वे जब कुछ मांग करते हैं, तो उन्हें दिया जाता है।

श्री जगदीश टाइटलर : हमारे देश में तीन प्रकार के सांस्कृतिक संगठन हैं, एक तो वे जो वास्तव में ही संस्कृति से सम्बद्ध होते हैं, दूसरे वे राजनीतिक दल जो कि स्वयं को संस्कृति से निबद्ध बतलाते हैं, तीसरे कुछ ऐसे सांस्कृतिक संगठन हैं जो कि प्रायः विकलांग लोगों से सम्बद्ध होते हैं। वे स्वयं को सांस्कृतिक संगठन के रूप में पंजीकृत करा लेते हैं।

मैं मंत्री महोदय से एक प्रश्न पूछता हूं। क्या वित्तीय सहायता के मामले में सरकार इन संगठनों को वरीयता प्रदान करने पर विचार कर रही है ?

श्रीमती शीला कौल : जी हां, हम उस पर विचार कर रहे हैं और हम यह करना भी चाहते हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता दी जाए इसके लिए क्या सरकार ने कोई मापदण्ड तैयार किया है। यदि किया है तो उसका जरा ब्यौरा मन्त्री जी बतायें।

श्रीमती शीला कौल : जो आर्गेनाइजेशन्स कोई ग्रांट किसी स्कीम के तहत मांगती हैं उसको एक एक्सपर्ट कमेटी है, वह देखती है और उसकी जो रेकमेंडशन होती हैं उसकी बिनाह पर यह दिया जाता है। यही हमारा मापदण्ड है।

डा० कृपा सिन्धु भोई : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस योजना के लिए भारत सरकार ने गत वर्ष अर्थात 1980-81 में कितनी धनराशि आबंटित की थी। दूसरे, उड़ीसा सरकार के इस विभाग के पास कितने आवेदन पत्र लम्बित पड़े हुए हैं और क्या सरकार रा० से० सं० को भी सांस्कृतिक संगठन समझती है और उन्हें सहायता दे रही है।

श्रीमती शीला कौल : सांस्कृतिक क्रियाकलापों के लिए 2000 लाख रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। हम उड़ीसा में विभिन्न सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता दे रहे

हैं। उनकी एक लम्बी सूची है। यदि आप चाहते हैं कि मैं नाम बताऊं तो मैं वह भी कर सकती हूं।

डा० कृपासिन्धु भोई : कृपया उसे सभापटल पर रखिए।

श्रीमति शीला कौल : बात यह है श्रीमान कि संगठन के रूप में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ हमारे अधीन नहीं आता है ···(व्यवधान)···।

आन्ध्र प्रदेश में सेंट्रल इन्स्टीटयुट फार रिसंच आन बफेलों का स्थापित किया जाना

*373. **श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव०**

प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आंध्र प्रदेश में एक "सेन्ट्रल इन्स्टीटयूट फार रिसर्च आन बेफेलो" स्थापित करने का है जहां पशु प्रजनन पशु आहार की समस्याओं, कृषि-जलवायु-जन्य शारीरिक समस्याओं, जैसी समस्याओं तथा विभिन्न पशु रोगों के बारे में अध्ययन किया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के दो दल इस इन्स्टीटयूट को स्थापित करने की सम्भाव्यता का पता लगाने के लिए आन्ध्र प्रदेश में पश्चिम गोदावरी जिले में टाडेपल्लगुडम के निकट उंगुटूर गये थे; और

(घ) यदि हां, तो उनके प्रतिवेदनों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) से (घ) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

विवरण

(क) आंध्रप्रदेश में, भैंसों पर केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान के एक क्षेत्रीय केन्द्र की स्थापना एक प्रस्ताव छठी योजना अवधि में किया गया है। इस केन्द्र का अनुसंधान कार्य समस्या-अभिमुख होगा और प्रजनन, पोषण और शरीरिक समस्याओं के क्षेत्र में कृषि जलवायु दशाओं और विभिन्न रोगों से सम्बन्धित अनुसंधान प्रयोजनाएं भी इसमें शामिल की जा सकती है।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने वर्ष 1976-77 में, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान एक भैंसों पर केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान के लिए एक प्रस्ताव तैयार करने हेतु एक "टास्क फोर्स" की स्थापना की थी। इस "टास्क फोर्स" ने विभिन्न राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों पर विस्तार से विचार विमर्श किया था जिनके साथ संस्थानों/क्षेत्रीय केन्द्रों के लिए स्थानों का भी

प्रस्ताव किया था। मुख्य रूप से इस "टास्क फोर्स" की सिफारिशों के आधार पर भैंसों पर केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का निर्णय किया गया है। यह प्रस्ताव किया गया है कि इस संस्थान का मुख्य परिसर हरियाणा/पंजाब में स्थापित किया जा सकता है जिसके साथ दो क्षेत्रीय केन्द्र गुजरात और आंध्र प्रदेश में हो सकते हैं।

(ग) जी नहीं, श्रीमान। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विज्ञानियों के केवल एक दल ने इस संस्थान की स्थापना के औचित्य की जांच करने के लिए आंध्र प्रदेश में उंगुटूर का दौरा 20 से 23 फरवरी, 1979 को किया था।

(घ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा स्थापित 'टास्क फोर्स" ने इस संस्थान की स्थापना के औचित्य की जांच करने के लिए आंध्र प्रदेश द्वारा प्रस्तावित सात विभिन्न स्थलों का निरीक्षण किया था जिनमें पश्चिमी गोदावरी जिले का टाडेपालीगुडेम के निकट उंगुटूर नाम का स्थान भी था। विभिन्न सोच-विचारों के आधार पर इस दल ने सिफारिश की थी कि भैंसों पर केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान के क्षेत्रीय केन्द्र की स्थापना के लिए उंगुटूर एक उपयुक्त स्थान है, बशर्ते कि राज्य सरकार द्वारा उच्च प्राथमिकता के आधार पर कुछ शर्तें पूरी की जायें।

श्री बी० किशोर चन्द्र एस. देव : मैंने मन्त्री महोदय द्वारा सभा पटल पर रखे गये विवरण को पढ़ा है।

एक माननीय सदस्य : बड़ी ही सावधानी से।

श्री बी० किशोर चन्द्र एस. देव : बड़ी भारी सावधानी से तो नहीं, परन्तु मैंने उसे पढ़ा है ...।

श्री रविन्द्र वर्मा : *अपेक्षित सावधानी के साथ।*

श्री बी० किशोर चन्द्र एस. देव : *महोदय विवरण में मन्त्री महोदय ने बताया है कि भैंसों पर अनुसंधान करने के लिए एक केन्द्रीय संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया गया है और इस संस्थान का मुख्य परिसर हरियाणा/पंजाब में स्थापित किया जाए, जिसमें क्षेत्रीय केन्द्र गुजरात और आन्ध्र-प्रदेश में स्थापित किए जा सकते हैं।*

माननीय मन्त्री महोदय को यह पता होना चाहिए कि दक्षिणी भारत में आन्ध्र-प्रदेश में सबसे ज्यादा भैंसें हैं ...।

डा० कर्ण सिंह : *महिषासुर प्रदेश।*

अध्यक्ष महोदय : डा० साहब आप पंजाब के लिए तो कुछ नहीं करा रहे हैं।

डा० कर्णसिंह : *जी नहीं, ऐसी गुस्ताखी में कैसे कर सकता हूं।*

श्री वी० किशोर चन्द्र एस. देव : यहां तक कि आन्ध्र प्रदेश में प्राप्त होने वाले दूध का, जो कि 20 लाख टन से भी अधिक है, 80% विपणन अधिक्य भैंसों से ही प्राप्त होता है। पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों के किसान यह दूध उन तक पहुंचाते हैं। अब मैं यह जानना चाहता हूं कि पंजाब/हरियाणा में जहां पर कि पहले से ही तकनीक विकसित हो चुकी है इस संस्थान को स्थापित करने के क्या आधार हैं।

महोदय अपने विवरण में मन्त्री महोदय ने बताया है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा स्थापित किए गए कार्य-दल ने पश्चिम गोदावरी जिले का दौरा किया था परन्तु पश्चिम गोदावरी क्षेत्र भी तो एक विकसित क्षेत्र ही है। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं क्या वे वहां जहां सुविधाएं कम होंगी केवल क्षेत्रीय केन्द्र के बजाय, आन्ध्र प्रदेश में एक पूर्ण अनुसंधान संस्थान स्थापित करेंगे ?

कृषि ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई मंत्री (राव विरेन्द्र सिंह) : यह सही नहीं है कि आंध्र-प्रदेश में सर्वोत्तम भैंसें हैं ...।

एक माननीय सदस्य : दक्षिण में।

राव विरेन्द्र सिंह : यह भी सही नहीं है। महोदय भैंसों की सर्वोत्तम नसलें उत्तर में पंजाब और हरियाणा में पाई जाती हैं। तथ्य तो सही है। विशेषकर, मुर्रा भैंसों का घर तो हरियाणा और पंजाब के कुछ भाग में हैं। आजकल मुर्रा हमारे यहां भैंसों की सर्वोत्तम नस्ल है। अतः विशेषरूप से मुर्रा नस्ल को बढ़ाकर, हम देश के सभी भागों में भेजना चाहते हैं। परन्तु इसी के साथ साथ हम सूर्ती जैसी अन्य भैंसों की नस्ल को सुधारने के लिए भी अनुसंधान करना चाहते हैं।

महोदय आन्ध्र-प्रदेश को एक दल भेजा गया था। जब इस दल को नियुक्त किया गया था तो 1976-77 में इस दल ने अनेक स्थानों का दौरा किया था। उन्होंने सिफारिश की थी कि मुख्य संस्थान की स्थापना कहीं पर उत्तर भारत में की जानी चाहिए। इसके पश्चात् यह भी निर्णय लिया गया था कि दो केन्द्र होने चाहिए जिसमें से एक तो गुजरात में हो तथा दूसरा आन्ध्र-प्रदेश में और यह देखना हमारा काम होगा कि आन्ध्र-प्रदेश में आवश्यक अनुसंधान करने हेतु इन केन्द्रों में उपयुक्त सुविधाएं प्रदान की जाएं।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस. देव : जब मैंने यह कहा था कि आन्ध्र-प्रदेश में दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा भैंसे हैं तो वह मैं राज्य सरकार द्वारा जहां पर आपका दल सत्तारूढ़ है, द्वारा दी गई कुछ सूचना से ही उद्धृत कर रहा था। यदि वह गलत है तो इसमें मेरा क्या कसूर है ? परन्तु फिर भी मुझे प्रसन्नता है कि आप इन अनुसंधान केन्द्रों को सुविधाएं प्रदान करने का वचन दे रहे हैं। मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि यहां तक कि आंध्र-प्रदेश में भी यदि आपके क्षेत्रीय केन्द्र हैं तो उन्हें पिछड़े क्षेत्रों में क्यों नहीं ले जाते हैं, उन्हें आंध्र-प्रदेश के उत्तरी छोर पर बसी विजागापट्टम और श्रीकाकुलम जिलों जैसी आदिवासी पट्टियों में क्यों नहीं स्थापित करते हैं ? उनकी पूर्ण-

रूप से उपेक्षा की गई है। वहां पर तो कोई उद्योग भी स्थापित नहीं किया गया है। निःसन्देह वे धीरे-धीरे ऊपर उठ रहे हैं। वहां पर हमारी दुग्ध परियोजनाएं चल रही हैं। आप इसे उन पश्चिम गोदावरी और कृष्णा जिलों को क्यों दे रहें हैं जो कि पहले से ही सुविकसित हैं? क्या आप इस कार्यक्रम को गोदावरी के बजाय विजागापट्टम या श्रीकाकुलम में किसी स्थान पर बदलने पर विचार करेंगे?

राव विरेन्द्र सिंह : आन्ध्र-प्रदेश में अभी जगह निश्चित नहीं की गई है। जगह निश्चित करते समय, हम माननीय सदस्य के सुझाव पर विचार करेंगे। परन्तु यह सब कृषि-जलवायु परिस्थितियों की उपयुक्तता तथा जिन भैंसों की नस्लों में सुधार किया जाना है उनकी संख्या पर भी निर्भर करता है। मुझे आशा है कि हम शीघ्र इन सब बातों पर विचार करते हुए स्थान निश्चित करने में सफल रहेंगे।

श्री गुलाम रसूल कोचक : महोदय मैं यह जानना चाहता हूं कि यह एकाधिकारवादी मनोवृत्ति कब समाप्त होगी? मेरा सुझाव है कि जहां कहीं इस प्रकार की परियोजनाओं को चलाने की सम्भावनायें हों वहां पर अनुसंधान के लिए उपकेन्द्रों की स्थापना क्यों नहीं कर दी जाती है। जहां पर सम्भावना हो, सम्भव हो सके, और आवश्यक हो वहां पर उप-केन्द्रों की स्थापना में समानता क्यों नहीं बरती जाती है।

राव विरेन्द्र सिंह : मैं यह नहीं समझ सका हूं कि माननीय सदस्य कहना क्या चाहते हैं। यदि वे यह कहना चाहते हैं कि इन केन्द्रों की वहां पर भी स्थापना की जाए जहां पर भैंसें भी नहीं हैं तो, मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूं। मेरी समझ में यह नहीं आता कि वे किस प्रकार असन्तुलन को समाप्त करना चाहते हैं।

महोदय, आन्ध्र-प्रदेश में भैंस-पालन की अर्थव्यवस्था इसलिए विकसित हुई है क्योंकि उत्तर से बड़ी संख्या में मुर्रा भैंसें आंन्ध्र-प्रदेश गई हैं। जहां तक मैं जानता हूं, आंन्ध्र प्रदेश या दक्षिण के किसी भी राज्य में भैंसों की अच्छी नस्ल उपलब्ध नहीं होती है। यहां पर उत्तर की नस्लों में सुधार करके उन राज्यों में उनको विकसित किया जाना चाहिए, इससे इन राज्यों को लाभ पहुंचेगा।

श्री पी० राजगोपाल नायडू : मैं यह जानना चाहता हूं कि उनके कथनानुसार मुर्रा सभी राज्यों के लिए उपयुक्त नहीं है तो फिर क्या मन्त्री महोदय यह देखेंगे कि एक उपयुक्त नस्ल विकसित की जाए, विशेषकर शुष्क-खेती वाले क्षेत्रों में?

राव विरेन्द्र सिंह : मैं माननीय सदस्य की बात से सहमत नहीं हूं। मुर्रा तो भैंसों की वह नस्ल है जोकि बलगेरिया जैसे यूरोपीय देशों के लिए अत्यन्त उपयुक्त पाई गई है और वहां पर बहुत फूल-फल रही है। मुर्रा भैंसे तो चीन, वियतनाम और विश्व के अन्य बहुत से देशों की परिस्थितियों से बहुत मेल खाती हैं। परन्तु यदि कोई और ऐसी नस्ल है जो कि आन्ध्र-प्रदेश के

लिए अधिक उपयुक्त है और यदि माननीय सदस्य उस नस्ल का उल्लेख कर सकते हैं तो हम यह देखेंगे कि वहां पर केवल वही नस्ल विकसित की जाए ।

श्री मोती भाई आर० चौधरी : माननीय अध्यक्ष जी, गुजरात में भी काफी पैमाने पर भैंसे होती हैं । वहां सुरती तो बहुत ही है । मुर्रा और सुरती मिलकर, क्रास-ब्रीड कराकर, महसानी भैंस बनी हैं, स्थान का नाम भी महसाना है, जहां पर ज्यादा से ज्यादा महसाना भैंस पैदा होती है । जो कि आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में भी जाती है । वहां की गुजरात सरकार ने महसाना ब्रीडिंग के लिए 1500 एकड़ भूमि मंजूर कर ली है । इस काम के लिए वहां पर एक टीम भी भेजी गई थी और 1976 से यह काम चल रहा है । देश में दूध का उत्पादन कम है । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सेन्टर निश्चित करने के लिए इतना समय चला जाता है, तो जल्दी से जल्दी सेंटर स्थापित किया जाए । मैं यह भी जानना चाहता हूं कि गुजरात में किन-किन स्थानों पर यह टीम पसन्दी के लिए गई है और कौन सा सुटेबिल स्थान चुना गया है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य खुद ही बता रहे हैं कि महसाना में जो ब्रीड पैदा हुआ है, वह अच्छा है, जो कि लोकल बफैलोज से क्रास कराया गया था—पंजाब और हरियाणा के मुर्रा बफैलोज से, जिससे कि अच्छी नसल पैदा हुई है । तो सुरती और महसाना ब्रीड को भी हम देखभाल करेंगे, लुक-आफटर करेंगे । इसीलिए गुजरात में एक सेंटर खोलने जा रहे हैं ।

श्री मोतीभाई आर० चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो टीम गई हुई थी, गुजरात में, उसने कौन सा स्थान चुना है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : स्थान का फैसला नहीं हुआ है । पहले से रिकमेंडेशन है कि यह महसाना में खोला जाए'''(व्यवधान)'''इसलिए मैं समझता हूं कि करीब-करीब गुजरात के लिए फैसला है कि महसाना में सेंटर हो ।

महिलाओं में साक्षरता सम्बन्धी क्षेत्रीय असंतुलन

*374. **श्रीमती कृष्णा साही** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में महिलाओं में साक्षरता की प्रतिशतता के सम्बन्ध में क्षेत्रीय असंतुलन है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस असंतुलन को समाप्त करने के लिए कोई विशेष योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत महिला केन्द्र खोलने के लिए प्राथमिकता दी जाती है।

9-14 आयु-वर्ग के अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े राज्यों को लड़कियों पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी गई।

समाज कल्याण मंत्रालय निरक्षर प्रौढ़ महिलाओं को शिक्षित करने के लिए एक विशेष कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम चलाता है।

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष जी, मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि रीजनल इम्बेलेंस है, मैंने तो सोचा था कि प्रतिशतता में जवाब मिलेगा, ताकि जानकारी हो जाएगी। पचास प्रतिशत महिलायें की संख्या है। महिलाओं के लिए शिक्षा में जो कुछ हुआ है यह संतोषप्रद नहीं है, तो हम कैसे देश का विकास कर सकेंगे। इसलिए मैं, माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि जब साक्षरता को प्रतिशतता में असंतुलन है, तो इस असंतुलन का प्रतिशत क्या है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में, तथा पिछड़े हुए प्रान्तों में जहां महिलाओं की शिक्षित संख्या कम हैं और कर्नाटक और तमिलनाडु आदि जैसे प्रातों में जहां महिलाओं की अधिक संख्या शिक्षित हैं, उनमें समता लाने के लिए मंत्री महोदय क्या उपाय कर रहे हैं? क्या इनके पास कोई योजना है कि कैसे इसको एचीव करेंगे और कैसे इसको रिमूव करेंगे?

श्री एस० बी० चव्हाण : महोदय, जहां तक शैक्षणिक रूप में पिछड़े नौ राज्यों का सम्बन्ध है, उनका साक्षरता का प्रतिशत 4.43% और 18% के बीच पड़ता है। यदि माननीय सदस्या विस्तृत सूचना पाने की इच्छुक हैं तो वह भी मेरे पास उपलब्ध हैं और मैं उन्हें दे भी सकता हूं। जहां तक भाग (ख) और (ग) के उत्तर की बात है हमने प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र खोलने को प्राथमिकता दी है, विशेषकर महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए।

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, "स्पेशल अटेंशन" का क्या मतलब है, यह मेरी समझ में नहीं आया और बराबर हम इसको इतने सालों से सुनते आ रहे हैं कि हम लोगों पर स्पेशल एटेंशन दिया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, स्पेशन अटेंशन के अन्तर्गत हम लोगों की काफी उपेक्षा हो रही है और उपेक्षा होती ही रही है मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहती हूं होस्टल आदि की जहां महिलायें रह कर शिक्षा उपार्जन कर सकें, तो क्या वे यू०जी०सी० को निर्देश देंगे या सुझाव देंगे कि विशेष राशि का आवटन किया जाए, ताकि महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए आवास की सुविधा हो और शिक्षा के लिए भी उनको सुविधा मिल सके?

श्री एस० बी० चव्हाण : मैं माननीय सदस्या के प्रश्न के प्रथम भाग का जिक्र करना चाहूंगा। विशेष रूप से शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए राज्यों में अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों की संख्या

7,59,000 है और उन्हें 2,61,14,377 रुपये का अनुदान दिया गया है। शैक्षिक रूप से पिछड़े इन नौ राज्यों में कुल नामांकन संख्या 7.57 लाख तक पहुंची है। महिलाओं और लड़कियों को छात्रावास सुविधायें प्रदान करने के लिए हमारी एक योजना राज्य सरकारों के विचाराधीन है परन्तु वह अनौपचारिक शिक्षा के अधीन नहीं है।

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी : क्या यह जानकारी मंत्री महोदय को है कि मध्य प्रदेश एक पिछड़ा हुआ तथा आदिवासी एरिया का बहुत बड़ा प्रदेश है। यहां पर अनेक छोटी-छोटी स्टेट्स थीं जिनमें शिक्षा का बड़ा अभाव रहा है और यही कारण है कि स्त्रियां शिक्षा में बहुत पीछे हैं। आज भी वहां शिक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं है। मैं चाहती हूं कि वहां लड़कियों की शिक्षा के लिए विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाय ताकि लोग वहां पर अपनी लड़कियों को अधिक से अधिक संख्या में भेजें। क्या आपके पास ऐसी कोई योजना है जिसमें इस दिशा में लोगों का प्रोत्साहन बढ़े तथा क्या आप के पास लड़कियों की शिक्षा के लिए इस तरह की कोई योजना है—जैसा हमारी माननीय सदस्या ने अभी बतलाया है—उनके लिए होस्टल्ज हों, स्कालरशिप्स की व्यवस्था हो, किताबें, ड्रेस आदि की सुविधा उनको दी जाय ताकि उसकी तरफ उनकी रुचि बढ़े ?

श्री एस० बी० चव्हाण : जहां तक मध्यप्रदेश का सम्बन्ध है, अनौपचारिक शिक्षा-केन्द्रों की कुल संख्या 3450 है, नामांकित व्यक्तियों की संख्या 86,215 है और 40,41,900 रुपये का अनुदान दिया गया है। वहां पर छात्रावास सुविधा है मुफ्त पुस्तकें दी जाती हैं तथा अनुसूचित जातियों की लड़कियों को दोपहर का भोजन मुफ्त दिया जाता है। (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : मैं यह सिद्ध करने के लिए तैयार हूं कि मैं आज यथासम्भव अधिकाधिक ध्यान दे रहा हूं।

श्रीमती सुशीला गोपालन : देश के 352 जिलों में से लगभग 196 ऐसे जिले हैं जिनकी साक्षरता दर 10 प्रतिशत से भी कम है। स्त्री शिक्षा में हम पिछड़े हुए हैं, हमारे यहां बहुत कमी हैं। प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों में भी आजकल हम जो शिक्षा दे रहे हैं वह इस ढंग से दी जानी चाहिए कि जिससे कि बड़ी संख्या में स्त्रियों को आने और प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों में प्रवेश पाने का प्रोत्साहन मिल सके। वह एक ऐसी योजना है जो कि रोजगार से सम्बद्ध है। वह एक ऐसी शिक्षा है जो कि अधिकाधिक रोजगार दिलाने हेतु विशेष अर्हताएं प्रदान करती हैं। ऐसे मामले में स्वाभाविक है कि वे इन केन्द्रों में आयेंगी और शिक्षा ग्रहण करेंगी। वियतनाम में मैंने देखा है कि 50 वर्ष और 60 वर्ष की वृद्धाएं भी इन केन्द्रों में आकर शिक्षा ग्रहण करती हैं। वे चाहे जिस किसी क्षेत्र में भी काम करती हों उनको रोजगार से सम्बन्धित शिक्षा दी जानी चाहिये। यदि आप उन्हें वास्तव में ऐसी शिक्षा देना चाहते हैं जो उनके लिए रोजगार के अवसर जुटा सकें तो आपको ऐसी ही योजनाएं आरम्भ करनी होंगी जो कि उनके लिए रोजगार क्षमता में वृद्धि करेंगी। उस स्थिति में स्त्रियां आगे आयेंगी और इन केन्द्रों से लाभ उठायेंगी। मेरा प्रश्न यह है क्या आप प्रौढ़ शिक्षा प्रणाली को इस ढंग से बदलेंगे कि जिससे अधिकाधिक स्त्रियां इन योजनाओं का लाभ उठा सके

क्योंकि मुख्यतया ये उनके रोजगार से सम्बद्ध होती हैं। दूसरी बात कि स्त्रियां शिक्षा में गहन रुचि क्यों नहीं लेती हैं इसका कारण यह है कि अधिकतर घर पर उन्हें बच्चों की देखभाल करनी पड़ती है। स्त्रियों को शिक्षा प्रदान करने की वर्तमान प्रणाली कोई बहुत अधिक उत्साहवर्द्धक नहीं हैं। केन्द्र को स्त्रियों की शिक्षा पर सर्वाधिक ध्यान देना चाहिये। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य है।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं। मैं सभी प्रश्नों को असंगत करार दे दूंगा।

श्रीमती सुशीला गोपालन : महोदय, ये नारी के सामाजिक उत्थान से सम्बद्ध प्रश्न है। इसीलिए मेरा प्रश्न थोड़ा सा लम्बा हो गया है।

श्री एस० बी० चव्हाण : वर्तमान साक्षरता कार्यक्रम के अन्तर्गत, समाज कल्याण विभाग ने इन सभी पहलूओं पर ध्यान दिया है और अनौपचारिक शैक्षिक केन्द्रों को खोलते समय नामांकन की शर्त में, जो कि सामान्य केन्द्रों के मामले में वास्त में 30 होती है, लड़कियों को अनौपचारिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से, ढील दी जा रही है।

तिलहन तथा मूंगफली की खेती के क्षेत्रफल में वृद्धि

*375. **श्री० के० मालन्ना :**
श्री चिन्तामणि जेना : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंचित क्षेत्रों में बारी-बारी से उपयुक्त मिली-जुली फसल उगाकर तिलहन, विशेषकर मूंगफली की खेती के क्षेत्रफल में वृद्धि करने के लिए क्या प्रयास किये गये हैं तथा किसानों को क्या प्रोत्साहन दिया गया है ; और

(ख) उन राज्यों सम्बन्धी जहां इसके विकास की काफी सम्भावनायें हैं, विस्तृत जानकारी क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) मुख्य रूप से दक्षिणी राज्यों में धान मूंगफली के चक्र में मूंगफली के अंतर्गत सिंचित क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए एक केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना क्रियान्वित की जा रही है। इसके अतिरिक्त, गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के लिए एक विशेष परियोजना स्वीकृत की गई है और इसका एक अवयव ग्रीष्म कालीन सिंचित मूंगफली के तहत क्षेत्र का विस्तार करना है।

(ख) ऐसे सात राज्यों का पता लगाया गया है, जिनमें 1984-85 तक 14 लाख हैक्टार क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था होने की सम्भाव्य क्षमता है। सभा-पटल पर प्रस्तुत किए गए विवरण में ब्यौरा दिया गया है।

विवरण

1984-85 के अन्त तक ग्रीष्म कालीन सिंचित मूंगफली के अन्तर्गत लाया जाने वाला संभाव्य क्षेत्र

राज्य	क्षेत्र लाख हैक्टार में
1. आंध्र प्रदेश	4.00
2. कर्नाटक	2.50
3. तमिलनाडु	3.40
4. उड़ीसा	1.00
5. गुजरात	2.00
6. राजस्थान	0.50
7. महाराष्ट्र	0.40
योग	13.80
अथवा लगभग	14.00

श्री के० मालन्ना : उत्तर में यह बताया गया है कि ऐसी दो प्रकार की योजनाएं हैं। प्रथमतः मैं यह जानना चाहता हूं कि केन्द्र द्वारा योजित परियोजनाएं और विशेष परियोजनाएं क्या हैं ? जहां तक सौराष्ट्र प्रदेश की बात है ; क्या मैं मन्त्री महोदय से यह जान सकता हूं कि केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं और विशेष परियोजनाएं कौन सी हैं ? अब क्योंकि सौराष्ट्र प्रदेश में ये योजनाएं चालू कर दी गई हैं तो जहां तक मूंगफली के तेल का सम्बन्ध है मैं उत्पादन पर पड़े प्रभाव को और प्राप्त किए गए अनुभव के बारे में जानना चाहता हूं।

कृषि, ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : महोदय, जहां कहीं हम मूंगफली की पैदावार को बढ़ाना चाहते हैं वहां पर देश के सभी भागों में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना लागू है और इस योजना के अन्तर्गत कुछ मदों पर जैसे बीज, पौध सुरक्षा के लिए रसायन पर केन्द्र की ओर से 100% राजकोषीय सहायता उपलब्ध है और परिवहन व्यय तथा अन्य मामलों में 50% तक आर्थिक सहायता उपलब्ध है। परन्तु अब गुजरात में मूंगफली के लिए एक विशेष परियोजना प्रायोजित की गई है और मध्य प्रदेश के लिए एक अन्य विशेष योजना प्रायोजित की गई है। हम इन विशेष योजनाओं का प्रभाव देखना चाहते हैं जिससे हम बाद में इन्हें अन्य क्षेत्रों में भी फैला सकें, क्योंकि हम मूंगफली, सोयाबीन तथा अन्य तिलहनों के उत्पादन को देश में बढ़ाना चाहते हैं। माननीय सदस्य जानते हैं कि हमें इन वस्तुओं के अभाव का सामना करना पड़ रहा है। जो कुछ केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना में प्रदान किया जाता

है, गुजरात के लिए केन्द्रीय विशेष योजना की विशेषताएं उससे कोई बहुत भिन्न नहीं हैं। परन्तु गुजरात में विशेष परियोजना के अधीन किसानों को कुछ अतिरिक्त धन दिया जाता है। उदाहरण स्वरूप, बीज खुदाई के लिए दी जाने वाली सहायता की दर भारत सरकार ने प्रति खुदाई 100 रुपये की दर से रखी है। हस्तचालित उपस्कर के लिए प्रति नग 200/-रुपये दिए गए हैं और ट्रैक्टर के साथ लगाए जाने वाले उपस्कर के लिए 4000/-रुपये दिये गये हैं। और सिंचाई व्यय पर भी कुछ आर्थिक सहायता दी जाती है जो कि ग्रीष्म मूंगफली क्षेत्र में प्रति हेक्टेयर 150/-रुपये तक दी जाती है। गुजरात के लिए विशेष परियोजना स्वीकृत की गई है। क्योंकि मूंगफली के उत्पादन को बढ़ाने की गुजरात में बड़ी क्षमता है। गुजरात में अधिकांश मूंगफली उत्पादन शुष्क क्षेत्र में होता है।

श्री के० माल्लना : जहां तक तिलहनों विशेषकर मूंगफली के उत्पादन की क्षमता का सम्बन्ध है, उसके लिए आंध्र-प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि जैसे दक्षिणी-राज्य अधिक सक्षम हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या वहां पर कोई अनुसंधान संस्थान स्थापित किया है ? यदि नहीं तो, क्या मन्त्री महोदय हमें आश्वासन देंगे कि सरकार इस प्रकार का अनुसंधान संस्थान दक्षिणी क्षेत्र में स्थापित करेगी ?

राव बीरेन्द्र सिंह : मैंने माननीय सदस्य का सुझाव नोट कर लिया है।

श्री चिन्तामणि जेना : इन दो प्रकार की योजनाओं के लागू किए जाने के बाद, उत्पादन में क्या वृद्धि होगी और उस समय देश की आवश्यकता कितनी होगी ? दूसरे इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

क्या राज्यों में लागू की जा रही केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं उन्हें स्वीकार्य हैं ? किसानों से बहुत सी शिकायतें मिली हैं कि चूहों ने उनकी मूंगफली की पैदावार को नष्ट कर दिया है। सरकार वे कौन से उपचारात्मक उपाय करना चाहती है जिससे कि चूहों के कारण मूंगफली की फसल नष्ट न हो सके ?

राव बीरेन्द्र सिंह : प्रधान मन्त्री महोदया ने स्वयं इस वर्ष जनवरी में मूंगफली उगाने वाले सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों को लिखा है और सभी मुख्य मंत्रियों की प्रतिक्रिया बड़ी ही उत्साहवर्द्धक रही है। वे मूंगफली की खेती और उत्पादन को बढ़ाने में विशेष रूचि लेंगे। प्रधान मन्त्री महोदया के कहने पर उनके लिए स्वीकृत किए गए विशेष कार्यक्रम से गुजरात सरकार भी अतीव प्रसन्न है। तिलहनों का वर्तमान उत्पादन लगभग 100 लाख टन है और 1984-85 के अन्त तक अर्थात छठी योजना के अन्त तक हम इसे 130 लाख टन तक बढ़ाना चाहते हैं।

श्री जेवियर अराकल : इस सदन में मूंगफली के निर्यात पर लगे सीमाशुल्क में हुई वृद्धि पर हुई बहस के दौरान माननीय सदस्यों ने अनेक सुझाव दिये थे। एक सुझाव राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने और तिलहनों के संग्रह तथा विपणन के लिए एक केन्द्रीय विपणन सहकारी समिति बनाने का था। क्या सरकार ने उस सुझाव को नोट किया है उस पर ध्यान

दिया है ? यदि नहीं तो क्या मन्त्री महोदय इसे अब नोट करेंगे और स्पष्ट रूप से यह कहेंगे कि एक राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र और इस उद्देश्यार्थ केन्द्रीय सहकारी समिति नियुक्त की जायेगी ?

राव बीरेन्द्र सिंह : इसका इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है, परन्तु ये सुझाव हैं और हम पहले ही माननीय सदस्यों से इन्हें नोट कर चुके हैं ।

किसानों के हितों की रक्षा

*376. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम और अन्य सरकारी खरीद एजेंसियों के समय पर बाजार में न पहुंच सकने के कारण बहुत से छोटे और मध्यम दर्जे के किसानों को अपने उत्पादों को प्रायः मजबूरन बेचना पड़ जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं कि किसानों के उत्पादों को बाजार में पहुंचते ही खरीद लिया जाए ?

कृषि मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) और (ख) जी नहीं । कुछ इक्के-दुक्के मामलों को छोड़कर, ऐसी कोई भी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है । सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य कुछ विनिर्दिष्टियों के सन्दर्भ में होते हैं । मौसम के प्रारम्भ में कुछ किसान मंडियों में ऐसे खाद्यान्न लाते हैं जोकि सरकार द्वारा निर्धारित विनिर्दिष्टियों के अनुरूप नहीं होते हैं । ऐसे स्रोतों से आम-तौर पर शिकायतें प्राप्त होती हैं और उनका कोई औचित्य नहीं होता है । भारतीय खाद्य निगम और राज्य की एजेंसियों द्वारा हमेशा पर्याप्त अग्रिम प्रबन्ध किए जाते हैं ताकि समय से खरीददारी सुनिश्चित की जा सके ।

श्री पी.के. कोडियन : मंत्री महोदय द्वारा दिये गये उत्तर से मुझे आश्चर्य हुआ है । उत्तर यह है कि वास्तव में मजबूरन बिक्री जैसी कोई भी बात नहीं है । भारतीय खाद्य निगम तथा राज्य क्रय एजेंन्सियों ने किसानों की पैदावार के मंडियों में आते ही क्रय करने के लिए पर्याप्त प्रबंध कर रखे हैं । मुझे मालुम नहीं कि मंत्री महोदय को यह सूचना कहां से मिली । हम विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से देश के ग्रामीणों के बीच काम कर रहे है और हमें प्रायः किसानों की ये शिकायतें मिलती ही रहती है कि उन्हें सरकार की ओर से सुनिश्चित न्यूनतम समर्थन मूल्य नही मिलता और उन्हें खाद्यान्न की मजबूरन बिक्री करनी पड़ती है । मंत्री महोदय के उत्तर को ध्यान में रखते हुये मैं जानना चाहता हूं कि मंडियों में आते ही पैदावार को खरीदने के लिए राज्य क्रय ऐजेन्सियों द्वारा किए गये ये पर्याप्त प्रबन्ध क्या है ?

कृषि मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : जहां कहीं सरकार खाद्यान्न जैसी कुछ वस्तुओं का क्रय करने का फैसला करती है वहां किसानों के फालतू अन्न को खरीदने के लिए सरकार पर्याप्त प्रबन्ध करती है। मुझे यह मालूम नहीं की माननीय सदस्य किस क्षेत्र विशेष की बात कर रहे हैं । इन्होंने एक सामान्य शिकायत की है ।

लेकिन भारतीय खाद्य निगम के फसल के मण्डियों में आने से बहुत पहले, राज्य सरकारों की सलाह से यह निर्णय लेता है कि राज्य एजेंसियां कहां खरीद करेंगी और भारतीय खाद्य निगम कहां खरीद करेगा। मेरे विचार में यह प्रबन्ध बहुत सन्तोषजनक ढंग से चल रहा है। मूल्यों की घोषणा फसल कटने के बहुत पहले की जाती है और क्रय का प्रबन्ध भी फसल कटने से पहले ही कर दिया जाता है।

माननीय सदस्य सम्भवतः किसानों की उन कठिनाईयों का जिक्र कर रहे है जिनका सामना उन्हें मौसम के शुरू होते ही धान के बाजार में लाने पर करना पड़ता है जिसमें नमी का तत्व 20 प्रतिशत से अधिक होता है और जिसकी खरीद भारतीय खाद्य निगम को करने की अनुमति नही है अतः यदि किसान धान को उचित ढंग से सुखाये बिना लाता है तो उन्हें इसकी बिक्री करते समय कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। और शायद ऐसे ही मामलों में माननीय सदस्य यह देखते है कि किसानों को अपनी फसल की मजबूरन बिक्री करनी पड़ती है। लेकिन हम समय समय पर घोषणा करते रहते हैं, रेडियो द्वारा भी करते हैं, कि किसानों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनका धान कम से कम इतना सूखा होना चाहिये जितने की खरीद करने के लिए भारतीय खाद्य निगम अधिकृत है।

श्री पी.के. कोडियन : मंत्री महोदय फसल की विशेषताओं का जिक्र कर रहे हैं। यदि किसान द्वारा लायी गई पैदावार इन विशेषताओं से नीचे है तो भारतीय खाद्य निगम इसकी खरीद नहीं करेगा। लेकिन किसान प्रायः इसी बात की तो शिकायत करते है कि भारतीय खाद्य निगम इन विशेषताओं पर अनावश्यकता रूप से अधिक जोर देता है और फसल खरीदने से इन्कार करके किसानों को तंग करता है। भारतीय खाद्य निगम के विरुद्ध किसानों की यह आम शिकायत है कि इसे नौकरशाही चला रही है। इसमें किसानों के हितों का कोई भी प्रतिनिधित्व नही है। अतः यह साधारणतः उसी फसल के खरीदने में दिलचस्पी रखता है जिसे अमीर किसान और जागीरदार बाजार में लाते हैं। अधिकांश छोटे, मध्यम दर्जे के किसान तथा सीमान्त किसान, जो देश के कुल किसानों का 85 प्रतिशत हैं, समर्थन मूल्य के लाभों से वंचित रह जाते हैं। अतः मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या भारतीय खाद्य निगम के कार्यकरण को लोकतंत्रात्मक ढंग से चलाने के लिए निगम में कृषकों के प्रतिनिधियों को शामिल करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ?

श्री राव बीरेन्द्र सिंह : निगम की स्थापना का ही यह अर्थ है सरकार ने इस बारे किसी अन्य एजेन्सी को अधिकार सौंपे हैं। जहां तक भारतीय खाद्य निगम के कार्यकाल को लोक तंत्रात्मक ढंग से चलाने का सम्बन्ध है, इसमें कुछ लोगों के प्रतिनिधि भी हैं। उसमें कुछ सरकारी कर्मचारी भी है। मेरे विचार में भारतीय खाद्य निगम बहुत सन्तोषजनक ढंग से काम करता आ रहा है।

माननीय सदस्य की भारतीय खाद्य निगम के विरुद्ध जो शिकायत है वह सामान्यतः किसानों द्वारा नहीं की जाती। यह शिकायत किन्हीं और क्षेत्रों से हो सकती हैं। भारतीय खाद्य

निगम यह निर्णय नहीं करता कि वह कितने प्रतिशत नमी होने तक खरीद कर सकता है। हमने इस मामले पर सभा में कई बार चर्चा की है और मैंने माननीय सदस्यों के प्रश्नों के उत्तर दिये हैं। इस बारे चर्चा हुई है। माननीय सदस्यों से सिवाय इसके कोई भी सुझाव नहीं आया है कि भारतीय खाद्य निगम की सदस्यता में वृद्धि की जाये और उसमें किसानों के और अधिक प्रतिनिधि होने चाहिए। भारतीय खाद्य निगम में तीन सदस्य होते हैं जिनमें से एक किसान होता है। सरकार को अब तक यह प्रबन्ध संतोषजनक लगा है और यदि सदस्यता बढ़ा दी जाती है तो सदस्यों के बीच असहमति पैदा होने का खतरा बढ़ जायेगा। आप इस बात को मानेंगे कि भारतीय खाद्य निगम की अपनी सीमाएं हैं। धान में अधिक नमी का अर्थ सम्भवतः यह होगा कि धान का अधिकांश स्टाक यदि काफी समय तक रखा जाये तो खराब हो जायेगा। इसी कारण सरकार निर्णय लेती है कि धान की खरीद 20% की अधिकतम नमी तक की जायेगी। जहां तक सरकार द्वारा निश्चित मूल्य का सम्बन्ध है, 18 प्रतिशत नमी तक वाले धान के लिए न्यूनतम मूल्य दिए जायेंगे। लेकिन 18 से 20 प्रतिशत के अतिरिक्त नमी के तत्व वाले धान के मूल्य में कुछ थोड़ी सी कटौती की जायेगी। 20 प्रतिशत से अधिक नमी के तत्व वाले धान को भारतीय खाद्य निगम खरीद नहीं करता है।

श्री अर्जुन सेठी : प्रश्न मध्यम दर्जे तथा छोटे दर्जे के किसानों द्वारा धान की मजबूरन बिक्री से सम्बन्धित है। भारतीय खाद्य निगम ही नहीं बल्कि कुछ और एजेन्सियां भी किसानों से ग्रामीण क्षेत्रों में धान की खरीद करती हैं। मंत्री महोदय की सूचना के लिए मुझे कहना चाहिए कि जहां तक उड़ीसा का सम्बन्ध है···।

अध्यक्ष महोदय : आप सूचना मत दीजिए। सूचना मांगिये।

श्री अर्जुन सेठी : मंत्री ने यहां कहा है कि इस देश में किसी भी प्रकार की मजबूरन बिक्री नहीं होती। इस सम्बन्ध में मैं जानना चाहूंगा कि क्या उनको इस बात का पता है कि इस मास के मध्य तक अर्थात 15, 16 तारीख तक मजबूरन बिक्री काफी मात्रा में हुई है। यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

श्री राव बिरेन्द्र सिंह : मुझे इस बारे कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। उड़ीसा सरकार धान की खरीद कर रही है और सरकार भारतीय खाद्य निगम तथा राज्य एजेन्सी की खरीद दर से संतुष्ट है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप शिकायत नहीं कर रहे हैं ?

कुछ माननीय सदस्य : जी हां, सभी शिकायतें कर रहे हैं।

श्री गिरधारी लाल व्यास : एफ०सी०आई० जो राजस्थान के अन्दर गेहूं खरीदता है क्या यह सही है कि उसको सीधे काश्तकारों से न खरीद करके एजेन्टस की मार्फत खरीदा जाता है ? काश्तकार जो गेहूं ले कर आता है क्या यह भी सच है कि उसको उस गेहूं के कम पैसे दिए जाते

हैं और वही माल अगर एजंट लेकर आता है तो उसको पूरे पैसे दे दिए जाते हैं ? क्या इस प्रकार की अव्यवस्था एफ०सी०आई० की खरीद के अन्दर होती है ?

क्या यह भी सच है कि राजस्थान तथा देश के अन्य भागों में गोदामों के अन्दर कम गेहूं मिला है और इसका कारण यह है कि एफ०सी०आई० के बहुत ज्यादा बड़ा होने के कारण ये सारे घपले होते हैं, काफी गड़बड़ियां होती हैं ? इनके सम्बन्ध में आपने क्या एक्शन लिया है और यह संस्था जो ठीक प्रकार से काम नहीं कर रही है, यह ठीक प्रकार से काम कर सके, इस संस्था को अलग अलग क्षेत्रों में बांटने की आप कोई उचित व्यवस्था करेंगे ?

श्री राव बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, आनरेबल मेम्बर के जो सुझाव हैं, वह मैंने नोट कर लिये हैं।

श्री गिरधारी लाल व्यास : मेरे सवाल का जवाब नहीं आया, क्या खरीद एजेन्टों के द्वारा की जाती है ?

श्री मूलचन्द डागा : यह बात सही है।

श्री बी० डी० सिंह : इधर रबी फसल आने को है और होली के बाद जगह-जगह हारवेस्टिंग शुरू हो जायेगी। जैसा मंत्री जी भी जानते हैं कि छोटे-छोटे किसानों की आवश्यकता बहुत अधिक होती है और हारवेस्टिंग के तुरन्त बाद वे फसल बेच देते हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक गेहूं को सपोर्ट प्राइस तय कर डिक्लेयर नहीं की है, मैं जानना चाहता हूं कि यह कब तक तय कर देंगे और आपके क्रय-केन्द्र कब तक फंक्शन करने लगेंगे ?

श्री राव विरेन्द्र सिंह : गेहूं की सपोर्ट प्राइस का एलान जल्दी कर दिया जायेगा और हर हालत में गेहूं मंडियों में आने से पहले उसकी कीमत भी तय कर दी जायेगी और खरीदने के इंतजाम भी कर दिए जायेंगे।

हिन्दी परामर्शदात्री समिति का गठन

* 377. **श्री रामवतार शास्त्री** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय के लिए हिन्दी परामर्शदात्री समिति का गठन इस बीच कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसका गठन किस तारीख को किया गया था और इसके सदस्यों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि समिति की बैठक आयोजित नहीं की गई है ?

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) सरकार का इसकी बैठक कब तक आयोजित करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन० पाटिल : (क) और (ख) संचार मंत्रालय में डाक तार हिन्दी सलाहकार समिति का पुनर्गठन 1-1-1981 से किया गया है। इसके सदस्यों का विवरण सभापटल पर रखा जा रहा है।

(ग) से (ङ) समिति की बैठक के लिए 4 अप्रैल, 1981 की तारीख नियत कर दी गई है। बैठक के संयोजन में अनावश्यक देरी नहीं हुई है।

विवरण

1-1-81 को डाक तार हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्यों की सूची

1. संचार मंत्री	अध्यक्ष
2. संचार राज्य मंत्री	उपाध्यक्ष
3. संचार उप मंत्री	उपाध्यक्ष
4. सचिव (संचार)	सदस्य
5. सदस्य (प्रशासन), डाक-तार बोर्ड	सदस्य
6. सदस्य (डाक-प्रचालन), डाक-तार बोर्ड	सदस्य
7. सदस्य (दूरसंचार प्रचालन), डाक-तार बोर्ड	सदस्य
8. सचिव, डाक-तार बोर्ड	सदस्य
9. अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक, हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड, मद्रास	सदस्य
10. भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार तथा सचिव (राजभाषा विभाग)	सदस्य
11. निदेशक (राज भाषा), डाक-तार बोर्ड	सदस्य सचिव
12. श्री फतेहभानु चौहान, संसद सदस्य, लोकसभ	सदस्य
13. श्री टी० दामोदर रेड्डी, संसद सदस्य, लोक सभा	सदस्य
14. श्री पी०के० प्रजापति, संसद सदस्य (राज्य सभा)	सदस्य
15. नामित करना है संसद सदस्य (राज्य सभा)	सदस्य
16. श्री रामवतार शास्त्री, संसद सदस्य	सदस्य
17. श्री गणपत हीरालाल भगत, संसद सदस्य	सदस्य
18. श्री नजीर बनारसी,.....वाराणसी	सदस्य

19. डा० मलिक मोहम्मद, अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, कालीकट विश्वविद्यालय, केरल — सदस्य
20. डा० नगेन्द्र, दिल्ली—110009. — सदस्य
21. डा० प्रभाकर माचवे, निदेशक, भारतीय भाषा परिषद, कलकत्ता — सदस्य
22. प्रो० डी०एल० मुनीम, सदस्य, गुजरात लोक सेवा आयोग, अहमदाबाद — सदस्य
23. डा० (श्रीमती) कणिका तोमर, रीडर, हिन्दी विभाग, शान्ति निकेतन, बोलपुर (प० बंगाल) — सदस्य
24. प्रो० ना० नागप्पा, मैसूर — सदस्य
25. फादर कामिल बुल्के, रांची — सदस्य
26. श्री गो० प० नेने, पुणे — सदस्य
27. डा० सीताराम जायसवाल, लखनऊ — सदस्य
28. डा० (श्रीमती) प्रीतिलता त्रिपाठी, नई दिल्ली — सदस्य
29. डा० बचन देव कुमार, प्रोफेसर तथा अध्यक्ष, हिन्दी विभाग रांची विश्वविद्यालय रांची — सदस्य
30. प्रो० योगेश चन्द्र चौधरी, बी०एन० कालेज पटना — सदस्य
31. श्री वी० आंजनेय शर्मा, कुल सचिव, पी०जी०कंपलैक्स, हिन्दी प्रचार सभा, हैदराबाद। — सदस्य

श्री रामावतार शास्त्री: सातवीं लोक-सभा का चुनाव जनवरी, 1980 में हुआ और इस मंत्रालयकी सलाहकार समिति बन रही है, 1981 के जनवरी में, मैं सबसे पहले यह जानना चाहूंगा कि यह क्यों हुआ ? इसको अनावश्यक विलम्ब ही कहा जा सकता है।

(ख) सलाहकार समिति की बैठक बुलाने के कोई न कोई नियम बने होंगे कि कितने दिनों में मीटिंग होनी चाहिए, तो वह क्या हैं ? हैं भी या नहीं ?

(ङ) 1 जनवरी को आपने इस समिति का गठन किया और 4 अप्रैल को इसकी बैठक बुलाने जा रहे हैं तो यह 3 महीने से ज्यादा हो गये, क्या आप यह नहीं समझते कि इस तरह के विलम्ब को रोका जा सकता था ? पहले मीटिंग बुलाई जा सकती थी, अगर ऐसा नहीं किया तो इसके क्या कारण थे ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव): 1973 में एक डाक-तार सलाह-कार समिति का गठन अक्तूबर, 1973 से किया गया। इसकी कार्यवाही तीन वर्ष की थी

और इसने 1976 तक काम किया। इस अवधि के दौरान उसकी 9 बैठकें हुई। फिर 1978 में इसका पुनर्गठन किया गया और 1978 तथा 1979 के दौरान दो बैठकें हुई। तत्पश्चात काम चलाऊ सरकार के कार्यकाल में उसकी सदस्य संख्या बढ़कर 47 हो गयी जबकि वास्तव में सरकारी भाषा विभाग के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार यह सदस्य संख्या 30 से अधिक नहीं होनी चाहिए थी। हमने जून, 1980 में इसे पुनर्गठित करने के बारे विचार करना शुरू किया, वास्तव में 1978 में गठित समिति 1981 तक चल सकती थी लेकिन अधिक सदस्य संख्या सम्बन्धी इस त्रुटि के कारण हमें इस समिति के पुनर्गठन पर विचार करना पड़ा। अब यह पूछने की बात नही है कि समिति का पुर्नगठन रातों रात किया जा सकता है इसमें कुछ समय लगता है जिस किस्म के आदमियों की आवश्यकता है, हमें वे ढूढ़ने पड़ते हैं। यह पता लगाने में समय लगता है कि क्या मनोनीति सदस्य इस विषय अर्थात हिन्दी भाषा के विकास और प्रचार में दिलचस्पी रखते है। उन्हें हिन्दी का भी पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए और साथ ही देश के विभिन्न भागों से होने चाहिये। हमें काफी समय तक नामजदगियां नहीं मिली और हम कुछ समय के लिए मनोनीत व्यक्तियों की सहमति भी प्राप्त नहीं कर सके। 13 नवम्बर को हमें कुछ सदस्यों की सहमति प्राप्त हुई और शेष सदस्यों की सहमति 29 नवम्बर तक भी प्राप्त नही हो सकी थी अब तक भी संसदीय कार्य विभाग ने राज्य सभा के एक सदस्य की नामजदगी नहीं की है। उसके बाद हमने सरकारी राजभाषा विभाग के परामर्श से समिति गठित करने का निर्णय लिया और इसकी बैठक बुलाई (व्यवधान)।

श्री रामवतार शास्त्री : आपको इसमें लिए तीन महीने क्यों लगे ? (व्यवधान)।

श्री कार्तिक उरांव : मैं उस बात पर आ रहा हूं। यह केवल पुनर्गठन से सम्बन्धित है। (व्यवधान) समिति सदस्यों की सूचना के लिए पृष्ठाधार जानकारी तैयार करने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त सदस्यों को दिल्ली आने के लिये प्रबन्ध करने हेतु पर्याप्त नोटिस देना पड़ता है। इन सब बातों में कुछ समय लगता है। तीन महीनों के बाद अब हम 4 अप्रैल 198. को बैठक बुला रहे हैं (व्यवधान) क्या आप संतुष्ट है अथवा नही ?

श्री रामावतार शास्त्री : मैं सन्तुष्ट नहीं हूं मैं सन्तुष्ट नहीं हूं (व्यवधान)।

प्रो मधु दन्डवते : क्या यह अतारांकित प्रश्न है ? (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न पर प्रश्न है (व्यवधान) यह एक प्रश्न का उत्तर है।

श्री रामावतार शास्त्री : हिन्दी परामर्शदात्री समिति के सदस्यों की सूची दी गई है। उसमें 31 सदस्य मनोनीत किये गये हैं। इतनी लम्बी-चौड़ी कमेटी बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी ? क्या इसमें छोटी कमेटी से काम नहीं चल सकता था ?

श्री कार्तिक उरांव : इससे छोटी कमेटी से भी काम चल सकता था। लेकिन अगर एक श्री रामावतार शास्त्री को हटा दें, तो वह हल्ला करना शुरू कर देंगे। (व्यवधान)।

श्री रामावतार शास्त्री : यह तो कोई जवाब नहीं है। अगर एक रामावतार शास्त्री को हटाने से कमेटी छोटी हो जाये, को हम तैयार हैं। लेकिन इस कमेटी में 31 सदस्य हैं और रामावतार शास्त्री उनमें से एक है।

श्री कार्तिक उरांव : आप यह सिफारिश करें कि सूची से किस का नाम हटाया जाये।

श्री रामावतार शास्त्री : इसका मूलाधर क्या है ? इतनी बड़ी समिति क्यों होनी चाहिये (व्यवधान)।

श्री रामविलास पासवान : ये प्रश्न पूछते हुये अंग्रेजी में बोल रहे हैं (व्यवधान)।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं यह जानना चाहता हूं कि इतनी बड़ी कमेटी क्यों बनाई गई है।

डा०सुब्रह्मण्यम स्वामी : आपको पहले यह परिभाषा करनी चाहिये कि हिन्दी क्या है। और हम सब भाषा की हत्या कर रहे हैं (व्यवधान)।

श्री रामविलास पासवान : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही नहीं है विभागीय लापरवाही के कारण और हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक समय पर नही किये जाने के कारण और हिन्दी की सतत उपेक्षा हो रही है और जो राजभाषा अधिनियम 1963 में पारित किया गया था उसका कार्यान्वयन आप के विभाग में नहीं हो रहा है ?

श्री कार्तिक उरांव : हम सोचते हैं कि उसका इम्पलीमेंटेशन बहुत अच्छा हो रहा है। पिछली सलहकार समिति की बहुत सी रेकमेंडेशन का इम्प्लीमेन्टेशन हो चुका है···(व्यवधान)···।

श्री रामविलाश पासवान : *क्या हो चुका है ? अध्यक्ष महोदय, आप मंत्री महोदय से कहें कि वह सही उत्तर दें, नहीं तो प्रिविलेज आ जायगा। वह यह बतलाएं कि आफिशियल लेंग्वेज एक्ट का सेक्शन 3 सब-सेक्शन (3) वह जानते हैं या नहीं ? इन्होंने कहा कि इम्पलीमेंटेशन हो रहा है मैं फिर आपसे कहता हूं कि नहीं हो रहा है। इसलिए इनको कहिए सही जानकारी देने के लिए, इम्पलमेंटेशन हो रहा है या नहीं ?*

श्री कार्तिक उरांव : अच्छा किस रेस्पेक्ट में आप चाहते हैं कि इम्पलीमेंटेशन हो, यह बताइए। ···(व्यवधान)···।

श्री रामविलास पासवान : मैं मंत्री महोदय से साफ तौर पर यह जानना चाहता हूं *कि क्या विभागीय बैठक नहीं होने के कारण जो आफिशियल लेंग्वेज ऐक्ट है उसके सेक्शन 3 सब-सेक्शन (3) का आपके विभाग में खुल कर के उल्लंघन हुआ है ? यह सही है या नहीं ?*

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : *जिन परिस्थितियों में यह कुछ हुआ, उनका जिक्र कर दिया गया है। इस समिति का गठन 1978 में किया गया था। यह 1981 तक भी*

चल सकती थी। अत: यह समिति जारी रह सकती थी लेकिन इसे क्यों जारी नहीं रखा गया, इसका कारण भी बता दिया गया है। निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार सदस्यता 30 के आस-पास होनी चाहिए। इस बीच अनेक सिफारिशें आईं और सदस्यता बढ़कर 47 हो गयी। कोई भी प्रभावकारी काम नहीं किया जा सका। संसद में नये सदस्य आये। उन्हें भी इसमें लिया जाना था। अत: इस पर पुन: विचार करना जरूरी सा हो गया। इसमें अधिक समय इस कारण से लगता है कि हमें राजभाषा विभाग से तथा संसदीय कार्य विभाग से परामर्श लेना पड़ता है। बहुत से काम करने पड़ते हैं। यह समिति यथाशीघ्र गठित की गयी और इसकी बैठक भी यथाशीघ्र समय के अन्दर निश्चित कर दी गयी है। एक वर्ष के अन्दर चार बैठकें होती हैं। चालू वर्ष के दौरान चार बैठकें होंगी।

अध्यक्ष महोदय : यह धारा 3 (3) के कार्यान्वयन के बारे में जानना चाहते हैं।

श्री रामविलास पासवान : राजभाषा अधिनियम का कार्यान्वन।

अध्यक्ष महोदय : क्या इस समिति के गठित न होने से इस धारा के कार्यान्वयन में कोई बाधा आई है ?

श्री सी० एम० स्टीफन : हमारे विचार में ऐसा नहीं हुआ है।

श्री नीरेन घोष : हिन्दी की परिभाषा क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : इसका निर्णय आप स्वयं करें।

श्री सी० एम० स्टीफन : अंग्रेजी को छोड़कर अन्य कोई चीज।

डा० कर्णसिंह : अध्यक्ष महोदय, हिन्दी राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है और प्रत्येक मंत्रालय को हिन्दी सलाहकार समिति बनानी चाहिए ऐसे आदेश दिए गए हैं। हमारे साहसी और सशक्त मंत्री कार्तिक ओरांव जी ने जितनी कठिनाई और जटिलता उसके पुनर्गठन करने में बतायी, मेरी विनम्र प्रार्थना है कि इतना कठिन नहीं है यदि इसमें मंत्री महोदय स्वयं रुचि लें। मेरा अनुभव है कि ये सलाहकार समितियां तब चलती हैं जब मंत्री स्वयं इसमें रुचि लें। यदि सिर्फ नौकरशाही में पड़ जायं कि ज्यादा हो गए तब नहीं कर सकते हैं, कम हो गए तब नहीं कर सकते हैं, भीष्म नारायणा जी बैठे हुए हैं, इनके मंत्रालय ने किसी को नियुक्त नहीं किया, ये एक प्रकार से बहाने होते हैं कि यह कार्य न हो। तो मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इन छोटी-मोटी बातों को छोड़कर क्या वास्तव में वह और जो उनके सहकारी साथी हैं वे इस बात का हमें आश्वासन देंगे कि यह समिति बहुत जल्द गठित होगी और अपना कार्य करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : अब तो हो गई है, कार्य करने की बात करें। अब तो 4 अप्रैल को बैठक हो रही है।

श्री सी० एम० स्टीफन : इस समिति का गठन हो चुका है। जहां तक डाकतार विभाग का सम्बन्ध है, इस समिति ने सिफारिश की थी कि हमें डिवीजनल स्तर पर भी इसी प्रकार की समिति का गठन करना चाहिये। इन समितियों का गठन भी किया जा चुका है। हम ध्यान रखेंगे कि इस समिति की बैठकें नियमित रूप से हों और यह नियमित ढंग से काम करे। अधिकांश सिफारिशें डाक-तार विभाग ने कार्यान्वित कर दी हैं।

ग्रामीण आवास के लिए ऋण

*3;8. श्री छोटू भाई गामित :

श्री मूलचन्द डागा : क्या निर्माण और आवास मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

(क) क्या 31 मार्च, 1980 को 2.08 करोड़ मकानों की आवश्यकता थी जिसमें से गांवों में 1.61 करोड़ मकानों की कमी थी ;

(ख) क्या सरकार ने गांवों की इस समस्या को हल करने के लिए कोई योजना बनाई है ; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार गांवों में मकानों को बनाने के लिए ऋण देने का है ; यदि हां, तो वर्ष 1980 के दौरान कुल कितना ऋण दिया गया और आगामी छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान कितनी राशि दी जायेगी ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) राष्ट्रीय भवन संगठन (एन० बी० ओ०) के अनुमानों के अनुसार, अप्रैल, 1980 को देश में 2.07 करोड़ एककों की कमी थी, इनमें से 1.61 करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों में थी।

(ख) तथा (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा है।

विवरण

आवास राज्य का विषय होने के कारण, इस क्षेत्र का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। राज्य प्लानों में ग्रामीण क्षेत्रों की निम्नलिखित आवास योजनाएं शामिल हैं :—

(i) ग्रामीण भूमिहीन श्रमिक जिसमें काश्तकार, कारीगर, मछेरे आदि शामिल हैं, के लिए आवास स्थल तथा मकान बनाने के लिए सहायता की व्यवस्था करने की योजना।

(ii) लोगों के लिए 500/- रुपये तक ऋण की व्यवस्था के लिए ग्राम आवास प्रोजेक्ट योजना।

(ग) केन्द्रीय सरकार आवास तथा नगर विकास निगम (हुडको), जीवन बीमा निगम (एल० आई० सी०) और सामान्य बीमा निगम (जी० आई० सी०) के माध्यम से ग्रामीण आवास के लिए राज्य सरकारों और उनके आवास अभिकरणों को ऋण दे रही है।

छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) के दौरान, हुडको लगभग 90 करोड़ रुपये के ऋण देगा, जिसमें से लगभग 16.7 करोड़ रुपये वर्ष 1980-81 के लिए है।

जीवन बीमा निगम और सामान्य बीमा निगम के ऋणों की मात्रा प्रत्येक वर्ष निर्धारित की जाती है। केवल ग्रामीण आवास के लिए जीवन बीमा निगम से वार्षिक ऋण का मौजूदा स्तर 10 करोड़ रुपये तक है और ग्रामीण क्षेत्रों और आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए आवास के लिए सामान्य बीमा निगम से 18 करोड़ रुपये हैं।

श्री मूलचन्द डागा : सभा पटल पर आपने क्या रखा है और उसका उत्तर आपने क्या दिया है।

आप ने बताया है कि 2 करोड़ 7 लाख मकानों की कमी है और आप ने यह बताया है कि गांवों के अन्दर 1 करोड़ 61 लाख मकानों की कमी है। आपने यह कहा है कि हमने अब की साल 16 करोड़ रुपया राज्यों को दिया है। आप यह बताइए कि हमारे राजस्थान को कितना रुपया इस साल मिला है ? यह दूसरा सवाल है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हो गया है।

एक माननीय सदस्य : उत्तर सभा पटल पर रखा जाये।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित और स्वीकृत दरों से कम दर पर ठेके दिए जाने

* 379. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की विशेषकर 'एम' डिवीजन और सामान्यतया अन्य सभी विभाग केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित और स्वीकृत दरों से 40 प्रतिशत कम दरों पर ठेके देते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्धारित दरें गलत और गैर कानूनी हैं और इसीलिए रंग रोगन, सफेदी और वार्षिक रखरखाव तथा मरम्मत कार्य असंतोषजनक और घटिया है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा सार्वजनिक धन का दुरुपयोग रोकने और सरकारी आवास के आवंटनधारियों को बेहतर सेवार्थ उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्मनारायण सिंह) : (क) जी, हां। रंग रोगन और सफेदी इत्यादि के कार्यों की दरें, दिल्ली दर अनुसूची 1977 से 40 प्रतिशत कम पर प्राप्त की जा रही हैं।

(ख) दर-अनुसूची मूल रूप से निर्माण कार्यों के लिए बनाई गई है और यह बिल्कुल वास्तविक हैं। अनुरक्षण कार्यों के लिए निम्न दरें प्राप्त होती हैं क्योंकि ऐसे कार्यों के लिए बड़ी प्रतिस्पर्धा है। ठेकों में निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप कार्य की गुणवता पर सदैव बल दिया जाता है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीय युवा आयोग की स्थापना

* 380. श्री जनार्दन पुजारी : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय छात्र नेता सम्मेलन ने सरकार से अनुरोध किया है कि छात्र की समस्याओं का अध्ययन करने और उपचारात्मक उपायों का सुझाव देने के लिए एक राष्ट्रीय युवा आयोग की स्थापना की जाये ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) छात्रों की समस्याओं की जांच करने के लिए एक राष्ट्रीय युवक आयोग का गठन करने के संबंध में समय समय पर सुझाव प्राप्त हुए हैं। सरकार को छात्रों की समस्याओं की पूरी जानकारी है और उनके कल्याण पर पूरा ध्यान दे रही है। उनके कल्याण की दीर्घकालीन समस्याओं तथा समय-समय पर पेश आने वाली समस्याओं को भी सुलझाने के लिए स्थिति की आवश्यकताओं तथा अपने संसोधनों को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा की अन्य संस्थाओं द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाती है। शैक्षिक विकास के प्रति हमारे दृष्टिकोण में हमेशा छात्रों की समस्याओं और आवश्यकताओं तथा उनके कल्याण पर ध्यान दिया गया है।

शिक्षा आयोग सहित कई समितियों तथा आयोगों द्वारा छात्रों की समस्याओं के विभिन्न पहलुओं की विस्तार से जांच की जा चुकी है, अतः इस समय एक अन्य आयोग का गठन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

पटना और हाजीपुर के बीच टेलीफोन सेवा

*381. **श्री राम विलास पासवान** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटना और हाजीपुर के बीच की टेलीफोन सेवा हमेशा खराब रहती है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या सरकार का पटना से हाजीपुर फतुहा विक्रम और मसोढ़ी तक स्थानीय काल सुविधाएं देने का विचार है ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि पटना टेलीफोन केन्द्र के पूछताछ (197), शिकायत मानीटर तथा ट्रंक काल सहायक हमेशा ही अपनी सीट से गायब रहते हैं और घंटी बजती रहती है लेकिन कोई रिसीवर नहीं उठाता ?

संचार मंत्री (श्री सी०एम० स्टीफन) : (क) यह सच नहीं है कि पटना और हाजीपुर के बीच की टेलीफोन सेवा हमेशा खराब रहती है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) जी, नहीं ।

बायो-गैस एककों पर खर्च

*382. **श्री जेवियर अराकल** : क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979 से 80 तक बायो-गैस एककों पर कितनी राशि खर्च की गई; और

(ख) वर्ष 1975 से कितने एकक किस लागत पर स्थापित किए गये हैं और उन राज्यों के नाम क्या हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) राष्ट्रीय विकास परिषद के निर्णय के अनुसार, स्थानीय खाद संसोधनों (जिसमें जैव-गैस कार्यक्रम शामिल है) से सम्बन्धित केन्द्रीय क्षेत्र की योजना, 1 अप्रैल, 1979 से राज्य क्षेत्र (संघ शासित क्षेत्रों से सम्बन्धित मामलों को छोड़कर) का कार्य हो गया । तथापि, वर्ष 1979-80 के दौरान, कृषि मंत्रालय ने जैव-गैस संयंत्रों के लिए केन्द्रीय राज सहायता के रूप में सम्बन्धित राज्य सरकारों तथा गत वर्ष का वचनबद्ध दायित्व होने के कारण खादी ग्रामोद्योग आयोग को 120 लाख रुपये की राशि जारी की ।

राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार, वर्ष 1979-80 के दौरान, विभिन्न राज्यों में 15,479 जैव-गैस यूनिट स्थापित किये जाने की सूचना दी गयी है। इन संयंत्रों पर खर्च की गयी राशि का ब्यौरा राज्य सरकारों से प्राप्त किया जा रहा है।

संघ शासित क्षेत्रों में, जहां केन्द्रीय क्षेत्र के तहत जैव-गैस कार्यक्रम लागू किया जा रहा है, वर्ष 1979-80 के दौरान 27 संयत्र स्थापित किए गए तथा चालू वर्ष के दौरान अब तक राज सहायता के रूप में 27,021 रुपये की राशि जारी की गयी है।

(ख) 1974-75 से 1978-79 की अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में 70,277 जैव-गैस संयंत्र स्थापित किए गए। केन्द्रीय सरकार ने राजसहायता के रूप में 565.77 लाख रुपये की राशि जारी की। ब्यौरा अनुबंध 1 तथा 2 में दिया गया है।

[ग्रंथालय में रखा गया/देखिए संख्या एल०टी० 2115/81]

ताप्ती नदी पर नवादा बांध का निर्माण

*383. **श्री शिवकुमार सिंह :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में ताप्ती नदी पर नवादा बांध का निर्माण करने के लिए सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बांध का निर्माण कार्य कब शुरू होगा और इसके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ; और

(ग) किसानों को सिंचाई सुविधाएं कब तक उपलब्ध कराई जाएंगी तथा इससे अनुमानित कितने क्षेत्र की सिंचाई होगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) से (ग) महाराष्ट्र सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार नवादा के बांध, जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के संयुक्त उपक्रम अपर ताप्ती परियोजना चरण-दो का एक हिस्सा है, से संबंधित सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है। संशोधित परियोजना रिपोर्ट को दोनों राज्य सरकारों द्वारा अन्तिम रूप दिया जा रहा है। इस बांध और सिंचाई प्रणाली के निर्माण कार्य की अवधि और इसके अलावा सिंचित किए जाने वाले क्षेत्र के बारे में निश्चय संशोधित परियोजना रिपोर्ट को तैयार करते समय और अन्तिम रूप देते समय किया जायेगा।

अनधिकृत निर्माणों को गिराना

*384. **श्री चन्द्रपाल शैलानी :** क्या निर्माण और आवास मंत्री अनधिकृत निर्माण को गिराने के बारे में 17 अप्रैल, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6947 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनधिकृत निर्माणों को गिराने का निर्णय इस बीच ले लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में अन्तिम निर्णय करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्मनारायण सिंह) : (क) तथा (ख) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि न्यायालय ने परिसर सं० 770 वार्ड नं० 8 गली कुढेवालान दिल्ली में अनधिकृत निर्माण को गिराये जाने के विरुद्ध वादी श्री कन्हैयालाल के आवेदन पत्र को रद्द कर दिया है । न्यायालय के निर्णय की एक प्रतिलिपि 6-3-81 को दिल्ली नगर निगम द्वारा प्राप्त कर ली गई है । उन्होंने कहा है कि अब सभी औपचारिकताएं पूरी कर लेने के बाद गिराने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर आरम्भ की जायेगी ।

(ग) न्यायालय द्वारा जारी किए गए रोकादेश के कारण गिराने की कार्यवाही आरम्भ नहीं का जा सकी और इसलिए भी कि न्यायालय के निर्णय की प्रतिलिपि प्राप्त करने में दिल्ली नगर निगम को कुछ समय लग गया ।

चीनी प्रौद्योगिकी में उन्नत प्रशिक्षण

*385. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चीनी औद्योगिकी में उन्नत प्रशिक्षण देने के लिए दक्कन शुगर इन्स्टीट्यूट, पूणे जैसी संस्था को बढ़ावा देने की कोई योजना तैयार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पिछड़े वर्गों के लिए छठी योजना में गृह

*386. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या निर्माण और आवास मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समाज के दुर्बल वर्गों के लिए मकानों की व्यवस्था करने का कोई कार्यक्रम बनाया है, जो छठी पंचवर्षीय योजना में क्रियान्वित किया जाना है ; और

(ख) यदि हां, तो (राज्यवार) कितने रिहायशी मकान बनाये जायेंगे, उनके लिए कितना परिव्यय रखा गया है और तत्सम्बन्धी अन्य ब्यौरा क्या है ?

मसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) में, समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों तथा ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों के लिए वास स्थल व राज सहायता के लिए लगभग 1, 019.20 करोड़ रुपये खर्च करने का विचार है। यह वास्तविक लक्ष्य 123.88 लाख रिहायशी एककों/स्थलों का है जो निर्धारित एकक लागतों पर आधारित है। राज्य सरकारों द्वारा राज्यवार वित्तीय परिव्यय तथा वास्तविक लक्ष्यों का अभी हिसाब लगाया जाना है।

वाकी-टाकी रेडियो टेलीफोन पर प्रतिबन्ध

*387. **श्री दलीप सिंह भूरिया** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मीडियम रेंज के वाकी-टाकी रेडियो टेली-फोनों पर से प्रतिबन्ध हटाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हाँ तो क्या ऐसे उपकरणों पर लगे प्रतिबन्ध हटाने का उपबन्ध करने के लिए भारतीय वेतार अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है ;

(ग) क्या सरकार ने आवश्यक सेवाओं से सम्बन्धित प्रशासनिक तथा अन्य संगठनों में इन उपकरणों की आवश्यकता पर विचार किया है ; और

(घ) यदि हाँ, तो क्या ऐसे संगठनों में इन उपकरणों के उपयोग की अनुमति देने हेतु भारतीय वेतार अधिनियम में जिस लाइसेंस प्रणाली की व्यवस्था है उसमें कुछ ढील दी जायेगी ?

संचार मन्त्री (श्री सो० एम० स्टीफन) : (क) दरमियाने दर्जे के वाकी-टाकी रेडियो टेलीफोन के प्रयोग पर कोई रोक नहीं है लेकिन इसके लिए हर प्रयोगकर्त्ता को अनुज्ञप्ति लेनी पड़ती है।

(ख) उपर्युक्त (क) की दृष्टि से सवाल पैदा नहीं होता।

(ग) प्रशासनिक और आवश्यक सेवाएं, जैसे अग्निशमन सेवा, बाढ़ नियंत्रण, बिजली बोर्ड, पुलिस आदि से सम्बन्धित संगठनों को वाकी-टाकी रेडियो टेलीफोन उपकरण का प्रयोग करने के लिए भारतीय तार अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति जारी की जा चुकी है।

(घ) उपर्युक्त (ग) की दृष्टि से सवाल पैदा नहीं होता।

कोइल परियोजना

*388. **श्री राम स्वरूप राम** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में कोइल परियोजना के अन्तर्गत कितना क्षेत्र आने की सम्भावना है ;

और

(ख) परियोजना को कितनी शीघ्र क्रियान्वित किया जायेगा ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) यह प्रश्न सम्भवतः उत्तरी कोइल परियोजना के बारे में है । इस परियोजना में बिहार के पलामू और गया जिलों में 1.094 लाख हैक्टेयर क्षेत्र की वार्षिक सिंचाई की परिकल्पना की गई है ।

(ख) इस परियोजना के छठी योजना के अन्त तक पूरा होने की संभावना है ।

त्रिवेन्द्रम में नेय्यार नदी के साथ सम्बद्ध अपर बांध के निर्माण के बारे में केरल से अनुरोध

*389. **श्री नीलालोहितादसन नाडार : क्या सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को कोई अभ्यावेदन मिला है जिसमें मांग की गई है कि केरल के त्रिवेन्द्रम जिले में नेय्यार नदी से सम्बद्ध अपर बांध का निर्माण किया जाये जिसमें कि फसल वाले अधिक क्षेत्रों को सिंचाई सुविधा के अन्तर्गत लाया जा सके ;

(ख) यदि हाँ, तो भारत सरकार द्वारा अभ्यावेदन पर क्या कार्रवाई की गई ;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को रेकेरूल सरकार से बारे में कोई पत्र प्राप्त हुआ था ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्रवाई की गई ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण सिंचाई मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) से (घ) माननीय संसद सदस्य श्री नीलालोहितासदन नाडार से केन्द्रीय सिंचाई मंत्री को अक्तूबर, 1980 में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था जिसमें मौजदा नेय्यार सिंचाई परियोजना से जुड़ने वाले अपर बांध का निर्माण करने का सुझाव दिया गया था । यह अभ्यावेदन केरल राज्य की सरकार के पास भेज दिया गया था। राज्य सरकार ने नवम्बर, 1980 में सूचित किया था कि उन्होंने अपने मुख्य इन्जीनियर को अनुदेश जारी किए हैं कि अपर नेय्यार बांध के बारे में विस्तृत अन्वेषण किए जाएं । राज्य सरकार द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के भेजे जाने के बाद ही संवीक्षा करने और स्वीकृति देने के लिए आगे कार्रवाई की जा सकती है ।

उज्जैन के लिए सीधी टेलीफोन डायलिंग दूर संचार प्रणाली

*390. **श्री सत्यनारायण जटिया : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उज्जैन को सीधी टेलीफोन डायलिंग के माध्यम से महानगरों से नहीं जोड़ा गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उज्जैन को सीधी टेलीफोन डायलिंग के माध्यम से महानगरों से कब तक जोड़ा जाएगा ?

संचार मन्त्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) जी नहीं। उज्जैन से बंबई और दिल्ली के लिए पूर्णकालिक एस० टी० डी० सेवा तथा मद्रास और कलकत्ता के साथ रात्रि एस० टी० डी० सेवा उपलब्ध है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

अपना स्वयं का मकान रखने वाले कर्मचारियों की सरकारी आवास के आबंटन के लिए प्राथमिकता तारीख

*391. **श्री के० कुन्हम्बु** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अपना स्वयं का मकान रखने वाले कुछ सरकारी कर्मचारियों की प्राथमिकता तारीखें सरकारी सेवा में उनके प्रवेश करने की तारीख की उपेक्षा करते हुए, बदल कर वर्ष 1977 कर दी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो यह नियम अपना स्वयं का मकान रखने वाले अन्य सरकारी कर्मचारियों पर जिन्हें सरकारी मकान आबंटित किया जा चुका है, लागू न करने के क्या कारण थे;

(ग) क्या सरकारी मकान के आबंटन के प्रयोजनार्थ अपना स्वयं का मकान रखने वाले सभी कर्मचारियों को समान रूप से मानते हुए निर्माण और आवास मन्त्रालय के 30 अगस्त, 1980 के निर्णय को कार्यान्वित किया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) यह सत्य है कि सरकार ने दिल्ली में सामान्य पूल वास के लिए अपने स्वयं के मकान वाले उन सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए दिनांक 29, जून, 1977 के अपने आदेशों द्वारा 1-6-1977 की तिथि "अग्रता तारीख" के रूप में निर्धारित की थी जिन्होंने उक्त तारीख से पूर्व केन्द्रीय सरकारी सेवा में प्रवेश किया था चाहे उनकी सेवा आरम्भ करने की वास्तविक तिथि कुछ भी क्यों न हों।

(ख) "अग्रता तारीख" केवल उन्हीं मामलों के संदर्भ में है जहां सरकारी कर्मचारी सामान्य मूल आवास के आबंटन की प्रतीक्षा कर रहे हों या बदले में आवास के अपने पात्र वर्ग की प्रतीक्षा में हों 1-6-1977 की अग्रता तारीख अपने मकान वाले उन अधिकारियों के बारे में भी लागू थी जिन्हें पहले ही सरकारी मकान आबंटित थे और जो बदले में आवास के अपने पात्र श्रेणी के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे।

(ग) जी, हां ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

खण्डसारी के उत्पादन पर राज्यों द्वारा लेवी लगाना

3570. **श्री एस० एम० कृष्ण :**
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खण्डसारी उत्पादक तीन राज्यों, यथा उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश ने अपने अपने राज्यों में खण्डसारी उत्पादन पर लेवी लगा दी है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी लेवी लगाई गई है और चालू मौसम में इसका चीनी के समूचे उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ;

(ग) अन्य किन-किन राज्यों ने भी ऐसा ही किया है ;

(घ) क्या सरकार ने सहकारी और गैर-सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में नये एककों को लाइसेंस दिए हैं अथवा देने का विचार है अथवा वर्तमान एककों का विस्तार करने का विचार है; यदि हां, तो उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) चालू वर्ष के दौरान अनुमानतः चीनी का कितना उत्पादन होगा और चीनी के उत्पादन को अधिकाधिक बढ़ाने के प्रयोजन से चीनी को खण्डसारी की तरफ जाने से रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ।

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) से (ङ) चीनी फैक्ट्रियों की बजाय दूसरी जगह गन्ने को अनुचित ढंग से भेजने को रोकने और चालू मौसम के दौरान चीनी का अधिक से अधिक उत्पादन बढ़ाने के लिए केवल उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश की राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार की सहमति से प्रथम सल्फीटेशन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित खण्डसारी पर 50 प्रतिशत लेवी लगाई है । आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक की राज्य सरकारों ने भी अपेक्षाकृत कम हद तक लेवी लगाने के लिए प्रस्ताव भेजें हैं ।

अनुमान है कि चालू मौसम के दौरान चीनी का कुल उत्पादन 52 से 54 लाख मीटरी टन तक होगा । चीनी के कुल उत्पादन पर खण्डसारी पर लेवी लगाने के प्रभाव को केवल चीनी मौसम के अन्त तक ही जाना जा सकता है ।

सरकार ने जुलाई, 1980 से नई फैक्ट्रियों और विस्तार परियोजनाओं हेतु लाइसेंस देना बहाल कर दिया था और तब से छः लाइसेंस/आशय पत्र जारी किए गये हैं जिसमें से तीन नये यूनिटों और तीन विस्तार परियोजनाओं के लिए हैं । वे सभी उत्तर प्रदेश में सहकारी क्षेत्र में हैं। राज्यवार अथवा क्षेत्रवार कोई भी कोटे निर्धारित नहीं किए गए हैं ।

खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली में टेंडर मंगाये बिना कार्य देना

3571. **श्री निहाल सिंह :** क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली में टेंडर आमंत्रित करने के बाद रंगाई, छपाई, सिलाई, कशिदाकारी और धुलाई आदि जैसे कार्यों के लिए आदेश देने की सामान्य परम्परा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या भवन के मैनेजर ने टेंडर आमंत्रित करने की औपचारिकताओं को पूरा किये बिना ही तथा जमानत जमा की राशि पर जोर न डालते हुए वर्ष के मध्य में इन कार्यों के लिए मनमाने ढंग से आदेश दे दिये थे ; हालांकि टेंडर पूछताछ की अन्तिम तारीख समाप्त हो गई थी ; और

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे गलत तरीकों को रोकने और इस पद्धति में सुधार करने के लिए कार्यवाही करने का है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) व (ख) स्थिति यह है कि खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली द्वारा कपड़ों (सिलेसिलाये कपड़ों को छोड़कर) की रंगाई, छपाई, सिलाई तथा धुलाई के लिए अखबारों में विज्ञापन निकाल कर टेंडर आमंत्रित किये जाते हैं । सिलेसिलाए कपड़ों की धुलाई का काम बिना टेंडर आमंत्रित किये धोबी को दिया जाता है लेकिन उसके लिए अपेक्षित प्रत्याभूति जमा कराई जाती है । धुलाई, छपाई तथा सिलाई का कार्य निविदा समिति द्वारा टेंडर दाताओं के कार्य से संतुष्ट हो जाने और दरें निश्चित किए जाने तथा अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी होने पर सौंपा जाता है । तथापि, कढ़ाई कर तथापि, कढ़ाई तथा कुछ प्रकार के सिलाई के कार्य के लिए भी टेंडर आमंत्रित नहीं किए जाते हैं क्योंकि यह कार्य निविदा समिति द्वारा निश्चित की गई दरों पर रोजगार सुलभ करने के उद्देश्य से गरीब महिलाओं तथा लड़कियों को दिया जाता है ।

(ग) खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग का एक व्यापारिक केन्द्र है जो एक सांविधिक निकाय है । सरकार का उक्त कार्य के लिए आयोग द्वारा किए गए प्रबन्ध में दखल-अन्दाजी करने का कोई विचार नहीं है ।

सरकारी आवास का बिना पारी के आबंटन

3272. **श्री टी० एस० नेगी :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने 15 जनवरी, 1981 को कुछ सरकारी कर्मचारियों को मेडीकल आधार पर बिना पारी के रिहायशी मकान देने की स्वीकृति प्रदान की है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें से कितने सरकारी कर्मचारियों को रिहायशी मकान आबंटित किए जा चुके हैं ;

(ग) उसमें से कितने सरकारी कर्मचारियों को अभी रिहायशी मकान दिए जाने हैं ; और

(घ) सरकार बाकी के सरकारी कर्मचारियों को किस तारीख तक मकान दे देगी ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी हाँ ।

(ख) 19

(ग) 5

(घ) जैसे ही खाली मकान उपलब्ध हो जाएंगे शेष अधिकारियों को सरकारी मकान आबंटित कर दिए जाएंगे ।

अपशिष्ट द्रव्य से उर्वरक बनाया जाना

3573. प्रो० मधु दण्डवते : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मिट्टी की किस्म के संरक्षण और व्यय को कम करने के लिए अपशिष्ट द्रव्य से स्वदेशी उर्वरक बनाने पर ध्यान देगी ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजन के लिए एक ठोस योजना बनाई जाएगी ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) जी हां । केन्द्रीय और राज्य सरकारें ग्रामीण और शहरी कम्पोस्ट बनाने, हरी खाद तैयार करने, मल-मूत्र का इस्तेमाल करने, बायो-गैस संयंत्रों की स्थापना करने आदि जैसी विभिन्न योजनाओं के जरिये खाद तैयार करने के लिए कार्बनिक अपशिष्ठ पदार्थों के पुनः उपयोग करने पर पर्याप्त ध्यान दे रही है ।

भारत सरकार छठी योजना में बायो-गैस विकास सम्बन्धी एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रारम्भ करने जा रही है । इस उद्देश्य के लिए 50 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रावधान किया गया है । छठी योजना के दौरान जैविक-उर्वरकों के विकास और इस्तेमाल की एक अन्य योजना भी प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है जिसके लिए 4 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है । इन योजनाओं का विवरण तैयार किया जा रहा है ।

हरियाणा में मिलावटी खाद की बिक्री के बारे में जांच

3574. श्री बी०बी० देसाई : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन फार्मस फर्टीलाइजर कार्पोरेशन द्वारा निर्मित उर्वरक की बिक्री में बड़े घोटाले का पता लगा है ;

(ख) क्या हरियाणा तथा अन्य राज्यों में अनधिकृत विक्रेताओं द्वारा मिलावटी खाद के बेचे जाने के बारे में शिकायतें की गई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई मांग की गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) इण्डियन फार्मस फर्टिलाजर्स कारपोरेशन के नाम से उर्वरक का कोई विनिर्माता नहीं है और इसलिए उपर्युक्त कारपोरेशन द्वारा विनिर्मित उर्वरकों की बिक्री में बड़े घोटाले का प्रश्न ही नहीं होता ।

(ख) उर्वरक (नियंत्रण) आदेश के प्रावधानों के अनुसार जो व्यक्ति उर्वरकों के काम को करेगा, उसे राज्य सरकार द्वारा पंजीकरण प्रमाणपत्र लेना आवश्यक है । किसी भी राज्य सरकार ने ऐसे व्यक्तियों अथवा संगठनों द्वारा, जिनके पास ऐसा कोई पंजीकरण प्रमाण-पत्र नहीं है, उर्वरकों की बिक्री किए जाने के बारे में सूचना नहीं दी है । तथापि, कुछ राज्यों ने अपने राज्यों में घटिया उर्वरक बेचे जाने के कुछ मामलों की सूचना दी है ।

(ग) उर्वरक (नियंत्रण) आदेश के अन्तर्गत राज्य सरकारों को उर्वरकों की गुणवत्ता बनाए रखने, और कदाचार के मामलों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त अधिकार हैं । सम्बन्धित राज्य सरकारों ने यह सूचित किया है कि उपर्युक्त मामलों में उचित कार्रवाई की गई है ।

उड़ीसा में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अधीन सड़कों का सुधार और उनका बदला जाना

3575. **श्री के० पी० सिंह देव** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम के अन्तर्गत सड़कों के सुधार तथा उनको बदलने के कितने प्रस्ताव उड़ीसा सरकार द्वारा भेजे गये ;

(ख) उन पर कितना व्यय होगा ; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि आवंटित की जा रही है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) से (ग) उड़ीसा की राज्य सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) में न्यूनतम आवश्यकता

कार्यक्रम के अन्तर्गत 1500 तथा उससे अधिक की जनसंख्या वाले 878 गांवों 1000-1500 के बीच की जनसंख्या वाले 516 गांवों तथा 1000 से कम की जनसंख्या वाले 2742 गांवों को लेने का प्रस्ताव रखा था और 124.02 करोड़ रुपए के परिव्यय का सुझाव दिया था। राज्य सरकार के साथ विचार-विमर्श करने के पश्चात योजना आयोग ने राज्य की छठी पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण सड़कों के लिए 30 करोड़ रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया है।

विवेकानन्द रॉक मेमोरियल में मछेरों और यात्रियों के बीच विवाद

3576. **श्री एन० डेनिस** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही के महीनों में तमिलनाडु स्थित कन्याकुमारी में विवेकानन्द रॉक क्षेत्र में मछेरों और यात्रियों के बीच कोई विवाद हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) सूचना तमिलनाडु राज्य सरकार से एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

हरियाणा सरकार द्वारा कृषि ऋणों का माफ किया जाना

3577. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा सरकार ने विशेष रूप से कृषि प्रयोजन के लिये दिये गये ऋणों को माफ कर देने का प्रस्ताव रखा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) हरियाणा सरकार ने अब कृषि के प्रयोजन के लिए दिए गए सांस्थानिक ऋणों को माफ करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है। राज्य सरकार ने खरीफ, 1979 में सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में राहत सम्बन्धी निर्णय के अनुसार उन क्षेत्रों के छोटे तथा सीमान्त कृषकों को जहां खरीफ, 1979 में 50 प्रतिशत से अधिक क्षति हुई थी, दिए गए उत्पादन संबंधी अल्पकालीन अग्रिम ऋणों पर ब्याज माफ करने का निर्णय किया था।

(ख) प्रश्न नहीं होता।

निर्यातोन्मुखी फसलों के लिए सतत निधि

3578. **श्री लक्ष्मण मलिक :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यातोन्मुखी फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार का विचार एक सतत निधि बनाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) यह सिफारिश वाणिज्य मंत्रालय द्वारा गठित निर्यात नीति से सम्बन्धित समिति की सिफारिशों में से एक है ।

(ख) यह सिफारिश नीचे दी गई है :—

"बजट की सहायता अथवा कृषि तथा ग्रामीण विकास सम्बन्धी राष्ट्रीय बैंक के स्तर पर अन्य साधनों से एक सतत निधि बनाना वांछनीय होगा ताकि यह निर्यातोन्मुखी फसलों के लिए आसान शर्तों पर ऋण प्रदान कर सके ।"

दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापकों को गृह निर्माण ऋण

3579. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली विश्वविद्यालय तथा इसके सम्बद्ध कालेजों के अध्यापकों को पिछले 3 वर्षों में गृह निर्माण प्रयोजनों के लिए ऋण देने हेतु प्रति वर्ष कोई धनराशि आवंटित की ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार गत 2 वर्षों में इस ऋण के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की भारी संख्या को देखते हुए इस वार्षिक आवंटन में वृद्धि करेगी ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री शंकरराव चव्हान) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिल्ली विश्वविद्यालय को इसके तथा इसके सम्बद्ध कालेजों के कर्मचारियों को मकान बनाने के लिए ऋण देने के संबंध में आवर्तन धन का सृजन करने के लिए 1979-80 में पहली बार 10 लाख रुपए का अनुदान दिया । 1980-81 के दौरान, इस प्रयोजन के लिए आयोग द्वारा विश्वविद्यालय को 20 लाख रुपए का एक और अनुदान दिया गया है ।

(ख) विश्वविद्यालय ने आयोग से चालू वित्तीय वर्ष के दौरान मकान बनाने के लिए ऋण की राशि के आवंटन को 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपए करने का अनुरोध किया है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार आवंटन की राशि के बढ़ाए जाने की कोई सम्भावना नहीं है ।

आनन्दपुर, क्योंझर में प्रधान डाकघर

3580. श्री हरिहर सोरन : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा के क्योंझर जिले के आनन्दपुर क्षेत्र से सबडिवीजनल मुख्यालय शहर आनन्दपुर में प्रधान डाकघर स्थापित करने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार चालू वित्तीय वर्ष में प्रधान डाकघर स्थापित करने का है ; और

(ग) इस संबंध में विवरण क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) तथा (ख) जी नहीं ।

(ग) उपरोक्त को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

नए टेलीफोन केन्द्र

3581. श्री मोहम्मद इस्माइल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वर्ष के दौरान, राज्यवार कितने नए टेलीफोन केन्द्र खोले जाएंगे ।

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : 1980-31 वित्तीय वर्ष के दौरान खोले जाने वाले नए एक्सचेंजों की सूची

	राज्य का नाम	एक्सचेंजों की संख्या
1.	आन्ध्र	13
2.	असम	—
3.	बिहार	1
4.	गुजरात	24
5.	जम्मू व कश्मीर	6
6.	कर्नाटक	8
7.	हरियाणा	[2]
8.	हिमाचल प्रदेश	2
9.	मध्यप्रदेश	18

10.	महाराष्ट्र	47
11.	मणिपुर	—
12.	मेघालय	2
13	नागालैंड	1
14.	उड़ीसा	10
15.	पंजाब	15
16.	राजस्थान	15
17.	तमिलनाडु	23
18.	त्रिपुरा	1
19.	उत्तर प्रदेश	25
20.	पश्चिम बंगाल	20
21.	सिक्किम	20

अपने मकान वाले सरकारी अधिकारियों के पास सरकारी आवास

3582. **डा० ए० यु० आजमी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री निम्नलिलित जानकारी दर्शाने वाला एक बिवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों/विभागों तथा सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में उप-सचिव तथा उससे ऊपर के पद के ऐसे कितने अधिकारी हैं जिनके राजधानी में अपने मकान हैं परन्तु उन्हें सरकारी आवास रखने की अनुमति दी गई है ;

(ख) क्या ये अधिकारी राजधानी की वसंत विहार तथा अन्य आलीशान कालोनियों में अपने मकानों का बहुत अधिक किराया ले रहे हैं ;

(ग) यदि हां, तो उनसे सरकारी आवास के लिए कितना किराया लिया जा रहा है ;

(घ) सचिव के पद से सेवा-निवृत हुए ऐसे अधिकारियों का ब्यौरा क्या है जिनके अपने मकान हैं परन्तु उन्हें सेवा-निवृति के बाद छह महीनों से अधिक अवधि तक सरकारी आवास में रहने दिया गया जबकि वे अपने मकानों का बहुत अधिक किराया ले रहे हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) ऐसे अधिकारियों की संख्या 109 है ।

(ख) अनुमान है कि ऐसे अधिकारी जिन्होंने अपने मकान किराये पर दिए हुए हैं दिल्ली में बाजारी किराए के मौजूदा स्तर के अनुसार किराया ले रहे हैं।

(ग) अपने मकान वाले सामान्य पूल वास के आवंटियों से लाइसेंस फीस लेने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई गई है :—

विवरण

चीतों, शेरों तथा गैंडों की संख्या के बारे में सूचना

चीतों की संख्या

वर्ष	संख्या
1972	1827
1977	2278
1979	3015

शेरों की संख्या

1974	180
1979	205

असम के काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क में गैंडों की संख्या

1966	366
1972	671
1978	960

असम तथा पश्चिम बंगाल में गैंडों की कुल संख्या 1979 में 1354 होने का अनुमान है।

गाजीपुर (उत्तर प्रदेश) स्थित टेलीफोन केन्द्र को
स्वचालित टेलीफोन केन्द्र में बदलना

3584. श्री जैनुल बशर : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गाणीपुर नगर (उत्तर प्रदेश) के टेलीफोन केन्द्र को स्वचालित टेलीफोन केन्द्र में बदले जाने का विचार है ;

(ख) यदि हां तो कब तक; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी हां।

(ख) यदि कोई अप्रत्याशित घटना न घटी तो 1986 तक।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

उल्हासनगर (जिलाथाना) महाराष्ट्र में स्वचालित टेलीफोन केन्द्र का चालू किया जाना

3585. **श्री आर. के. महालगी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उल्हासनगर (जिला थाना), महाराष्ट्र में स्वचालित टेलीफोन केन्द्र चालू करने का चरणबद्ध कार्यक्रम क्या है ;

(ख) यह चरणबद्ध कार्यक्रम कब तैया किया गया था ;

(ग) क्या उक्त परियोजना की प्रगति निर्धारित समय के अनुसार है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) एक 1981-82 के दौरान भवन निर्माण ।

(दो) 1982-83 के दौरान आयातित उपस्कारों की सप्लाई ।

(तीन) एक्सचेन्ज चालू करना -1983-84 ।

(ख) 1979-80 में ।

(ग) तथा (घ) योजना की औपचारिक स्वीकृति में कुछ चूक रह गई है जिसके कारण यह अलाभकारी सिद्ध हो रही है और इसीलिए डाक-तार बोर्ड की विशेष मंजूरी मांगी गई है । अभी भी यह प्रयत्न किया जा रहा है कि यह एक्सचेन्ज 1984 तक चालू हो जाए ।

हैड पोस्टमैनों तथा ओवरसियर पोस्टमैनों को बाह्य ड्यूटी के लिए सवारी भत्ता

3586. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाह्य ड्यूटी पर तैनात हैड पोस्ट मैनों तथा ओवरसियर पोस्टमैनों की कुल संख्या क्या है ;

(ख) उक्त पदों के सृजन के लिए निर्धारित स्तर क्या है ;

(ग) क्या सरकार श्रेणी 'ग' के जनसंपर्क निरीक्षकों को निर्धारित सवारी भत्ते को अदयागी करती है ; और

(घ) यदि हां, तो हैड ओवरसियर पोस्टमैनों को इसी प्रकार का काम करने के लिए सवारी भत्ता देने से इन्कार करने के क्या कारण है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है तथा प्राप्त होने पर सभा पटल पर रखदी जाएगी।

(ख) मुख्य/ओवरसीयर पोस्टमैन के पदों की मंजूरी हेतु कोई अखिल भारतीय मानदन्ड नहीं हैं। प्रेक्षण तथा मामले के गुणावगुण के आधार पर इन पदों की मांग से जब डाक सर्कलों के अध्यक्ष संतुष्ट हो जाते हैं तो वे इन पदो की मंजूरी देते हैं।

(ग) जी हां।

(घ) मुख्य पोस्टमैन/ ओवरसीयर पोस्टमैन की ड्यूटी जन संपर्क निरीक्षकों की ड्यूटी से पूरी तरह मेल नहीं खाती है। इसके अतिरिक्त उन्हें जन संपर्क निरीक्षकों की भांति विस्तृत वाह्य ड्यूटी नहीं देनी पड़ती है जिसके कारण परिवहन भत्ते के अनुदान का संचालन करने वाले नियमों के अनुसार उनके लिए परिवहन भत्ते के अनुदान का औचित्य नहीं बनता।

असम में कृषि अध्ययन दल

3587. श्री पीयूष तिरकी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि की संभावनाओं का अध्ययन करने के लिए जुलाई, 1980 में अध्ययन दल ने असम और पूर्वोत्तर राज्य का दौरा किया था ;

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन दल द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदनों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन प्रतिवेदनों और सिफारिशों के आधार पर अद्यतन क्या कार्यवाही की गई है और प्राप्त हुए परिणाम क्या हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. बी. स्वामीनाथन) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

मार्च, 1980 में केन्द्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा गठित "असम की कृषि अर्थ व्यवस्था के संबंध में केन्द्रीय कृषक बल" नामक एक अध्ययन दल ने कृषि संबंधी समस्याओं के अध्ययनके लिए असम का दौरा किया और कृषि विकास की गति बढ़ाने के लिए उपायों की सिफारिश की। इस कृतक बल की उत्तर- पूर्वी क्षेत्रों के अन्य राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों का दौरा नहीं करना था।

2. कृतक बल ने असम राज्य में कृषि विकास की गति को तेज करने के लिए अपनी रिपोर्ट में अनेक सिफारिशें की हैं। इन सिफारिशों में राज्य में कृषि विकास के निम्न पहलू शामिल हैं : —

1. प्रशासनिक संगठन को मजबूत बनाना,

2. परिवर्तनशील सस्य प्रतिमान तथा विस्तार एवं ग्रादानों के सहायता सम्बन्धी कार्य के बारे में नीति -निर्धारण,

3. उर्वरक की खपत को बढ़ाना तथा वनस्पति रक्षण तन्त्र का सुदृढ़ीकरण,

4. सिचाई विकास, जिसमें कमान क्षेत्र विकास तथा भूमिगत जल विकास भी शामिल है।

5. कटाई के बाद की तकनालोजी का उपयोग करना,

6. कृषि ऋण सुविधा को बढ़ाना,

7. कृषि विपणन तथा परिसंस्करण का संवर्धन,

8. पशु पालन विकास,

9. अन्तर्देशीय मत्स्यिकी का विकास,

10. झूम खेती को कम करना,

11. बागवानी विकास,

12. मृदा संरक्षण कार्यक्रम,

13. वानिकी विकास,

14. ग्रामीण विकास कार्यक्रम,

15. परिवहन संबंधी बाधाओं को दूर करना,

16. नदियों पर बांध बनाना,

17. बाढ़ नियंत्रण,

18. असम में ग्रामीण विद्युतिकरण।

3. राज्य सरकार कृषक बल द्वारा की गई अधिकांश सिफारिशों से संबंधित है और वह उन्हें क्रियान्वित करने के लिए कार्यवाई कर रही है। जो सिफारिशें भारत सरकार से संबंधित है उन्हें केन्द्रीय स्तर पर क्रियान्वित करने के लिए कारंवाई की जा रही है। कुछ मुख्य सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त धनराशि के लिए कृषि और सहकारिता विभाग के 1980-81 के बजट में 1.53 करोड़ रु० की अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया गया था। इसका ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

1. धान के बीज पर राज सहायता		0.25 करोड़ रुपये
2. मात्स्यिकी विकास		0.20 करोड़ रुपये
3. पशु पालन विकास		0.41 करोड़ रुपये
4. सहकारिता विकास		0.67 करोड़ रुपये
	कुल	1.53 करोड़ रुपये

1. बीज की सप्लाई :

भारत सरकार ने 65 बैंगनों के एक विशेष रैक के जरिए असम को 13,000 क्विंटल परिसंस्कृत तथा उच्च कोटि के धान के बीज भेजे हैं। इस मात्रा में से, 10,750 क्विंटल बीज 1980-81 के खरीफ मौसम के दौरान कृषकों को वितरित किए गए थे। केन्द्रीय राज्य सहायता 100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से प्रदान की गई थी।

2. मात्स्यिकी विकास :

असम में बीलों के सुधार के लिए असम मात्स्यिकी विकास निगम को निकर्षण पौत (ड्रेजर) खरीदने के लिए असम सरकार को 20 लाख रुपये की राशि अनुदान के रूप में निर्मुक्त की गई थी।

3. पशु पालन विकास :

सिल्चर में हिमित वीर्य बैंक की स्थापना, क्षेत्रीय परिस्थितियों में शंकर सांडों का संतति परीक्षण ; सूअर फार्मों का सुदृढ़ीकरण, कुक्कट एवं बतख विकास नामक योजनाओं के लिए सरकार ने 41 लाख की राशि निर्मुक्त की है।

4. सहकारिता :

असम में वनस्पति संयंत्र की स्थापना, आयल मिल तथा कृषि परिसंस्करण यूनिट तथा विपणन संबंधी सहकारी समितियों के विकास जैसे विभिन्न सहकारी विकास कार्यक्रमों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को 67 लाख रुपए (60 लाख रुपए ऋण तथा 7 लाख रुपए राज सहायता के रूप में) की धन राशि दी जा रही है।

5. उर्वरक वितरण

कृतक बल ने दूर-दराज के इलाकों में खुदरा विक्रय केन्द्र खोलने तथा भारत सरकार के पूल उर्वरकों के परिवहन के लिए सड़क शीर्षों को रेल-शीर्ष घोषित करने की सिफारिश की है। असम राज्य में कार्यरत उर्वरक निर्माताओं को भारत सरकार ने पहले ही यह अनुदेश दे दिए हैं

कि वे उन सुविधाजनक स्थानों पर उर्वरकों का स्टाक बनाने की तुरंत व्यवस्था करें जहां से कृषकों को आसानी से उर्वरक मिल सके। भारत सरकार ने सभी खण्ड मुख्यालयों तक सरकारी लागत पर उर्वरकों का परिवहन करने का निर्णय पहले ही ले लिया है।

6. विस्तार :

क्षेत्रीय स्तर पर विस्तार तन्त्र तथा कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सुदृढ़ करने की सिफारिशें की गई हैं ताकि कृषकों में तकनोलौजी का प्रसार शीघ्रता से किया जा सके। विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजना कृषि विस्तार की 'प्रशिक्षण एवं दौरा' पद्धति को असम राज्य में पहले ही शुरू किया जा चुका है।

पश्चिम बंगाल में नए टेलीफोन केन्द्र का खोला जाना

3588. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष के दौरान पश्चिम बंगाल में नए टेलीफोन केन्द्र खोलने के किसी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ?

(ख) यदि हां, तो इन केन्द्रों को किस-किस स्थान पर खोला जाएगा ; और

(ग) इन केन्द्रों के कब तक चालू हो जाने की आशा है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी हां।

(ख) मैजहिया (जिला बांकुरा) और सिमलोन (जिला वर्दवान) ने पहले ही नए टेलीफोन एक्सचेंज खोले जा चुके हैं।

निम्नलिखित स्थानों पर नए टेलीफोन एक्सचेंज खोलने की योजना है :—

1. गेलिया
2. पुरन्दरपुर
3. तानतीपुरा (बकरे शहर)
4. हतगोबिन्दपुर
5. जेन्ती
6. कुलियापाड़ा
7. मथदंगा
8. झालांग
9. जयगांव
10. रामनगर
11. अनटोला
12. देमकल
13. हरीहरपाड़ा
14. नागर
15. मुरगुडा
16. अनारा
17. रामचन्द्रपुर
18. गोपालपुर
19. काली नगर

(ग) टेलीफोन एक्सचेंज को 31 मार्च, 1981 तक प्रचालन में लाने की योजना है। फिर भी, कुछ एक्सचेंज उपस्करों एवं भंडार की देर से सप्लाई के कारण वर्ष 1981-82 के दौरान प्रचालन में लाये जा सकेंगे।

दुग्ध उत्पादन के मामले में आत्म-निर्भरता

3589. **श्री रामचन्द्र रथ** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी वर्षों में देश में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्यों को आत्म-निर्भर बनाने के लिए राज्यवार प्रयास किए जायेंगे ; और

(ग) दूध के मामले में देश कब आत्म-निर्भर हो जायेगा ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.वी. स्वामीनाथन) : (क) जी हां। 1979-80 के 300 लाख मीटरीटन से छठी पंचवर्षीय योजना (1984-85) के अन्त तक दूध का उत्पादन बढ़ा करके 380 लाख मीटरीटन तक करने का प्रस्ताव है।

(ख) विभिन्न गोपशु/भैंसो के विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करके आत्म निर्भर बनने के लिए राज्य-वार प्रयास किये जा रहें हैं।

(ग) दुग्ध-उत्पादन के सम्बन्ध में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने का प्रश्न देशीय पशुओं का आनुवांशिक सुधार, उनके स्वास्थ्य की देखभाल करना और उचित आहार की व्यवस्था जैसे अनेक तत्वों से जुड़ा हुआ है।

हिमाचल प्रदेश में कृषि उत्पादन के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं

3590. **श्री वीरभद्र सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हिमाचल प्रदेश के ऐसे क्षेत्रों के कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित कौन-कौन सी योजनाएं और परियोजनाएं हैं जहां नहरों और नलकूपों जैसे सिंचाई के सामान्य साधनों का पूर्ण अभाव है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : हिमाचल प्रदेश के भाखड़ा (सतलुज) पौण्ड (व्यास) और गिरि वात्ता के आवाह क्षेत्रों में, जहां नहरें और नलकूप जैसे सिंचाई के साधन नहीं हैं, कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं चलायी जा रही हैं :—

1. "नदी घाटी परियोजनाओं के आवाह-क्षेत्रों में भूमिका संरक्षण"।

2. "सिन्ध गंगा के बेसिन में बाढ़ प्रवण नदियों के आवाह-क्षेत्रों का समेकित पनधारा प्रबंध"।

3. "हिमालय में मृदा जल और वृक्ष संरक्षण"।

छठी योजना में मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में जल उपयोग प्रौद्योगिकी के प्रसार के लिए एक अन्य केन्द्रीय प्रायोजित योजना शामिल की गई है।

पंचपोड़ा, उड़ीसा में देव नदी पर मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु सहायता

3591. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का चालू वित वर्ष के दौरान देश में कुछ मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण कार्य शुरू करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय का उड़ीसा में मयूरभंज जिले के पंचपीड़ा सब डिवीजन में देव नदी पर कुछ मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण के लिए केन्द्रीय सहायता देने का कोई प्रस्ताव है ;

(ग) उपर्युक्त प्रस्ताव के कब तक क्रियान्वित होने की संभावना है ; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) संविधान के अंतर्गत सिंचाई एक राज्य विषय है और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं सहित सभी सिंचाई परियोजनाओं का अन्वेषण, आयोजन, क्रियान्वयन और वित्त पोषण राज्य सरकारों द्वारा अपने पास उपलब्ध समूची धनराशि से किया जाता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) ये सवाल पैदा नहीं होते।

वर्दियों के लिये कपड़े की किस्म में परिवर्तन करने का प्रस्ताव

3592. **श्री सुबोध सेन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाकियों तथा अन्य श्रेणी के वर्दी वाले कर्मचारियों को सप्लाई की जाने वाली वर्दियों के लिए काम में लाये जाने वाले कपड़े की किस्म में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या सरकार डाकियों तथा डाक-विभाग के वर्दी वाले सम्बद्ध कर्मचारियों को इस समय मिल की बनी "खादी" ड्रिल के बजाय टेरीकोट कपड़ा जारी करने का विचार कर रही है ; और

(ग) क्या कर्मचारी संघों द्वारा सप्लाई किया गया टोपी का डिजइन स्वीकृत कर दिया गया है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी हां ।

(ख) वर्दी के लिए कपड़े की किस्म एंव गुणवत्ता तथा अन्य सम्बन्धित मामलों पर विचार करने के लिए डाक तार विभाग ने एक कार्यकारी दल का गठन किया है ।

(ग) सूती वर्दी में टोपी को शामिल रखने अथवा इन टोपियों तथा गर्म वर्दी के साथ पहनी जाने वाली टोपियों का पुनः डिजाइन तैयार करने का मामला विचाराधीन है ।

टी० ई० एस० श्रेणी II के लिए परीक्षा

3593. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभाग ने टी० ई० एस० श्रेणी II के लिए परीक्षा जो वास्तव में नवम्बर, 1979 में ली जानी थी, अगस्त, 1980 में आयोजित की ;

(ख) यदि हां, तो परीक्षा स्थगित किए जाने के क्या कारण थे ; और

(ग) क्या परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है और यह यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी हां ।

(ख) कुछ प्रशासनिक कारणों से परीक्षा 1979 में आयोजित नहीं की गई थी । उक्त परीक्षा 6 और 7 अगस्त, 1980 को आयोजित की गई थी ।

(ग) प्रशासनिक कठिनाईयों के कारण परीक्षा परिणामों को अभी घोषित नही किया गया है । ये परीक्षा परिणाम यथा समय घोषित किए जायेंगे ।

दिनहाटा का टेलीफोन सेवा द्वारा जोड़ा जाना

3594. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनाहाटा को सीधे डायल घुमा कर टेलीफोन करने की सेवा से कलकत्ता के साथ जोड़ने का विचार है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) दिनहाटा एंव कलकत्ता के बीच सीधी डायल सेवा अगली योजना के दौरान उपलब्ध कराई जाने की संभावना है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के वैज्ञानिकों का इंटरव्यू

3595. **श्री एफ० एच० मोहसिन** : क्या कृषि मंत्री भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की पशु पालन, डेरी और पशु विज्ञान संकाय के वैज्ञानिकों के साक्षात्कार के बारे में 17 नवम्बर, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 21 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शेष वैज्ञानिकों के परिणाम अब घोषित किए गए हैं ; यदि हां, तो कब और इन परिणामों की घोषणा करने वाली सूची में किन-किन व्यक्तियों के नाम थे ;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस समय उपरोक्त उल्लिखित प्रश्न में उठाये गये मामले की स्थिति क्या है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (ग) विज्ञानियों के पांच-वर्षीय मूल्यांकन का परिणाम अभी तक घोषित नहीं किया गया है क्योंकि कृषि अनुसंधान सेवा के सम्बन्धित नियम के संशोधन की प्रक्रिया अभी तक जारी है ।

गोवा को पेय जल के लिए सहायता

3596. **श्रीमती संयोगिता राणे** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत दो वर्षों में पेय जल आपूर्ति योजनाओं के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा गोआ को कितनी सहायता दी गई है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम के अधीन 1978-79 में 9.50 लाख रुपये और 1979-80 में 11.95 लाख रुपये ।

मध्य प्रदेश की मंजूरी के लिए लम्बित सिंचाई योजनाएं

3597. **श्री मार्तण्ड सिंह** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में सिंचाई की कुछ योजनाएं मंजूरी के लिए अभी भी लम्बित हैं और यदि हां, तो उन सिंचाई योजनाओं के नाम क्या हैं, प्रत्येक पर कितना खर्च आने का अनुमान है और सिंचित होने वाले क्षेत्र का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) इन योजनाओं को मंजूरी न दिए जाने के क्या कारण हैं और यह मंजूरी कब तक दिये जाने की संभावना है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया है।

विवरण

क्रम सं०	परियोजना का नाम	लाभान्वित होने वाला जिला/जिले	अनुमानित लागत (लाख रुपये में)	लाभ (हैक्टेयर में)	स्थिति
1	2	3	4	5	6
1.	कोलार परियोजना	सीहोर	2575.00	34,678	स्कीमों पर
2.	हलालो परियोजना	विदिशा और रायसन	1306.00	37,636	सलाहकार समिति ने विचार किया
3.	माही परियोजना	झाबुआ और धार	2710.46	24,660	और उन्हे स्वीकार्य पाया। योजना आयोग के अनुमोदन की प्रतीक्षा है।
4.	ओड़दा परियोजना	टीकमगढ़	6682.00	29.150	ये स्कीमें
5.	श्रीरीकुण्ड	राजनंद गांव	2270.00	23.590	अन्तर्राज्यिक
6.	राजघाट नहर परियोजना	गुना, शिवपुरी दतिया, ग्वालियर और भिण्ड	4615.00	1,21,450	पहलुओं की दृष्टि से अन्य राज्यों की स्वीकृति प्राप्त
7.	अरनिया बहादुरपुर टैंक परियोजना	उज्जैन	183.31	2,752	करने के लिए, राज्य सरकार के
8.	चालडू टैंक परियोजना	मन्दसौर	446.34	6,275	पास लम्बित पड़ी
9.	शानपुरा नहर स्कीम	मन्दसौर	977.27	10,121	हुई है।
10.	सिंध नदी परियोजना (मोहिनी सागर) चरण-दो	शिवपुरी और ग्वालियर	7600.00	1,02,450	
11.	धोबतोरिया परियोजना	माण्डला	797.67	19,730	
12.	रवि शंकर सागर परियोजनामाही नदी परियोजना चरण-दो	रायपुर और दुर्ग	2158.00	95,110	

1	2	3	4	5	6
13.	केल परियोजना	रायगढ़	1781.00	25,670	
14.	हाप परियोजना	बिलासपुर	4520.00	35,987	राज्य सरकार से
15.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना	छिंदवाड़ा	8559.00	1,18,650	केन्द्रीय जल आयोग
16.	पंचम नगर काम्पलेक्स	दमोह	3327.00	44,516	
17.	रेहड़ परियोजना	सरगुजा	3290.00	32,750	को टिप्पणियों के उत्तरों के प्राप्त होने की प्रतीक्षा है ।
18.	कुनवारी लिफ्ट सिंचाई स्कीम	मुरेना	103.31	3926	तकनीकी सलाहकार समिति को अगली बैठक में विचार किए जाने के लिए योजना आयोग को नोट भेजा गया है ।
19.	थनवार टैंक परियोजना	माण्डला	918.07	18,271	
20.	पैरी उच्च बांध और महानदी लिंक नहर परियोजना महानदी नदी परियोजना, चरण-तीन	रायपुर	6556.00	1,70,900	इन स्कीमों की केन्द्रीय जल आयोग में जांच और संवीक्षा की जा रही है ।
21.	महुआर परियोजना	शिवपुरी	1095.48	7,930	
22.	बन्दिया नाला परियोजना	गुना	133.97	2,478	
23.	कन्हरगांव टैंक परियोजना	छिन्दवाड़ा	463.65	3,724	
24.	बरचर नाला टैंक परियोजना	सिधी	350.45	2,511	

जनकपुरी के मध्यम आय वर्ग के फ्लेटों के आवंटन धारियों से सर्विसिंग चार्ज वसूल किया जाना

3599. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंखा रोड आवासीय योजना (जनकपुरी) में आवंटनधारियों को अप्रैल, 1979 में मध्यम आय वर्ग के फ्लैट के आवटन के जारी किए गए सामान्य पत्र के पैरा 9 के उप पैरा में विहित उपबन्धों के अनुसार प्रत्येक आवंटनधारी से सड़कें, जलपूर्ति, मल निकास, आदि के रख रखाव के लिए 67.50 पैसे प्रतिवर्ष के हिसाब से तब तक वसूल किए जाते रहेंगे जब तक इन सेवाओं का दायित्व दिल्ली नगर निगम द्वारा नहीं ले लिया जाता ;

(ख) क्या यह सच है कि जनकपुरी मध्यम आय वर्ग के फ्लैटों के मामले में यद्यपि ये सेवाएं दिल्ली नगर निगम द्वारा ले ली गई हैं, फिर भी डी० डी० ए० आवंटनधारियों से 1980-81 के चालू वर्ष के लिए इस प्रकार के खर्च की जबरन वसूली कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और यह मामल ठीक करने के लिए सरकार का क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

पश्चिम बंगाल में स्वचालित टेलीफोन केन्द्र

3600. **श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के किन स्थानों पर चालू वर्ष के दौरान टेलीफोन केन्द्रों को स्वचालित बनाने का प्रस्ताव है ; और

(ख) किन केन्द्रों पर राज्य के भीतर और बाहर के लिए सीधी एस० टी० डी० सेवायें उपलब्ध की जाएंगी ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी कोई नहीं ।

(ख) 1980-81 के दौरान बंगाल के किसी एक्सचेंज में एस० टी० डी० सुविधायें प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । तथापि सिलीगुड़ी एवं आसनसोल में एस० टी० डी० सुविधाओं में निम्न प्रकार से वृद्धि की गई/की जानो है :—

(एक) सिलीगुड़ी

सिलीगुड़ी, जहां कि कलकत्ता स्थित ट्रंक स्वचल एक्सचेंज (टी० ए० एकाय) के रास्ते केवल बहिर्गामी सुविधा उपलब्ध थी, में जनवरी, 1981 में दुतरफी एस० टी० डी० सुविधा उपलब्ध करा दी गई है ।

(दो) आसनसोल

आसनसोल ट्रंक स्वचल एक्सचेंज, जो कि फिलहाल कलकत्ता टी० ए० एक्स० से जुड़ा है, को 31-3-1981 तक दिल्ली टी० ए० एक्स० से सीधी लाइनों द्वारा जोड़ा जा रहा है ।

एस० टी० डी० द्वारा दिल्ली से जुड़े हुए गुजरात के शहर

3601. श्री डी० पी० जदेजा : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के कितने कस्बे और नगर इस समय एस० टी० डी० के जरिये दिल्ली से जुड़े हुए हैं ; और

(ख) 1981-82 और 1983 में गुजरात के अन्य नगरों को एस० टी० डी० के जरिये दिल्ली से जोड़ने की योजनाएं क्या हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) इस समय एस० टी० डी० द्वारा दिल्ली से जुड़े गुजरात के नगरों और शहरों की संख्या तीन है ।

(ख) वर्ष 1981-82 और 1983 में दिल्ली और गुजरात के अन्य तीन नगरों के मध्य एस. टी. डी. सुविधा मुहैया कराने की योजना है

पारिस्थितिकीय क्षति

3602. श्री एडुआर्डो फैलीरो : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि गैर सरकारी पार्टियों द्वारा समुद्र के किनारे पर से भारी मात्रा में रेत हटाने तथा परिणाम स्वरूप होने वाले भू कटाव के कारण दक्षिण में गम्भीर पारिस्थितिकीय क्षति हो रही है ;

(ख) क्या सरकार इस ढंग से रेत निकाले जाने को एक दम रोकने के लिए कदम उठायेगी ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

दिल्ली दुग्ध योजना में टाइम कीपरों और एसिस्टेंट टाइम कीपरों की पदोन्नति

3603. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दुग्ध योजना में इस समय कुल कितने टाइम कीपर और एसिस्टेन्ट टाइम कीपर कार्य कर रहे हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ टाइम कीपर पिछले 19 वर्षों से टाइम कीपरों के रूप में कार्य कर रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उनकी पदोन्नति के अवसर क्या हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० बी० स्वामीनाथन) : (क) से (ग) दिल्ली दुग्ध योजना में 6 टाइम कीपर और 7 सहायक टाइम कीपर हैं। एक टाइम कीपर लगभग 19 वर्ष से उक्त पद पर कार्य कर रहा है। इस योजना में कोई ऐसा पद नहीं है जिस पर टाइम कीपर को प्रोन्नत किया जा सके।

पिछड़े वर्ग के लिए आवास

3604. श्री एन० सुन्दर राजन : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए आवास हेतु कितनी राशि आबंटित की गई है;

(ख) पिछड़े और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति नागरिकों के लिए ग्राम्य आवास परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को आवास निर्माण हेतु भूमि देने की वर्तमान स्थिति और भावी कार्यक्रम क्या है ; और

(घ) निम्न आय वर्गों के लोगों के लिए आवास व्यवस्था हेतु क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) आवास राज्य का विषय है और वस्तुतः सामाजिक आवास की सभी योजनाएं राज्य क्षेत्र में हैं। सभी राज्य क्षेत्र कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता, जिसमें आवास शामिल हैं, "समेकित ऋणों" और समेकित अनुदानों के रूप में दी जाती है। राज्य सरकारें अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित करने में स्वतन्त्र हैं।

(ख) राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, जैसे कि 31-12-1980 को स्थिति थी, ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम के अन्तर्गत लगभग 70,014 मकानों का निर्माण किया गया था।

(ग) राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों के लिए गृह निर्माण हेतु आवास स्थल तथा सहायता की व्यवस्था की योजना के अन्तर्गत 31-12-1980 तक लगभग 82.77 लाख परिवारों को आवास स्थल उपलब्ध कराए गए थे। छठी पंच वर्षीय योजना (1980-85) में 68 लाख परिवारों को आवास स्थलों के आबंटन और 36 लाख परिवारों को मकानों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता देने की व्यवस्था है, छठी योजना अवधि में योजना के अन्तर्गत इसकी कुल लागत 353.50 करोड़ रुपये है।

(घ) छठी पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज में निम्न आय वर्ग आवास के लिए प्रयासों को तेज करने पर बल दिया गया है और विचार है कि राज्य सरकारें तदनुसार कार्यवाही करेंगी।

राज्यों द्वारा ऋणों को बट्टे खाते डालने सम्बन्धी योजना

3605. श्री बी० के० नायर : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुछ राज्य सरकारों द्वारा किसानों से प्राप्त ऋण को बट्टे खाते डालने की कौन-कौन सी योजनायें आरम्भ की गई हैं ;

(ख) अन्य राज्यों में ऐसे ही बकाया ऋणों की राशि कितनी है ;

(ग) क्या उनका विचार ऐसी योजनाओं के समन्वय के लिए कोई मार्गदर्शी निदेश जारी करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) 9 मार्च, 1981 को लोक सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 2646 के उत्तर में बताया जा चुका है कि महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु राज्य सरकारों ने अपने-अपने राज्यों के छोटे कृषकों से देय अपने राज्यों के संस्थागत ऋणों के कुछ भाग को समाप्त करने का निर्णय लिया है। अन्य राज्यों द्वारा ऋण समाप्त करने के निर्णयों के संबंध में पूरा ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

(ख) सहकारी समितियों द्वारा दिए गए ऋण तथा 30 जून 1978 को बकाया ऋणों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) तथा (घ) भारत सरकार का यह दृढ़ मत है कि पूर्ण रूप से संस्थागत ऋणों को समाप्त करने से वसूली के अवसर धूमिल हो जायेंगे, ऋण अदा न करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा तथा ऋण देने वाली संस्थाओं की क्षमता कम होगी। विशेष परिस्थितियों में संस्थागत ऋणों की परिवर्तित या आदायगी की पुनर्व्यवस्था करके तथा दुर्बल वर्गों की देयताओं, जब देयता उनकी अदायगी की क्षमता से बाहर हो, के एक भाग को समाप्त करके राहत देने के सम्बन्ध में पहले से ही व्यवस्था मौजूद है। इस सम्बन्ध में भारत सरकार की नीति छठी योजना के मसौदे तथा छठी पंच वर्षीय योजना में दी गई है, जिन्हें राष्ट्रीय विकास परिषद ने क्रमशः अगस्त, 1980 तथा फरवरी, 1981 में स्वीकृत किया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी राज्य सरकारों को पहले ही मार्गदर्शन जारी कर रखे हैं, जिसमें प्राकृतिक विपदाओं के कारण ऋणियों की ऋण वापस करने की क्षमता प्रभावित हुई हो, यथा संभव राहत देने से सम्बन्धित उपायों का उल्लेख किया गया है।

विवरण

सहकारी ऋण संस्थाओं द्वारा वितरित किए गए ऋणों की बकाया राशि

(लाख रुपए)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	30-6-78 को पी.ए.सी.एस. स्तर पर कुल बकाया ऋण	स्तम्भ 2 में से छोटे/सीमान्त किसानों तथा अन्यों पर बकाया राशि	30-6-80 को सी.एल.डी.बी./ पी.एल.डी.बी स्तर पर कुल बकाया ऋण	स्तम्भ 4 में से छोटे/ सीमान्त किसानों पर बकाया ऋण
1	2	3	4	5
1. आंध्र प्रदेश	12832.70	6500.92	14567.44	4118.05
2. असम	796.34	—	174.27	—
3. बिहार	3648.40	—	7976.70	—
4. गुजरात	21801.02	3424.84	8534.31	—
5. हरियाणा	7158.32	2320.36	6330.41	—
6. हिमाचल प्रदेश	1307.95	789.63	229.03	—
7. जम्मू और कश्मीर	944.23	665.70	280.17	230.80
8. कर्नाटक	12900.20	4012.67	11480.71	—
9. केरल	8590.24	5214.83	3250.52	656.87
10. मध्य प्रदेश	12138.43	2572.34	8885.69	1242.99
11. महाराष्ट्र	29446.86	6028.78	16244.23	—
12. मणिपुर	111.97	—	—	—
13. मेघालय	156.06	—	—	—
14. नागालैंड	18.39	2.65	—	—
15. उड़ीसा	5258.40	2726.14	2903.25	—
16. पंजाब	6801.15	3648.16	7512.30	—

1	2	3	4	5
17. राजस्थान	7899.86	1620.21	4020.76	—
18. तमिलनाडु	20726.38	10684.01	12982.81	—
19. त्रिपुरा	163.01	115.40	18.05	0.63
20. उत्तर प्रदेश	19192.50	9158.30	19783.11	—
21. पश्चिम बंगाल	7471.48	—	2360.49	1414.62
22. चण्डीगढ़	8.65	4.73	—	—
23. दादर तथा नगर हवेली	12.33	12.33	—	—
24. दिल्ली	162.25	—	—	—
25. गोवा, दमन और दीव	67,72	—	—	—
26. लक्षद्वीप	12.44	12.44	—	—
27. पाण्डिचेरी	160.39	—	64 48	—
28. अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह	19.98	19.98	—	—
योग :—	179807.65	59534.42	127598.73	7663.96

टिप्पणी :— "—" का अर्थ यह है कि जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

सहकारी आवास समितियों को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पट्टे पर दिए गए प्लाटों के बारे में इन समितियों द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तें .

3606. श्री भीखा भाई : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन द्वारा दिल्ली में सहकारी आवास समितियों के सदस्यों को पट्टे पर दिए गए प्लाटों के बारे में (एक) आंवटन के समय से दो वर्ष के अन्दर मकान बनाने (दो) मकानों को पांच वर्ष तक की अवधि से अधिक के किराये पर न देना उससे आगे नहीं (तीन) गैर सदस्यों को बेनामी या अन्य तरीके से भूमि के अन्तरण पर रोक (चार) मालिक अथवा किरायेदार द्वारा उस भवन का उपभोग स्वयं रहने के बजाय किसी अन्य प्रयोजन के लिए करने संबंधी विभिन्न शर्तों को लागू नहीं किया जा रहा है ;

(ख) इन शर्तों के अनुपालन की देख रेख करने की जिम्मेदारी किन प्राधिकारियों पर है ; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन शर्तों का अनुपालन न करने के कितने मामलों में कार्यवाही की गई है तथा कितने मामलों में छूट दी गई है तथा किन कारणों से ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ; दिल्ली नगर निगम और दिल्ली प्रशासन का भूमि तथा भवन विभाग ।

(ग) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि प्रश्न के भाग (क) के (I) में उल्लिखित शर्त के बारे में उप-राज्यपाल द्वारा समय समय पर निर्धारित मार्ग निर्देशनों के अनुसार समयवृद्धि दी जाती है ।

दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि अन्य शर्तों के पालन न करने की उनको 62 शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उचित जांच करने के पश्चात् पट्टे की शर्तों के अन्तर्गत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी ।

शिक्षा निदेशालय, दिल्ली की विभागीय समिति, में सदस्यों का नामांकन

3607. **श्री चन्द्र देव प्रसाद वर्मा** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षा निदेशालय दिल्ली प्रशासन के पूर्वी जिले के अन्तर्गत सहायता प्राप्त उन स्कूलों की संख्या कितनी है, जिन्होंने रिक्त स्थानों की भर्ती के लिए स्कूल की विभागीय पदोन्नति समितियों/ चयन समितियों के निदेशालय के प्रतिनिधियों के नामांकन के लिए जोनल शिक्षा कार्यालय को आवेदन किया है परन्तु जिन्हें अभी तक ऐसे प्रतिनिधियों के नाम नहीं सुझाए गए हैं ; और

(ख) इस प्रकार के प्रतिनिधियों के नामांकन को शीघ्र निपटाए जाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री शंकरराव चव्हाण) : (क) 1. श्री गुरुतेग बहादुर (खालसा) सीनियर माध्यमिक बालिका विद्यालय सीस गंज ।

2. गांधी हरिजन सहशिक्षा माध्यमिक विद्यालय घोंड़ा ।

3. डी० ए० वी० सीनियर माध्यमिक विद्यालय, गांधी नगर ।

4 रामरतन अमीरचन्द गीता सीनियर माध्यमिक विद्यालय, शंकर नगर ।

5 खालसा सीनियर माध्यमिक बालिका विद्यालय, चूना मंडी ।

6. एस० जी० टी० बी० सीनियर माध्यमिक बालिका विद्यालय पुलबंगश ।

(ख) दिल्ली प्रशासन ने बताया है कि क्र० सं० 1 और 2 के मामलों पर कार्रवाई की जा रही है जबकि क्र० सं० 3 और 4 के मामले स्कूलों से कुछ कागजात प्राप्त न होने के कारण अनिर्णित हैं, क्र० सं० 5 और 6 के मामले दिल्ली प्रशासन को केवल हाल ही में प्राप्त हैं और उन्हें आशा है कि वे इन मामलों को जल्दी ही निपटा देंगे ।

दिल्ली के सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए वार्षिक समायोजन अनुदान

3608. **प्रो० अजित कुमार मेहता** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1979-80 के लिए वार्षिक समायोजन अनुदान को अन्तिम रूप दे दिया गया है और दिल्ली प्रशासन के शिक्षा निदेशक द्वारा दिल्ली में सहायता प्राप्त स्कूलों को भुगतान कर दिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो उपरोक्त अनुदान का भुगतान करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) दिल्ली प्रशासन का क्या-क्या कदम उठाने का विचार है, जिससे भविष्य में ऐसा विलम्ब न हो जिसके कारण सहायता प्राप्त स्कूलों के प्रबन्धकों को वित्तीय कठिनाई का सामना करना पड़ता है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री शंकरराव चव्हाण) : (क) जी नहीं ।

(ख) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि स्कूलों द्वारा वर्ष 1979-80 के वार्षिक समायोजन लेखे शिक्षा निदेशालय को 31 जुलाई, 1980 तक भेजना अपेक्षित था । ये लेखे, फरवरी, 1981 तक केवल 138 संस्थाओं से ही प्राप्त हुए हैं । 59 संस्थाओं से लेखा- विवरण अभी प्राप्त होने हैं । इसी कारण सभी सहायता प्राप्त स्कूलों को समायोजन अनुदान समय पर जारी नहीं किए जा सके ।

(ग) मामलों को यथा शीघ्र अन्तिम रूप देने के लिए शेष स्कूलों से जिनसे सूचना प्राप्त नहीं हुई है, परीक्षित-लेखे तथा अन्य दस्तावेज सूचना यथाशीघ्र प्राप्त करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं ।

बच्चों को बोतल द्वारा दूध पिलाए जाने के लिए बाल आहार के विज्ञापनों का निषेध किया जाना

3609. **श्री ए० के० राय :**

श्री आरिफ मोहम्मद खान : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मां का दुध पिलाए जाने के स्थान पर नवजात शिशुओं को बोतल द्वारा सूखा दूध पिलाया जाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सिद्ध हो चुका है ;

(ख) क्या यह सच है कि इन्टरनेशनल कोड फार इन्फेंट फूड इण्डस्ट्री (आई. सी. आई. एफ. आई.) नामक संहिता (कोड) में इन बाल आहारों को समाचार पत्रों में विज्ञापित कर लोगों में इसमें सीधे प्रयोग को बढ़ावा देने पर रोक लगाई गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या है ;

(ग) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन/यूनिसेफ द्वारा भी एक अन्य संहिता बनाई गई है जो बोतल द्वारा बाल आहारों को बढ़ावा देने पर अधिक कठोर रोक लगाती है, यदि हां तो उस संहिता का क्या विवरण है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि हिन्दुस्तान लीवर, ग्लैक्सो जैसी बहुराष्ट्रीय कम्पनियां और अमूल तथा स्पेन भी बोतल फीडिंग के लिए अपने उत्पादों को खुलमखुला विज्ञापित कर उस संहिता का उल्लंघन कर रही है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाई की गई है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, हां ।

(ख) इंटरनेशनल कांउसिल आफ ईन्फेंट फूड इन्डस्ट्रीज द्वारा तैयार की हुई विकासशील देशों में मार्किटिंग की एक प्रोटोटाइप राष्ट्रीय संहिता है । उक्त संहिता में मां के दूध के उपयोग को हानि पहुंचाते हुए बच्चों के लिए दूध के फार्मूलों को अथवा मां के दूध के स्थान पर अन्य प्रकार के दूध की बिक्री को बढ़ावा देने अथवा उस के सम्बन्ध में विज्ञापन करने की इजाजत नहीं है ।

(ग) जी, हां । विश्व स्वास्थ्य संगठन/ यूनिसेफ द्वारा बनाई गई प्रारूप संहिता में बोतल द्वारा पिलाए जाने वाले दूध को बढ़ावा देने के विरूद्ध सख्त उपाय करने सुझाव दिया गया

है । प्रारूप संहिता का उद्देश्य मां के दूध के बदले अन्य उत्पादनों तथा अनुपूरक आहारों को बढ़ावा देने के लिए विज्ञापन करने या अन्य तरीके अपनाने की मनाही करना है । इस में मां के दूध को बढ़ावा देने तथा अन्य प्रकार के दूध के दुरुपयोग को रोकने के लिए स्वास्थ्य देखभाल पद्धति और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए व्यवस्था है ।

(घ) तथा (ङ) प्रारूप संहिता तैयारी के स्तर पर है तथा इसलिए किसी निर्माता द्वारा इस स्तर पर उस का उल्लंघन किए जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

सरकार बाल आहारों और दूध मिलाने की बोतलों के उत्पादन, बिक्री और विज्ञापन के लिए इस सम्बन्ध में किए जाने वाले उपायों पर विचार कर रही है । एक विशेषज्ञ दल इस प्रारूप संहिता का अध्ययन कर रहा है ।

तमिलनाडू में सूखा

3610. **श्री एस० सिगरावाडोवेल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तमिलनाडु में कई जिलों में पड़े सूखे की जानकारी है ;

(ख) क्या तमिलनाडु राज्य सरकार ने सूखा राहत कार्य के लिए किसी केन्द्रीय सहायता की मांग की है ;

(ग) किसी जिले को सूखा प्रभावित घोषित करने के लिए सुझाए गए मार्गदर्शी सिद्धांत क्या हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ;

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० पी० स्वामीनाथन) : (क) राज्य सरकार के अनुसार, उत्तरी अर्काट, धर्मापुरी, पादुकोटाई, चिंगलपुट, दक्षिणी अर्काट, रामानाथपुरम, सेलम, तिरूचिरापल्ली, पेरियार, थंजावुर तथा मदुराई के जिले पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से अभावग्रस्त हैं ।

(ख) केन्द्रीय सहायता की मांग के लिए एक अग्रिम सूचना प्राप्त हुई है ।

(ग) इसके लिए ऐसे कोई विशेष मार्गदर्शन नहीं हैं परन्तु राज्य सरकार कोई राहत कार्य आरम्भ करने से पहले फसल की पैदावार सूखे जल स्रोतों तथा कृषि श्रमिकों में व्याप्त बेरोजगारी के सम्बन्ध में विचार करती है । उन जिलों में, जहां पैदावार 50 प्रतिशत से कम है, वहां लगान माफ किया जाता है ।

(घ) केन्द्रीय सरकार स्थिति पर निगाह रख रही है और राज्य सरकार से ज्ञापन प्राप्त होते ही राज्य की मांग का जायजा लेने के लिए एक केन्द्रीय दल भेजने पर विचार किया जायेगा।

"स्कूल आफ कम्प्यूटर एण्ड सिस्टम साईंस" से पी० एच० डी०

3611. **श्री सी० के० चिन्नास्वामी** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "स्कूल आफ कम्प्यूटर एण्ड सिस्टम साईंस" में यद्यपि एक करोड़ रुपये से ज्यादा का निदेश दिया जा चुका है, पिछले छः वर्षों के दौरान एक भी पी. एच. डी. नहीं दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस स्कूल में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री शंकरराव चव्हाण) : (क) और (ख) इस विचार से कि प्रश्न जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के स्कूल आफ कम्प्यूटर एण्ड सिस्टम साइंसिज के सम्बन्ध में है, स्थिति यह है कि एम. फिल/पी. एच. डी. कार्यक्रमों में पहली बार दाखिले 1976 में किए गए थे। पहले छात्र ने अपना पी. एच. डी. शोध प्रबन्ध पहले ही प्रस्तुत कर दिया है और आशा है कि दूसरा छात्र भी शीघ्र प्रस्तुत कर देगा। 13 छात्रों को एम. फिल. की डिग्री पहले ही प्रदान की जा चुकी है। स्कूल के कम्प्यूटरों पर खर्च की गई राशि 36.81 लाख रुपये है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

शिक्षा का स्तर

3612. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा में समुचित आयोजना के आभाव और शैक्षणिक सुधारों के अन्यमनस्क भाव से क्रियान्वित के कारण देश में शैक्षिक संकट उत्पन्न हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो शिक्षा के स्तर में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री शंकरराव चव्हाण) : (क) और (ख) राष्ट्रीय शिक्षा संकल्प नीति, 1968 में शैक्षिक विकास के लक्ष्यों और परिप्रेक्ष्यों की व्यवस्था है

तथा आनुक्रमिक, पंच वर्षीय योजनाओं में कार्यवाही कार्यक्रमों और विकास की नीतियों पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। इस व्यापक ढांचे के अन्तर्गत "योजना सम्बन्धी विचार-विमर्श" के दौरान केन्द्रीय और राज्य सरकारों के कार्यक्रमों की प्रतिवर्ष समीक्षा की जाती है। शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए यह केन्द्रीय और राज्य सरकारों का सतत प्रयास है।

सांपों का समाप्त किया जाना

3613. **श्री मोकू राम जैन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वाणिज्यिक उपयोग के लिए सांपों को बेरहमी और बड़ी संख्या में मारने के कारण वे समाप्त होते जा रहे हैं और पारिस्थिक असंतुलन पैदा हो गया है जिसके परिणामस्वरूप खाद्यान्नों को क्षति पहुंच रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) सामान्यतया वाणिज्यिक उपयोग के लिए सांपों को मारा या नष्ट नहीं किया है और न ही ऐसा दिखाई देता है कि इससे उनकी समाप्त होने की संभावना है। तथापि, पारिस्थिक संतुलन बनाये रखने, विशेषकर कृषि कीटों पर नियंत्रण रखने में सांपों की भूमिका के बारे में सरकार को जानकारी है। उनके संरक्षण के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

(1) सांपों की कुछ किस्मों को वन्यप्राणि (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची में शामिल कर लिया गया है ताकि उनके शिकार या उन्हें मारने पर वैधानिक संरक्षण किया जा सके।

(2) राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को सांपों को पकड़ने के लिए लाइसेन्स जारी न करने का सुझाव दिया गया है।

(3) सांपों की खाल के निर्यात पर रोक लगा दी गई है।

भारतीय खाद्य निगम में रिक्त पदों के लिए पैनल

3617. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने ये निर्देश जारी किए हैं कि एक वर्ष में प्रत्येक श्रेणी तथा काडर में विद्यमान तथा सम्भावित रिक्त पदों के लिए एक पैनल होना चाहिए ;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारतीय खाद्य निगम में श्रेणी II से I के लिए तथा विभिन्न श्रेणीयों और काडरों में श्रेणी-I के लिए पदोन्नति हेतु एक से ज्यादा पेनल बनाने की पद्धति चल रही है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ; और

(घ) वर्ष 1978, 1979 और 1980 में प्रत्येक श्रेणी तथा काडर के लिए पदोन्नति के कितने पैनल बनाए गए और प्रत्येक पैनल में कितने कर्मचारियों पर विचार किया गया और चयन किया गया ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) भारत सरकार के दिसम्बर, 1980 में जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार वर्ष के दौरान भरी जाने वाली स्पष्ट नियमित रिक्तियों की संख्या के संदर्भ में सैलेक्शन पदों पर पदोन्नति के लिए पैनल तैयार किया जाना है ।

(ख) और (ग) भारतीय खाद्य निगम द्वारा जो सामान्य पद्धति अपनाई जाती है वह पद्धति वर्ष के दौरान रिक्तयों को भरने के लिए श्रेणी II से I श्रेणी और I श्रेणी के अन्दर पदोन्नति के लिए एक पैनल तैयार करना है । तथापि, एक वर्ष के दौरान उस समय एक से अधिक बार पैनल तैयार किये गये हैं जब निधन होने, त्याग पत्र देने, स्वेच्छा से सेवा निवृत्त होने, नये पदों का सृजन होने, संगठन के बाहर अधिकारियों के प्रतिनियुक्ति पर जाने प्रतिनियुक्ति पर आये कर्मचारियों के वापस भेजने आदि के कारण नई खाली जगहें बनी हैं ।

(घ) एक विवरण संलग्न है जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है ।

[ग्रंथालय में रखा गया/देखिये संख्या एल० टी० 2116/81]

उचित दर की दुकानों पर गेहूं की सप्लाई

3615. श्री दया राम शाक्य : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष भारतीय खाद्य निगम ने गेहूं 117 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा था और उस पर सरकार ने छूट के रूप में 31 रुपए प्रति क्विंटल दिए थे और तब भी वह गेहूं मिलावट किए जाने के बाद 130 रुपए प्रति क्विंटल की दर से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से लोगों को सप्लाई किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में किन शीर्षों के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम को दूसरे खर्चे वहन करने होते हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) चालू रबी वर्ष 1980-81 के दौरान, भारतीय खाद्य निगम 117 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर गेहूं की वसूली करता रहा है और उसे 130 रुपये प्रति क्विंटल के समान केन्द्रीय निर्गम मूल्य पर सार्वजनिक वितरण के लिए राज्य सरकारों को देता रहा है । ये मूल्य केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य हैं । केन्द्रीय सरकार निगम को उसकी गेहूं की इकनामिक लागत (इसमें वसूली मूल्य और वसूली तथा वितरण सम्बन्धी प्रासंगिक खर्च शामिल हैं) और केन्द्रीय निर्गम

मूल्य के बीच के अन्तर की राशि की प्रतिपूर्ति करती है और यह उपभोक्ता राजसहायता का सूचक है। 1980-81 (बजट अनुमान) के दौरान प्रति क्विंटल पर अनुमानित उपभोक्ता राजसहायता 33.49 रुपए है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित विनिर्दिष्टियों के अनुसार भारतीय, खाद्य निगम द्वारा गेहूं की वसूली और सप्लाई की जाती है और इसलिए निगम द्वारा गेहूं में मिलावट करके उसे सप्लाई करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

गुजरात में रसायन उद्योगों द्वारा वायु प्रदूषण

3616. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गुजरात में बड़े औद्योगिक नगरों विशेषकर बड़ौदा को, उस क्षेत्र में स्थापित रसायन उद्योगों द्वारा उत्पन्न वायु प्रदूषण के भारी खतरे की जानकारी है ;

(ख) क्या सरकार को जानकारी है कि यह खतरा एक खतरनाक गति से बढ़ा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो मामले में क्या कार्रवाई की गई है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्मनारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार को इस गम्भीर समस्या की जानकारी है।

(ग) वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है। तथापि, इससे पहले कि यह विधेयक एक अधिनियम बने, राज्य सभा द्वारा सुझाए गए कतिपय मामूली संशोधनों का लोक सभा द्वारा अभिपुष्टि की जानी है।

राव तुलाराम कालेज, दिल्ली

3617. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राव तुला राम कालेज की कर्मचारी कल्याण समिति ने कालेज की समस्याओं की ओर दिल्ली विश्वविद्यालय का ध्यान आकर्षित किया है ;

(ख) यदि हां, तो वे समस्याएं क्या हैं ; और

(ग) कालेज और कर्मचारियों के हित में क्या कदम उठाए जाने का विचार है और क्या कार्रवाई की गई है?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री शंकरराव चव्हाण) (क) : जी, हां ।

(ख) प्रमुख समस्याएं ये हैं :

(1) नवम्बर, 1980 के बाद से कालेज के कर्मचारियों के वेतन का भुगतान न किया जाना ;

(2) कालेज का कुप्रबंध जिसके परिणामस्वरूप इस समय कालेज में एक भी छात्र दाखिल नहीं है ।

इन परिस्थितियों में एसोसिएशन ने दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा कालेज के अधिग्रहण का सुझाव दिया ;

(ग) कालेज के कर्मचारियों को अक्तूबर, 1980 तक के वेतन का भुगतान कर दिया गया है, यद्यपि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वर्ष 1980-81 के दौरान मुक्त किए गए अनुदान से दिसम्बर, 1980 तक के वेतन का भुगतान किया जा सकता था । इसके अलावा, कालेज द्वारा वर्ष 1979-80 के परीक्षित लेखे और 1-10-1980 से 31-3-1981 तक की अवधि की प्रत्याशित आय तथा खर्च का विवरण प्रस्तुत करने के बाद ही आयोग द्वारा अनुदान मुक्त किए जा सकते हैं ।

कालेज के कार्यकरण में गम्भीर कुप्रबंध के कारण दिल्ली विश्वविद्यालय ने स्तर पर तो विश्वविद्यालय द्वारा कालेज का अधिग्रहण करने के लिए शासी निकाय के अध्यक्ष का सुझाव स्वीकार कर लिया था । इससे पहले कि हस्तान्तरण की प्रक्रिया पूरी हो पाती, कालेज की प्रबंध समिति ने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया और कालेज, विश्वविद्यालय को सौंपने से मना कर दिया ।

कालेज के प्रबंधकों ने दिल्ली विश्वविद्यालय के विरुद्ध एक समादेश याचिका भी दायर की है जो इस समय दिल्ली उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, इस याचिका में कालेज के शासी निकाय में ट्रस्ट के नामजद सदस्यों के नामों का अनुमोदन न करने तथा साथ ही शासी निकाय में सात अतिरिक्त सदस्यों को नामजद करने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय की कार्रवाई पर आपत्ति व्यक्त की गई है। समादेश याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय प्राप्त हो जाने पर दिल्ली विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समुचित कार्रवाई की जाएगी ।

पश्चिमी बंगाल द्वारा खाद्यान्नों की वसूली और वितरण को अपने नियंत्रण में लेना

3618. **श्री मुकुन्द मण्डला** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 31 मार्च के पश्चात भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों की वसूली एवं वितरण किए जाने को बंद किए जाने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में पश्चिम बंगाल सरकार ने अप्रैल से खाद्यान्नों की वसूली एवं वितरण को भारतीय खाद्य निगम से अपने नियंत्रण में लेने का निर्णय किया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह : (क) से (घ) 1966 के मूल करार, जिसके अन्तर्गत पश्चिम बंगाल में आन्तरिक वसूली और वितरण का कार्य भारतीय खाद्य निगम द्वारा लिया गया था वास्तव में निगम और राज्य सरकार के बीच था। हाल ही में भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकार पहली अप्रैल, 1981 से इस कार्य को राज्य सरकार को वापस करने के लिए सहमत हुए थे। इस बीच, राज्य सरकार के कुछेक कर्मचारियों, जिनकी सेवाएं निगम को सौंपे गए कार्य के बारे में उसको प्रतिनियुक्ति पर सौंप दी गई थीं, ने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने अनुरोध किया था कि राज्य सरकार को उन्हें वापस करने के विरुद्ध और निगम में उन्हें खपा लेने के पक्ष में उपयुक्त रिट जारी की जाए। क्योंकि उनकी याचिका अभी भी सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित पड़ी है, इसलिए भारतीय खाद्य निगम ने कोई आगे कार्यवाई करने से पूर्व न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करने का फैसला किया है।

चीनी का रक्षित भण्डार बनाना

3619. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी :**

श्री के०पी० सिंह देव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1980 के अनुभव को देखते हुए, सरकार ने चीनी का रक्षित भण्डार बनाने की वाछंनीयता पर विचार किया है ताकि सरकार सदैव चीनी के वितरण और मूल्य पर प्रभावी ढंग से नियंत्रण रख सके ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) सरकार चीनी की उपलब्धता और मूल्यों में आने वाले अन्तर-मौसमी और अन्तः मौसमी उतार चढ़ावों का मुकाबला करने के लिए चीनी का एक बफर स्टाक तैयार करने की आवश्यकता से पूरी तरह सजग है। तथापि, बफर स्टाक तैयार करना केवल बहुत उत्पादन के वर्ष में सम्भव होता है। पिछले वर्ष के उत्पादन की अपेक्षा चालू वर्ष के दौरान प्रत्याशित उत्पादन में पर्याप्त बढ़ोतरी होने के बावजूद कुल उपलब्धता वर्ष की जरूरतों को पूरा करने लायक होगी। अगला वर्ष 1981-82 गन्ना और चीनी का जरूरत से अधिक उत्पादन का वर्ष होने की सम्भावना है जोकि बफर स्टाक तैयार करने के लिए प्रेरक होगा।

20 सूत्री कार्यक्रम के भू-सम्पदा सम्बन्धी सूत्रों की क्रियान्वित

3620. श्री भोगेन्द्र झा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 20 सूत्री कार्यक्रम के भू-सम्पदा सम्बन्धी सूत्रों की वास्तव में क्रियान्वित के बारे में नवीनतम स्थिति क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : सम्भवत: माननीय सदस्य, ग्रामीण ऋण ग्रस्तता को समाप्त करने से सम्बन्धित सूत्र का हवाला दे रहे हैं। ऋण देना तथा ऋणदाताओं व ऋण राहत से सम्बन्धित विषय भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि 30 के अन्तर्गत आते हैं। इस प्रकार, ऋण देना तथा ऋणदाताओं पर नियंत्रण रखने के लिए कानून बनाना राज्य विधान के क्षेत्राधिकार में है। ऋण सम्बन्धी राहत प्रदान करने के बारे में उपयुक्त कानूनी कार्यवाही करने के लिए, 20 सूत्री कार्यक्रम के एक भाग के रूप में विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त अगस्त, 1975 में राज्य सरकारों को भेजे गये थे। इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों के आधार पर राज्य सरकारों ने उपयुक्त कानून बनाया तथा कानून को लागू करने के लिए कार्यवाही की/ राज्यवार स्थिति विवरण में दी गई है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2117/81]

एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया तथा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत कम्पनियों द्वारा मत्स्य उद्योग शुरु किया जाना

3621. श्री के० ए० स्वामी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत कम्पनियों द्वारा मत्स्य उद्योग में प्रवेश किए जाने की जानकारी है ;

(ख) क्या उनके विस्तार को प्रतिबंधित करने की सरकारी नीति की भावना को विदेशी जलपोत किराए पर लेने अथवा लीज पर लेने के द्वारा उल्लंघन नहीं किया जा रहा है ; और

(ग) एकाधिकार तथा व्यापार प्रक्रिया और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत कम्पनियों द्वारा किए जा रहे इस तरह के कार्यों को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) सरकार की नीति गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के कार्य को तेज करना है, जिसके लिए छोटे तथा मध्यम उद्यमियों को आसान शर्तों पर ऋण देकर प्रोत्साहन दिया जाता है। तथापि, विद्यमान नीति एम० आर० टी० पी०/एफ० ई० आर० ए० कम्पनियों को अपने वित्तीय स्त्रोत

से इस क्षेत्र में प्रवेश करने पर रोक नहीं लगाती, बशर्ते कि वे सामान्य शर्तें पूरी करती हों। मत्स्यन जलयान चार्टर करने की स्वीकृति देने के मामले में एम० आर० टी०पी०/ एफ० ई० आर० ए० कम्पनियों को अन्तिम प्राथमिकता दी जाएगी।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

दिल्ली में मुस्लिम स्मारक के समीप उर्दू में सूचना-पट्ट

3622. **श्री चित्त महाटा** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में और विशेष रूप से दिल्ली में मुस्लिम स्मारकों के समीप लगाए गए परिचायक सूचना-पट्टों पर उर्दू भाषा को स्थान नहीं दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (ग) स्मारक किसने बनाया, इस बात का ध्यान किए बिना संरक्षित स्मारकों पर सांस्कृतिक सूचनापट्ट हिन्दी और अंग्रेजी में तथा अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में उनकी क्षेत्रीय भाषा में भी लगाए जाते है।

प्रवासी श्रमिकों के लिए रैन बसेरे

3623. **श्री के० प्रधानी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रवासी श्रमिकों के लिए रैन बसेरों के निर्माण की सुविधा के विस्तार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि पांच हजार की अतिरिक्त जनसंख्या को बसाने के लिए छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 20 और आश्रयगृहों के निर्माण के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है।

ग्रामीण और शहरी लोगों के लिए आवास सुविधाएं

3624. **श्री दौलत राम सारण** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोगों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र सरकार ने तीसरी से छठी योजनावधि तक के दौरान क्या कदम उठाए हैं और उस पर कितनी धनराशि व्यय की गई है ;

(ख) कितने व्यक्तियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई गई है ; और

(ग) इन दोनों क्षेत्रों में (अलग-अलग) इन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिनके पास अपना कोई मकान नहीं है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) विवरण-एक में सूचीबद्ध योजनाओं की पद्धति के आधार पर सार्वजनिक आवास के क्षेत्र में प्रयास किए गए हैं । तृतीय पंचवर्षीय योजना से पांचवीं पंचवर्षीय योजना तक जिसमें 1966-69 की तीन वार्षिक योजनाएं शामिल हैं, आवास पर कुल निवेश लगभग 2096 करोड़ रुपये था और छठी योजना (1980-85) के दौरान प्रस्तावित निवेश लगभग 1490.87 करोड़ रुपये है ।

(ग) विभिन्न सामाजिक आवास योजनाओं के अन्तर्गत उनके प्रारम्भ से वास्तविक प्रगति दर्शाने वाला एक विवरण-दो पर है ।

(ग) 1-4-1980 को देश में अनुमानित आवास की कमी 207 लाख आवास एककों की थी ग्रामीण क्षेत्रों में 161 लाख एकक और नगरीय क्षेत्रों में 46 लाख एकक ।

विवरण—1

क्रम सं०	योजना का नाम	लागू करने का वर्ष
1.	औद्योगिकी कर्मचारियों और समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों की एकीकृत सहायता प्राप्त आवास योजना	1952
2.	निम्न आय वर्ग आवास योजना	1954
3.	बागान कर्मचारियों की सहायता प्राप्त आवास योजना	1956
4.	गन्दी बस्ती उन्मूलन/सुधार योजना	1956
5.	ग्राम आवास प्रोजेक्ट योजना	1957
6.	मध्यम आय वर्ग आवास योजना	1959
7.	राज्य सहकारी कर्मचारी किराया आवास योजना	1959
8.	भू-अर्जन तथा विकास योजना	1959
9.	भूमिहीन श्रमिकों की ग्रामीण आवास स्थल-आवास निर्माण योजना	1971

विवरण—2

31-12-1980 को

क्र० सं०	योजना का नाम	आवासों की संख्या	
		स्वीकृत	बनाए गए
1.	औद्योगिक कर्मचारियों तथा समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों की एकीकृत सहायता प्राप्त आवास योजना	2,51,018	1,87,580
2.	निम्न आय वर्ग आवास योजना	4,28,536	3,38,333
3.	बागान कर्मचारियों की सहायता प्राप्त आवास योजना	35,828	21,328
4.	माध्यम आय वर्ग आवास योजना	54,090	43,627
5.	राज्य सरकारी कर्मचारी किराया आवास योजना	39,373	34,213
6.	गन्दी बस्ती उन्मुलन सुधार योजना	1,69,475	1,34,694
7.	ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम	1,03,613	69,914
		10,81.,933	8,19,689
		भूमि का क्षेत्र (एकड़ों में)	
		अर्जित	विकासित
8.	भू-अर्जन तथा विकास योजना	33,853,13	17,890,53
		परिवारों की कुल संख्या	
		राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पात्र	आवंटित आवास स्थल जिसमें अविकासित स्थल शामिल हैं।
9.	ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन कामगारों के लिए आवास स्थल तथा झोंपड़ी निर्माण का प्रावधान	1,18,16,213	77,92,426

महाराष्ट्र में सूखाग्रस्त गांवों की संख्या

3625. **श्री शान्ताराम पोट दुखे** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र जिले में कितने गांव सूखाग्रस्त हैं ;

(ख) क्या सरकार ने स्थिति का अध्ययन करने के लिए कोई विशेष दल नहीं भेजा है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को उस दल का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है जिसने महाराष्ट्र राज्य के अकोला जिले का दौरा किया था ; और

(घ) यदि हां, तो सूखाग्रस्त गांवों की शिकायतों कोकन से कम करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री० आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय दल को दी गई जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र राज्य में 12,479 गांव सूखे से प्रभावित हुए हैं ;

(ख) जी, हां ।

(ग) जी, हां ।

(घ) राहत संबंधी उच्च स्तरीय समिति द्वारा केन्द्रीय दल की रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है और भारत सरकार व्यय की अधिकतम सीमा की मंजूरी के लिए प्रस्ताव पर विचार कर रही है ।

1980-81 के आरम्भ में काम के बदले अनाज सामान्य के सामान्य और विशेष कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य को 40000 मीटरी टन अनाज आवंटित किया गया था । इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत अतिरिक्त 32000 मीटरी टन अनाज का आवंटन अतिरिक्त सामग्री संबंधी अवयवों के लिए 558 लाख रुपये की नकद सहायता तथा मजदूरी संबंधी अवयवों के लिए 178.40 लाख रुपये मंजूर किए गये । राज्य सरकार को 1980 81 के दौरान किसानों के लिए कृषि आदानों की खरीद और वितरण के लिए अल्प कालिक ऋण के रूप में 11 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई ।

आन्ध्र प्रदेश में पर्यावरण सम्बन्धी सुधार की योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए अनुदान

3626. **श्री० पी० राजगोपाल नायडू** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र-प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार को आन्ध्र-प्रदेश के स्लम क्षेत्रों के पर्यावरण में सुधार लाने सम्बन्धी योजनाओं को कार्यान्वित करने हेतु अनुदान की स्वीकृति प्रदान करने के लिए कोई अभ्यावेदन भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने हैदराबाद और सिकन्दराबाद के दो युगल शहरों में गन्दी बस्ती पर्यावरणीय सुधार परियोजनाओं का कार्यान्वयन करने के लिए केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता की मांग की थी। राज्य सरकार को सूचित किया गया था कि चूंकि नगरीय गन्दीय बस्ती पर्यावरणीय सुधार योजना राज्य क्षेत्र में है, इसलिए इस योजना के अन्तर्गत परियोजनाओं की वित्त व्यवस्था राज्य प्लान नियतनों में से की जानी है।

ग्रामीण कुटीर उद्योगों का विकास

3627. **श्री जगदीश टाईटलर** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य के उद्योग मंत्रियों और खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों के चेयरमैनों का एक सम्मेलन जनवरी, 1981 में हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया और ग्रामीण कुटीर उद्योगों के विकास के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) जी हां।

(ख) सम्मेलन मुख्यरूप से राज्य के खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्डों के कार्यकरण को कारगर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में खादी तथा ग्रामोद्योग के कार्यक्रम की प्रगति में तेजी लाने के उपायों पर विचार करने हेतु आयोजित किया गया था। सम्मेलन में राज्य के खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्डों को मजबूत बनाने, उनके आधारभूत ढ़ाचे में सुधार करने तथा उनके कार्यकरण को कारगर बनाने हेतु अनेक सुझाव दिए गए थे। स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त संशोधनों सहित राज्यों द्वारा अपनाए जाने के लिए एक "मॉडल विधेयक" तैयार करने हेतु सहमति हुई थी। समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किए गए 5011 खण्डों में से प्रत्येक खण्ड में गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले 50 परिवारों को छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान प्रति वर्ष ग्रामोद्योगों के अन्तर्गत लाया जाएगा।

प्रदूषण

3628. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हरिहर में बिड़ला के हरिहर पोलीफाइबर्स के निकट के भागों के लोगों द्वारा बिड़ला के यूनिट से हो रहे प्रदूषण, जिससे इस क्षेत्र में असहय स्थिति उत्पन्न हो गई है, के बारे में की गई शिकायतों की जानकारी है ;

(ख) यदि हां तो क्या सरकार ने प्रदूषण की रोक थाम के लिए कोई निवारक उपाय करने हेतु हरिहर पोलीफाइवर्स को निदेश दिये हैं ;

(ग) क्या देश में औद्योगिक प्रदूषण समाप्त करने के लिए कोई दीर्घावधि उपाय सरकार के विचाराधीन है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) (क) से (ग) जी, हां।

(घ) प्रदूषण का स्त्रोत पर ही नियन्त्रण करना जल (प्रदूषण के निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के उपबन्धों के अन्तर्गत स्थापित राज्य बोर्डों और जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण के केन्द्रीय बोर्ड द्वारा अपनाया गया तत्काल अल्पाविधक उपाय है। तथापि, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण के केन्द्रीय बोर्ड ने राज्य बोर्डों के साथ मिलकर निम्नलिखित दीर्घावधिक उपाय किये हैं :—

(i) विस्तृत नदी तट के प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम बनाने के लिए विभिन्न स्थानों पर नदियों का वर्गीकरण तथा क्षेत्रीकरण।

(ii) विभिन्न नदियों पर 200 सेंम्पल स्टेशनों के जरिये जल कोटि का नियमित प्रबोधन।

(iii) नदी के तटों में प्रदूषण की मात्रा का मूल्यांकन।

डाक-तार विभाग में दूरसंचार मैकेनिकों के वेतनमान

3629. श्री सूरज भान : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रेलवे केन्द्रीय सचिवालय, दिल्ली में काम कर रहे दूर संचार मैकेनिकों की नियुक्ति 425-700 रु० के वेतनमान में की जाती है और जिन्हें डाक तार विभाग में नियुक्त किया जाता है और वे वही काम करते हैं। उन्हें 260-480 रु० के वेतनमान में नियुक्त किया जाता है : और

(ख) यदि हां तो यह भेदभाव क्यों है तथा इस भेदभाव को दूर करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) एवं (ग) यह सच है कि दूर संचार तकनीशियनों को (जिनका पदनाम पहले मेकेनिक था) 260-480 रु० के वेतनमान में नियुक्त किया जाता है। जहां तक अन्य विभागों के साथ तुलना का प्रश्न है विभिन्न विभागों के

तकनीशियनों के वेतनमान उनके कार्यों एवं उत्तरदायित्वों तथा भर्ती की मूल अर्हताओं आदि जो वहां लागू थी, को ध्यान में रखकर तृतीय वेतन आयोग द्वारा निर्धारित किये गये थे इसके फलस्वरूप दूर संचार तकनीशियनों का वेतनमान 260-480 रु० निर्धारित किया गया था। फिर भी भर्ती अर्हताओं में परिशोधन के साथ साथ दूरसंचार तकनीशियनों के वेतनमान में संशोधन करके उसमें वृद्धि करने के प्रस्ताव पर हाल ही में विचार किया गया था परन्तु सरकार ने उसे स्वीकार नहीं किया।

छोटे तथा मध्यम कस्बों का "विकास"

3630. **श्री समर मुखर्जी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगरों में दबाव को कम करने के लिए लगभग 200 छोटे और मध्यम कस्बों का विकास करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इन कस्बों के नाम क्या हैं और इस सम्बन्ध में राज्यवार ब्योरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायणसिंह) : (क) एक लाख से कम आबादी वाले 200 छोटे तथा मध्यम दर्जे के कस्बों के एकीकृत विकास की केन्द्र द्वारा प्रवर्तित एक योजना चालू योजना अवधि के दौरान चल रही है।

(ख) राज्य सरकारों द्वारा इस योजना के मार्ग निर्देशनों के अनुरूप इन कस्बों के नामों का प्रस्ताव किया जाता है और केन्द्र सरकार द्वारा इन परियोजना रिपोर्टों की जांच की जाती है। जिन कस्बों को अभी तक सहायता दी गई है उनके राज्यवार नाम अनुलग्नक में दिये गये हैं।

विवरण

केन्द्र द्वारा प्रवर्तित छोटे तथा मध्यम दर्जे के कस्बों के विकास की योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता का विवरण।

क्रम सं०	राज्य	कस्बें
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	1. अनकपाली
		2. रामचन्द्रपुरम
		3. तेनाली
		4. विजय नगरम
		5. भीमावरम

1	2	3
2.	असम	6. तिनसुखिया
		7. सिलचर
		8. जोहरहाट
		9. तेजपुर
3.	बिहार	10. गोपाल गंज
		11. हाजी पुर
		12. सहर्षा
4.	गुजरात	13. आनन्द
		14. पोरबन्दर
		15. उत्तर पाटन
		16. विरावल पाटन
		17. वलसाध
		18. पालन पुर
5.	केरल	19. कोट्टायम
		20. गुरुठयूर
		21. त्रिचूर
		22. कायाकुलम्
		23. तेली चेरी
		24. त्रिरूर
6.	महाराष्ट्र	25. बारसी
		26. मनमद
		27. पारली विजय नाथ
		28. यावत माल
		29. सतारा
		30. मनमद
		31. रतनागिरि
		32. ग्रामलनेर
		33. कटोल
		34. प्रभानी

1	2	3
		35. कामथी
7.	मध्य प्रदेश	36. बिलासपुर
		37. दैवास
		38. खुजूराहो
		39. इटारसी
		40. रेवा
		41. कटनी
8.	उड़ीसा	41. पुरी
		43. सम्भल पुर
9.	पंजाब	44 पठानकोट
10.	राजस्थान	45. पाली
		46. बैरन
		47. भीलवाड़ा
		48. सीकर
		49. चूरू
		50 सुमरेपुर
		51. नाथद्वारा
		52. बाड़मेर
		53. गंगानगर
11.	तमिलनाडु	54. धर्मपुरी
		55. करूर
		56. पुद्दूकटाई
		57. उदूगमंगलम्
		58. गोवीछच्टी
		59. त्रिछगरू
		60. मनारगुडी
		61. पलानी
		62. मेट्टूपलायम

		63. छगंलपट्टी
		64. कन्नूर
		65. मनमैदुरैई
		66. धारापुरम
		67. अट्टूर
		68. त्रिवन्नमलैई
		69. उदमालपत
12.	उत्तर प्रदेश	70. आजमगढ़
		71. फतेहपुर
		72. जौनपुर
		73. हाथरस
		74. बान्दा
		75. बाराबकीं
		76. रायबरेली
13.	त्रिपुरा	77. उदयपुर
14.	गोवा दमन तथा द्वीव	78. पणजी

राष्ट्रीय पोषण नीति तैयार किया जाना

3631. **डा० कृपा सिंधु भोई :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों के समाज कल्याण मंत्रियों के सम्मेलन में राष्ट्रीय पोषण नीति तैयार करने के बारे में क्या सिफारिशें की गई हैं ; और

(ख) उन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) 20 जनवरी 1981 को हुए राज्यों के समाज कल्याण मंत्रियों के सम्मेलन ने सिफारिश की थी कि बच्चों और माताओं के कमजोर वर्गों को प्राथमिकता देते हुए इस देश में उचित समय के भीतर प्रत्येक नागरिक को श्रेष्ठ पोषाहार प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाई जाए। राष्ट्रीय पोषाहार नीति का निर्माण प्रथम प्रारूप स्तर पर है।

केरल में मत्स्य-पत्तन परियोजनाएं

3632. श्री जी० एम० बनातवाला : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने किन्हीं मत्स्य-पत्तन परियोजनाओं को स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया है ;

(ख) यदि हां, तो ये परियोजनायें कब दी गई थीं ;

(ग) इन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या इनके लिए अपेक्षित मंजूरी दे दी गई है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस मामले को शीघ्र निपटाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां ।

(ख) विझिजम तथा नींदाकारा मत्स्य-पत्तनों के बारे में आर्थिक मूल्यांकन सहित संशोधित परियोजना रिपोर्ट क्रमश: मई 1979 तथा फरवरी 1981 में प्राप्त हुई थीं ; इसके अतिरिक्त मुनाम्काकदापु, नीलेश्वरन, चिरूवथुर और चेतुवई के बारे में पत्तनों पर छोटे-मोटे निर्माण कार्यों से सम्बन्धित प्रस्ताव भी 1979-80 के दौरान प्राप्त हुए थे ।

(ग) इनका ब्यौरा निम्नलिखित हैं :—

(1) **रीन्दाकारा** : इस पत्तन पर 370 लाख रुपए की लागत का अनुमान है तथा यह पत्तन 1480 यंत्रीकृत मत्स्यन जलयानों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए बनाया गया है। इस पत्तन के प्रमुख अवयव इनर ब्रेकवाटर, जहाज घाट, तटीय सुविधाएं तथा तल कर्षण करना है ।

(2) **विझिजम** : यह परियोजना 3275 लाख रुपए की है जिसमें से पत्तन (चरण-2) पर 700 लाख रुपए की लागत आएगी । यह गहरे पानी में डुबाव मत्स्यन जलयानों के लिए बनाई गई है । इसमें मुख्य रूप ले ब्रेक वाटर घाट स्लिप, के अन्य तटीय सुविधाएं तथा तलकर्षण शामिल हैं ।

(3) **मुनाम्काकदावु** : यह पत्तन 10.15 लाख रुपए की लागत वाली है तथा यह लगभग 30 छोटे मत्स्यन जलयानों को खड़ा करने के लिए बनाया गया है । इसके मुख्य अवयव भूमि अधिग्रहण, घाट तथा तलकर्षण करना है ।

(4) **नीलेश्वरम** : 10 लाख रुपए की अनुमानित लागत वाली यह परियोजना विद्यमान छोटे मत्स्यन जलयानों की सुविधाएं प्रदान करने के लिए है । इसके मुख्य अवयव सुधार, घाट लगाने तथा अन्य समुद्र तटीय सुविधाएं प्रदान करना है ।

(5) चिरुवयुर : 10.30 लाख रुपये की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना में तलकर्ष घाट तथा अन्य समुद्र तटीय सुविधाएं शामिल हैं। यह पत्तन यंत्रीकृत नौकाओं की सुविधाएं प्रदान करने के लिए बनाया गया है।

(6) चेतुवई : लगभग 10 लाख रुपए के निर्माण लागत वाली इस परियोजना के अन्तर्गत विद्यमान मत्स्यन जलयानों के लिए न्यूनतम सुविधाएं प्रदान करना है।

(घ) तथा (ङ) पूर्ण हुए पत्तनों के सम्बन्ध में मूल्यांकन अध्ययन रिपोर्ट न होने के कारण, 1979-80 के दौरान किसी भी मत्स्यन पत्तन को मंजूरी नहीं दी गई। यह रिपोर्ट अब प्राप्त हो गई है। इसके परिणामस्वरूप अब सभी प्रस्तावों की जांच की जा रही है। जैसे ही जांच कार्य पूरा हो जाएगा उन पर निवेश के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाएगा।

खेलकूद का स्तर बढ़ाने के कदम

3633. श्री टी०आर० शमन्ना :

श्री पी०के० कोडियन : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि अन्तर्राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिताओं में हमारे खिलाड़ियों का खेल अब संतोषजनक नहीं होता है ; और

(ख) क्या सरकार खिलाड़ियों के स्तर को उठाने के लिए कदम उठायेगी ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जबकि यह सच है कि भारत में खेल-कूद का स्तर विश्व के स्तर से कम है तथापि, जहां तक राष्ट्रमंडल और एशियाई खेल स्तरों का संबंध है, भारत का कुछ खेलों में अच्छा स्थान है।

(ख) अपने खिलाड़ियों के स्तर में सुधार लाने के लिए देश में निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :

1. प्रशिक्षण और अधिक संगठित, व्यवस्थित और परिणामोन्मुख बन गया है।
2. प्रत्येक खेल के लिए प्रशिक्षकों की नामिका और राष्ट्रीय प्रशिक्षक की नियुक्ति की गई है।
3. प्रशिक्षण के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित विभिन्न खेल उपस्करों का आयात किया जा रहा है।
4. आधुनिक परिस्थितियों में खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए सिन्थेटिक ट्रैक और सिन्थेटिक हाकी फील्ड तैयार किए जा रहे हैं।

5. जिन खेलों में भारतीय प्रतिभा उपलब्ध नहीं है, उनमें भारतीय खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए विदेशो के विशेषज्ञ प्रशिक्षकों को आमन्त्रित किया जा रहा है।

6. खिलाड़ियों को अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए विदेशों में भेज कर उन्हें प्रतियोगिता संबंधी पर्याप्त अनुभव प्राप्त कराया जा रहा है।

7. राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला में ओलम्पिक सोलिडेरिटी पाठ्यक्रम आयोजित किए गए हैं जिनमें भारतीय प्रशिक्षकों के ज्ञान को बढ़ाने के लिए विदेशी विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया है।

8. राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला में जो इस समय प्रशिक्षण का एक प्रमुख केन्द्र है, अन्तरंग हालों, छात्रावासों आदि जैसी भौतिक सुविधाओं में सुधार किया जा रहा है।

9. राष्ट्रीय खेल संस्थान के दक्षिणी परिसर, बंगलौर के निर्माण का काम तुरन्त शुरू किया जा रहा है। राष्ट्रीय खेल संस्थान पूर्वी परिसर, कलकत्ता के निर्माण का काम पहले ही चल रहा है।

10. लघु पाठ्यक्रमों के आयोजन द्वारा सक्षम निर्णायकों, रेफरियों तथा अम्पायरों सहित सक्षम तकनीकी अधिकारियों का एक संवर्ग तैयार किया जा रहा है।

11. सम्बन्धित महासंघों द्वारा 1982 के एशियाई खेलों के लिए हमारी टीमों को तैयार करने के लिए प्रशिक्षण और कोचिंग योजनाओं को अन्तिम रूप दे दिया गया है। प्रत्येक वर्ष सरकारी खर्च पर क्रमशः 6, 6 और 4 सप्ताह की अवधि के तीन शिविर स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा विदेशों में, अथवा भारत में, अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीमों के लिए सरकारी खर्च पर 3 अतिरिक्त शिविरों की व्यवस्था भी है।

12. एशियाई खेलों के लिए शिविरों में उपस्थित खिलाड़ियों के आहार भत्ते को 16/- रुपये प्रति खिलाड़ी प्रतिदिन से बढ़ा कर 19/- रुपये प्रति खिलाड़ी प्रतिदिन कर दिया गया है।

रावी, व्यास और सतलुज नदियों के जल में राजस्थान का भाग

3634. श्री बुद्धि चन्द्र जैन : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रावी, व्यास और सतलुज नदियों के जल में से राजस्थान को उसके निर्धारित हिस्से से बहुत कम जल मिल रहा है और जितना भी जल उसे मिलता है वह भी उसकी आवश्यकतानुसार समय पर नहीं मिलता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि राजस्थान सरकार के बार-बार प्रयास किये जाने के बावजूद सिंचाई विभाग और भाखड़ा व्यास प्रबन्ध मंडल राजस्थान को उसके हिस्से का पूरा जल समय पर नहीं दे सके हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या मंत्रालय इतना सहयोग देने को तैयार हैं जिससे राजस्थान को उस जल का पूरा भाग निश्चित रूप से मिल सके ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) भाखड़ा व्यास प्रबन्ध बोर्ड ने, जो सभी भागीदार राज्यों के जल का हिसाब रखता है, सूचित किया है कि सतलुज नदी से राजस्थान की जल की सप्लाई में कोई कमी नहीं हुई। किन्तु 1-12-1980 से पहले की कुछ अवधियों में रावी और व्यास नदियों से राजस्थान को की जाने वाली जल की सप्लाई में कमी होने की सूचना मिली है, परन्तु 1-12-1980 से 28-2-1981 तक की अवधि में जल की सप्लाई में कमी होने की कोई सूचना नहीं मिली है।

(ग) केन्द्रीय सरकार ने रावी, व्यास और सतलुज नदियों से राजस्थान और लाभान्वित होने वाले अन्य राज्यों को अपेक्षित सिंचाई के लिए जल की अपेक्षित सप्लाई को यथासंभव सीमा तक सुनिश्चित करने के लिए हमेशा पूर्ण सहयोग दिया है और सभी संभव प्रयास किये हैं।

रोहिणी आवासीय परियोजना के लिए अधिगृहीत की गई भूमि

3635. **श्री तारिक अनवर :**

श्री केशवराव पारधी : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रोहिणी आवासीय परियोजना के लिए अभी तक न तो भूमि अधिगृहीत की गई है और न ही उसके लिए मुआवजा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अब तक अधिगृहीत की गई भूमि क्षेत्र का ब्यौरा क्या है ;

(ग) अधिगृहीत भूमि के लिए मुआवजे का भुगतान पूर्णतः कब तक कर दिया जायेगा ; और

(घ) क्या मुआवजे के भुगतान से पूर्व ही विकास कार्य आरम्भ किया जा सकता है ;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (घ) यह सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखदी जाएगी।

स्नातकोत्तर (भाषा विज्ञान) कार्यक्रम में शोध-छात्र केन्द्र

3636. **श्री जगपाल सिंह** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के "स्कूल आफ लेंगुएजिज" के अंग्रेजी और भाषा विज्ञान केन्द्र में स्नातकोत्तर (भाषा) विज्ञान कार्यक्रम समाप्त कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) इसकी स्थापना से लेकर अब तक इसमें कितने शोध-छात्र दाखिल किए गए और शोध-पत्र प्रस्तुत करने वालों की संख्या क्या है (शोध पत्रों के शीर्षक क्या हैं) और ऐसे कितने शोध छात्र हैं जिन्होंने अपना शोध-कार्य पूरा किये बिना ही केन्द्र को छोड़ कर चले गए थे और उसके क्या कारण थे; और

(घ) इस बारे में सरकार का क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री शंकरराव चव्हाण) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

केरल कृषि उद्योग निगम

3637. **श्री एम० एम० लारेंस** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने केरल कृषि उद्योग निगम को 31 मार्च, 1979 तक केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना समझा है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार का उस तारीख तक कितनी शेयर पूंजी का अंशदान रहा ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने अंशदान पूरा-पूरा अदा कर दिया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हाँ ।

(ख) 31-3-1979 तक केन्द्रीय सरकार की शेयर पूंजी का अंशदान 163,18,700 रुपये था ।

(ग) तथा (घ) केरल सरकार ने 1-4-1977 से 31-3-1979 तक की अवधि के दौरान केन्द्रीय सरकार से साम्य पूंजी में 55,73,200 रुपये का अंशदान करने का अनुरोध किया था, जिसमें उन्होंने यह बताया था कि राज्य सरकार अपने साम्य पूंजी शेयर में 58 लाख रुपये का अंशदान देगी । तथापि, सभा पटल पर रखे जाने वाले कागजातों से सम्बन्धित समिति (पांचवीं

लोक सभा) ने जुलाई, 1976 में दोषी निगमों, जो अपने खातों को अद्यतन करने और अपनी वार्षिक रिपोर्ट समय पर लोक सभा पटल पर रखने में निष्फल रहीं, के बारे में बड़ी आलोचना की थी और उसने यह सुझाव दिया था कि भारत सरकार ऐसे निगमों को भविष्य में और निधि न दे। इस स्थिति के बारे में केन्द्रीय कृषि मंत्री द्वारा केरल के मुख्य मंत्री को लिखे 27-8-1976 के पत्र और निगम को लिखे 18-1-1978 के पत्र के माध्यम से राज्य सरकार को अवगत करा दिया गया था। चूंकि यह निगम वार्षिक खाते और रिपोर्ट समय से नहीं भेज पाया, इसलिए केन्द्रीय सरकार ने केरल सरकार के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया।

जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय में एम० ए० (अंग्रेजी) कार्यक्रम का समाप्त किया जाना

3638. **श्री रसूद मसूद** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय ने 'स्कूल आफ लेंगुएजिज' के 'अंग्रेजी और भाषाविज्ञान केन्द्र' में स्नातकोत्तर (अंग्रेजी) कार्यक्रम को समाप्त कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो यह कार्यक्रम कब से समाप्त किया गया और उसे समाप्त करने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या कार्यक्रम को समाप्त करने से पूर्व कोई विभागीय जांच कराई गई थी ; और

(घ) यदि हां, तो उसका निष्कर्ष क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री शंकरराव चव्हाण) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

केरल राज्य बांस निगम लिमिटेड से ज्ञापन

3639. **श्री के० ए० राजन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल राज्य बांस नियम लिमिटेड से उसकी कुछ समस्याओं के बारे में दिनांक 7 फरवरी, 1981 का कोई ज्ञापन मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनथन) : (क) जी नहीं। भारत सरकार को केरल राज्य बांस निगम लिमिटेड से कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है। परन्तु केरल सरकार ने सूचना दी है कि उन्हें दिनांक 3-2-1981 तथा 4-2-81 के ज्ञापन प्राप्त हुए हैं।

(ख) निगम ने राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि उन्हें 22-12-1980 से पूर्व विद्यमान दरों पर रीड (नड) एकत्र करने की अनुमति दी जाए। राज्य सरकार ने 3-3-1981 को आदेश जारी करके 1-11-1980 से 10 वर्ष की अवधि के लिए निगम को, 22-12-1980 के राज्य सरकार के आदेश के अन्तर्गत वर्तमान प्रभावी संशोधित दरों से पूर्व की दर पर, प्रति वर्ष 20,000 मीटरी टन रीड आबंटित किया है।

संकर प्रजनन कार्यक्रम की प्रगति

3640. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनेक पशुओं में अनुर्वरता पैदा होने, पशुओं के स्वास्थ्य के सम्बन्ध में कोई अध्ययन किया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि भूमि हीन श्रमिकों तथा समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन में उन लोगों के पशुओं की तुलना में बेहतर हैं ; जो जमीदार और बड़े किसान हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उस सम्बन्ध में संकर प्रजनन कार्यक्रमों के सन्तोषजनक परिणाम नहीं निकल रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ;

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी, हां।

(ख) पशुओं का स्वास्थ्य और उत्पादन मुख्यतः उनकी कुशलता से स्वास्थ्य रक्षा करने, उन्हें अच्छा चारा देने और उनके प्रबन्ध कार्यों पर निर्भर करता है, चाहे वे पशु भूमिहीन श्रमिकों अथवा समाज के कमजोर वर्गों के हों या जमीदारों और बड़े किसानों के हों।

(ग) और (घ) जहां अच्छी स्वास्थ्य रक्षा की जाती है, अच्छा चारा दिया जाता है और उनकी देख रेख की जाती है, वहां संकर प्रजनन कार्यक्रम के संतोषजनक परिणाम निकल रहे हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के गठन में परिवर्तन

3641. **श्री नीरेन घोष** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के गठन में राज्यों एवं विश्वविद्यालयों को प्रतिनिधित्व देकर परिवर्तन करने की मांग की गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस पर विचार किया जायेगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री शंकरराव चव्हाण) : (क) से (ग) सरकार को भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा हैदराबाद में । फरवरी, 1981 को आयोजित अपनी बैठक में पारित एक संकल्प प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने यह सिफारिश की है कि दो-चार पूर्णकालिक सदस्य बढ़ाकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है । यह सिफारिश भी की गई है कि आयोग के सदस्यों का एक निश्चित प्रतिशत कुलपति वर्ग में से लेना अनिवार्य होना चाहिए । इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा अभी तक कोई दृष्टिकोण नहीं बनाया गया है ।

दिल्ली में नर्सरी स्कूल

3642. **श्री अमर राय प्रधान :**

श्री चित्त बसु : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में नर्सरी स्कूलों का प्रबन्ध, दिल्ली शिक्षा अधिनियम के क्षेत्र में आता है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और नर्सरी स्कूलों की संख्या कितनी है ;

(ग) क्या ये स्कूल अधिनियम के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त और पंजीकृत हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री शंकरराव चव्हाण) : (क) दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम के अन्तर्गत पूर्व-प्राथमिक स्कूल "स्कूल" शब्द की परिभाषा में आते हैं ।

(ख) और (ग) दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम 1973 के अन्तर्गत स्कूलों की मान्यता अनिवार्य नहीं है और इसलिए दिल्ली में नर्सरी स्कूलों की सही संख्या का पता नहीं लगाया जा सकता । दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अधीन नर्सरी स्कूलों के पंजीकरण की कोई व्यवस्था नहीं है ।

(घ) उपरोक्त भाग (ख) और (ग) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए नर्सरी स्कूलों के पंजीकरण का प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली में नर्सरी स्कूलों को मान्यता दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगरपालिका और छावनी बोर्ड जैसे स्थानीय निकायों द्वारा उनके अपने-अपने क्षेत्राधिकारों के अन्तर्गत आने वाले उन स्कूलों को प्रदान की जा सकती है जो इसके लिए आवेदन करते हैं ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नीतियों में आमूलचूल परिवर्तन करना

3643. श्रीमती गीता मुखर्जी :
श्री कमला मिश्र मधुकर :
श्री एच० एन० नन्जे गौडा :
श्री के० लकप्पा : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उच्च शिक्षा के लिए उपयोगी सुविधाओं का विकास करने और उसका स्तर बनाये रखने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का कार्य-निष्पादन बहुत असंतोषजनक है ;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अपनी नीतियों और कार्यकरण में कुछ आमूल-चूल परिवर्तन करने पर विचार कर रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री शंकरराव चव्हाण) : (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर अपनी नीतियों और कार्यक्रमों का पुनरीक्षण किया जाता है ताकि उनको बनाने और कार्यान्वित करने में सुधार किए जा सके। आयोग द्वारा अपनी नीतियों और कार्यप्रणाली में किसी आमूल परिवर्तन का प्रस्ताव नहीं किया गया है।

मध्य प्रदेश का गेहूं का कोटा

3644. श्री अरविन्द नेताम : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश का गेहूं का कोटा अगस्त से घटा दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कितना ;

(ग) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी वास्तविक मांग के आधार पर और अधिक गेहूं की मांग की है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (घ) अतीत में, राज्य सरकारों की मांगों के प्रति पूरे आवंटन किए गए थे। यह पाया गया था कि किए गए आवंटनों से उठान की मात्रा अपेक्षाकृत कम है। स्थिति का मूल्यांकन करने पर, अगस्त, 1980 से राज्यों के गेहूं के आवंटनों को युक्तियुक्त कर दिया गया था जिसके

फलस्वरूप मध्य प्रदेश को गेहूं का आबंटन जुलाई, 1980 के 87,060 मीटरी टन से कम होकर फरवरी, 1981 में 30,000 मीटरी टन हो गया। राज्य सरकारों, जिनमें मध्य प्रदेश भी शामिल है, द्वारा अपने आबंटनों में वृद्धि करने के लिए अनुरोध किए जाते हैं। राष्ट्रीय बफर स्टाक में कुल उपलब्धता और उठान की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए, मध्य प्रदेश के आबंटन में वृद्धि कर मार्च, 1981 से उसे 31,000 मीटरी टन कर दिया गया है।

बुडहार आटो एक्सचेंज के विरुद्ध शिकायतें

3645. **श्री दलबीर सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला शहडोल में बुडहार आटो-एक्सचेंज के प्रायः खराब रहने के बारे में कई वर्षों से शिकायतें मिल रही है ;

(ख) यदि हां, तो प्रयोक्ताओं की शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(ग) यदि कोई कदम नहीं उठाए गए हैं तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी हां। अक्तूबर, 1980 में बुडहार एक्सचेंज के असंतोषजनक रूप से कार्य करने के सम्बन्ध में एक शिकायत प्राप्त हुई थी।

(ख) (1) अक्तूबर, 1980 में शिकायत प्राप्त होने के पश्चात् बुडहार एक्सचेंज के उपस्करों की मरम्मत की गई है।

(2) ट्रंक सर्किटों की कार्य कुशलता में सुधार करने के लिए बुडहार एवं शहडोल के बीच ट्रंक लाईन, जो जंगल से होकर गुजरती है, के अनुरक्षण कार्य पर और अधिक ध्यान दिया जा रहा है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

कुक्कुट आहार

3646. **श्री सुधीर गिरी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की कुक्कुट आहार सम्बन्धी कुल आवश्यकता कितनी है ;

(ख) वर्ष 1979-80 व 1980-81 में देश में उसका कुल उत्पादन कितना हुआ ;

(ग) वर्ष 1979-80 और 1980-81 में कुल कितनी मात्रा में कुक्कट आहार का निर्यात किया गया ; और

(घ) कुक्कट आहार के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने के सुझाव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) केवल बढ़िया अण्डे देने वाले तथा अच्छे मांस वाले कुक्कुटों के लिए 1980-81 के दौरान 24.36 लाख मीटरी टन कुक्कुट आहार की कुल आवश्यकता का अनुमान है।

(ख) उत्पादन के सही आंकड़े देना सम्भव नहीं है, क्योंकि कुक्कुट आहार, एक बहुत बड़ी संख्या में व्यक्तिगत कुक्कुट पालकों तथा सार्वजनिक, सहकारी व निजी क्षेत्रों में छोटी, मध्यम तथा बड़ी आहार उत्पादक इकाइयों द्वारा विनिर्मित किया जाता है।

(ग) और (घ) "कुक्कुट आहार" के इस मद को भारतीय व्यापार वर्गीकरण, पर विदेशी व्यापार से सम्बंधित आंकड़ें संकलित किये तथा रखे जाते हैं, में अलग से वर्गीकृत नहीं किया जाता हैं। इसलिए कुक्कुट आहार की निर्यात की गयी मात्रा बताना संभव नहीं है। तथापि, 22-11-1979 तक मिश्रित पशु तथा कुक्कुट आहार के निर्बाध निर्यात की अनुमति थी तथा 23-11-1979 से 28-12-80 तक इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था। यह प्रतिबंध 29-12-80 से हटा दिया गया है। वर्ष 1979-80 के दौरान 45,677 (अनंतिम) मीटरी-टन मिश्रित पशु आहार निर्यात किया गया था। 1980-81 के दौरान 25,000 मीटरीटन तक मिश्रित पशु तथा कुक्कुट आहार निर्यात करने की अनुमति दी गयी है।

इस समय, कुक्कुट आहार के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में रिक्त पड़े स्थान

3647. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में अनेक वरिष्ठ पद खाली पड़े हुए हैं जिससे समूचा कार्य ठप्प हो गया है;

(ख) यदि हां, तो 31-1-81 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में खाली पड़े हुए पदों की संख्या कितनी थी और वे किस श्रेणी के थे ; और

(ग) इन रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) अनेक वरिष्ठ पद सेवा निवृति, स्थानान्तरण और पदोन्नति आदि के कारण खाली पड़े थे परन्तु रिक्त पदों के कार्य को देखने के लिए हमेशा वैकल्पिक व्यवस्था की गयी थी। इसलिए यह सच नहीं है कि परिषद का सारा कार्य ठप्प हो गया है।

(ख) (I) वैज्ञानिक पद — 12

(II) प्रशासनिक पद — 2

(ग) 12 रिक्त वरिष्ठ वैज्ञानिक पदों में से अब सहायक महानिदेशक (ए०ई०एस० एण्ड एम०) का पद 28-2-1981 को भर दिया गया है। उप महानिदेशक (ए०एस) और सहायक महानिदेशक (शिक्षा) के पद का चयन किया गया है। सहायक महानिदेशक (शिक्षा) के पद पर चुने हुए उम्मीदवार की "आफर" पर प्रक्रिया चालू है। भारत सरकार ने उप महानिदेशक (ए०एस०) की नियुक्ति के सम्बन्ध में अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं लिया है। शेष 9 पदों को कृषि वैज्ञानिक नियुक्ति मंडल के द्वारा विज्ञापित कर दिया है।

दो प्रशासनिक पदों के चयन को अन्तिम रूप दे दिया गया है और चुने हुए उम्मीदवारों को, पद को शीघ्र "ज्वाइन" करने का अनुरोध कार्मिक विभाग के माध्यम से किया गया है।

मध्य प्रदेश में कृषकों को दुधारू पशुओं की सप्लाई के लिए केन्द्रीय सहायता

3648. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश सरकार की मांग की तुलना में उनको किसानों को तथा कृषकों को अपनी आय में वृद्धि करने के लिए सहायक पेशे के रूप में दुधारू-पशुओं की खरीद के लिए पिछले तीन वर्षों में कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : पिछले तीन वर्षों के दौरान लघु/सीमान्त किसानों तथा कृषि श्रमिकों के लिए विशेष पशधन संवर्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत दोगली किस्म के बछड़े पालने हुतु मध्य प्रदेश को उनकी मांग की तुलना में सुलभ की गई केन्द्रीय सहायता विवरण में दर्शायी गई है।

लघु कृषक विकास एजेंसी/समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत दुधारू पशुओं का वितरण भी एक घटक है लेकिन इस घटक के लिए विशेष रूप से न तो अलग से केन्द्रीय सहायता की मांग की गई है अथवा न ही केन्द्रीय सहायता सुलभ की गई है।

विवरण

(क) 1977-80 के बीच मध्य प्रदेश में विशेष पशुधन संवर्धन कार्यक्रम की दोगली किस्म के बछड़े पालने की योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय आवंटन, राज्य की मांग, केन्द्रीय बंटन तथा उपयोग।

(लाख रुपए में)

वर्ष	केन्द्रीय आबंटन	उपयोग	राज्य की मांग	केन्द्रीय बंटन
1977-78	12.00	6.932	6.30	6.32
1978-79	22.00	16.770	14.67	15.00
1979-80	16.00	16.070	20.52	22.61

टिप्पणी (1) निधियों का बंटन वर्ष की प्रथम तीन तिमाहियों में वास्तविक उपयोग तथा वर्ष की अन्तिम तिमाही में पूर्वानुमानित व्यय पर आधारित है।

(2) इसमें पूर्व वर्षों में 2.11 लाख रुपए की अदायगी की बकाया राशि भी शामिल है।

(ख) मध्य प्रदेश में 1977-80 के बीच लघु कृषक विकास एजेंसी तथा समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत केन्द्रीय आबंटन केन्द्रीय बंटन तथा निधियों का उपयोग।

(लाख रुपए में)

वर्ष	लघु कृषक विकास एजेंसी कार्यक्रम			समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम		
	केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय बंटन	उपयोग	केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय बंटन	उपयोग
1977-78	†	230.60	254.14	— ()	—	—
1978-79	†	316.62	285.84	738.40	607.05	346.78
1979-80?	163.75	129.50	349.24	610.80	388.925	574.02

टिप्पणी † आबंटन के आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं।

( ) समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम 1978-79 में शुरू किया गया था।

? केन्द्रीय आबंटन को राज्य सरकारों से आबंटन द्वारा बराबर के आधार पर पूरा किया गया था।

रोहिणी आवासीय योजना के अन्तर्गत ग्रुप हाउसिंग सोसायटी को भू-स्थल का आबंटन

3649. **श्री फूलचन्द वर्मा** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1979 में पंजीकृत हुई ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज को "रोहणी आवासीय योजना" के अन्तर्गत स्थल आवंटित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक पंजीकृत उन ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों की संख्या कितनी है और उनके नाम क्या हैं जिन पर इस आवासीय योजना के अन्तर्गत भूस्थल आबंटन किए जाने के बारे में विचार किया जा सकता है ; और

(ग) तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी हां, । योजना में उपलब्ध ग्रुप आवास क्षेत्र को ग्रुप आवास समितियों को आवंटित करने का प्रस्ताव है ।

(ख) तथा (ग) चूंकि आबंटन की पद्धति को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है इसलिए इन ब्यौरों को देना सम्भव नहीं है ।

केरल में चतुर्थश्रेणी के तथा ई० डी० कर्मचारियों को बर्दियां और छातों की सप्लाई में विलम्ब

3650. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल सर्किल में चतुर्थश्रेणी के और अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों से शिकायत प्राप्त हुई है कि वर्दियों और छातों की सप्लाई में असाधारण विलम्ब हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) तथा (ख) जी हां । ठेका फर्मों द्वारा कपड़े की सप्लाई में देरी के कारण केरल सर्किल के चतुर्थश्रेणी कर्मचारियों को वर्दी की सप्लाई में देरी हुई थी । अब उक्त कर्मचारियों को वर्दी की सप्लाई की जा चुकी है । चतुर्थश्रेणी के कर्मचारियों को छाते समय पर सप्लाई किए गए थे । विभागेतर कर्मचारियों को छातों की सप्लाई फरवरी, 1981 में पूरी की गई थी ।

मुर्गियों की संख्या तथा अंडों एवं चूजों के गोश्त की कीमत

3651. **श्री० टी० दामोदर रेड्डी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मुर्गियों की कुल संख्या कितनी है और देश में प्रति वर्ष अंडों तथा चूजों के गोश्त का कितना उत्पादन होता है ;

(ख) किसानों को पिछले तीन वर्षों में अंडों के लिए प्रति वर्ष क्या औसत कीमत अदा की गई ;

(ग) उपरोक्त वर्षों में मुर्गियों के चारे की औसत औसतन दरें क्या थीं ;

(घ) क्या मुर्गी पालने वाले किसानों को अंडों के लिए लाभप्रद मुल्य दिलाने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने हैं ; और

(ङ) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) 1972 की संगणना के अनुसार देश में मुर्गियों की कुल संख्या 1385.44 लाख थी। 1979-80 के दौरान अण्डों का अनुमानित उत्पादन लगभग 123200 लाख था और 1979 के दौरान चूजों से गोश्त का उत्पादन 1,07,000 मीटरी टन था।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान देश के विभिन्न बाजारों में अण्डों के औसत थोक मूल्यों को प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न हैं। मुर्गी पालने वाले किसानों को साधारणतया परिवहन और थोक विक्रेता की कमीशन आदि जैसे अन्य आकस्मिक व्ययों को निकाल कर थोक कीमत मिलती है।

(ग) देश के भिन्न 2 भागों में और अलग-अलग विनिर्माताओं की विभिन्न मुर्गी आहारों की कीमतें अलग-अलग हैं। कृषि मन्त्रालय में उपलब्ध जानकारी के अनुसार 1978 के दौरान अंडे देने वाली मुर्गियों के आहार के मूल्य प्रति मीटरी टन लगभग 1050 रुपये से 1461 रुपये, 1979 के दौरान प्रति मीटरी टन 1010 रुपए से 1574 रुपए और 1980 के दौरान प्रति मीटरी टन 1100 रुपये से 1735 रुपए तक थे।

(घ) और (ङ) मुर्गी पालने वाले किसानों को अण्डों के लिए लाभप्रद मूल्य दिलाने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर अण्डों और मुर्गियों के विपणन की जिम्मेदारी भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नाफेड) को सौंप दी है। नाफेड को अपने अण्डों के विपणन और प्रोत्साहनात्मक कार्यकलापों में सहायता देने के 42 लाख रुपए की वित्तीय सहायता पहले ही मुहैया की जा चुकी है। नाफेड, जिसने पहले ही उत्तरी क्षेत्र में अण्डों के

विपणन का कार्य शुरू कर दिया है, देश के अन्य हिस्सों में भी इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए कदम उठा रहा है।

विवरण

देश के प्रमुख बाजारों में अंडों का औसत थोक मूल्य

बाजार का नाम	मूल्य रुपये प्रति अंडा वर्ष		
	1978	1979	1980
बम्बई	0.37	0.37	0.36
कलकत्ता	0.46	0.46	0.47
मद्रास	0.34	0.34	0.35
दिल्ली	0.35	0.35	0.37

छपरा में डिवीजनल मुख्यालय और सिवान में सब डिवीजनल मुख्यालय का खोला जाना

3652. श्री कृष्ण प्रताप सिंह : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बिहार में छपरा और सिवान की जनता की छपरा में डिवीजनल मुख्यालय और सिवान में सब-डिवीजनल मुख्यालय खोलने की मांग की जानकारी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी हां।

(ख) एक नया तार उपमंडल, जिसका मुख्यालय सिवान में होगा, अभी मंजूर किया गया है। छपरा में मंडल मुख्यालय खोलने के मामले की अभी हाल में जांच की गई है और मौजूदा कार्यभार के मानदण्ड के आधार पर एक ऐसा नया मंडल खोलने का औचित्य नहीं पाया गया जिसका मुख्यालय छपरा में हो सके।

कृषि के सम्बन्ध में भारत उत्तरी कोरिया संधि

3653. श्री पी. एम. सईद :

श्री सुभाषचन्द्र बोस अल्लूरी : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और लोकतांत्रिक गणतंत्र कोरिया ने कृषि के क्षेत्र में एक करार पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त करार की मुख्य बातें क्या है;

(ग) इससे भारत को कितना लाभ होगा; और

(घ) उत्तर कोरिया भारत को किस योजना के अधीन सहायता करेगा ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) भारत गणराज्य सरकार तथा डेमोक्रेटिक पीपल्स आफ कोरिया सरकार के बीच कृषि अनुसंधान और शिक्षा तथा सिंचाई के क्षेत्र में सहयोग सम्बन्धी एक नयाचार पर दिनांक 4 फरवरी, 1981 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर हो चुके हैं । नयाचार में कृषि अनुसंधान, कृषि उत्पादन तकनीकी सम्बन्धी शिक्षा तथा प्रशिक्षण में सुधार और उनके विस्तार तथा सिंचाई और जल संसाधन विकास के क्षेत्र में भी दोनों सरकारों के बीच दीर्घावधि सहयोग प्राप्त करने हेतु व्यवस्था है नयाचार के प्राचल निम्न प्रकार हैं :—

(क) विज्ञानियों तथा प्रौद्योगिकीविदों, विद्यार्थियों और प्रशिक्षार्थियों की अदला-बदली ;

(ख) जनन द्रव्य तथा प्रजनन सामग्री, बीच और पौध सामग्री की अदला-बदली ;

(ग) कृषि और सिंचाई के क्षेत्र में वैज्ञानिक साहित्य, सूचना तथा प्रणाली-विज्ञान (नो-हाउ) की अदला-बदली ;

(घ) समान हितों के कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध और अपेक्षित वैज्ञानिक उपकरणों का आयात और निर्यात, जिस पर पारस्परिक सहमति हो; और

(च) विज्ञानियों और विद्यार्थियों को शिक्षावृत्ति की स्वीकृति ।

यह नयाचार वार्षिक कार्य योजनाओं के विकास के माध्यम से दोनों सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किए जाने पर निम्नलिखित एजेन्सियों के माध्यम से दोनों पक्षों द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा :—

भारत सरकार की ओर से :	(i) कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आई. सी. ए. आर.) और
	(ii) सिंचाई मन्त्रालय ।
डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक आफ कोरिया की ओर से :	कोरिया टैक्नीकल कारपोरेशन

(ग) तथा (घ) "भारतीय पक्ष के हित के विशिष्ट क्षेत्रों" के सम्बन्ध में एक पत्र संलग्न है जो कार्य योजनाओं के विकास के लिए आधार होंगे (जैसा कि नयाचार में प्रावधान है)।

विवरण

भारतीय पक्ष के हित के विशिष्ट क्षेत्र

1. जनन-द्रव्य सामग्री का एकत्रीकरण और आदान-प्रदान और विभिन्न फसलों का उत्पादन जैसे कि :—

   (क) चावल की शीत सह और अंगमारी रोधी अधिक उपज देने वाली किस्में ;

   (ख) संकर मक्का की पैत्रिक पंक्तियां ;

   (ग) सोयाबीन सूरजमुखी, मूंगफली और तिल की सुधरी किस्में ;

   (घ) शीतोष्ण बागानी और वनस्पति फसलें, विशेषकर बंद गोभी।

2. कुशल जल प्रबन्ध सहित उत्पादन प्रौद्योगिकियों से सम्बन्धित अनुभवों का आदान-प्रदान।

3. फार्म-उपकरणों और मशीनरी के नमूनों का आदान-प्रदान, विशेष रूप से चावल के ट्रांसप्लांटर और हार्वेस्टर का।

4. फार्म तथा पशुओं के अपशिष्ट का पशु आहार और कम्पोस्ट के रूप में फिर से उत्पादन।

5. नियंत्रित वातारवण में बटेर पालने की प्रौद्योगिकी का आदान-प्रदान जिसमें बटेर के अण्डे सेने की तकनीक भी शामिल है।

6. सूअरों को मोटा करने और सूअर पालन के सम्बन्ध में ज्ञान का आदान-प्रदान।

7. डिग्री और गैर-डिग्री कार्यक्रमों के लिए न्यून तथा दीर्घ अवधि प्रशिक्षण हेतु विशेषज्ञों और छात्रों का आदान-प्रदान।

भूमि अधिग्रहण के लिए केन्द्रीय कानून

3654. **श्री चित्त बसु** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भूमि अधिग्रहण के सम्बन्ध में एक केन्द्रीय कानून बनाने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) व (ख) भूमि अधिग्रहण से सम्बन्धित एक केन्द्रीय कानून (भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894) पहले से ही विद्यमान है। इस कानून में संशोधन के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

भगत सिंह के सम्बन्ध में स्मारक टिकट

3655. **श्री अशोक महलौत** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भगत सिंह के संबंध में स्मारक टिकट जारी करने का आश्वासन दिया था ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है, टिकट जारी न किये जाने के कारण क्या हैं ; और

(ग) टिकट कब तक जारी कर दिए जाने की संभावना है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) सरकार ने तारीख 19-10-1968 को पहले ही भगत सिंह पर एक स्मारक डाक टिकट जारी कर दिया है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

नारियल की खेती का संवर्धन

3656. **श्री जार्ज जोसेफ मुडाकल** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अगले तीन वर्षों के दौरान नारियल की खेती के संवर्धन पर केन्द्रीय सरकार का विचार कितनी राशि खर्च करने का है ;

(ख) नारियल के "रूट-विल्ट" रोग की रोकथाम के लिए सरकार क्या कार्यवाही करेगी ;

(ग) क्या नारियल बोर्ड कोई पुनर्रोपण सहायता दे रहा है, यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार खेती करने वालों को दीर्घावधि ब्याज-मुक्त ऋण या कम ब्याज पर ऋण देने का है क्योंकि नारियल लगाना एक दीर्घावधि फसल है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.वी. स्वामीनाथन) : (क) वर्ष 1981-82 से 1983-84 के दौरान, नारियल विकास और अनुसंधान कार्यक्रम पर 462 लाख रुपए की राशि खर्च करने का प्रस्ताव है। नारियल बोर्ड, जो हाल ही में स्थापित किया गया है, ने अभी अपने कार्यक्रम और परिव्यय तैयार करने है।

(ख) नारियल में जड़ मुरझाने रोग के प्रकोप, बीमारी के फैलने और उसकी तीव्रता की रोकथाम के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने गहन अनुसंधान कार्य शुरू किया है। यह कार्य प्रभावित उद्यानों के प्रबंध के संबंध में शुरू किया गया है। वनस्पति रक्षण सहित व्यापक पैकेज प्रणालियों के प्रयोग की कारगरता का पता लगाने के लिए कृषकों के उद्यानों में बड़े पैमाने पर परीक्षण किए जा रहे हैं।

उत्तरी दिशा में फैलने वाले रोग की रोकथाम के लिए त्रिचूर के आसपास केरल कृषि विभाग के साथ मिलकर एक संयुक्त कार्यक्रम शुरू किया गया है। एक व्यापक नारियल विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें रोग ग्रस्त और अनुत्पादक पाम को समाप्त किया जाता है और इसके स्थान पर नारियल की अधिक उपज देने वाली पौधे का नया रोपण किया जाता है। नई पौध पर लगातार निगरानी रखी जा रही है।

नारियल पर दवा छिड़काव कार्यक्रम के अन्तंगत रोग-ग्रस्त क्षेत्रों में सभी नारियल जोतों में नारियल पत्ती रोग नियन्त्रण के लिए छिड़काव किया जाता है। यह रोग जो जड़मुरझान रोग से प्रभावित होता है, पाम की उत्पादकता में तेजी से कमी लाने के लिए उत्तरदायी हैं।

छठी योजना अवधि के दौरान, केरल में नारियल के रोगग्रस्त और अनुत्पादक उद्यानों का नवीकरण करने के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना की मंजूरी दी गई है जिसके अंतर्गत 102 9 लाख रुपये के वित्तीय परिव्यय प्रतिवर्ष से 11,000 हेक्टार क्षेत्र लाया जायेगा।

(ग) जी, नहीं। नारियल विकास बोर्ड 12 जनवरी, 1981 को स्थापित किया गया है। इसे अभी अपने विकास संबंधी कार्यक्रम तैयार करने हैं।

(ग) जी, नहीं। इस समय केन्द्र सरकार ऐसे किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

"टैक्स्ट बुक प्रोटोकाल विद सू. एस. एस. आर." शीर्षक समाचार

3657. श्री एन० के० शेजवलकर :

श्री हरिहर सोरन : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 फरवरी, 1981 के "पेट्रियट" में प्रकाशित "टैक्स्ट बुक प्रोटोकाल विद यू. एस. एस. आर." शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां तो इस संबंध में भारत और सोवियत संघ प्रतिनिधि मंडल के नेता तथा अन्य सदस्यों के नाम क्या हैं वे यहां कब तक ठहरे, उन्होंने किन-किन स्थानों को देखा और उन्होंने अपने भारतीय समवक्षों के साथ क्या विचार विमंश किया ;

(ग) क्या हिन्दी/अंग्रेजी में अनूदित रूसी पुस्तकें भारतीय विद्यार्थियों के लिए भारत में प्रकाशित पुस्तकों की अपेक्षा सस्ती होंगी ; और

(घ) यदि हां, तो कितनी सस्ती होंगी और उसका भारतीय प्रकाशकों पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, हां ।

(ख) 2 से 10 फरवरी, 1981 तक नई दिल्ली में संयुक्त भारत-सोवियत पाठय-पुस्तक बोर्ड की हुई 12वीं बैठक में सोवियत प्रतिनिधिमंडल का गठन विवरण में दिया गया है । बोर्ड ने अपने कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा की और इसके भावी कार्यान्वयन के लिए व्यापक मार्गदर्शी रूपरेखाओं की सिफारिश की ।

भारत में अपने प्रवास के दौरान सोवियत प्रतिनिधिमंडल ने मद्रास, बम्बई और औरंगाबाद का भी दौरा किया ।

(ग) तथा (घ) इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय छात्रों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में सस्ते संस्करणों वाली चुनी हुई सोवियत पाठय पुस्तकें उपलब्ध कराना है । 1965 में इसकी स्थापना के समय से केवल 368 पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं । इस प्रकार इस कार्यक्रम का भारतीय प्रकाशन पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ सकता ।

विवरण

1.	प्रोफेसर एन० एस० इगोरोव, उच्चतर तथा विशिष्ट माध्यमिक शिक्षा उप मंत्री, सोवियत रूस	नेता
2.	श्री वी० एम० ग्रेच्को, निदेशक, एच० आई० आर० पब्लिशिंग हाऊस	सदस्य
3.	श्रीमती एस०वी० आन्द्रीव अध्यक्ष, सोवियत रूस प्रणाली- विज्ञान विभाग, उच्चतर तथा विशिष्ट माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय	सदस्य
4.	श्री सी० ए० औरलोव, अध्यक्ष, अंग्रेजी भाषा विभाग, मास्को विदेशी भाषा संस्थान	सदस्य

रोहिणी आवास परियोजना

3658. श्री धर्मदास शास्त्री : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा घोषित की गई रोहिणी आवास योजना का पूरा ब्यौरा क्या है ;

(ख) अब तक इस योजना के अन्तर्गत जिन लोगों ने स्वयं को पंजीकृत कराया है, उनकी संख्या कितनी है ; और

(ग) कब तक पंजीकृत व्यक्तियों को भूखण्ड आबंटित किए जाएंगे और दिल्ली में अपना मकान प्राप्त करने की समस्या इस योजना द्वारा कितने प्रतिशत तक हल हो जाएगी ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) यह सूचना एकत्र की जा रही हैं और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

पी 480 के अन्तर्गत "केयर" को खाद्यान्नों की सप्लाई

3659. श्री ज्योतिर्मय वसु : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केयर ने पी—480 उपहार कार्यक्रम में खाद्यान्न प्राप्त किया था ;

(ख) यदि हां,, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या "केयर" राज्य सरकारों को खाद्यान्न आदि की बिक्री करने के लिए प्राधिकृत था ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) केयर का खाद्य पदार्थों का स्त्रोत पी० एल०-480 टाइटल-2 के अन्तर्गत इसको उपलब्ध खाद्यान्न है । पिछले दस वर्षों के दौरान केयर के माध्यम से टाइटल-2 वस्तुओं के आयात संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

(ग) जी, नहीं । वास्तव में ये खाद्य पदार्थ मुफ्त वितरण के लिए होते हैं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

केयर के माध्यम से टाइटल-2 वस्तु आयात

*वर्ष (अमेरीका का वित्तीय वर्ष)	मात्रा (लाख टनों में)	मूल्य** (मिलियन डालर में)
1970	1.40	32.57
1971	1.52	36.32
1972	2.52	48.18
1973	1.93	47.02
1974	1.28	44.59
1975	2.57	66.14
1976	2.68	98.97
1977	2.80	90.69
1978	2.96	104.27
1979	1.89	77.66
1980	1.85	82.05

*अमेरिका का वित्तीय वर्ष 1975 तक जुलाई से जून तक था। 1975 से यह अक्तूबर से सितम्बर तक है। वित्तीय वर्ष 1976 में जुलाई, 1975 से सितम्बर 1976 तक 15 महीने थे।

**मूल्य में समुद्री जहाज से माल ढुलाई काभाड़ा शामिल है।

गुजरात में सामुदायिक वन रोपण परियोजना

3661. श्री हीरा लाल आर. परमार : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक ने गुजरात में क्रियान्विति के लिए एक सामुदायिक वनरोपण परियोजना को स्वीकृति प्रदान की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ग) कुल लागत में से कितना भाग विश्व बैंक देगा ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) (क) जी हां।

(ख) इस परियोजना के तहत वृक्षारोपण के निम्न लक्ष्य हैं :—

(1) पट्टीदार वृक्षारोपण (सड़क के किनारों, रेलवे लाइन के किनारों तथा नहर के किनारों)	37,000 हैक्टार
(2) ग्रामीण वन	38,440 हैक्टार
(3) काटे गए वनों में पुनर्वनरोपण	30,000 हैक्टार
(4) निजी भूमि पर वनरोपण	1000 हैक्टार
(5) वितरण के लिए पौद लगाने हेतु फार्म वानिकी	1500 लाख पौद
(6) ईंधन की लकड़ी के मितव्ययताके उपाय	
(1) उन्नत दहन सुविधायें प्रदान करने वाली यूनिटों की स्थापना	1000 यूनिटें
(2) धुंआ रहित स्टोव प्रदान करना	10,000 यूनिटें

(ग) 65.359 करोड़ रुपये की कुल अनुमानित लागत में से 31.82 करोड़ रुपये विश्व बैंक का हिस्सा होगा, जो कुल लागत का 48 प्रतिशत है।

खाद्यान्न व्यापार का राष्ट्रीयकरण

3662. श्री कमल नाथ :

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत कृषि समाज ने सरकार से देश में खाद्यान्नों के थोक व्यापार को अपने हाथ में लेने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

महिला कल्याण

3663. श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में महिलाओं के कल्याण के लिए कोई धनराशि निर्धारित की है ;

(ख) क्या यह सच है कि राज्य सरकारें भी साक्षरता और स्वास्थ्य सेवाओं आदि के लिए लक्ष्य निर्धारित करने की ओर अधिक ध्यान नहीं दे रही हैं ; और

(ग) यदि हां , तो देश में महिला कल्याण के लिए सरकार ने राज्यों को सुझाव देने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमतीशीला कौल) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग) महिलाओं के लिए सामान्य एवं विशेष कार्यक्रम, महिलाओं की साक्षारता तथा स्वास्थ्य में सुधार करने हेतु कार्यान्वित किये जाते हैं । हमेशा अलग लक्ष्य निर्धारित नहीं किये जाते । इस संबंध में राष्ट्रीय कार्य योजना में कार्यवाही के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त शामिल हैं । राज्यों से निवेदन किया गया था कि वे महिलाओं के लिए अपनी राज्य कार्य-योजनाएं तैयार करें ।

प्राथमिक और हाई स्कूल

3664. श्री जितेन्द्रप्रसाद : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूरे देश में, राज्यवार, प्राथमिक और हाई स्कूलों की संख्या कितनी है ;

(ख) कितने विद्यालयों के पास अपनी स्कूल इमारत है ;

(ग) कितने विद्यालय बिना इमारतों के चलाये जा रहे है ; और

(घ) ऐसे विद्यालयों को इमारतें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री शंकरराव चव्हाण) : (क) विवरण संलग्न है ।

विवरण (I)

(ख) विवरण संलग्न है ।

विवरण (II)

(ग) विवरण संलग्न है।

विवरण (III)

ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी. 2118/81

(घ) संतोषजनक स्कूल भवनों के निर्माण किए आबंटन राज्य क्षेत्र में योजनागत परिव्यय का एक भाग है।

परीक्षा प्रणाली

3665. **श्री जयपाल सिंह कश्यप :**

श्री चित्त बसु :

श्री एल. एम. कृष्ण : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्तमान परीक्षा प्रणाली को बदलने का निर्णय किया है ; और

(ख) सरकार का नकल करने की समस्या से किस प्रकार निपटने का विचार है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री शंकरराव चव्हाण) : (क) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग क्रमशः स्कूल और विश्व विद्यालय स्तरों पर परीक्षाओं में सुधार करने की आवश्यकता के संबंध में राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों से लिखा पढ़ी कर रहे हैं। स्कूल स्तर पर सुझाए गए विशेष उपायों में, प्रश्नों और प्रश्न-पत्रों, अंक देने की प्रक्रिया, परिणामों की व्याख्या, व्यावहारिक और मौखिक परीक्षाओं में सुधार, आन्तरिक मूल्यांकन आदि शुरू करना शामिल है। विश्वविद्यालय स्तर पर जो सुधार कार्यान्वित किए जा रहे हैं, वे हैं सतत सत्रात्मक मूल्यांकन, प्रश्न बैंकों का विकास ग्रेडिंग प्रणाली शुरू करना और सेमेस्टर प्रणाली शुरू करना।

(ख) आशा की जाती है कि ये सुधार परीक्षा प्रणाली में परीक्षाओं में नकल करने की घटनाओं को कम तथा धीरे-धीरे समाप्त कर सकते हैं।

फसल बीमा योजना के बारे में राज्यों द्वारा मांगा गया स्पष्टीकरण

3666. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्य सरकारों ने फसल बीमा योजना आरम्भ कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो कितने राज्यों ने अब तक योजना आरम्भ कर दी है ;

(ग) क्या कुछ राज्यों ने फसल बीमा योजना के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है ; और

(घ) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं और उनकी आपत्तियां क्या हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (घ) भारत सरकार और राज्य सरकारों से विचार-विमर्श करने के बाद भारतीय सामान्य बीमा निगम ने पहुंच क्षेत्र पर आधारित मार्गदर्शी फसल बीमा योजना को अन्तिम रूप दिया है। भारत सरकार ने इस मार्गदर्शी योजना को सभी राज्यों में क्रियान्वयन करने की सिफारिश की है। क्षेत्र पर आधारित यह मार्गदर्शी फसल बीमा योजना स्वैच्छिक आधार पर कार्यान्वित की गई है। इस समय इसे गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के चारों राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा है। हरियाणा,कर्नाटक, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश जैसे कुछ अन्य राज्य अपने प्रस्तावों के सम्बन्ध में भारतीय सामान्य बीमा निगम से विचार-विमर्श कर रहे हैं। इस योजना के अन्तर्गत सामान्य बीमा निगम तथा राज्य सरकारें सहबीमा-कर्त्ता होते हैं तथा क्षेत्रों का चयन सामान्य बीमा निगम द्वारा राज सरकारों के परामर्श से किया जाता है।

उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुदान

3667. **श्री आनन्द सिंह** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान इलाहाबाद और लखनऊ विश्वविद्यालयों को अलग-अलग कुल कितना अनुदान दिया गया है ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश में अन्य ग्यारह राज्य विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कितने अनुदान दिए ; और

(ग) क्या इसमें बहुत विसंगतियां हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री शंकरराव चव्हाण) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इलाहाबाद और लखनऊ विश्वविद्यालयों को दिये गये विकास सम्बन्धी अनुदान इस प्रकार हैं :—

(लाख रुपये में)

विश्वविद्यालय का नाम	दिये गये अनुदान		
	1977-78	1978-79	1979-80
1. इलाहाबाद	41.04	81.69	20.50
2. लखनऊ	27.64	44.04	55.17

(ख) उसी अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश के अन्य राज्य विश्वविद्यालयों को दिये गए विकास संबंधी अनुदान इस प्रकार हैं :—

विश्वविद्यालय का नाम	दिये गये अनुदान		
	1977-78	1978-79	1979-80
		(लाख रुपये)	
1. आगरा	12'96	1.86	8.00
2. गढ़वाल	4.33	1.38	1.88
3. गोरखपुर	24.48	51.78	13 21
4. कानपुर	10.82	2.36	6.03
5. मेरठ	15.17	22.83	22.07
6. रूड़की	38.57	162.86	100.70
7. काशी विद्यापीठ	3.39	9.43	2.74
8. सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय	1.88	17.43	6.27
9. कुमायुं विश्वविद्यालय	4.03	4.90	4 55

अवध, बुन्देलखण्ड और रोहिलखण्ड विश्वविद्यालयों को इस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से कोई अनुदान प्राप्त नहीं हो रहे हैं।

(ग) यह मानते हुए कि यह मामला केवल राज्य विश्वविद्यालयों से संबंधित है, ये विसंगतियां प्रत्येक विश्वविद्यालय के विकास के स्तर, उसके अध्यापन विभागों द्वारा प्रदान किये जा रहे कार्यक्रम की किस्म तथा स्तर, पाठ्यक्रमों के स्वरूप, छात्रों की संख्या और आगे विकास की क्षमता इत्यादि जैसे विभिन्न पहलुओं के कारण हैं।

केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग के कर्मचारियों के पारिक्रमिक तबादले

3668. **श्री सतीश प्रसाद सिंह** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लगभग पिछले दस वर्षों से केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग के कर्मचारियों का बारी-बारी से होने वाला कोई तबादला नहीं हुआ है जिसके परिणाम स्वरूप निर्माण कार्य की जोखिम पर निहित स्वार्थ पैदा कर दिए गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो किए जाने वाले पारिक्रमिक तबादले कब से बहाल करने की संभावना है क्योंकि उसमें केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग में कार्यकुशलता आएगी ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) और (ख) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के एक ही स्थान पर एक यूनिट से दूसरे यूनिट में स्थानान्तरण पर कोई प्रतिबन्ध नही है । केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग किसी एक स्टेशन के एक यूनिट से दूसरे स्टेशन के यूनिट में पदोन्नति पर स्थानान्तरण पर भी प्रतिबन्ध नहीं है ।

आमतौर पर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में एक स्थान के एक यूनिट से दूसरे स्थान के एक यूनिट में उसी वर्ग या पद पर स्थानान्तरण सुलभ क्षेत्रों में 4 वर्षों में तथा कठिन क्षेत्रों में 3 वर्ष बाद किया जा रहा है । मितव्ययिता की आवश्यकता के कारण एक सुलभ क्षेत्र से दूसरे सुलभ क्षेत्र में ऐसे स्थानान्तरण कम किए जाते हैं । इससे केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की कार्यक्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव नही पड़ता ।

विभिन्न चीनी मिल मालिकों के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो के मामले

3669. श्री सी० टी० दंडपाणि : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लेवी चीनी की कालाबाजारी करने, रिकार्डों में अनधिकृत परिवर्तन करने, केन्द्रीय सरकार के विभागों को मिथ्या विवरण देने और जनता को धोखा देने के लिए विभिन्न चीनी मिल मालिकों के कदाचारों के सम्बन्ध में मामले केन्द्रीय जाँच ब्यूरो के पास लम्बित पड़े हैं ;

(ख) यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों को गिरफ्तार करने में असामान्य विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ग) उन चीनी मिलों के चैयरमैन, प्रबन्ध निदेशकों और निदेशक बोर्ड के नाम क्या हैं ;

(घ) क्या इन निदेशकों के कुछ अन्य कम्पनियों में सीधे हित हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो उन कम्पनियों के नाम क्या हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जहां तक लेवी चीनी की कालाबाजारी करने, रिकार्ड में हेरा-फेरी करने आदि विषयक चीनी के मिल मालिकों के कदाचारों का सम्बन्ध है, वित्त मंत्रालय से प्राप्त शिकायत पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा मै० जयपुर शुगर कं० लि० चागल्लू (आंध्र प्रदेश) और उनके सम्बन्धित पदाधिकारियों और अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध 10-8-1979 को धारा 120-बी०आर०/डब्ल्यू 420 आई० पी० सी०, 420 और 477-क आई० पी० सी० के अन्तर्गत मामला दर्ज किया गया था । उन पर यह आरोप था कि अभियुक्त ने षडयंत्र रचा था और 13940 क्विंटल चीनी पर देय 2.68 लाख रुपये के उत्पादन शुल्क का भुगतान करने से बचने के लिए झूठ-मूठ यह दिखाकर कि जैसे चीनी की सुपुर्दगी नामित व्यापारी को दे दी गई थी, जबकि उसे खुले बाजार में बेच दिया गया था, क्योंकि पहली जनवरी से 30 जून, 1972 तक लागू स्वैच्छिक प्रबन्ध के अधीन

निर्मुक्त की गई उचित दर की चीनी पर देय उत्पादन शुल्क की तुलना में खुले बाजार की चीनी पर देय उत्पादन शुल्क अधिक था, सरकार को धोखा दिया था।

(ख) अभी इस मामले की जांच की जा रही थी कि आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय ने जयपुर चीनी कं० द्वारा दायर की गई विविध रिट याचिका स० 935/1980, दिनांक 14-7-1980 के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा सभी प्रकार की कार्यवाहियां करने और जांच करने पर अन्तरिम रोक लगाने के आदेश दे दिए। अतः आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार जांच कार्य अब रुक गया है।

(ग) श्री पी० आर० रामकृष्णन, कोयम्बेतूर, अध्यक्ष (2) श्रीमती राजेश्वरी रामकृणन, कोयम्बेतूर, प्रबन्ध निदेशक (3) श्रीमती वी० आर० दुर्गम्बा, मद्रास, निदेशक (4) श्री आर० प्रभु कोयम्बेतूर, निदेशक (5) श्री आर० बाबा चन्द्रशेखर, कोयम्बेतूर, निदेशक (6) श्री वी० एल० दत्त, मद्रास, निदेशक (7) श्री पी० एस० राघवन रामशास्त्री, मद्रास, निदेशक (8) श्री एम० ए० कृष्णमचारी, बंगलौर निदेशक (9) श्री एम० वी० आर० अप्पा राव० मद्रास, निदेशक (10) श्री एल० एन० सन्यासी राजू सल्लारू श्रीकाकुलम जिला आंध्र प्रदेश निदेशक (11) स्व० श्री जी० अप्पा राव रायगडा, सितम्बर, 1972 तक निदेशक। उपर्युक्त स्थिति 1972 से है, जिस वर्ष से आर० सी० 8/79 ई० ओ० डब्ल्यू० मद्रास की सहमति संबंधित है।

(घ) और (ङ) श्री पी० आर० रामकृष्णन मद्रास एल्यूमीनियम कं० कोयम्बेतूर और के० सी० पी० लि०, मद्रास के निदेशक हैं, श्री आर० प्रभु के० सी० पी० लि०, मद्रास के भी निदेशक हैं। श्री वी० एल० दत्त के० सी० पी० लि०, मद्रास के भी प्रबन्ध निदेशक हैं। यह स्थिति आज की तारीख तक की है।

खाद्य उत्पादन ग्रामीण विकास और मत्स्य ग्रहण उद्योगों में वृद्धि किए जाने के लिए संयुक्त उद्यम

3670. **श्री सतीश अग्रवाल :**
श्री बी० बी० देसाई : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाद्य मन्त्री हाल ही में खाद्य तथा कृषि मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेने हेतु डाका गए थे ;

(ख) यदि हां, तो उसमें किन-किन बातों पर विचार-विमर्श किया गया ;

(ग) क्या भारतीय खाद्य उत्पादन बढ़ाने ग्रामीण विकास और मत्स्य ग्रहण उद्योगों के लिये किसी संयुक्त उद्यम पर विचार उठाया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां ।

(ख) बैठक के समाप्त होने पर जारी की गई विज्ञप्ति संलग्न है जिसमें बैठक में हुए विचार-विमर्श और सिफारिशों का सार दिया गया है ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी० 2119/81]

(ग) तथा (घ) भारत में खाद्य उत्पादन और ग्रामीण विकास तथा मत्स्यकी की वृद्धि के लिए किसी भी संयुक्त उपक्रम पर विचार नहीं किया गया ।

गांवों में इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंजों की स्थापना

3671. श्री हरिनाथ मिश्र : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गांवों के छोटे-छोटे समूहों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिये देश भर में ग्रामीण इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंज स्थापित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त एक्सचेंज कब तक खोल दिए जायेंगे ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक राव) : (क) जी हां ।

(ख) देहाती इलाकों में टेलीफोन की सुविधाओं का विस्तार करने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है कि यदि किसी गांव अथवा केन्द्रीय गांव की 5 किलोमीटर की अरीय दूरी के भीतर आने वाले गांवों के समूह के कम से कम 5 प्रत्याशित टेलीफोन उपभोक्ता अपेक्षित अग्रिम जमा का भुगतान करके अपने नाम पंजीकृत करा लेते हैं तो देहाती इलाकों में 10 लाइन का एक्सचेंज खोला जा सकता है बशर्ते कि अनुमानित राजस्व अनुमानित वार्षिक आवर्ती व्यय का कम से कम 35 प्रतिशत हो ।

इस प्रयोजन के लिए भारतीय टेलीफोन उद्योग और दूरसंचार अनुसंधान केन्द्र ने 10 लाइनों का एक इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंज तैयार किया है । पाइलट यूनिटों का फिलहाल क्षेत्रीय परीक्षण किया जा रहा है । इन एक्सचेंजों का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हो जाने पर इनको चालू करने का समय निश्चित किया जाएगा ।

गोपनीय रिपोर्ट

3672. श्री कमला मिश्र मधुकर : क्या सिविल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय तथा सम्बद्ध कार्यालयों के सभी कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट लिखने का काम पूरा करने के लिए क्या प्रक्रिया और समय निर्धारित किया गया है ;

(ख) सभी श्रेणियों के कितने कर्मचारियों की वर्ष 1979 के लिए गोपनीय रिपोर्टें निर्धारित समय में पूरी नहीं की गई और उसके क्या कारण हैं ;

(ग) उनके मंत्रालय विशेषकर सम्बद्ध कार्यालयों की गोपनीय रिपोर्टों को समय पर प्रस्तुत करने और पूरा करने की परवाह न करने पर सतर्कता अनुशासन ढांचे में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ; और

(च) जिम्मेदारी के इस काम से दोषी अधिकारियों को हटाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के अनुदेशों के अनुसार वार्षिक रिपोर्टें रिपोर्ट के अवधि के समाप्त होने के बाद एक महीने के अन्दर लिखी जानी अपेक्षित हैं ।

(ख) और (ग) एक महीने की इस अवधि के अन्दर बहुत सी गोपनीय रिपोर्टें पूरी नहीं हो पाती । सिंचाई मंत्रालय और इसके सम्बद्ध कार्यालय केन्द्रीय जल आयोग में जिन यूनिटों को गोपनीय रिपोर्टें रखने का काम सौंपा गया है, वे रिपोर्ट की अवधि के समाप्त होने के तत्काल बाद यथास्थिति, उन अधिकारियों के पास, जिनकी रिपोर्ट लिखी जानी होती है, अपने काम का मूल्यांकन प्रस्तुत करने के लिए या रिपोर्ट लिखने वाले अधिकारियों के पास रिपोर्ट लिखने के लिए फार्म भेजते हैं । ये रिपोर्टें कई रिपोर्टिंग अधिकारियों और पुनरीक्षण करने वाले अधिकारियों द्वारा लिखी जानी होती है और कई मामलों में कई कारणों से रिपोर्टें निर्धारित अवधि के अन्दर पूरी नहीं हो पातीं तथापि, मंत्रालय और केन्द्रीय जल आयोग के संबंधित यूनिट रिपोर्टों को शीघ्र पूरा कराने के लिए हर संभव प्रयत्न करते हैं ।

(घ) यह सवाल पैदा नहीं होता ।

जिलों/कस्बों में मानव चालित टेलीफोन प्रणाली का बदला जाना

3673. श्री के०टी० कोसलराम : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन जिलों/शहरों के नाम क्या है जहां हस्तचालित टेलीफोन प्रणाली कार्य कर रही है ; और

(ख) ऐसी मानव चालित टेलीफोन प्रणाली को स्वचालित प्रणाली में बदलने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) ऐसे जिला नगरों की दूरसंचार सर्किलवार सूची संलग्न है, जहां 31-3-1980 को करचल टेलीफोन प्रणाली मौजूद थी । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2120/81]

(ख) ये 148 जिला नगर ऐसे लगभग 1300 नगरों और शहरों में से हैं, जहां 31-3-1980 तक करचल टेलीफोन एक्सचेंज प्रणाली की सेवा उपलब्ध थी। स्थानीय टेलीफोन सेवा सुधारने तथा एस०टी०डी० सुविधाओं का विस्तार करने के लिए इन सभी स्थानों की टेलीफोन सेवा को स्वचल बनाने के प्रति सरकार उत्सुक है।

परन्तु, सीमित मात्रा में स्वदेशी उत्पादन के कारण इस उद्देश्य को शीघ्र प्राप्त कर लेना सभव नहीं हो सका है। इस समय स्वदेशी उत्पादन इतना कम है कि उससे मौजूदा स्वचल एक्सचेंजों की वर्ष भर में विस्तार की आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो पाती। स्वचल टेलीफोन एक्सचेंज उपस्कर का उत्पादन बढ़ाने के प्रति सरकार ने कदन उठाये हैं। उत्पादन में इस वृद्धि से मौजूदा करचल एक्सचेंजों को 1990 तक भारी मात्रा में स्वचल बनाने की योजना है। उपलब्ध साधनों से जिला मुख्यालयों की सेवाओं को स्वचल बनाने में वरीयता प्रदान की जाएगी।

राष्ट्रीय प्रोढ़ शिक्षा कार्यक्रम की प्रगति

3674. **श्री काजी सलीम :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनता सरकार की प्रौढ़ शिक्षा योजना लागू करने के दौरान विभिन्न राज्यों और सघ क्षेत्रों में प्रौढ़ शिक्षा में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) उक्त योजना पर आज तक विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों, राज्य सरकारों और केन्द्र द्वारा कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री शंकर राव चव्हाण) : (क) प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1978-79 तथा 1979-80 के दौरान इस कार्यक्रम में शामिल हुए अशिक्षित प्रौढ़ों की प्रगति दर्शाने वाला राज्यवार विवरण—एक में संलग्न है।

(ख) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों तथा स्वेच्छिक संगठनों द्वारा वर्ष 1978-79 तथा 1979-80 में खर्च की गई राशि को दर्शाने वाला विवरण दो में संलग्न है।

वर्ष 1980-81 में खर्च की गई राशि की स्थिति का पता वित्त वर्ष की समाप्ति पर केवल तब पता चलेगा जबकि सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से सूचना प्राप्त हो जायेगी।

विवरण—1

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्रों का नाम	नामांकन	
		1978-79	1979-80
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	45,310	2,02,660
2.	असम	38,430	1,70,546
3.	बिहार	33,000	75,720
4.	गुजरात	3,01,264	1,76,209
5.	हरियाणा	68,660	70,048
6.	हिमाचल प्रदेश	32,070	19,787
7.	जम्मू और कश्मीर	10,103	53,367
8.	कर्नाटक	1,72,000	1,96,521
9.	केरल	77,100	8,924
10.	मध्य प्रदेश	1,28,850	1,06,023
11.	महाराष्ट्र	4,63,800	3,83,075
12.	मणिपुर	29,970	8,678
13.	मेघालय	14,465	उपलब्ध नहीं
14.	नागालैंड	17,700	16,945
15.	उड़ीसा	1,04,252	2,38,236
16.	पंजाब	38,100	उपलब्ध नहीं
17.	राजस्थान	95,826	2,03,943
18.	सिक्किम	384	उपलब्ध नहीं
19.	तमिलनाडु	1,21,810	3,69,208
20.	त्रिपुरा	35,248	उपलब्ध नहीं

1	2	3	4
21.	उत्तर प्रदेश	1,58,247	1,26,722
22.	पश्चिम बंगाल	1,25,780	59,735
23.	अन्डमान तथा नीकोबार द्वीप समूह	2,940	1,235
24.	अरूणाचल प्रदेश	9,880	4,127
25.	चंडीगढ़	2,800	4,024
26.	दादरा तथा नागर हवेली	992	1,459
27.	दिल्ली	19,320	10,308
28.	गोआ, दमन तथा दीव	9,030	1,757
29.	लक्ष द्वीप	312	255
30.	मिजोरम	5,265	उपलब्ध नहीं
31.	पांडिचेरी	6,960	11,707
	कुल योग	21,70,868 या 21.71 लाख	25,21,219 या 25.21 लाख

विवरण—2

	खर्च की गई राशि (लाख रुपये)	
	1978-79	1979-80
1. केन्द्रीय सरकार (स्वैच्छिक एजेंसी को दिए गये अनुदान की राशि को छोड़कर)	222.86	604.05
2. राज्य सरकारें	532.61	970.57
3. स्वैच्छिक एजेंसी को केन्द्र द्वारा दिया गया अनुदान	171.68	268.88

दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा गुजरात आदि से दूध प्राप्त करने का प्रस्ताव

3675. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना प्रबंध-मण्डल सुदूर स्थानों जैसे, गुजरात जोधपुर, इन्दौर, भोपाल आदि से दूध सप्लाई प्राप्त करने का इच्छुक है ; और

(ख) दिल्ली के आस-पास के दुग्ध की उत्पादकों से दूध की सप्लाई तेज करने के लिए प्रयास क्यों नहीं किए जा रहे हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर.वी. स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) दिल्ली दुग्ध योजना मुख्य रूप से दिल्ली के आस-पास के दुग्ध उत्पादन करने वाले राज्यों अर्थात उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान तथा पंजाब से और संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के पशु-मालिकों की सहकारी समितियों से दूध प्राप्त करता रहा है/कर रहा है ।

बिहार में आपरेशन फ्लाड—एक और दो

3676. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव :**
श्री धर्म बीर सिंह : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के किन-किन जिलों में आपरेशन फ्लड-एक कार्यक्रम आरम्भ की गई थी ;

(ख) इस योजना पर किये गये कार्य की प्रगति तथा वित्तीय परिव्यय की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) बिहार के किन-किन प्रस्तावित जिलों में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा आपरेशन फ्लड-दो योजना आरम्भ की जायेगी और उस पर कितना वित्तीय परिव्यय होगा ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) आपरेशन फ्लड 1 कार्यक्रम पटना, गया, शाहाबाद तथा सरन जिलों में शुरू किया गया था ।

(ख) पटना में प्रति दिन एक लाख लिटर दूध की क्षमता की एक फीडर बैलेंसिंग डेरी तथा प्रति दिन 100 टन की क्षमता वाला एक पशु आहार संयंत्र स्थापित किया गया था । पटना में प्रारम्भिक दुग्ध उत्पादकों की 118 सहकारी समितियां तथा जिला स्तर पर सहकारी दुग्ध उत्पादक संघों का गठन किया था । इस योजना के लिए वित्तीय परिव्यय 384.92 लाख रुपये रखा गया है ।

(ग) आपरेशन फ्लड 2 के क्रियान्वयन के लिए सम्भाव्य योजना को जिसमें उसके अन्तर्गत लिये जाने वाले जिलों तथा वित्तीय परिव्यय का ब्यौरा दिया गया हो, बिहार सरकार के परामर्श से अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

अकबरपुर सहकारी चीनी मिल में किसानों द्वारा शेयर खरीदे जाना

3677. **श्री राम अवध** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई गन्ना उत्पादकों ने लगभग छः वर्ष पूर्व अकबरपुर सहकारी चीनी मिल में शेयर खरीदे थे परन्तु आज तक उन किसानों को यह नहीं पता कि उन शेयरों का क्या हुआ ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि 5462 गन्ना उत्पादकों ने अकबरपुर सहकारी चीनी मिल, फैजाबाद में शेयर खरीदे थे और 4400 गन्ना उत्पादकों को शेयर सर्टीफिकेट जारी किए गए थे। शेष गन्ना उत्पादकों, जिन्होंने शेयर खरीदे थे, को शेयर सर्टीफिकेट जारी नहीं किए गए हैं क्योंकि उन्होंने संबंधित खंड विकास अधिकारियों के माध्यम से विधिवत भरे गए आवेदन-पत्र नहीं दिए हैं। जिला मजिस्ट्रेट, फैजाबाद को निदेश दिए गए हैं कि वे सम्बन्धित खंड विकास अधिकारियों के माध्यम से इन औपचारिकताओं को पूरा करवायें ताकि सम्बन्धित उत्पादकों को यथा शीघ्र शेयर सर्टीफिकेट जारी किए जा सकें।

कीटनाशी और कृमिनाशी औषधियों के निर्माण में काम आने वाले पदार्थ

3678. **प्रो० रूप चन्द पाल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कीटनाशी और कृमिनाशी औषधियों के बनाने में कुछ ऐसे पदार्थ काम में लाये जाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकर है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) कीटनाशी उत्पाद के पदार्थ तकनीकी ग्रेड की कीटनाशी और विभिन्न कैरियर्स, पूरक, विलायक और ऐसे अन्य गुणवर्धक पदार्थ है जिन्हें प्रयोग करने के लिए उपयुक्त बनाने हेतु तकनीकी ग्रेड की कीटनाशी के साथ मिलाना पड़ता है।

कीटनाशियों का उद्देश्य कृमि और रोगों पर नियन्त्रण करना है। वे अपने आप में विषैले और घातक तत्व है। उनके प्रयोग से मनुष्य तथा पशुओं को होने वाले खतरे को समझते हुए, सरकार ने कीटनाशी अधिनियम 1968 बनाया, जो 1971 में लागू हुआ। इस अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत किसी कीटनाशी के विनिर्माण या आयात करने की अनुमति देने से पूर्व

उसे आवश्यक रूप से पंजीकृत कराना होता है। अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत वरिष्ठ तकनीकी विशेषज्ञों की एक पंजीकरण समिति गठित की गयी है। यह समिति किसी कीटनाशी के प्रयोग के साथ जुड़ी हुई विषाक्तता एवं खतरों पर विस्तार से विचार करती है। कीटनाशी के प्रभाव और उससे मानव व पशुओं की सुरक्षा के सम्बन्ध में संतुष्ट होने पर ही पंजीकरण का प्रमाण पत्र मंजूर किया जाता है।

अनेक कीटनाशियां, जिनका देश में प्रयोग होता था और जिन्हें पंजीकरण समिति द्वारा विषाक्त और खतरनाक पाया जाता है, उन्हें या तो रजिस्टर ही नहीं किया जाता या समाप्त कर दिया जाता है या कुछ अतिरिक्त सुरक्षा के साथ उनका प्रयोग करने की अनुमति दी जाती है।

(ख) कीटनाशी अधिनियम 1968 के उपबन्ध (जैसा 1977 में संशोधित किया गया) पर्याप्त माना गया है। अतः इस समय आगे और कार्यवाही करने का विचार नहीं है।

शहरों की बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए आवास

3679. **श्री के० राममूर्ति :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद में 22 जनवरी, 1981 को हुए सेमिनार में शहरों में निर्धनों की बढ़ती हुई जनसंख्या को मकान उपलब्ध कराने के सुसंगत नान-फंकशनल और वैकल्पिक उपायों की खोज में तेजी लाने के लिए अहमदाबाद स्टडी ऐक्शन ग्रुप ने इसी प्रकार के अन्य राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिल कर कार्य करने की 5 वर्ष की एक योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उस पर यदि कोई कारंवाई करने का विचार है तो वह क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) अहमदाबाद स्टडी ऐक्शन ग्रुप ने एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन एस० ई० एल० ए० वी० आई० पी० इन्टरनेशनल के साथ 7 जनवरी, 1981 से 25 जनवरी, 1981 तक बम्बई कलकत्ता, दिल्ली तथा हैदराबाद में "शहरी गरीबों को आश्रय देने के लिए नवीनतम तथा वैकल्पिक उपयों" पर एक सेमिनार का आयोजन किया था। अहमदाबाद में कोई सेमिनार नहीं हुआ परन्तु अनुवर्ती कार्रवाई के बारे में विचार विमर्श और चार सेमिनारों का मूल्यांकन किया गया। अहमदाबाद स्टडी ऐक्शन ग्रुप द्वारा कार्यवाही के लिए बनाई गई किसी 5 वर्षीय योजना का सरकार को पता नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ?

तमिलनाडु में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध स्कूलों में पाठ्य-पुस्तकों की सप्लाई

3680. **श्री ईरा मोहन** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में ऐसे कितने उच्च माध्यमिक स्कूल हैं जो केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध हैं ;

(ख) कोयम्बटूर जिले में ऐसे कितने स्कूल हैं ;

(ग) इन स्कूलों को पाठ्य-पुस्तकों की सप्लाई की क्या व्यवस्था है ;

(घ) क्या सभी पुस्तकें नई दिल्ली से भेजनी पड़ती हैं ;

(ङ) क्या केन्द्रीयकृत सप्लाई व्यवस्था को देखते हुए इन पुस्तकों के मुद्रण और वितरण की व्यवस्था कोयम्बटूर जैसे क्षेत्रीय केन्द्रों से अक्टूबर में कराने की व्यवस्था की जा सकती है, ताकि विलम्ब न हो ; और

(च) यदि हां, तो सरकार का इस मामले में क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री शकरराव चव्हाण) : (क) 103

(ख) 16

(ग) और (घ) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रकाशित पाठ्य-पुस्तकें स्थानीय अथवा अन्य पुस्तक विक्रेताओं अथवा सीधे केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती हैं। जहां तक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रकाशित पुस्तकों का सम्बन्ध है, इनकी आपूर्ति नई दिल्ली में सीधे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा तथा तमिलनाडु में भी उनके थोक तथा खुदरा एजेंटों के माध्यम से की जाती है। निजी प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की बिक्री सामान्य व्यापार माध्यमों से की जाती है।

(ङ) और (च) कोयम्बटूर जैसे क्षेत्रीय केन्द्रों में पाठ्य-पुस्तकों के मुद्रण का कोई प्रस्ताव नहीं है। फिर भी, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उस क्षेत्र में अपनी पाठ्य-पुस्तकों के वितरण का कार्य सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन प्रभाग को सौंपने की सम्भावनाओं की जांच कर रही है जिन्होंने मद्रास में अपना विक्रय ऐम्पोरियम स्थापित किया है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने भी मद्रास में एक क्षेत्रीय कार्यालय खोल दिया है और अपने क्षेत्रीय कार्यालय से बोर्ड के प्रकाशनों की आपूर्ति के प्रबन्ध किए जा रहे हैं।

वर्ष 1980 के दौरान पूर्णिया और सहरसा जिलों में बुक की गई ट्रंक काल

3681. श्री डूमर लाल बैठा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्णिया, फोरबेसगंज, अरारिया कोर्ट, किशनगंज, सहरसा, माधेपुरा, सुपाल और त्रिवेणीगंज के टेलीफोन एक्सचेंजों में वर्ष 1980 के दौरान बुक की गई और संपर्क स्थापित ट्रंक कालों की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या यह सच है कि दोषयुक्त टेलीफोन लाइनों और इन लाइनों के उचित रखरखाव न होने के कारण बहुत सी बुक की गई ट्रंक कालें बकाया रहती हैं अथवा रद्द की जाती हैं ; यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ;

(ग) दोषयुक्त लाइनों के कारण की गई ट्रंक कालों के विच्छेद के कारण गिनती में न आने से कितनी हानि हुई है ; और

(घ) क्या यह भी सच है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों को जोड़ने वाली अधिकांश टेलीफोन लाइनें महीनों तक खराब, उपेक्षित और बिना किसी अनुरक्षण के पड़ी रहती है ; यदि हां, तो टेलीफोन लाइनों की मरम्मत और इनके अनुरक्षण की वर्तमान व्यवस्था क्या है और इनके मरम्मत तथा अनुरक्षण के कार्य को सुधारने के लिए आगे क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) 1980 के दौरान (अप्रैल से दिसम्बर 1980 तक) बुक की गई और मिलाई गई ट्रंक कालों का ब्यौरा संलग्न अनुबंध "क" में दिया गया है।

(ख) जी नहीं। कुछ एक्सचेंजों में कुछ लम्बी दूरी की ट्रंक काल खुले तार की लाइनों में अनेक दोषों के कारण रद्द कर दी जाती हैं। ट्रंक यातायात को गतिशील बनाने के लिए निम्न के बीच यू० एच० एफ० रेडियो प्रणाली लागू करने की योजना है :

(i) कटिहार-पटना और कटिहार-कलकत्ता ट्रंक सर्किटों को जोड़ने के लिए कटिहार-फारबेसगंज।

(ii) दरभंगा-पटना सूक्ष्म तरंग लिंक को जोड़ने के लिए दरभंगा-सुपाल सहरसा, और

(iii) सिलीगुड़ी और कलकत्ता के बीच सहधुरीय केबुल लिंक को जोड़ने के लिए कटिहार-पूर्णिया के बीच।

बिजली की खराबी को कम करने के लिए सहरसा में एक अतिरिक्त इंजर आल्टरनेटर की स्थापना की जा रही है।

(ग) यह सापेक्ष है और इससे कोई घाटा नहीं है क्योंकि लाइनें खराब हैं।

(घ) जी नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रहे अधिकांश सार्वजनिक टेलीफोन छोटे स्वचल एक्सचेंजों से जुड़े हैं जिन्हें राज्य बिजली सप्लाई पर निर्भर रहना पड़ता है। खुले तार लाइनों पर दोषों के अतिरिक्त लम्बे समय तक बिजली खराब रहने के कारण सेवा में अवरोध उत्पन्न होता है।

ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों की नित्य जांच उस एक्सचेंज के स्टाफ द्वारा की जाती है जिसके साथ यह सार्वजनिक टेलीफोन पर जुड़ा है और अगर कोई दोष पाया जाता है तो उसकी रिपोर्ट लाइन स्टाफ को करके उसे ठीक करा दिया जाता है। वरिष्ठ अनुरक्षण कर्मचारी भी सार्वजनिक टेलीफोनों के कार्यकरण पर निगरानी रखते हैं।

विवरण

अनुबंध—क

एक्सचेंज का नाम	अप्रैल-दिसम्बर, 1980 कालों की कुल संख्या	
	बुक की गई	मिलाई गई
सुपोल	10378	7524
त्रिवेणीगंज	904	704
माधेपुरा	11802	9672
सहरसा	30753	19281
फारबेसगंज	34757	20056
अररिया	11089	6513
पूर्णिया	23954	12197
किशनगंज	25197	15288

चेंगम, उत्तरी अरकाट स्थित सेंट्रल स्टेट फार्म में भ्रष्ट-प्रशासन

3682. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चेंगम, उत्तरी अरकाट जिले में स्थित सेंट्रल स्टेट फार्म की 10,000 एकड़, कृषि योग्य भूमि में से केवल 1,500 एकड़ भूमि पर ही खेती की जा रही है;

(ख) क्या सोवियत रूस द्वारा इस फार्म के लिए दिए गए पांच सीड ड्रिलरों को लम्बे समय से इस्तेमाल में नहीं लाया गया है ;

(ग) क्या उनकी सेवाओं को नियमित न करने, साप्ताहिक छुट्टी देने में इंकार किए जाने पर इन फार्म कर्मचारियों में आक्रोश है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का इस फार्म के भ्रष्ट प्रशासन की जांच कराने का विचार है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) चेंगम स्थित केन्द्रीय राज्य फार्म के अधिकार क्षेत्र के कुल 9648 एकड़ क्षेत्र में से लगभग 6,000 एकड़ क्षेत्र कृषि योग्य है। केवल 563 एकड़ क्षेत्र में सिंचाई होती है और शेष क्षेत्र वर्षा सिंचित फसलों के अन्तर्गत है। वर्ष 1979-80 में मानसून न आने के कारण फार्म केवल 1708 एकड़ क्षेत्र को फसलों के अन्तर्गत ला सका।

(ख) फार्म में उपलब्ध 5 बीज ड्रीलों में से तीन ने अपनी कार्य-अवधि से अधिक कार्य किया और अब वे बेकार पड़े हैं। शेष दो को खेती के काम में लाया जा रहा है।

(ग) जनवरी, 1981 में कुछ दैनिक कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया था। उनकी मांगों में अन्य बातों के साथ-साथ वेतन बढ़ाना, सवेतन साप्ताहिक छुट्टी तथा सेवाओं को नियमित करना शामिल है। भारतीय राज्य फार्म निगम न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के मुताबिक न्यूनतम मजदूरी दे रहा है। कर्मचारियों को अधिनियम के अनुसार साप्ताहिक छुट्टी दी गई है। चूंकि अधिनियम में साप्ताहिक छुट्टी का वेतन देने का उलेल्ख नहीं है, अतः निगम भी छुट्टी का वेतन नहीं दे रहा है।

(घ) प्रश्न नहीं होता।

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों को प्रवेश तथा उनकी नियुक्ति

3683. प्रो० सत्यदेव सिंह : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु अनूसूचित जातियों तथा अनूसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित 20 प्रतिशत कोटे को क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है ;

(ख) क्या जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में अनुसूचित जातियों तथा अनूसूचित जनजातियों के लिए गैर-अध्यापन कर्मचारियों की नियुक्ति में आरक्षित 20 प्रतिशत पद भी नहीं दिए जा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री शंकरराव चव्हाण) : (क) से (ग) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति से सम्बन्धित व्यक्तियों के लिए गैर-शिक्षण पदों में नियुक्तियों तथा दाखिलों, दोनों के मामले में आरक्षण के लिए, विश्वविद्यालय अनुदेशों का पालन कर रहा है।

तथापि, सरकार को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा आरक्षण के लिए अनुदेशों का पालन न किए जाने की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई है, और उनकी जांच की जा रही।

सर्व हितकारी को-आपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी

3684. श्री केशवराव पारधी : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सर्व हितकारी को आपरेटिव-हाउस बिल्डिंग सोसाइटी के प्रशासन ने सोसाइटी के मुख्य विवादों को सुलझाने के बाद, अक्तूबर, 1980 में सदस्यों को आश्वासन दिया था कि "लाटरी" नवम्बर, 1980 में निकाली जाएगी, किन्तु उन्होंने निर्धारित कार्यक्रमानुसार ऐसा नहीं किया और ये लाटरी अभी तक नहीं निकाली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं और इस लाटरी के कब तक निकाले जाने की सम्भावना है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश की स्वीकृति के लिए लम्बित सिंचाई परियोजनाएं

3685. श्री राम प्यारे पनिका : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश की सिंचाई परियोजनाएं स्वीकृति के लिए केन्द्र सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और अन्तिम निर्णय कब तक किया जाएगा ; और

(ग) इन परियोजनाओं पर केन्द्र सरकार द्वारा कब से विचार किया जा रहा है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी हां,।

(ख) मोदाहा बांध और भीमगोडा बराज नामक दो परियोजनाएं विचाराधीन हैं। इन परियोजनाओं पर योजना आयोग की सलाहकार समिति द्वारा विचार किया जा चुका है और योजना आयोग की स्वीकृति जारी की जानी है।

उत्तर प्रदेश से प्राप्त अन्य तेरह परियोजनाओं की केन्द्रीय जल आयोग में जांच कर ली गई है और टिप्पणियां राज्य सरकार को भेज दी गई हैं, जिनका उत्तर अभी आना है।

तीन अन्य परियोजनाओं के संबन्ध में मध्य प्रदेश, बिहार और हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों के जलमग्न हो जाने और निर्माण-कार्यों को क्रियान्वित किए जाने के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इन राज्यों की स्वीकृति अभी ली जानी है।

(ग) मौदाहा बांध परियोजना की रिपोर्ट केन्द्रीय जल आयोग को प्रारम्भ में 12 फरवरी, 1975 को और संशोधित परियोजना-रिपोर्ट 4 जुलाई, 1979 को प्राप्त हुई थी। भीमगोडा बराज परियोजना की रिपोर्ट 3 अक्तूबर, 1978 को प्राप्त हुई थी।

खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली में चोरी तथा सेंधमारी

3686. **श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली में चोरी और सेंधमारी की कितनी घटनाएं हुई हैं तथा उनका पूर्ण ब्यौरा क्या है ; और

(ख) इस सम्बन्ध में प्रबन्धकों द्वारा क्या कार्यवाही की गई है और किन व्यक्तियों को जिम्मेदार ठहराया गया है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) व (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली में चोरी/उठाईगीरी/सेंधमारी की 10 घटनाएं हुई थी। इन मामलों का ब्यौरा तथा उन पर की गई कार्यवाही अनुबंध में दी गई हैं।

विवरण

चोरी तथा उठाईगीरी का स्वरूप	तारीख	शामिल सामान	मूल्य (रुपये)	की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5
1. काऊंटर पर गुम	23-1-1978	एक सिल्क साड़ी	464.10	काऊंटर पर कार्य कर रहे व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है और उसकी विभागीय जांच की जा रही है।
2. चोरी	7-8-1978	तीन प्रिंटिड सिल्क साड़ियां	946.06	अपराधी को रंगे हाथों पकड़ा गया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ०आई०आर०) सं० 1073 के तहत 7-8-1978 को दर्ज कराई गई थी। मामला कोर्ट में अभी निलम्बित पड़ा हुआ है।
3. दौसा, जयपुर में एक स्टील के ट्रंक का गुम होना	13-6-1979	सिल्क का सामान	22,806.12	सामान के गुम होने के बारे में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ०आई०आर०) दौसा में दर्ज कराई गई थी। सामान उठाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय जांच की जा रही है।
4. काऊंटर नं० 5 से गुम	17-10-79	एक प्रिंटिड सिल्क साड़ी	163.10	विभागीय जांच की जा रही है।
5. -यथोपरि-	6-11-79	-यथोपरि-	180.55	

1	2	3	4	5
6. अन्तर्राष्ट्रीय उद्योग व्यापार मेला, मथुरा रोड़, नई दिल्ली में हुई हानि	13-11-79	सिल्क का सामान	1.552.40	व्यापार मेले में काऊंटर पर कार्य कर रहे कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय जाँच शुरू की गई है। रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।
7. काऊंटर नं० 6 पर हुई हानि	27-11 1979	सिल्क की साड़ियां	651.45	काऊंटर पर कार्य कर रहे कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय जांच शुरू की गई है।
8. गांधी जयन्ती विशेष छूट बिक्री के दौरान काऊंटर नं० 6 पर हुई हानि	16-10-1980	एक प्रिंटिड सिल्क साड़ी	300.00	विभागीय जाँच की जा रही है।
9. काऊंटर नं० 6 पर हुई चोरी	16-12-1980	एक प्रिंटिड सिल्क साड़ी	310.00	सिल्क साड़ी की चोरी करते समय एक महिला को रंगे हाथों पकड़ा गया था। उसे पुलिस को सौंप दिया गया था।
10. काऊंटर नं० 6 से गुम	3-1-1981	सिल्क की सात साड़ियां	1200.00	प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ०आई०आर०) पुलिस थाने में दर्ज कराई गई थी। विभागीय जांच भी की जा रही है।

महानगर में भीड़भाड़ कम करने के तरीके

3687. श्री चतुर्भुज :

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महानगरों की ओर गमन अथवा भीड़भाड़ को कम करने के लिए कुछ वर्षों में लगभग 200 छोटे और मध्यम श्रेणी के कस्बों का विकास किया जायेगा;

(ख) तत्सम्बन्धी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) लगभग 200 छोटे तथा मध्यम दर्जे के कस्बों, जिनकी प्रत्येक की जन संख्या एक लाख से कम है, के एकीकृत विकास की केन्द्र द्वारा प्रवर्तित एक योजना चालू योजना अवधि के दौरान चल रही है।

(ख) जिन कस्बों को केन्द्र द्वारा प्रवर्तित इस योजना के अन्तर्गत सहायता दी गई है उनके नाम राज्यवार अनुलग्नक में दिये गये हैं।

(ग) राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे इस योजना के मार्ग निर्देशनों के अनुसार कस्बों की परियोजनायें तैयार करें और इस मंत्रालय के अनुमोदन के लिए प्रेषित करें। प्राप्त योजना रिपोर्टों की जांच की जाती है और पात्र योजनाओं को उपयुक्त ऋण सहायता दी जाती है।

विवरण

केन्द्र द्वारा प्रवर्तित छोटे तथा मध्यम दर्जे के कस्बों के विकास की योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता का विवरण :

क्रम सं०	राज्य	कस्बें
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	1. अनकपाली
		2. रामचन्द्रपुरम
		3. तेनाली
		4. विजय नगरम
		5. भीमावरम

1	2	3
2.	असम	6. तिनसुखिया
		7. सिलचर
		8. जोहरहाट
		9. तेजपुर
3.	बिहार	10. गोपाल गंज
		11. हाजी पुर
		12. सहर्षा
4.	गुजरात	13. आनन्द
		14. पोरबन्दर
		15. उत्तर पाटन
		16. विरावल पाटन
		17. वलसाध
		18. पालन पुर
5.	केरल	19. कोट्टायम
		20. गुरुठयूर
		21. त्रिचूर
		22. कायाकुलम्
		23. तेली चेरी
		24. त्रिरूर
6.	महाराष्ट्र	25. बारसी
		26. मनमद
		27. पारली विजय नाथ
		28. यावत माल
		29. सतारा
		30. मनमद
		31. रतनागिरि
		32. आमलनेर
		33. कटोल

1	2	3
		34. प्रभानी
		35. कामथी
7.	मध्य प्रदेश	36. बिलासपुर
		37. दंवास
		38. खुजूराहो
		39. इटारसी
		40. रेवा
		41. कटनी
8.	उड़ीसा	41. पुरी
		43. सम्भल पुर
9.	पंजाव	44 पठानकोट
10.	राजस्थान	45. पाली
		46. बैरन
		47. भीलवाड़ा
		48. सीकर
		49. चूरू
		50 सुमरेपुर
		51. नाथद्वारा
		52. बाड़मेर
		53. गंगानगर
11.	तमिलनाडु	54. धर्मपुरी
		55. करूर
		56. पुद्दूकटाई
		57. उदूगमंगलम्
		58. गोवीछच्टी
		59. त्रिछगरू
		60. मनारगुडी

1	2	3
		61. पलानी
		62. मेट्टूपलायम
		63. छगंलपट्टी
		64. कन्नूर
		65. मनमैदुरैई
		66. धारापुरम
		67. अट्टूर
		68. त्रिवन्नामलैई
		69. उदमालपत
12.	उत्तर प्रदेश	70. आजमगढ़
		71. फतेहपुर
		72. जौनपुर
		73. हाथरस
		74. बान्दा
		75. बाराबकीं
		76. रायबरेली
13.	त्रिपुरा	77. उदयपुर
14.	गोवा दमन तथा द्वीव	78. पणजी

कुम्हारों के लिए तकनीकी सेवाएं तथा नकद सहायता योजना

3688. **श्री जयनारायण रोट** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुम्हारों के लिए तकनीकी सेवाओं तथा नकद सहायता उपलब्ध कराने के लिए एक योजना शुरू की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नकद सहायता के लिए अब तक कितने कुम्हारों ने आयोजन किया है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) व (ख) कुटीर कुम्हारी उद्योग खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के अधिकार क्षेत्र के अधीन ग्रामीण उद्योगों में से एक है। आयोग कुम्हारों को प्रशिक्षण सुविधाओं, सुधरी किस्म के औजारों तथा उपकरणों, शैड वाले सुधरे आवों, मिट्टी साफ करने के टैंकों, अभिकल्पों तथा कुशलताओं में सुधार के रूप में तकनीकी सेवाएं प्रदान करता है आयोग द्वारा कुम्हारों को तकनीकी सेवाएं सुलभ करने हेतु अधिकांश राज्यों में तकनीकी रूप से योग्यता प्राप्त कर्मचारियों को तैनात किया गया है।

आयोग द्वारा राज्य के खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्डों तथा संस्थाओं के माध्यम से कुम्हारों को वित्तीय सहायता सुलभ की जाती है। इस समय, औद्योगिक कुम्हारों को निम्न प्रकार की वित्तीय सहायता दी जाती है :

	अनुदान	ऋण	सीमा
	रु०	रु०	रु०
1. सुधरी किस्म के चाक अथवा	120	180	300
पाइप सांचों तथा अन्य किस्म के सांचों की खरीद	500	500	1000
2. शैला चाक	1315	1315	2630
3. कुम्हारों के औजार	25	25	50
4. आवां तथ शेड का निर्माण	750	750	1500
5. कार्यस्थल का निर्माण	500	500	1000
6. कार्य पूंजी	—	1000	1000

व्यक्तिगत सहायता के लिए अधिकतम सीमा अनुदान के रूप में 1295 रुपये अथवा 1775 रुपये और ऋण के रूप में 2455 रुपये अथवा 2775 रुपये निर्धारित की गई है। कुम्हारों को दो प्रकार की अधिकतम सीमाएं सुलभ की गई हैं ताकि वे अपनी उत्पादन गतिविधियों के लिए सुधरी किस्म के चाक अथवा पाइप सांचों का चयन कर सकें।

31-3-1980 को आयोग द्वारा या तो व्यक्तिगत रूप से अथवा एजेंसियों के माध्यम से 1,33,560 कुम्हारों को सहायता दी गई है।

आस्ट्रेलिया में भारतीय क्रिकेट टीम का असंतोषजनक खेल

3689. **श्री राजेश कुमार सिंह :**

श्री स्वामी इन्द्रवेश : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में आस्ट्रेलिया में भारतीय क्रिकेट टीम के असंतोषजनक खेल की ओर ध्यान दिया है ;

(ख) क्या सरकार का विचार भारतीय क्रिकेट टीम के असंतोषजनक खेल के कारणों की जांच करने के लिए जांच समिति नियुक्त करने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) (क) से (ग) भारतीय क्रिकेट टीम का खेल बहुत ही संतोषजनक रहा है क्योंकि श्रृंखला बराबर रही और खेर इसके पास ही रही । अत: कोई जांच समिति नियुक्त करने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्राईवेट स्कूलों और कालेजों पर नियंत्रण

3690. **श्री गुफरान आजम :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्राइवेट स्कूलों और कालेजों पर कोई नियंत्रण नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की संस्थाओं पर कार्यवाई न करने अथवा नियंत्रण न रखने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री शंकरराव चव्हाण) : (क) और (ख) प्राइवेट स्कूलों के कार्यकरण की व्यवस्था अपनी-अपनी राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों द्वारा उतनी ही सीमा तक की जाती है जितने संगत अधिनियमों तथा नियमों और विनियमों के अन्तर्गत व्यवस्था सम्बन्धी अधिकार उन्हें प्राप्त हैं ।

राज्यों में प्राइवेट कालेजों को अपने अनुरक्षण के लिए सम्बन्धित राज्य सरकारों से अनुदान प्राप्त होते हैं और अपनी अपनी राज्य सरकारों के सहायक अनुदान संहिता (कोड) द्वारा अभिशासित होते हैं । वे ऐसी शर्तों द्वारा अभिशासित होते हैं जो उनके सम्बद्धता के प्रयोजन के लिए सम्बन्धित विश्व विद्यालयों द्वारा निर्धारित की जाती है । प्राइवेट स्कूलों तथा कालेजों के प्रशासनिक नियंत्रण अथवा उनकी वित्तीय जुम्मेदारी केन्द्रीय सरकार की नहीं है ।

नादेड- किनवार आदिलाबाद ट्रंक लाइन पर भारी ट्रैफिक

3691. **श्री उत्तम राठौर :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नादेड- किनवार - आदिलाबाद ट्रंक लाइन ट्रंक ट्रैफिक के वहन न करने में असमर्थ है;

(ख) क्या इस लाइन पर कोई रिपीटर शुरू किया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) यह सच नहीं हैं। यह ट्रंक लाइन परियात को वहन करने में सक्षम है ।

(ख) जी हां। नादेह- आदिलाबाद 8 चैनल कैरियर प्रणाली के लिए किनवात में एक रिपीटर स्टेशन खोलने की योजना है।

(ग) उपर्युक्त कार्य के लिए प्राक्कलन मंजूर हो गया है। जिस ट्रंक लाइन पर यह प्रस्तावित 8 चैनल कैरियर प्रणाली कार्य कर सकती है उसके पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है।

केन्द्रीय आलु अनुसंधान संस्थान, शिमला में वैज्ञानिक

3692. **श्री कृष्ण दत्त सुलतानपुरी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय आलू अनुसंधान, संस्थान शिमला में वैज्ञानिकों की संख्या कितनी है और क्या उनके विरुद्ध कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री० आर०वी० स्वामीनाथन) : (क) केन्द्रीय आलू अनुसंधान, संस्थान शिमला में विभिन्न ग्रेडों में विज्ञानियों के 207 स्वीकृत हैं जिनमें से 154 पद भर लिए गये हैं और 53 खाली पड़ो हैं।

इस संस्थान के कर्मचारियों की तरफ से निदेशक के विरुद्ध कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं। मुख्य रूप से ये निदेशक द्वारा कुछ कर्मचारियों के परेशान करने, उत्पीडित करने और उनके स्थानान्तरण, निदेशक द्वारा अपनी महिला वैयक्तिक सहायक के साथ दुर्व्यवहार और प्रताड़न, प्रधानमंत्री राहत कोष के लिए एकत्रित धन का गबन तथा सामान्य नियमों और विनियमों का बिना पालन किए संस्थान में एक व्यक्ति की तकनीकी ग्रेड में एक पद पर नियुक्ति के सम्बन्ध में थे। इस संस्थान के किसी अन्य कर्मचारी के विरुद्ध दुर्व्यवहार या भ्रष्टाचार के आरोपों की कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं, यद्यपि कुछ विज्ञानियों के सेवा सम्बंधि मामलों के कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें प्रभागाध्यक्ष के रोटेशन' के लिए परिषद द्वारा विकसित गाइड लाइंस के अन्तर्गत उनके 'रोटेशन' के मामले शामिल हैं।

(ख) विज्ञानियों और अन्य कर्मचारियों के बीच असंतोष के कारणों का पता लगाने तथा यह जांच करने के लिए कि इस संस्थान का अनुसंधान कार्य परिषद द्वारा अनुमोदित गाइड लाइंस और अनुसंधान कार्यक्रमों के अनुसार किया जा रहा था, परिषद ने इस संस्थान के

कार्यकरण की जांच करने के लिए अपने दो उपनिदेशकों को प्रतिनियुक्त किया । उप महानिदेशक ने मुख्य रूप से निम्नलिखित आरोपों की जांच की :—

(I) श्री अशोक कुमार शर्मा, इस संस्थान के कनिष्ठ तकनीकी सहायक का स्थानान्तरण उनको परेशान करने के लिए शिलांग/जलंधर को करना ।

(II) केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान के तकनीकी सहायक श्री हरिदास का उत्पीड़न ।

(III) श्रीमती कमलेश शर्मा, केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान के निदेशक की भूतपूर्व वैयक्तिक सहायक श्रीमती कमलेश शर्मा की शिकायत उनके विरुद्ध अनैतिक व्यवहार के सम्बन्ध में ।

(IV) सामान्य नियमों और विनियमों का पालन न करते हुए श्री अशोक कुमार नगाइच की नियुक्ति ।

(V) प्रधानमंत्री राहत कोष का गबन ।

उप महानिदेशक की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात श्री अशोक कुमार शर्मा और श्री हरिदास को परेशान करने के सम्बन्ध में आरोपों की जांच परिषद द्वारा की गयी । यह पाया गया कि आरोपों का कोई आधार नहीं था । श्रीमती कमलेश शर्मा की शिकायतों के सम्बन्ध में, परिषद के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पहले ही एक जांच की जा चुकी है जिसमें यह पाया गया कि इसमें कोई अर्थ नहीं था । उपमहानिदेशकों ने महसूस किया था कि श्रीमती कमलेश शर्मा द्वारा आगे की जांच के लिए दिए गए तर्क समझ में आने वाले नहीं थे और इसलिए आगे जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं थी ।

निदेशक द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में से गबन के सम्बन्ध में शिकायत को सिद्ध नहीं किया जा सका ।

श्री ए० के० नगाइच की नियुक्ति को अनियमित पाया गया क्योंकि वह सम्बन्धित भर्ती नियमों के कड़ाई के साथ पालन करते हुए नहीं की गयी थी । इस सम्बन्ध में निदेशक, केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान को उपयुक्त परामर्श देने का प्रस्ताव है ।

सम्बन्धित विज्ञानियों से उनके सेवा सम्बन्धी मामलों में प्राप्त अभिवेदनों पर उपयुक्त कार्यवाही की जा चुकी है जिनमें प्रभाग अध्यक्षों के 'रोटेशन' के लिए परिषद द्वारा विकसित गाइड लाइंस के अन्तर्गत उनके 'रोटेशन' के मामले भी सम्मिलित हैं ।

डा० वी० कुरियन द्वारा कार्यभार से राहत दिए जाने के लिए अनुरोध

3693. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डा० वी० कुरियन दूध उत्पादन/वितरण सम्बन्धित अनेक संस्थानों के अभी भी चेयरमैन हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या उन्होंने सरकार से कहा है कि उनको इन में से कुछ पदों से मुक्त किया जाये, और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) डा० वी० कुरियन निम्नलिखित संस्थाओं, जिनसे कि सरकार का सम्बन्ध है, अध्यक्ष हैं ।

1. राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ।
2. भारतीय डेरी निगम ।
3. दिल्ली दुग्ध योजना की प्रबन्ध समिति ।
4. मदर डेरी की प्रबन्ध समिति ।

(ग) तथा (घ) डा० कुरियन ने सरकार से अनुरोध किया है कि उन्हें दिल्ली दुग्ध योजना तथा मदर डेरी की प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष पद से मुक्त कर दिया जाय । जहां तक दिल्ली दुग्ध योजना का सम्बन्ध है सरकार ने 31-3-81 से उनके इस अनुरोध को स्वीकार करने का निर्णय किया है ।

राज्य सरकार को खाद्यान्न की वसूली के लिए वित्तीय सहायता

3694. **श्री गदाधर साहा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ऐसे राज्यों को वित्तीय तथा ऋण सुविधायें देकर प्रोत्साहित करती है जो खाद्यान्न की वसूली का काम स्वयं करती हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को कितनी धनराशि दी गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) और (ख) राज्य सरकारें वसूली कार्य करने हेतु नकद ऋण सुविधाओं के लिए भारत के रिजर्व बैंक से सीधे ही पत्र-व्यवहार करती हैं । भारत सरकार उन मामलों में सिफारिश करती हैं जहां राज्य सरकारों से ऐसे अनुरोध प्राप्त होते हैं । पश्चिमी बंगाल सरकार के संबन्ध में भारत सरकार को चालू वर्ष के दौरान कोई विशिष्ट अनुरोध प्राप्त हुआ है ।

आदिवासी क्षेत्र में उत्पादन शुल्क नीति

3695. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आदिवासी क्षेत्रों के लिए उनके मंत्रालल द्वारा अपनाई गई कार्यान्वयय के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की भेजी गई उत्पादन शुल्क नीति क्या है ;

(ख) इस नीति के कार्यान्वयन से अब तक आदिवासी क्षेत्रों में शराब की बेचने की पद्धति खत्म करने के लिए राज्यवार बनाये गये कार्यक्रम, अधिनियम, और की गई कार्यवाही क्या है ;

(ग) उत्पादन शुल्क नीति के अपनाने और स्वीकार करने के पूर्व और बाद में आदिवासी क्षेत्रों मे राज्यवार शराब कि कितनी दुकानें खोली गई थीं और इन क्षेत्रों में दुकानों को समाप्त करने के लिए राज्यों द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ;

(घ) इन शराब की दुकानों के कारण आदिवासी क्षेत्रों में राज्यों द्वारा राज्यवार, प्रति वर्ष, अर्जित किया गया राजस्व कितना है और इन को समाप्त करने के बाद कितना घाटा हुआ ; और

(ङ) क्या उनके मंत्रालय ने उत्पादन शुल्क के राजस्व में हुए घाटे की प्रतिपूर्ति के लिए कोई तरीका ढूंढ़निकालने के बारे में राज्यों के साथ विचार विमर्श किया है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री शंकरराव चव्हाण) : (क) मद्यनिषेध राज्य विषय होने के कारण इस सम्बन्ध में वास्तविक नीति बनाना राज्यों का काम है। तो भी, केन्द्रीय सरकार ने इस विषय पर राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किए है :—

(1) जिन आदिवासी इलाकों में अब भी देशी शराब बेची जाती है, वहां 1 अप्रैल, 1979 से, यदि उससे पहले नहीं, देशी शराब की बिक्री को रोकने के लिए कदम उठाए जाएं ;

(2) जिन इलाकों में मद्यनिषेध लागू नहीं है तथा जहां पर परम्परागत प्रथा है, वहां लोगों को वाणिज्य प्रयोजन के लिए नहीं बल्कि अपने लिए और सामाजिक प्रयोजनों के लिए स्वयं शराब बनाने की इजाजत दे दी जाएं ;

(3) आदिवासिों में शराब के बुरे प्रभाव के सम्बन्ध में शैक्षिक प्रचार तेज किया जाए ; तथा

(4) मद्यनिषेध के सम्बन्ध में शैक्षिक कार्य शुरू करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवी संगठनों को प्रोत्साहित किया जाए।

(ख), (ग) और (घ) यह जानकारी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों से एकत्रित की जा रही है तथा जैसे ही यह प्राप्त होगी, इसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

(ङ) इस समय भारत सरकार मद्यनिषेध को लागू करने से आबकारी राजस्व में स्थापित हानि के 50% तक (1977-78) में इस स्रोत से राजस्व के संदर्भ में) राज्यों को प्रतिपूर्ति करती है।

इलेक्ट्रोनिक टेलीफोन की शुरुआत :

3696. **श्री नरसिंह मकवाना** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलेक्ट्रोनिक टेलीफोन कब और कहां शुरू किए जाएंगे और इस दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ख) क्या उस स्थिति में मौजूदा क्रासबार एक्सचेंज को उपयोग किया जायेगा ; और

(ग) इलेक्ट्रोनिक टेलीफोन शुरू करने के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) ऐसा समझा जाता है कि अपेक्षित सूचना इलेक्ट्रोनिक टेलीफोन उपस्करों के प्रयोग में लाने से सम्बन्धित हैं। ये अभी भी अनुसंधान और विकास के स्तर पर हैं और फिलहाल इनको हमारे टेलीफोन जालकार्य में प्रयोग में लाने की योजना नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

मुर्गीपालन के संरक्षण के लिए अखिल भारतीय मुर्गीपालन विकास निगम का स्थापित किया जाना

3697. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आंध्र प्रदेश पोलट्री फेडरेशन और चेयरमैन, आंध्र प्रदेश स्टेट मीट पोलट्री डैवलपमैंट कारपोरेशन लिमिटेड ने भारत सरकार को आवेदन पत्र भेजे थे जिनमें कहा गया है कि बम्बई में व्यापारियों द्वारा उपभोक्ताओं से प्राप्त मूल्यों में से मुर्गीपालन करने वालों को उचित मूल्य न दिए जाने के कारण आंध्र प्रदेश में मुर्गीपालन उद्योग संकट में है और

अखिल भारतीय मुर्गीपालन विकास निगम स्थापित करने का अनुरोध किया था जो मुर्गीपालन के हितों की रक्षा करेगा ; और

(ख) यदि हां तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश कुक्कुट संघ के अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश राज्य मांस और कुक्कुट विकास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष ने आंध्र प्रदेश में विपणन समस्याओं के सम्बन्ध में कृषि मंत्रालय को एक अभ्यावेदन भेजा था। कृषि मंत्रालय ने राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर अण्डों और कुक्कुट के विपणन का कार्य भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नाफेड) को सौंपा है। नाफेड आंध्र प्रदेश राज्य मांस और कुक्कुट विकास निगम की सहायता से आंध्र प्रदेश के किसानों द्वारा उत्पादित अण्डों की विपणन सम्बन्धी व्यवस्था करेगा।

पटसन का सांविधिक मूल्य

3698. **श्री डूगर लाल बैठा** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न श्रेणीयों की पटसन के लिए निर्धारित सांविधिक मूल्य बहुत कम है और उत्पादन लागत के अनुरूप नहीं हैं ;

(ख) पटसन की खाद बीज, आदि सहित उत्पादन लागत क्या है जोकि कृषि मूल्य निर्धारण समिति द्वारा स्वीकृत है और पटसन उत्पादकों से खरीद के लिए क्या न्यूनतम मूल्य (प्रति क्विंटल) निर्धारित किया गया है ;

(ग) पटसन के एक बोरे का प्रचलित बाजार मूल्य क्या है और उसकी उत्पादन, कच्चे माल, आदि की लागत कितनी है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार उत्पादकों के लिए न्यूनतम सांविधिक पटसन मूल्य का पुनरीक्षण करने का है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) सरकार, कृषि मूल्य आयोग की सिफारिश के आधार पर पटसन के लिए प्रत्येक वर्ष सांविधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित कर रही है। सांविधिक न्यूनतम मूल्य के उचित स्तर का निर्णय करते समय, कृषि मूल्य आयोग, फसल उत्पादन की लागत के उपलब्ध अनुमानों, आदानों के मूल्यों में सम्भाव्य परिवर्तन, प्रतियोगी फसलों के लिए आंकलित मूल्यों में हुए परिवर्तनों, फसल की संभावनाएं, व्यापार की शर्तों आदि पर विचार करता है।

(ख) 1978-79 के मौसम के लिए उड़ीसा से सम्बन्धित कच्चे पटसन के उत्पादन की लागत जिस पर कृषि मूल्य आयोग द्वारा विचार किया गया 147.08 रुपये प्रति क्विंटल की तथा 1980-81 के मौसम के लिए असम में डब्ल्यू-5 श्रेणी के पटसन के लिए निर्धारित सांविधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य 160 रुपए प्रति क्विंटल था। अन्य किस्मों तथा श्रेणियों के लिए तदनुरूपी मूल्य, बाजार में उनके सामान्य रूप से विद्यमान मूल्यों के सापेक्ष अन्तर को ध्यान में रखते हुए, पटसन आयुक्त द्वारा निर्धारित किये गये थे।

(ग) पटसन आयुक्त के कार्यालय से भेजी गयी सूचना के अनुसार, कलकत्ता में तुरन्त वितरण हेतु कच्चे पटसन की डब्ल्यू-5 श्रेणी के लिए 217.50 रुपए प्रति क्विंटल कच्ची सामग्री के मूल्य के आधार पर, बोरी की कीमत (टिवल्स बी की मानक किस्म 44 इं×26 1/2 ईंच-2-1/4 पौण्ड) (प्रति सैंकडा बोरी) 487.45 रुपये होगी। 25 फरवरी, 1981 को 100 बोरियों का विद्यमान बाजार मूल्य 416 रुपए था।

(घ) सरकार, इस सम्बन्ध में कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के बाद 1981-82 के मौसम के लिए कच्चे पटसन के सांविधिक न्यूनतम मूल्य में संशोधन करने के बारे में विचार करेगी।

उड़ीसा में उर्वरकों की मांग

3699. **श्री अनादि चरण दास** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य को वर्ष 1980-81 के दौरान विभिन्न प्रकार के उर्वरकों की कुल कितनी मात्रा का आवंटन किया गया है और इसको कितनी मात्रा उपलब्ध कराई गई ;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान उड़ीसा में विभिन्न प्रकार की उर्वरकों की कुल कितनी मांग थी ;

(ग) क्या सरकार का वर्ष 1981-82 के दौरान उर्वरक के कोटे में वृद्धि करने का प्रस्ताव है ;

(घ) यदि हां, तो उड़ीसा को विभिन्न किस्म के उर्वरकों की कुल कितनी मात्रा का आवंटन किया जा रहा है ; और

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) प्रत्येक फसल के मौसम के लिए उर्वरकों की कुल आवश्यकता का अनुमान मूल पौध पोषक तत्वों अर्थात नाइट्रोजन (एन), फास्टेट ($पी_2 ओ_5$) और पोटाश ($के_2 ओ$) के रूप में लगाया जाता है, न कि विभिन्न प्रकार के उर्वरकों के रूप में। राज्यों को उर्वरकों की

आवश्यकता और इसके आवंटन को प्रत्येक फसल मौसम से पूर्व आयोजित किए जाने वाले आंचलिक सम्मेलनों में राज्य सरकारों के परामर्श से अन्तिम रूप दिया जाता है। वर्ष 1980-81 के दौरान, (खरीफ 1980-फरवरी से जुलाई और रबी 1980-81-अगस्त से जनवरी) उड़ीसा की उर्वरकों की कुल निवल आवश्यकता इस प्रकार थी :

(मीटरी टनों में)

एन	पी	के	एन+पी+के
62890	14199	9504	86593

उपर्युक्त आवश्यकता की पूर्ण रूप से पूर्ति करने के लिए देशी विनिर्माताओं तथा आयातित उर्वरकों से आवंटन किया गया था।

(ग), (घ) तथा (ङ) खरीफ वर्ष 1981 के लिए उड़ीसा की उर्वरकों की कुल कृषि सम्बन्धी आवश्यकताएं, जिन्हे जनवरी, 1981 में आयोजित आंचलिक सम्मेलन में राज्य सरकार के परामर्श से अंतिम रूप दिया गया था (खरीफ-1980 की तदनुरूपी आवश्यकताओं के मुकाबले), इस प्रकार हैं :—

(मीटरी टनों में)

	एन	पी	के	एन+पी+के
खरीफ, 1981	36000	12000	7000	55000
खरीफ, 1980	32000	8562	6000	46562
प्रतिशतता वृद्धि	12.5	40.2	16.7	18.1

इस प्रकार से यह पता चलेगा कि खरीफ 1981 के लिए उर्वरकों की कुल अनुमानित आवश्यकताएं खरीफ, 1980 से अधिक हैं। जहां तक रबी, 1981-82 का सम्बन्ध है, इनकी आवश्यकता का अनुमान मौसम शुरू होने से पहले वर्ष के अंत में लगाया जाएगा।

ग्रामीण व्यावहारिक साक्षरता कार्यक्रम

3700. **श्री आर० के० महालगी** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत ग्रामीण व्यावहारिक साक्षरता कार्यक्रम पर 1979-80 के दौरान कितनी धनराशि खर्च हुई और राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम पर हुए कुल काम में इस पर कितना खर्च हुआ ;

(ख) 1980-81 के दौरान कितनी धनराशि खर्च किए जाने का विचार है ;

(ग) आगामी वर्ष के लिए खर्च का निर्धारण करने से पूर्व क्या शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत इस ग्रामीण शिक्षा योजना के सम्बन्ध में नमूने के तौर पर क्षेत्रीय अध्ययन कराया है ;

(घ) यदि हां, तो उस अध्ययन के निष्कर्ष क्या हैं और परिणाम उत्साहवर्द्धक हैं ; और

(ङ) 1979-80 के दौरान इस योजना से कितने ग्रामीण प्रौढ़ लाभान्वित हुए हैं और क्या ये आंकड़े लक्ष्य के अनुरूप हैं ?

शिक्षा तथा समज कल्याण मंत्री (श्री शंकरराव चव्हाण) : (क) प्रौढ़ शिक्षा की सभी केन्द्रीय/केन्द्र प्रायोजित योजनाओं पर हुए 872.93 लाख रुपए के कुल खच की तुलना में "ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजनाओं" की केन्द्र प्रायोजित योजना पर 1979-80 के दौरान हुआ खर्चा 524.90 लाख रुपये था ।

(ख) 1980-81 के दौरान इस योजना पर 534.30 लाख रुपए की राशि खर्च करने का प्रस्ताव है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) सरकार ने "ग्रामीण विकास के लिए कार्यात्मक साक्षरता तीन ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजनाओं का क्षेत्र अध्ययन" नामक एक पुस्तिका के रूप में इन अध्ययनों को प्रकाशित किया है । यह प्रकाशन संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं ।

(ङ) 1979-80 के दौरान ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजनाओं की योजना के अन्तर्गत प्रौढ़ों का दाखिला 11,57,462 था । ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजनाओं के लिए अलग से कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था ।

देश में प्रदूषित शहर

3701. **श्री के० मालन्ना** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने देश में प्रदूषित शहरों के बारे में कोई सर्वेक्षण करवाया है ;

(ख) यदि हां, तो उद्योगों के विकास के कारण जल प्रदूषण की गिरफ्त में कौन-कौन से शहर हैं ; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री मोहम नारायण सिंह) ! (क) जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण के केन्द्रीय बोर्ड ने देश के प्रथम श्रेणी के शहरों (संख्या 142)

शौर द्वितीय श्रेणी के शहरों (संख्या 195) में गन्दे पानी के संग्रहण, शोधन एवं निपटान की स्थिति के बारे में एक सर्वेक्षण किया है।

(ख) प्राथमिक सर्वेक्षण के आधार पर, निम्नलिखित शहरों में औद्योगिक स्त्रोतों से काफी जल प्रदूषण हुआ है। ये शहर बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली, अहमदाबाद, कानपुर, पुणे, बंगलोर, हैदराबाद, बड़ोदरा, कोचीन, एर्नाकुलम और विशाखापट्टम हैं।

(ग) जल प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण की व्यवस्था करने और जल की उपकारिता बनाए रखने और पुनःस्थापित करने के उद्देश्य से, सरकार ने जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 का कानून बनाया है।

क्योंझर जिला, उड़ीसा में आनन्दपुर के स्थान पर टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना

3702. **श्री हरिहर सोरन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास उड़ीसा के क्योंझर जिले में आनन्दपुर के स्थान पर एक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके लिए स्थल का चयन कर लिया गया है ; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) आनन्दपुर में 100 लाइनों और 50 कनेक्शनों की नाममात्र क्षमता वाला एक स्वचल एक्सचेंज कार्य कर रहा है।

(ख) एवं (ग) भूमि अधिग्रहण करने का तत्काल कोई प्रस्ताव नहीं है।

पश्चिम बंगाल के औद्योगिक शहरों के लिए सुधरी हुई टेलीफोन सेवा

3703. **श्री मोहम्मद इस्माइल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिम बंगाल के औद्योगिक शहरों में टेलीफोन सेवा में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : बिजली की सप्लाई न मिलने, विभिन्न विकासशील एजेंसियों द्वारा खुदाई कार्य करने तथा स्थानीय और जंक्शन की भूमिगत केबिलों की चोरी के कारण पश्चिमी बंगाल के औद्योगिक नगरों की दूर संचार सेवाएं बुरी तरह अस्त-व्यस्त हो जाती हैं भूमिगत केबिलों की चोरी को कम करने के लिए पश्चिमी बंगाल सरकार तथा बिजली की कटौती के मामले में विद्युत प्राधिकारियों के साथ निरन्तर सम्पर्क रखा जा रहा है। खुदाई के मामलों के लिए कलकत्ता महानगरीय विकास प्राधिकारी और मेट्रो रेलवे प्राधिकारियों के साथ निकट का समन्वय रखा जा रहा है।,

राज्यों को चीनी की सप्लाई

3704. **श्री मोहम्मद इस्माइल** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980 में राज्यों को, राज्यवार, चीनी का कितना कोटा आवंटित किया गया ;

(ख) वर्ष 1980 के दौरान विभिन्न राज्यों को, राज्यवार, कितनी चीनी भेजी गई ; और

(ग) उपरोक्त अवधि में राज्यों की राज्यवार, मांगें क्या थीं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) 17-12-1979 से चीनी पर आर्थिक नियन्त्रण की नीति को पुनः लागू करने से, 16-8-1978 को चीनी से नियन्त्रण हटाने से तुरन्त पूर्व की आंशिक नियन्त्रण की अवधि के दौरान दिए जा रहे लेवी चीनी के राज्यवार मासिक कोटों को बहाल कर दिया गया है। उचित दर की दुकानों से वितरण करने हेतु दिसम्बर, 1979 के एक भाग के लिए प्रत्येक राज्य को आवंटित की गई लेवी चीनी की मात्रा और पंचाग वर्ष 1980 के दौरान आवंटित किए गए मासिक कोटों का विवरण-एक में दिया गया है। इसके अलावा, सीमा सुरक्षा दल, सी० आर० पी० एफ० और आई० टी० बी० पी० के लिए भी लेवी चीनी की कुछ मामूली मात्राएं आवंटित की गई हैं।

(ख) 17 राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के प्रशासन फैक्ट्रियों से चीनी की वसूली करने और उनके प्रेषण करने के बारे में स्वयं प्रबन्ध कर रहे हैं और इसलिए उनके मासिक कोटों के प्रति फैक्ट्रियों के लिए आवंटन आदेश सीधे इन राज्य सरकारों के पक्ष में जारी किए जा रहे हैं। राज्य सरकारों के अनुरोध पर लेवी चीनी के आवंटन आदेशों की वैधता अवधि को भी समय-समय पर बढ़ा दिया जाता है ताकि वे जिस मास से कोटे सम्बधित हों, उस मास के बाद भी प्रेषणों की व्यवस्था कर समस्त आवंटित मात्रा को उठा सकें। जहां तक शेष 14 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों का सम्बन्ध है, आवंटन आदेश भारतीय खाद्य निगम के पक्ष में जारी किए जाते हैं, जोकि फैक्ट्रियों से चीनी को उठाने और उसे संबंधित राज्य सरकारों को सप्लाई करने की व्यवस्था करता है। 17-12-1979 से 31-12-1980 की अवधि के दौरान इन राज्य सरकारों के मासिक कोटों के प्रति भारतीय खाद्य निगम द्वारा फैक्ट्रियों से भेजी गई लेवी चीनी की मात्रा को बताने वाला विवरण-दो में दिया गया है।

(ग) राज्य सरकारें चीनी का आवंटन करने विषयक मांगों को पंचाग वर्ष के आधार पर नहीं भेज रही हैं। तथापि, कुछेक राज्य सरकारें अपने लेवी चीनी के मासिक कोटे में वृद्धि करने के लिए समय-समय पर अनुरोध करती रही हैं। ऐसे राज्यों के नाम, उनके द्वारा मांगे गए अधिक मासिक कोटे और वर्ष, 1980 के दौरान जिस महीने में उनसे अनुरोध प्राप्त हुए थे, का ब्यौरा विवरण-तीन में दिया गया है।

विवरण—1

राज्यवार लेवी चीनी के मासिक कोटे को बताने वाला विवरण

क्रम सं०	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	17-12-79 से 31-12-79 तक के लिए कोटा (मी० टन)	लेवी चीनी का मासिक कोटा (जनवरी से दिसम्बर, 80 तक (मी० टन)
1	2		3
1.	आन्ध्र प्रदेश	7699	20882
2.	असम	2780	7541
3.	मिजोरम	63	171
4.	बिहार	9928	26929
5.	गुजरात	5173	14031
6.	हरियाणा	1812	4915
7.	हिमाचल प्रदेश	585	1588
8.	जम्मू और काश्मीर	830	2250
9.	केरल	3869	10495
10.	मध्य प्रदेश	7678	20825
11.	महाराष्ट्र	9111	24743
12.	कर्नाटक	5241	14215
13.	नागालैंड	125	340
14.	उड़ीसा	3953	10723
15.	पंजाब	2420	6564
16.	राजस्थान	4703	12757
17.	तमिलनाडु	7293	19783

1		2	3
18.	उत्तर प्रदेश	15396	41761
19.	पश्चिमी बंगाल	8109	21994
20.	अण्डमान और निकोबार	70	190
21.	चण्डीगढ़	90	243
22.	दादर और नागर हवेली	13	36
23.	दिल्ली	1955	5304
24.	गोआ, दमन, दीव	173	470
25.	लक्षद्वीप	24	65
26.	मणिपुर	193	524
27.	मेघालय	182	493
28.	अरुणाचल प्रदेश	84	228
29.	पांडिचेरी	85	230
30.	त्रिपुरा	280	759
31.	सिक्कम	40	107.5

वितरण—2

भारतीय खाद्य नियम संचालित राज्यों के बारे में 17-12-1979 से 31-12-1980 तक फैक्ट्रियों से भारतीय खाद्य निगम द्वारा उठाई गई और भेजी गई लेवी चीनी की मात्रा

क्रम सं०	राज्य का नाम	17-12-1979 से 31-12-1980 तक फैक्ट्रियों से उठाई गई और भेजी गई लेवी चीनी की मात्रा (मीटरी टन)
1.	मध्य प्रदेश	222895.8
2.	उत्तर प्रदेश	476220.9
3.	उड़ीसा	113569.2
4.	दिल्ली	66804.8
5.	बिहार	297641.1
6.	पश्चिमी बंगाल	235642.4
7.	जम्मू तथा कश्मीर	25668.0

8.	असम	70069.2
9.	मेघालय	5253·0
10.	मिजोरम	1950.1
11.	अण्डमान	1664.6
12.	लक्षद्वीप	804.0
13.	अरुणाचल प्रदेश	2473.3
14.	चण्डीगढ़	3219.0

विवरण— 3

जिन राज्य सरकारों ने जनवरी, 1980 से दिसम्बर, 1980 तक अपने लेवी चीनी के कोटे में वृद्धि करने के लिए अनुरोध किया था उनके नामों को बताने वाला विवरण

(मीटरी टन)

	राज्य का नाम	वर्तमान मासिक कोटा	मांगा गया अधिक कोटा	वह माह जिसमें अनुरोध प्राप्त हुआ
1.	दिल्ली	5304	6,100	अगस्त और दिसम्बर, 1980
2.	पश्चिमी बंगाल	21,994	40,000	जून, 1980
3.	गुजरात	14,031	17,000	फरवरी, 1980
4.	सिक्किम	107.5	150	जुलाई, 1980
5.	चण्डीगढ़	243	300	अक्तूबर, 1980
6.	नागालैंड	340	500	नवम्बर, 1980
7.	दादर तथा नागर हवेली	36	50	मई, 1980
8.	गोआ	408	600	मई, 1980
9.	अण्डमान	190	225	मई, 1980
10.	उड़ीसा	10,723	12,000	अप्रैल, 1980
11.	अरुणाचल प्रदेश	228	350	मई, 1980
12.	हरियाणा	4,916	8,500	मार्च, 1980
13.	बिहार	26,929	40,000	मार्च, 1980
14.	उत्तर प्रदेश	41,761	50,000	जनवरी, 1980
15.	उड़ीसा	10,723	12,000	मार्च, 1980

ईस्ट आफ कैलाश, नई दिल्ली में अनधिकृत निर्माण

3705. **श्री ए०यू० आजमी :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामुदायिक केन्द्र, ईस्ट आफ कैलाश, नई दिल्ली में बहुमंजली कमर्शियल इमारतों के ऐसे कौन-कौन से मकान-मालिक हैं जिन्होंने दिल्ली विकास प्राधिकरण के अनुमोदित नक्शों का उल्लंघन करते हुए "मेजनिन फलोर" बना लिए हैं जिसके परिणामस्वरूप वे किराये से स्थायी आय अर्जित कर रहे हैं ;

(ख) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण निर्माण-कार्य के समय इन्हें रोकने में असफल रहा था और यदि नहीं, तो इस अवैध निर्माण-कार्य को रोकने के लिए इसने क्या कार्यवाही की थी ;

(ग) क्या अब कई वर्ष गुजरने के बाद दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इस गम्भीर आरोप को, नाममात्र जर्माना लगाकर ही जो इस अतिरिक्त कवर किए गये क्षेत्र से होने वाली आय क्षमता की तुलना में बहुत कम है, माफ कर दिया है ; और

(घ) क्या सरकार इस मामले को पुनः खुलवाएगी और इस घोर उल्लंघन के लिए दोषी व्यक्तियों को दंड दिलाने और दिल्ली विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों को इसे रोकने में उसकी असफलता और कानून तोड़ने वाले व्यक्तियों के साथ उनकी सांठ-गांठ के लिए दंड दिलाने हेतु उपर्युक्त कार्यवाही करेगी ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि सामुदायिक केन्द्र, ईस्ट आफ कैलाश में निर्मित बहुमंजिले वाणिज्यिक भवन के अधिकांश पट्टेदारों ने अनुमेय सीमाओं से अधिक मैजनीन फलोर का विस्तार किया है। मेजनीन फलोर पर अतिरिक्त स्थान का निर्माण डी-फार्म प्राप्त करने के पश्चात् किया गया है और इसका पता उस समय चला पार्टियों ने समापन/दखलकारी प्रमाण-पत्रों के लिए आवेदन किया।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि नीति संबंधी मामले के रूप में, अनधिकृत निर्माण को जिसके फलस्वरूप मैजनीन फलोर पर अतिरिक्त क्षेत्र का निर्माण हो गया है, निम्नलिखित दरों पर नियमित करने का निर्णय लिया गया है :—

(1) अनुमेय सीमा से अधिक 10 प्रतिशत तक	2 रुपये प्रति वर्ग फुट
(2) 10 प्रतिशत से अधिक 20% तक	50 रुपये प्रति वर्ग फुट
(3) 20 प्रतिशत से अधिक और 30 प्रतिशत तक	75 रुपये प्रति वर्ग फुट
(4) 30 प्रतिशत से अधिक	100 रुपये प्रति वर्ग फुट

इसके अतिरिक्त, प्लाट की कीमत अनुपात में अर्थात प्रीमियम का 50 प्रतिशत बढ़ायी जाएगी जिसे पट्टेदार को अधिवय विस्तार के लिए सामान्यतः भुगतान करना है इन मामलों पर उपर्युक्त निर्णय के आधार पर कार्रवाई की जा रही है अब तक किसी मामले को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(घ) उपर्युक्त (क), (ख) और (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नही उठता है।

आसाम में प्राचीन स्मारक

3706. **श्री संतोष मोहन देव** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में प्राचीन स्मारक, दरगाह, मन्दिर और पवित्र स्थानों का कोई सर्वेक्षण किया गया था जो वस्तु कला सौंदर्य प्राचीनता और लालित्यपूर्ण गुणों के लिए लोकप्रिय हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनके संरक्षण और सौंदर्य के रखरखाव के लिए क्या कदम उठाये गए हैं और कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी हां।

(ख) ऐसे अड़तालीस स्मारक तथा स्थल संरक्षित घोषित किए गए हैं, जो राष्ट्रीय महत्व के हैं। इनमें से कुछ संबन्धित संरक्षण-अधिसूचनाओं के अन्तर्गत एक से अधिक स्मारक सम्मलित हैं।

(ग) स्मारकों की संरचनात्मक मरम्मत, रासायनिक परिरक्षण तथा अनुरक्षण के लिए 50475 रु० की धनराशि आबंटित की गई है।

असम में बाढ़ नियत्रण संबन्धी उपाय

3707. **श्री सन्तोष मोहन देव** : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि असम के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित बाढ़ नियंत्रण संबन्धी उपायों का ब्यौरा क्या है ?

सिचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : असम सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान असम में बाढ़-नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय करने का प्रस्ताव किया है :—

(1) तटबंध	—	215 किलोमीटर
(2) तटबंधों को ऊंचा उठाना और उन्हें सुदृढ़ बनाना	—	714 किलोमीटर
(3) जल द्वारों (स्लुइसों) का निर्माण	—	24 (संख्या)
(4) जल निकास चेनल	—	124 किलोमीटर
(5) नगर सुरक्षा वर्क्स	—	45 (संख्या)
(6) तट सुरक्षा और कटाव-रोधी वर्क्स	—	57 (संख्या)
(7) गांवों/प्लेटफार्मों को ऊंचा उठाना	—	46 (संख्या)

(8) सुबनसिरी, दिहांग और देहिंग बांध परियोजनाओं का अन्वेषण ।

गाजीपुर में विश्व बैंक की सहायता से नलकूपों का लगाया जाना

3708. **श्री जैनल बशर** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979-80 के दौरान विश्व बैंक द्वारा दी गई सहायता से उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में कितने नलकूप लगाये जाने का प्रस्ताव था ;

(ख) उनमें से अब तक कितने नलकूप लगाये गए हैं ; और

(ग) इस कार्य में हुई प्रगति पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) 1979-80 में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में सरकारी नलकूपों के निर्माण की ऐसे कोई स्कीम नहीं थी, जिसका वित्तपोषण विश्व बैंक सहायता से किया जा रहा था । किन्तु उत्तर प्रदेश में दो वर्षों की अवधि में 500 सरकारी नलकूपों के निर्माण के लिए मई, 1980 में विश्व बैंक के साथ एक करार किया गया था, जिसमें गाजीपुर में 40 नलकूपों का निर्माण करना भी शामिल था ।

(ख) फरवरी, 1981 के अन्त तक उत्तर प्रदेश में कुल 500 सरकारी नलकूपों में से 24 सरकारी नलकूपों को चालू किया जाना था परन्तु अब तक केवल 14 नलकूपों को ही चालू किया गया

है। गाजीपुर में लगाए जाने वाले 40 नलकूपों में से अब तक 17 नलकूपों की ड्रिलिंग की गई है॥ इनके मई, 1981 तक ऊर्जित किए जाने की सम्भावना है।

(ग) हाल में केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थिति की समीक्षा करने के लिए एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार को सलाह दी गई थी कि निर्माणकार्य में तेजी लाई जाए। उत्तर प्रदेश सरकार ने जून, 1981 तक परिकल्पित सभी लक्ष्यों को पूरा करने का वचन दिया था और आशा है कि यह परियोजना निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूरी हो जाएगी।

भारतीय पोस्टल एम्प्लाईज यूनियन, महाराष्ट्र सर्किल का अभ्यावेदन

3709. **श्री आर० के० महालगी :** क्या संचार मंत्री महाराष्ट्र सर्किल, बम्बई के भारतीय पोस्टल एम्प्लाईज यूनियन के अभ्यावेदन के बारे में 8 दिसम्बर, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2272 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभाग इस बीच समय में पुनरीक्षण करने की मांग पर सहमत हो गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ; और

(ग) यदि मामले को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है, तो विलंब के क्या कारण है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) से (ग) मामले की जांच की जा रही है तथा निर्णय लेने में अभी कुछ और समय लग सकता है।

डाकियों को समयोपरि भत्ता

3710. **श्री सोमनाथ चटर्जी :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाकियों को, यदि वे सोमवार और त्यौहार की छुट्टियों से पूर्व अथवा बाद में अधिक कार्य करते हैं तो उन्हें समयोपरि भत्ते का भुगतान करने के कोई आदेश हैं ;

(ख) यदि कोई डाकिया अपने सामान्य कार्य के अतिरिक्त अनुपस्थित डाकिये का भी समस्त वितरण कार्य करता है तो उसे 4/—रुपये की समान दर से भुगतान करने पर सरकार विचार कर रही है; और

(ग) डाकियों द्वारा किए जा रहे अतिरिक्त कार्य के लिए उन्हें घन्टे की दर से समयोपरि भत्ता न दिए जाने के क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी नहीं :

(ख) कोई पोस्टमैन जिसे अपनी ड्यूटी के अतिरिक्त किसी अनुपस्थित पोस्टमैन का कार्य सौंपा जाता है, 4 रुपये प्रतिदिन की समान दर से समयोपरि भत्ते का हकदार है।

(ग) उन्हीं स्टाफ श्रेणियों को प्रति घंटे की दर से समयोपरि भत्ता दिया जाता है जिनके कार्य घंटे नियत है तथा जिनकी सही जाँच एवं गणना की जा सकती है। चूकि पोस्टमैन की ड्यूटी अधिकतर क्षेत्र में होती है और बहिरंग किस्म की है अतः ये शर्तें पूरी नहीं होती है।

पश्चिम बंगाल की मंजूरी के लिए लम्बित योजनायें

3711. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पेश की गई कुल ऐसी कितनी सिंचाई योजनाएं हैं जिनके लिए योजना आयोग द्वारा मंजूरी दी जानी है ; और

(ख) इन योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) पश्चिम बंगाल सरकार ने आठ बृहद और तीन मध्यम सिंचाई स्कीमें प्रस्तुत की हैं। इनमें से तीन बृहद स्कीमों नामशः अपर कंसवती जलाशय, बामनगोला-हबीबपुर और टनगोन घाटी स्कीमों की योजना आयोग की सलाहकार समिति द्वारा पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है और शेष आठ परियोजनायें केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों के उत्तर भेजने/अनुपालन के लिए राज्य सरकार के पास लम्बित पड़ी हैं।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया है।

विवरण

क्रम० संख्या	परियोजना का नाम	लाभान्वित होने वाला जिला	अनुमानित लागत (लाख रु०)	लाख (हजार हैक्टेयर)
1	2	3	4	5
बृहद स्कीमें				
1.	लोअर डोलांग जलाशय स्कीम	मिदनापुर	1136.00	20.3
2.	कंसवती जलाशय परियोजना का आधुनिकीकरण	पुरूलिया बांकुरा	2855.00	32.37
3.	दामोदर घाटी परियोजना बराज-सिंचाई आधुनिकीकरण स्कीम, चरण-एक, नहरों की चयनात्मक लाइनिंग	बांकुरा बर्दवान हुगली	1570.00	82.77

1	2	3	4	
4.	म्यूराक्षी नहर प्रणाली की लाइनिंग	बीरभूम मुर्शिदाबाद बर्दवान	2426.21	55.69
5.	तारापेनी जलाशय स्कीम	मिदनापुर	450.00	12.15
6.	अपर कसवती जलाशय परियोजना	पुरलिया बांकुरा	4384.00	59.115
7.	बामनगोला हबीबपुर सिंचाई स्कीम	मालदा	2167.65	31.09
8.	टनगोन घाटी सिंचाई स्कीम	पश्चिम दीनजपुर	1360 00	43.456
मध्यम स्कीमें				
1.	कुश कर्णी जलाशय स्कीम	बीरभूम	215.66	3.39
2.	गजोल लिफ्ट सिंचाई स्कीम	मालदा	216.00	18.765
3.	भैरव बांकी जलाशय स्कीम	बाँकुरा मिदनापुर	450 00	6.32

झींगा मछली के लिए नई टैक्नालाजी का उपयोग

3712. **श्री राम चन्द्र रथ** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार झींगा मछली के उत्पादन के लिए नई टैक्नालाजी का उपयोग करने और मछेरों की आर्थिक स्थिति सुधारने का है;

(ख) क्या विभिन्न राज्यों के जलाशयों में झींगा मछली की वृद्धि के लिए प्रयास किए जायेंगे; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में विस्तृत कार्यक्रम क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) देश के कुछ भागों में खारे पानी के क्षेत्रों में झींगा/मछली पालन का कार्य परम्परागत ढंग से शुरू किया गया है। लेकिन कुछ सुधार करके इसकी उत्पादकता में वृद्धि हो सकती है। अतः अनुसंधान संस्थाओं ने झींगा मछली पालन की तकनालोजी का और अधिक विकास करने के कार्य को उच्च प्राथमिकता दी है। भारत सरकार खारे पानी के मत्स्य फार्मों के लिए सम्भावित क्षेत्रों का निवेश-पूर्व सर्वेक्षण करने एवं एक पैकेज कार्यक्रम प्रारम्भ करने के बारे में एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है। राज्यों ने भी खारे पानी में मछली तथा झींगा मछली पालन के क्षेत्र में सहायता देने के लिए अपनी प्लान स्कीमों के अन्तर्गत धनराशि की व्यवस्था की है। अतः ये सभी योजनाएं छठी पंचवर्षीय योजना कार्यक्रम का अंग बन जायेंगी।

बहरामपुर, उड़ीसा में रेल डाक सेवा कर्मचारियों की कमी

3713. **श्री राम चन्द्र रथ** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा की बहरामपुर शाखा में रेल डाक सेवा कर्मचारियों की कमी के बारे में जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो डाक सेवा को सुचारु रूप से चलाने के लिए उस ब्रांच में भारी संख्या में रिक्त पदों को भरने के लिए उनके मंत्रालय द्वारा क्या प्रयास किए जाने का विचार है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है। और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

समुद्री मत्स्यग्रहण क्षमता

3714. **श्री रामचन्द्र रथ** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे देश में प्रति वर्ष समुद्र से कुल कितनी मछली पकड़ी जा सकती हैं ;

(ख) वर्ष 1979-80 में गहरे समुद से पकड़ी गई मछलियों में से समुद्री मछली का कुल उत्पादन कितना है ;

(ग) उपरोक्त अवधि में कुल उत्पादन (गहरे समुद्र से पकड़ी गई मछलियां) में से समुद्री मछलियों का कुल कितनी मात्रा में निर्यात किया गया ;

(घ) समुद्री मछलियों की कुल कितनी मात्रा देश में ही खपत के लिए रखी गई ;

(ङ) क्या चालू वर्ष में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के काम का विस्तार करके समुद्री मछली का निर्यात बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) अनुमान है कि भारत अपने एक मात्रा आर्थिक क्षेत्र से प्रति वर्ष 45 लाख मीटरी टन मछली पकड़ता है।

(ख) अनुमान है कि वर्ष 1979-80 के दौरान गहरे समुद्र से पकड़ी गई मछलियों की मात्ता लगभग 27,000 मीटरी टन थी।

(ग) वर्ष के दौरान गहरे समुद्र से पकड़ी गई मछलियों में से 21,000 मीटरी टन मछली तथा अन्य समुद्री उत्पादों का निर्यात होने का अनुमान है।

(घ) वर्ष 1979-80 में देश में खपत के लिए समुद्री संसाधनों से करीब 11.5 लाख मीटरी टन मछलियां उपलब्ध थी।

(ङ) जी हां।

(च) सरकार, आसान शर्तों पर ऋण देने, जलयानों को किराए पर लेने की अनुमति, संयुक्त उद्यम, जलयानों का चयनात्मक आयात, मछली पकड़ने वाले जलयानों का देश में निर्माण करने के लिए क्षमता का सृजन और ऐसे जलयानों के लिए राज सहायता देकर गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के कार्य को प्रोत्साहन दे रही है।

मयूरगंज जिले में राष्ट्रीय पार्क के रूप में सिमिलीपाल

3715. **श्री नारायण साहू** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मयूरभंज जिले में सिमिलीपाल को राष्ट्रीय पार्क के रूप में घोषित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या सरकार ने इस बारे में कोई जांच-पड़ताल की है ; और

(ग) क्या राज्य सरकार इस प्रस्ताव पर सहमत हो गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) जी हां। उड़ीसा राज्य सरकार ने सुझाव दिया है कि सिमिलीपाल बाग आश्रयस्थल के केन्द्रक क्षेत्र को एक राष्ट्रीय पार्क घोषित किया जाये।

(ख) जी हां। राज्य सरकार के प्रस्ताव की जांच करने के बाद भारत सरकार ने सिमिलीपाल बाग आश्रयस्थल के केन्द्रक क्षेत्र को राष्ट्रीय पार्क रूप में घोषित करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है।

(ग) जी हां। राज्य सरकार वन्यप्राणि (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत आगे कार्यवाही कर रही है।

बारानी कृषि में अनुसंधान

3716. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बारानी कृषि के क्षेत्र में कोई अनुसंधान किया गया है।

(ख) यदि हां, तो बारानी फसलों की उत्पादन प्रौद्योगिकी का प्रचार बारानी क्षेत्रों के किसानों में किस तरह किया जाता है ताकि वे उसका लाभ उठा सकें ; और

(ग) अनाज उत्पादन के क्षेत्र में इस प्रौद्योगिकी की उपलब्धियां क्या हैं ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां, श्रीमान्। बारानी क्षेत्रों में फसल उत्पादन बढ़ाने और उसे स्थिर करने के लिए उपयुक्त फसल उत्पादन प्रौद्योगिकी को विकसित करने हेतु अनुसंधान प्रयास तीसरे दशक के प्रारम्भ से ही प्रगति पर है। इस क्षेत्र में की गयी प्रगति को संक्षेप में निम्न प्रकार से बताया जा सकता है।

1. शुष्क कृषि पर फसल की उपज सुधारने के लिए संगठित अनुसंधान प्रयासों की शुरूआत वर्ष 1933 में तत्कालीन साम्राज्यवादी कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा रोहतक, शोलापुर, बीजापुर, रायचूर और हगारी नामक पांच स्थानों पर शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केन्द्रों को प्रारम्भ करके की गयी, जो दस वर्षों अर्थात 1943-44 तक चलाये गये।

2. पांचवें दशक के मध्य में मृदा संरक्षण अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना से भूमि उपयोग श्रेणियों, वर्षा की पद्धतियों, बहाव के एक भी करणों, उर्वरकों के उपयोग आदि जैसे उत्पादन के घटकों पर वांछित सूचनाएं मिल सकी।

3. बारानी क्षेत्रों में उत्पादन को अनिश्चितता की समस्या को ध्यान में रखते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान शुष्क कृषि पर एक बहु-स्थानीय समन्वित प्रायोजना कार्यान्वित की। आजकल, यह प्रायोजन 23 केन्द्रों पर चलायी जा रही है विवरण-एक। बारानी क्षेत्रों में अच्छी फसल उत्पादन प्राप्त करने के लिए यह केन्द्र बहु-शाखीय अनुसंधान गतिविधियां चला रहे हैं।

यह परियोजना छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि में उपयुक्त रूप से सुदृढ़ की जा रही है।

4. शुष्क क्षेत्र की खेती पर अखिल भारतीय समन्वित प्रायोजना के अलावा राज्यों के

कृषि विभाग, केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान/कृषि विश्वविद्यालय भी शुष्क खेती पर अनुसंधान कर रहे हैं।

(ख) निम्नलिखिति कार्यक्रमों के माध्यम से अनुभूत शुष्क भूमि प्रौद्योगिकी का प्रचार किया जा रहा है :—

1. पायलट प्रायोजनाएं,
2. परिचालन अनुसंधान प्रायोजनाएं,
3. राष्ट्रीय प्रदर्शन,
4. विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों/अनुसंधान संस्थानों/राज्यों के कृषि विभागों के विस्तार पार्श्व,
5. प्रशिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र/कृषि विज्ञान केन्द्र,
6. प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम।

अप्रैल, 1974 से मार्च, 1980 की अवधि के दौरान, सूखा पीड़ित क्षेत्र कार्यक्रम (डी० पी० ए० पी०) के अन्तर्गत 132 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को विकसित शुष्क भूमि फार्म पद्धति में सम्मिलित किया गया है।

(ग) शुष्क क्षेत्र प्रायोजना द्वारा खाद्यान्नों और मोटे अनाजों के प्रदर्शन बड़ी संख्या में किसानों के खेतों पर दिये गये हैं। इन प्रदर्शनों से यह स्थापित हो गया है कि अनुभूत शुष्क क्षेत्र प्रौद्योगिकी के अपनाने से किसी क्षेत्र की कृषि जलवायु और मृदा की समस्याओं पर निर्भर करते हुए उपज में वृद्धि का स्तर 60-150 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है।

परिषद् की शुष्क क्षेत्र अनुसंधान प्रायोजना ने देश में प्रत्येक क्षेत्र के लिए कुशल खाद्यान्न और मोटे अनाज प्राप्त करने हेतु अनेक अध्ययन किये हैं। सुधरी प्रौद्योगिकी के उपयोग से खाद्यन्नों और मोटे अनाजों की कुशल फसल प्रजातियों ने अधिक उपज प्रदान की है। उनकी उपज विवरण-दो में दी गयी है।

विवरण-1

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की शुष्क क्षेत्र परियोजना के अनुसंधान केन्द्रों की सूची

	राज्य	केन्द्रों का स्थान
क	समन्वय एकक	हैदराबाद
ख	केन्द्र-23	
	1. आंध्र प्रदेश	1) हयात नगर (हैदराबाद)

	2) अनन्तपुर
2. बिहार	3) राँची
3. गुजरात	4) दन्तीवाड़ा
	5) राजकोट
4. हरियाणा	6) हिसार
5. जम्मू और कश्मीर	7) राख धियांसर (जम्मू)
6. मध्यप्रदेश	8) इन्दौर
	9) रीवा
7. महाराष्ट्र	10) अकोला
	11) सोलापुर
8. कर्नाटक	12) हैब्बाल
	13) बेल्लारी
	14) बीजापुर
9. पंजाब	15) होशियार पुर
10. राजस्थान	16) जोधपुर
	17) उदयपुर
11. तमिलनाडु	18) कोविलपट्टी
12. उत्तर प्रदेश	19) झांसी
	20) वाणारसी
	21) आगरा
	22) देहरादून
13, उड़ीसा	23) भुवनेश्वर

विवरण-2

भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के लिए खाद्यान्नों और मोटे अनाजों की क्षमता और उनकी किस्में

क्षेत्र	फसल	किस्में	मौसमों का औसत	औसत उपज (क्विंटल प्रति-हैक्टेयर)
1	2	3	4	5
(क) फसल मौसम (20 सप्ताह)				
1. बल्लेरी	ज्वार	सी०एस०एच०-8 आर०	4	14
2. जोधपुर	बाजरा	एच०बी०-3	3	18
3. हिसार	बाजरा	बी०जे०-104	2	34
4. राजकोट	बाजरा	एच०बी०-3	3	18
5. बीजपुर	ज्वार	एम-35-1	2	21
(ख) फसल मौसम (20-30 सप्ताह)				
1. झांसी	ज्वार	सी०एस०एच०-5	2	22
	जो	रत्ना	3	25
	गेहूं	कल्याणसोना	3	20
2. हैदराबाद	ज्वार	सी०एस०एच०-6	4	36
3. उदयपुर	ज्वार	सी०एस०एच०-5	6	29
	मक्का	गंगा-5	6	18
	गेहूं	नर्बदा-4	3	15
4. सोलापुर	ज्वार	एस०पी०वी०-86	5	21
5. आगरा	जौ	रत्ना	5	21

1	2	3	4	5
6. आनन्द	बाजरा	एन०एच०बी०-5/ बी०जे०-104	3	14
7. अकोला	बाजरा	एच०बी०-3	3	16
	ज्वार	सी०एम०बी-4	3	18
(ग) फसल मौसम (30 सप्ताह)				
1. भुवनेश्वर	पहाड़ी क्षेत्र में बोया जाने वाला चावल	डी०आर०-92	5	21
2. वाराणसी	चावल	कावेरी	7	28
	मक्का	गंगा-2	6	21
	गेहूं	सी-306	5	24
	जौ	धार-129	3	36
3. होशियारपुर	मक्का	जे०एम०एल०-603/607	4	40
	गेहूं	पी०बी०-18/के-227	7	28
4. इन्दौर	मक्का	गंगा-5	5	43
5. रीवा	चावल	कावेरी	7	29
	गेहूं	सी-306	3	21
6. साम्बा	मक्का	गंगा सफेद-2	4	19
	गेहूं	कल्याण सोना	3	33
7. रांची	पहाड़ी क्षेत्रों में बोया जाने वाला चावल	बाला	6	30
8. देहरादून	पहाड़ी क्षेत्रों में बोया जाने वाला चावल	आर०पी० 79-5	5	44
	गेहूं	कल्याण सोना	3	27

सरकारी कर्मचारी सहकारी गृह निर्माण समिति, शांतिनिकेतन से अभ्यावेदन

3717. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को शांति निकेतन एसोसियेशन, नई दिल्ली से दिनांक 20 फरवरी, 1981 को अभ्यावेदन मिला है जिसमें अन्त: समिति विवाद में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया गया है जिसमें सरकारी कर्मचारी गृह निर्माण समिति लिमिटेड, नई दिल्ली नामक मुख्य निकाय शांतिनिकेतन प्लाटों के बारे में 10 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति की बढाई गई राशि को दिल्ली विकास प्राधिकरण के पत्र क्रमांक एफ० 15 (167) / 55—एल० एण्ड एच०/डी० डी० ए०/सी० एस० दिनांक 10 सितम्बर, 1970 में निर्धारित शर्तों का उल्लंघन करके काटे गए 82 अतिरिक्त प्लाटों की विक्रय राशि के विरुद्ध समायोजित करने में असफल रही ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) यह मामला विचाराधीन है।

मध्य प्रदेश में समेकित शहरी विकास

3718. **श्री शिव कुमार सिंह** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समेकित शहरी विकास के लिए केन्द्रीय सरकार की योजना हेतु मध्य प्रदेश में किन शहरों को चुना गया है ;

(ख) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसे शहरों के लिए और मंजूरी हेतु योजनाओं का ब्यौरा भेज दिया है ; और

(ग) इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं तथा केन्द्र द्वारा कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) छोटे तथा मध्यम शहरों के एकीकृत विकास की केन्द्र द्वारा प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश सरकार ने बिलासपुर, देवास, खजूराहो, इटारसी, रीवां तथा कटनी, मोरेना, रायगढ़, सागर, सतना तथा बुरहानपुर के बारे में परियोजना रिपोर्ट भेजी हैं।

(ख) परियोजना रिपोर्टों की जांच करने के पश्चात विलासपुर, देवास, खजूराहो, इटारसी रीवां तथा कटनी नगरों के लिए ऋण सहायता दे दी गई है।

(ग) योजना की मुख्य विशेषताएं तथा केन्द्र द्वारा वित्तीय सहायता की मात्रा निम्न प्रकार है :—

(1) इस योजना में 1971 की जनगणना के आधार पर 1 लाख या इससे कम आबादी वाले नगरों को शामिल किया जायेगा।

(2) उप मण्डलीय नगरों के मुख्यालयों या मण्डियों या अन्य महत्वपूर्ण उत्पादन केन्द्रों को वरीयता दी जाएगी।

(3) अनुमोदित योजनाओं के आधार पर प्रति नगर व्यय का स्तर 1 करोड़ रुपए के आस-पास होगा जिसमें से मार्गनिर्देशनों के अनुरूप की योजनाओं के लिए योजनावधि के दौरान 40 लाख रुपये तक की केन्द्रीय ऋण सहायता दी जायेगी और शेष राशि राज्य सरकार तथा कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा दी जायेगी।

(4) समानता के आधार पर सहायता के लिए पात्र घटक इस प्रकार हैं :—

(क) रिहायशी, वाणिज्यिक तथा औद्योगिक योजनाओं के लिए भूमि का अर्जन तथा विकास। रिहायशी योजना में ढांचों सहित या रहित स्थलों तथा सेवाओं को शामिल किया जायेगा।

(ख) यातायात तथा परिवहन।

(ग) दूर दराज क्षेत्रों में कृषि तथा ग्रामीण विकास के लाभ के लिए मण्डियों/मार्किटों, औद्योगिक सम्पदाओं तथा अन्य सेवाओं या प्रगति सुविधाओं का विकास।

(घ) राज्य सरकारों को अपने घटकों में गन्दी बस्ती सुधार की योजनाओं, नगर नवीकरण, जलपूर्ति तथा स्वच्छता, निवारक चिकित्सा सुविधाएं, पार्क तथा खेल के मैदान इत्यादि को शामिल करना चाहिए।

(5) इस बात पर बल दिया गया है कि नगर के स्थानीय निकायों को कार्यक्रम के बनाने में भाग लेने तथा उनके कार्यान्वयन और परिसम्पत्तियों का अनुरक्षण करने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए तथा उनको सहायता दी जानी चाहिए।

(6) केन्द्रीय सहायता ऋण के रूप में दी जाती है जिसको 25 वर्षों में 5 वर्ष की स्थगन अवधि सहित 5.5 प्रतिशत की ब्याज की दर पर अदा करना होता है।

बुरहानपुर भोपाल और बुरहानपुर-इन्दौर के बीच एम० टी० डी० सुविधा

3719. **श्री शिव कुमार सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में बुरहानपुर-भोपाल और बुरहानपुर-इन्दौर के बीच एस० टी० डी० सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ग) इन नगरों को एस० टी० डी० सुविधा के साथ कब तक जोड़ा जायेगा ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी हां ।

(ख) अपेक्षित स्विचिंग उपस्कर की सप्लाई के लिए आदेश दे दिए गए हैं ।

(ग) बुरहानपुर से भोपाल और इन्दौर के लिए एस० टी० डी० सुविधा 1983 में उपलब्ध कराये जाने की संभावना है ।

"यूनिरको" द्वारा चलाई गई ग्रामीण आवास योजनायें

3720. **श्री अनादि चरण दास** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "यूनेस्को" द्वारा देश में कुछ ग्रामीण आवास योजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी योजनायें शुरू करने का विचार है ;

(ग) इन योजनाओं को कब क्रियान्वित किया जाएगा ; और

(घ) "यूनेस्को" द्वारा चलाई जाने वाली उपर्युक्त ग्रामीण आवास योजनाओं का ब्यौरा है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) ऐसा प्रस्ताव मेरे मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को देखते हुए, प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) ऐसी कोई योजना मेरे मंत्रालय को प्रस्तावित नहीं की गई/भेजी नहीं गई है ।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की पुस्तकों का मुद्रण

3721. **श्री अनादि चरण दास** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979-80 और 1980-81 के दौरान राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की कुल कितनी पुस्तकों का मुद्रण सरकारी मुद्रण प्रेसों में हुआ है ;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की कितनी पुस्तकों का मुद्रण निजी प्रेसों मे कराया गया है ;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ सरकारी मुद्रण प्रेसें, विशेषकर जो मैसूर, चंडीगढ़ और भुवनेश्वर में स्थित हैं, बड़े पैमाने पर पाठ्य पुस्तकें छापने में काफी समर्थ है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् को मार्गदर्शी सिद्धांत देगी कि वह अपनी पुस्तकें ऐसे सरकारी मुद्रणालयों से छपवाए ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री शंकरराव चव्हाण) : (क) वर्ष 1979-80 तथा 1980-81 के दौरान सरकारी मुद्रणालयों में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की कोई पुस्तक मुद्रित नहीं की गई है ।

(ख) निजी मुद्रणालयों में मुद्रित पुस्तकों की संख्या निम्नलिखित है :—

1979-80	216 (दो सौ सोलह)
1980-81 (7 मार्च, 1981 तक)	171 (एक सौ इकहत्तर)

(ग) और (घ) यद्यपि, मैसूर, चंडीगढ़ तथा भुवनेश्वर स्थित सरकारी मुद्रणालयों में पैमाने पर पाठ्यपुस्तकें छापने की पर्याप्त सुविधाएं हैं फिर भी, वे वर्ष 1979-80 तथा 0-81 के दौरान राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद की पाठ्यपुस्तकों के मुद्रण को हाथ में लेने की स्थिति में नहीं थे ।

चतुर्थ श्रेणी डाक संवर्ग के कर्मचारियों के लिए मानक

3722. **श्री सुबोध सेन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्य अध्ययन दल द्वारा चतुर्थ श्रेणी डाक संवर्ग के कर्मचारियों के लिए गए मानक जारी किए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इनके कब तक जारी किए जाने की संभावना है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) से (ग) डाकघरों में लेटर बक्स चपरासी और पैकरों के पदों की मंजूरी के तदर्थ मानदण्ड दिसम्बर, 1974 में जारी किए गए गए थे। बाद में कर्मचारी पक्ष ने विभाग को यह सूचित किया कि उपरोक्त तदर्थ मानदण्ड कठोर हैं और इसलिए इन पर नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता है। विभाग ने इन संवर्गों के कर्मचारियों के लिए मानदण्ड तैयार करने का कार्य डाक तार निदेशालय की आंतरिक कार्य अध्ययन इकाई को सौंपा, जिसने नए मानदण्ड प्रस्तुत कर दिये हैं और उनकी जांच की जा रही है।

बिना टेलीफोन व्यवस्था के डाकघर

3723. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1980 के अन्त तक ऐसे डाकघरों की संख्या, राज्यवार, कितनी थी जहां टेलीफोन व्यवस्था नहीं है ;

(ख) वर्ष 1980 के अन्त तक कितने डाकघरों, राज्यवार में सार्वजनिक ट्रंक तथा स्थानीय टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध कराई गई ; और

(ग) सभी डाकघरों में कब तक टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने का सरकार का विचार है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) तथा (ख) इसका विवरण सभा पटल पर रखा जा रहा है।

(ग) सभी डाकघरों में टेलीफोनों की व्यवस्था करने के लिए समय नियत करना संभव नहीं है क्योंकि फिलहाल प्रत्येक डाकघर में टेलीफोन की व्यवस्था करने की कोई योजना नहीं है।

विवरण

31-12-80 तक टेलीफोन सुविधा से युक्त/वंचित डाकघरों की संख्या दर्शाने वाला विवरण :

सर्किल का नाम	टेलीफोन सुविधा से युक्त डाकघरों की संख्या	टेलीफोन सुविधा से वंचित डाकघरों की संख्या
1	2	3
1. आन्ध्र	4625	10967
2. बिहार	2355	7920

1	2	3
3. दिल्ली	254	90
4. गुजरात जिसमें दमन, दिव, दादरा व नगर हवेली शामिल हैं	1752	6654
5. जम्मू और कश्मीर	228	1064
6. कर्नाटक	2483	6801
7. केरल जिसमें मिनीकाय और लक्षदीप दीपसमूह शामिल हैं	2010	2523
8. मध्यप्रदेश	1797	8131
9. महाराष्ट्र जिसमें गोवा शामिल है	2289	9202
10. उत्तर पूर्व जिसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा शामिल हैं	853	4356
11. उत्तर पश्चिम जिसमें चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब शामिल हैं	1551	6894
12. उड़ीसा	872	6287
13. राजस्थान	1348	5736
14. तमिलनाडु जिसमें पांडिचेरी शामिल है	1060	5419
15. उत्तर प्रदेश	3362	13958
16. पश्चिम बंगाल जिसमें अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह और सिक्किम शामिल हैं	1416	5838
योग :	33255	101840

दिल्ली टेलीफोन सेवाओं में सुधार के लिए उपाय

3724. श्री बी० वी० देसाई : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐसे अनेक उपाय किए हैं जिनसे राजधानी और अन्य राज्यों में टेलीफोनों में कम गड़बड़ होगी ;

(ख) यदि हां, तो क्या उपाय किए गए हैं और सुधार किस सीमा तक किया गया है ;

(ग) क्या टेलीफोनों के गलत नम्बर मिलना अभी भी जारी है और टेलीफोन अधिक लम्बे समय तक खराब पड़े रहते हैं ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) इन खराबियों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ताकि टेलीफोन सुचारु रूप से काम करें ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी हां। देश की राजधानी तथा अन्य राज्यों में टेलीफोन सेवा में सुधार लाने के लिए लगातार प्रयत्न किए जा रहे हैं।

(ख) एक कार्यबल ने राजधानी में टेलीफोन सेवाओं की समस्याओं की जांच की तथा कुछ अल्प कालिक एवं दीर्घ कालीन उपायों की सिफारिश की इनमें से महत्वपूर्ण सिफारिशें इस प्रकार हैं :—

(1) जंक्शन तथा प्राथमिक केबिलों का दावीकरण।

(2) सभी टेलीफोन लाइनों तथा उपकरणों का व्यापक अनुसरण।

(3) केबिलों को अर्द्ध नलिकाओं से सुरक्षित रखना तथा नलिकाओं में केबिल बिछाना।

(4) एक्सचेंज उपस्कारों विशेषकर अंतर एक्सचेंज जंक्शन परिस्पर्धा का विशेष परीक्षण।

(5) दोष-मरम्मत सेवा के कार्य पर विशेष निगरानी रखना। अन्य राज्यों में भी इसी प्रकार के उपाय किए जा रहे हैं देश की टेलीफोन प्रणालियों के कार्यकरण पर लगातार निगरानी रखी जा रही है।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) में उल्लिखित उपायों से गलत कालों की घटनाओं तथा टेलीफोन लाइनें खराब रहने की अवधि को कम करने में सहायता मिलेगी। इस तरह की घटनाओं के मामले बहुत अधिक नहीं हैं।

(घ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) भाग (ख) में उल्लिखित उपायों से इन दोषों को दूर करने तथा टेलीफोन प्रणाली के कार्यकरण को सुचारु बनाने में सहायता मिलेगी।

राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के लिए हरियाणा को अनुदान

3725. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980 में राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अधीन हरियाणा सरकार को कुल कितना अनुदान दिया गया ; और

(ख) वर्ष 1981 के लिए क्या लक्ष्य है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री शंकरराव चव्हाण) : (क) वर्ष 1980-81 के दौरान, हरियाणा सरकार को, प्रौढ़ शिक्षा की केन्द्र तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत, 47,52,286.00 रु० की राशि स्वीकृत की गई है।

(ख) वर्ष 1981-82 के लिए हरियाणा का लक्ष्य 80,000 प्रौढ़ है।

हरियाणा में केन्द्रीय विद्यालय

3726. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा में अब तक कितने केन्द्रीय विद्यालय (नाम सहित) खोले गए हैं ;

(ख) क्या वर्ष 1981 में ऐसे विद्यालय खोलने का लक्ष्य निर्धारित कर लिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री शंकरराव चव्हाण) : (क) हरियाणा राज्य में अभी तक ग्यारह केन्द्रीय विद्यालय (सैंट्रल स्कूल) खोले जा चुके हैं। इन विद्यालयों के नाम तथा स्थान निम्नलिखित हैं :

1. केन्द्रीय विद्यालय नं० I, अम्बाला छावनी।

2. केन्द्रीय विद्यालय नं० II, अम्बाला छावनी।

3. केन्द्रीय विद्यालय नं० III, अम्बाला छावनी।

4. केन्द्रीय विद्यालय, चन्डी मन्दिर ।

5. केन्द्रीय विद्यालय नं० I, फरीदाबाद ।

6. केन्द्रीय विद्यालय नं० II, फरीदाबाद ।

7. केन्द्रीय विद्यालय, गुड़गांव ।

8. केन्द्रीय विद्यालय, झज्जर ।

9. केन्द्रीय विद्यालय, पिन्जौर ।

10. केन्द्रीय विद्यालय, पानीपत ।

11. केन्द्रीय विद्यालय, रिवाड़ी ।

(ख) और (ग) वर्ष 1981-82 के दौरान देश में 20 केन्द्रीय विद्यालय, असैनिक तथा सैनिक क्षेत्रों में खोले जाएंगे । इसके अतिरिक्त, कुछ केन्द्रीय विद्यालय उन स्थानों पर भी खोले जाने की सम्भावना है जहां उच्च अध्ययन की केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/संस्थाएं स्थित हैं ।

असैनिक तथा सैनिक क्षेत्रों में, केन्द्रीय विद्यालय उस स्थान पर सैनिक तथा पैरा मिलिटरी से सम्बन्धित व्यक्तियो सहित केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की संख्या को ध्यान में रख कर खोले जाते है बशर्ते कि वहां पर भूमि, भवन आदि जैसी अपेक्षित भौतिक सुविधाएं उपलब्ध हों । किसी राज्य/संघ शासित क्षेत्रो के लिए कोई कोटा निर्धारित नहीं किया जाता ।

शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन

3727. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का ध्यान शिक्षा प्रणाली में आमूल परिवर्तन सहित 54वें अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन के संकल्प की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार का क्या निर्णय है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री शंकरराव चव्हाण) : (क) 54वें अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन में पारित एक संकल्प जिसमें कई सुझाव शामिल हैं, सरकार को प्राप्त हो गया है ।

(ख) संकल्प में दिए गए सुझावों को नोट कर लिया गया है ।

प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए पृथक आयोग की मांग

3728. क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 54 वें अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन की इस मांग की ओर दिलवाया गया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की शिक्षा पद्धति के आधार पर शिक्षा पद्धति की स्थापना कीजाए ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री शंकरराव चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) इस तथ्य के बावजूद कि शिक्षा विषयों की समवर्ती सूची में है, प्राथमिक और माध्यमिक दोनों स्तरों की शिक्षा पूर्ण रूप से राज्यों के क्षेत्राधिकार में है। शिक्षकों के वेतनमान और स्थानीय निकायों अथवा राज्य सरकारों से सहायता प्राप्त विद्यालयों को दिए जाने वाले सहायता अनुदान की पद्धति प्रत्येक राज्य में अलग-अलग है। सारे भारत के लिए एक केन्द्रीय शिक्षा अनुदान आयोग के लिए, एक ही केन्द्रीय अनुदान आयोग से अनुदान मांगने वाले विभिन्न राज्यों के सैकड़ों-हजारों स्कूलों से निबटना, व्यावहारि रूप से असंम्भव होगा। इसके अलावा ऐसे अनुदान आयोग के वित्त पोषण के लिए केन्द्रीय सरकार की क्षमता भी सीमित है।

हिमाचल प्रदेश में अलग से रेलवे मेल सार्टिंग डिवीजन बनाने की मांग

3730. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और काश्मीर में एक अलग रेलवे मेल सार्टिंग डिवीजन मन्जूर किया गया है और खोला गया है तथा इसके अधीन दो सार्टिंग कार्यालय हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या हमीरपुर में मुख्यालय के साथ हिमाचल प्रदेश में एक अलग रेलवे मेल सार्टिंग डिवीजन बनाने की मांग सरकार को प्राप्त हुई हैं ;

(ग) सरकार द्वारा इस मांग पर क्या कार्रवाई की गई है, विशेष तथा जब हिमाचल प्रदेश के अधिकार क्षेत्र में पांच सार्टिंग कार्यालय आते हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो निर्णय किस तारीख तक लिया जायेगा ?

श्री संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी हां। एक रेल डाक सेवा मंडल की मंजूरी सितम्बर 1980 में दी गई थी जिसका मुख्यालय जम्मु में है तथा छंटाई कार्यालय श्रीनगर, जम्मू, अनन्तनाग, लेह बटांटे, ऊधमपुर, कथुआ और सांगोर में है।

(ख) जी हां।

(ग) तथा (घ) : मामले की जांच की जा रही है।

लुम्बिनी परियोजना

3731. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार भगवान बुद्ध के जन्म स्थान पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा शुरू की गई लुम्बिनी परियोजना में सहायता कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार द्वारा इस परियोजनार्थ कितनी राशि दी गई है ;

(ग) क्या सरकार लुम्बिनी परियोजना के लिए राष्ट्रीय समिति की स्थापना करेगी जैसा कि थाई लैण्ड, श्री लंका, भूटान और जापान की सरकारों द्वारा किया गया है ;और

(घ) यदि हां, तो इस समिति की स्थापना कब तक होने की सम्भावना है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1975 में 1,90,000-00 रुपये की राशि दी गई थी।

(ग) और (घ) एक राष्ट्रीय समिति गठित की गई है।

देहरा गोपीपुर पोस्टल डिवीजन, हिमाचल प्रदेश

3732. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में देहरा तहसील तथा इससे लगते हुए क्षेत्र में एक पृथक पोस्टल डिवीजन को मंजूरी दे दी गई है और खोला जा चुका है तथा इसका नाम देहरा गोपीपुर पोस्टल डिवीजन रखा गया है :

(ख) यदि हां, तो इस डिवीजन ने किस तिथि से काम करना शुरू किया है : और

(ग) यदि हां, तो इसके कार्यालयों को कब तक दोहरा गोपीपुर स्थानांतरित कर दिये जाने की सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) से (ग) जी हां, देहरा डाक मण्डल के नाम से एक नये डाक मंडल की मंजूरी दे दी गई है। जिसका प्रखण्डीय मुख्यालय देहरा गोपीपुर में है तथा जिसमें कांगडा मुख्य डाकघर एवं देहरा गोपीपुर मुख्य डाकघर तथा उनके लेखा के अन्तर्गत आने वाले उप डाक घर व शाखा डाकघर शामिल हैं। 21-10 1980 से इसने कार्य करना आरम्भ कर दिया है। फिलहाल यह कांगडा से कार्य कर रहा है। देहरा गोपीपुर में मंडल कार्यालय स्थापित करने के लिए उपयुक्त भवन उपलब्ध होते ही उसे वहां बदल दिया जाएगा।

ग्रामीण कुटीर उद्योगों का संवर्धन

3733. **श्री मनमोहन टुडु :** क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गैर कृषि क्षेत्र में ग्रामीण कुटीर उद्योगों के संवर्धन के लिए कोई व्यापक कार्यक्रम आरम्भ करने का है ;

(ख) इस कार्यक्रम के लागू होने पर लगभग कितने लोगों को लाभप्रद रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है ;

(ग) क्या यह कार्यक्रम उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्रों में भी शुरू किया जाएगा ;

(घ) यदि हां, तो क्या यह कार्यक्रम चालू वित्तीय वर्ष में लागू किया जाएगा ; और

(ङ) इस कार्यक्रम के बारे में ब्योरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० पी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां ।

(ख) 1984-85 के अन्त तक खादी तथा ग्रामोद्योग क्षेत्र में 50. 5 लाख व्यक्तियों को को लाभप्रद रोजगार उपलब्ध कराये जाने का अनुमान है ।

(ग) से (ङ) यह कार्यक्रम देश के सभी भागों, जिनमें उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्र भी शामिल हैं, में कार्यान्वित किया जा रहा है । देश के 5,011 विकास खण्डों में से प्रत्येक खंड में प्रतिवर्ष ग्रामीण, कुटीर तथा ग्रामोद्योगों के कार्यक्रम के अन्तर्गत 100 परिवार लाए जाएंगे उन्हें ग्रामीण, क्षेत्रों के लिए संगत कुशलताओं और शिल्पों में प्रशिक्षण दिया जाएगा । प्रशिक्षण पूरा करने पर उन्हें वित्त की सुविधाएं जिनमें सरकारी उपदान, औजार तथा उपकरण दुर्लभ और दुष्प्राप्य किस्म का कच्चा माल तथा माल के विपणन की सुविधाएं शामिल हैं, सुलभ की जाएगी ।

रघुमल आर्य कन्या उच्चतर माध्यमिक स्कूल, नई दिल्ली में अध्यापकों की भर्ती

3734 **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रघुमल आर्य कन्या उच्चतर माध्यमिक स्कूल (राजा बाजार) नई दिल्ली में 1978 में छुट्टी पर गये अध्यापकों के स्थान पर अनेक प्रशिक्षित महिला अध्यापकों की अस्थाई रूप से नियुक्ति की गई थी ;

(ख) क्या स्कूल की प्रबन्ध समिति ने सिफारिशों के साथ उनके मामले 18 अप्रैल, 1978 को शिक्षा विभाग को उनकी मंजूरी के लिऐ भेजे थे ;

(ग) क्या शिक्षा विभाग के लिए यह आवश्यक है कि वह 15 दिन के भीतर अपनी मंजूरी अथवा नामंजूरी दे परन्तु जो अध्यापक 28 महीनों से अधिक समय से वहां काम कर रहें हैं उनके मामले लम्बित हैं और उनको उनके वेतन भी नहीं दिये जा रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो क्या पिछले 28 महीनों से बिना वेतन काम कर रहे इन प्रशिक्षित अध्यापकों की सेवाओं को विनियमित करने के लिए कार्रवाई की जायेगी और इस बात के लिए कदम उठाये जाएंगे कि उनको बिना आगे बिलम्ब के उनके बकाया वेतनों की अदायगी की जाये ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री शंकरराव चव्हाण) : (क) दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार, रघुमल आर्य बालिका उच्चतर माध्यमिक स्कूल, नई दिल्ली द्वारा तीन व्यक्तियों को प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के रूप में नियुक्त करने से सम्बंधित विवरण की सूचना 1978 में भेजी गई थी और नियुक्ति की स्वीकृति दिल्ली स्कूल शिक्षा नियमावली, 1973 के नियम 98 के अन्तर्गत दी गई थी।

(ख) स्कूल की प्रबन्ध समिति ने एक उम्मीदवार को प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (एम० आई० एल०) के रूप में 21-7-1978 से नियुक्त करने की स्वीकृति के लिए प्रार्थना भेजी थी।

(ग) दिल्ली स्कूल शिक्षा नियमावली, 1973 के नियम 98 के उप-नियम (4) के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त स्कूल की प्रबन्ध समिति द्वारा की गई नियुक्तियों की सूचना उप-नियम (3) के अन्तर्गत नियुक्ति की तारीख से सात दिन के अन्दर प्रबन्ध समिति द्वारा भेजी जाती है। यदि नियुक्ति को अस्वीकृति नियुक्ति की विवरण-सम्बन्धी सूचना प्राप्त होने की तारीख से 15 दिन के अन्दर नहीं भेजी जाती है तो नियुक्तियां स्वीकृत समझी जाएँगी। एक प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक को 21-7-1978 से नियुक्त करने के मामले में दिनांक 28-7-1978 का नोटिस 11-8-1978 को ही प्राप्त हुआ था और अस्वीकृति की सूचना 30 नवम्बर, 1978 को भेजी गई थी। इसलिए नियुक्ति को 21-7-1978 से 20-11-1978 तक स्वीकृत समझा जायेगा बशर्ते कि नियुक्ति के विवरण की सूचना 21-7-1978 से लेकर 7 दिन के अन्दर भेज दी गई हो और इसके अलावा यह भी शर्त है कि पद-निर्धारण के मानदण्डों के अनुसार प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (एम० आई०एल०) का पद रिक्त हो। उक्त प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक) एम० आई० एल०) की नियुक्ति स्वीकृत नहीं की गई थी क्योंकि प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (एम० आई० एल०) का पद 21-7-1978 से रिक्त नहीं था। अतः स्कूल की प्रबन्ध समिति तथा उक्त प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के बीच ठेके के अन्तर्गत की गई सेवा का भुगतान करने के लिए समिति उत्तरदायी है। फिर भी, सरकार दिल्ली स्कूल शिक्षा नियमावली, 1973 को नियम 66 में यथा निर्धारित पद-निर्धारण के मानदंडों के अलावा नियुक्त किए गये स्टाफ के लिए कोई सहायक अनुदान नहीं दे सकती।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बायज टेक्नीकल सीनियर सैकेण्डरी स्कूल, कश्मीरी गेट, दिल्ली

3735. श्री चन्द्रपाल शैलानी :

श्री हीरालाल आर० परमार : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली शिक्षा निदेशालय, कश्मीरी गेट, दिल्ली में बायज टेकनीकल सीनियर सैकेंडरी स्कूल चला रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त स्कूल की कक्षाएं भवन के बरामदों में लग रही हैं जबकि कश्मीरी गेट पोलीटेकनीक के कब्जे में पहले जो दो भवन थे वे खाली पड़े हैं और उनमें ताला लगा हुआ है ; और

(ग) उक्त स्कूल की कक्षाएं लगाने के लिए खाली पड़े भवनों का उपयोग करने की अनुमति न देने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री शंकरराव चव्हाण) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) दिल्ली प्रशासन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार लड़कों के टेक्निकल सीनियर सेकन्डरी स्कूल के भवन को असुरक्षित घोषित किया गया है। इसलिए, कश्मीरी गेट पोलिटेक्निक के भवन के बरामदे में कक्षाएं चलाने की व्यवस्था की गई है। कश्मीरी गेट पोलिटेक्निक भवन को खाली करा के ले लेने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। अन्यथा, ऐसा न होने पर कोई दूसरा-स्थान- स्कूल को दिया जाएगा।

विदेश में शैक्षिक समारोह में भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारी

3736. श्री दयाराम शाक्य : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी से दिसम्बर तक की अवधि में विदेश में होने वाले शैक्षिक समारोहों में कुल कितने सरकारी कर्मचारियों को भाग लेने की अनुमति दी गई थी ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री शंकरराव चव्हाण) : जनवरी से दिसम्बर, 1980 की अवधि के दौरान, शिक्षा और संस्कृत मंत्रालय तथा इससे सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के 69 अधिकारियों को प्रशिक्षण प्राप्त करने तथा शिक्षा के क्षेत्र में, बैठकों/सम्मेलनों/सेमिनारों में भाग लेने के लिए विदेश भेजा गया था।

भारतीय खाद्य निगम में भ्रष्टाचार

3737. श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 23 जनवरी, 1981 के "हितवाद" में और दिनांक 18 जनवरी, 1981 के "बुलन्द आवाज" में प्रकाशित तथा प्रबन्ध निदेशक, भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली को भारतीय खाद्य निगम कर्मचारी संघ, जबलपुर से दिनांक 23 जनवरी, 1981 के एक ज्ञापन में बताये गये भारतीय खाद्य निगम, जबलपुर में व्याप्त कदाचारों और भ्रष्टाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसमें किन कदाचारों का उल्लेख किया गया है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) भारतीय खाद्य निगम को भारतीय खाद्य निगम कर्मचारी संघ, जबलपुर से दिनांक 23 जनवरी, 1981 का एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था । इस ज्ञापन के साथ दिनांक 23 जनवरी, 1981 के 'हितवाद' और दिनांक 18 जनवरी, 1981 के बुलन्द आवाज की प्रेस कटिंग भी संलग्न थी ;

(ख) समाचार पत्रों और ज्ञापन में जो आरोप लगाये गये हैं वे जबलपुर जिले में स्थित भारतीय खाद्य निगम के खाद्यान्न भण्डार डिपो में व्याप्त भ्रष्टाचारों के बारे में हैं । भ्रष्टाचार के मुख्य आरोप ये हैं । फ्लोर मिलों को 'क' श्रेणी का गेहूं 'ग' श्रेणी के रूप में जारी करना और खाद्यान्नों को कम तोल कर, उसको देने में देरी और अनियमितता करके उचित दर के दूकानदारों को परेशान करना । निगम के फील्ड यूनिटों को निदेश दिया गया है कि वे इस मामले की जांच करें ।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए विदेशों के साथ संयुक्त उद्यम

3738. श्री मनमोहन टुडू : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गहरे समुद्र में मछली पकड़ने तथा नये उत्पादों के विपणन के लिए किसी अन्य देश के सहयोग से कोई संयुक्त उद्योग आरम्भ करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सेवा निवृत इन्जीनियरों का स्वीकृत मूल्यनिर्धारण के रूप में पंजीकरण

3739. प्रो० अजित कुमार मेहता : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मूल्यांकन लेख बनाये जाने के बाद में डिप्लोमाधारी कार्यकारी इन्जीनियर/सहायक इन्जीनियर बनकर और संपदा शुल्क निर्धारण प्रयोजनों के लिए एक जैसे अधिकारों के साथ वही कार्य कर रहे हैं जो स्नातक कार्यकारी इन्जीनियर/सहायक इन्जीनियर करते हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से सेवा निवृत्ति के बाद डिप्लोमा धारी कार्यकारी इन्जीनियरों/सहायक इंजीनियरों को स्वीकृती मूल्य निर्धारक के रूप में पंजीकृत नहीं किया जा रहा है, यदि नहीं तो क्यों ; और

(ग) क्या उक्त डिप्लोमाधारी इन्जीनियरों की सेवा निवृत्ति के बाद सरकार का विचार उनको भी धन कर तथा सम्पदा शुल्क प्रयोजनों के लिए स्वीकृत मूल्य निर्धारक के रूप में पंजीकरण हेतु पात्र मानने का है जैसा और कि डिग्री धारी इन्जीनियरों के मामले में किया जा रहा है, यदि नहीं तो क्यों ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) डिप्लोमा अर्हताधारी सेवा निवृत्ति कार्यकारी इन्जीनियर/सहायक इंजीनियर सम्पति कर नियमावली के नियम 8 क (2) I और दिनांक 1.8.75 के सम्पदा शुल्क नोटिस के पैरा (I) (I) की शर्तों में क्रमशः सम्पति कर और सम्पदा शुल्क के प्रयोजनार्थ अनुमोदित मूल्य निर्धारक के रूप में पंजीकरण के पात्र नहीं हैं ।

नर्मदा सिंचाई योजना के लिए गुजरात को वित्तीय सहायता

3740 **श्री छोटू भाई गामित :**

श्री आर0 पी0 गायकवाड :

श्री माधवराव सिंधिया : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने नर्मदा सिंचाई योजना के लिए पूरी वित्तीय सहायता देने का गुजरात सरकार को आश्वासन दिया है ;

(ख) यदि हां, तो नर्मदा सिंचाई योजना पर कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है और इसमें से कितनी धनराशि केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये जाने की संभावना है ; और

(ग) शेष धनराशि की व्यवस्था किस तरह की जायेगी और तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) नर्मदा परियोजना (सरदार सरोवर परियोजना) पर 2755 करोड़ रुपये लागत आने का अनुमान है । भारत सरकार द्वारा कोई धनराशि उपलब्ध नहीं की जा रही । लेकिन, परियोजना को विश्व बैंक से सहायता लेने के लिए प्रस्तुत किया गय है ।

निर्यात के लिए का चीनी नया ग्रेड

3741. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निर्यात के लिए चीनी का नया ग्रेड शुरू करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) : जी नहीं ।

(ख) : प्रश्न ही नहीं उठता ।

गाभीरार डाकघर, जिला सिवान का दर्जा बढ़ाया जाना

3742. **श्रीमती कृष्णा साही** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बिहार के सिवान जिले में 40 वर्ष पुराने गाभीरार डाकघर को उप-डाक घर के रूप में दर्जा बढ़ाने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाई की गई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सिवान जिले में गाभीरार, पंजीवार और निकुटी में सावजनिक टेलीफोन केन्द्र

3743. **श्रीमत कृष्णा साही** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिवान जिले के रघुनाथपुर ब्लाक में गाभीरार, पंजीवार और निकुटी में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र है ;

(ख) क्या यह सच है कि गत चार माह से टेलीफोन तारों में खराबी के कारण गाभीरार में सारी टेलीफोन व्यवस्था ठप्प हो गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं ?

संचार मंमंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी हां । रघुनाथपुर ब्लाक के गाभीरार, पंजीवार और निकुटी में सार्वजनिक टेलीफोन घर उपलब्ध हैं ।

(ख) जी नहीं। पिछले चार महीनों के दौरान कुछ व्यवधान उत्पन्न हुए थे, जिनकी ओर तुरन्त ध्यान दिया गया ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

गायों और भैंसों की जनन क्षमता का कम होना

3744. **श्री के० मालन्ना :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण क्षेत्रों में दुधारू पशुओं में जनन क्षमता का न होना और एक बार बच्चा देने तथा पुनः गर्भधारण करने में बहुत अधिक समय होने के मामले बहुत अधिक हो रहे है;

(ख) क्या यह भी सच है कि गायों और भैंसों में गर्भधारण करने की स्थिति प्राप्त करने में विलम्ब होने तथा उनमें जनन क्षमता के कम हो जाने के कारण पशु पालने वालों को भारी हानि हो रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके कारणों का अध्ययन किया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) (क) से (घ) देश के विभिन्न भागों में दूधारू पशुओं में बांझपन तथा पुनः गर्भधारण में लम्बा अन्तर होने के मामले सामने आये हैं । प्रजनन क्षमता का गाय और भैंसों की उत्पादकता पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है । अतः कम प्रजनन क्षमता वाले पशुओं के मालिकों का इसकी वजह से नुकसान उठाना पड़ता है । सम्बन्धित सरकारी विभाग/ अनुसंधान संगठन प्रजनन क्षमता में आने वाली कमी के कारणों का अध्ययन करते रहे/कर रहे हैं । अपर्याप्त पशु आहार/ कुपोषण तथा परजीवी पर्याक्रमण जिसके फलस्वरूप उनकी स्थिति खराब हो जाती है, जैसे अन्य घटक कम प्रजनन के मुख्य कारण हैं, उदाहरणार्थ परपक्वता में विलम्ब होना, पुनः गर्भधारण के अन्तराल का बढ़ जाना, इनोस्ट्रस आदि । प्रजनन क्षमता के अन्य कारण आनुवांशिकीय/हारमोन/ विशेष और सामान्य दैहिक रोगों तथा नर/मादा की जननेंद्रियों संक्रमण से उत्पन्न होने वाली प्रजनन की विभिन्न असंगतियां है ।

किराए के भवनों में काम कर रहे डाक व तार कार्यालय

3745. **श्री पी०के० कोडियन :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने डाक व तार कार्यालय किराये के भवनों में काम कर रहे हैं ;

(ख) इन किराये के भवनों के कारण डाक व तार विभागों को हर वर्ष कुल कितना किराया देना पड़ता है ;

(ग) अगले पांच वर्षों में डाक व तार कार्यालयों के लिए विभाग के अपने भवनों का निर्माण करने की योजनाएं क्या है ; और

(घ) इन योजनाओं की अनुमानित लागत कितनी है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

(ग) पहले से ही निर्माणाधीन 380 डाकघर भवनों के अतिरिक्त वर्ष 1980-85 के दौरान 275 और डाकघर भवनों के निर्माण का प्रस्ताव है । इसी प्रकार उक्त अवधि के दौरान 40 प्रतिशत केन्द्रीय और विभागीय तारघरों के लिए, जो इस समय किराए के भवनों में कार्य कर रहे हैं, 80 तारघर भवनों के निर्माण का प्रस्ताव है ।

(घ) इन योजनाओं की अनुमानित लागत डाकघरों के लिए 47.30 करोड़ रुपये और तारघरों के लिए 17 करोड़ रुपये है ।

विश्वविद्यालय को सरकारी नियंत्रण में लिया जाना

3746. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने कुछ विश्वविद्यालयों को अपने नियंत्रण में लेने और उन्हें केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के रूप में चलाने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार से एक ऐसा अनुरोध किया गया है कि देश के कुछ विश्वविद्यालयों को वह केन्द्रीय विश्वविद्यालय बना ले ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री शंकरराव चव्हाण) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) समय-समय पर कुछ राज्य विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय विश्वविद्यलयों में बदलने के बारे में सुझाव प्राप्त होते रहे हैं । कुछ ही समय पहले ऐसे सुझाव पटना विश्वविद्यालय,

(ख) इन किराये के भवनों के कारण डाक व तार विभागों को हर वर्ष कुल कितना किराया देना पड़ता है ;

(ग) अगले पांच वर्षों में डाक व तार कार्यालयों के लिए विभाग के अपने भवनों का निर्माण करने की योजनाएं क्या है ; और

(घ) इन योजनाओं की अनुमानित लागत कितनी है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

(ग) पहले से ही निर्माणाधीन 380 डाकघर भवनों के अतिरिक्त वर्ष 1980-85 के दौरान 275 और डाकघर भवनों के निर्माण का प्रस्ताव है । इसी प्रकार उक्त अवधि के दौरान 40 प्रतिशत केन्द्रीय और विभागीय तारघरों के लिए, जो इस समय किराए के भवनों में कार्य कर रहे हैं, 80 तारघर भवनो के निर्माण का प्रस्ताव है ।

(घ) इन योजनाओं की अनुमानित लागत डाकघरों के लिए 47.30 करोड़ रुपये और तारघरों के लिए 17 करोड़ रुपये है ।

विश्वविद्यालय को सरकारी नियंत्रण में लिया जाना

3746. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने कुछ विश्वविद्यालयों को अपने नियंत्रण में लेने और उन्हें केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के रूप में चलाने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार से एक ऐसा अनुरोध किया गया है कि देश के कुछ विश्वविद्यालयों को वह केन्द्रीय विश्वविद्यालय बना ले ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री शंकरराव चव्हाण) : (क) ी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) समय-समय पर कुछ राज्य विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय विश्वविद्यलयों लने के बारे में सुझाव प्राप्त होते रहे हैं । कुछ ही समय पहले ऐसे सुझाव पटना विश्वविद्यालय,

पटना, सागर विश्वविद्यालय, सागर, रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर तथा सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी के बारे में दिए गए थे ।

पाली जिले में विश्व बैंक सहयोग से हैंडपम्पों की स्थापना

3747. **श्री मूल चन्द डागा :** क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के पाली जिले में विश्व बैंक के सहयोग से लगाये गए नलकूपों की संख्या क्या है तथा प्रत्येक तहसील में किन स्थानों पर पम्प लगाये जा रहे हैं ;

(ख) क्या हैण्ड पम्पों के लगाए जाने के लिए आदेश जारी कर दिये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उनकी कुल संख्या क्या है तथा ये पम्प किन स्थानों पर लगाये जा रहे हैं तथा इनका व्यय कौन वहन करेगा ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) राजस्थान के पाली जिले में सिंचाई के प्रयोजनों के लिए नलकूपों और हैंडपम्पों की ऐसी कोई स्कीम नहीं है जिसका वित्तपोषण विश्व बैंक की सहायता से किया जा रहा हो ।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए ये सवाल पैदा नहीं होते ।

बाढ़ नियन्त्रण सम्बन्धी अध्ययन-दल की रिपोर्ट

3748. **श्री जर्नादन पुजारी :**

श्री रामचन्द्र रथ :

श्री अमर राय प्रधान :

श्री राजेश कुमार सिंह :

स्वामी इन्द्रवेश :

श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

श्री रामावतार शास्त्री :

श्री अर्जुन सेठी : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा बाढ़ नियन्त्रण के लिए उपायों का सुझाव देने हेतु नियुक्त अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट दे दी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सिफारिशों की मुख्य बातें क्या हैं और इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया है ?

11. केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा बाढ़ नियन्त्रण वर्क्स को कारगर रूप से मानीटरिंग करना ।

कार्यकारी दल की सिफारिशों के बारे में राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श किया गया था और छठी पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप देते समय इनका ध्यान रखा गया था ।

अध्यापकों के वेतन का बकाया

3749. **श्री छोटू भाई वसावा :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन में टी० जी० टी० (जनरल और गृह विज्ञान अध्यापकों) के वेतन के बकाया से सम्बन्धित अनेक बिल लम्बित पड़े हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो छः वर्ष से अधिक की अवधि के कितने मामले हैं ;

(ग) इतनी लम्बी अवधि तक उन्हें लम्बित रहने दिए जाने के क्या कारण है ; और

(घ) इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री शंकरराव चव्हाण) : (क) से (घ) दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार सात टी० जी० टी० के वेतन के बकाया बिल लम्बित पड़े हैं । इनमें से केवल तीन मामले ही छः से अधिक वर्षों से लम्बित पड़े हैं । इन मामलों में दावे की जांच के लिए केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति अपेक्षित है । दिल्ली प्रशासन को सलाह दी गई है कि ये मामले शीघ्र प्रस्तुत किए जाएं । यह मामले मुख्यतः उन अध्यापकों के सम्बन्ध में हैं जिनका एक स्कूल से दूसरे स्कूल में कई बार स्थानान्तरण हुआ तथा शिक्षा निदेशालय में उनकी सेवा पुस्तिकाएं उपलब्ध नहीं थी । इनमें एक मामले में अध्यापक की वार्षिक वेतन वृद्धि रोक दी गई थी तथा उसे पुनः चालू करने का निर्णय काफी समय के बाद लिया जा सका ।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार

3750. **श्री राम विलास पासवान :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार पद के लिए निर्धारित अर्हताएं क्या हैं ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री शंकरराव चव्हाण) : जवाहरलाल नेहरू विश्व-विद्यालय के रजिस्ट्रार पद के लिए निर्धारित अर्हताएं निम्नलिखित हैं :—

(क) प्रथम अथवा उच्च द्वितीय श्रेणी में मास्टर डिग्री अथवा उसके समकक्ष अर्हताएं ।

(ख) किसी विश्वविद्यालय अथवा उच्च शिक्षा संस्था या किसी ऐसे ही संगठन में किसी उत्तरदायित्वपूर्ण पद पर कार्य करने का पर्याप्त अनुभव ।

(ग) विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कार्यों तथा बैठकों को आयोजित करने के सम्बन्धित कार्य को संभालने की योग्यता ।

(घ) वित्त तथा लेखा-समस्याओं को समझना, सार्वजनिक सम्बन्धों के प्रति अभिरुचि विश्वविद्यालय तथा इसके विकास की बौद्धिक प्रक्रियाएं ।

उच्च शैक्षिक तथा व्यावसायिक विशेष योग्यता वाले व्यक्तियों के मामलों में इन अर्हताओं में से किसी भी अर्हता में छूट दी जा सकती है।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के उप-कुलपति का रिक्त पद

3751. **श्री राम विलास पासवान** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के उपकुलपति का पद कब से रिक्त पड़ा है ;

(ख) अब तक विश्वविद्यालय का उपकुलपति नियुक्त न किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) विश्वविद्यालय का उपकुलपति कब तक नियुक्त किया जायेगा ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री शंकरराव चव्हाण) : (क) 14 अक्तूबर, 1980 ।

(ख) और (ग) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति से सम्बन्धित कार्रवाई की जा रही है और आशा है कि इस मामले में निर्णय शीघ्र ही ले लिया जाएगा ।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय पुनरीक्षण समिति को समाप्त किया जाना

3752. ***श्री राम विलास पासवान :***

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के संकाय सदस्य और कुछ वरिष्ठ प्रोफेसर लगातार यह मांग करते रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय पुनरीक्षण समिति को समाप्त किया जाए और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय अधि-नियम, 1966 के अन्तर्गत उक्त विश्वविद्यालय के कार्यकरण की जांच की जाए ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार ने विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों द्वारा की गई मांग को मान लिया है, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री शंकरराव चव्हाण) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय के 24 अध्यापकों ने जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष होने के नाते भारत के राष्ट्रपति को सम्बोधित अपने अभ्यावेदन में विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद् द्वारा समीक्षा समिति की नियुक्ति की वैधता को चुनौती दी है और यह अनुरोध किया है कि (1) उनकी याचिका पर निर्णय लिए जाने तक समिति के कार्य-संचालन को आस्थगित रखा जाए, (2) समिति का गठन करने वाले कार्यकारी परिषद् के संकल्प को रद्द करने के लिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 8 (8) के अन्तर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किया जाए, और (3) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 8 (2) और 8 (3) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय की जांच करने के लिए आदेश दिया जाए ।

(ग) कानूनी प्राधिकारियों के परामर्श से इस अभ्यावेदन की जांच की गई है और सरकार को यह सलाह दी गई है कि कार्यकारी परिषद् ने अपने अधिकारों के अन्दर ही समीक्षा समिति की नियुक्ति की थी ।

रोहिणी आवास कालोनी दिल्ली

3733. **श्री राम विलास पासवान :**

श्री राजेश कुमार सिंह : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने हाल ही में दिल्ली में रोहिणी आवास कालोनी बसाने की घोषणा की है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह कोई नई कालोनी नहीं है और कुछ समय पहले वर्ष 1978 में भूतपूर्व मुख्य कार्यकारी पार्षद द्वारा इसकी नींव रखी गई थी ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में भारत सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 'रोहिणी' योजना की घोषणा कर दी है ?

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मध्य प्रदेश में सिंचाई क्षमता बढ़ना

3754. श्री शिव कुमार सिंह : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश, विशेषकर दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश में सिंचाई क्षमता बढ़ाने की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो उस क्षेत्र में दिसम्बर, 1980 तक कार्यान्वित की गई योजनाओं का ब्योरा क्या है ; और

(ग) शेष कार्यों का ब्योरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (ग) मध्य-प्रदेश में, जिसमें दक्षिण-पश्चिम मध्य प्रदेश भी शामिल है सिंचाई क्षमता के सृजन के लिए कई वृहद और मध्यम सिंचाई स्कीमें पूरी की जा चुकी हैं और कई निर्माणाधीन हैं।

1951 के बाद विभिन्न योजना-अवधियों में पूरी की गई सीमा, निर्माणाधीन स्कीमों और छठी योजनावधि के दौरान हाथ में ली जाने वाली प्रस्तावित स्कीमों का ब्योरा नीचे दिया गया है :—

अवधि	स्कीमों की संख्या	सम्पूर्ण मध्य प्रदेश के सिंचाई क्षमता (हजार हैक्टेयर में)	मध्य प्रदेश के दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्र की सिंचाई क्षमता (हजार हैक्टेयर में)
1. योजनागत स्कीमें (जो पूरी हो चुकी है)	48 (1 वृहद+47 मध्यम)	197.37	24.29
2. निर्माणाधीन स्कीमें	86 (22 वृहद+64 मध्यम)	2287.82	559.70
3. छठी योजना में प्रस्तावित स्कीमें	84 (23 वृहद+61 मध्यम)	1382.64	340.92

उपर्युक्त स्कीमों के अतिरिक्त, मध्य प्रदेश सरकार ने कई लघु सिंचाई स्कीमों को पूरा कर लिया है और कई स्कीमें निर्माणाधीन हैं जिनसे 1979-80 के अन्त तक कुल 1.55 मिलियन हैक्टेयर की सिंचाई क्षमता प्राप्त हुई।

राष्ट्रीय चीनी संस्थान से पास होकर निकलने वाले छात्रों की संख्या

3756. श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कानपुर से कुल कितने छात्र पास होकर निकलते है ;

(ख) क्या यह संख्या छठी योजना के लक्ष्य प्राप्ति के लिए पर्याप्त होगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इस बारे में सरकार का विचार क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें 1975 से वर्षवार पास होकर निकले छात्रों की संख्या बताई गई है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) केन्द्रीय सरकार से प्रशिक्षित कार्मिकों की अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरी तरह पूरा करने की अपेक्षा करना व्यवहार्य नहीं होगा । केन्द्रीय चीनी उद्योग और राज्य सरकारों को अपनी ओर से केन्द्रीय सरकार के प्रयत्नों में जो कमी होगी उसे पूरा करना होगा ।

विवरण

राष्ट्रीय शर्करा संस्था, कानपुर से पास होकर निकले छात्रों की संख्या इस प्रकार रही है : - प्रवेश लिए उम्मीदवारों की संख्या

पाठ्यक्रम	1975	1976	1977	1978	1979	1980
1	2	3	4	5	6	7
ए०एन०एस०आई० (शर्करा तक०)	41	51	50	53	54	56
ए०एन०एस०आई० (शर्करा इंजी०)	13	15	15	18	18	19
इण्डस्ट्रियल फरमनटेशन एण्ड अलकोहल टैकनोलाजी में डिप्लोमा	31	17	12	15	18	18
शुगर इन्जीनियरिंग सर्टिफिकेट कोर्स	9	9	10	10	7	13

1	2	3	4	5	6	7
शुगर बोयलिंग सर्टिफिकेट कोर्स	36	30	58	63	42	50
खण्डसारी सुपरवाइजर सर्टिफिकेट कोर्स	8	2	2	1	3	2
प्री-हारवेस्ट केन मच्योरटी सर्वे सर्टिफिकेट कोर्स	2	6	6	3	4	7
खण्डसारी कारीगर कोर्स	8	3	—	8	—	—

इंजीनियरिंग कालेजों द्वारा लिया जाने वाला प्रति व्यक्ति शुल्क

3757. श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डिप्लोमा और डिग्री पाठ्यक्रमों वाले ऐसे इंजीनियरिंग कालेज की राज्यवार संख्या कितनी है जो छात्रों के प्रवेश की पूर्व शर्त के रूप में प्रति व्यक्ति शुल्क की मांग करते हैं ;

(ख) प्रत्येक कालेज द्वारा लिये जा रहे ऐसे शुल्क की राशि कितनी है ; और

(ग) क्या सरकार ने इस प्रथा को खत्म करने के लिए कोई कार्रवाई की है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री शंकरराव चव्हाण) : (क) मंत्रालय द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार केवल कर्नाटक और आन्ध्र की राज्य सरकारों ने ही ऐसे प्राइवेट इन्जीनियरी कालेजों की स्थापना के लिए अनुमति दी है जो छात्रों के दाखिले की पूर्व-शर्त के रूप में प्रति छात्र शुल्क की मांग करते हैं चालू शैक्षिक सत्र तक खोले गये ऐसे कालेजों की संख्या कर्नाटक में 25 और आन्ध्र प्रदेश में 10 है।

(ख) कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार कर्नाटक के छात्रों के लिए प्राइवेट इंजीनियरी कालेजों में प्रति छात्र शुल्क की दर 5,000 रुपये है और विदेशी छात्रों सहित गैर-कर्नाटक छात्रों के लिए प्रति छात्र शुल्क 10,000/= रुपये है। आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार आन्ध्र प्रदेश में प्रति छात्र शुल्क 25,000/=रुपये है।

विभिन्न कालेजों द्वारा वास्तविक रूप से वसूल की जा रही सही राशि का पता नहीं है।

(ग) जी, हां। इस मामले में उचित कार्रवाई करने के प्रश्न पर सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में स्कूल आफ कम्प्यूटर साईसिस में कम्प्यूटरों पर खर्च की गई धनराशि

3758. **श्री जैनुल बशर** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में स्कूल आफ कम्प्यूटर साइंसिस में कम्प्यूटरों पर कितनी धनराशि खर्च की गई है ;

(ख) कम्प्यूटरों की संख्या कितनी है और उनमें से कितने ठीक काम कर रहे है ;

(ग) स्कूल में संकाय सदस्यों की संख्या कितनी है और गत तीन वर्षों में उनमें से कितने विदेशों के दौरे पर गये हैं ; और

(घ) क्या स्कूल के कार्यकरण की जांच करने के लिए कोई उच्च स्तरी समिति नियुक्त करने का सरकार का विचार है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री शंकरराव चव्हाण) : (क) 36,81,488 रु०

(ख) जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार विश्वविद्यालय में तीन संगणक हैं जिनमें से दो बिल्कुल ठीक हालत में हैं ।

(ग) इस समय स्कूल के दस संकाय सदस्यों में से पिछले तीन वर्षों में चार विदेश गए ।

(घ) जी, नहीं ।

केन्द्रीय सेवाओं में विकलांग कर्मचारियों के लिए आरक्षित "सलेक्शन ग्रेड"

3759. **श्री निहाल सिंह** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में जांच कराई है कि केन्द्रीय सेवाओं में कार्य कर रहे विकलांग कर्मचारियों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के समान आरक्षित "सलेक्शन ग्रेड" अभी तक नहीं दिये जा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकारी सेवाओं में, मंत्रालयवार, कितने विकलांग कर्मचारी काम कर रहे हैं और उनमें से कितने कर्मचारियों को "सलेक्शन ग्रेड" दिये गए हैं ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) विकलांग व्यक्तियों के लिए सेवाओं में आरक्षण से सम्बन्धित कार्यकारी आदेशों में व्यवस्था की गई है कि आरम्भिक नियुक्ति के समय केन्द्रीय सरकार के विभागों में "ग" और "घ" वर्गों के

पदों में 3% पद/सेवाएं आरक्षित किए जायेंगे । "सलेक्शन ग्रेडों" में आरक्षण के संबंध में इस समय कोई आदेश नहीं है । इसलिए प्रश्न नहीं उठता है ।

"ट्रैफिक हैम्पर्ड आजाद मार्कीट सलवेज" शीर्षक समाचार

3760. डा०ए०यू० आजमी : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 19 फरवरी, 1981 के इण्डियन एक्सप्रेस नामक अंग्रेजी समाचार पत्र में "ट्रैफिक हैम्पर्ड आजाद मार्कीट सलवेज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि राजधानी में हुई आग लगने की गत दुर्घटना के दौरान अग्नि शमन कार्य में अत्याधिक घुटन के कारण बहुत अधिक बाधा पड़ी थी ; और

(ग) यदि हां, तो इस आवासीय क्षेत्र में अवैध कारखानों की आकस्मिक वृद्धि को रोकने के लिए और उन्हें इस प्रकार के क्षेत्रों से हटाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

चिराग दिल्ली के लिए मल-व्यवस्था योजना

3761. श्री पीयूष तिरकी :

श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चिराग दिल्ली के लिए गत वर्ष मानसून के दौरान नई मल-व्यवस्था योजना का उद्घाटन किया गया था ;

(ख) क्या योजना आरम्भ करने के लिए एक गड्ढा भी खोदा गया था और दिल्ली प्रशासन के अधिकारियों ने उसके लिए प्रबन्ध किये थे; और

(ग) यदि हां तो उक्त मल-व्यवस्था योजना के पूरा होने में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि इस योजना को आरम्भ करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा एक गड्ढा खोदा गया और प्रबन्ध किये गए न कि दिल्ली प्रशासन द्वारा ।

(ग) यह योजना पूर्ण होने वाली हैं।

इन्सैक्टीसाइड बोर्ड

3762. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "इन्सैक्टीसाइड बोर्ड" का कार्य- निष्पादन असंतोषजनक रहा है ;

(ख) क्या यह सच है कि बोर्ड बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के हाथ की कठपुतली बन गया है और यह देश को ऐसे आवश्यक 'फार्मुलेशन्स' के आयात पर आश्रित (बना रहा है, जो इस देश में ही तैयार हो सकते हैं ; और

(ग) उसका और उससे संबंधित सभी मामलों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

विवरण

कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 4 के तहत केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड का गठन किया गया है। बोर्ड को इस अधिनियम के प्रशासन के बारे में उत्पन्न होने वाले तकनीकी मामलों पर केन्द्रीय और राज्य सरकारों को सलाह देनी होती है। तथा इस अधिनियम के तहत या इसके द्वारा सौंपे गये कार्यों को करना होता है इस अधिनियम के तहत बोर्ड निम्नलिखित मामलों पर सलाह दे सकता है :—

(क) कीटनाशी दवाईयों के उपयोग से मानव जाति और पशुओं को खतरा और ऐसे जोखिमों से बचने के लिए आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय,

(ख) कीटनाशी दवाईयों का उत्पादन, बिक्री, भण्डारण, परिवहन और वितरण करने, ताकि मानव जाति और पशुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके।

2. इस अधिनियम के अनुसार बोर्ड का अध्यक्ष स्वास्थ्य सेवाओं के महा निदेशक को होना चाहिए और उसके अलावा, बोर्ड के 16 अन्य ऐसे पदेन सदस्य होने चाहिए, जो कि मुख्य रूप से विभागों के अध्यक्ष और प्रख्यात वैज्ञानिक हों। बोर्ड के 29 सदस्यो में से अन्य 12 सदस्य केन्द्रीय सरकार द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए मनोनीत किये जाते हैं। इस अधिनियम के तहत बोर्ड केन्द्रीय सरकार की पूर्व

सम्मति से अपनी कार्य विधि और इसके अन्तर्गत गठित की गई अन्य समितियों की कार्य-विधि को नियंत्रित करने और इसके द्वारा या ऐसी समितियों द्वारा किये जाने वाले सभी कार्यों को करने के लिए उपनियम बना सकता है। कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46 वां) के तहत बनाया गया कीटनाशी नियम, 1971 के अन्तर्गत बोर्ड को निम्नलिखित और कार्य सौंपे गये हैं :—

(क) उद्योग विकास और विनियमन अधिनियम 1951 (1951 का 65 वां) के तहत कीटनाशी दवाईयों के निर्माण कार्य पर केन्द्रीय सरकार को सलाह देना ;

(ख) विषाक्तता तथा हवाई उपयोग के लिए उनकी उपयुक्तता होने के आधार पर कीटनाशी दवाईयों के वर्गीकरण के प्रयोगों का विशेष रूप से उल्लेख करना ;

(ग) कीटनाशी दवाईयों के अवशेषों के लिए सहय सीमा और कीटनाशी दवाईयों के इस्तेमाल और विभिन्न जिन्सों से सम्बन्धित फसलों की कटाई के बीच न्यूनतम अन्तरालों को निर्धारित करने पर सलाह देना।

(घ) कीटनाशी दवाइयों की समाप्त होने वाली अवधि का उल्लेख करना।

(ङ) रंगने में तथा रंग करने वाली सामग्री ; जिन्हें कीटनाशी दवाईयों के सकेन्द्रण में, जो कि विशेषता: बहुत जहरीले होते हैं ; मिलाया जाता है, के बारे में सुझाव देना ; और

(च) ऐसे अन्य कार्यों को करना, जो इस अधिनियम या इन नियमों द्वारा प्रदत्त बहुत से कार्यों के पूरक तथा आकस्मिक हो और इसके परिणामस्वरूप सौंपे गये हों।

3. अभी तक बोर्ड ने 12 बैठकें बुलाई। समय समय पर हुई बैठकों की तिथि नीचे दी गई है :—

केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड की बैठकें	जिस तिथी को बैठक हुई
1	2
पहली	7-6-1971
दूसरी	6-3-1972
तीसरी	22-9-1972
चौथी	23-4-1973
पांचवी	7-1-1974
छठी	27-2-1975

1	2
सातवीं	9-2-1976
आठवीं	18-4-1977
नौवीं (विशेष बैठक)	16-11-1977
दसवीं	3-9-1979
ग्यारवीं	31-3-1980
बारहवीं	28-11-1980

4. केन्द्रीय वनस्पति-रक्षण, संगरोध और संचयन निदेशालय द्वारा राज्य सरकारों, कृमिनाशी दवाईयों से सम्बन्धित उद्योगों और अन्य एजेन्सियों के परामर्श से वर्ष में एक बार देश में विभिन्न कृमिनाशी दवाईयों की मांग का मूल्यांकन कार्य किया जाता है। राज्य के कृषि विभागों से अनुरोध किया जाता है कि वे वर्ष के लिए कृमिनाशी दवाईयों की अनुमानित मांग के बारे में बतायें। मांग का समुचित रूप से मूल्यांकन करने के लिए इस मामले में राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ प्रत्येक वर्ष के शुरू में होने वाले चार क्षेत्रीय सम्मेलनों में विस्तृत रूप से विचार किया जाता है। अखिल भारतीय पौध रक्षण सम्मेलन में विभिन्न कृमिनाशी दवाईयों की उपरोक्त अनुमानित मांग को अन्तिम रूप दिया जाता है, जिसमें राज्यों/संघ शासित प्रदेशों, भारत सरकार के मन्त्रालयों और विभागों और इस विषय से संबंधित अन्य एजेंसियों के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं।

6. कृमिनाशी दवाईयों की मांग को मुख्यतः देशी स्रोतों के माध्यम से पूरा किया जाता है। देश में कृमिनाशी दवाईयों के निर्माण के लिए दृढ़ आधार तैयार कर दिया जाता है। इस समय देश में कृमिनाशी दवाईयों की 45 विभिन्न किस्मों का विनिर्माण किया जा रहा है। अभी तक विभिन्न कीटनाशी दवाईयों के लगभग 94,000 मीटरी टन की क्षमता का उत्पादन करने के लिए लाइसेंस दिए गये हैं, जिसमें से 70,000 मीटरी टन की क्षमता को अधिष्ठापित कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त, 18,000 मीटरी टन के उत्पादन के लिए आश्रय पत्र जारी कर दिए गये हैं, जो कि इस समय क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में है। 25 एकक कृमिनाशी दवाईयों की तकनीकी सामग्री का उत्पादन कर रहे है।

6. कुल उपलब्धि में कमी को पूरा करने और उन कृमिनाशी दवाईयों को उपलब्ध कराने के लिए, जो कि देश में उत्पादित नहीं की जाती है लेकिन जो विशेष प्रकार की ऋमियों को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक हैं, देश को कई कृमिनाशी दवाईयों का आयात करना होता है। बी. एच. सी, डी. डी. टी, मैलाथियन, आदि जैसे देश में उत्पादित कुछ ऐसी कृमिनाशी दवाओं; जिनकी मांग स्थानीय उत्पादन से अधिक है, को केवल सरकारी खर्च पर आयात करने की भी व्यवस्था है।

सांविधिक कृषक आयोग गठित करने के लिए प्रस्ताव

3763. श्री बी० बी० देशाई : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को समय-समय पर उठने वाले विभिन्न मुद्दों पर परामर्श देने के लिए एक सांविधिक कृषक-आयोग गठित करने हेतु केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कृषक आयोग की स्थापना के सम्बन्ध में, जो हाल के किसान आंदोलन का मुख्य मुद्दा था, कोई अन्तिम निर्णय ले लिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या कर्नाटक जैसे विभिन्न राज्य भी इस प्रकार के आयोग गठित करने पर सहमत हो गए हैं ;

(घ) क्या सरकार का विचार इन विषयों पर राज्य सरकारों के विचार जानने का है या नहीं ; और

(ङ) यदि हां, तो कितने राज्य इस प्रकार के आयोग गठित करने पर सहमत हो गए हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) अर्थ व्यवस्था की समग्र आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में एक संतुलित और समेकित मूल्य ढांचा तैयार करने की दृष्टि से और उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न कृषि जिन्सों की मूल्य-नीति पर लगातार सरकार को सलाह देने के लिए एक स्थायी कृषि मूल्य आयोग पहले ही मौजूद है। इस आयोग में किसानों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सदस्य को शामिल किया गया है। इस समय सरकार को सलाह देने के लिए अलग से किसी कृषक आयोग की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) से (ङ) प्रश्न ही नहीं होता।

मछली पकड़ने की विदेशी नौकाओं को किराये पर लेना

3764. श्री बी० बी० देशाई : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा अंतिमरूप से तय की गई विदेशी मत्स्य नौकाओं को किराए पर लेने की नई नीति बड़े गृहों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के हित में बनाई गई हैं,

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं,

(ग) क्या यह पहली बार है जबकि सरकार विदेशी मत्स्य नौकाओं को किराये पर लेने की स्पष्ट नीति बना रही है;

(घ) यदि हां, तो इस नई नीति की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ङ) क्या भारतीय नौवहन कम्पनियों ने इस उपाय का स्वागत किया है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) और (ख) चार्टर सम्बन्धी आवेदनों पर विचार करने के लिए निम्न प्राथमिकता निश्चित की गई है :—

1. सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान,

2. मछुवाओं की सहकारी समितियां,

3. छोटे और मध्यम स्तर के उद्यमी, और अन्त में

4. बड़े घराने ।

(ग) पहले चार्टर को स्वीकृति दे दी गयी थी, अतः सरकार चार्टर सम्बन्धी शर्तों में उत्तरोत्तर संशोधन कर रही है ।

(घ) जनवरी, 1981 में घोषित की गयी चार्टर नीति की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार है :—

1. प्रचालन का क्षेत्र क्षेत्रीय जल के बाहर होगा (12 नौ परिवहन मील) ।

2. चार्टर करने वालों को निर्धारित अवधि के अन्तर्गत जलयानों की निर्धारित संख्या की खरीद करनी होगी ।

3. चार्टर की आरम्भिक अवधि 3 वर्ष होगी और नवीकरणीय अवधि अधिकतम 2 वर्ष और होगी ।

4. किसी भी अभ्यार्थी के लिए एक प्रकार के मत्स्यन हेतु जलयानों की अधिकतम संख्या पांच से अधिक नहीं होगी ।

5. जलयानों के चालक मण्डल में कम से कम 20 प्रतिशत भारतीय होंगे, जिसमें विदेशी कप्तान, इंजीनियर के अधीन प्रशिक्षण लेने वाले भी शामिल हैं । इसके अतिरिक्त, एक भारतीय वैज्ञानिक जलयान बोर्ड पर तैनात किया जायेगा ।

(ङ) हमें भारयीय शिपिंग कम्पनियों की प्रतिक्रिया के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है ।

पृथक मत्स्य बन्दरगाह प्राधिकरण

3765. श्री के० ए० स्वामी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मत्स्य बन्दरगाह के प्रशासन के सम्बन्ध में पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है; और

(ख) क्या एक पृथक मत्स्य बन्दरगाह प्राधिकरण की स्थापना किए जाने का विचार है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) जी नहीं। प्रमुख पत्तनों पर मत्स्य बन्दरगाहों का प्रशासन पत्तन न्यास प्राधिकरण द्वारा किया जाता है और छोटे पत्तनों पर राज्य सरकारें प्रशासन करती हैं।

(ख) जी नहीं।

विशाखापत्तनम मत्स्य ग्रहण बन्दरगाह पर जल वितरण प्रणाली

3766. **श्री के० ए० स्वामी :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को मत्स्य ग्रहण बन्दरगाहों, विशेषकर विशाखापत्तनम पर आधुनिक जल वितरण प्रणाली स्थापित करने की आवश्यकता की जानकारी है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : विशाखापत्तनम के मत्स्य बन्दरगाह में एक आधुनिक जल वितरण प्रणाली है। गोदियों की ओर वितरण लाइनें देकर 5 लाख लीटर की क्षमता वाली एक पानी की ऊंची टंकी की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार जल आपूर्ति व्यवस्था किसी भी मत्स्यन बन्दरगाह में योजना का एक अभिन्न अंग है।

योजना में उड़ीसा के लिए पेयजल की व्यवस्था हेतु राशि का नियतन

3767. **श्री के० पी० सिंह देव :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था करने के लिए 765 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की है ;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा के लिए कितनी राशि का नियतन किया गया है ;

(ग) 1981 में कितनी 'राशि' दी जायेगी ; और

(घ) क्या राज्य सरकार से योजना के सिलसिले में आगे बढ़ते रहने को कहा गया है ताकि जब केन्द्र द्वारा राशि मंजूर कर दी गई हैं तो काम में विलम्ब न हो ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना में समस्या ग्रस्त ग्रामों में पेयजल पूर्ति की व्यवस्था करने के लिए केन्द्र

द्वारा प्रवर्तित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत 600 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। यह राज्य योजनाओं में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत जलपूर्ति के लिए निश्चित की गई 1407.11 करोड़ रुपये की राशि के अतिरिक्त है।

(ख) सम्पूर्ण छठी पंचवर्षीय योजना के लिए राज्यवार नियतन तैयार नहीं किया गया है।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष (1980-81) में, त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत उड़ीसा सरकार को अभी तक 141.00 लाख रुपए की राशि दी जा चुकी है। वर्ष 1981-82 के लिए राशि केवल अगले वर्ष निर्धारित की जाएगी।

(घ) उड़ीसा के मामले में त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत 10,9.86 लाख रुपए की योजनाएं पहले ही कार्यान्वयन के लिए स्वीकृत की जा चुकी हैं। इन योजनाओं का कार्यान्वयन अगले वित्तीय वर्ष में भी जारी रहेगा।

गुजरात की चीनी की मांग और आवंटन

3768. **श्री छोटू भाई गामित** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में लेवी की चीनी और खुली बिक्री की चीनी की टनों में कितनी मांग है ;

(ख) गुजरात सरकार द्वारा 1 जनवरी, 1980 से 1 जनवरी, 1981 तक की अवधि के दौरान महीनेवार कितनी मांग की गई और राज्य को प्रतिमाह चीनी की कितनी मात्रा आवंटित की गई और राज्य को वास्तव में चीनी की कितनी मात्रा सप्लाई की गई और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) राज्य की चीनी की मांग को पूरा न करने के क्या कारण हैं और चीनी की बकाया मांग कब तक पूरी की जाएगी ; और

(घ) इस मांग को पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) और (ख) किसी भी राज्य में मुक्त बिक्री की चीनी की आवश्यकता का मूल्यांकन करना कठिन है क्योंकि वह मूल्य स्तर, जोकि समय-समय पर बदलता रहता है, के साथ-साथ भिन्न-भिन्न होती है। जहां तक लेवी चीनी का सम्बन्ध है, गुजरात सरकार ने फरवरी, 1980 में सूचित किया था कि प्रति व्यक्ति प्रति मास 500 ग्राम चीनी के आधार पर उनकी मासिक आवश्यकता 17,000 मीटरी टन थी और इसलिए उनके लेवी चीनी के मासिक कोटे को 14,031 मीटरी न की वर्तमान मात्रा से बढ़ाकर 17,000 मीटरी टन के उपर्युक्त स्तर तक कर देना चाहिए।

17-12-1979 से चीनी पर आंशिक नियंत्रण की नीति को पुनः लागू करने से, 16-8-1978 को चीनी पर नियंत्रण हटाने के तुरन्त पूर्व की पिछली आंशिक नियंत्रण की अवधि के दौरान जो लेवी चीनी के राज्यवार मासिक कोटे दिए जा रहे थे, उन्हें बहाल कर दिया गया है। 1-4-1978 को परियोजित जनसंख्या के संदर्भ में 425 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति की उपलब्धता के आधार पर दिसम्बर, 1977 से पिछली आंशिक नियंत्रण की अवधि के दौरान इन राज्यवार मासिक कोटों को निर्धारित किया गया था। गुजरात राज्य के बारे में, 1-4-1978 को परियोजित जनसंख्या के लिए उनके पिछले कोटे के प्रति व्यक्ति उपलब्धता को 425 ग्राम से अधिक पाया गया था और इसलिए उनके कोटे को कम करने की बजाय उसे पिछले स्तर पर ही रहने दिया गया था। तदनुसार, गुजरात सरकार को जनवरी, 1980 और उसके बाद से 14,031 मीटरी टन लेवी चीनी का मासिक कोटा प्राप्त हो रहा है। अतः पहली जनवरी, 1980 से पहली जनवरी, 1981 तक की अवधि के दौरान राज्य को लेवी चीनी का आवंटित किया गया मासिक कोटा 14,031 मीटरी टन था। क्योंकि गुजरात सरकार फैक्ट्रियों से चीनी उठाने की व्यवस्था स्वयं ही करती है, इसलिए उनके मासिक कोटों के बारे में आवंटन आदेश राज्य की स्थानीय फैक्ट्रियों के लिए राज्य सरकार के पक्ष में सीधे जारी किए जाते हैं। राज्य सरकार के अनुरोध पर आवंटन आदेश की वैधता अवधि को भी समय-समय पर बढ़ा दिया जाता है ताकि जिस महीने से सम्बन्धित कोटा होता है उस मास की समाप्ति के बाद भी प्रेषणों की व्यवस्था कर वे समस्त आवंटित मात्रा को उठा सकें।

(ग) और (घ) 1979-80 मौसम में चीनी के उत्पादन में भारी गिरावट आने और वर्तमान मौसम 1980-81 में उत्पादन की अनिश्चित सम्भावनाओं के कारण लेवी चीनी की सीमित उपलब्धता होने के फलस्वरूप, गुजरात सरकार सहित विभिन्न राज्य सरकारों की लेवी चीनी के मासिक कोटे में वृद्धि करने विषयक अनुरोध पर विचार करना सम्भव नहीं हुआ है। अतः फिलहाल गुजरात राज्य के लेवी चीनी के मासिक कोटे में वृद्धि करने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता।

मध्य प्रदेश में चीनी का वसूली मूल्य

3769. **श्री सत्यनारायण जाटिया** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में 1980-81 में प्रत्येक चीनी मिल द्वारा गन्ना किन-किन दरों पर खरीदा गया ;

(ख) क्या यह सच है कि गन्ने के क्रय मूल्यों में अन्तर होता है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) 1980-81 में कितना गन्ना खरीदा गया तथा चीनी का कितना उत्पादन किया गया तथा चीनी की प्राप्ति की, मिल-वार प्रतिशतता क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है जिसमें फैक्ट्रियों द्वारा दी गई सूचनानुसार चीनी मौसम 1980-81 के दौरान मध्य प्रदेश की प्रत्येक फैक्ट्री द्वारा खरीदे गए गन्ने की मात्रा, जिन दरों पर खरीदा गया, उत्पादित चीनी की मात्रा और चीनी की रिकवरी की प्रतिशतता का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

केन्द्रीय सरकार केवल अधिक रिकवरियों के लिए प्रीमियम देने की व्यवस्था कर मूल रिकवरी से सम्बद्ध प्रत्येक फैक्ट्री द्वारा देय गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है और यह रिकवरी पर निर्भर करते हुए प्रत्येक फैक्ट्री के बारे में भिन्न-भिन्न होता है। कोई भी फैक्ट्री इस मूल्य से कम मूल्य नहीं दे सकती है। तथापि, वे पूर्ति और मांग की शक्तियों पर निर्भर करते हुए अथवा राज्य सरकारों द्वारा दिए गए परामर्श, यदि ऐसा कोई परामर्श दिया जाता है, पर अधिक मूल्य भी दे सकती है।

मध्य प्रदेश में 1980-81 चीनी मौसम के दौरान खरीदे गए गन्ने की मात्रा, उत्पादित चीनी, चीनी प्राप्ति की प्रतिशतता और प्रत्येक फैक्ट्री द्वारा खरीदे गये गन्ने की दरों को बताने वाला विवरण

फैक्ट्री का नाम	खरीदे गए गन्ने की कुल मात्रा (हजार मीटरी टन में)	उत्पादित चीनी की कुल मात्रा (हजार मीटरी टन में)	चीनी प्राप्ति की प्रतिशतता	फैक्ट्री के द्वार पर जिस दर पर गन्ना खरीदा गया
डबरा	40.9	4.0	9.65 (31-1-81 तक)	17.50
दलौदा	14.2	1.1	7.32	21.00*
महीदपुर	11.9	0.9	7.89	20.00*
आवरा	25.1	2.1	8.16 (31-1-81 तक)	20.00*
सिहोर	49.7	4.3	8.73	21.00*
मुरैना	22.7	2.6	7.31	20.00
बारलई (28-2-81 तक)	31.0	2 5	8.53	23.50

*सूचित किया गया है कि इसमें 2.50 रुपये प्रति क्विंटल की राज्य सरकार की राजसहायता भी शामिल है।

अतरांकित प्रश्न सं० 1003 दिनाँक 24-11-80 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

24 नवम्बर, 1980 को प्रो० मधु दण्डवते द्वारा लोकसभा में पूछे गए अतारांकित प्रश्न सं० 1003 के उत्तर में सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री ने निम्नलिखित सूचना दी थी।

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र के रत्नगिरि जिले में देवबाग और उभादान्दा मत्स्य केन्द्रों, जिन्हें कि तूफानी समुद्र की लहरों का खतरा बना रहता है, के निकट पत्थरों के बांध बनाने के लिए केन्द्र से वित्तीय सहायता की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र द्वारा वित्तीय सहायता दे दी गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) महाराष्ट्र के रत्नगिरी जिले के मछली पकड़ने के केन्द्रों को सुरक्षित बनाने के लिए समुद्र-कटाव रोधी उपाय क्रियान्वित करने के उद्देश्य से अभी तक केन्द्र से वित्तीय सहायता देने का कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

2. इस प्रश्न के बारे में सही सूचना इस प्रकार है :—

(क) रत्नगिरी जिले में देवबाग और उभादान्दा के मछली पकड़ने के केन्द्रों को सुरक्षित बनाने के लिए समुद्र कटाव रोधी वर्क्स क्रियान्वित करने के लिए महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता देने का अनुरोध किया है।

(ख) राज्य सरकार से समुद्र कटाव रोधी वर्क्स की स्कीमें जांच किए जाने और अपेक्षित सहायता का अनुमान लगाए जाने के लिए प्राप्त नहीं हुई है।

राज्य सरकार ने केन्द्रीय सहायता के लिए किसी अन्य मंत्रालय से अनुरोध किया था जो इस विषय से सम्बन्धित नहीं था। यह बात केवल उस समय ध्यान में आई जब राज्य सरकार द्वारा किया गया सम्बन्धित पत्राचार उस मन्त्रालय से दिसम्बर, 1980 के अन्त में प्राप्त हुआ। तदनुसार पहले दिए गए उत्तर को शुद्ध करने वाला एक विवरण अब सभा पटल पर रखा जा रहा है।

स्थगन प्रस्तावों आदि के बारे में

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक एडजर्नमेंट नोटिस दिया है, उसमें मैंने मांग की है कि यह जो गोल्ड-आक्शन का मामला है इसके बारे में हमें पता ही नहीं है और बाहर समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित हो रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं दी जाती। मैं इस पर पहले ही एक तारांकित प्रश्न स्वीकार कर चुका हूं।

श्री राम विलास पासवान : मैंने एडजर्नमेंट मोशन दिया है, बाहर अखबारों में खबरें प्रकाशित हो रही हैं।

अध्यक्ष महोदय : उसकी अनुमति नहीं दी गई है। इस पर हम पहले ही एक प्रश्न स्वीकार कर चुके हैं।

श्री राम विलास पासवान : बाहर समाचार प्रकाशित हो रहे हैं और मैंबर्स आफ पार्लियामेंट को कुछ मालूम नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आपने पढ़ा है ? 11-3-81 को लाइब्रेरी में उसको ले लिया गया है।

श्री राम विलास पासवान : हमने पता लगाया, हमको नहीं मिला है।

अध्यक्ष महोदय : इस पर स्टार्ड क्वेश्चन आ रहा है, तब फिर देखेंगे।

श्री रामावतार शास्त्री : अध्यक्ष जी, मैंने एक नोटिस दिया है कि श्री चन्द्र शेखर आजाद की समाधि इलाहाबाद में तोड़ी गई है।

अध्यक्ष महोदय : यह स्थगन प्रस्ताव के लिए नहीं है।

श्री रामावतार शास्त्री : इस देश की आजादी की लड़ाई में जो शहीद हुए उनकी समाधि इस तरह से तोड़ी जाए और सरकार चुपचाप देखती रहे यह कहां तक उचित है।

अध्यक्ष महोदय : आप 377 के अन्तर्गत दें। एडजर्नमेंट मोशन इसपर नहीं आ सकता है। मैं इस विषय पर स्थगन प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता हूं।

श्री रामावतार शास्त्री : 377 से काम नहीं चलेगा।

अध्यक्ष महोदय : फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

मोतीलाल नेहरू प्रादेशिक इन्जीनियरी कालेज इलाहाबाद के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन, विश्वेसवरैया प्रादेशिक इन्जीनियरी कालेज नागपुर के वर्ष 1979-80 के वार्षिक लेखे, मौलाना आजाद प्रौद्योगिकी कालेज, भोपाल के वर्ष 1979-80 के वार्षिक लेखे मालवीय प्रादेशिक इन्जीनियरी कालेज जयपुर के वर्ष 1979 के वार्षिक लेखे आदि आदि

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) मोतीलाल नेहरू प्रादेशिक इन्जीनियरी कालेज, इलाहाबाद के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(दो) मोतीलाल नेहरू प्रादेशिक इन्जीनियरी कालेज, इलाहाबाद के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2095/81]

(2) विश्वेसवरैया प्रादेशिक इन्जीनियरी कालेज, नागपुर के वर्ष 1979-80 के वार्षिक लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल. टी. 2096/81]

(3) मौलाना आजाद प्रौद्योगिकी कालेज, भोपाल के वर्ष 1979-80 के वार्षिक लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल. टी. 2097/81]

(4) मालवीय प्रादेशिक इन्जीनियरी कालेज, जयपुर के वर्ष 1979-80 के वार्षिक लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल. टी. 2098/81]

(5) (एक) सरदार वल्लभभाई प्रादेशिक इन्जीनियरी तथा प्रौद्योगिकी कालेज, सूरत (गुजरात) के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(दो) सरदार वल्लभभाई प्रादेशिक इन्जीनियरी तथा प्रौद्योगिक कालेज सूरत (गुजरात) के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल.टी. 2099/81]

(6) (एक) प्रादेशिक इन्जीनियरी कालेज, कुरुक्षेत्र के वर्ष 1979/80 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(दो) प्रादेशिक इन्जीनियरी कालेज, कुरुक्षेत्र के वर्ष 1979/80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(7) प्रादेशिक इन्जीनियरी कालेज, कुरुक्षेत्र के वर्ष 1979-80 के वार्षिक लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल.टी. 2100/81]

(8) व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड (पूर्वी क्षेत्र) कलकत्ता और प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (उत्तरी क्षेत्र) कानपुर के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद 9 महीने की निर्धारित अवधि में सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल. टी. 2101/81]

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 के और जल तथा विद्युत परामर्शदात्री सेवा (इन्डिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा उनकी समीक्षा

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई मंत्री (राव बीरेन्द्रसिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम 1962 की धारा 14 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(दो) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल.टी. 2102/81]

(2) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) जल तथा विद्युत परामर्शदात्री सेवा (इन्डिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) जल तथा विद्युत परामर्शदात्री सेवा (इन्डिया) लिमिटेड नई दिल्ली का वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल.टी. 2103/81]

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत, नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा उसकी समीक्षा और विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण

शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय मे राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं ?

(1) (एक) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत, नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(दो) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत, नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(2) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत, नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 के लेखापरीक्षित लेखे तथा वार्षिक प्रतिवेदन के सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल. टी. 2104/81]

नारियल विकास बोर्ड नियम, 1981

श्री राव बीरेन्द्रसिंह : मैं कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निमाण मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री आर. वी. स्वामीनाथन की ओर से मैं नारियल विकास बोर्ड अधिनियम 1979 की धारा 21 के अन्तर्गत नारियल विकास बोर्ड नियम, 1981 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 28 जनवरी 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.सां. नि. 34 (ड़) में 43 प्रकाशित हुए थे सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल.टी. 2105/81]

———

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

22वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया

श्री बंसी लाल : मैं सरकारी उपक्रमों में उत्पादन/कारबार प्रारम्भ करने में विलम्ब, क्षमता के कम उपयोग तथा सम्बन्धित मामलों में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति (छटी लोक सभा) के 28 वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का 10वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

बोकरो इस्पात संयंत्र में विस्फोट

श्री आर० के० महालगी (ठाणे) : मैं वाणिज्य और इस्पात तथा खान मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और अनुरोध करता हूं कि वे इस पर एक वक्तव्य दें :

"11 मार्च, 1981 को बोकरो इस्पात संयंत्र में विस्फोट का समाचार जिसमें कई व्यक्ति मारे गए तथा अन्य अनेक घायल हुए।

वाणिज्य और इस्पात तथा खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : 1. सदन को यह सूचित करते हुए मुझे बड़ा दुःख है कि बुधवार 11 मार्च, 1981 को 11.08 बजे बोकरो इस्पात कारखाने की भट्टी संख्या 3 और 4 के बीच वाली गैस पाइप लाइन में एक विस्फोट हुआ था जिससे चार कामगारों की मृत्यु हो गई और 23 अन्य घायल हो गए थे। गैस लाइन पर कुछ उपस्करों को क्षति पहुंची।

2. घायल व्यक्तियों की हालत देखने तथा विस्फोट से हुई क्षति के बारे में विस्तार से देखने के लिए मैं दिनांक 14-3-1981 को स्वयं बोकारो गया था।

3. स्वाभाविक था कि सबसे पहले हमारा ख्याल उन बदकिस्मत लोगों की तरफ गया जो इस विस्फोट में मारे गए थे और जो इसमें घायल हुए थे। कारखाने के प्राधिकारियों ने घायलों को तत्काल डाक्टरी सहायता देने तथा मृतकों के परिवारों को सहायता देने के लिए सभी उपाय कर दिये थे। कम्पनी के मृत कर्मचारियों के लिए मुआवजे की राशि धनवाद में कामगार मुआवजा प्राधिकारियों के पास जमा कर दी गई है तथा अन्य व्यक्तियों के लिए मुआवजे की राशि शीघ्र जमा कर दी जाएगी। यह निर्णय लिया गया है कि इस्पात कारखाना प्रत्येक मृत कर्मचारी के परिवार के एक आश्रित को रोजगार देगा। मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि प्रभावित परिवारों को तत्काल सहायता दी गई है।

4. बोकारो के अस्पताल में दाखिल किए गए 23 घायलों में से 13 व्यक्तियों को आवश्यक डाक्टरी सहायता देने के बाद छुट्टी दे दी गई है तथा 10 घायलों का इस समय अस्पताल में इलाज चल रहा है। आशा है कुछ अन्य घायलों को 2 या 3 दिन में अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। लेकिन बताया गया है कि एक घायल व्यक्ति की हालत चिन्ता जनक है।

5. मैं स्वयं अस्पताल गया था तथा घायल व्यक्तियों से मिला था। उनके लिए जो अच्छे से अच्छा किया जा सकता है किया जा रहा है।

6. महोदय, यह विस्फोट धमन भट्टी संख्या 3 और 4 के बीच की मुख्य गैस पाइप लाइन के वाल्वों के बीच दो स्थानों पर हुआ है। परिणामस्वरूप गैस के 5 वाल्व तथा पाइप लाइन का कुछ भाग क्षतिग्रस्त हो गया है।

7. कुछ समाचार-पत्रों में छपे समाचारों के विपरीत सारा कारखाना बन्द नहीं हुआ है। धमन भट्टी एक और दो को जिन्हें प्राथमिक उपाय के रूप में विस्फोट के तुरन्त पश्चात् अलग कर दिया गया था, 12 मार्च, 1981 के सायंकाल से गैस-क्लिनिंग-प्लांट से पुनः जोड़ दिया गया है और ये सामान्य रूप से कार्य कर रही हैं। पाइप-लाइन के क्षतिग्रस्त भाग तथा वाल्व की मरम्मत हो जाने के पश्चात् धमन-भट्टी संख्या-3 17 मार्च से पुनः चालू कर दी जाएगी। कारखाने की अन्य उत्पादन इकाइयों ने सामान्य उत्पादन क्षमताओं के अनुसार पुनः कार्य करना आरम्भ कर दिया है। स्लैबिंग और हाट-स्ट्रिप मिलों में भी 13 मार्च से सामान्य रूप से परिचालन शुरू हो गया है।

8. नई धमन-भट्टी संख्या-4 को पाइप-लाइन की मरम्मत हो जाने तथा वाल्वों को को बदलने के पश्चात् चालू किया जायेगा जिसमें 6 सप्ताह का समय लगने की सम्भावना है। भिलाई इस्पात कारखाने से 2 मुख्य वाल्व तत्काल वहां भेज दिए गए हैं। शेष तीन वाल्व बोकारो में उपलब्ध हैं और उन्हें लगा दिया जाएगा। धमन-भट्टी संख्य-4 के मई, 1981 के अन्त तक चालू कर दिये जाने की सम्भावना है।

9. सेल ने दुर्घटना के कारणों की जांच करने तथा उत्तरदायित्व निश्चित करने के लिए तथ्यों का पता लगाने वाली एक समिति का गठन कर दिया है। आशा है कि यह समिति पन्द्रह दिनों के अन्दर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी। फिर, भी, वास्तविकता के बारे में पूरी तरह से जानकारी प्राप्त करने तथा इसे और उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए सरकार ने इस्पात और सुरक्षा के विशेषज्ञों की एक उच्च-स्तरीय तकनीकी-समिति का गठन करने का निर्णय लिया है। यह समिति दुर्घटना के कारणों का पता लगाएगी तथा उत्तरदायित्व निश्चित करेगी और भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उपाय सुझाएगी। इस समिति में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे।

(1) डा० एस० आर० प्रमाणिक, मुख्य धातुकार्मिक सलाहकार, मेकन। ···· अध्यक्ष

(2) श्री ई० एफ० श्रुति, मुख्य ऊर्जा इंजीनियर, टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, जमशेदपुर। ·····सदस्य

(3) श्री के० के० चोपड़ा, मुख्य विशेषज्ञ (कोक ओवन तथा उपोत्पाद), सेल। ·····सदस्य

(4) श्री ए० एन० सिंह, बिहार सरकार के फैक्ट्रियों के सेवा निवृत्त मुख्य निरीक्षक। ····· सदस्य

10. महोदय, मुझे विश्वास है कि 9 श्रेष्ठ कामगारों की अकाल मृत्यु और 23 कामगारों के घायल हो जाने से इस घोर विपत्ति और शोक की घड़ी में सदन मेरे साथ है। अपने प्रियजनों और कमाने वालों की मृत्यु हो जाने से आई घोर विपत्ति की घड़ी में शोक संतप्त परिवारों के साथ हमारी हार्दिक सहानुभूति है। हमारा काम उनको सान्तवना देना और उनकी हर प्रकार से सहायता करना है। मैंने सेल और बोकारो इस्पात कारखाने के प्राधिकारियों से कहा है कि वे प्रभावित परिवारों की हर प्रकार से सहायता करें। मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि इस्पात कारखानों में इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु कोई कोर कसर उठा नहीं रखी जाएगी। सरकार को इस बात का गहरा दुःख है कि इस दुर्घटना में कुछ लोगों की जानें गई हैं और कुछ अन्य घायल हुए हैं। मुझे विश्वास है कि शोक संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करने में सदन मेरे साथ है।

श्री आर. के. महालगी : महोदय, मुझे माननीय मंत्री से कुछ प्रश्न करने हैं।

प्रबन्ध निदेशक, श्री टी०टी० जोसफ ने पहले ही इस विस्फोट के कारणों की जांच करने और चार दिन के अन्दर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए एक पांच-सदस्यीय समिति नियुक्त करदी है। और कल चौथा दिन था। अतः मैं जानना चाहूंगा कि क्या उस समिति ने इस दुर्घटना

के कारणों की जांच कर ली है और संबंधित अधिकारियों को इस मामले पर प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है । यदि हां, तो उस समिति की जांच के परिणाम क्या हैं ?

दूसरी समिति स्टील एथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड के अधीन नियुक्त की गई है । इस समिति को 15 दिन की अवधि के अन्दर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है । क्या इस समिति को ऐसी दुर्घटनाएं रोकने के लिए कतिपय हल ढूंढने के लिए भी कहा गया है ?

यह सच है कि समिति दुर्घटना के कारणों का पता लगाएगी परन्तु क्या समिति को ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हल और उपचारात्मक उपाय सुझाने के लिए कहा गया है ? मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि समिति में महत्वपूर्ण व्यक्ति सम्मलित हैं ।

तीसरे, वक्तव्य में यह बताया गया है कि क्षतिपूर्ति की राशि कामगार क्षतिपूर्ति प्राधिकरण, धनबाद के पास जमा कराई जा चुकी है । क्या मैं जान सकता हूं कि कितनी धनराशि कामगार क्षतिपूर्ति प्राधिकरण, धनबाद के पास जमा कराई गई है ? मैं एक बात और जानना चाहता हूं कि क्या कार्बन मोनो-आक्साइड नामक जहरीली गैस वाली ओवरहैड पाइप लाइन का नियमित निरीक्षण और जांच करने के लिए कोई अनुदेश जारी किए गए है ? यदि हां, तो क्या इसका सम्बन्ध उस पाइप लाइन से हैं, जो तीन जगह से फट गयी थी ? क्या पिछले एक महीने के दौरान इसका निरीक्षण या जांच की गई थी ? यदि नहीं, तो उन व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जाएगी, जिनसे उस पाइप लाइन के निरीक्षण और जांच करने की अपेक्षा की जाती है ? अतः ये कुछ प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं ।

श्री प्रणव मुखर्जी : मैं समिति की नियुक्ति के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करना चाहूंगा ।

जैसा कि माननीय सदस्य को मालूम है, जब बोकारो में दुर्घटना हुई थी तब संयंत्र के प्रभारी अधिकारी श्री जोसफ थे, जिन्हें कप सं० 3 पर दिखाया गया है । नियमानुसार तत्काल एक समिति नियुक्त की गई । स्वभावतः इस समिति के गठन में उन्हीं व्यक्तियों को शामिल किया गया जो संयंत्र में हैं । सेल के अध्यक्ष 13 तारीख को वहां पहुंचे । उन्होंने सोचा कि केवल संयंत्र प्रबंध के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन व्यक्तियों को ही समिति में शामिल करना उचित नहीं होगा । बाद में जब मैं 14 तारीख को वहां गया तो मैंने मजदूर संघ के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श किया । उन्होंने मुझे सुझाव दिया कि एक ऐसी समिति होनी चाहिए जो कामगारों के मन में विश्वास पैदा कर सके तथा उसमें सक्षम तकनीकी व्यक्ति होने चाहिएं तथा वे स्थानीय प्रबंधकों के प्रशासनिक नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन नहीं होने चाहिएं । इसीलिए मैंने एक समिति नियुक्त करने का निर्णय लिया, जिसकी मैंने अभी-अभी घोषणा की है ।

जहां तक सेल के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त समिति का संबंध है, मैंने उन्हें पन्द्रह दिन के भीतर एक प्रारम्भिक प्रतिवेदन देने के लिए कहा है, जिसके आधार पर हम आगे बढ़ सकें । समिति का कार्य दुर्घटना के कारणों का पता लगाना, उत्तरदायित्व निश्चित करना, भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृति को रोकने के लिए उपाय सुझाना होगा ।

क्षतिपूर्ति के संबंध में, कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम के अन्तर्गत एक कर्मचारी के मामले में 27,000 रुपये की राशि देयहोगी तथा अन्य पांच के मामले में 30,000 रुपये की राशि देय होगी, जो धनबाद में प्राधिकारियों के पास जमा करादी गई है। यह धनराशि बोकारो इस्पात संयंत्र के प्रबन्धकों द्वारा 14-3-1981 तक कामगार क्षतिपूर्ति आयोग के पास जमा करा दी गई थी।

माननीय सदस्यों को मालूम है, जहां तक इस्पात क्षेत्र का संबंध है, कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम में निर्धारित क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त कतिपय अन्य योजनाएं भी उपलब्ध हैं। इनका लाभ मृत कर्मचारियों के वारिसों को भी दिया जायगा। भविष्य निधि तथा अन्य बातों के लाभों को मिला कर प्रति कर्मचारी के वारिसों को लगभग 85,000 से 90,000 रुपये तक कुल राशि मिलेगी। नि.सन्देह, यह इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों के सम्बन्ध में है। माननीय सदस्य को मालूम है कि कतिपय अन्य कर्मचारी भी हैं। 9 कर्मचारियों में से 6 इस्पात संयंत्र के कर्मचारी तथा 3 ठेकेदार के कर्मचारी हैं। जहां तक ठेकेदार के कर्मचारियों का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य को मालूम है कि उनके लिए एक अलग योजना है। मेरे विचार में, उस योजना के अनुसार उन्हें लगभग 18,000 रुपये मिलें गे। परन्तु माननीय सदस्य ऐसी स्थिति में इस बात का महत्व समझेंगे कि हमें दयालु दृष्टिकोण अपनाना होगा और इसीलिए मैंने इस्पात संयंत्र प्राधिकारियों को कतिपय उपाय खोजने के लिए कहा है जिनके माध्यम से हम उन कर्मचारियों की सहायता कर सकें जो इस्पात संयंत्र के कर्मचारी नहीं है। परन्तु फिर भी सम्भवतः आप सभी मुझ से सहमत होंगे कि हम कोई स्पष्ट नियम नहीं बना सकते है। हमने तत्काल एक निर्णय लिया था कि इस बात का लिहाज किये बिना कि मृतक इस्पात संयंत्र का कर्मचारी है या ठेकेदार का, प्रत्येक मृतक कर्मचारी के परिवार के एक सदस्य को रोजगार दिया जाएगा। यह निर्णय ले लिया गया है तथा मैंने अधिकारियों को इसका यथा शीघ्र पालन करने के आदेश दे दिए हैं।

श्री आर० के० महालगी : मेरे तीसरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है कि क्या कोई स्थायी अनुदेश हैं।

श्री प्रणव मुखर्जी : इसका नियमित रूप से निरीक्षण किया जा रहा है। जैसाकि माननीय सदस्य को मालूम है, यह दुर्घटना तब हुई थी जब हम धनबाद भट्टी संख्या तीन को धनबाद भट्टी संख्या चार से जोड़ रहे थे जिसका परिचालन 27 मार्च को आरम्भ होना था। इसमें रूसी विशेषज्ञ भी शामिल थे जो संयंत्र को चला रहे थे। मैंने स्वयं उनसे विचार विमर्श किया और हमारे लोगों के साथ कुछ रूसी विशेषज्ञों ने भी इस स्थल का दुर्घटना से दो घंटे पूर्व ही, दौरा किया था। अतः आवश्यक पर्यवेक्षण और निरीक्षण किया गया था और यह नियमित कार्य था। माननीय सदस्य को मालूम है कि व्यावहारिक रूप में कार्य मार्च के पहले सप्ताह से आरम्भ हो गया था, 5 मार्च को कुछ गैस वाल्व जल गए थे, 7 मार्च को गैस सफाई करने का काम आरंभ किया गया और 11 मार्च को दुर्घटना हो गई।

श्री सुशील भट्टाचार्य (बर्दवान) : उपाध्यक्ष महोदय, बोकारो इस्पात संयंत्र कार्बनीकृत इस्पात का उत्पादन करता है और इसीलिए गैस पाइपों में कार्बन मोनोआक्साइड पैदा हो जाने की प्रत्येक सम्भावना है। स्वभावतः कुछ सुरक्षात्मक उपाय करने की आवश्यकता है। मंत्री महोदय पहले ही यह उत्तर दे चुके है कि कुछ उपाय किए गए हैं। परन्तु मेरे विचार में वे पर्याप्त नही हैं। मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा।

क्या मैं माननीय मत्री से जान सकता हूं कि संयंत्र के लिए पाइप किसने सप्लाई किए थे, क्या पाइपों की जांच की गई थी कि वे आवश्यक तनाव सहन कर सकते हैं या नही; (ख) क्या एक विशिष्ट अवधि के बाद पाइपों को ओवरहाल किया जाता है और क्या गैस मास्क सप्लाई करने सहित उपचारात्मक उपाय किए जाते हैं और दुर्घटना से पूर्व निरीक्षण रिपोर्ट क्या थी; (ग) क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक पूर्वोपाय किए जाएं। निःसन्देह माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में कहा था कि तथ्यों का पता लगाने के लिए एक समिति का गठन किया जा चुका है और वे देखेंगे कि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने पाए।

अन्त में, मैं जानना चाहूंगा कि इस्पात संयंत्र के कितने स्थायी कामगार तथा ठेकेदारों के कितने कामगार काम कर रहे है तथा क्या ठेकेदारों के कामगार निरन्तर चलते रहने वाले कार्यों में लगाए गए थे।

श्री प्रवण मुखर्जी : माननीय सदस्य के अन्तिम प्रश्न के संबंध में, मैं साफ तौर पर आंकड़े बता चुका हूं। 9 मृत व्यक्तियों में से 6 इस्पात संयंत्र के कर्मचारी थे और 3 ठेकेदार के कर्मचारी थे तथा उनमें से कुछ को एच० एस० एल० द्वारा नियुक्त किया गया था जो इस्पात संयंत्र निर्माण करने वाला सरकारी क्षेत्र का एक संगठन है।

पाइपों की जांच करने के संबंध में मुझे यह कहना है कि इनकी नियमित जांच की जा रही है। क्या इनमें कोई खराबी थी और क्या सामग्री विशिष्ट स्तर की नहीं थी, इन सभी तकनीकी मुद्दों का उत्तर इसका प्रतिवेदन प्राप्त होने और दुर्घटना के कारणों की अच्छी तरह से जांच करने के बाद ही दिया जा सकेगा। चूंकि हम इस काम में नए नहीं हैं; हमने यह काम पहले भी किया है; हमने बोकारो में यही काम किया है; इसलिए सभी आवश्यक पूर्वोपाय किए गए थे। जैसा कि मैंने कहा था जब कोई नया काम किया जाता है तो एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाते हैं कि कौन पर्यवेक्षण करेगा और किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। जब हमारे पास विस्तृत प्रतिवेदन आ जायेगा तब हम दुर्घटना के कारणों का निर्धारण करने की स्थिति में होंगे। परन्तु माननीय सदस्य जानते होंगे कि पाइपलाइन भूमि से लगभग आठ से दस फुट ऊपर जा रही है इसलिए गैस मास्क या अन्य चीजों की वहां आवश्यकता नहीं है। जो लोग वहां काम कर रहे हैं वे विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और जब विस्फोट हुआ तो विस्फोट के परिणामस्वरूप लोग मर गए। लोग विषैली गैस के कारण नहीं मरे। जब लोगों ने आतंकवश

ऊंचे स्थानों से कूदना आरम्भ कर दिया तो अनेक व्यक्ति घायल हो गए। इन पाइपों का निर्माण देश में ही किया गया था। परिचालन आरम्भ करने से पूर्व इन पाइपों की नियमित जांच की जाती है। कुल मिलाकर गैस का बहुत कम दबाव होता है और इसलिए मास्क आदि किसी चीज को रखना आवश्यक नहीं है। परन्तु यह दुर्घटना कैसे हुई, क्या आवश्यक भाप नहीं थी, क्या वातावरण में दबाव अधिक था, यह सारी तकनीकी जानकारी मैं विस्तृत रिपोर्ट मिलने तक नहीं दे सकता। परन्तु प्रारम्भिक अवलोकनों से यह लगता है कि यह एक दुर्घटना थी। क्या दुर्घटना मानवीय त्रुटि या यांत्रिक कठिनाई या तकनीकी खराबी के कारण हुई, इसका निर्धारण करना अभी शेष है।

श्री नवल किशोर शर्मा (दौसा) : उपाध्यक्ष महोदय, जो भी कुछ बोकारो में हुआ वह एक भयानक त्रासदी है जिसमें अनेक जानें गईं तथा अनेक लोग घायल हुए। यह मंत्री जी की कृपा है कि उन्होंने स्वयं दुर्घटना स्थल का दौरा किया और अधिकारियों को क्षतिपूर्ति तथा अन्य मामलों में उदार रवैया अपनाने के अनुदेश दिए। हांलांकि प्रारम्भिक जांच प्रतिवेदन अभी आना है, माननीय मंत्री के उत्तर से, जो उन्होंने सभा में दिया, ऐसा लगता है कि रूसी विशेषज्ञ दुर्घटना स्थल पर दो घण्टे पूर्व मौजूद थे, और उनके अनुसार सभी उपचारी उपाय किए गए थे। कर्मचारियों के अतिरिक्त ठेकेदार के कुछ श्रमिक भी काम पर लगाए हुए थे। एक समाचार पत्र में यह कहा गया है कि मृतकों में से कम से कम दो की शिनाख्त नहीं हो पाई है। इसलिए मैं माननीय मंत्री से दो या तीन महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि इन सभी मामलों में एक समझौते पर हस्ताक्षर करने होते हैं। मेरा प्रथम प्रश्न यह है कि क्या यह सच है कि इस मामले में समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे? दूसरे क्या ठेकेदार के कर्मचारी काम करने के लिए उपयुक्त दक्ष कर्मचारी थे? तीसरे, क्या उन्हें इसमें तोड़-फोड़ की कार्रवाई का सन्देह नहीं है? क्योंकि बोकारो भारत में सबसे बड़ा अत्यधिक महत्वपूर्ण इस्पात संयंत्र है जिसका इस्पात उत्पादन बढ़ता ही जा रहा है अतः क्या कुछ लोगों की इस बात में दिलचस्पी होने की संभावना नहीं है कि इस्पात संयंत्र बन्द हो जाए? क्योंकि यदि गैस जली नहीं होती तो संभवतः इससे भी अधिक हानि होती।

मैं मन्त्री महोदय को यह भी बताने को कहूंगा कि क्या वह ऐसे नाजुक काम में ठेकेदार के श्रमिकों को लगाने की प्रथा को वांछनीय समझते हैं, क्योंकि ठेकेदार के कर्मचारी के रूप में आने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई भी शरारत किए जाने की सम्भावना हो सकती है।

मैं मन्त्री महोदय से इन प्रश्नों का उत्तर जानना चाहता हूं।

श्री प्रणव मुखर्जी : जहां तक शिनाख्त का प्रश्न है, प्रत्येक व्यक्ति की शिनाख्त कर ली गई है। जैसाकि मैंने पहले कहा है मरने वाले 9 व्यक्तियों में से 6 व्यक्ति बोकारो स्पात संयंत्र के कर्मचारी थे और 3 व्यक्ति ठेकेदारों के कर्मचारी थे।

दूसरे प्रश्न के संबंध में कि क्या समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, मैं कहूंगा कि जी हां, समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। (व्यवधान) मुझे बताया गया है कि हस्ताक्षर हुए थे। यदि

उन्होंने मुझे गलत सूचना दी है, जिसके आधार पर मैं आपको सूचना दे रहा हूं, तो उन्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। (व्यवधान) शास्त्री जी मैंने प्रयास किया था और आपसे बात करनी चाही थी परन्तु आप मेरे पहुंचने से थोड़ी सी देर पहले वहां से चले गये थे। मैंने आपके आदमियों से भी बात की थी और उन्होंने ऐसी कोई शिकायत नहीं की थी कि समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हुए थे .....।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

उपाध्यक्ष महोदय : यह कैसे हो सकता है कि शास्त्री जी, जो वहां के सबसे बड़े श्रमिक संघ के अध्यक्ष हैं, वहां से चले गए ?

श्री प्रणव मुखर्जी : मुझे नहीं पता। परन्तु वह चले गए थे। केवल वह ही नहीं गये अपितु अपने महत्वपूर्ण कामरेड, श्री भगतसिंह को भी अपने साथ ले गए थे। .. (व्यवधान) ... वह वहां नहीं थे। मुझे बताया गया कि वह आपके साथ हैं। आपके आदमियों ने मुझे नहीं बताया कि समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हुए थे। मैंने अध्यक्ष को इसका पता लगाने और जांच करने के लिए कहा था कि क्या समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे और मुझे बताया गया कि इस पर हस्ताक्षर हुए थे तथा मैं नहीं समझता कि इस प्रकार के मामले में वे मुझे गलत सूचना देंगे।

यह तोड़-फोड़ का मामला है या नहीं, इस प्रश्न के संबन्ध में मैं समझता हूं कि जब तक मामले की जांच न हो जाए तब तक मेरे लिए कुछ कहना संभव नहीं होगा।

श्री नवल किशोर शर्मा : मैंने केवल यह कहा था, "इसका सन्देह है ?" न कि यह कि यह तोड़-फोड़ का मामला है।

श्री प्रणव मुखर्जी : कुछ समाचार पत्रों ने कतिपय टिप्पणियां की हैं परन्तु जिन लोगों, अधिकारियों तथा मजदूर संघ के प्रतिनिधियों से मैंने वहां पर बात की थी उन्होंने ऐसी किसी बात का संकेत नहीं किया था बल्कि उन्होंने इस पर जोर दिया था आपको जांच करवानी चाहिए और जांच निकाय स्थानीय प्रबन्ध से स्वतन्त्र होना चाहिए ताकि तथ्य सामने आ सकें। इसीलिए मैंने यह समिति नियुक्त की है तथा प्रतिवेदन प्राप्त होने तक हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए।

ठेकेदारों के श्रमिकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में ऐसी ही प्रथा है। यह काम एच०एस० सी०एल० को सौंपा गया था। एच०एस०सी०एल० सरकारी क्षेत्र का एक संगठन है। कभी-कभी वे उप-ठेकेदारों को भी काम दे देते है और वे विभिन्न भागों में काम कर रहे हैं। वास्तव में, उनके द्वारा किए गए किसी काम के कारण दुर्घटना नहीं हुई थी .....।

श्री नवल किशोर शर्मा : क्या ठेकेदार के आदमी एच० एस० सी० एल० के कर्मचारी थे या वे केवल ठेकेदार के आदमी हैं ?

श्री प्रणव मुखर्जी : वे एस० एल० सी० एल० द्वारा नियुक्त ठेकेदार के आदमी थे।

मैं यह कहना चाहता हूं कि इन कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्य के कारण दुर्घटना नहीं हुई थी। वे विस्फोट के शिकार बने जो 2 या 3 स्थानों पर हुआ था। वे नजदीक ही काम कर रहे थे और विस्फोट के शिकार बन गए। मैं यही कहना चाहता था

श्री हरिशचन्द्र सिंह रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस दुःखद दुर्घटना के संबंध में सहानुभूति व्यक्त की और उनके विभाग ने काफी तत्परता दिखाई। मैं मन्त्री महोदय से एक बात जानना चाहता हूं कि कंट्रेक्टर्स के श्रमिकों और बोकारो स्टील प्लान्ट के श्रमिकों को मिलने वाले मुआवजे में जो अंतर है, उसको ध्यान में रखते हुए क्या कंट्रेक्टर्स के श्रमिकों के मुआवजे की राशि में बढ़ोतरी की जाएगी और उनके आश्रित जो लायक हैं, उनको रोजगार देने की कृपा की जाएगी ?

श्री प्रणव मुखर्जी : श्रीमान, जैसा कि मैंने कहा,जहां तक इस्पात कर्मचारियों का संबंध है, वहां विभिन्न योजनाएं चल रही हैं। इन योजनाओं के परिणाम स्वरूप एक इस्पात कर्मचारी को स्वाभाविक तौर पर ठेकेदारों के कर्मचारियों की तुलना में अधिक धन मिलेगा। दुर्भाग्यवश यहां हम एक ऐसी स्थिति में हैं जो वास्तव में दुखद है, जिसमें कई व्यक्तियों ने अपनी जान गंवा दी और इस समय वर्तमान कानून और व्यवहार के विरुद्ध निर्णय करना मेरे लिए संभव न होगा। मैं इस तथ्य की भी उपेक्षा नहीं कर सकता कि लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इसीलिए हमने पहले ही एक निर्णय लिया है। वह यह कि इस बात का ख्याल किए बिना कि मृतक ठेकेदार का कर्मचारी था या इस्पात संयंत्र का, प्रत्येक मृतक के आश्रित को रोजगार दिया जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका मतलब है इस्पात संयंत्र में ही रोजगार दिया जाएगा।

श्री प्रणव मुखर्जी : जी हां इस्पात संयंत्र में ही।

क्षतिपूर्ति की राशि के संबंध में, सामान्यतया जिसके वे अधिकारी हैं, कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम के अन्तर्गत उन्हे दी जाएगी। हम उन्हें उससे भी अधिक क्षतिपूर्ति कर सकते हैं। इस संबंध में मैंने उन्हें एक योजना तैयार करने के लिए कहा है। परन्तु उसे मिसाल के तौर पर नहीं लिया जाना चाहिए क्योंकि इस मिसाल का अन्य मामलों में भी उल्लेख किया जाएगा। इसीलिए मैं कोई आश्वासन दिए बिना इसकी सम्भाव्यता की जांच कर रहा हूं। मैं यह कहना चाहूंगा कि वे अधिक-से-अधिक और क्या कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : अब श्री केदार पाण्डे वक्तव्य देंगे।

रेल मंत्री (श्री केदार पाण्डे) : खड़े हुए (व्यवधान)।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : श्रीमान्, आपको याद है कि यह प्रश्न विपक्ष के कुछ सदस्यों द्वारा उठाया गया था और अध्यक्ष महोदय ने वचन दिया था कि इस मामले पर चर्चा करने के लिए सदस्यों को मौका दिया जाएगा। अब आप मंत्री महोदय को वक्तव्य देने के लिए बुला रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : वह एक वक्तव्य दे रहे हैं। बस, इतनी ही बात है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी नई दिल्ली : आप हमें कुछ स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति देंगे। यह वक्तव्य इस सभा में हमारी मांग पर दिया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय द्वारा वक्तव्य देने के पश्चात् इस पर चर्चा नहीं की जा सकती है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इससे आपका क्या अर्थ है ? हर वक्तव्य पर चर्चा की जा सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय : वे स्वतः ही वक्तव्य दे रहे हैं। इस पर चर्चा नहीं की जा सकती है। नियमानुसार मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। मैंने अपना निर्णय दे दिया है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप नियम बदल सकते हैं; जब आप अध्यक्षपीठ पर हैं तो आप सर्व शक्तिमान हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब माननीय मंत्री वक्तव्य देंगे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह अच्छी बात नहीं है।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। क्लेरिफिकेशन मांगने का मौका मिलना चाहिए।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : हम लोगों की डिमांड के ऊपर ही स्पीकर साहब स्टेटमेंट दिलवा रहे हैं। इसके बाद मेम्बर्ज का जो राइट हो जाता है क्लेरिफिकेशन सीक करने का, उसको आप कैसे रोक सकते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय द्वारा वक्तव्य दिए जाने के बाद मैं किसी को भी स्पष्टीकरण मांगने या कोई चर्चा करने की अनुमति नहीं दूंगा। अब, माननीय मंत्री।

रेल मंत्री (श्री केदार पाण्डे) : उपाध्यक्ष महोदय, वे स्पष्टीकरण उस समय मांग सकते हैं, जब सभा में रेलवे के लिए अनुपूरक मांगें रखी जायेंगी। इन्हें इस पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा। इस संबंध में कोई जल्दी नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप वक्तव्य दे सकते हैं। (व्यवधान)।

श्री रामावतार शास्त्री : मंत्री जी एक तरफा बयान दे देंगे। उधर की बात तो आ जाएगी लेकिन हम लोगों की बात नहीं आ सकेगी। हमारी बात भी आनी चाहिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अगर सप्लीमेंटरी डिमांड्ज आ रही हैं तो पाण्डे जी उसी में यह बात भी कह सकते हैं। अलग से ब्याज देने की क्या जरूरत है ?

श्री केदार पाण्डे : परन्तु आपको तथ्यों का पता होना चाहिए। (व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, अब आप अपना वक्तव्य दें।

उत्तर रेल में चलाए गए व्यापक टिकट जांच अभियान के बारे में वक्तव्य

रेल मंत्री (श्री केदार पाण्डे) : इस सभा के माननीय सदस्य रेलों में आरक्षण में भ्रष्टाचार और आरक्षित डिब्बों में अनधिकृत सफर के विरुद्ध आवाज उठाते रहे हैं। हमें सामान्य यात्रियों से भी इस आशय की शिकायतें मिलती रही हैं कि इसके कारण वास्तविक यात्रियों को असुविधा होती है और रेलवे को घाटा होता है।

हमने अभी हाल में उत्तर रेलवे को बिनाटिकट यात्रा के विरुद्ध व्यापक अभियान चलाने का निर्देश दिया है। 11-3-81 को दिल्ली के नजदीक की गई जांच में मेरे सहयोगी उपमंत्री श्री मल्लिकार्जुन ने भी व्यक्तिगत रूप से हिस्सा लिया ताकि रेलवे को इस काम में नेतृत्व मिल सके।

जांच के लिए आसाम मेल को गाजियाबाद के निकट रोका गया। जब विशेष जांच अभियान चल रहा था तो श्री मल्लिकार्जुन वहां मौजूद थे। जो कर्मचारी विशेष जांच कर रहे थे। उन्होंने आरक्षित डिब्बों में किसी प्रकार का कदाचार नहीं पाया। उपमंत्री के साथ जो रेलवे बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी थे एक दूसरी श्रेणी के स्लीपर डिब्बे में घुस गए। इस आरक्षित डिब्बे की टी.टी.इ. ने इस अधिकारी को डिब्बे के अन्दर जांच नहीं करने दी विशेष जांच की सुविधा से लिए जब टी. टी. ई. को डब्बे से बाहर जाने का आदेश दिया गया तो उसने बाहर जाने के इनकार कर दिया। उसे डब्बे से बाहर खींचना पड़ा जिससे कि विशेष जांच की जा सके।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उसे थप्पड़ मारा गया।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, कृपया उपमंत्री को यहां बुलाएं। हम उपमंत्री के आचरण पर चर्चा करने वाले हैं। उन्हें सभा में रहना चाहिए। (व्यवधान)।

आप मुझे इस तरह चुप नहीं करा सकते । मैं उपाध्यक्ष महोदय आपसे बात कर रहा हूं। कृपया उन्हें व्यवस्था बनाए रखने के लिए कहिए । संसदीयतंत्र के मूल्यों की अपेक्षा है कि श्री मल्लिकार्जुन यहां उपस्थित रहें ।

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मारमागाओ) : कैसा आचरण ?

श्री अटल विहारी वाजपेयी : वह सभा के सदस्य हैं । उनका नाम लिया जा रहा है ।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया वक्तव्य सुनने दें । आप उनकी बात सुनें । (व्यवधान) ।

श्री रामावतार शास्त्री : वह मंत्री गायब हैं और यहां सफाई भी नहीं दे रहे हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने श्री मल्लिकार्जुन को सभा में आते देखा है । पर मंत्री जी ने उन्हें बाहर भेज दिया ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप उनकी बात सुनिए । यह सरकार की ओर से बयान है आप उनकी सुनिए ।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : पांडे जी आप जो कह रहे हैं तो क्या यह भी मिनिस्टर को पावर है ? यह वहां कैसा व्यवहार कर रहे हैं । अगर इस तरह का काम करेंगे तो कोई व्यवस्था नहीं रहेगी । यहां से मंत्री के गायब रहने से कुछ नहीं होगा । (व्यवधान) ।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाएं रखें । मंत्री जी को अपना वयान पूरा करने दें ।

श्री केदार पाण्डे : उसके बाद जब विशेष जांच की गई तो आरक्षित डब्बे में कई अनधिकृत व्यक्ति पाए गए । अपनी गलती को छिपाने के लिए टी.टी.ई. ने बाद में यह बवन्डर पैदा किया ।

उपमंत्री ने टी.टी.ई. को मौके पर ही निलम्बित कर दिया । यह बात कुछ टी.टी.ई. को अच्छी नहीं लगी और वे उपमंत्री को घेरने लगे और निलम्बन आदेश को रद्द करने की मांग करने लगे । वे ऐसी स्थिति पैदा करने लगे जिसकी निष्ठावान कर्मचारियों से आशा नहीं की जाती । कुछ टी.टी.ई. ने उपमंत्री की कार को जाने से रोका । ऐसा गैरजिम्मेदाराना व्यवहार था कुछ गैर जिम्मेदार टी.टी.ई. का । (व्यवधान) ।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये । उन्हें अपनी बात पूरी करने दें । मैं किसी हस्तक्षेप को सहन नहीं करूंगा । (व्यवधान)* ।

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

श्री केदार पाण्डे : उपमंत्री उनके दबाव में नहीं आए । इस दिशा में नेतृत्व दिखाने के लिए मैं अपने सहयोगी मल्लिकार्जुन को बधाई देता हूं । मेरी धारणा है कि कदाचार में शामिल दोषी व्यक्ति को सजा मिलनी ही चाहिए । जो अनुशासन का उल्लंघन करेंगे उनके खिलाफ भी सख्त कार्यवाही की जाएगी ।

मैं सभा को यह भी बताना चाहता हूं । (व्यवधान)* ।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें अपनी बात पूरी करने दे । (व्यवधान)* ।

श्री केदार पाण्डे : कृपया मेरी बात सुनें । (व्यवधान)* ।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं । यह तरीका ठीक नहीं है ।

श्री रामविलास पासवान)* :

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी आप अपना बयान पढ़ते जाएं । मैं सभा को बता देना चाहता हूं कि मंत्री के बयान के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जायेगा । (व्यवधान)* ।

मंत्री के बयान के अलावा कुछ भी रिकार्ड नहीं होगा । (व्यवधान)* ।

श्री रामविलास पासवान*

उपाध्यक्ष महोदय : पासवान जी आप बैठ जाएं । मैं प्रक्रिया और नियमों के विरुद्ध किसी बात की अनुमति नहीं दूंगा । कृपया बैठ जाएं । (व्यवधान)* ।

उपाध्यक्ष महोदय : शान्त रहिए । कुछ भी रिकार्ड नहीं होगा । आप अपनी बात जारी रखें ।

श्री केदार पाण्डे : मैं सभा को बतना चाहता हूं कि विशेष जांच के फलस्वरूप··· (व्यवधान)* ।

उपाध्यक्ष महोदय : शान्त रहें । कुछ भी रिकार्ड नही होगा । कृपया जारी रहें ।

श्री रामविलास पासवान*

उपाध्यक्ष महोदय : पासवान जी आप कृपया बैठ जाएं ।

---

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मलित नहीं किया गया ।

श्री केदार पाण्डे : मैं सभा को बताना चाहता हूं कि इस विशेष जांच के फलस्वरूप 900 यात्री बिना टिकट यात्रा करते पकड़े गये। इससे पता चलता है कि कितने लोग बिना टिकट सफर करते हैं जिसमें प्राय: अनुशासनहीन टिकट जांच कर्मचारियों का भी हाथ होता है। मैं इसे समाप्त करने के लिए कृतसंकल्प हूं। मैंने बिना टिकट सफर के खिलाफ अभियान चलाया है। मैंने पूरे देश में इस प्रकार की जांच करने का निदेश दिया है। वास्तविक मुशाफिरों की सुविधा के लिए इस कदाचार को समाप्त करने में हैं और रेलवे के राजस्व की चोरी रोकने में मैं इस सम्माननीय सभा का सहयोग चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हम इस बयान पर चर्चा चाहते हैं। आप चर्चा को रोक नहीं सकते। चर्चा की मांग करना हमारा अधिकार है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप सूचना दें।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सभा को गुमराह किया गया है मंत्री ने गुमराह किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया इसके लिए सूचना दें। अब हम अगली मद लेते है।

मणिपुर बजट (1981-82)

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : महोदय, मैं वर्ष 1981-82 के लिए मणिपुर राज्य की अनुमानित आय और व्यय का एक विवरण प्रस्तुत करता हूं।

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (मणिपुर) 1980-81

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सताई सिंह सिसोदिया) : महोदय, मैं वर्ष 1980-81 के लिए मणिपुर राज्य के सम्बन्ध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों का एक विवरण प्रस्तुत करता हूं।

———

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) सभी निर्यात योग्य वस्तुओं का अनिवार्यतः गुण-प्रकार-नियंत्रण और जहाज पर लदान से पहले निरीक्षण की आवश्यकता

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : वाणिज्य मंत्रालय के अधीन भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली सभी निर्यातयोग वस्तुओं का अनिवार्यतः गुण-प्रकार नियंत्रण और लदानपूर्व निरीक्षण लागू करने के उद्देश्य से स्थापित की गई थी। अभी तक 6000 निर्यात की जाने वाली मदों में से केवल 800 मदें इस व्यवस्था के अन्तर्गत लाई गयी हैं। अधिक मदों के इसमें शामिल करने की बजाय सरकार ने पटसन और पटसन के माल के निरीक्षण से सम्बद्ध नियमों में कुछ परिवर्तन कर दिए हैं जिसके अनुसार निर्माण-स्तर पर निरीक्षण और गुण-प्रकार-नियंत्रण की प्रक्रिया समाप्त कर दी गई है। इसी प्रकार मछली और मछली उत्पाद एवं जूता उद्योग को कुछ रियायतें दी गई थीं। सरकारी उपक्रमों, स्वायत्त संगठनों और विदेशी सरकारों के अधिकरणों को भी कुछ रियायतें दी गयी हैं। इस सब के फलस्वरूप देश के हित के विरूद्ध घटिया किस्म का माल निर्यात हो रहा है। इसका दूसरा प्रभाव है परिषद के कर्मचारियों की नौकरी की असुरक्षा।

कई सौ कर्मचारी निकाल दिए गए हैं तथा कई और निकाले जाने वाले हैं। कलकत्ता केन्द्र से बहुत सारा काम अन्य केन्द्रों को स्थानान्तरित करने का गुप्त प्रयास हो रहा है। इन सब से कर्मचारियों के मनोबल और कार्यकुशलता पर प्रभाव पड़ा है और देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। देश की साख और कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा की दृष्टि से सभी निर्यातयोग्य वस्तुओं को निर्यात निरीक्षण और किस्मनियंत्रण अधिनियम, 1963 के उपबन्धों के अनुसार अनिवार्य गुण-प्रकार नियंत्रण और लदान पूर्व निरीक्षण व्यवस्था के अन्तर्गत लाना जरूरी है। रियायत देने की प्रथा तुरन्त समाप्त की जानी चाहिए।

(दो) पालेकर पंचाट का उल्लंघन करते हुए समाचार पत्रों द्वारा अंशकालिक संवाददाताओं की बर्खास्तगी

श्री नवल किशोर शर्मा (दोसा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं :

पत्रकारों के लिए गठित पालेकर ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट को जब क्रियान्वित किया गया तब यह निर्णय लिया गया था कि अंशकालीन संवाददाताओं की सेवाओं को भंग नहीं होने दिया जाएगा । लेकिन देखने में यह आया है कि बड़े समाचार-पत्र समूहों ने पालेकर ट्रिब्यूनल के निर्णय के विरुद्ध इन अंशकालीन संवाददाताओं की सेवाओं को भंग कर दिया या इन संवाददाताओं को उतना श्रेय नहीं दिया जाता जितना की उन्हें देना चाहिए ।

अंशकालीन संवाददाता अत्यन्त विपरीत परिस्थितियों में अखबारों के लिए दूर देहात से समाचार संकलन का कार्य करते हैं और डाक-व्यय, स्टेशनरी, यात्रा-व्यय आदि सभी कुछ अपने पास से ही खर्च करते रहे हैं । अब तक इन्हें नाम मात्र का भुगतान ही इन के परिश्रम के एवज में किया जाता रहा है।

जब अंशकालीन संवाददाताओं को इन बड़े अखबार समूहों से कुछ मिलने की उम्मीद बंधी तो सभी सरकारी घोषणाओं को ताक पर रख कर इन अंशकालीन संवाददाताओं को हटा दिया जिनमें से एक नवभारत टाइम्स ने 25 साल पुराने संवाददाताओं की छंटनी करने का निर्णय ले लिया और उन की छंटनी कर दी । यही हाल अन्य बड़े अखबार समूहों का भी है जिस से देश में अंशकालीन संवाददाताओं का भविष्य अन्धकारमय हो चला है ।

अतः मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि वे इस मामले में गम्भीरता से कार्यवाही करें जिस से अंशकालीन संवाददाताओं की दर्खास्तगी बहाल हो तथा पालेकर ट्रिब्यूनल का लाभ इन संवाददाताओं को मिल सके ।

(तीन) उत्तर प्रदेश के बाराबंकी और बहराइच जिलों को मिलाने के लिए घाघरा नदी पर पुल बनाना

श्री रणवीर सिंह (केसरगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं :

उत्तर प्रदेश में बाराबंकी और बहराइच क्षेत्रों में बाढ़ के कारण हर समय जान और माल की हानि का जो खतरा बना रहता है, उसको देखते हुए काफी समय से यह मांग की जाती रही है कि योजना आयोग इस सम्बन्ध में कुछ दीर्घकालिक उपाय करे । जब तक भारत सरकार इस दिशा में कुछ प्रभावी कदम नहीं उठाती तब तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं होने वाला है । उत्तर प्रदेश में बाराबंकी और बहराइच जिले अत्यधिक पिछड़े हुए जिले हैं । इसलिए

भारत सरकार बाढ़ की समस्या का हल निकालने और साथ ही इन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने की दोहरी आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रभावी उपाय कर सकती है। इन जिलों के पिछड़ेपन को दूर करने और यहां व्याप्त असन्तुलन को समाप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपाय यह होगा कि यहां यातायात के साधन उपलब्ध कराये जायें।

बहराइच जिले में बहराइच और बारावंकी को जोड़ने के लिए घाघरा नदी पर कोई पुल न होने के कारण इन क्षेत्रों में कोई उद्योग स्थापित नहीं किए जा सके। सभी प्रकार का कच्चा माल यहां उपलब्ध है किन्तु परिवहन की कठिनाई के कारण प्रगति रुकी हुई है।

अनेक बार आश्वासन दिए गए हैं किन्तु कई बार योजना आयोग और कई बार परिवहन मंत्रालय एक न एक कमी बता देता है। लोगों का धैर्य समाप्त हो चुका है। बार बार की बाढ़ के कारण इस क्षेत्र के लोगों को निरन्तर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस विनाशकारी नदी ने मेरे क्षेत्र को दो भागों में बांट कर रख दिया है। आखिर लोग कब तक इन्तजार करें।

घाघरा घाट पर पुल बन जाने से बहराइच, गोंडा, बारावंकी और लखनऊ जैसे अनेक जिलों में सम्पर्क स्थापित हो जाएगा और उनका विकास हो सकेगा। साथ ही इससे लोगों की कठिनाइयां भी दूर हो जायेंगी। भारत सरकार के योजना आयोग को उत्तर प्रदेश सरकार की सहायता से अविलम्ब इस पुल का निर्माण करवाना चाहिए।

(चार) पाल घाट से ग्रेनाइट चट्टानों की निर्यात सम्भावनाओं का पता लगाना

*** श्री वी. एस. विजयराघवन (पालघाट)** : पालघाट में ग्रेनाइट भारी मात्रा में पाया जाता है। इससे इस क्षेत्र की सुन्दरता और अधिक बढ़ जाती है। यह क्षेत्र पश्चिमी घाट की पृष्ठ भूमि में एक बहुत रमणीक क्षेत्र है। ग्रेनाइट के पत्थर का इस्तेमाल कलापूर्ण भवनों के निर्माण में किया जाता है। ये वहां काफी मात्रा में और सस्ते दामों पर उपलब्ध हैं।

वैज्ञानिकों का मत है कि पालघाट में पाई जाने वाली चट्टानें उतनी ही पुरानी और कठोर हैं जितनी चन्द्रमा में पाई जाती हैं। ये लगभग 45000 लाख वर्ष पुरानी हैं। विशेषज्ञों का मत हैं कि इनका सदुपयोग किये जाने पर हम भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा कमा सकते हैं।

अमरीका में संगमरमर के पत्थर से बड़े-बड़े भवनों का निर्माण होता है। संगमरमर की जो शीघ्र जीर्ण हो जाता है ग्रेनाइट पत्थर के इस्तेमाल की सम्भावनाओं का पता लगाया चाहिए ताकि हम इसका बड़े पैमाने पर निर्यात कर सकें। इस समय ऐसे पत्थर निर्यात जाते हैं जो काफी पुराने नही हैं। यदि पालघाट का पत्थर, जो पुरातत्व और कठोरता

*मंत्रालय में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

की दृष्टि से अपेक्षाकृत बेहतर है, का निर्यात किया जाता है तो हम काफी विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकते हैं।

अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इन पत्थरों की निर्यात सम्भावनाओं का पता लगाने हेतु एक अध्ययन दल शीघ्र पालघाट भेजा जाए।

(पांच) बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर बसे ग्रामीणों की कठिनाइयां

श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं :

गंगा और घाघरा के तटीय 50 किलोमीटर लम्बी एवं 10 किलोमीटर चौड़ी बलुआही क्षेत्र में 50,000 एकड़ भूमि गंगा की गहरी धारा के कटाव तथा बाढ़ के कारण बिहार एवं उत्तर प्रदेश के आर-पार आती जाती रहती है। इस क्षेत्र में पांच लाख किसान प्रान्तीय सीमा के हेर-फेर की समस्या में उलझते रहते हैं। यह एक शाश्वत समस्या बन गई है। यू०पी० एवं बिहार के किसान कौरव-पांडव की तरह सीमा पर महाभारत युद्ध करने पर उतारु रहते हैं। रबी फसल तैयार है। बिहारी किसानों को यदि शांतिपूर्वक उन की रेयती जमीनों से फसलों को काटने में सुरक्षा आवश्वस्त नहीं की गई तो शांति भंग होने की हर संभावना दृष्टिगोचर हो रही है।

बिहार सरकार ने यू०पी० सरकार के भू-प्रभिलेखों के आधार पर वहां के किसानों की मालगुजारी रसीदें दी और उन्हें वैधानिक अधिकारों की मान्यता दी। वे शान्तिपूर्वक फसलें लगाकर काट ले जाते हैं। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश सरकार ने 144 गांवों के किसानों को न तो उनके वैधानिक अधिकारों को माना और न तो उन्हें माल गुजारी रसीदें ही जारी की। इस प्रकार उत्तर प्रदेश प्रशासन ने बिहार उत्तर प्रदेश सीमा परिवर्तन अधिनियम 1968 की खुली अवहेलना दस वर्षों से कर रही है, जिससे सीमावर्ती बलिया जिले और भोजपुर जिले के किसानों में जमकर संघर्ष की कई घटनायें घट चुकी हैं। फसल कटनी के समय यू. पी. के किसान बिहारी किसानों की फसलें बंदूक गोली की नोक पर काट लेते हैं, जिससे स्थिति विस्फोटक हो गई है।

सम्प्रति बिहारी प्रभावित किसान अपने वैधानिक अधिकारों की मान्यता के लिए विगत 2 फरवरी, 1981 से बक्सर अनुमंडलाधिकारी के समक्ष भूख हड़ताल एवं धरना पर हैं। विगत 10 वर्षों से दियारा क्षेत्र के नेनीजोर, ऊरपुर, केशोपुरनगपुरा मुगरोल; पदतपूर, केशापुर, राजपुर, डिगसेसुदा, सलेमपुर, सोहरा आदि में 50 से अधिक किसनों की हत्यायेंहो चुकी हैं तथा सैंकड़ों व्यक्ति बलिया पुलिस एवं किसानों के सशस्त्र हमले से घायल हो चुके हैं अनशन के क्रम में 100 व्यक्ति गिरफ्तार हो चुके हैं तथा 500 लोगों पर 107 की धारा की कार्यवाही की गई है।

अतः गृह मंत्री का मैं व्यक्तिगत ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि रबी फसल कटनी के समय सीमा संघर्ष, हत्या लूट चोरी डकैती बलात्कार आदि रोकने के लिए बिहार-उत्तर

प्रदेश सीमा परिवर्तन अधिनियम 1968 की धारा 26 के अन्तर्गत ऋण देने के लिए एक शक्ति शाली आयोग का गठन करे तथा बिहार के प्रभावित किसानों की फसलों को शांन्तिपूवक काट के लिए अविलम्ब सुरक्षा की व्यवस्था की जाये। इसके साथ बिहार के किसानों को बिहा सरकार के द्वारा सुपुर्द किए गए भू-अभिलेखों के अनुसार यू०पी० सरकार मान्यता प्रदान क मालगुजारी रसीदें निर्गत करके सीमांकन कार्य 'सर्वे आफ इन्डिया" से यथा शीघ्र करायें ताकि लाखों लोगों को लहुलुहान न होना पड़े और अपने स्वराष्ट्र के अन्तर्गत विदेशी नागरिकों की तरह व्यवहार के द्वारा एक दूसरे राज्यों के बीच गंभीर अराजकता का वातावरण पनपने से रोका जा सके।

(छः) विशाल गोमन्तक के निर्माण की मांग

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मारमागाओ) : विशाल गोमन्तक बनाने की मांग एक बार फिर उठ पड़ी है। इसमें एक नए राज्य की कल्पना की गई है जिसमें वर्तमान गोआ और वे सीमा क्षेत्र शमिल किये जाने की मांग है जिनके बारे में महाराष्ट्र और कर्नाटक में विवाद है। इस प्रस्ताव का गोआ के सभी वर्ग के लोग जोरदार विरोध कर रहे हैं। गोआ के लोगों ने अपना पृथक अस्तित्व वनाए रख की अपनी इच्छा 1966 के एतिहासिक जनमत-संग्रह में निर्विवादरूप से प्रकट क रदी थी और इस बीच इस सर्वसम्मत भावना का प्रत्येक उपलब्ध अवसर पर प्रगटन किया गया है। दूसरी ओर गोआ विधान सभा ने भी स्थानीय लोगों की इस प्रबल आकांक्षा की अभिव्यक्ति की है कि गोआ को उसमें और क्षेत्र मिलाए विना पूरे राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। गोआ के विधायक ने एक सर्व सम्मत प्रस्ताव पास किया है कि देश के अन्य राज्यों की भांति गोआ को भी पूर्ण राज्य बनाया जाए। मैं इस माँग को दुहराता हूं। समस्त गोआ वासियों की यह प्रबल इच्छा है और वहां की सभी राजनीतिक पार्टियां भी यही चाहती हैं।

अनुदान की अनुपूरक माँगें (सामान्य), 1980-81
अतिरिक्त अनुदानों की माँगें (सामान्य) 1977-78
और
अतिरिक्त अनुदान की माँगें (सामान्य) 1978-79

उपाध्यक्ष महोदय : सभा बजट (सामान्य) 1980-81 के सम्बन्ध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा और मतदान तथा बजट (सामान्य), 1977-78 और 1978-79 के संबंध में अतिरिक्त अनुदानों की मांगों पर भी चर्चा और मतदान करेगी ।

श्री नीरेन घोष (दमदम) : महोदय, बजट बनाने की प्रक्रिया आज एक विचित्र प्रक्रिया बन चुकी है । आप देखते हैं कि हर वर्ष संशोधित अनुमान आते हैं । फिर वास्तविक अनुमान हैं । जो बजट पेश किया जाता है उसका वास्तविक खर्च से कोई सम्बन्ध नहीं होता । जब बजट पेश होता है तो सभा को जानबूझकर कम प्राप्तियां बताई जाती हैं । अन्त में यह देखा जाता है कि प्रत्येक शीर्ष के अन्तर्गत 300, 400, 500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त रकम इकट्ठी की जाती हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह केवल अनुमान होता है । जानबूझकर ऐसा नहीं किया जाता ।

श्री नीरेन घोष : यह जानबूझ कर किया जाता है । अब मैं गृह मन्त्रालय को लेता हूं । यह कई बार कहा गया है और तथ्य भी है कि जब से वर्तमान सरकार ने कार्यभार सम्भाला है केन्द्रीय संवर्ग के आई. ए. एस. आई. सी. एस. आदि उन वरिष्ठ अधिकारियों को इधर-उधर भेज दिया गया है जो सरकार को पसन्द नहीं है । इन अधिकारियों को कई महीनों तक कोई काम करने को नहीं दिया गया । वे इस इन्तजार में बैठे रहे कि उन्हें कब काम मिलेगा । उनसे काफी कनिष्ठ अधिकारियों को बुलाया गया और उन्हें महत्वपूर्ण पदों पर लगाया गया । कहने का अभिप्राय है कि सही नीति कभी नहीं अपनाई गई । इससे सारे आई. ए. एस. और आई. पी. एस. काडर का मनोबल गिरा है । किसी को पता नहीं है कि क्या हो रहा है ।

गृहमंत्रालय का एक विशेष काम गैर-कांग्रेसी मंत्रियों को तंग करना, परेशान करना खींचना हो गया है । अब एक आफवाह जोर पकड़ गई है हालांकि प्रधान मंत्री ने इसका खण्डन किया है और खण्डन समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है । (व्यवधान) ।

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी) : सरकारें गिराना अनुपूरक मांग नहीं है । क्या वह सरकार गिराने के लिए धन मांग रहे हैं ?

श्री नीरेन घोष : गृह मंत्रालय को जो धन दिया गया है वह सारा गैर-कांग्रेस (आई) सरकारों को गिराने के लिए है । इसलिए यह बात इसमें आती है । सत्तारूढ़ दल के बहुत निकट

जो लोग हैं वे हमें गुप्त रूप से बताते हैं कि पश्चिम बंगाल सरकार बजट सत्र समाप्त होने के तुरन्त बाद गिरा दी जाएगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप केन्द्रीय सरकार के इस प्रयोजन के लिए कुछ और धन देना चाहते हैं ।

श्री नीरेन घोष : जी नहीं । वे हमें गुप्त रूप से बताते हैं हांलाकि प्रधानमंत्री ने इसका खण्डन किया है और आज ही समाचारपत्रों में यह प्रकाशित हुआ है । इन लोगों का कहना है कि यह सब तय हो चुका है । यह होगा । क्यों ? दो बातें हैं । पहली बात है राज्य सभा के छः सदस्य निवृत्त होने जा रहे हैं । उनमें से 3 या 4 सत्तारूढ़ दल के हैं । यदि चुनाव होते हैं तो पश्चिम बंगाल विधान सभा से सत्ताधारी दल का एक भी सदस्य नहीं चुना जाएगा । दूसरा चुनाव होने से पहले वे शासनतंत्र को चुस्त बनाना चाहते हैं और ऐसी परिस्थितियां पैदा करना चाहते हैं भय और डर का वातावरण बन जाए जैसा कि 1972 में इन्होंने किया । तब ये चुनाव करना चाहते हैं । यह सब कुछ हो रहा है । अतः मैं इस अवसर पर यह चेतावनी देना चाहता हूं कि यदि सरकार ऐसा सोचती है तो यह उस की ओर से एक बहुत बड़ी भूल होगी । अगर किसी गैर कांग्रेसी सरकार को गिराया गया तो सारा विपक्ष उसका साथ देगा । लोग इन्हें उचित जवाब देंगे । यही मैं फिर से कहना चाहता हूं ।

जहां तक आसूचना विभाग का संबंध है, खुफिया विभाग कर्मचारी एसोसियेशन एक व्यापक और जनाधारित संगठन है । वहां आई. पी. एस. के जो अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर हैं, शासन कर रहे हैं । जो वहीं नियुक्त किए गए थे वे कई वर्षों से पदोन्नति की प्रतीक्षा में बैठे हैं । उन्होंने मांग रखी । पर अन्ततः उनमें से कुछ को निकाल दिया गया । उनकी मांगों के बारे में कुछ नहीं हुआ । गवेषणा और विश्लेषण विंग का भी यही हाल है । यह आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता है यद्यपि इसका काम विदेशों के बारे में जानकारी प्राप्त करना है । वस्तुतः हर मामले इसी विभाग पर विश्वास किया जाता है । उन्हें गंदे काम करने पर मजबूर किया जाता है । मैं मालूम है कि 1972 में इन्होंने हमारे राज्य में सादे कपड़ों में रह कर सैंकड़ों वामपंथियों की हत्याएं की । यह सब कुछ हो रहा है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको इस तरह आरोप नहीं लगाना चाहिए ।

श्री नीरेन घोष : मैं इस नीति में परिवर्तन चाहता हूं । अब मैं रक्षा मंत्रालय पर हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस कार्यवाही वृत्तान्त को पढ़ूंगा और यदि कुछ...।

श्री नीरेन घोष : हमें बताया गया है कि प्रैस को हथियारों के सम्बन्ध में कुछ कहा गया आप प्रैस में शोर मचाते हैं । पर आप इस बात पर खामोश रहते हैं कि हम बहुत बड़ी में हथियार इकट्ठे कर रहे हैं । एक युद्ध जैसा वातावरण बना दिया गया है । यह सोचना

बचकानापन है कि पाकिस्तान भारत पर हमला करेगा। उनकी जनसंख्या हमारे देश के दसवें भाग के बराबर है। उनकी सेना छोटी है। उनके हथियार काफी घटिया हैं। वे हमारी बराबरी नहीं कर सकते हैं। कोई भी समझदार व्यक्ति यह नहीं सोच सकता कि पाकिस्तान हम पर हमला कर सकता है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : उन्होंने पहले हमले किए हैं।

श्री नीरेन घोष : बहुत सारी बातें हैं जिनके बारे में मैं कहना नहीं चाहता हूं। मैं यह भी नहीं मानता कि चाहे गलत हो या सही मेरा देश, मेरा ही देश है। उद्देश्य उचित होना चाहिए। सरकार युद्ध का जो प्रचार कर रही है मैं उसकी निंदा करता हूं।

जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध है यह विषय राज्य सूची में था। फिर इसे समवर्ती सूची में रखा गया। मेरी यह मांग है कि इसे फिर राज्य सूची में रखा जाना चाहिए। इससे राज्य की शक्तियों का अधिलघन होता है।

जहां तक वित्त मंत्रालय का सम्बन्ध है, राज्यों को वाहक बांडों के एकत्रीकरण के नाम पर उनके उचित हिस्से से उन्हें क्यों वंचित किया जाना चाहिए। कालेधन को एकत्र करने की बजाय, वे करों में अर्थात् सम्पत्ति कर, दान कर और अधिभार आदि में वृद्धि कर सकते थे। साथ ही राज्यों को भी हिस्सा मिल सकता था। उन्हें उनका उचित हिस्सा नहीं दिया गया है। उन्हें सीमेंट और इस्पात के अन्तर्राज्यीय परिवहन पर कर लगाने चाहिए थे। यदि यह किया जाए और धनराशि एकत्रित होती है तो राज्यों को उनका उचित हिस्सा मिल जाएगा। यदि विधेयक में संशोधन किया जाता है तो सभी राज्यों को इससे सैकड़ों करोड़ रुपए मिल जायेंगे। मेरी यह मांग है कि यह सुनिश्चित करने के लिए एक संशोधन करने वाला विधेयक लाया जाना चाहिए जिससे राज्यों की वित्त व्यवस्था की भली प्रकार देखभाल हो सके।

जहां तक वाणिज्य मंत्रालय का सम्बन्ध है, निर्यात पर आधारित अर्थव्यवस्था तथा निर्यात पर आधारित उद्योग का अर्थ है देश को विदेशों के पास गिरवी रखना। निर्यात बढ़ाने के लिए सभी प्रयत्न किए जा रहे हैं। नकद राजसहायता की भारी राशि दी गई है। निर्यात प्रयोजनों के लिए विशेष रियायतें भी दी गई हैं किन्तु वे विदेशों में माल सस्ती दरों पर बेच रहे हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि देश में आम उपभोक्ता वस्तुओं की कमी की जा रही है। इससे अवश्य ही मुद्रास्फीति होगी। वस्तुओं की कमी होती जा रही है। अतः यह स्वाभाविक है कि मूल्य वृद्धि होगी, यह मुद्रास्फीति ही है जो हमारे देश को विदेशों के पास गिरवी रख रही है।

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय ने पैट्रोलियम के नाम पर बहुत पहले ही देश को विदेशी तेल एकाधिकारियों के पास बेच दिया है। उस समय सम्पूर्ण तेल का काम अन्तर्राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा नियंत्रित होता था। अभी भी इसका विपणन उनके द्वारा ही होता है। इसका थोड़ा सा व्यापार 'ओपेक' द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। मैं सभा को सूचित

करना चाहता हूं कि सर जे० सी० घोष समिति द्वारा एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसमें कहा गया था कि कोयले से संश्लिष्ट तेल पैदा किया जा सकता है और इस समिति ने रानीगंज में एक प्रारम्भिक परियोजना की स्थापना करने की सिफारिश की थी। इस प्रतिवेदन को दबा दिया गया। प्रतिवेदन की कोई प्रति उपलब्ध न की गई। इसे सभा-पटल पर कभी भी न रखा गया। देश में विदेशी तेल-एकाधिकारियों के समर्थकों ने यह सुनिश्चित करने का प्रयत्न किया कि संश्लिष्ट तेल का उत्पादन न हो। इसका परिणाम यह हुआ कि तेल के आयात की लागत में 5000 करोड़ रुपए से अधिक की वृद्धि हुई। इसके लिए जिम्मेदार कौन है। इसके लिए वे ही जिम्मेदार हैं। अभी भी वे बड़े पैमाने पर कोयले से गैस बना सकते हैं, निम्न ताप के कार्बनीकरण संयंत्र कहीं भी तथा सर्वत्र लगा सकते हैं। ऊर्जा के संकट का सामना करने के लिए संश्लिष्ट तेल का उत्पादन करने का भी प्रयत्न किया जाना चाहिए।

जहां तक कम्पनी कार्य और न्याय मंत्रालय का सम्बन्ध है, मैं न्यायाधीशों के स्थानांतरण के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। श्री शिव शंकर इस पर जोंक की तरह चिपके हुए हैं और उन्होंने न्यायाधीशों को स्थानांतरित करने का पक्का इरादा किया और जो प्रक्रिया वे अपना रहे हैं वह सही नहीं है। वे इसमें दलगत राजनीति ला रहे हैं और न्यायाधीशों को डरा रहे हैं। न्यायाधीशों को वचनबद्ध उनके दल के प्रति वचनबद्ध न्यायपालिका बनाने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए न्यायाधीशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा रहा है।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा वह है कपड़ा उद्योग के बारे में। यह अब वाणिज्य मंत्रालय के अधीन है। कपड़ा उद्योग जिसमें हथकरघा क्षेत्र भी शामिल है और जिसमें साधारण कपड़ा तैयार होता है क्योंकि अच्छे किस्म के कपड़े को संगठित क्षेत्र के लिए आरक्षित किया गया है, एक बड़ा उद्योग है, समस्त नीति की समीक्षा की जानी है। इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगा कि वर्किंघम, कर्नाटिक मिल्स और मोहिनी मिल्स को तत्काल सरकार अपने हाथ में ले और इन्हें राष्ट्रीय कपड़ा उद्योग द्वारा चलाया जाए।

मैं इस्पात के मूल्यों में एकरूपता लाने के बारे में इस्पात विभाग के सम्बन्ध में यह मांग उठाना चाहता हूं। इस्पात के मूल्यों को बराबर करने की नीति सही नहीं है और इसे तुरन्त रद्द किया जाना चाहिए। इस्पात और कोयले के मूल मूल्यों को समस्त देश में बराबर किया जाता है। विश्व में कहीं भी, यहां तक की सोवियत संघ अथवा संयुक्त राज्य अमेरिका में इस्पात के मूल्य बराबर नहीं किए गए हैं। इससे न केवल पूर्वी क्षेत्र अपितु बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश आदि राज्यों को उनकी अपनी स्थिति के लाभ से ही नहीं किन्तु पूंजी निर्माण से भी वंचित किया जाता है। वे यही कर रहे हैं। यह एक मूल मांग है जिसे बार-बार दोहराया गया है कि इस्पात के मूल्य को बराबर न किया जाए। यदि यह नीति बनी रहती है तो रुई, पैट्रोलियम उत्पादों और अन्य मूल औद्योगिक कच्चे माल की कीमतें भी समस्त देश में बराबर की जानी चाहिए।

परमाणु ऊर्जा के बारे में विज्ञान की दुनियां में यह सर्वविदित है कि भविष्य में परमाणु ऊर्जा, ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होना चाहिए। किन्तु हमारे देश में गत 10-12 वर्षों से परमाणु परियोजनाएं पिछड़ गई है और परमाणु ऊर्जा के उत्पादन को गम्भीरता से नहीं लिया जा रहा है। मैं नहीं जानता कि इसका क्या कारण है। यह भी मालूम नहीं कि क्यों परमाणु ऊर्जा के बड़े पैमाने पर प्रयोग के लिए अधिकाधिक उद्योगों को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए।

जहां तक इस्पात का सम्बन्ध है, मैं एक और बात कहना चाहूंगा। बात यह है कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के उत्पादों का मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य की अपेक्षा बहुत कम है। वास्तविक मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य से बहुत ही कम है जो लगभग 2,000 रु० प्रति टन है। इस प्रकार दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के उत्पादन का मूल्य केन्द्रीय सरकार ने निर्धारित किया है और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र को हानि उठानी पड़ी है। जहां तक मुझे मालूम है यद्यपि विशेषज्ञ समिति ने इस क्षेत्र मे एक तटवर्ती इस्पात संयंत्र की सिफारिश की थी किन्तु इसे स्वीकार नहीं किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : अच्छा होगा यदि कुछ विनियोग विधेयक के लिए छोड़ दें।

श्री नीरेन घोष : अब मैं आपूर्ति पर कहना चाहूंगा। मेरे अनुमान से लगभग 3000 करोड़ रुपए अथवा इससे अधिक की राशि सबसे बड़े व्यापार गृहों को कर राहत, छूट, करों से मुक्ति, निर्यात सहायता तथा विभिन्न अन्य रियायतों के रूप में दी गई है। किन्तु जहां तक भारत के गरीबों की बात है, भारत के लोकतांत्रिक लोग काफी लम्बे समय से यह मांग करते रहे है कि कम से कम आवश्यक आम उपभोक्ता वस्तुओं की सरकार द्वारा खरीद कर समस्त देश में समान कीमत पर लोगों को सप्लाई की जाये। यह मुद्रास्फीति का सामना करने के लिए सबसे अधिक शक्तिशाली हथियार है। किन्तु, चूंकि इससे बड़े व्यापारिक गृहों के हितों को नुकसान पहुंचेगा और इससे लोगों को लाभ होगा, इस सरकार ने इसे दबा दिया है। मुझे मालूम है कि जनता सरकार में श्री मोहनधारिया ने इस बारे में लगभग एक उचित योजना बनाई थी और यहां क्रियान्वयन के लिए करीब-करीब तैयार हो गई थी किन्तु यह सरकार तो उस दिशा में एक भी कदम नहीं उठा रही है।

जहां तक श्रम मंत्रालय का सम्बन्ध है, यह मंत्रालय सरकार का एक बिल्कुल अविवेकपूर्ण और निष्क्रिय मंत्रालय है। इसके दो-तीन बार मंत्री बदले गये। आज वे क्या कर रहे है इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। बंगलौर में, लोको कर्मचारियों की हड़ताल में और उनकी शिकायतों के मामले में उन्होंने बड़ी सस्ती की है। कर्मचारियों के साथ उन्होंने जो वायदे तथा बातचीत की थी उन्हें कार्यान्वित नहीं किया गया। उनकी शिकायतें सुनी नहीं गई। सभी सुरक्षा उपायों को समाप्त किया गया। यह व्यवस्था है कि निर्यात ब्रेक की एक प्रतिशतता निर्धारित की जानी चाहिए। इस व्यवस्था को समाप्त किया गया है। डिब्बों की संख्या में वृद्धि की गई है। दो स्टेशनों के बीच जब ड्यूटी बदलती है विश्राम का समय होता है किन्तु जैसे ही श्री केदार पांडे ने कार्यभार सम्भाला इन सब बातों को समाप्त किया गया। यही कारण है कि

दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं और इसका दोष श्री केदार पांडे को अपने ऊपर लेना चाहिए। इसका कारण यह है कि सभी सुरक्षा उपायों को समाप्त किया गया है और लोको कर्मचारियों की शिकायतों को सुना नहीं गया है। उन्हें अब वह सब करने के लिए कहा जा रहा है जिसकी सुरक्षा विनियमों के अन्तर्गत अनुमति नहीं है। ये बातें हो रही हैं। मैं नहीं जानता कि रेलवे को कौन प्रशासित कर रहा है, श्री एम० एस० गुजराल प्रशासित कर रहे हैं या श्री केदार पाण्डे।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं दोनों।

श्री नीरेन घोष : दोनों नहीं, श्री गुजराल कर रहे हैं। श्री केदार पाण्डे ने सभा में कहा था कि प्रत्येक छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदला जाना चाहिए। इसके तुरन्त बाद सत्ताधारी दल के कुछ संसद सदस्यों ने रेल मंत्री को कुछ पत्र लिखे और इसमें परिवर्तन किया गया तथा अब कुछ छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदला जाना है।

जैसा कि मैंने कहा है, श्रम विभाग ने कुछ नहीं किया है। कोई जांच नहीं की है। किसी भी श्रम विवाद को निपटाया नहीं गया है। बंगलौर को ही देखिये, लोको कर्मचारियों को ही देखिए तथा जीवन बीमा निगम में हड़ताल को ही देखिए। जांच करने की प्रक्रिया है। हमारी मांग यह है कि गुप्त मतदान के आधार पर यूनियनों को मान्यता दी जानी चाहिए। इनकी सूची भी बनाई जा रही है। अभी भी टाटानगर-जमशेदपुर में बड़ा भारी श्रम विवाद होने वाला है। 10,000 मजदूर हड़ताल पर हैं। लगभग 500 लोग जेल में हैं, जेल में भूख हड़ताल हुई है। यही नहीं 'टिस्को' के प्रबन्धक संविद श्रमिकों को स्थायी तथा नियमित कामों में नियुक्त करने के करार को क्रियान्वित नहीं कर रहे हैं। ये श्रम सलाहकार बोर्ड के लिखित आदेश हैं। इनका 'टेल्को' और टयब भैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी में क्रियान्वयन हो रहा है। वे इन्हें यहां क्रियान्वित नहीं कर रहे हैं। केन्द्रीय सरकार इस विशेष मामले में टाटा तथा रूसी मोदी के सामने घुटने टेक रही है। वे टाटा पर इस करार को क्रियान्वित करने के लिए जोर देने का कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। श्रम मंत्रालय को समाप्त कीजिए क्योंकि वे अपनी किसी भी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे हैं।

श्री राम नगीना मिश्र (सलेमपुर) : मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर संयोग से आज मुझे भी बोलने का मौका मिल गया है। मुझे कुछ विशेष नहीं कहना है। मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है इसकी चारों तरफ से चाहे विरोधी दल के नेता हों या सत्ता पक्ष के या विशेषज्ञ हों, एक स्वर से सभी ने प्रशंसा की है यह बजट अत्यन्त सराहनीय है।

चन्द बातों की तरफ आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह सत्य है कि सारे देश में अगर उजाला हो और मेरे घर में अंधेरा हो तो उस उजाले से हमको क्या लाभ ? जिस क्षेत्र का मैं रहने वाला हूं, उत्तर प्रदेश, उसकी आबादी सबसे अधिक है और गरीबी भी वहां अपने आप में विराजमान है। आंकड़ा देखने से मालूम होता है कि आज तक

जितनी भी योजनाएं बनी हैं और उन पर अरबों रुपए खर्च हुआ है, उस में कुछ प्रदेश ऐसे हैं जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश उन में जितनी प्रगति होनी चाहिए थी नहीं हुई है। आज भी उत्तर प्रदेश की हालत यह है कि पचास प्रतिशत से भी अधिक लोग वहां गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं। जिस अंचल में मैं रहता हूं वह उत्तर प्रदेश का भी सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है। पर कैपिटा इनकम के आंकड़े पेश किये जाते हैं। मेरा यह कहना कि बड़े-बड़े करोड़पति जो हैं उनकी आय भी उस में जोड़ी जाती है और हमारे इलाके में आज भी जो डेढ़ और दो रुपये प्रतिदिन पर मजदूरी कराई जाती है, उसके आंकड़े भी जोड़े जाते हैं। देहात की आबादी सब से अधिक है। आपको सुन कर आश्चर्य होगा कि जिस देहाती इलाके का मैं रहने वाला हूं वहां आज भी लोगों को दो वक्त कि ... रोटी नसीब नहीं होती है। जब मैंने सदन में यह कहा तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मेरठ साइड के लोग आश्चर्य करने और कहने लगे कि क्या बात करते हो, खाना भी नहीं मिलता है दोनों वक्त ? हमारा इलाका ऐसा ही है। अगर दो मरीज हैं और एक को सन्नीपात हो गया है और एक को मामूली बुखार है, सौ डिग्री बुखार है तो जो डाक्टर होगा, जिस को सन्नीपात हो गया है, टायफाइड हो गया है पहले उसको देखेगा और उसके बाद साधारण मरीज को देखेगा। मैं देख रहा हूं कि जिस को सन्नीपात है उसकी तरफ नजर बस .. गई है और जिसको हल्का बुखार है उस पर अधिक नजर गई है यह देख कर मुझे खुशी हुई कि बीस लाख तक और कोई खर्च करे इन्डस्ट्री में उस पर छूट मिलेगी। मैं उस अंचल का रहने वाला हूं जहां गन्ने की खेती होती है। आश्चर्य है कि गन्ना हम बोते हैं, संयोग से अगर बिजली वाला ट्यूबवैल लगा रखा है तो उस ट्यूबवैल से उपजे गन्ने से हम गुड़ नहीं बना सकते हैं, यह हमारे ऊपर प्रतिबन्ध है। यह प्रतिबन्ध हम पर क्यों है ? छोटी-छोटी इन्डस्ट्रीज को प्रोत्साहन मिल रहा है, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमने क्या अपराध कर रखा है, इतना खून-पसीना बहाकर हम गन्ना पैदा करें और अपने गन्ने को अगर अपने कोल्हू से पेरना चाहें और गुड़ बनाना चाहें तो हमारे ऊपर नियम है कि हम बिजली से चलने वाले कोल्हू से गुड़ नहीं बना सकते हैं। मैं समझता हूं कि यह हमारे मौलिक अधिकार पर कुठाराघात है। यहां पर अगर देखा जाये तो पश्चिम के इलाके में हजारों-सैकड़ों क्रेशर लगे हैं लेकिन हमारे पूर्व में इस तरह की इजाजत नहीं है। क्या कारण है।

परसाल गन्ने की कमी रही, हमारे यहां फैक्टरी कम दिन चली अगले साल अब गन्ना अधिक होगा, चाहे वह खेतों में सूखने लगे, लेकिन हमको अपना गन्ना अपने कोल्हू से पेरने की इजाजत नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि हमारे इस मौलिक अधिकार पर कोई कुठाराघात नहीं होना चाहिए। खास तौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो गन्ना बोने वाले किसान हैं, उनको भी अधिकार होना चाहिए कि वह अपने गन्ने को क्रेशर से पेर सकें और गुड़ बना सकें।

प्रजातंत्र में सबसे बड़ा आश्चर्य यह भी है कि अगर अपने गन्ने को दूसरे क्षेत्र में ले जायें तो इसके लिए एक एक्ट बना हुआ है केन पर्चेजिंग एक्ट। उसमें एक जोन से दूसरी जोन में गन्ना ले जायेंगे तो 6 महीने की सजा और पांच सौ रुपए जुर्माना होता है। चौधरी साहब के

राज्य में एक नोटिस था कि जो एक्सेस गन्ना होगा, उसके हम जिम्मेदार नहीं है चाहे जो करो, चाहे उसे फूंक दो।

मेरा निवेदन है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में गन्ना एक ऐसी फसल है, जिस पर लाखों किसानों का जीवन निर्भर करता है। इस के बारे में एक ठोस नीति बननी चाहिए।

आज हम सब समाजवाद की बात करते है और समाजवाद की रीढ़ है को-आपरेटिव सोसाइटी। आज को-आपरेटिव की यह हालत है कि हमारे यहां गन्ने की एक सोसाइटी है। ऐसी करीब सैंकड़ों सोसाइयटीज हैं जिसमें लाखों लोग काम करते हैं। उसकी एक फैडरेशन लखनऊ में है, जहां से इसका संचालन होता है। आपको आश्चर्य होगा कि उसमें कम-से कम 100 चपरासी रखे गए हैं, जो सुख-भोग यहां दिल्ली के लोग नहीं कर सकते हैं, जो सुविधाएं यहां मिनिस्टरों को नहीं है वह सब हमारी इस फैडरेशन के अधिकारियों के नसीब में हैं। कोई उन्हें देखने वाला नहीं है। आप देखेंगे कि अगर किसी की तनख्वाह 500 या 800 रुपए हैं तो उसे ओवरटाइम भी उतना ही बनता है। आज को-आपरेटिब्ज की यह हालत है। अगर हमारा बेस ही खराब होने लगेगा तो भविष्य अन्धकारमय होगा। हमारी जो को-आपरेब्जि की संस्थाएं हैं, हमने इन्हें प्रोत्साहित किया है तो इन पर निगरानी भी होनी चाहिए और सख्ती भी बरतनी चाहिए।

मेरे पास बहुत से आंकड़े भी हैं और मैं कई बातें कहना चाहता हूं, लेकिन खासतौर से मैं अपने जिले की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मेरा जनपद ऐसा है कि उत्तर में नारायणी नदी है और दक्षिण में घाघरा है। दोनों नदियां आये दिन बाढ़ से हमारे जिले को तबाह करती हैं। अगर सबसे बड़ी प्राबलम है तो बाढ़ की होती है, पानी निकलने का बाई रास्ता नहीं रहता है।

दूसरे सिंचाई के लिए हमारे यहां एक गंडक प्रोजेक्ट बनाया गया था, इसकी हालत यह है कि जो इसकी नालियां और शाखाएं निकली हैं, आपको आश्चर्य होगा कि सरकार कहने के बावजूद भी वह किसानो के लिए श्राप बनी हुई है जहां मैं रहता हूं, वहां की हालत यह है कि शाखाएं नीची हैं और पानी ओवर-फ्लो करके समूचे इलाके को डुबो देता है और लाखों, करोड़ों की फसल तबाह हो जाती है। इस बारे में सुनवाई नहीं होती है। मैं चाहूंगा कि सिंचाई के लिए जो नहरें निकली हुई हैं, उनका ठीक प्रबन्ध किया जाये और नालियों को ठीक किया जाये, ताकि खेतों में पानी जा सके। वाटर-लागिंग से नुकसान होता है, इसलिए पानी के निकलने का रास्ता होन चाहिए।

हाल ही में वहां पर बाढ़ आई थी। मैंने दौरा करके उस क्षेत्र की हालत को देखा। पहले वहां पर सामन्तवाद था, जिसके पास लट्ठबंद लोग रहते थे। सामन्तवाद समाप्त हो गया और ठेकेदारी के रूप में नए सामन्तवाद का उदय हुआ है। कोई भी ठेकेदार नहीं है, जिसके

पास दस बीस बंदूक वाले या बट्टे वाले नहीं हैं। किसी नेता की हिम्मत नहीं है कि वह उनके विरुद्ध आवाज उठा सके। नदी के कटाव को रोकने के लिए दो लाख रुपए सेंक्शन किए जाते हैं। हमने अपनी आंखों से देखा है कि बांस को काट कर बेहया खर को' जो अपने आप पैदा हो जाता है, लगा दिया जाता है।

हमने गांव वालों से पूछा कि वे इसको क्यों नहीं रोकते हैं। वे कहते हैं कि क्या हम गोली खायें। मैं अदब से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर ठेकेदारी प्रथा को बन्द कर दिया जाये, तो लाखों करोड़ों रुपयों की बचत हो सकती है। आज देश में बहुत बेकारी है। सरकार के पास इंजीनियर्ज ओवरसियर्ज आदि हैं। अगर लोगों को डेली वेजिज पर काम दिया जाये, तो देश का बहुत बड़ा भला हो जायेगा। अगर एक लाख रुपया खर्च होता है, तो निश्चित जानिए कि उसमें से पचास पजार रुपया ठेकेदार के पाकेट में गया है और पच्चीस हजार रुपया साहब लोगों के पाकेट में गया है। कोई हिसाब-किताब नहीं है। किसानों की गाढ़ी कमाई चन्द लोगों के पाकेट में जा रही है। मैंने पचवर्षीय योजनाओं के आकड़े देखे हैं। जहां तक उत्तर प्रदेश का सम्बन्ध है, पर-केपिटा इनकम में 17 परसेंट की कमी हुई है।

हमारे यहां कुछ शूगर फैक्ट्रियां बीमार हालत में हैं। उनमें से एक फैक्टरी छितौनी में और दूसरी खड्डा में है। छितौनी की फैक्टरी में लगभग दो करोड़ रुपये सरकार के हैं। मजदूरों और किसानों की गाढ़ी कमाई का पैसा उसमें लगा हुआ है लेकिन आज पचास लाख रुपये में भी वह फैक्टरी नहीं बिकेगी। ऐसी फैक्टरियों को रख कर किसानों को बर्बाद किया जा रहा है। सरकार को चाहिए कि वह इन फैक्टरियों को लेकर उनकी कैपेसिटी को बढ़ाए, ताकि वे ठीक ढंग से चल सकें।

क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है कि किसान गन्ना पैदा करें, लेकिन विवाह-शादी के मौके पर उन्हें चीनी और मिठाई नसीब न हो? जब हम एक हजार या दस हजार क्विंटल गन्ना सप्लाई करते हैं, तो क्या हमें चीनी पाने का हक नहीं है? यह केन्द्रीय सबजेक्ट है। जो किसान गन्ना सप्लाई करता है, उसे मिलों द्वारा गन्ने का जो दाम मिलता है, उसी प्रोपोर्शन से उसी दर से उसके लिए चीनी का क्वोटा नियत होना चाहिए। आज हालत क्या है? जब गन्ने का दाम तय होता है तो उस समय चीनी का दाम कम होता है। जब सीजन समाप्त हो जाता है, तो चीनी का दाम आसमान छूने लगता है और किसान उसको खरीदने में असमर्थ होता है। मजदूर तो संगठित हैं, उनको तो बोनस मिल सकता है, किन्तु किसान को बीच का मुनाफा नहीं मिलता है।

आपको जानकर आश्चर्य होगा कि विकास के नाम पर को-आपरेटिव के माध्यम से किसानों को जो फर्टीलाइजर दिया जाता है, उस पर अठारह, साढ़े अठारह परसेंट इन्ट्रेस्ट उनसे लिया जाता है। देश भर में कहीं भी यह रिकार्ड नहीं है। अगर कोआपरेटिव सोसायटी किसानों को 100 रुपये का फर्टीलाइजर दे दे, तो उनसे 18 रुपये लिए जाते है। वित पोषण स्कीम के अन्तर्गत कोआपरेटिव सोसायटी गांव में खाद देती है और केन सोसायटी वसूल करती है, और

डेढ परसेंट वह ले लेती है। इसके अलावा 18 परसेंट सूद भी लिया जाता है। अगर बैंक में एन्ट्री गलत हो, तो किसान को दोबारा देना पड़ता है। हमारा केन का इलाका बरबाद हो चुका है। मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि बित पोषण स्कीम को समाप्त किया जाए और गन्ना बोने वाले किसानों को साढ़े अठारह प्रतिशत सूद न देना पड़े क्योंकि वहां यह नियम है कि गन्ना बोने वाले किसानों को जो फर्टिलाइजर दिया जाय वह कम दाम पर दिया जाय लेकिन वह कम दाम पर नहीं दिया जाता है।

मैंने पहले भी कहा था कि देश में समाजवाद आ जाय अगर गांवों के लोगों को पीने का पानी मिल जाय। आज भी हमारे इलाके के लोग शुद्ध पानी नहीं पाते हैं। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य विभाग का इतना प्रचार हो रहा है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं गांवों में आधी बीमारी जो होती है वह किस वजह से होती है। यहां और भी गांवों में रहने वाले लोग हैं वे जानते होंगे, आप गांव के लोगों से पूछिए, गांवों में खास तौर से औरतों को अगर कोई बीमारी भी हो तो कोई औरत दिन में बाहर नहीं जा सकता, रात के वक्त वह बाहर जायगी। यह सबसे बड़ा कष्ट है। इसलिए गांवों में अगर शौचालय की व्यवस्था हो जाय और पीने का पानी मिल जाय तो मैं समझता हूं कि आधा समाजवाद आ जाय। मैं चाहूंगा कि बजट में इसके लिए प्रावधान होना चाहिए कि गांवों में शौचालय बनाए जायं और वहां पीने का पानी मिल सके। मैं समझता हूं कि इसमें सबकी एक राय होगी। जो बड़े-बड़े गांव हैं उनको मेन रोड्स से जोड़ दिया जाय। हमारे यहां ठेकेदारों को यह स्कीम दे दी गई सड़क बनाने की, आधा काम हुआ आधा नहीं हुआ और ठेकेदारों को रुपए का पेमेंट कर दिया गया। इससे काम ठीक तरह से नहीं हो पाता। होना तो यह चाहिए था कि डेली वेजेज पर काम कराया जाय और उनको उचित मजदूरी दी जाय। परन्तु यह हुआ नहीं। हुआ ठेकेदारों के माध्यम से और उसमें आधा रुपया ठेकेदार खा गए और उसमें बी. डी. ओ. ने ले लिया। अब जांच पड़ताल हो तो उसमें कौन गवाही देगा? किसको गोली खानी है? हमारे गोरखपुर में, आप जानते हैं क्या होता है? माननीय सदस्य गोरखपुर के जो विरोधी दल में हैं, उन्हें पता है, वह होते तो बताते। किसकी हिम्मत है गोरखपुर में कि साधारण आदमी वहां जा कर ठेका ले ले। जहां ठेके की बात आती है हर तरफ से जीपों में बन्दूकें जाती हैं और अफसर की हिम्मत नहीं है कि वह किसी दूसरे को ठेका दे सके। आपस में जिसकी बाहों में ज्यादा ताकत है वह ठेका लेता है। ऐसे ऐसे नामी लोग वहां हैं जिनके नाम से लोग थर्राते हैं। बीसों मर्डर वहां ठेकेदारों की तरफ से हो चुके।

वहीं छितौनी है, कई साल से सुना जा रहा है कि पुल बनेगा, रेलवे लाइन बनेगी, खुद प्रधान मंत्री उद्घाटन करने गईं लेकिन आज तक वहाँ कुछ नहीं बन सका। आज भी हमें डर है कि सचमुच में यह पुल बनेगा या नहीं।

इसी हाउस में जब पं० कमलापति जी रेल मंत्री थे तो उन्होंने एलान किया था कि कुशीनगर विश्व का सबसे प्रसिद्ध स्थान है, देवरिया से पड़रोना वाया कुशी नगर एक रेलवे लाइन बनेगी। अब इस बजट में पता नहीं वह है या नहीं। अगर न हो तो मैं मंत्री जी से

निवेदन करूंगा कि मंत्री जी अपने भाषण में कम से कम एलान करें जिससे हमारे इलाके के लोगों को संतोष तो हो जाय। छितौनी से रेलवे लाइन देवरिया तक आ जाती है तो वह इलाका स्वर्ग हो जायगा। बड़ी लाइन हो जायगी तो हमें विकास करने का अवसर मिलेगा।

अन्त में मैं यह कहूंगा कि हमें गन्ना पेरने की इजाजत मिलनी चाहिए। यह केन्द्रीय विषय है, इसलिए मैं चाहूंगा कि कृषि मन्त्री महोदय इसकी इजाजत दें। इन शब्दों के साथ मैं बजट की प्रशंसा करता हूं। मैं चाहूंगा कि जो मैंने कहा है उसको ध्यान में रखते हुए गांवों के लिए कुछ अधिक बजट जरूर स्वीकृत किया जाय।

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार के खर्चे इतने बढ़ गए हैं कि उसको इस लोक सभा में अनुपूरक मांग रखने की आवश्यकता पड़ रही है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि एक साल भर पहले जब इस देश में एक नई सरकार बनी थी तो उसने यह नारा दिया था जिस नारे के आधार पर कि वह चुनाव लड़कर और जीतकर आई थी— उसमें यह कहा गया था कि चुनिए उसे जो सरकार चला सके। सरकार चलाने की बात तो दूर रही, मैं माननीय मंत्री से कहूंगा सरकार चलाने की तो क्या देश बैलगाड़ी की गति से प्रगति करें, वह स्थिति अभी नहीं आयी है। सरकार कैसे चलेगी। यह तो सरकार जाने।

यह प्रगति, यह विकास और यह क्रांतियां केवल कागजों पर आया करती है। पहले एक नारा आया था हरित क्रांति का, उससे फसलें कागजों पर उगाई गई, सिंचाई स्याही से की गई और फिर पता नहीं फसलें कौन काट गया। यह देश अपनी जगह पर है, सरकारी योजनायें हर साल बनती है, पैसे की कमी भी बार-बार होती है, इस साल जो नया बजट है उसमें पता नहीं क्या होगा लेकिन जो रफ्तार सरकार की है उससे तो यही लगता है कि अगले साल भी यही सब होने वाला है। इसलिए मेरा कहना है कि खर्चे की मांग, यह तो एक प्रक्रिया है जोकि पूरी होगी परन्तु सरकार को जिस तरह से काम करना चाहिए था उस तरह से काम नहीं किया गया है।

कृषि के क्षेत्र में हम क्रांतिकारी परिवर्तन की बात हम रोज सुनते हैं। रेडियो और टेलीविजन पर अनेक नयी योजनाओं के बारे में हम देखते सुनते है लेकिन किसान को जो दर्द है। उसकी जो खाद, पानी और बिजली की जो समस्यायें हैं उनकी ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया है। डीजल मंहगा हो गया है, बिजली मंहगी हो गई है और किसानों को जो सिंचाई की सुविधायें मिलनी चाहिए वह नहीं मिली है। मध्य प्रदेश में किसानों को खाद बीज पर सब्सीडी भी नहीं दी जाती है। किसान की जैसी हालत है वह सभी को पता है। कहने के लिए वह अन्नदाता है, सभी लोग उसका दिया हुआ खाते हैं लेकिन किसान की ओर कौन ध्यान देता है ? यह मुख्य प्रश्न है। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि किसान के उत्थान की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। अभी अभी एक विशाल रैली यहां पर आयोजित की गई थी किसानों की हमदर्दी प्राप्त करने के लिए, उस पर मुझे कोई आपत्ति भी नहीं है लेकिन अगर किसानों के लिए कारगर योजनायें बनाई गई होती तो आजादी के बाद इन तीस सालों में किसान निश्चित रूप से प्रगतिशील बन जाता। अगर किसान को आवश्यक पानी, खाद और बीज मिल जाता तो

उसकी उन्नति हो सकती थी ; आज कृषि के क्षेत्र में बड़े-बड़े अनुसंधान किए जा रहे हैं परन्तु वह अच्छे पेपर बुक तक ही सीमित हो जाते हैं, उनको कोई किसानों के खेत तक पहुंचने वाला नहीं है जिससे कि किसानों को लाभ मिल सके। मेरा अनुरोध है कि कृषि के बारे में जो अनुसंधान किए जाते हैं उनको आम किसानों तक पहुंचाया जाए ताकि उनका उत्पादन बढ़ सके और उनमें खुशहाली आ सके।

जहां तक सिंचाई योजनाओं का सम्बन्ध है योजनायें बनाई जाती हैं लेकिन उन पर अमल नहीं होता है। मध्य प्रदेश में नर्मदा के ऊपर सिंचाई योजनायें बननी चाहिए थीं। वहां पर जो बारना बांध था वह टूट फूट गया जिससे बड़ी तबाही आई। यह इसलिए हुआ कि इस प्रकार की योजनायें बनाते समय लापरवाही बरती जाती है और जो निर्माण किया जाता है उस पर ठीक से ध्यान नहीं दिया जाता। इसी का यह परिणाम हुआ कि जो लाखों रुपए की लागत लगी थी वह बरबाद हो गयी नर्मदा प्रोजेक्ट जो है वह मध्य प्रदेश के लिए एक वरदान सिद्ध होगा इसलिए उस पर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए। वह मंत्रीमण्डल में रुका पड़ा है। कभी सुप्रीम-कोर्ट और कभी हाईकोर्ट में मामला चला जाता है। इस प्रकार से प्रगति के लिए जो निश्चित कार्यक्रम होने चाहिए उन पर अमल नहीं हो पा रहा है। मेरा अनुरोध है कि केन्द्रीय सरकार इस ओर ध्यान देकर नर्मदा सागर बांध बनाए जाने की व्यवस्था करे और उस पर तुरन्त कार्य-वाही करे।

अभी मेरे पूर्ववक्ता ने कहा कि हमारी ओर अंधेरा है और सब जगह उजाला है परन्तु मैं उनको बता दूं कि सभी लोगों का यही कहना है, उजाला कहीं भी नहीं है, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है। उस अंधेरे में हम रास्ता खोजने की बात सोच रहे हैं। अच्छे और निश्चित कार्यक्रम बनाने के बाद ही इस अंधेरे को दूर किया जा सकता है इस संदर्भ में एक छोटी सी कहानी याद आ गई है। एक बार यह निश्चित हुआ सुबह गांव के सभी लोग मिलकर एक एक लोटा दूध कड़ाव में डालेंगे जिसको बाद में प्रसाद के रूप में वितरित किया जायेगा। लोगों ने सोचा अंधेरे में कौन देखेगा कि हमने दूध डाला या नहीं डाला और हमने अगर एक लोटा पानी ही डाल दिया तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। इस प्रकार से सभी लोग दूध की जगह पानी ही डालते गए और जब देखा गया तो वहां दूध नहीं, पानी ही पानी था।

मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की योजना बनाने से कोई लाभ नहीं होने वाला है, जब कि उन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए ठोस पग न उठायें जायें। अभी सरकार गुजरात की स्थिति पर चर्चा कर रही थी और हमने भी लोकसभा में चर्चा की है। आरक्षण के मामले को लेकर आज हरिजन कितना असुरक्षित है, इस के बारे में किसी को चिन्ता नहीं है। यह आन्दोलन मध्यप्रदेश, राजस्थान और गुजरात में चारों तरफ फैल रहा है। महसाणा जिले की गांवों के अन्दर 500 लोगों को उन के घरबार के साथ निकाल दिया गया उनकी झोंपड़ियों में आग लगा गांव छोड़ने को बाध्य कर दिया हरिजन असुरक्षित हैं। डाकू उन्मूलन अभियान में मन्त्रियों की बैठक हो रही थी, तो खालेया जिले एक गांव के अन्दर पांच

लोगों को उड़ा दिया गया और उसके पहले की घटना आपको पता है कि कई लोगों को एक साथ लाइन में खड़ा करके उड़ा दिया गया था। इस प्रकार की स्थिति के रहते हुए क्या हम कह सकते है कि देश के अन्दर कोई सरकार काम कर रही है ?

उपाध्यक्ष महोदय : इस चर्चा के लिए केवल दो घंटे आवंटित किये गये हैं। यदि प्रत्येक व्यक्ति 20 मिनट लेता है तो कठिनाई हो जायेगी। कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री सत्यनारायण जटिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, वैसे यही मौका हम लोगों को सरकार से अपनी बात कहने का मिलता है। मध्य प्रदेश के अन्दर काम के बदले अनाज योजना के अन्दर सड़के बनाई गई थी। इसी योजना के अन्तर्गत निर्माण के काम और छोटी-मोटी सिंचाई के काम भी हाथ में लिए गए, स्कूल भवन तथा ग्रामीण सचिवालय भी बनाए गए। ग्रामों का विकास कैसे हो, इस योजना को पहले हाथ में लिया गया। केन्द्र सरकार की ग्रामीण एकीकृत विकास योजना एक योजना है, जिसके अन्तर्गत अब काम नहीं हो रहा है। इसलिए मेरा सरकार से कहना है कि जब वे सारी बातें करती हैं, तो वह इन सारी बातों पर भी ध्यान दें। ग्रामोदय के बारे में और सारी सुविधायें देकर जब तक ग्रामों का विकास नहीं होगा, जब तक इस देश का विकास नहीं हो सकेगा। आम आदमी तक, जो दूरदराज के गावों में रहता है, जंगलों में रहता है, हरिजन-पिछड़ा हुआ व्यक्ति तथा गरीब व्यक्ति तक सारी सुविधायें सरकार पहुंचायें, तभी यह सरकार प्रजातान्त्रिक और लोकतान्त्रिक सरकार कहलवाने का हक प्राप्त कर सकती है।

इन शब्दों के साथ, उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना कथन समाप्त करता हूं। (धन्यवाद)।

प्रो० सत्यदेव सिंह (छपरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो-तीन बातों की ओर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे निर्वाचन क्षेत्र में पूज्य राजेन्द्र बाबू के नाम पर एक राजेन्द्र महाविद्यालय है। राजेन्द्र बाबू के सारे विचार और उनका व्यक्तित्व सारे विश्व में फैला हुआ है, यह हम सभी जानते है। शिक्षा मंत्री जी और हमारे राज्य वित्त मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि राजेन्द्र बाबू के नाम पर, उन की सेवाओं को ध्यान में रखते हुए, एक केन्द्रीय विश्व विद्यालय छपरा में स्थापित किया जाए, जो कि उनका जन्मस्थान है। राजेन्द्र कालेज के प्राध्यापक प्रो० रामानन्द शर्मा जी का एक पत्र मुझे आज प्रो० रामानन्द शर्मा से मिला है, जिसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि राष्ट्र आज एक भीषण संकट से गुजर रहा है। स्वार्थपरता का बोलबाला है, चतुर्दिक नैतिक ह्रास हो रहा है और इस राष्ट्र के नव-निर्माण में, चरित्र निर्माण में उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि विरोधी पक्ष का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है, उनकी भी भूमिका होती है। विरोधी पक्ष के लोग सिर्फ आलोचना करने में उद्यत होते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार चाहे किसी की भी हो, लेकिन राष्ट्र सर्वोपरि होता है। हमारे राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सका, तो हमारा भविष्य बड़ा ही अन्धकार-पूर्ण है। इसलिए मैं विरोधी पक्ष के भाइयों से आग्रह करूंगा कि राष्ट्र के नव-निर्माण के लिए

सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक अभ्युदय के लिए हमारा प्रयत्न होना चाहिए, मात्र आलोचना, प्रत्यालोचना से ही काम नहीं चलेगा। मैं बार-बार सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करता हूं कि जब तक सारन जिला में तटबन्ध नहीं दिया जाएगा, तब तक वहां के किसानों की हालत दिन-प्रति-दिन बदतर होती जाएगी। लेकिन अभी तक ऐसी व्यवस्था नहीं की जा सकी और लोक सभा में मेरा बार-बार अब तक का कथन अरण्यरोदन हुआ, इसलिए मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। रेल मंत्री जी ने अनेकानेक प्रस्ताव हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं और इस प्रकार उन्होंने प्रयास किया है कि रेल सुविधा को जनोपयोगी बनाया जाए। मेरा आग्रह छपरा-वाराणसी की रेलवे लाइन बड़ी लाइन में परिवर्तित करने के लिए है।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इन्कम टैक्स में उन्होंने काफी छूट दी है, काफी प्रश्रय दिया है, लेकिन यह आयकर कालिजों के शिक्षकों के लिये एक बहुत बड़ा अवरोधक है। उन को अभी भी पर्याप्त सुविधायें नहीं मिल सकी हैं। आज जो बड़े-बड़े पूंजीपति हैं वे नम्बर 2 का धन्धा करते हैं, करों में चोरी करते हैं, लेकिन जो मासिक वेतन पाने वाले हैं, सरकारी नौकर हैं, उन से इन्कम टैक्स लेना, खास कर यूनीवर्सिटी और कालिजों के प्राध्यापकों से लेना उचित नहीं हैं, उनको इस से बरी किया जाय, क्योंकि वे सच्चे समाज सेवक हैं, उन्हें कोई दूसरा प्रोत्साहन नहीं मिलता है। इसलिए उनके वेतन में से इन्कम टैक्स की कटौती करना उनके प्रति अन्याय है।

एक निवेदन यह करना चाहता हूं कि जो कर-वंचना करते हैं, करों की चोरी करते हैं, उन को कड़ी से कड़ी सजा दी जाय।

एक बात की ओर मैं विशेष रूप से आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मैं पिछले महीने शान्ति-निकेतन गया था। बहुत बचपन से शान्ति-निकेतन का नाम सुनता था, लेकिन इस बार मुझे एक कमेटी के साथ वहां जाने का अवसर मिला। यह कमेटी पं० विशम्भर नाथ पाण्डेय की अध्यक्षता में वहां गई थी हम लोगों से वहां के छात्र और छात्राओं ने यह शिकायत की कि उनकी मर्यादा खतरे में हैं, उनके यहां शान्ति और व्यवस्था का ठीक प्रबन्ध नहीं है। मैं यहां पर उपस्थित संसद सदस्य श्री ज्योतिर्मय बसु का ध्यान इस की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। वहां पर इस समय उनकी पार्टी की सरकार है। वहां पर इस समय शान्ति नहीं है, शान्ति निकेतन एक आदर्श शिक्षण संस्था है, लेकिन जिस प्रकार से वह अधोगति की ओर जा रहा है, उसके सुधार के लिए प्रान्तीय सरकार और केन्द्रीय सरकार का कर्तव्य हो जाता है... .. ।

श्री अमर राय प्रधान (कूच बिहार) : यह एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय है।

प्रो० सत्यदेव सिंह : उसकी शान्ति की व्यवस्था प्रान्तीय सरकार का दायित्व है ... ।

डा० सरदीश राय (बोलपुर) : शान्ति निकेतन न नगरपालिका क्षेत्र में है और न पंचायत क्षेत्र में है। यह स्वतन्त्र क्षेत्र है।

प्रो० सत्यदेव सिंह : उसका दायित्व आपके ऊपर है। शान्ति निकेतन के अलावा कलकत्ता भी गया था ...

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : महोदय, उन्होंने मेरा नाम लिखा है तो मैं इस पर प्रकाश डालने की अनुमति चाहता हूं। अभी हाल ही में आपके गृह सचिव कलकत्ता गये थे। यह एक खुले पत्र में आया है—और उन्होंने कहा था कि समस्त देश में पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था की स्थिति सबसे अच्छी है। मैं सही शब्दों में तो नहीं कह सकता किन्तु कांच के मकान में रहने वाले को दूसरों पर पत्थर फेंकने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए।

प्रो० सत्यदेव सिंह : उपाध्यक्ष जी, त्रिपुरा और आसाम में जो घटनायें घटी हैं पिछले सत्र में इस सदन में उन पर काफी चर्चा हुई थी और हमारे पश्चिमी बंगाल के माननीय सदस्य बन्धुओं ने...

उपाध्यक्ष महोदय : विषय पर आइए।

प्रो० सत्यदेव सिंह : मैं वही कहना चाहता हूं। ये लोग विश्व-बन्धुत्व की बात करते हैं, लेकिन बंगाल में जाने के बाद मुझे कुछ ऐसा अनुभव हुआ- वहां पर "हिन्दुस्तानी" शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो गैर-बंगालियों के लिए होता है। जहां नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का जन्म स्थान है, जिन के एक-एक शब्द से राष्ट्रीयता की भावना कूट-कूट कर निकलती थी, जो विश्वबन्धु चित्त रंजन दास और गुरुदेव का जन्म-स्थान है, वहां पर हिन्दुस्तानी और गैर-हिन्दुस्तानी की बात की जाती है। मैं नहीं सोच पाता हूं — बंगाल जो कि भारतीय संस्कृत का मूल केन्द्र है, वहां पर इस प्रकार की भावना छिपी हुई है .. (व्यवधान)... वहां पर इधर के लोगों को हिन्दुस्तानी कहा जाए (व्यवधान)...।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जाइए। उनका व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, माननीय सदस्य आग से खेल रहे हैं। पहली बात तो यह है कि एक सदस्य के रूप में वह जो कुछ यहां कहते हैं उसकी उन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए। यदि वह सभा को गुमराह करते हैं तो वह सभा का अपमान है। माननीय सदस्य इस बात को समझें। देश में एक ही ऐसा राज्य अर्थात् पश्चिम बंगाल है जहां स्थानीय और गैर-स्थानीय को कोई नहीं जानता और मुझे इस बात का गर्व है कि मैं इस राज्य का प्रतिनिधित्व करता हूं। अतः उन्हें यह गंदा तरीका नहीं अपनाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। श्री सिंह आप अपना भाषण जारी रखें।

प्रो० सत्यदेव सिंह : मैं अपने अनुभव के आधार पर यह कह रहा हूं कि वहां पर जिस प्रकार का व्यवहार हो रहा है। वैसा भारत के किसी भी कोने में नहीं होता है। छपरा जो जन्म स्थान है वहां पर भी हमारे बंगाली भाई रहते हैं, लेकिन वे पूरे सम्मान से रहते हैं, वहां

वे बड़े भाई की तरह पूज्य हैं, पूरी तरह से गौरवान्वित हैं, लेकिन जिनको कलकत्ते में हिन्दुस्तानी कहा जाता है, उनका जीवन वहां पर बड़ा कष्टमय है। वहां पर दो तरह का व्यवहार है। वहां पर हिन्सा है और उन लोगों की झोंपड़ियों को उजाड़ा जाता है। मैं अभी घापा गया था, जो कलकत्ता में है, और 24 परगणा जिले में वह है। में यह शिकायत के साथ अनुरोध करता हूं आप के माध्यम से सरकार से कि वहां पर शान्ति व्यवस्था कायम रहनी चाहिए और अगर पश्चिम बंगाल की सरकार इस को कायम नहीं रख सकती, तो उसे सरकार को रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर आइए।

प्रो० सत्यदेव सिंह : मैं यह निवेदन भी करना चाहता हूं कि छारा में जयप्रकाश महिला महाविद्यालय है लेकिन उस महाविद्यालय में छात्रावास के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पांच वर्षों से आवेदन-पत्र पड़ा हुआ है। मैं आप के माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि हमारे जिले में एक ही महिला महाविद्यालय है और छात्रावास के अभाव में सुदूर देहातों की छात्राओं को पढ़ने में अत्यन्त कठिनाई होती है, असुविधा होती है और सुदूर गांवों की छात्राएं उच्च शिक्षा से वंचित रहती हैं। इसलिए में यह अनुरोध करता हूं कि सरकार इस बात को देखे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ठीक से काम करे और खासकर नारी शिक्षा के लिए जितनी सारी सुविधाओं की आवश्यकता है, वे सारी सुविधाएं दे।

एक बात और मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि अभी जो गुजरात में आरक्षण विरोधी आन्दोलन चल रहा है, वह हमारे लिए एक अत्यन्त दुःखद घटना है। पूज्य बापू की जन्मभूमि पर इस प्रकार का हरिजन आरक्षण विरोधी संघर्ष चलता है, तो उस को सरकार को सख्ती से दबाना चाहिए क्योंकि यह हमारे लिए एक कलंक की बात है। सदियों से, हजारों वर्षों से और न जाने अनादिकाल से ये जो हमारे हरिजन भाई हैं, दबे हुए रहे हैं और सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान सरकार ने उनके लिए किया है और जब हमारे संविधान में भी ऐसी व्यवस्था है, तो एक राष्ट्र भक्त के नाते हमें उसका सम्मान करना चाहिए और सभी पक्षों के लोगों को इसका समर्थन करना चाहिए। आज जो विरोधी पक्ष के लोग चुप हैं, उन्हें भी एक ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिए जिससे इस आन्दोलन को बढ़ावा न मिले, प्रोत्साहन न मिले। हरिजनों को आरक्षण देना सर्वथा न्यायोचित है और बिहार में और अन्य प्रदेशों में जहां इन पिछड़ी जातियों की बात होती है, वहां पर जातियों के आधार पर नहीं बल्कि आर्थिक आधार पर ऐसे सारे लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। लोकनायक श्री जयप्रकाश नारायण भी यही चाहते थे कि इसका आधार जाति नहीं बल्कि इसका आधार आर्थिक होना चाहिए और आर्थिक अवस्था को ध्यान में रखते हुए, अन्य वर्गों को भी आरक्षण मिलना चाहिए अन्यथा देश में एक बहुत भयंकर तूफान उठेगा।

इन सारी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मैं समझता हूं कि सरकार मेरे अनुरोध पर और मेरे सुझावों पर विचार करेगी।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर बोलते हुए इन सब बातों का बहुत महत्व नहीं है मैं इस अवसर पर ही मंत्री महोदय का तथा सभा का ध्यान खेत्री कापर कम्पलेक्स क्षेत्र में व्याप्त आतंक की स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं।

महोदय, अनुदानों की अनुपूरक मांगों में खान विभाग के लिए अनुपूरक अनुदान भी शामिल हैं। इसके लिए मेरी सम्भावनाएं हैं। किन्तु महोदय, इस विभाग के अधीन एक सरकारी उपक्रम अर्थात खेत्री तांम्बा परियोजना है जो कि एक महत्वपूर्ण परियोजना है क्योंकि तांम्बे की कमी है। यहां अभी-भी आतंक फैला हुआ है।

कल मुझे जब यह सूचना मिली कि खेत्री में आतंक का वातावरण फैला हुआ है तो मैं वहां गया। वहां जाने पर मैंने देखा कि गत कुछ दिन से कई मजदूरों तथा उनके परिवार के सदस्यों को पुलिस द्वारा कारखाने से तथा उनके घरों से रोज घसीटा जा रहा है। उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा है। बहुत से मजदूरों को पीटा जा रहा है। और रोज यह हो रहा है। वहां की स्थिति बड़ी चिंताजनक है। ऐसा क्यों हो रहा है ? आतंक के वातावरण के कारण कोई भी व्यक्ति आरम्भ में इसकी कहानी कहने को तैयार नहीं था किन्तु मैंने जब उन्हें अपना परिचय दिया तो उन्होंने मुझे सब तथ्य बताये। मुझे बताया गया कि एक ट्रक से दुर्घटना हुई और लोगों के अनुसार उस ट्रक को एक दूल्हा चला रहा था जिसके पास कोई लाइसेंस नहीं था। इस दुर्घटना में एक बच्चे की स्थल पर ही मृत्य हो गई थी और दूसरे की गम्भीर चोट आई थी। पुलिस ने बजाय भीड़ को शांत करने के जो कि काफी उतेजित थी उनसे पूछा कि क्या हुआ है। उन्हें तथ्य बताने के बाद पुलिस ने कहा कि ऐसी दुर्घटनाएं तो होती रहती हैं और पुलिस यह सुनिश्चित करेगी कि पीड़ित परिवारों को कुछ धनराशि मिले। वहां साधारण जनता ने यह कहने का प्रयास किया कि ट्रक बिना किसी लाइसेंस के चलाया जा रहा था, किन्तु पुलिस ने कोई ध्यान नहीं दिया। स्थिति से इस तरह से निपटने तथा इसके लिए ऐसा रवैया अपनाने के कारण जनता में बहुत रोष बढ़ गया और जैसा ऐसी परिस्थितियों में होता है, ट्रक जला दिया गया, जनता और पुलिस में आपस में पथराव होने के कारण जनता के कुछ लोग तथा कुछ पुलिस के आदमी जख्मी हुए तत्पश्चात, जब भीड़ कुछ कम हो गई तो पुलिस ने गोली चलादी और उसमें दो व्यक्ति जख्मी हो गये। जब मैंने पुलिस स्टेशन जाकर डी.एस.पी. से बातचीत की तो मैंने उनसे पूछा : यह सब क्या है, क्योंकि खेतड़ी कम्पलेक्स संकट में है ? जब यहां इस प्रकार की स्थिति हो तो उत्पादन में कमी आयेगी मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों होता है ? मैंने डी.एस.पी से पूछा था और महोदय आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि डी.एस पी. ने मुझे बताया कि जो लोग जख्मी हुए हैं वह लोगों द्वारा चलाई गई गोलियों से जख्मी हुए हैं। लोगों में किसी भी व्यक्ति के पास बन्दूक नहीं थी। वह गोली कैसे चला सकते हैं ? डी.एस पी. ने बताया कि पुलिस ने गोलीबारी में भीड़ को निशाना नहीं बनाया था बल्कि हवा में गोलियां छोड़ी थीं महोदय, यदि वहां कोई पुलिस अधिकारी का यह रवैया है तो सरकारी उपक्रमों में श्रमिक अपना कार्य कैसे कर सकते है। उस क्षेत्र में स्थिति क्या होगी

ऐसे में उत्पादन में हानि होगी ही। मैं मंत्री महोदय से सविनय अनुरोध करती हूं कि वह इस समूचे मामले की स्वयं जांच करें और ऐसे कदम उठाये कि वहां स्थिति सामान्य हो जाये और उन्हें शीघ्र ही ऐसे कदम उठाने चाहिये कि श्रमिक सामान्य हो जाये और उन्हें दन्ड का भय न रहे और वह अपने कार्य पर आ सके। महोदय पुलिस ने यह कहा है कि अभी भी कुछ वारंट पड़े हैं और 100 और व्यक्ति गिरफ्तार किये जायेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि वह इस प्रकार की स्थिति को जारी रखना चाहते हैं। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करती हूं कि वह इस स्थिति को शीघ्र ही समाप्त करें। तीन और मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करने के पश्चात मैं अपना भाषण समाप्त करूंगी।

इन तीन मुद्दों में से मेरा एक मुद्दा मांग संख्या 14 से सम्बन्ध है। नागरिक पूर्ति मन्त्रालय को अतिरिक्त धनराशि का आवंटन किया गया है। यह धन किस लिए दिया गया है हमें इस बारे में पता नहीं है। दिल्ली में लगातार दो सप्ताह तक हमें राशन की दुकानों से चावल नहीं मिला, किन्तु हमें समाचारपत्रों में यह पढ़ने को मिल रहा था कि खरीद की जा रही है, हरियाणा और पंजाब में रिकार्ड खरीद की गई है। पंजाब और हरियाणा दिल्ली से कितने दूर हैं। यदि यह स्थिति देश की राजधानी में व्याप्त है तो बाकी देश में क्या हो रहा है, इसे हम जान सकते हैं। इस मंत्रालय का नाम सिविल सप्लाई मिनिस्ट्री नहीं होना चाहिये इसका नाम 'नोन सप्लाई मिनिस्ट्री' होना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : आप उस राशन की दूकान पर नहीं जाती जहां राशन नही होता है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : बिल्कुल सही है। वास्तव में आवश्यकता इसी बात की है। कुछ दिन पहले कोई 10,000 महिलाओं ने मूल्य-वृद्धि तथा आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई न होने के विरोध में प्रदर्शन किया था। यह 10,000 महिलाएं देशभर से आई थी। उन्होंने मांग की थी कि सरकार मूल्य-वृद्धि पर नियन्त्रण करे। उन्होंने यह भी कहा था कि जब तक आप ऐसा नहीं करते, भविष्य में आपकी नींद में विघ्न डाला जायेगा। मेरे विचार से इस सम्बन्ध में सार्वजनिक विवरण प्रणाली को सशक्त बनाने तथा आवश्यक वस्तुओं के थोक व्यापार को अपने हाथ में ले लेने से प्रभावी उपाय किये जा सकते है।

दो और मुद्दे है और उसके पश्चात मैं अपना भाषण समाप्त करूंगी।

एक विदेशी व्यापार के सम्बन्ध में है। कुछ दिन पहले एकाधिकार निर्बन्धनकारी व्यापार व्यवहार सम्बन्धी अधिनियम में संशोधन किया गया था। यह बताया गया था कि निर्यात के लिए उत्पादन को एम० आर० टी० पी० एक्ट के लिए नहीं गिना जायेगा। अब हमें पता चला है कि जिन्हें निर्यात के नाम पर अतिरिक्त लाइसेंस दिए गये हैं वह अपने किसी भी दायित्व को पूरा नहीं कर रहे हैं। अतः अब यह प्रस्ताव है कि अतिरिक्त क्षमता की अनुमति के सम्बन्ध में निर्यात की शर्त को समाप्त कर दिया जाए। एकाधिकार गृहों के प्रति सरकार का यह रवैया है। सरकार का इनके प्रति हमेशा नर्म रवैया रहता है। और यह एकाधिकार गृह कभी भी

अपने दायित्वों पर ध्यान नहीं देते हैं। हमने भूतकाल में कई बार कहा है कि तब तक आयात-निर्यात व्यापार का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाता और निर्यात बढ़ाने के लिए समुचित प्रयास नहीं किए जाते तब तक वर्तमान स्थिति जारी रहेगी। एकाधिकार गृहों के गुणगान करने से स्थिति में सुधार नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि माननीय मन्त्री हमें बतायें कि विदेशी व्यापार के सम्बन्ध में इन एकाधिकारियों ने अपने दायित्वों का कहां तक पालन किया है। यहां मुझे यह पता चला है कि एक अतिरिक्त विभाग है, एक अन्य प्रमुख केबीनट है। उनका महत्वपूर्ण कार्य यह लगता है कि प्रशासनिक शक्तियों का अधिक से अधिक जमाव किया जाये। हमें सत्तारूढ़ दल के सदस्यों, यहां तक कि केबीनट स्तर से मन्त्रियों द्वारा समय समय पर दिए जाने वाले वक्तव्यों के बारे में बहुत आशंका है। उनका उद्देश्य पश्चिम बंगाल में विधिवत रूप से चुनी गई सरकार को तोड़ने का लगता है पश्चिम बंगाल और केरल में संविधान सम्मत ढंग से चुनी गई राज्य सरकारों के प्रति उनके मन में जरा सा भी आदर नहीं है और वह उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं वह एक ही सांस में दो प्रकार की बातें कर रहे हैं। किसी दिन प्रधान मंत्री यह आश्वासन देती हैं कि पश्चिम बंगाल और केरल की सरकारें गिराने का उनका कोई विचार नहीं है। किन्तु दूसरे दिन कांग्रेस-आई की तरफ के कुछ महानुभाव कहते हैं कि... वह...राज्य सरकार को गिराने जा रहे हैं। इस क्षेत्र में केन्द्रीय... सरकार बहुत सक्रिय है और वह पश्चिम बंगाल और केरल जैसे राज्यों में सार्वजनिक सरकारों को तोड़ने के लिए षडयन्त्र कर रही है। मैं केन्द्रीय सरकार को चेतावनी देती हूं कि यदि इस प्रकार की स्थिति बनती है तो उन्हें पश्चिम बंगाल की जनता के विद्रोह का सामना करना पड़ेगा। महोदय, मैं अनुदान की अनुपूरक मांगों का विरोध करती हूं।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्या बोल रही थी, सरकारों को गिराने के सम्बन्ध में। मैं इसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं। कि वैस्ट-बंगाल की सरकार किस तरीके से काम कर रही है। वैस्ट-बंगाल की सरकार गरीब जोतेदारों को अलग कर रही है, गरीब जोतेदारों की जमीनें छीन रही है और उनके साथ भयंकर अत्याचार हो रहा है। इस सम्बन्ध में, इस सदन में भी कई दफा चर्चा हुई है। काम के बदले अनाज योजना में किस तरीके से घोटाले किए गए हैं, उसके बारे में सारी जानकारी यहां पर आई है। कम से कम 50 प्रतिशत अनाज का कोई हिसाब-किताब नहीं है, जो भारत सरकार द्वारा सप्लाई किया गया है। जो सरकार इस तरीके से व्यवस्था करती है, निश्चित तरीके से उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से दो सरकारें और हैं, केरल सरकार और मद्रास सरकार, जिसके सम्बन्ध में यहां पर 35 करोड़ रुपए के स्प्रिट घोटाले के सम्बन्ध में चर्चा की गई। कितना बड़ा अन्याय और अत्याचार इन सरकारों द्वारा किया जा रहा है। ऐसी सरकारों के खिलाफ भारत सरकार कोई कार्यवाही नहीं करती है, कोई कमीशन नहीं बिठाती है, उनके सम्बन्ध में कोई उचित व्यवस्था नहीं करती है तो निश्चित तरीके से अन्य सरकारें भी इसी प्रकार की गड़बड़ियां करेंगी और उससे सारा एडमिनिस्ट्रेशन खराब हो जाएगा। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है कि इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय कुछ न कुछ व्यवस्था करें ताकि इस प्रकार के गड़बड़-घोटाले न हों और उचित व्यवस्था हो जाए। इसी प्रकार बंगाल में एजूकेशन के

मामले में भी काफी अव्यवस्था फैली हुई है। प्राइवेट संस्थाओं में, यूनिवर्सिटीज में, महा विद्यालयों में, सब जगह अव्यवस्था है, जबकि व्यवस्था के सम्बन्ध में राज्य-सरकार और भारत सरकार, दोनों को बराबर के अधिकार हैं। ऐसी हालत में एक पार्टी किन्हीं संस्थाओं में अपने मुताबिक एडमिनिस्ट्रेशन बनाना चाहती है तो निश्चित तौर पर दूसरे लोगों में मन में असंतोष पैदा होगा। हजारों स्कूलों में वहां के हैड-मास्टर्स और अध्यापकों को किस प्रकार से बदला गया है और अपने लोगों को उन स्थानों पर रखा गया है, यह सोचने की बात है। इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, जब कोई राज्य सरकार अपनी विचारधारा के लोगों को हर जगह डालने की कोशिश करती है और अव्यवस्था फैलाती है। उससे भारत के नागरिकों के दिमाग में किस प्रकार की भावना पैदा होगी, यह सोचने की बात है।

पहले भी मैंने एक निवेदन किया था और अब भी करना चाहता हूं और वह बैंक्स के बारे में है। आप स्थान-स्थान पर बैंकों की स्थापना कर रहे हैं और ग्रामीण बैंकों की स्थापना भी कर रहे हैं। बैंकों की व्यवस्था क्या है इस ओर भी आपका ध्यान जाना चाहिए। गरीब लोगों को क्या कर्ज आसानी से मिल रहा है? आए दिन आप बैंकों की शाखायें स्थापित करते हैं। लेकिन फिर भी बैंकों के पास इतने रिसोर्सिस नहीं होते हैं कि दूर-दूर के स्थानों पर जाकर वे गरीबों को लोन वितरित कर सकें, उनके लिए कागजात तैयार कर सकें, कर्जों की वसूली कर सकें। गांवों में बैंकों की शाखायें आप खोल रहे हैं, उनमें भी इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। आपको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि आम आदमी, गरीब आदमी और खास कर स्माल और मार्जिनल फार्मर को लोन आसानी से उपलब्ध हो सके और उसको फार आफ प्लेसिस में न जाना पड़े।

सिविल सप्लाइज के बारे में भी मैं थोड़ा सा अर्ज करना चाहता हूं। लोगों को जो आवश्यक वस्तुएं दी जाती हैं उनको पाने में बहुत तकलीफ होती है खास कर गांवों में। आप इन वस्तुओं को सहकारी समितियों के द्वारा वितरित कराना चाहते हैं लेकिन उनके पास कोई फंड्ज नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। फंड्ज के अभाव में प्राइवेट डीलज को ये सभी कंट्रोल्ड आर्टिकल्ज वितरित करने के लिए दे दी जाती हैं। वे इनका दुरुपयोग करते हैं, ब्लैक में इनको बेचते हैं। आपको चाहिए कि आप कोओप्रेटिव्ज को मजबूत बनाएं, उनके वास्ते फंड्ज एलाट करें ताकि कंज्यूमर्ज की ये तमाम आर्टिकल्ज ठीक कीमत पर मिल सकें। इससे आम लोगों को सहूलियत मिलेगी। कोओप्रेटिव सोसाइटीज डिफंक्ट पड़ी हुई हैं, उनके ओल्ड ड्यूज पड़े हुए हैं, उनके पास फंड्ज नहीं है और वे कंट्रोल्ड आर्टिकल्ज लोगों को सप्लाई नहीं कर पा रही हैं। इस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ठीक करने के लिए मैंने पहले भी सुझाव दिया था कि कम से कम पांच सौ करोड़ रुपये की आपको बजट में व्यवस्था करनी चाहिए और अगर आपने ऐसा किया तो यह सारी व्यवस्था ठीक प्रकार से चल सकती है। राज्य सरकारों के पास फंड्ज नहीं हैं कि वे सिविल सप्लाईज की आर्टिकल्ज को ठीक प्रकार से लोगों को बांट सकें। एक बार आप ही इन सहकारी समितियों को अपने पांवों पर खड़ा कर दें, उनके वास्ते फंड्ज एलाट कर दें तो उससे काफी लाभ लोगों को पहुंच सकता है। ऐसा आपने किया तो जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वह ठीक हो जाएगा।

आपने यह भी कहा है कि आप सात आठ परसेंट कोल का उत्पादन बढ़ा रहे हैं। कोल लोगों को हासिल करने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ईंडस्ट्री वाले तथा दूसरे लोग जो हैं उनको अगर कोल पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है तो वे अपना उत्पादन नहीं बढ़ा सकते हैं। बिजली की वैसे ही कमी है। कोयला भी ठीक से उपलब्ध नहीं है। वैसी हालत में इण्डस्ट्रीज फुल प्रोडकशन नहीं कर पा रही है। इस वास्ते कोल की उपलब्धता भी आपको बढ़ानी होगी। कोल के मामले में बहुत सी गड़बड़ियां हैं। पिछली बार सदन में एक बात उठी थी। आपने कोल का राष्ट्रीयकरण कर दिया है। लेकिन ऐसा होने पर भी प्राइवेट पार्टीज बहुत सी है जो चोरी छिपे कोल निकाल रही हैं। इसके साथ साथ कुछ सरकारें भी ऐसी हैं जो कोल के स्मगलिंग में अपना हाथ बंटा रही है गोल्ड के तरीके से। पचास लाख टन के आसपास कोल का ब्लैकमार्किट किया जा रहा है राज्य सरकारों की तरफ से। इस अव्यवस्था को भी आपको रोकना चाहिए।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कोल की प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो और उसी से हमारे सारे सैक्टर ठीक प्रकार से चल सकेंगे, चाहे पब्लिक सैक्टर हो या प्राइवेट सैक्टर हो। तब जाकर सारी व्यवस्था ठीक प्रकार बैठेगी।

पब्लिक सैक्टर में जो काम आपने लिए हैं, उनमें बहुत सी राजनीतिक पार्टियां यूनियनों के अन्दर फंस गई हैं। उनको मैनेजमैंट की तरफ से काफी प्रोत्साहन दिया जाता है जिससे हमारे कामकाज में विघ्न और बाधाएं पड़ती हैं और उत्पादन ठीक नहीं हो पाता है। इसलिए पब्लिक सैक्टर जो हमारा वेस है और हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, वह आगे नहीं आ पाता है। उनका प्रबन्ध अगर ठीक प्रकार से नहीं होता है और उसमें इस प्रकार की गड़बड़ी है और अगर उन सारी अवस्थाओं को नहीं रोका जाता तो फिर मुश्किल हो जाती है।

मैं एक मिसाल रखना चाहता हूं, हमारे यहां एक खेतड़ी प्रोजेक्ट 15 साल पहले बना था। उसमें जिन लोगों की जमीनें एक्वायर की गई थीं, उनको कोई मुआवजा नहीं दिया गया जबकि सरकार की घोषणा थी कि जिन लोगों की जमीनें ईंडस्ट्री के लिए लेंगे, उनको तुरन्त मुआवजा दिया जायेगा, लेकिन कोई मुआवजा नहीं दिया गया है, छोटी कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इन मामलों को फंसाया जाता है और मैनेजमैंट की यह कोशिश होती है कि किसी प्रकार भी मुआवजा न दिया जाये। जब से खेतड़ी प्रोजेक्ट बना है, आज तक जितनी जमीन और मकान इसके लिए एक्वायर किए गए, किसी को कोई मुआवजा नहीं दिया गया, जो कि तुरन्त दिलवाया जाये।

यह भी एक एग्रीमैंट था कि जिनकी जमीन और मकान लेंगे, उनको रोजगार देंगे और धन्धे पर लगायेंगे, लेकिन आज तक उन लोगों को नहीं लगाया गया है। जितने भी प्रोजेक्ट पब्लिक सैक्टर में हैं, उनमें मनमाने तरीके से जिस क्षेत्र के प्रोजेक्ट लगाने वाले, रहने वाले हैं, वहां के लोगों को लाकर वहां बिठाया जाता है। इस तरह का जो अत्याचार होता है, उसको रोका जाए।

इसके साथ-साथ जो डिमांडज प्रस्तुत की गई हैं, उनका मैं समर्थन करता हूं।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन अनुदान की अनुपूरक मांगों का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं क्योंकि मैं यह महसूस करता हूं कि आज देश में कोई सरकार नहीं है। हर रोज हत्या, लूट, डाके, बलात्कार, तस्करी जैसे सभी प्रकार के अपराध हो रहे हैं और सरकार का कोई नियन्त्रण नहीं है। यहां तक विधि और व्यवस्था की रक्षक पुलिस स्वयं भी इन अपराधों में लगी है। यदि कहीं कोई सरकार होती तो इस प्रकार की स्थिति न होती।

उपाध्यक्ष महोदय : इस समय अनुदान की अनुपूरक मांगों पर बहस हो रही है। आप विषय पर ही बोलिए।

श्री हरिकेश बहादुर : इसलिए तो मैं यह कह रहा हूं कि गृह मन्त्रालय को भारत की संचित निधि से धनराशि नहीं दी जानी चाहिए। इसलिए मैं यह कह रहा हूं कि गृह मन्त्रालय पूरी तरह असफल हुआ है।

बात यह है कि जो स्थिति आज बनी हुई है। अन्ततः उससे समूची अर्थ-व्यवस्था ढह जाएगी। किसी को भी भली प्रकार कार्य नहीं करने दिया जाएगा। इसलिए मैं देश में आज भी विधि और व्यवस्था की स्थिति के बारे में कह रहा था। विधि और व्यवस्था बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गई है, साथ ही मूल्यों में भी वृद्धि हो रही है। लोग कुछ भी खरीदने में स्वयं को असमर्थ पा रहे हैं। मैं अनेक विषयों पर अपनी टिप्पणी दे रहा हूं क्योंकि मेरे पास बोलने के लिए अधिक समय नहीं है। आज राशन की दूकानों पर कोई भी वस्तु उपलब्ध नहीं है। उत्तर प्रदेश में कुछ विशेष वस्तुओं के वितरण के लिए एक विशेष व्यवस्था लागू की गई थी, अब उसे समाप्त किया जा रहा है। वितरण प्रणाली को सहकारिता विभाग को सौंपा जा रहा है। यह एक भ्रष्ट विभाग है। आवश्यक वस्तुओं का वितरण इस विभाग को सौंपा जा रहा है। अतः मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह मेरी राय को उत्तर प्रदेश सरकार को बता दे ताकि वह इस सम्बन्ध में कोई निर्णय लेने से पहले उस पर भी विचार करलें।

बेरोजगारी के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बड़ी ही गम्भीर समस्या है। बेरोजगारी दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। यह एक मानवीय समस्या है और राष्ट्र के सामने आज एक गम्भीर समस्या है। सरकार को इस समस्या के समाधान के लिए अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए। हमारी समूची अर्थ-व्यवस्था का इस प्रकार गठन किया जाना चाहिए कि अधिक से अधिक व्यक्तियों के लिए रोजगार सुनिश्चित किया जा सके। वरना, यदि बेरोजगारी व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि होती गई तो उसके विनाशकारी परिणाम निकलेंगे। इस समय हमारे अनेक बेरोजगार युवक हिंसा, अपराधों आदि में संसक्त होने जा रहे हैं। जो आज लूट की घटनाएं हो रही हैं उनमें संसक्त अधिकांश युवक बेरोजगार बनाये जाते हैं।

जो आरक्षण विरोधी आंदोलन आज चलाया जा रहा है उस का वास्तविक कारण भी बेरोजगारी ही है। यदि बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो जाता है तो इस प्रकार की समस्या भी उत्पन्न नही होगी।

एक माननीय सदस्य : क्या माननीय सदस्य के पास बेरोजगारी की समस्या का कोई समाधान है ? क्या वह बताएंगे ?

श्री हरिकेश बहादुर : मैं निश्चय ही सुझाव दे सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हे सुझाव देने के लिए समय की आवश्यकता है। उनके पास बोलने के लिए बहुत सामग्री है किन्तु मैं उन्हे समय नहीं दे सकता। यह बड़ा विशद विषय है।

श्री हरि केश बहादुर : बेरोजगारी को समाप्त किया जा सकता है यदि सरकार के पास उसे दूर करने के लिए राजनीतिक इच्छा मौजूद हो। किन्तु वास्तव में सरकार के पास राजनीतिक इच्छा का अभाव है। क्योंकि वह बेरोजगारी को हटाना नहीं चाहते, क्योंकि जब तक गरीबी और अज्ञानता रहेगी, जनता का शोषण किया जा सकता है। हमारे दोस्त सत्ता में नहीं आ सकते हैं। इसी कारण से वह बेरोजगारी को समाप्त नहीं कर रहे हैं।

खैर, आज हमें आरक्षण के नाम पर जाति-संघर्ष देखना पड़ रहा है। यह बहुत ही दुर्भाग्य पूर्ण स्थिति है क्योंकि इससे अन्त में हमारा समूचा समाज ही विखंडित हो जाएगा। यहां पर जाति संघर्ष की नहीं वर्ग संघर्ष की आवश्यकता है। कुछ राजनीतिक नेता इसका समर्थन कर रहे हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्य पूर्ण बात है। बात यह है कि आरक्षण को जारी रखा जाना चाहिए और जो भी इसका आज विरोध कर रहा है वह समाज के साथ अन्याय कर रहा है। जो लोग पतित हैं और जिनका सहस्र वर्षों से शोषण किया जा रहा है, उनकी उपेक्षा नही की जा सकती जैसा कि कुछ लोग चाहते हैं। किन्तु इस समूचे प्रश्न को एक निश्चित दिशा देने की आवश्यकता है ताकि वर्ग-संघर्ष मात्र जाति संघर्ष बन कर न रह जाये वरना इसके भविष्य में बड़े विनाशकारी प्रभाव होंगे। जो लोग इस आंदोलन का समर्थन कर रहे है वह भावी पीढ़ियों तथा समूचे राष्ट्र के साथ बड़ा अन्याय कर रहें हैं और उनकी गतिविधियां अत्यन्त निंदनीय है। इसमें कुछ राजनीतिक नेताओं का हाथ भी है।

इसके अतिरिक्त, हमें यह पता चल रहा है कि आरक्षण विरोधी आंदोलन समाज में घृणा की भावना उत्पन्न कर रहा है। आरक्षण-विरोधी आंदोलन, जो गुजरात से आरम्भ हुआ, अब उत्तर प्रदेश, राजस्थान और अन्य अनेक राज्यों में भी फैल रहा है। सरकार को शीघ्र ही रोकना चाहिए और इस समस्या का समाधान भी करना चाहिए। इस सम्बन्ध में सौहार्द-पुर्ण समाधान खोजा जाना चाहिए।

मैं गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों का उल्लेख भी करना चाहता हूं। स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व, इस प्रकार की जनता की संख्या 30 प्रतिशत थी। किन्तु आज उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल जैसे प्रमुख राज्यों में

गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाली जनता 57 प्रतिशत अथवा 60% है। स्वतन्त्रता प्राप्ति से हम इस समस्या का समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। किन्तु यह समस्या दिन-ब दिन गम्भीर होती चली जा रही है और उसका कोई समाधान नहीं मिल रहा है।

पूर्वी उत्तर प्रदेश आज सब से अधिक पिछड़ा इलाका है। वहां पर अनेक व्यक्ति बेरोजगार है। उनमें से अनेक उस क्षेत्र को छोड़ कर पंजाब तथा अन्य पश्चिम क्षेत्रों तथा पश्चिम बंगाल तथा महाराष्ट्र जैसे अन्य राज्यों में जा रहे हैं। वह इन क्षेत्रों से इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उन्हें वहां कोई कार्य नहीं मिलता, इसलिए मैंने माननीय मन्त्री से अनुरोध किया हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश जैसे पिछड़े क्षेत्रों तथा उड़ीसा, बिहार और अन्य राज्यों में ऐसे अन्य पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कुछ वित्तीय सहायता प्रदान करें।

बंधक मजदूरों की समस्या के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि आज भी लोगों के साथ दासों जैसे व्यवहार किया जा रहा है और उन्हे जानवरों की तरह ही खरीदा और बेचा जा रहा है। कुछ दिन पहले हमने यह समाचार पढ़ा था कि ईंट भट्ठे के मालिकों ने राजस्थान से कुछ लोगों को खरीद लिया था और उन्हे कुछ मजदूरी देने का वायदा किया था और उन्हें मजदूरी नही दी गई। ईंट भट्टों के मालिक इन लोगों को सताते हैं। महिलाओं को हरियाणा में अपमान किया गया। उसके पश्चात ईंट भट्ठे के मालिक ने इन सब मजदूरों को किसी अन्य ईंट भट्टे के मालिक को बेच दिया और वह भी उनका शोषण कर रहा हैं। आज भी इस देश में इस प्रकार की बातें हो रही हैं।

20 सूत्रीय कार्यक्रम के नाम पर सरकार इस बुराई को समाप्त करने का प्रयास कर रही थी। किन्तु वह कार्यक्रम केवल मजाक था। वास्तव में इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं किया जा रहा है। इसलिए ही मैंने इस समस्या का उल्लेख किया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों में, बीस से अधिक जिलों के वकील आंदोलन कर रहे हैं कि वहां इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक पीठ की स्थापना की जाये किन्तु सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। मैं माननीय वित्त मत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह उत्तर प्रदेश की सरकार को वहां पर इस उच्च न्यायालय की एक पीठ की स्थापना करने के लिए कहे ताकि वहां की जनता की समस्याओं का समाधान हो सके और उन्हें इलाहबाद न जाना पड़े क्योंकि यह स्थान पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र तथा पहाड़ी क्षेत्र से बहुत दूर है चूंकि यह दूरी 1000 कि.मी. है। उस स्थान पर जाने के लिए लोगों को 3 दिन लगते हैं क्योंकि जब वह 300 कि. मी. तक जाते हैं तो उन्हें कोई वाहन नहीं मिलता, जिसका परिणाम यह होता है कि उन्हें पैदल जाना पड़ता है। अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहबाद उच्च न्यायालय की एक पीठ की स्थापना करें।

अब, मैं निर्यात निरीक्षण परिषद की गतिविधियों के बारे में कहूंगा। वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री महोदय भी यहीं बैठे हैं। मैं यह अन्तिम बात कह रहा हूं। निर्यात निरीक्षण परिषद में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। इस सम्बन्ध में माननीय मन्त्री जी को अनेक बातें

बनाई गई हैं और लोक सभा में इस विषय पर अनेक बार बहस हुई है । क्वालिटी कंट्रोल पद्धति को बिलकुल अस्त-व्यस्त कर दिया गया है । अब भ्रष्टाचार में दिन-ब-दिन वृद्धि होती जा रही है । मेरी समझ में यह नहीं आता कि इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ।

एक स्वर्ण योजना थी और प्लेटीनम क्रूसीबल बाहर से खरीदे गये थे, उन्हें बेचना पड़ा। वास्तव में उनको चुराया गया और फिर बेचा गया । मैं यह चाहता हूं कि उसके लिए एक जांच कराई जाय ताकि अपराधी व्यक्तियों को दण्डित किया जा सके । चूंकि वाणिज्य राज्य मन्त्री यहां बैठे हैं अत: मैंने उनका ध्यान इस ओर खींच दिया है । इन शब्दों के साथ मैं एक बार पुन: अनुदान की इन अनुपूरक मांगों का विरोध करता हूं ।

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस देश में जहां सरकार की ओर से बजट प्रस्तुत किया गया है, वहां एक दूसरे ढंग की अर्थ-व्यवस्था भी काम कर रही है, जिस पर हमने कभी भी गम्भीरता से विचार नहीं किया है और उसको दूर करने की कोशिश नहीं की है । वह एक ऐसी व्यवस्था है, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया है, और वह है इस देश में बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार, सरकारी विभागों में चारों तरफ फैली हुई रिश्वत, जिसको हम दूर नहीं कर पा रहे हैं । वह तो सरकारी टैक्स से भी बड़ा टैक्स है । जितना टैक्स हम लगाते हैं, जितना रेवेन्यु हम कस्टम और एक्साइज ड्यूटी से इकट्ठा करते हैं, आम जनता का उससे भी अधिक पैसा रिश्वत के रूप में उन अधिकारियों और गिरोहों के पास चला जाता है, जो नाजायज तरीके से उस पैसे को हम से छीनते हैं ।

अब तक इस बारे में पुलिस विभाग पर आरोप लगाया जाता था । अब बहुत से विभाग पुलिस विभाग से भी बाजी मार ले गये हैं । कोई भी ऐसा विभाग नहीं रहा है, जो रिश्वत या भ्रष्टाचार से मुक्त हो । अगर कोई बेचारा मुद्दई थाने में चोरी की रिपोर्ट लिखाने जाए, तो रिश्वत दे । मुलजिम को भी रिश्वत देनी पड़ती है । बेगुनाहों से भी मारपीट करके रिश्वत ली जाती है, तब उन्हें छोड़ा जाता है । ब्लाक और को-आपरेटिव सोसायटियां भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए हैं। एम्पलायमेंट दफ्तर हो या कोई कार्यालय, सब जगह भ्रष्टाचार एक लाइलाज मर्ज हो गया है। मैं सरकार से कहूंगा कि अगर इसको रोका नहीं जा सकता है, तो इसको लीगलाइज कर दिया जाए । वह रायल्टी लेना शुरू कर दे । उसका रेवेन्यु बढ़ जाएगा । जब वह मद्य-निषेध के नाम पर शराब से पैसा ले सकती है, तो वह रिश्वत को भी लीगलाइज कर दे, क्यों उसको दूर करना सरकार के बस की बात नहीं है ।

जब तक रिश्वत को खत्म नहीं किया जाएगा, तब तक लोगों को सही इन्साफ नहीं मिलेगा और अत्यचार होता रहेगा । आज जो स्थिति है, उस पर बड़ी गम्भीरता से विचार करना चाहिए । अगर खाद और बीज मिलता है तो रिश्वत देने पर । गांवों में बिजली दी जाती है, तो रिश्वत । ट्यूबवैल चलता है, तो रिश्वत । ट्यूबवेल और नहर से पानी मिलता है, तो रिश्वत । भ्रष्टाचार और काला बाजार का दुष्प्रभाव सारे शासन की व्यवस्था पर पड़ रहा है और उन्होंने

पूरे देश के अर्थ-तंत्र को बिगाड़ दिया है। हम सब ने मिल कर इस बारे में सोचने की कोशिश नहीं की है। देश की इस गम्भीर समस्या को हल करने के लिए बहुत ऊंचे स्तर पर व्यवस्था करनी चाहिए।

जहां तक इस देश की न्याय व्यवस्था का सम्बन्ध है, इस देश के लोगों की मांग रही है और प्रजातंत्र पर लोगों का विश्वास भी तभी जमेगा जबकि न्याय व्यवस्था सस्ती और सुलभ होगी। आज लोग मांग करते हैं कि हाईकोर्ट जजेज का ट्रांसफर होना चाहिए। उनके ट्रांसफर की कोशिश की जाती है लेकिन कोई बिल या अमेन्डमेंट सरकार की तरफ से नहीं लाया जाता। जिस प्रकार से आई. ए एस. और आई. पी एस. अफसरों को तीन साल से अधिक एक स्थान पर नहीं रखा जाता उसी प्रकार से हाईकोर्ट जजेज के ट्रांसफर की व्यवस्था भी होनी चाहिए। इससे न्याय व्यवस्था पर लोगों का विश्वास बढ़ेगा और यह पूरे देश की मांग है कि जस्टिस का डिसेन्ट्रलाईजेशन होना चाहिए। साथ ही जैसा कि हरिकेश जी ने कहा इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक बेंच पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कायम होनी चाहिए जिसकी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी मांग रही है। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसको लेकर हड़ताल चल रही है। वकीलों ने काम बन्द कर दिया है। खोमचे, ठेले, बाजार और रिक्शे वाले सभी आज हड़ताल कर रहे हैं और कहते हैं कि इलाहाबाद बहुत दूर पड़ता है। मैं भी इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक एडवोकेट होने के नाते इस समस्या को बड़े गंभीर रूप से लेता हूं और मैंने अनुभव किया है कि बोली या रामपुर इसके लिए बड़ी अच्छी जगह होगी। वैसे कहीं पर भी बेंच कायम की जाय उसका कायम होना बहुत जरूरी है।

कोर्ट फीस का भी एक ऐसा मामला है जिस पर सरकार को निर्णय ले लेना चाहिए। कोर्ट फीस एक ऐसी चीज है कि आदमी लड़ते-2 जब सुप्रीम कोर्ट तक आता है तो उसके पास कुछ भी नहीं बचता, उसका सारा पैसा मुकदमे में ही लग जाता है। इसलिए इस पर तुरन्त ध्यान देने की जरुरत है।

आज आर्म्स के लाइसेन्स देने का जो तरीका है उसके चलते एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। पुलिस और एग्जक्यूटिव आफिसर्स के हाथ में आपने यह काम दे रखा है। सरकार इस पर गम्भीरता के साथ सोचे और कोई ऐसा तरीका बनाए जिससे इसको रोका जा सके। आज ऐसे लोगों को आर्म्स लाइसेन्स मिल जाते हैं जोकि असामाजिक तत्व हैं और दूसरी ओर जिनको वास्तव में सुरक्षा की आवश्यकता है उनको लाइसेन्स नहीं मिलते हैं। इसके लिए सरकार को कोई तरीका निकालना चाहिए। इससे सरकार को विशेष रूप से फायदा भी हो सकता है, सरकार की रेवेन्यु बढ़ सकती है लेकिन अभी तो जो कारतूस दिए जाते हैं वह डाकुओं को बेचे जाते हैं वरना फूलन देवी और मलखान सिंह को यह कहां से मिलते हैं ? आप कारतूस के पीछे नम्बर डाल दीजिए और रजिस्टर में इन्दराज कीजिए। जो भी कारतूस बिकेगा उसका नम्बर चढ़ा लिया जाए और लाइसेंस रेन्युअल के समय उनको दाखिल करा लिया जाए। इस तरह से पता लग जाएगा कि कितने कारतूस बेच लिए गए हैं और कितने उनके पास मौजूद हैं। इस तरह से बहुत सीमा तक क्राइम्स को भी रोका जा सकता है।

सरकार के पास दो पैमाने हैं—एक पैमाना किसानों के लिए और दूसरा पैमाना मिल-मालिकों के लिए। किसान जब अपनी चीजें पैदा करके बाजार में ले जाता है तो उसकी कीमत खरीददार तय करते हैं लेकिन मिल मालिक या उद्योगपति के जो उत्पादन होते हैं उनकी कीमत स्वयं उद्योगपति ही निश्चित करता है। इस तरह से किसान के लिए दूसरा तराजू है और उद्योगपति के लिए दूसरा तराजू है।

नारायणपुर काण्ड हो गया तो उत्तर प्रदेश की सरकार बरखास्त कर दी गई और बाद में पुलिस वाले भी बहाल कर दिए गए लेकिन बागपत में इतना बड़ा अपराध हो गया फिर भी सरकार की बरखास्तगी तो दूर, सरकार की आज तक निन्दा भी नहीं की गई। इसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार को बरखास्त किया जाना चाहिए था।

आपकी एक किसान रैली हुई और हमारी भी एक किसान रैली हुई। आपके हजारों किसान लोकसभा में घुस आए, उसको किसी ने नहीं रोका लेकिन हमारे किसान राजनारायण जी के साथ अपना मांग-पत्र लेकर आ रहे थे तो आपने हम एम पीज को पकड़ कर जेल में बन्द कर दिया। इस तरह से आपके दो पैमाने और दो माप दण्ड हैं जिससे कि आपके ऊपर लोगों को शक हो रहा है।

आज देश में पैट्रोल और डीजल की समस्या पैदा हो गई है। अभी मैं उसके डिस्ट्रीब्यूटन के सम्बन्ध में अधिक कहना नहीं चाहता। इसका कोई आल्टर्नेटिव आपको दूसरे ढंग से सोचना होगा। इस देश में तमाम ऐसी नदियां है जिनका पानी बेकार बहकर चला जाता है। अगर उन नदियों को आप गहरा करें और छोटी छोटी नावों से आप काम लें, नहरों का निर्माण करें तो आबपाशी के लिए पानी भी मिलेगा और वाटर ट्रांसपोर्ट भी बढ़ेगा। साथ साथ इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा।

मैं विशेष रूप से गृह मंत्रालय का ध्यान एटा जिले के सिद्धनगर गांव की ओर दिलाना चाहता हूं जहां पर गरीब जाटव और गरीब चमार बिरादरी के लोग रहते हैं। उन लोगों ने ब्राह्मणों को पैर छूने से, पायलागी करने से मना कर दिया, केवल नमस्ते किया जिससे वे लोग नाराज हो गए। उन्होंने पुलिस को बुलाया और उनकी औरतों को नंगा करके नचाया गया। डी० एम० को शिकायत की गई, मैंने भी पत्र लिखा तो डी० एम० ने मजिस्टीरियल इंक्वायरी का आदेश दिया परन्तु आज तक इक्वायरी नहीं हुई। उसके बाद वहां की पुलिस, वहां के थानेदार ने जाकर दोबारा 11 मार्च को वहां के लोगों को पीटा तुमने हमारी शिकायत कैसे की। इस तरह उनको न्याय भी नहीं मिलता है और अगर शिकायत करते हैं तो उल्टे पिटते हैं।

वह कहता है कि मैं तो तुम्हें और फसाऊंगा तथा थोड़े ही लोगों को नचाया है, अभी तो मैं गांव की पूरी औरतों को नचाऊंगा। अगर इन लोगों के साथ इस प्रकार से अत्याचार होता रहेगा तो देश कैसे आगे बढ़ सकता है। एक बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि एक एडवोकेट, बरेली के श्री सुखपाल श्रीवास्तव तीन दिन से लापता हैं। पुलिस से शिकायत करते हैं,

एस० पी० से लेकर सारे लोग पता नहीं लगा पाते, जान और माल की कोई सुरक्षा नहीं है और उनकी कोई गारन्टी सरकार के पास नहीं है—कैसे चलेगा काम । इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इस पर बड़ी गम्भीरता से सोचिए ।

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो सप्लीमेंट्री डिमाण्डस रखी हैं, पैसा बराबर पब्लिक का खर्च करते जाइए, लेकिन कोई व्यवस्था लोगों को नहीं मिल पाती है, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं और विरोध करते हुए आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया ।

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, दिल्ली में गुटनिरपेक्ष देशों के सम्मेलन पर हुये व्यय के लिए विदेश मन्त्रालय की मांग संख्या 31 है। इस सम्मेलन में यहूदी राज्य इस्राइल के विरुद्ध और प्रतिबन्ध लगाने के लिए मांग उठी थी । अतः यह आशा थी कि सम्मेलन के पश्चात हमारी सरकार इस्राइल के विरुद्ध पूरी तरह से आर्थिक और राजनीतिक प्रतिबन्ध लगा देगी ।

रंगभेद नीति पर चलने वाले राज्य के साथ सभी व्यापारिक सम्बन्ध तोड़ने की आवश्यकता थी और बम्बई में व्यापारिक इलाबास भी बन्द कर दिया जाना चाहिए था। किन्तु यह सब कुछ नहीं किया गया, यह जानकर एक धक्का सा लगता है ।

हमारी सरकार ने एक ऐसी नीति अपनाई है जिसके अन्तर्गत इस्राइल के साथ सम्बन्धों को मजबूत बनाया जा रहा है। इस्राइल को तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी दक्षिण अफ्रीका की तरह रंग-भेद वादी राज्य कहा है । गुटनिरपेक्ष देशों के यहां गए सम्मेलन के शीघ्र पश्चात हमारी सरकार ने प्रेस नोट जारी किया जिसमें इस्राइल इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नोलोजी द्वारा सिविल इन्जीनियरिंग में एम.एस सी. डिग्री को मान्यता प्रदान की गई। हमारे शिक्षा मंत्री महोदय यहां उपस्थित हैं और मैं उनका भी इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस्राइल की इन उपाधियों को मान्यता देने का उद्देश्य यह बनाया गया था कि सरकारी सेवाओं में हम योग्यता प्राप्त और प्रशिक्षित अधिकारी रख सकें। मुझे यह बात जानकर धक्का लगा है। यह बात निंदनीय है मेरा अब भी यही विश्वास है कि शायद यह मान्यता किसी गलती के कारण दी गई है। यदि ऐसा है तो सरकार को इस मान्यता विशेष को वापस ले लेना चाहिए। मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकार के इस कार्य से हमारी बिदेश नीति की साख में कमी आई है। अतः मेरे पास उपलब्ध इस थोड़े से समय में मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारी विदेश नीति की साख गिरनी नहीं चाहिये और इस मूल सुधार के लिए उचित कार्यवाही की जानी चाहिये ।

मैं वित्त मंत्री महोदय का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गम्भीर प्रश्न की ओर दिलाना चाहता हूं इस सम्बन्ध में शीघ्र ही कार्यवाही करने की आवश्यकता है। आयकर अधिनियम की धारा 11 के अन्तर्गत धर्मार्थ न्यासों को आय कर और धनकर देने से छूट दी गई है। किन्तु पहली अप्रैल, 1981 से केवल उन्हीं न्यासों और वक्फों को आय-कर और धनकर से छूट

मिलेगी, जिन्होंने अपनी निधियों का निर्धारित रूपों में निवेश किया होगा। निवेश के यह निर्धारित रूप ऐसे हैं जिनपर आय के रूप में ब्याज मिलता है अचल सम्पति में विदेशों से अब इन न्यासों को आय-कर और धन-कर से छूट नहीं मिलेगी। जैसाकि आप जानते हैं - हमारा धर्म इसलाम-ब्याज लेने पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाना है। वक्फ और न्यास आय के रूप में ब्याज लेकर उन्हें नहीं चला सकते हैं। अतः इससे जो स्थिति पैदा होगी वह गम्भीर स्थिति होगी। इसके अतिरिक्त, यदि एक बार अचल सम्पति को अल्लाह के नाम पर वक्फ को सौंप दिया जाता है तो उसे न तो बेचा जा सकता है और नही हस्तान्तरित किया जा सकता है। अतः एक कठिन स्थिति सामने आ रही है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस अधिनियम में यथाशीघ्र संशोधन करे। जब तक इसमें संशोधन नहीं हो जाता, तब तक 1975 के संशोधित अधिनियम के इस उपबन्ध विशेष को स्थगित कर दें।

मैं सरकार का एक और महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर ध्यान खींचना चाहता हूं। मुरादाबाद में आज भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। यह समाचार आ रहे हैं कि पुलिस अधिकारी तथा प्रशासन वहां पर ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते है जिससे होली के अवसर पर साम्प्रदायिक दंगे हो जाये। इस प्रका· के अनेक समाचार समाचार पत्रों में छपे हैं। 'कौमी जंग' के संम्पादक ने भी अपने 9 मार्च, 1981 के अंक में कहा है कि उन्होंने इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री को पत्र लिखा है। यह बड़ी गम्भीर बात है। मैं सरकार से केवल यह अनुरोध करना चाहता हूं कि वह यह सुनिश्चित करें कि जो लोग सांप्रदायिक की सद्भावना को समाप्त करना चाहते हैं उनको बिल्कुल न बक्शा जाये। हर सम्भव कदम उठाया जाना चाहिए। मुझे आशा है कि सभी के जीवन सम्मान और सम्पत्ति की रक्षा की जायेगी।

अन्त में मैं एक और मुद्दा उठाना चाहता हूं। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली के जूनियर डाक्टर कुछ समय पहले हड़ताल पर चले गये थे।

सरकार और कनिष्ठ चिकित्सकों के मध्य एक समझौता हुआ था जिसके परिणामस्वरूप हड़ताल वापिस ले ली गई थी। अब यह देखकर दुःख होता है कि सरकार कनिष्ठ डाक्टरों के साथ किए गए समझौते को लागू करने में हिचकिचा रही है। जिन कनिष्ट डाक्टरों ने हड़ताल की थी उनके साथ अत्याचार किये जा रहे हैं। हमें यह भी बताया गया है और कनिष्ठ डाक्टरों के भूख हड़ताल पर बैठने के इरादे का भी हमें समाचार-पत्रों द्वारा पता चला है। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह मामले पर गम्भीरतापूर्वक विचार करे और यह देखे कि जिन मुद्दों पर सरकार और कनिष्ट डाक्टरों के बीच समझौता हुआ है उनको शीघ्रता से लागू किया जाय।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : महोदय, वर्ष 1980-81 की अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर हुई बहस में 9 माननीय सदस्य ने भाग लिया है। मैं दोनों ही ओर के उन माननीय सदस्यों का बड़ा आभारी हूं जिन्होने रचनात्मक सुझाव दिए हैं और जिन्होंने सभा के समक्ष मांगों का समर्थन किया है।

मैं सदन का अधिक समय लेना नहीं चाहता हूं। परन्तु उन कुछ मुद्दों को मैं निश्चय ही उठाना चाहूंगा जो कि माननीय सदस्यों ने उठाए हैं और जो इस अवस्था में संगत जान पड़ते हैं।

अतिरिक्त मांगों पर कुल 832.80 करोड़ रुपये का खर्च होगा। इन अनुपूरक मांगों का प्रभाव तथा दिसम्बर 1980 में प्रस्तुत की गई प्रथम अनुपूरक मांगों का प्रभाव, 1981-82 के बजट दस्तावेजों में, जो कि 28 फरवरी 1981 को प्रस्तुत किए गए वर्ष के पुनरीक्षित प्राक्कलनों में पूर्णतया परिलक्षित होता है।

बजट पर आम बहस शुक्रवार को समाप्त हो चुकी है और माननीय सदस्यों ने यहाँ पर जो मुददे और नीतियां उठाई थी उन सभी का व्यवहारिक ढंग से उचित रूप में उत्तर दे दिया गया है। फिर भी माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों के बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा।

श्री नीरेन घोष ने चर्चा आरम्भ की है और वह राज्य वित्तों के बारे में जानना चाहते थे। उनका कहना है कि इसे बढ़ाया जाये।

महोदय, इस सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहूंगा कि माननीय सदस्य निस्सन्देह यह जानते हैं कि संघ और राज्यों के बीच केन्द्रीय राजस्व की हिस्सेदारी, राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर इस उद्देश्यार्थ नियुक्त किए गये वित्त-आयोग के पंचाटों पर आधारित रहती है और इस वर्ष केन्द्रीय करों में से राज्यों को 3,792 करोड़ रुपये का हिस्सा मिला है और आगामी वर्ष के लिये उनका 4131 करोड़ रुपये का हिस्सा होगा। इस वर्ष राज्यों को कुल 9,010 करोड़ रुपया दिया जायेगा और आगामी वर्ष 9,041 करोड़ रुपया दिया जायेगा। जहां तक राज्यों के हिस्से का सम्बन्ध है, इससे स्थिति स्पष्ट हो जाती है।

सर्व श्री राम नगीना मिश्र और हरिकेश बहादुर ने यह मुद्दा उठाया है कि जो राज्य पिछड़े हुए हैं उन्हें अधिक राजकीय सहायता मिलनी चाहिये और उन क्षेत्रों के उद्धार के लिये और अधिक वित्तीय सहायता दी जानी चाहिये। इस सम्बन्ध में मैं यह बता देना चाहता हूं कि यह कहा जा सकता है कि इस सरकार के सत्ता में आने के बाद, राज्यों को केन्द्रीय सहायता देने का गाडगिल-सूत्र बदल दिया गया है और जो राज्य पिछड़े हुये हैं उन्हें अधिक सहायता दी गई है। यह भी निर्णय लिया गया है कि जिन राज्यों की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से नीचे हैं, उनको छठी योजना के दौरान 1000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त बाजार-उधार की अनुमति दी जाये।

महोदय, उन अन्य सदस्यों में से जिन्होंने यह मुद्दा उठाया था, श्री राम नगीना मिश्र ने कुछ ऐसे मुद्दे उठाए हैं जो कि राज्य की नीतियों और राज्यों के कार्य क्षेत्रों से सम्बद्ध थे और वे क्षेत्रीय कठिनाइयां भी गिनाई गई थी जिनका कि अनुपूरक मांगों से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है।

श्री जटिया का कहना था कि हरित-क्रान्ति किसी भी प्रकार उपयोगी नहीं रही है और इसकी महत्ता ऐसी नहीं है कि इस देश के लोग उसकी प्रशंसा करें। यह सही स्थिति नहीं है। मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा कि वर्ष 1950-51 में कुल 550 लाख टन खाद्यान्न पैदा हुआ था और इस वर्ष का अनुमान यह है कि 1980-81 में खाद्यान्न उत्पादन 1320 से 1350 लाख टन तक होगा। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और इसका श्रेय इस देश के किसानों और मजदूरों को जाता है और छठी योजना में अपनाई गई सरकार की नीतियों को भी इसका श्रेय जाता है। यह किसानों की भलाई के लिए है और इसी में हमारे देश उन अन्य समस्याओं का भी हल निकल आयेगा जिनका कि हमारे देश के लोगों को सामना करना पड़ रहा है। यह महानतम उपलब्धि है और हमारा देश खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर है और हम सबको याद है कि 1950-51 में हमें खाद्यान्नों का आयात करना पड़ता था . .।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : महोदय एक स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : केवल स्पष्टीकरण मांगने के लिए कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं बनता है, बशर्ते मन्त्री महोदय..... (व्यवधान)।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं यह कहना चाहता हूं कि मंत्री महोदय ने अभी-अभी अपनी समझ से कहा है कि खाद्यान्नों के मामले में देश आत्मनिर्भर हो गया है। मुझे यह कहते हुए दुःख हो रहा है कि उन्होंने सदन को एकदम गुमराह किया है। मैं उनके विरुद्ध कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा हूं क्योंकि एक लम्बे समय से हम सहयोगी रहे हैं। शायद उन्हें यह मालूम नहीं है कि हम खाने के तेलों के मामले में पूर्णरूपेण विदेशों पर निर्भर करते है। हम लगातार स्प्रेट दुग्ध-चूर्ण के आयात को बढाते जा रहे हैं। बहुत सी मदों में...।

एक माननीय सदस्य : वे खाद्यान्नों के बारे में हरित-क्रान्ति की बात कर रहे हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह खाद्यान्न है... (व्यवधान)।

श्री सवाईसिंह सिसोदिया : मैंने अपनी बात समाप्त नहीं की है और आपने कहना आरम्भ कर दिया... (व्यवधान)।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इस वर्ष गेहूं की समस्या खड़ी हो गई है और मुझे आश्चर्य नहीं होगा यदि हमें गेहूं का आयात करना पड़े। (व्यवधान)।

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : क्या आप 'खाद्यान्न' शब्द से सन्तुष्ट हैं ? मैं यह कहने ही जा रहा था कि आपने मेरे भाषण के बीच में ही बोलना शुरू कर दिया जो कि मैंने अभी समाप्त भी नहीं किया था।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि हरित-क्रान्ति सफल होती है तो इससे श्री ज्योतिर्मय बसु को कोई अप्रसन्नता नहीं होगी।

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : श्री ज्योतिर्मय बसु मेरे बड़े अच्छे मित्र है। मुझे दुःख है कि वह सत्य सुनने के आदी नहीं है।

प्रो० सत्यदेव सिंह ने सरकार का ध्यान स्थानीय समस्याओं की ओर खींचा है। उनका यह भी कहना था कि कर-चोरी को रोका जाना चाहिए और सरकार को इस दिशा में कठोर कदम उठाने चाहिए। इस सम्बन्ध में मेरा यह कहना है कि सरकार की नीति को प्रश्न-काल के दौरान और बजट पर आम बहस के दौरान स्पष्ट कर दिया गया था। सरकार को पूरा पता है और इस सम्बन्ध में जिन कठोर उपायों की आवश्यकता है सरकार वह सब कर रही है।

माननीय सदस्या श्रीमती गीता मुखर्जी और श्री गिरधारी लाल व्यास ने आवश्यक वस्तुओं के वितरण की बात कही। मैं श्री व्यास को बता देना चाहता हूं कि सरकार की यह निश्चित नीति है कि यदि सहकारी-समितियां हैं और वे सही ढंग से कार्य कर रही हैं तो आवश्यक वस्तुओं का वितरण उनके माध्यम से होना चाहिए। धीरे-धीरे आवश्यक-वस्तुओं का वितरण सहकारी-क्षेत्र को सौंप दिया जायेगा।

माननीय सदस्य श्री जयपाल सिंह कश्यप ने भ्रष्टाचार की बात कही। यदि कोई घटना विशेष, दृष्टान्त-विशेष···।

श्री ज्योतिर्मय बसु : जैसा कि भ्रष्टाचार बड़ा ही उपेक्षणीय है और उसका पता लगाना बड़ा कठिन काम हो।

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : उन्होने तो आम बात कहीं है कोई विशिष्ट दृष्टान्त तो नहीं दिया है। (व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : उस पर गौर किया जायेगा।

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : माननीय सदस्य श्री जी० एम० बनातवाला ने विदेश-नीति के बारे में बोला। इस अवस्था में मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता।

उन्होंने आयकर अधिनियम की धारा 11 की ओर सरकार का ध्यान खींचा है जिसमें न्यासों को आयकर में छूट देने पर विचार किया गया है। सरकार उनके सुझाव पर विचार करेगी और उचित कार्यवाही की जायेगी।

मैं सदन का और अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। मेरा सदन से अनुरोध है कि वह मांगों को स्वीकृति प्रदान करे।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं वर्ष 1980-81 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गयी निम्नलिखित मांगों के संबंध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राशियों से अनधिक अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सदन की स्वीकृति के लिए पेश की जाने वाली 1980-81 को अनुदानों की पूरक मांगें (सामान्य) की सूची (की कार्य सूची के अनुसार)

मांग संख्या	मांग का नाम	सदन की स्वीकृति के लिए पेश की जाने वाली अनुदान की मांग की रकम	
1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
	कृषि मंत्रालय		
1.	कृषि और सहकारिता विभाग	1,50,000	
3.	मौन उद्योग		1,000
6.	सहकारिता		10,00,00,000
7.	खाद्य विभाग	47,56,79,000	
8.	कृषि, अनुसंधान और शिक्षा विभाग	2,07,000	
	वाणिज्य मंत्रालय		
11.	वाणिज्य मंत्रालय	12,26,000	
12.	विदेश व्यापार और निर्यात उत्पादन	16,72,60,000	1,000

मांग संख्या	मांग का नाम	सदन की स्वीकृति के लिए पेश की जाने वाली अनुदान की मांग की रकम	
1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
13.	वस्त्रोद्योग, हथकरघा और हस्तशिल्प	1,21,64,000	14,78,50,000
	नागरिक पूर्ति मंत्रालय		
14.	नागरिक पूर्ति मंत्रालय	1,000	
	संचार मंत्रालय		
16.	विदेश संचार सेवा	3,36,91,000	
19.	डाक-तार पर परिव्यय		2,000
	रक्षा मंत्रालय		
20.	रक्षा मंत्रालय	21,41,52,000	12,20,000
21.	रक्षा सेवाएं-थल सेना	101,96,52,000	
22.	रक्षा सेवाएं-नौ सेना	17,99,90,000	
23.	रक्षा सेवाएं-वायु सेना	82,46,80,000	
24.	रक्षा सेवाएं-पेंशनें	34,67,87,000	
	शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय		
27.	शिक्षा	1,000	
	ऊर्जा मंत्रालय		
30.	ऊर्जा मंत्रालय	6,56,29,000	4,000
	विदेश मंत्रालय		
31.	विदेश मंत्रालय	1,10,18,000	60,53,000

मांग की संख्या	मांग का नाम	सदन की स्वीकृति के लिए पेश की जाने वाली अनुदान की मांग की रकम	
1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
	वित्त मंत्रालय		
32.	वित्त मंत्रालय	3,32,46,000	
34.	संघ उत्पाद-शुल्क	2,52,33,000	
36.	स्टाम्प	3,06,48,000	
37.	लेखा-परीक्षा	1,29,02,000	
39.	पेंशनें	11,33,00,000	
41.	राज्य सरकारों को अन्तरण	13,68,97,000	
42.	वित्त मंत्रालय का अन्य व्यय	1,000	171,65,00,000
43.	सरकारी सेवकों आदि को उधार		7,50,00,000
	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय		
45.	चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	1,000	
	गृह मंत्रालय		
47.	गृह मंत्रालय	25,76,000	
48.	मंत्रिमंडल	10,58,000	
49.	कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग	18,49,000	
50.	पुलिस	10,74,37,000	
51.	जनगणना	11,98,17,000	
52.	गृह मंत्रालय का अन्य व्यय	4,25,57,000	5,18,40,000

मांग संख्या	मांग का नाम	सदन की स्वीकृति के लिए पेश की जाने वाली अनुदान की मांग की रकम	
1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
53.	दिल्ली	15,45,29,000	3,47,61,000
54.	चण्डीगढ़	2,56,26,000	
55.	अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह	41,60,000	
	उद्योग मंत्रालय		
58.	उद्योग मंत्रालय	7,17,000	
59.	उद्योग		1,000
	सूचना और प्रसारण मंत्रालय		
61.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	10,23,000	
62.	सूचना और प्रचार	65,29,000	56,00,000
63.	प्रसारण	2,25,65,000	
	श्रम मंत्रालय		
64.	श्रम मंत्रालय	4,76,000	
	पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय		
69.	पेट्रोलियम और पेट्रो-रसायन उद्योग		34,54,33,000
70.	रसायन और उर्वरक उद्योग		9,66,17,000
	नौवहन और परिवहन मंत्रालय		
75.	नौवहन और परिवहन मंत्रालय	6,04,000	
76.	सड़कें	11,02,27,000	10,80,69,000
77.	पत्तन, द्वीप स्तम्भ और नौवहन	2,000	3,000

मांग संख्या	मांग का नाम	सदन की स्वीकृति के लिए पेश की जाने वाली अनुदान की मांग की रकम	
1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
	इस्पात और खान मंत्रालय		
80.	इस्पात विभाग		86,96,00,000
81.	खान विभाग	1,000	6,00,00,000
	पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय		
88.	विमानन		31,46,01,000
89.	पर्यटन		55,92,000
	निर्माण और आवास मंत्रालय		
90.	निर्माण और आवास मंत्रालय	7,39,000	
91.	लोक निर्माण	14.49,03,000	
93.	आवास और नगर विकास		1,000
	परमाणु ऊर्जा विभाग		
97.	न्यूक्लीय विद्युत योजनाएं	5,43,00,000	
	संसद,संसदीय कार्य-विभाग, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के सचिवालय और संघ लोक सेवा आयोग		
105.	संसदीय कार्य विभाग	1,56,000	

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं वर्ष 1977-78 की अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (सामान्य) को सदन में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

" कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गयी निम्नलिखित मांगों के संबंध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान संबंधित अनुदानों से अतिरिक्त राशि को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राशियों से अनधिक संबंधित अतिरिक्त राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सदन की स्वीकृति के लिए पेश की जाने वाली 1977-78 की अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (सामान्य) की सूची (की कार्य सूची के अनुसार) :

मांग संख्या	मांग का नाम	सदन की स्वीकृति के लिए पेश की जाने वाली मांग की रकम
1	2	3
		रुपए
I.	राजस्व खाते से पूरा किया जाने वाला व्यय	
9,	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को अदायगियां	9,42,850
26.	रक्षा सेवाएं —पेंशन	1,62,46,413
28.	शिक्षा विभाग	1,43,073
34.	विदेश मंत्रालय	1,81,60,333
48.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	2,62,458
78.	भारतीय सर्वेक्षण	5,10,080
95.	लोक निर्माण कार्य	4,49,09,536
II.	पूंजी खाते से पूरा किया जाने वाला व्यय	
16.	विदेश व्यापार और निर्यात उत्पादन	32,85,07,635
54.	पुलिस	9,91,636

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं सामान्य बजट 1978-79 सम्बन्धी अनुदानों की अतिरिक्त मांगों को मतदानके लिए रखता हू ।

प्रश्न यह है :—

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई निम्नलिखित मांगों के सम्बन्ध में 31 मार्च 1979 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान हुए खर्चों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राशियों से अनधिक सम्बन्धित अतिरिक्त राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें" :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
19.	रक्षा मंत्रालय	14,00,769
39.	पेंशनें	6,02,45,538
90.	लोक निर्माण कार्य	1,28,53,254
II.	पूंजी खाते से पूरा किया जाने वाला व्यय	
43.	सरकारी सेवकों, आदि को उधार	21,78,69,418

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विनियोग विधेयक 1981

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि वित्तीय वर्ष 1980-81 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"वित्तीय वर्ष 1980-81 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि वित्तीय वर्ष 1980-81 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

कि वित्तिय वर्ष 1980-81 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशि के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खंडों को लेंगे।

प्रश्न यह है :—

"कि खंड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक के अंग बनें"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक में जोड़ दिये गये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम, विधेयक के अंग बनें"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन, सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि विधेयक को पारित किया जाये" ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

———

विनियोग (सं० 2) विधेयक, 1981

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि 1978 के मार्च के 31 वें दिन समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं पर खर्च की गई उन सभी रकमों को पूरा करने के लिए जो उस वर्ष के लिए और उन सेवाओं के लिए अनुदत्त रकमों से अधिक हैं, भारत की संचित निधि में से राशियों का विनियोग प्राधिकृत करने के लिए उपलब्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनमति दी जाये" ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि 1978 के मार्च के 31वें दिन समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं पर खर्च की गई उन सभी रकमों को पूरा करने के लिए जो उस वर्ष के लिए और उन सेवाओं के लिए अनुदत्त रकमों से अधिक है, भारत की संचित निधि में से राशियों का विनियोग प्राधिकृत करने के लिए उपलब्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 1978 के मार्च के 31 वें दिन समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं पर खर्च की गई उन सभी रकमों को पूरा करने के लिए जो उस वर्ष के लिए और उन सेवाओं के लिए अनुदत्त रकमों से अधिक है, भारत की संचित निधि में से राशियों का विनियोग प्राधिकृत करने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये" ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि 1978 के मार्च के 31 वें दिन समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं पर खर्च की गई उन सभी रकमों को पूरा करने के लिये जो उस वर्ष के लिए और उन सेवाओं के लिये अनुदत्त रकमों से अधिक हैं, भारत की संचित निधि में से राशियों का विनियोग प्राधिकृत करने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खंडों को लेंगे।

प्रश्न यह है :—

"कि खंड 2 तथा 3 और अनुसूची विधेयक के अंग बनें"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 तथा 3 और अनुसूची विधेयक में जोड़ दिये गये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गये।

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि विधेयक को पारित किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

———

विनियोग (सं० 3) विधेयक, 1981

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाईसिंह सिसोदिया) : मैं प्रस्ताव करता हूं : "कि 1979 के मार्च के 31वें दिन समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं पर खर्च की गई उन सभी रकमों को पूरा करने के लिए जो उस वर्ष के लिए और उन सेवाओं के लिए अनुदत्त रकमों से अधिक हैं, भारत की संचित निधि में से राशियों का विनियोग प्राधिकृत करने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये"।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि 1979 के मार्च के 31वें दिन समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं पर खर्च की गई उन सभी रकमों को पूरा करने के लिए जो उस वर्ष के लिए और उन सेवाओं के लिए अनुदत्त रकमों से अधिक हैं, भारत की संचित निधि में से राशियों का विनियोग प्राधिकृत करने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

मैं यह भी प्रस्तावित करता हूं—

"कि 1969 के मार्च के 31वें दिन समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कपितय सेवाओं पर खर्च की गई उन सभी रकमों को पूरा करने के लिये जो उस वर्ष के लिए और उन सेवाओं के लिए अनुदत्त रकमों से अधिक हैं, भारत की संचित निधि में से राशियों का विनियोग प्राधिकृत करने के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:—

"कि 1979 के मार्च के 31वें दिन समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कपितय सेवाओं पर खर्च की गई उन सभी रकमों को पूरा करने के लिए जो उस वर्ष के लिए और उन सेवाओं के लिए अनुदत्त रकमों से अधिक हैं, भारत की संचित निधि में से राशियों का विनियोग प्राधिकृत करने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खन्डों को लेंगे।

प्रश्न यह है :—

"कि खंड 2 तथा 3 और अनुसूची विधेयक के अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 तथा 3 और अनुसूची विधेयक में जोड़ दिये गये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1 अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक के अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री सवाईसिंह सिसोदिया : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

———

अनुदानों की मांगे (रेल), 1981-82

अनुदानों की अनुपूरक माँगें (रेल) 1980-81

अनुदानों की अतिरिक्त माँगें (रेल) 1977-78 और 1978-79

और

रेल अभिसमय समिति के पहले प्रतिवेदन के बारे में संकल्प

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा मद संख्या 20, 21, 22, 23, तथा 24 को एक-साथ लेगी। रेल मंत्री मद संख्या 24 के विरुद्ध संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

रेल मंत्री (श्री केदार पांडे) : मैं निम्नलिखित संकल्प पेश करता हूं :

"कि यह सभा रेल उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व में देय लाभांश की दर के पुनरीक्षण तथा रेल वित्त और सामान्य वित्त सम्बन्धी अन्य संगत मामलों के बारे में नियुक्त की गई रेल अभिसमय समिति, 1980 के पहले प्रतिवेदन के जो 25 फरवरी 1981 को सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, पैरा संख्या 13 और 14 में निहित सिफारिशों का अनुमोदन करती है।"

महोदय, 4 अगस्त, 1980 को लोकसभा में तथा 11 अगस्त, 1980 को राज्य सभा में पारित हुए एक संकल्प द्वारा 10 अक्तूबर 1980 को रेल अभिसमय समिति 1980 का गठन किया गया था। इस समय रेलवे वित्त तथा सामान्य वित्त के सम्बन्ध में रेलवे उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व को देय लाभांश दर तथा अन्य अनुषंगिक मामलों की समीक्षा करने तथा उनके बारे में सिफारिश करने हेतु एक समिति नियुक्त की गई थी। इस समिति ने रेल मंत्रालय को रेलवे के कार्यकलाप के विभिन्न पहलुओं के बारे में 16 ज्ञापन देने का सुझाव दिया। अभी तक रेल मंत्रालय ने 5 ज्ञापन और एक अन्तरिम ज्ञापन समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किये हैं।

रेल मंत्रालय ने एक अन्तरिम ज्ञापन प्रस्तुत किया जिसमें समिति से अनुरोध किया गया कि रेल अभिसमय समिति 1977 की सिफारिशों के अनुसार वर्ष 1980-81 तथा 1980-82 लिए छठी योजना सम्बन्धी उनकी अन्तिम सिफारिशें प्रस्तुत होने तक, रेलवे तथा सामान्य राजस्व के बीच विद्यमान वित्तीय व्यवस्था को जारी रहने दिया जाये। रेल अभिसमय समिति 1980 ने अन्तरिम ज्ञापन पर विचार कर लिया है और रेल मंत्रालय की विद्यमान वित्तीय व्यवस्था को जारी रखने सम्बन्धी प्रस्तावों से सहमत हो गयी है। रेल मंत्रालय ने समिति के विचारार्थ केवल वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 के लिए क्रमशः 220 करोड़ रुपये तथा 350 करोड़ रुपये की राशी की मूल्यह्रास आरक्षण निधि के विनियोग के सम्बंध में संशोधन प्रस्तुत किया है। रेल अभिसमय समिति 1980 इस प्रस्ताव से भी सहमत हो गयी है, जिसके लिए मैं समिति का बहुत आभारी हूं।

(श्री हरिनाथ मिश्र पीठासीन हुए)

मैं समिति के प्रति अत्यधिक आभारी हूं। मैंने अपने बजट भाषण में भी इस विषय का उल्लेख किया था। मैं और यही कहना चाहता हूं कि अन्तरिम ज्ञापन वर्ष 1980-81 और 1981-82 के बजट में किए गए उन विभिन्न वित्तीय उपबन्धों के लिए, समिति की स्वीकृति प्राप्त करने का एक सीमित उद्देश्य था। जो रेलवे और सामान्य राजस्व के वित्त पर प्रभाव डालते हैं। छठी योजना में किए गए अन्तिम आबंटन के आंकड़े उपलब्ध हैं और रेल मन्त्रालय राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा हाल ही में छठी योजना के लिए स्वीकृत की गई निधियों हेतु धन के आबंटन की आवश्यकता का पता लगाने के लिए कार्यवाही कर रहा है। जैसे ही यह काम पूरा हो जाएगा समिति को अन्तिम ज्ञापन प्रस्तुत किया जाएगा।

समाप्त करने से पूर्व में रेलवे अभिसमय समिति, 1980 के अध्यक्ष और सदस्यों के प्रति मुझे दिए गए समर्थन के लिए आभार व्यक्त करना चाहता हूं।

इन्हीं शब्दों के साथ में संकल्प को इस सभा के विचारार्थ रखता हूं।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा रेल उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व में देय लाभांश की दर के पुनरीक्षण तथा रेल वित्त और सामान्य वित्त संबंधी अन्य संगत मामलों के बारे में नियुक्त की गई रेल अभिसमय समिति, 1980 के पहले प्रतिवेदन के जो 25 फरवरी, 1981 को सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, पैरा संख्या 13 और 14 में निहित सिफारिशों का अनुमोदन करती है।"

सभा अब (एक) वर्ष 1981-82 के लिए बजट (रेल) संबंधी अनुदानों की माँगों (दो) वर्ष 1980-81 के लिए बजट (रेल) संबंधी अनुदानों की अनुपूरक मांगों (तीन) वर्ष 1977-78 और 1978-79 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (चार) रेल अभिसमय समिति, 1980 के प्रथम प्रतिवेदन में निहित सिफारिशों का अनुमोदन करने वाले संकल्प पर, चर्चा आरम्भ करेगी जिसके लिये पांच घंटे का समय आबंटित किया गया है।

जिन माननीय सदस्यों के अनुदानों की मांगों के संबंध में कटौती प्रस्ताव परिचालित किए गए हैं, यदि वे अपने कटौती प्रस्ताव रखना चाहें तो 15 मिनट के अन्दर वे उन कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्या दर्शाने वाली एक पर्ची पटल तक भेजें। केवल वही कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए माने जाएंगे।

श्री रवीन्द्र वर्मा ने जल्दी बुलाए जाने का मुझसे अनुरोध किया है। श्री रवीन्द्र वर्मा।

श्री रवीन्द्र वर्मा (बम्बई उत्तर) : मैं आरम्भ में अपने माननीय मित्र, रेल मन्त्री को इस सभा में प्रथम बजट प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद देता हूं।

उनके बजट प्रस्ताव एक विशाल साम्राज्य और एक विस्तारशील साम्राज्य के संबंध में है क्योंकि उन्होंने अपने अधीन कार्यालयों में कुछ नए विभाग और नई सेवाएं, जो वे उपलब्ध कराना चाहते हैं, जोड़ ली हैं।

मैं रेलवे के कार्यकरण के सभी पहलुओं के संबंध में नहीं बोलूंगा, विशेषरूप से इसलिए कि रेल बजट पर आम बहस के दौरान मेरे मित्र प्रो० मधु दण्डवते ने टिप्पणी की है। मैं उपनगरीय रेलवे प्रणाली का विशेष रूप से उल्लेख करूंगा।

इस देश द्वारा विकास हेतु अपनाए गए ढंग और औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप देश के शहरी केन्द्रों की आबादी में अत्यधिक वृद्धि हुई है। अतः रेलवे की भारवाहक क्षमता, सेवा की बारम्बारता और उपनगरीय रेल प्रणाली की अधिक क्षेत्रों में सेवा बढ़ाने की मांग निरन्तर बढ़ती जा रही है। वास्तव में उपनगरीय रेल प्रणाली के ट्रैफिक में अत्यधिक वृद्धि हुई है। वर्ष 1950-51 में भारतीय रेलवे द्वारा उठाये गये कुल यात्रियों की संख्या लगभग 12.840 लाख थी जिनमें से 4120 लाख यात्रियों ने उपनगरीय रेल सेवा से यात्रा की। यह लगभग 31% है। परन्तु वर्ष 1979-80 में हम देखते हैं कि रेलवे द्वारा उठाये गये कुल यात्रियों

की संख्या 35050 लाख थी जिनमें से उपनगरीय यात्री 19030 लाख थे। यह सम्पूर्ण रेलवे द्वारा उठाए गए यात्रियों का 50% है।

मुझे विश्वास है कि मेरे माननीय मित्र इस बात का दावा नहीं करते कि बढ़ती हुई आवश्यकताओं के कारण उठने वाली समस्याओं की ओर तथा उपनगरीय रेलों के यात्रियों की सुविधाओं की ओर उचित ध्यान दिया गया है। इस वृद्धि से कई समस्यायें और सिर-दर्द उठ खड़े हुए हैं। समस्याएं उनके लिए और सिर-दर्द दैनिक यात्रियों के लिए। इन समस्याओं में लाइन क्षमता, टर्मिनल क्षमता, सेवा आवृति, सेवा की समय-पाबन्दी आदि समस्याएं सम्मिलित हैं तथा एक और समस्या उपयुक्त कम्प्रेसर और ट्रेक्शन मोटर युक्त उपयुक्त रेक प्राप्त करने में आने वाली तकनीकी समस्या है।

इनमें से अधिकांश समस्याएं भावी नियोजन न होने के कारण उठ खड़ी हुई हैं। मेरे मित्र मेरी तरफ मुखातिब होकर यह कह सकते हैं कि इन बातों के लिए वे जिम्मेवार नहीं हैं और उस समय मंत्री नहीं थे जब इनके लिए भावी नियोजन किया जाना था। परन्तु महोदय, इस समय हम भावी नियोजन न होने का परिणाम भुगत रहे हैं और···।

सभापति महोदय : आप भविष्य की बात कर रहे हैं ?

श्री रवीन्द्र वर्मा : स्पष्ट है, वर्तमान और भविष्य की। कहीं न कहीं किसी को इन समस्याओं का सामना करने के लिए उठ खड़ा होना होगा और वसीयत में मिली इन समस्याओं को हल करना ही होगा, भले ही यह भावी नियोजन के अभाव में उठ खड़ी हुई हों।

यदि आप आज उनकी ओर ध्यान नहीं देंगे तो इन समस्याओं को हल करने में अधिक समय की आवश्यकता पड़ेगी और इन समस्याओं से उठने वाली कठिनाइयां न केवल वर्तमान में बल्कि भविष्य में भी महसूस की जाएंगी। अतः इससे पहले कि मामला हाथ से बाहर हो जाए मैं अपने माननीय मित्र से इन समस्याओं की ओर ध्यान देने के लिए अनुरोध करता हूं।

उपनगरीय प्रणाली की विभिन्न महानगरों में विभिन्न समस्यायें हैं। मिसाल के तौर पर मैं बम्बई का उल्लेख करूंगा और मुझे आशा है कि मेरे मित्र ज्योतिमय बसु इस उल्लेख का बुरा नहीं मानेंगे।

एक माननीय सदस्य : और कलकत्ता भी।

श्री रवीन्द्र वर्मा : इस समय मैं केवल बम्बई को लूंगा। महोदय, बम्बई में मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे दो रेलवे हैं। मैं पहले मध्य रेलवे को लेता हूं। ठाणे से आने वाले मेरे मित्र के इसका उल्लेख करने पर कोई आपत्ति नहीं होगी।

एक माननीय सदस्य : पहले मैं टर्मिनस को लेता हूं। उपनगरीय और मेन लाइन दोनों प्रणालियां उसी एक टर्मिनल अर्थात विक्टोरिया टर्मिनस का प्रयोग करते हैं। इसके परिणामस्वरूप

विक्टोरिया टर्मिनस की टर्मिनल क्षमता की संतृप्ति हो गई है। यदि उपनगरीय व्यवस्था में गाड़ियों की संख्या में वृद्धि की जानी है तो इस क्षमता को बढ़ाना होगा। बारनक बन्दर में अतिरिक्त टर्मिनल क्षमता के निर्माण की योजना है। हर वर्ष इस प्रस्ताव का उल्लेख किया जाता है। परन्तु जब तक कार्यवाही न की जाए और इस प्रस्ताव का शीघ्रता से कार्यान्वयन न किया जाए टर्मिनल क्षमता में वृद्धि नही की जा सकती और यदि टर्मिनल क्षमता में वृद्धि नहीं की जाती तो कोई नियमित सेवा नहीं हो सकती और न ही उपनगरीय व्यवस्था में वृद्धि की जा सकती है। यही बात लाइन क्षमता से संबंध रखती है। दोनों ही उपनगरीय रेलें यातायात के लिए एक ही लाइन का प्रयोग करती है। यदि उनकी लाइन क्षमता में वृद्धि नहीं जाती तो इससे बाधायें उठ खड़ी हो सकती हैं और उससे विलम्ब हो सकता है और लाइनों की मरम्मत करनी पड़ सकती है। मैं अपने मित्र से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। इस समस्या को देखते हुए वे मध्य रेलवे में एक प्रणाली का विकास करने की सम्भावनाओं का पता लगाने के बारे में उसी प्रकार करने के लिए क्यों नहीं सोचते जिस प्रकार कुछ मेन लाइन गाड़ियों के आरम्भ होने वाले यातायात या समाप्त होने वाले यातायात के बारे में है। इसी प्रकार बम्बई से गाड़ी चले और बम्बई में समाप्त हो इसके लिए वे बोरीविली का प्रयोग या विकास करने की सम्भावनाओं का पता लगाने के बारे में क्यों नहीं सोचते।

मैं रेक के प्रश्न का उल्लेख करता हूं। वास्तव में मैंने पिछले वर्ष भी इस प्रश्न का उल्लेख किया था। मुझे पता नहीं है कि क्या मेरे माननीय मित्र नए रेल मंत्री का रेक के बारे में वही दृष्टिकोण है जो श्री कमलापति त्रिपाठी का था। महोदय, मैं अब कलकत्ता में जिस प्रकार के रेक इस्तेमाल किए जा रहे हैं उन्हें लेता हूं। (व्यवधान)।

श्री केदार पांडे : क्या आप पुराने पूर्वाधिकारी की बात कर रहे हैं ?

श्री रवीन्द्र वर्मा : मैं हाल ही के पूर्वाधिकारी की बात कर रहा हूं। परन्तु मैं प्रो० दण्डवते का उल्लेख करता हूं। जहां तक बम्बई का संबंध है पश्चिम रेलवे देश में निर्मित रेक का प्रयोग करता है।

जबकि मध्य रेलवे में ब्रिटेन में बने 31% आयतित रेक है। ये रेक 1960 में पुराने पड़ गए थे। निर्माता अब इन रेकों का उत्पादन नहीं कर रहा है। अतः यदि कम्प्रेसर या ट्रेक्शन मोटर में कोई खराबी आ जाती है तो उन्हें पुर्जों से बदले जाने की कोई सम्भावना नहीं है। उन पुर्जों की मुरम्मत की जानी होगी या उनका अंगोपयोग करना होगा। देशी पुर्जे लगाना सम्भव नहीं होगा। अतः यदि मध्य उपनगरीय व्यवस्था की कार्यकुशलता में सुधार करना है तो इस समस्या को हल करना होगा। इसका हल कैसे होगा ? जब तक आयतित रेकों को देशी रेकों से बदलने के लिए पर्याप्त धनराशि नहीं जुटाई जाएगी तब तक कोई हल नहीं हो सकता। यदि मेरे मित्र के पास कोई अन्य हल है तो उन्हें सभा को वह हल बताना चाहिए। परन्तु यदि आप यह महसूस करते है कि आयातित रेकों को देशी रेकों से बदलने से इसका समाधान हो सकता है तो कम से कम बजट में इस दृष्टिकोण को दर्शाना चाहिए। इसके लिए अधिक धन की

व्यवस्था की जानी चाहिए। मिसाल के तौर पर इस संबंध में मुझे कोई व्यवस्था दिखाई नहीं देती।

महोदय, मैं अब अन्य क्षेत्रों के दैनिक यात्रियों का उल्लेख करता हूं। बम्बई एक बढ़ता हुआ महानगर है। कई लोग बम्बई शहर में नौकरी करते हैं। वे पालगढ़ और अन्य दूर स्थानों से आते हैं। मेरे माननीय मित्र इससे वाकिफ हैं। परन्तु उन्हें बहुत कम सेवा उपलब्ध है। यह सच है कि पश्चिम रेलवे में उपनगरीय विद्युतिकृत प्रणाली के अन्तर्गत गाड़ियां विरार या बोरीविली से उपलब्ध हैं। यह उनके लिए नई नहीं है। परन्तु कई हजार यात्री ऐसे हैं जो प्रतिदिन पालगढ़ से भी दूर से आते हैं। जहां तक इन यात्रियों का संबंध है सेवा समुचित नहीं है। दो शटल गाड़ियां हैं बिल्कुल टूटी-फूटी गाड़ियां जो बम्बई में चलती हैं। इन दोनों का विरार या बोरीविली से संपर्क नहीं है।

पिछले वर्ष मैंने माननीय मंत्री महोदय से बढ़ते हुए दैनिक यात्रियों की संख्या का ध्यान रखने के लिए और शटल गाड़ियों की संख्या बढ़ाने के लिए अनुरोध किया था और इन्हें बोरीविली या अन्धेरी तक बढ़ाने का अनुरोध किया था। महोदय, मुझे वही सामान्य उत्तर मिला, यह सम्भव नहीं था। यह कब सम्भव होगा मैं नहीं जानता। यातायात बढ़ता जा रहा है, मांग बढ़ती जा रही है परन्तु उत्तर वही है। मुझे आशा है इस वर्ष मेरे माननीय मित्र और उत्तर देंगे।

मुझे अभी नाई गांव पुल का उल्लेख करना है। इस वर्ष के बजट में नाईगांव पुल की मरम्मत के लिए व्यवस्था की गई है। प्रत्याशित लागत 26 लाख रुपए हैं और वर्ष में केवल 1,000 रुपए व्यय का अनुमान है। जहां तक इस पुल का संबंध है, यह नाईगांव स्टेशन के निकट है और खस्ता हालत में है। यह संकरी खाड़ी को जोड़ने वाला एक मात्र रास्ता है। पैदल यात्री इसका इस्तेमाल करते हैं परन्तु इसकी मरम्मत की योजना काफी समय पहले छोड़ दी गई थी। एक समस्या और भी है। यह समस्या संकरी खाड़ी के दूसरी ओर के गांवों में पीने का पानी की है। बहुत समय पहले रेलवे प्रशासन से पुल के साथ-साथ पाइप लाइन बिछाने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया था ताकि पांचू गांव के निवासी पीने का पानी प्राप्त कर सकें। इस संबंध में उत्तर दिया गया कि इसे कई मील दूर से घुमाकर लाना होगा जिसका अर्थ हुआ अतिरिक्त लागत, विलम्ब और असुविधा। महोदय, यह मामला काफी अर्से से विचाराधीन है। मैं अपने माननीय मित्र से, जो भावी नियोजन के बारे में सोचते हैं और दूर दृष्टि रखते हैं, अनुरोध करता हूं कि पाइप लाइन के लिए आवश्यक अनुमति दी जाएगी।

महोदय, पिछले वर्ष मैंने अपने माननीय मित्र तत्कालीन रेल मंत्री से बम्बई में कार्य कर रहे अपंग व्यक्तियों द्वारा महसूस की जा रही कठिनाईयों के बारे में विशेष अनुरोध किया था। यह वर्ष विकलांग वर्ष है। सैकड़ों विकलांग कार्यालयों में नौकरी करते हैं। सरकार की नीति विकलांगों को 3 प्रतिशत नौकरियां उपलब्ध कराने की है। इनमें से कई लोगों को जो अपंग है और जिनका कोई न कोई अंग नहीं है, उपनगरीय गाड़ियों में अपने गांव से कार्यालय तक यात्रा करनी पड़ती है। मुझे विश्वास है कि मेरे माननीय मित्र ने इन गाड़ियों में यात्रा की होगी या

लोगों को करने देना होगा। दफ्तरों के समय गाड़ी में चढ़ना या उतरना बहुत कठिन है। मैंने एक कहावत पढ़ी है 'यह टूथ पेस्ट ट्यूब से टूथ पेस्ट की तरह निकलने की बात है। व्यस्ततम काल में यह स्थिति होती है। अत: मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे विकलांगों के संगठनों की इस बात को स्वीकार कर लें कि जो वास्तविक में विकलांग हैं और नौकरी करते हैं तथा जिनके पास दूसरे दर्जे का पास है, उन्हें पहले दर्जे में यात्रा करने की अनुमति दी जाए। मैंने पिछले वर्ष यह अनुरोध किया था, मैं उसे दोहराता हूं और आशा करता हूं कि चूंकि यह विकलांग वर्ष है इसलिए सरकार इस अनुरोध पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी।

सभापति महोदय : वे पहले ही आपकी ओर सहानुभूतिपूर्वक देख रहे हैं।

श्री रवीन्द्र वर्मा : मैं इतना विकलांग नहीं हूं।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री रविन्द्र वर्मा : आप इनकी सहानुभूति की व्याख्या बड़ी कुशलता से कर सकते हैं।

सभापति महोदय : क्योंकि हम एक दूसरे तीस वर्षों से जानते हैं।

श्री केदार पांडे : श्री वर्मा भी मुझ से भली-भांति परिचित हैं क्योंकि वे रांची से संसद सदस्य रहे हैं।

श्री रवीन्द्र वर्मा : फिर तो आपका कृपा पात्र बनना चाहिए।

श्री केदार पांडे : इंडिकेशन तो है आपकी हमारी दोस्ती है।

श्री रवीन्द्र वर्मा : इसमें दो रायें नहीं हो सकती।

सभापति महोदय : आपकी दोस्ती किस से नहीं है (व्यवधान)।

श्री रवीन्द्र वर्मा : यदि मेरे पास समय होता तो मैं उपनगरीय रेलों में मैडीकल सहायता दुर्घटना और सुरक्षा का उल्लेख भी करता।

परन्तु आपने चूंकि समाप्त करने के लिए कहा है। मैं ऐसा ही करता हूं। और आशा करता हूं कि मैंने जिन मुद्दों को उठाया है माननीय रेल मंत्री उस ओर उचित ध्यान देंगे। धन्यवाद।

सभापति महोदय : श्री एम० सी० डागा : (व्यवधान)। डागा जी लगता है आप भूल गए हैं कि आपको बोलना है ?

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : नहीं महोदय, मैं तैयार हूं।

सभापति महोदय : मेरे विचार में आप हर विषय पर हर समय बोल सकते हैं।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति जी, रेलवे की एक बात मैं पहले कह चुका हूं, लेकिन एक बात मैं आज आप के सामने रखना चाहता हूं। पिछले 3 वर्षों से लगातार रेलवे में किराए बढ़ाए जाते रहे हैं — 1979-80 में 178 करोड़ रुपए का हमारे ऊपर वजन बढ़ा, 1980-81 में 204 करोड़ रुपए का बोझ हमारे ऊपर बढ़ा और अब 1981-82 में 356 करोड़ 26 लाख रुपए का वजन हमारे ऊपर बढ़ाया गया है और यह काम पिछले तीन सालों से किरायों को बढ़ाने, भाड़ों को बढ़ाने में हो रहा है। इस के मुकाबले में रेलवे में जो खर्चा हो रहा है — उस में रेलवे के टोटल रेवेन्यू के 60 प्रतिशत को हम सरकारी सेवाओं पर खर्च कर रहे हैं। आज रेलवे के लिए कहा जाता है कि यह एक इण्डस्ट्री है, इस ने काफी प्रगति कर ली है, हमारे चेयरमैन ने भी कह दिया है कि इन किरायों के बढ़ाने से केवल आधा — प्रतिशत मंहगाई पर असर पड़ेगा — मुझे ये सब बातें समझ में नहीं आ रही हैं — हमें इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए। पिछले तीन सालों से लगातार किराया बढ़ाया जाने से आज यह स्थिति हो गई है कि गरीब आदमी आप की रेलों में सफर करने की स्थिति में नहीं रहा है। न केवल आपके बजट कागजों से, बल्कि सभी अखबारों में यह बात आ चुकी है कि आपके रेवेन्यू का 60 प्रतिशत केवल गवर्नमेंट एम्पलाइज को दिया जाता है, इतना देने के बाद भी हमारी सेफटी का कोई भरोसा नहीं है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स पर हम जो पैसा खर्च करते हैं — रेलों के हालात आप जानते हैं, पिलफरेज आप जानते हैं, चोरियां आप जानते हैं, ये सब चीजें फिर भी होती जा रही हैं। आज 131 अन-इकानामिक ट्रेन्ज चलती हैं — बहुत जगहों पर कोयला नहीं पहुंचता है जिन से रेलें नहीं चल पाती हैं — इन सब हालात में मैं नहीं समझ पाता हूं कि आर्थिक निर्भरता हम कैसे प्राप्त कर सकेंगे।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं — रेल मंत्री जी जब बात कर रहे थे तो कहने लगे कि अहमदाबाद से दिल्ली की जो ब्राडगेज लाइन बनाने की बात है, उस के बारे में इस वक्त कुछ नहीं कहूंगा। मैं उन की बात को बड़े गौर से सुन रहा था — उनका कहना था कि रेलवे को सब से ज्यादा लाभ किराए से होता है, लेकिन इधर से किराया नहीं बढ़ रहा है। मेरी समझ में उन की बात नहीं आई — पिछले तीन मंत्री हम को बराबर आश्वासन देते आये कि अहमदाबाद से दिल्ली को ब्राडगेज बना देंगे, क्योंकि ऐसा करने से गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली इन सब राज्यों की इण्डस्ट्री का विकास होगा। जब कभी हम सीमेंट की मांग करते है, तो कहते हैं कि आपके यहां ब्राडगेज लाइन नहीं है। अहमदाबाद से आने वाली जो रेलवे लाइन है, उस को अगर आप ब्रोडगेज कर दें, तो हमारे यहां सीमेंट के कारखाने लग सकते हैं। मेरे ख्याल से 15 साल से बराबर इस बात को हम कहते आ रहें हैं लेकिन उस में कुछ भी प्रगति नहीं हुई है और यह अभी तक पता नहीं चल सका है कि आप इस को बना सकेंगे या नहीं बना सकेंगे। हमारे यहां आबू के अन्दर सोजत रोड पर सीमेंट के कारखाने लग सकते हैं और आबू में उद्योग पनप सकते हैं अगर आप इस लाइन को ब्रोडगेज लाइन बना दें। अहमदाबाद से आने वाली यह लाइन अगर ब्रोडगेज बना दी जाती है तो जो बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रीज वाले लोग

हैं, उन को लाभ हो सकता है। इसलिए मैं आप से कहना चाहता हूं कि आप हमारी इस मांग पर पुनर्विचार करें।

सभापति महोदय : ब्रोडगेज लाइन के बारे में आप को पहले आश्वासन मिल चुका था ?

श्री मूलचन्द डागा : जी हां। उस आश्वासन को मैं इस समय यहां से लेकर नहीं आया हूं लेकिन पहले यह दिया जा चुका है भूतपूर्व रेलवे मंत्री श्री कमलापति जी द्वारा। उन्होंने कहा था हम इस काम को शुरू करेंगे।

सभापति महोदय : समिति के जरिये पकड़िये।

श्री मूल चन्द डागा : समिति के जरिये नहीं, आप के जरिये पकड़ना चाहता हूं क्योंकि आप भी बिहार के हैं और मंत्री जी भी बिहार के है। इसलिए मैंने सोचा कि आप के जरिये यह बात कहूं। (व्यवधान) ... यह मामला खाली राजस्थान का नहीं है, हिन्दुस्तान के एक हिस्से का है। मैं राजस्थान की बात भी कह रहा हूं, गुजरात की बात भी कह रहा हूं और हरियाणा की बात भी कर रहा हूं। चार राज्यों से यह लाइन गुजरती है।

सभापति महोदय : आप बिहार, गुजरात और राजस्थान की बात न कहिए, अकल की बात कहिये।

श्री मूलचन्द डागा : मैं क्या बेअकल की बात कह रहा हूं ? बिहार की बात अलग है। मैं एक बात यह कहना चाहता हूं। मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था कि मैं यहां रेलवे लाइन चाहता हूं और वहां रेलवे लाइन चाहता हूं और जहां तक राजस्थान का सवाल है, इस बजट के अन्दर केवल एक काम उन्होंने राजस्थान के लिए किया और वह यह कि उन्होंने कहा कि मैं चेतक एक्सप्रेस को तेज कर दूंगा। यही एक बात उन्होंने कही और मैं इस को समझ नहीं पाया। "चेतक एक्सप्रेस" को तेज चला देंगे क्योंकि "चेतक" राणा प्रताप का घोड़ा था। इसलिए इस को और तेज कर दूंगा। वह तो ठीक बात है लेकिन हमारी जो दूसरी लाइन है, उस के बारे में आप ने क्या सोचा है। जब उस के बारे में कहा गया तो आप ने कहा कि सर्वे करवा रहें हैं। बड़ी आप की कृपा है।

इस के इलावा मैं रेलवे में आफीसर्स कितने है इसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मैं एक डिवीजन को ही लूंगा। आप के वहां कितने रेलवे कर्मचारी हैं और कितना मैनपावर आप का आइडिल रहता है। एक बार मैंने अजमेर डिवीजन के बारे में लिख कर पूछा था कि अजमेर डिवीजन में कितने अधिकारी रहते है और उनके क्या क्या काम हैं, आप इसका इवेलूएशन करवाइए। तो मुझे यह पता लगा कि वहां पर एक डिवीजनल रेलवे मेनेजर रहता है, फिर उसके बाद उस के नीचे एडीशनल डिवीजनल मेनेजर रहता है। उस के बाद सीनियर डी० एस० ओ० ओपरेटिंग अलग से रहता है, फिर सीनियर डी० एस० ओ० (कमर्शियल) होता है। उसके बाद

सीनियर डिवीजनल इंजीनियर होता है, इंजीनियर फोर ट्रैक्ट और बिल्डिंग होता है और फिर सिविल इंजीनियर अलग रहता है, फिर सीयियर डीजल मीकेनीकल इंजीनियर अलग रहता है और इन सब के नीचे सीनियर इंस्पेक्टर हर एक का अलग रहता है। इस तरह से आप देखें कि एक डिवीजन में इतने इतने अधिकारी हैं और इन अधिकारियों की एक भीड़ है और उन के नीचे भी अधिकारी हैं और दूसरे काम करने वाले लोग हैं। यह मैं एक डिवीजन की बात कर रहा हूं। कई लोगों ने कहा है कि मंत्री जी ने कभी कमरे में जा कर देखा है। ठीक बात कही। मंत्री जी को भी जाकर देखना चाहिए। मंत्री जी के भाषण हो जाते है और उद्घाटन हो जाता है। बड़े बड़े लोगों से, ऊंचे लोगों से बातें हो जाती हैं। इस में होता यह है कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं वे केवल बड़ी बड़ी बातें कहते हैं। हम यह देख रहें हैं कि एक डिवीजन में रेलवे के कितने कर्मचारी हैं, एक डिवीजन में कितने सारे अधिकारी होते हैं। एक डिवीजनल रेलवे मेनेजर होता है, फिर उसके नीचे एडीशनल डिवीजनल रेलवे मेनेजर अलग से होता है। उसका एक अलग इंजीनियर इंसपेक्टर होता है, फिर जूनियर इंस्पेक्टर होता है। एक काम के लिए 5-7 अधिकारी होते है और एक डिवीजन के नीचे चार सौ अधिकारी काम करते हैं। अब आप फरमाइये कि इतना कम काम, और इतने अधिकारी। इससे एक तो हमारी तख्वाहे बढ़ जाती हैं और फिर आदमी आइडल बन जाते हैं। सारे आदमी एक दूसरे पर काम छोड़ देते है।

मैं कहना चाहता हूं कि आप हमारे यहां की ट्रेनों की हालत देखिये। आप हमारे यहां के फर्स्ट क्लास कम्पार्टमेंट में ट्रेवल कर के देखिये, वे सेकिंड क्लास से भी गये गुजरे हैं।

श्री ज्योतिमंय बसु : तीस साल तक आप लोगों ने राज किया है तो ऐसा ही होगा।

एक माननीय सदस्य : पोलिटिकल खटमल अलग होते हैं।

श्री मूल चन्द डागा : मैं तो रेलवे की जनरल बात कह रहा हूं। आप फर्स्ट क्लास के कम्पार्टमेंट को देखिए, सेकिंड क्लास के कम्पार्टमेंट की बात तो अलग है। न तो उनमें पानी की व्यवस्था रहती है। कभी कभी रहती भी है तो नल खुले हुए रहते हैं और उनमें सील हो जाती है उन डिब्बों की हालत यह होती है कि कहीं हाथ लगा दो तो खून निकल आयेगा। ये छोटी-छोटी बातें हैं जिनकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। ये सारी बातें रेलवे की अमेनिटिज में आती है।

सभापति महोदय : जिस इलाके से हमारे मंत्री महोदय आते है, मैं भी उसी इलाके से आता हूं। उस इलाके की हालत के बारे में पूछिए।

श्री मूल चन्द डागा : मैंने तो यह देखा है कि हमारे राजस्थान में जो ट्रेंस चलती हैं उन ट्रेनों की सुविधाओं के बारे में बहुत कम ध्यान दिया जाता है। आप कहते हैं कि हमने बड़ी सुविधाएं बढ़ा दी हैं। आप देखिये कि एक ट्रेन में जिसमें कि दस-बारह बोगियां होती हैं उनमें

आपने पांच तो फर्स्ट क्लास की और एयर कंडीशन की लगा दीं और कुछ दूसरी बोगियां रिजर्वेशन वाली लगा दीं तो विचारे जो बिना रिजर्वेशन वाले पेसेंजर्स होते हैं उनके लिए तो दो-तीन बोगियां ही होती हैं जिनमें कि वे उनकी केपेसिटी से पांच गुना पेसेंजर्स सफर करते हैं। यहां तक कि छतों पर भी यात्री सफर करते हैं। कभी आपने क्या इसके बारे में भी सोचा है कि रेलवे में ये सुविधाएं रहती हैं ? आपकी ट्रेनों में अजीब हालत है। फर्स्ट क्लास की तो ऐसी हालत है कि उसका कोई हिसाब ही नहीं है। आपके फर्स्ट क्लास में एम० पीज० चलते हैं, या गवर्नमेंट के और रेलवेज के एम्पलाइज चलते हैं। कभी इधर-उधर से भूला भटका कोई पेसेंजर फर्स्ट क्लास मे चलता हो। जब रेलवे के किसी अधिकारी का ट्रांसफर होता है तो उसकी हालत देखिए। सारा कम्पार्टमेंट फूलों से सजा होता है, खिड़कियों पर सजावट की जाती है (व्यवधान)।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि रेलवे की हालत किस प्रकार से सुधरेगी, किस प्रकार से इसमें सुधार आयेगा ?

एक हमारे डिप्टी मिनिस्टर रेलवे के हैं श्री मल्लिकार्जुन। उन्होंने लोगों को रंगे हाथ पकड़ा। वे शायद तगड़े है इसलिए लोग उनको देख कर डर गये हो। इन्होंने जो कदम उठाया है वह तो ठीक है। रेलवे के अन्दर हमारे जितने मंत्री महोदय है, वे मेहरबानी कर के अपनी अपनी रेलों के बारे में देखें। खास कर बिहार की रेलों के बारे में भी देखें।

सभापति महोदय : उत्तर बिहार की रेल के बारे में कहिए।

श्री मूलचन्द डागा : उत्तर बिहार की रेलों को देखें। श्रीमान् रेलवे की जो हालत है, उसके प्लेटफार्म्स की जो हालत है, जितने प्लेटफार्म्स हैं वे काफी छोटे हो गए हैं। मैंने इसके बारे में कई बार कहा है कि जब रेलों में इतने डिब्बे लग जायेंगे तो प्लेटफार्म्स भी उसी हिसाब से होने चाहिएं।

हमारे यहां फालना स्टेशन से रोज चार-पांच सौ यात्री चढ़ते है। फालना स्टेशन से जो गाड़ी बम्बई और गुजरात की ओर जाती हैं उनके जाने के लिए छोटा सा प्लेटफार्म्स है कोई सुविधा नहीं है, वेटिंग रूम नहीं है, इन सारी सुविधाओं के लिए कई बार निवेदन किया गया, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नही की गई। मैं नहीं समझपाया कि रीजनल इंबेलेंसेज को आप कैसे समाप्त करेंगे। मुझे मालूम है कि सभी मंत्री अपने-अपने इलाकों में सुविधाएं दे देते हैं, नई रेलें शुरू कर लेते हैं। पहले एक मंत्री थे उन्होंने दिल्ली से बंगलौर गाड़ी चला ली, इसके बाद एक मंत्री आए वे वाराणसी ले गए, एक मंत्री बिहार ले गए, समस्तीपुर ले गए और हमारे राजस्थान का मंत्री बना नहीं और न ही हमारे यहां रेलवे की हालत में सुधार आया। (व्यवधान)।

श्री मूलचन्द डागा : इस तरह से जो कार्य रेलवे विभाग में हो रहे हैं, उनसे हम असंन्तुष्ट हैं। हर वक्त हमारा किराया बढ़ा दिया जाता है, लेकिन सुविधाएं नहीं बढ़ाई जातीं। इसलिए

मेरा निवेदन है कि रेलवे में सुविधाएं बढ़ाइए और राजस्थान को जो मीटर गेज लाइन गई है उसको ब्राड-गेज में बदलिए। इसी प्रकार पाली रेलवे स्टेशन में भी सुधार कीजिए इस बारे में श्री वेंकट-सुब्बैया, जो कि मंत्री हैं, मेरी बात का समर्थन कर रहे हैं, इसलिए मैं समझता हूं कि उनकी बात तो आप मानेंगे ही।

सभापति महोदय, कहा गया है कि 1976 के अन्दर सबसे ज्यादा माल ढोया गया, लेकिन उसके बाद क्या हो गया। इसके बाद तो बराबर खर्चा बढ़ता गया, लेकिन माल-ढुलाई में कोई वृद्धि नहीं हुई, बल्कि कमी होती गई। अब आप कहते हैं कि 215 मिलियन टन माल ढो देंगे, कैसे ढो देंगे, रेल के डिब्बे आपके पास नहीं हैं, अन्य सुविधाओं की कमी है। इसलिए सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि रेलवे में सुधार किया जाए और राजस्थान की ओर भी ध्यान दिया जाए।

डा० सरदीश राय (बोलपुर) : सभापति महोदय, आरम्भ में मैं यह कहना चाहता हूं कि यहां हमारी अधिकांश और बाहर के लोगों को यह भ्रम हो गया है कि क्या रेल मंत्री सर्वोच्च हैं। या रेल बोर्ड के अधिकारी सर्वोच्च है। रेल मंत्री ने 5 जनवरी को सभा में यह घोषणा की थी कि 150 किमी० या 200 किमी० तक द्वितीय श्रेणी यात्री अधिभार भाड़ा नहीं होगा। दो दिन बाद अर्थात 8 जनवरी को हमने समाचार-पत्रों में देखा कि रेलवे बोर्ड के रेल अधिकारियों ने कहा है कि यह एक्सप्रेस या यात्री गाड़ियों पर लागू नहीं होता इस पर समाचार-पत्रों में प्रतिकूल टिप्पणी प्रकाशित हुई। यह समाचार छः जनवरी को एक समाचार-पत्र में प्रकाशित हुआ और समाचार मिलने के पश्चात 8 जनवरी को कई समाचार-पत्रों ने रेलवे बोर्ड और रेल मंत्रालय के कार्यचालन पर प्रतिकूल टिप्पणी की। मैं अब रेल मंत्री के भाषण में से एक मुद्दे को लेता हूं। उन्होंने रेलवे द्वारा संचालित निजी-स्वामित्व की रेलवे कम्पनियों का उल्लेख किया था। उन्होंने घोषणा की थी कि उस वर्ष रेलवे द्वारा संचालित दो निजी-स्वामित्व की कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा था कि इन सभी रेलवे कम्पनियों के राष्ट्रीय करण की निरन्तर मांग की जा रही है।

इन अनुदान की मांगों का अध्ययन करने के पश्चात् हमने देखा कि ये पांच रेलवे कम्पनियां और एक निजी रेलवे कम्पनी, जो मंत्री महोदय के अपने राज्य में है, रेलवे बोर्ड से छूट, आर्थिक सहायता या अन्य किसी नाम से प्रतिवर्ष एक मोटी रकम प्राप्त कर रही है। निजी रूप से चलाई जा रही निजी रेलवे, रेलवे से मेरे कहने का अर्थ है फतुहा-इस्लामपुर रेलवे से प्रति वर्ष 13 61 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्राप्त कर रही है। पश्चिम बंगाल में बंकुरा-दामोदर नदी रेलवे और अहमदपुर कटवा रेलवे प्रति वर्ष क्रमशः 1.19 लाख रुपए और 60 हजार रुपये प्राप्त कर रही हैं। असम में भी दो रेलवें हैं जिनमें से एक 3 लाख रुपये और दूसरी 1.2 लाख रुपये प्राप्त कर रही है। महाराष्ट्र में एक दूसरी रेलवे विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत प्रति वर्ष 9.76 लाख रुपये प्राप्त कर रही है। मुझे समझ नहीं आता कि इन निजी रेलवों का राष्ट्रीयकरण किये बिना उन्हें इतनी अधिक धनराशि क्यों दी जा रही है।

पश्चिम बंगाल में ऐसी दो रेलवे मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आती है। उनमें से एक 1965-66 में राष्ट्रीयकरण किया गया था। दूसरी पिछले 16 वर्षों से रेलवे द्वारा संचालित अहमदपुर-कटवा रेलवे कम्पनी को हम यह धन-राशि प्रतिवर्ष छूट के रूप में देते आ रहे हैं। बंकुरा-दामोदार नदी रेलवे कम्पनी भी प्रतिवर्ष 1.19 लाख रुपए प्राप्त कर रही है।

अतः मैं यह अनुरोध करता हूं कि इन सभी छः रेलवे कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण किया जाये क्योंकि हमने वर्ष 1979-80 में हमने इन पर 30.51 लाख रुपया व्यय किया है और 1980-81 में संशोधित प्राक्कलनों के अनुसार यह राशि 27.78 लाख रुपये है। अगले वर्ष का संशोधित अनुमान 29.36 लाख रुपए का है।

मुझे विश्वास है कि राशि और बढ़ेगी। गैर-सरकारी रेलवे को राज सहायता देने का क्या लाभ है? उनका राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं किया जाता है और उन्हें आप ही क्यों नहीं चलाते? मेरा अनुभव है कि इन रेलों का राष्ट्रीयकरण न होने के कारण रेलवे अधिकारी रेल पटरी तथा रेल-डिब्बों की देखभाल नहीं करते है।

अहमदपुर-कटवा रेलवे के सम्बन्ध में मैंने सभा में पिछले वर्ष उल्लेख किया था और तत्कालीन रेल मंत्री श्री कमलापति त्रिपाठी ने मुझे एक पत्र लिखा। मैं इसको पढ रहा हूं:

"लोक सभा में रेल बजट 1980-81 पर चर्चा के दौरान आपने पूर्वी रेलवे के अहमदपुर-कटवा विभाग के डिब्बों को बदलने तथा उनकी मरम्मत करने की आवश्यकता की ओर ध्यान दिलाया है।" यह परिकल्पना की जाती है कि यह उल्लेख अहमदपुर-कटवा छोटी लाइन सैक्शन के बारे में था।

पूर्वी रेलवे में उपलब्ध लगभग 92 छोटी लाइन के डिब्बो में से विभिन्न प्रकार के लगभग 36 डिब्बे इस सैक्शन पर सेवा के लिए प्रयोग में लाये जा रहे है।

सभी छोटी लाइन सैक्शनों के जारी रहने की अनिश्चितताओं के कारण क्योंकि कुछ को मीटरगेज बड़ी लाइन में बदले जाने या बन्द किए जाने की संभावना है, छोटी लाइन के डिब्बों को बदलने का कार्यक्रम विगत में कई वर्षों से नहीं तैयार किया गया। बाद में इस स्थिति का पुनरीक्षण किया गया और पिछली पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान पुराने छोटी लाइन के डिब्बों को बदलने के लिए 20 नये डिब्बे बनाने और पूर्वी रेलवे को आबंटित करने का कार्यक्रम बनाया गया है।

"अगला कार्यक्रम सभी बातों पर विचार करने के बाद बनाया जायेगा। तथापि पूर्वी रेलवे को यह सुनिश्चित करने के लिए अनुदेश दे दिए गए है कि इन डिब्बो की देखभाल यथा सम्भव अच्छे से अच्छे ढंग से की जाये"।

इस पत्र के प्राप्त होने के बाद पिछले एक वर्ष के दौरान कोई सुधार नहीं हुआ। यदि आप इस क्षेत्र में वर्षा ऋतु में जायें तो आप देखेंगे कि यात्री डिब्बों के अन्दर छाता लगाकर

बैठे हुए हैं। इंजन 50 वर्ष या इससे भी अधिक पुराने हैं। रेलवे को या तो उनकी मरम्मत करनी चाहिए या उन्हें बदल देना चाहिए। पिछले एक वर्ष में कोई मरम्मत नहीं की गई है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि इस सैक्शन की देखभाल की जानी चाहिए और इसका तुरन्त राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए।

कटवा बर्दवान सैक्शन का कुछ वर्ष पहले राष्ट्रीयकरण किया गया था। वहां पर डीजल इंजन दिए गए थे जबकि अहमदपुर-कटवा सैक्शन में कोई डीजल इंजन नहीं दिया गया है। रेल पटरी भी बड़ी पुरानी हैं और खराब हालत में है। उन पर भारी इंजन नहीं चल सकते हैं। मैं रेल मंत्री महोदय से इसका तुरन्त राष्ट्रीयकरण करने तथा इन डिब्बों तथा इंजनों को बदलने का अनुरोध करूंगा ताकि यात्रियों को कुछ सुविधायें मिल जाएं।

मैं इस बात पर भी जोर देता हूं कि इन दोनों सैक्शनों को बड़ी लाइन में बदल दिया जाए। यह हमारे राज्य के इस क्षेत्र की बड़ी पुरानी मांग है। इसलिए इसकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

पुरूलिया-बोटशिला हमारे राज्य में एक अन्य छोटी लाइन है। इसको बड़ी लाईन में बदला जाना चाहिए। इस मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने रेल रोको आंदोलन चलाया और यह कुछ दिन चलता रहा। उसके बाद मंत्री महोदय मान गए कि यह किया जायेगा। यह लाइन केवल 37 कि० मी० लम्बी है। इसकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : यदि श्री पांडे उस समय रेल मंत्री होते ?

डा० सरदीश राय : 3-4 महीने पहले यह समाचार-पत्र में आया था। रेल गाड़ियों के देर से चलने के कारण आन्दोलन होते हैं और वे दूसरे स्थानों पर फैल जाते हैं और यात्रियों में असंतोष पैदा हो जाता है। देर से रेल गाड़ियों के चलने के कारण हावड़ा तथा दूसरे स्टेशनों पर कानून और व्यवस्था का प्रश्न है। कैल-साहिब गंज सैक्शन से एक भी रेलगाड़ी हावड़ा स्टेशन पर समय पर नहीं पहुंचती है। हम इस बारे में बहुत परेशान हैं। गाड़ियां समय पर चलनी चाहिए। मुझे कुछ सैक्शनों के सम्बन्ध में आंकड़े मिल चुके हैं कैल-साहिबगंज सैक्शन से हावड़ा या सियालदाह स्टेशन पर दिसम्बर में एक भी गाड़ी समय पर नहीं आई है। जनवरी में एक या दो गाड़ियां समय पर आई हैं। प्रायः बिहार, उत्तर प्रदेश तथा उत्तरी भारत से आने वाली सभी गाड़िया आम तौर पर देर से आती हैं जिसके फलस्वरूप बंगाल क्षेत्र से इन गाड़ियों से आने वाले लोगों में बड़ी निराशा है और वहां पर कोई दूसरी स्थानीय गाड़ी नहीं है। जनवरी में एक सम्मेलन हुआ था और स्थानीय कांग्रेस विधायक श्री मोताहर हुसैन उसमें उपस्थित थे। और वह एक ऐसा वक्ता था जिसने इस बात की मांग की कि हमें रेल रोको आन्दोलन जारी रखना चाहिए। इस सम्बन्ध में एक संकल्प पारित हुआ था कि हम 22 फरवरी से उस सैक्शन के किसी भी स्टेशन से रेल रोको आंदोलन शुरू कर देंगे। मैं स्वयं तथा मुरारायहुसैन वहां गये और पिछली 10 फरवरी को एक सम्मेलन का आयोजन किया और

किसी तरह हमने उस आन्दोलन को स्थगित कर दिया। हमने कहा कि हमें यहां प्रबन्धक से मिलना चाहिए और इस बारे में मंत्री महोदय को भी जानकारी दी जानी चाहिए। यदि लम्बी दूरी की गाड़ियां समय पर चलती हैं और वहां पर अन्य यात्री गाड़ियां मिलती हैं तो उसके बाद वहां पर कोई परेशानी नहीं होगी।

मैं कुछ विधायकों तथा यात्रियों की संस्था के सदस्यों के साथ 12 फरवरी को पूर्वी रेलवे के महा प्रबन्धक से मिला। दुर्भाग्यवश महा प्रबन्धक का रवैया ऐसा था कि यात्री संस्था के सदस्य नाराज और उत्तेजित हो गये। किसी तरह मैंने उन्हें शान्त किया। विधायकों ने इस बारे में रेल मंत्री महोदय को लिखने का निर्णय किया है और यदि उनकी प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया जाता है। तो उनमें असंतोष और निराशा बनी रहेगी।

1972 में पश्चिम बंगाल विधान सभा के चुनाव हुए थे और उसमें हेराफेरी की गई थी।

प्रधान मंत्री ने हावड़ा में एक सभा को संबोधित किया था और हावड़ा-अमता-सीखली छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की मांग को पूरा करने का आश्वासन दिया था। इस पर कार्य शुरू हो गया है परन्तु केवल एक-तिहाई कार्य पूरा हुआ है हालांकि यह आश्वासन दिया गया था कि 31 मार्च, 1981 तक यह कार्य पूरा हो जाएगा। निसन्देह, 1980 के चुनाव अभियान में भी जब वह प्रधान मंत्री नहीं थीं और वह कटवा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कालना में एक चुनाव सभा को संबोधित कर रही थी। उस सभा में भी यह आश्वासन दिया गया था कि बंडल-कटवा लाइन को दोहरी किया जायेगा तथा इसका विद्युतीकरण किया जाएगा। निसन्देह, वह उस समय प्रधान मंत्री नहीं थी। उसके दल का प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा था। (व्यवधान)। हमारे दल का प्रत्याशी शफीउद्दीन था। वह अब सदन में है। हमारी राज्य सरकार बार-बार कलकत्ता के लिए कुछ व्यवस्था करने के लिए कह चुकी है ताकि कलकत्ता सड़क यातायात में सुधार हो सके। जैसा कि आप सबको मालूम है कि कलकत्ता सबसे घनी आबादी वाला नगर है। इसमें बहुत घनी आबादी है। इस समय नगर के भीतर केवल सड़क यातायात ही उपलब्ध है। कुछ वर्षों के बाद मैट्रो आ जायेगी। परन्तु अब मैट्रो रेलवे का निर्माण हो रहा है और वहाँ पर सड़क जाम हैं, वहां एक रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते बनाये गए हैं तथा कुछ सड़कें बन्द है। इससे नगर में और भीड़ हो गई है। राज्य सरकार का विचार है कि बन्दरगाह लाइनों तथा वहां पर अन्य लाइनों को जोड़ते हुए एक सर्कुलर रेल की व्यवस्था की जाए। इनको सर्कुलर रेल से जोड़ दिया जाए। मैं चाहता हूं कि उस प्रस्ताव पर ध्यान दिया जाए और इसके लिए व्यवस्था की जाए।

हमारे मंत्रियों ने कनकुरगाची चोरड सैक्शन में यात्री गाड़ियों की व्यवस्था करने के बारे में रेल मंत्री महोदय को लिखा है। मुझे मालूम है कि रेल बजट में···(व्यवधान)।

सभापति महोदय : 'हमारे मंत्रियों' का क्या अर्थ है, क्या इसका अर्थ पश्चिमी बंगाल सरकार के मंत्री हैं ?

डा० सरदीश राय : जी हां, पश्चिमी बंगाल सरकार के मंत्री ।

सभापति महोदय : क्या यह उनकी निजी हैसियत से है या सरकारी हैसियत से है ?

डा० सरदीश राय : कनकुरगाची चोरड सैक्शन की यात्री गाड़ियों को चलाने की संभावना के लिए तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण के लिए रेल बजट में प्रावधान है । मैं चाहता हूं कि संभावना रिपोर्ट पर शीघ्र कार्यवाही की जाए । यदि यह कर दिया जाता है तो सियालदाह के उत्तर से दक्षिण तक यात्रियों को उस लाइन पर भेजा जा सकता है । मैं चाहता हूं कि इस पर तुरन्त कार्यवाही की जाए । माननीय मंत्री महोदय समाजवादी है परन्तु सरकार ने जिस ढंग से रेल कर्मचारियों विशेष रूप से लोको कर्मचारियों के साथ व्यवहार किया है वह ठीक नहीं है । उन्होंने उनके आंदोलन को दबाया है । क्योंकि सरकार ने एक आश्वासन दिया था कि कार्य समय 14 घंटे से घटाकर 10 घटे कर दिया जायेगा । पिछले कुछ वर्षों से सरकार यह बातचीत कर रही है परन्तु परिणाम कुछ नहीं निकला है । निराश होकर उन्होंने आंदोलन किया और अब तक सैकड़ों रेल कर्मचारी धारा 19 (2) के अधीन नौकरी से निकाल दिये गये हैं और निलम्बित कर दिए गए हैं । मैं रेल मंत्री महोदय से उनके मामलों पर अनुकूल रूप से पुनः विचार करने की अपील करता हूं । आदेश वापस लिए जाने चाहिए । समझौता होना चाहिए और सरकार द्वारा पहले से मान ली गई मांगों को क्रियान्वित किया जाना चाहिए ।

हमें मालूम हुआ है कि सभी रेल गाड़ियों में विभागीय खान-पान की व्यवस्था नहीं है । कुछ गाड़ियों में उन्होंने खान-पान की व्यवस्था सवाहकों द्वारा की है । इसे समाप्त किया जाना चाहिए और विभागीय खान-पान की व्यवस्था चालू की जानी चाहिए ।

अब मैं अपने स्थानीय स्थान पर आता हूं । पूर्वी रेलवे में अंडल-संथीआ सैक्शन बहुत अच्छा राजस्व अर्जित करने वाला सैक्शन है । इस सैक्शन से 40 या 50 कोयला पाइलट आते-जाते है । परन्तु रेल यात्रियों की सुविधाओं की ओर ध्यान नहीं देती है । पिछले 30 वर्षों के दौरान इस सैक्शन में एक भी नई यात्री गाड़ी नहीं चलाई गई है । स्वतंत्रता के बाद से केवल नं० 4 अप और डाउन चल रही है । मैं कमलापति जी को तथा अब पांडे जी को कनकटा के लिए सीधी रेल गाड़ी सेवा करने के लिए पत्र लिख चुका हूं । हमारे राज्य में दो या तीन जिला कस्बे हैं जो रेल से नहीं जुड़े हुये हैं । एक तो पश्चिम दीनाजपुर है । इसका मुख्यालय बलूरघाट है और यह किसी भी रेल गाड़ी सेवा से नहीं जुड़ा हुआ है । इसी प्रकार दुमका संथाल परगना का मुख्यालय है । बजट में बी. जी. सैक्शन में बसु की नाव से होकर देव गढ़ से दुमका तक के प्राथमिक इंजीनियरिंग व यातायात सर्वेक्षण का प्रावधान है । मधुपुर तथा दुमका के बीच एक अन्य प्राथमिक इंजीनियरिंग व यातायात सर्वेक्षण का भी प्रावधान है । बजट में इन दो सर्वेक्षणों का प्रावधान है । मैं इसकी तो प्रसंशा करता हूं परन्तु बजट में बलूरघाट के एक भी सर्वेक्षण का प्रावधान नहीं है । मैं सुझाव देता हूं कि बलू घाट को रेलवे लाइन से जोड़ा जाना चाहिए । इसी प्रकार सेंडरी जिला बीरभूम का मुख्यालय है परन्तु सेडरी से हावड़ा तक कोई सीधी गाड़ी उपलब्ध नहीं है । हम इसके लिये बहुत समय से दलील दे रहे हैं । अब लोगों को अपने

दैनिक काम के लिये कलकत्ता जाने के लिए पहले बलापुर या बर्दवान तक बस से जाना पड़ता है और फिर वहां से कलकत्ता तक गाड़ी से जाना पड़ता है क्योंकि वहां से कलकत्ता के लिए कोई गाड़ी नहीं है। इसलिए इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

अन्दल-सैंथी सैक्शन की बड़ी उपेक्षा की गई है। न केवल डिब्बों में रोशनी नहीं है बल्कि स्टेशनों पर भी रोशनी का कोई प्रबन्ध नहीं है। सबसे विचित्र बात यह है कि अन्दल-सैंथी सैक्शन में बाहर के स्थानों को स्टेशन से टेलीफोन कनेक्शन टेलीफन खर्चों की अदायगी न करने के कारण पिछले 8 या 10 महीनों के दौरान दो बार काटे जा चुके है। कुछ दिनों पहले भी, कुछ लोग मेरे स्थान पर आये परन्तु मैं रेलवे स्टेशन से सम्पर्क स्थापित न कर सका क्योंकि टेलीफोन काट दिया गया था। टेलीफोन विभाग के लोग कहते हैं कि "हम क्या कर सकते हैं ? उन्होंने टेलीफोन बिलों का भुगतान नहीं किया है।" इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इस सैक्शन में अनेक स्टेशनों की बहुत उपेक्षा की गई है। हालांकि यह बड़ा राजस्व अर्जित करने वाला सैक्शन है फिर भी वहां इनकी उपेक्षा की जाती है। इस सैक्शन से कोयले की तस्करी यात्री तथा माल गाड़ी से की जा रही है। रेलवे पुलिस बल तथा अन्य रेलवे स्टाफ की तस्करों से मिली भगत है।

सभापति महोदय : अब आप अपना भाषण समाप्त करें।

डा० सरदीश राय : मैं इस बात को कहते हुये अपना भाषण समाप्त करूंगा कि बर्दवान-बढ़वरा सैक्शन में कुछ गाड़ियों के साथ तुरन्त डीजल इंजन लगाये जाने चाहिए ताकि कुछ हद तक यात्रियों का असन्तोष दूर हो सके। 327/318 यात्री, 329/330 माजाफरेपुर यात्री तथा 335/336 विश्व भारती-राज ग्राम यात्री गाड़ियों में डीजल इंजन लगाये जाने चाहिए और यात्री गाड़ी राज ग्राम तक बढ़ाई जानी चाहिए।

बर्दवान में एक विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय में सैंकड़ों छात्र रोजमर्रा के अध्ययन के लिए आते है। वे अपने घरों से सुबह 5 बजे चलते हैं। और बर्दवान सुबह 8 बजे पहुंचते हैं। वहां उन्हें अपनी कक्षाओं के लिए 2 घन्टे की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इसलिए बर्दवान तथा राजग्राम के बीच एक और गाड़ी दोनों अप और डाउन की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि सुबह वाली गाड़ी बर्दवान सुबह 10 बजे पहुंच जाए। इससे बहुत हद तक छात्र समुदाय को लाभ पहुंचेगा।

इन शब्दों के साथ मैं पुन: इस बात पर जोर देता हूं कि छोटी रेलवे लाइनों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। ए०के० और पी०के०एन०जी० लाइनों को बड़ी लाइन में बदला जाना चाहिए। मन माने ढंग से लोको कर्मचारियों के नौकरी से निकालने के आदेशों को वापस लिया जाना चाहिए और उनके साथ एक समझौता किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : मैं आपका भाषण यथा संभव ध्यान पूर्वक सुनने का प्रयास करता रहा हूं। मेरा आप से नम्र सुझाव यह है जो आपके हित में है। कि आप अपने सुझाव लिखित रूप में मंत्री महोदय के पास भेजें जिससे काम करने में सुविधा हो।

श्री जमीलुर्रहमान (किशनगंज) : माहतरमा चेयरमैन साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूं, कि आपने मुझे मौका इनायत फरमाया, ताकि कुछ बातें इस सदन में मैं भी कह सकूं और रेल मंत्रियों का ध्यान इस पर जा सके।

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकटसुब्बैया) : ब्राड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज।

सभापति महोदय : आप वेंकटसुब्बैया जी के हिसाब से कह रहे हैं-ब्राड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज।

श्री जमीलुर्रहमान : मैं इस हिसाब से नहीं कह रहा हूं। तीनों मंत्री इन्चार्ज हैं।

मैं अर्ज कर रहा था कि इस क्राइसेस के वक्त में जो यह बजट पेश हुआ है, वह निहायत ही मुनासिब और अच्छा बजट है। इस क्राइसेस के वक्त में इस सदन के अन्दर ऐसा बजट स्वीकृति के लिए पेश करना, यह काम हमारी पार्टी की लीडर और हमारी पार्टी ही कर सकती है।.. (व्यवधान).. देखिए, भाई— डिस्टरब मत करो, मेरी बात सुनें। सबसे पहली बात जो मैं अर्ज करना चाहूंगा कि रेलवे के फंड को अजसरे-नौ रीआर्गेनाइज किया जाए। आर्गेनाइज करने का नतीजा यह होगा कि ज्यादा हिस्सा रकम का स्ट्रेटिजिक जुन पर, नई रेलवे लाइन बनाने के लिए, छोटी लाइन को बड़ी लाइन में करने पर खर्च किया जा सकेगा।

जब तक रेलवे के फाड को री-आर्गेनाइज नहीं किया जायगा इस तरह के कामों के लिये रिजर्वेशन नहीं होगा, तब तक यह परेशानी जारी रहेगी और हम सारे जन-प्रतिनिधि अपनी-अपनी मांगें आप के सामने रखते रहेंगे, यहां पर बोलते रहेंगे, चाहे उसका कोई नतीजा निकले या न निकले। इसलिए मेरी गुजारिश यह है कि रेलवे फण्ड को अन-सरे-नौ री-आर्गेनाइज किया जाय। स्ट्रेटेनिक प्वाइन्टस के लिये मुनासिब रकम एलाट की जाय ताकि बड़ी लाइनें बन सकें, जहां पर नई लाइनों की जरूरत है उन लाइनों को बनाने पर वह रकम खर्च हो सके।

दूसरी बात-रेलवे इण्डस्ट्री एक बहुत बड़ी इण्डस्ट्री है - इसमें आप ने अभी 9 जोन्ज बना दिए है, मैं समझता हूं कि ये भी कम हैं, इनको और ज्यादा बढ़ाया जाय, जो बड़े-बड़े जोन्ज हैं उनको छोटा किया जाय ताकि काम तेजी से हो सके। करीब-करीब 70 करोड़ की आबादी के लिए 9 जोन्ज बहुत कम है, इससे एडमिनिस्ट्रेशन में दिक्कत पैदा होती है, डेवेलपमेंट का काम कम होता है, घूसखोरी और टिकट-लैस ट्रेवलिंग बढ़ता जाता है, जिनको कन्ट्रोल नहीं किया जा सकता है। जोन्ज छोटे होने से काम करने में सुभीता होगा, इस से काम बढ़ेगा, रेलवे की

रफ्तार बढ़ेगी और जो लोग यह कहते हैं कि रेलें टाइम पर नहीं चलती हैं-उन में भी पाबन्दी आयेगी और काम सही तरीके से चल सकेगा।

तीसरी बात-जी०आर०पी० को बिलकुल एबालिश कर दीजिये, इस की जरूरत नहीं है। हमारे पास आर०पी०एफ० है उसके दो हिस्से कर दीजिए - ला-एण्ड-आर्डर और प्रोटेक्शन उस के हाथ में दीजिए। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं - पिछले साल जी०आर०पी० ने किशनगंज में वह ऊधम मचाया जिसका हिसाब नहीं है। एक हरिजन लड़की को नंगा कर के प्लेटफार्म पर चलाया। इस के बारे में अखबारों में भी आ चुका है और यहां सदन में भी उसका जिक्र हुआ था। इतना ही नहीं पैसेन्जर्स के हाथ से चीजों को छीन लेना जी०आर०पी० का शेवा हो चुका है। इसके लिए मैंने जी०आर०पी० के एस०पी० को भी लिखा था कि इन हरकतों को रोको वरना इनसे खतरा पैदा हो सकता है, अवाम परेशान होंगे, पैसेन्जर्स परेशान होंगे तो नतीजा यह होगा कि यह मामला ज्यादा फलेवर-अप हो सकता है इसलिए, जनाब, मेरी साउण्ड राय यह है कि जी०आर०पी० की जरूरत नहीं है, आर०पी०एफ० को ला-एण्ड-आर्डर और प्रोटेक्शन दोनों काम सौंपे जा सकते हैं। आप चाहें तो उनकी कांफीडेन्शल रिपोर्ट मंगा कर देख लीजिए, ज्यादा न सही आप मेरे स्टेशन किशनगंज की ही मंगा कर देख लीजिए-आप को सारी बातें मालूम हो जायंगी। चेयरमैन साहब, जिस हल्के से चुनकर मैं आया हूं, उसमें असलीयतों की तादाद ज्यादा है, अगर वहां कोई वारदात होती है तो फौरन उसको कम्यूनल-टर्न दे दी जाती है - अपने आपको बचाने के लिए।...

सभापति महोदय : आपके वहां होते हुए भी यह हो जाता है।

श्री जमीलुर्रहमान : यही तो बदकिस्मती है। चूंकि रेल मंत्री का जी०आर०पी० पर नियन्त्रण नहीं है, इसलिए हम भी असमर्थ हैं, उनका मुकाबला करने के नाकाबिल हैं। चूंकि आर०पी०एफ० पर उनका नियन्त्रण है - इसलिए हम ने सुझाव दिया है कि इसके दो विंग बना दिये जांय।

चौथी बात - मैं बहाली के सिलसिले में अर्ज करना चाहता हूं। आर० पी० एफ० में क्लास 3 और क्लास 4 का रिटन एक्जामिनेशन होता है, लेकिन उसमें "वाइवा" का क्या चक्कर है ? यह बिलकुल गलत है, इसको फौरन एबालिश कर दिया जाये। असल में यह छांटने का एक तरीका है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन न हो तो आप पिछले दो सालों के एक्जामिनेशन रिजल्टस मंगा कर देख लीजिए कि कितने मुसलमानों की बहाली की गई है, कितने बैकवर्ड क्लास वालों की बहाली की गई है, कितने हरिजनों की बहाली की है आपने। इससे सारा मसला और नक्शा सामने आ जाएगा। इसलिए जब आई०ए०एस० में ओप्शनल है, तो क्या रेलवे में क्लास 3 और क्लास 4 में वाइवा होगा ? इसको बिलकुल एबोलिश कीजिए क्योंकि यस कैंडीडेटस को छांटने का एक बेहतरीन तरीका बन गया है।

दूसरी बात जो मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं वह यह है कि हमारी पार्टी सेकूलरइज्म में विलीव करती है और हमारी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी बोल भी चुकी हैं कि मुसलमानों के साथ इन्साफ नहीं हुआ है अभी तक। इसलिए मुसलमानों के साथ भी इन्साफ होना चाहिए। मैं रिजर्वेशन्स का कायल नहीं हूं लेकिन मैं यह चाहता हूं कि मुसलमानों को उन का जायज हक मिलना चाहिए। और मिले ···(व्यवधान) ···।

सभापति महोदय : मेरिट पर आवे, आप का यह कहना है।

श्री जमीलुर्रहमान : मेरिट पर आवे और वाइवा खत्म किया जाये। मैं यकीन के साथ कहता हूं कि मुसलमान लड़के उसमें आयेंगे और जरूर आयेंगे। मेरे पास लिस्ट है एन०ई० और एन०एफ० रेलवे की। उनकी बहाली नहीं हो रही है। यद्यपि लिखित परिक्षा अच्छी प्रकार से दी वाइवा की बुनियाद पर, जातपात की बुनियाद पर और नसल की बुनियाद पर उन लड़कों को छांट दिया गया है। मैं दावे के साथ यह कहता हूं और पूरी जिम्मेवारी के साथ कहता हूं।

श्री डी०पी० यादव (मुंगेर) : रिजर्वेशन करवाइए।

श्री जमीलुर्रहमान : रिजर्वेशन तो आप के लिए छोड़ रखा है। मैं जायज बात कहता हूं। मैं 2 नम्बर का शहरी नहीं है, मैं 1 नम्बर का शहरी अपने को करार देता हूं और मैं अपनी जायज मांग रखूंगा और उस के लिए हमारी नेता खुद सतर्क है, हमारे रेलवे मिनिस्टर भी सतर्क हैं भले ही रेलवे स्टाफ उतना सतर्क हो या न हो। मैं यह बात सदन में कह देना चाहता हूं कि आप लिस्ट दाखिल कीजिए। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, मैं 1971-77 सदन का मेम्बर था। उस वक्त मरहूम ललित बाबू जिन्दा थे और उन्होंने इस बात की पुष्टि की थी और यह कहा था कि मैं जोनल एपाइन्टमेंट कमेटी बनाने जा रहा हूं और हर छः महीने में कितने मुसलमान बहाल हुए, उसकी एक लिस्ट सदन में रखी जायेंगी कितने बैकवर्ड क्लासेज के लोग बहाल हुए और कितने हरिजन बहाल हुए, इसकी एक लिस्ट सदन में रखी जाएगी लेकिन आज तक उसके बारे में कुछ नहीं हुआ है। उसको पूरा भूल गये और फिर दूसरी पार्टी के लोग आए हमारे हार जाने के बाद और वह लिस्ट सदन मे आज तक नहीं रखी गई।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हारबर) : वोट के टाइम पर ही करते हैं · (व्यवधान)।

श्री जमीलुर्रहमान : वोट के टाइम पर जो दरकार होता है, हम करते हैं, हमारी कांग्रेस ही करती है उनके लिए। आप नहीं कर सकते। वेस्ट बंगाल में हमारे लोगों के लिए क्या हुआ है। ··(व्यवधान)···मेरे पास वक्त कम है, इसलिए मुझे अपनी बात कहने दीजिए।

सभापति महोदय : आप बोलते जाइए।

श्री जमीलुर्रहमान : आप क्लास 4 की बहाली ले लीजिए। क्लास 4 में कौन सी मेरिट की जरूरत है। रेलवे मंत्री जी आप यह लिस्ट दीजिए कि एन०ई० जोन में और एन०एफ० जोन

में क्लास 4 में कितने हरिजनों की बहाली हुई है, कितने मुसलमानों की बहाली हुई है और कितने बैकवर्ड क्लासेज के लोगों की बहाली हुई है। इसकी आप एक लिस्ट पार्लियामेंट में सबमीट कीजिए। पार्लियामेंट मुल्क में सबसे बड़ी नुमायन्दा जमायत है और पार्लियामेंट ही मुल्क के लोगों के अधिकारों का रखवाला है। इसलिए यहां आपको यह लिस्ट रखनी चाहिए ताकि मुल्क को यह मालूम हो कि चाहे मुसलमान हो या हरिजन हो या बैकवर्ड हो, उसके साथ नाइंसाफी नहीं हुई है और सेकूलरइज्म के आधार पर एपाइन्टमेंट्स, बहाली और सारी बातें हुई हैं।

एक दूसरी बात मैं आर०पी०एफ० में बहाली के मामले में कहना चाहता हूं। कांस्टेबिल जिस को कहते हैं, उसमें कौन पढ़े-लिखे लोगों की जरूरत है, उसमें कौन से कम्पीटीशन की जरूरत है। उस की एक सूची आप दाखिल कीजिए पार्लियामेंट में क्योंकि हमारा विश्वास है, हमारा प्रिंसिपल है, हमारा सिद्धान्त है, हमारा यकीन है सैकूलरइज्म पर और हम चाहते हैं कि सब लोगों को, हर एक तबके को चाहे वह मुसलमान हो, चाहे कोई और तबका हो, उसको उसका हक मिले। मैं फिर कहना चाहता हूं कि आप एक लिस्ट रखिये कि दो सालों के अन्दर, तीन सालों के अन्दर आर०पी०एफ० में कितने कांस्टेबिलों की, औरों को तो आप छोड़ दीजिए, बहाली हुई है हरिजनों की, कितने बैकवर्ड क्लासेज की और कितने मुसलमानों की। मैं चाहूंगा कि जब आप इस डिबेट का रेप्लाई करें, तो इस बात को सदन के सामने रखें।

श्री वी०डी० सिंह (फूलपुर) : अभी माननीय सदस्य ने बताया कि मेरिट पर हो, इस के बारे में मैं पूछना चाहता हूं।

श्री जमीलुरंहमान : आप तशरीफ रखिए।

श्री वी०डी० सिंह (फूलपुर) : अगर रिजर्वेशन नहीं होगा तो इम्प्लीमेंट कैसे होगा ?

श्री जमीलुरहमान : मैं आपकी बात नहीं मानूंगा।

सभापति महोदय : यदि वह इससे सहमत नहीं हैं तो आप उन्हें विवश नहीं कर सकते।

श्री जमीलुरंहमान : दूसरी बात मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि यह मसला निहायत संगीन है लेकिन कोई भी तबका यह न सोचे कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है क्योंकि हमारे प्रिंसिपल्स, हमारा यकीन, हमारी बुनियाद सेक्युलरिज्म पर है। इसलिए मैं चाहूंगा कि चाहे पुलिस फोर्स हो, चाहे क्लास थ्री की सर्विस हो, क्लास फोर की सर्विस हो, सभी में मुसलमानों और दूसरे तबकों के साथ बराबर का सलूक हो।

अब दूसरी बात सुनिये।

सभापति महोदय : अभी आप दूसरी बात पर हैं। मैं समझ रहा था कि यह आप आखिरी बात कर रहे हैं।

श्री जमीलुर्रहमान : चेयरमेन साहब, मामला निहायत संगीन है। आप रेलवे स्टेशन की बात सुनिये।

सभापति महोदय : क्या आप किशनगंज की बात कह रहे हैं ?

श्री जमीलुर्रहमान : उस मामले पर तो मैं कह चुका हूं। मैं अलावाबादी जिसका दूसरा नाम इस्लामपुर है जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है उसके बारे में कह रहा था। आप रेलवे स्टेशनों की हालत सुधारिये। प्लेटफार्मों को ऊंचा कीजिए, गाड़ियों में तादाद बढ़ाइये और तमाम लोगों को ज्यादा सुविधा और फेसिलिटीज दीजिए।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं। कि रेलवे सर्विस कमीशन जो एग्जामिनेशन लेते हैं उनके रिजल्ट दो-दो सालों में आऊट होते हैं। यह कौन-सा तरीका है कि इतने दिन बाद रिजल्ट आऊट होते हैं। क्यों नहीं रेलवे मंत्रालय इन कमीसंस से रिपोर्ट मंगवाता है कि किस-किस एग्जाम में कितने-कितने लड़के बैठे और कितने-कितने पास हुए। दो-दो साल में रिजल्ट आऊट किये जाते हैं, क्यों नहीं तीन महीने में रिजल्ट आऊट करने के लिए उनसे कहा जाता है। जब तक तो इम्तिहान देने वाले की उम्र भी निकल जाती है। उम्र कोई रुकेगी थोड़े ही।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : आप स्पेसिफिक केसिज बताइये तो मैं उस पर जवाब दे सकता हूं।

श्री जमीलुर्रहमान : आप 1978 और 1979 में जो एग्जामिनेशंस हुए थे, उनको ले लीजिए। उनके अभी रिजल्ट निकले हैं। मैं तो एन. एफ. और एन. ई. रेलवे से ताल्लुक रखता हूं, इन दो रेलवेज के बारे में कह सकता हूं दूसरी रेलवेज के बारे में मैं नहीं कह सकता हूं। इसलिए मैंने एग्जामिनेशंस के रिजल्ट के बारे में गुजारिश की है जो कि तीन महीने में निकलने चाहिएं।

सब से महत्वपूर्ण और अहम बात है कटिहार से जोगबनी रेल लाइन का कंवर्शन। जोगबनी इंटरनेशनल बार्डर पर हैं। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि कटिहार से जोगबनी जो कि एन०ई० और एन०एफ० रेलवेज पर है वह लाइन फ्रेट और पेसेंजर्स दोनों में हायेस्ट इनकम अर्निंग लाइन है। मेरी कांस्टीच्युएंसी में तो उसका थोड़ा सा हिस्सा है। उसका थोड़ा सा हिस्सा माधुरी जो की और थोड़ा सा हिस्सा बैठा जी की कांस्टीच्युएंसीज में पड़ता है। इसलिए इस लाइन का कंवर्शन बहुत जरूरी है क्योंकि यह लाइन इन्टरनेशनल बार्डर को टच करती है। इसमें सब से बड़ी बात यह है कि इसमें फिल्फेज बहुत होता है। इसके कंवर्शन से वह रुकेगा। चार-पांच लाख का सालाना पिल्फेज होता है। वह रुक जायेगा और बड़ी लाइन होने से हिन्दुस्तान के किसी भी कोने से अगर किसी मुसाफिर को जाना होगा तो वह आसानी से चला जायेगा।

सभापति महोदय : इसी से समाप्त कीजिए।

श्री जमीलुर्रहमान : चेयरमैन साहब, मैं जनरल बजट पर नहीं बोला, रेलवे बजट पर नहीं बोला हूं। इस पर जरा ख्याल फरमाइयेगा।

अब आजाइयेगा रिजर्वेशन की बात पर। किशनगंज स्टेशन पर लोगों के साथ बहुत ज्यादती होती है।

मैंने पिछली बार भी यह मसला उठाया था और अब भी उठा रहा हूं कि किशनगंज डिस्ट्रिक्ट सब डिवीजनल हेड क्वार्टर है, वहां रिजर्वेशन की सुविधा दी जाए। अभी रिजर्वेशन या तो बिल्कुल नहीं है और है भी तो बहुत कम है। तिनसुकिया मेल में देख लीजिए ए.टी मेल में देख लीजिए, जी. एल. मेल देख लीजिए, चाहे कामरूप एक्सप्रेस में देख लीजिए, चाहे दार्जिलिंग एक्सप्रेस में देख लीजिए। आप इस्लामपुर, जिसका रेलवे नाम अलवा बाड़ी है, वहां चार्ट उठाकर देख लीजिए कि रिजर्वेशन कितना है। मैं ज्यादा इस बारे में नहीं बोलना चाहता क्योंकि दूसरे साथियों के दल में दर्द होगा, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि किशनगंज में रिजर्वेशन का कोटा बढ़ाना निहायत जरूरी है।

सभापति महोदय, आखिर में मैं एक बड़ा ही अहम मसला उठा रहा हूं। तिनसुकिया मेल को रिस्ट्रिक्टेड कर रखा है। आप पटना से इस मेल में बैठ जाइए और 10 रु० दे दीजिए, इसके बाद आप जमाल पुर चले जाइए, भागलपुर चले जाइए, बढ़हरवा चले जाएं, मालदा चले जाएं, कोई आपसे पूछने वाला नहीं है। यह पैसा आपकी जेब में क्यों न जाएं, रेल मंत्रालय की जेब में क्यों न जाए इसलिए मेरा निवेदन है कि पटना से किशनगंज के रिस्ट्रिक्शन को समाप्त कीजिए। मैं आपको वहां पर दिखा सकता हूं ***।

सभापति महोदय : आपकी दोस्ती उन लोगों से ज्यादा है ?

श्री जमीलुर्रहमान : मैं तो वहां देखता हूं इसलिए बयान कर रहा हूं। आप इस रिस्ट्रिक्शन को खत्म करिए, इससे रेलवे का लाखों रुपये का नुकसान हो रहा है। इससे करप्शन इतना बढ़ गया है कि बयान से बाहर है।

सभापति महोदय, एक बात की ओर मैं और ध्यान दिलाना चाहता हूं। यह कटिहार रेलवे कालोनी और कब्रिस्तान के बीच की दीवार का मामला है, जिसके बारे में जब मैं 71 से 77 तक मेंबर था तब भी कहा था, पिछले सेशन में भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, लेकिन रेलवे विभाग को मुसलमानों से पता नहीं क्या दुश्मनी है कि वह इस दीवार को नहीं बना रहा है। रेलवे-बोर्ड क्या चाहता है कि हिन्दु-मुस्लिम फसाद हो जाए और हजारों हिन्दु मुस्लिम मारे जाएं। एक छोटे से खर्चे में इतनी देर की जा रही है पिछली बार कुछ आदमी कब्रिस्तान में से लाशें निकाल कर, उनकी गर्दन काटकर ले जाते हुए पकड़े गए थे, उस समय फसाद होते-होते बचा था, क्योंकि उस समय एस.पी. साहब बड़े उम्दा आदमी थे और मैं भी भागा-भागा पहुंचा, तब जाकर बात बनी। एक हंगामा होते-होते बचा। सिर्फ 2-4 लाख के

खर्चे से वहां पर ला एण्ड आर्डर की स्थिति सुधर जाएगी। इसलिए मेरी गुजारिश है कि अगली बार जब यह सदन बैठे तब तक मंत्री महोदय स्वंय यहां पर इस बात की घोषणा करें कि कटिहार में रेलवे कालोनी और कब्रिस्तान के बीच दीवार बनाई जा चुकी है।

श्री जेवियर अराकल (एर्णाकुलम) : आप अन्य सदस्यों को भी समान समय का आवंटन कीजिए।

सभापति महोदय : समान समय आबंटित नहीं किया जा सकता है। परन्तु मैं अधिकाधिक सदस्यों को बोलने का अवसर देने का प्रयास कर रहा हूं। कुछ सदस्य प्रत्येक विषय पर बोलना चाहेंगे। कुछ सदस्य ऐसे भी हैं जो एक या दो विषयों पर बोलना चाहेंगे। अत: हम समान समय कैसे आबंटित कर सकते हैं ?

श्री जमीलुर्रहमान : मैं एक मिनट में खत्म कर रहा हूं। ट्रेंज में जो क्राइम्ज बढ़ रहे हैं इनको बढ़ने से आप रोकिये। इन पर आप रोक लगाएं। लैट रनिंग आफ ट्रेंज को आप खत्म करें।

मिनिस्टर और मिनिस्ट्री जो रेड उन्होंने किया है और कई सौ बिना टिकट यात्री पकड़े गये थे उसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। इन रेड्ज को आप और तेज करें। महाभारत में अर्जुन जिस तरह से बोलता है और करता था उसी प्रकार रेल मंत्री बोले थे मल्लिकार्जुन ने अपना कर्तव्य निभाया है। सारे साथियों ने इनको मदद दी है। जाफर शरीफ और पांडे जी भी बधाई के लायक हैं।

रेलवे मुलाजमीन जो बात बात पर हड़ताल करते हैं, बात बात पर करोड़ों रुपये का मुल्क का नुकशान करते हैं, इंडिसिप्लन फैलाते हैं ऐसे लोगों को अगर आपने कानूनी सजा दी है तो मैं पुरजोर आप से अपील करूंगा कि किसी कीमत पर उनकी बहाली नहीं होनी चाहिए इंडिसिप्लन आप खत्म करें।

मैं यह भी कहूंगा कि वन इंडिस्ट्री वन यूनियन के सिद्धान्त को आप अपनाएं फिर चाहे वह रेलवे हो या दीगर इन्डस्ट्रीज हों। तभी डिसिप्लिन कायम होगा। जब डिसिप्लिन कायम होगा तो मुल्क तरक्की करेगा और मुल्क में खुशहाली आएगी। तभी देश की गरीबी भी खत्म होगी।

श्री डी० पी० यादव (मुंगेर) : मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम समय में जो बात मुझे कहनी हैं वह दूं और जो बातें कही गई हैं उनको न दोहराऊं।

नेशनल ट्रांस्पोर्ट पालिसी कमेटी जिसे वी० डी० पांडे ने हैड किया था, उसने कुछ मूलभूत मुद्दों पर आपका ध्यान खींचा था। उसने यह कहा था कि वे एरियाज और जोन्स जो बहुत बैकवर्ड हैं जहां पर रेल कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन नहीं है उसको प्रेफेंस देना चाहिये।

इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बिहार का एक एरिया जो बहुत निग्लेक्टिड है उसकी तरफ आप वज्जह दें। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की स्थिति आप देख लें। वहां हर सत्तर किलोमीटर पर एक ब्रिज है और कुल चौदह ब्रिजेज हैं। लेकिन बिहार में मोकामा से ले कर फरक्का तक 278 किलोमीटर का फासला है और उसमें एक भी रोड कम रेल ब्रिज नहीं है। यह डिसपैरिटी हुई या नहीं ? यहां 278 किलोमीटर में गंगा पर एक भी रेल कम रोड ब्रिज नहीं और बगल के प्रदेश उत्तर प्रदेश में हर सत्तर किलोमीटर पर एक ब्रिज है, ऐसा क्यों हुआ ? जहां के लोग ज्यादा चिल्लाते हैं वहां तो आप सुविधा दे देते हैं लेकिन जहां के लोग चुप रहें उनको सुविधा न दें यह ठीक नहीं है। बिहार वाले भोले भाले हैं। उनकी तरफ भी आप ध्यान दें। असम क्षेत्र, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश आदि में आपने बहुत सी स्कीम्ज दी हैं। उनके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। लेकिन बिहार की तरफ भी आप ध्यान दें। बिहार में सुलतानगंज के पास रेल कम रोड ब्रिज बनाएं। इसका टैक्नो इकनामिक सर्वे रेल इन्डिया टैक्निकल सर्विसेज ने किया है, उसी आधार पर इस स्कीम को टेक-अप कीजिये, विकास के लिए यह मेरा निवेदन है।

बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि बिहार के मंत्री होते हैं, इसलिये बिहार का बड़ा विकास हुआ है। बड़ी अच्छी बात है, एक सर्वे कराइये कि फर्स्ट प्लान से फिफ्थ प्लान तक रेल मंत्रालय में जितना भी विकास हुआ है, रेल मंत्रालय मायने रेल कारखाने, रेल फिटिंग्ज और रेल ट्रैक्स में ओ डेवलपमेंट हुआ है, उसमें से बिहार में कितना डेवलपमेंट हुआ है ? बिहार में कितना रेलवे लाइन का एक्सटेंशन हुआ है और बिहार के कारखाने का कितना विकास हुआ है, वह देख लीजिये। मैं एक उदाहरण दूं, आपके बड़े अधिकारी यहां बैठे हुए हैं, वह इस बात के साक्षी हैं। सबसे ज्यादा नैगलैक्ट बिहार में रेल कारखाना हुआ है। जमालपुर का रेल कारखाना 116 साल पुराना है, उसकी हालत देखिये।

टोटल प्लैन में कितना पैसा दिया है, साढ़े 4 करोड़ और बगल के राज्य में कितना दिया है, 52 करोड़। यह डिस्पैरिटी हुई या नहीं ? डा० राम सुभग सिंह, ललित बाबू, श्री जगजीवन राम, और पांडे जी – रेल मंत्रियों की संख्या बिहार से जरूर रही है लेकिन विकास की संख्या क्या है ? यह मंत्रियों की संख्या के अनुपात में कम हुई है। कहने को भले ही लोग कह लें कि चूंकि बिहार के मंत्री हैं, इसलिए बिहार को सुविधाएं मिली हैं।

एक बार मधु दण्डवते जी भी जब रेल मंत्री थे, तो बिहार के जमालपुर कारखाने को देखने गए थे, इन्होंने कुछ आश्वसन दिये थे, उनकी पूर्ति आजतक नहीं हुई। एक हनुमंतैया जी ने यहां पर 1972-73 के रेल बजट की स्पीच देते हुए कहा कि जमालपुर कारखाने में रि-रोलिंग मिल बैठेगा। मिल का 1 करोड़ 36 लाख रुपये का क्या हुआ ? जमालपुर रि-रोलिंग मिल का क्या हुआ ? 1956 में 57 में 58 में जमालपुर कारखाने में कितने लोग काम करते थे और आज कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने रिटायर ही रहे हैं, कितनों की नई बहाली हुई है ? एक तरफ एक कारखाने का विकास भी नहीं कर सकते हैं और सारे का सारा दोष बिहारियों को दे देते हैं।

बिहार के इन-पुट्स दीजिये, मैं पांडे जी से निवेदन करूंगा कि ध्यानपूर्वक सुनें कि 51सौ करोड़ का सिक्स्थ प्लान रेलवे डैवलपमेंट का है, हमको बिहार का 11 परसेंट हिस्सा दीजिये, इतना ही मांगते हैं वहां के रेल ट्रैक्स के लिए फिटिंग्ज के डैवलपमैंट के लिए और कारखाने के डैवलपमैंट के लिए। मत दीजिए जमालपुर को क्योंकि हमारी कांस्टीटुएन्सी में है ?

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : क्यों नहीं आपकी कांस्टीटुएन्सी में ?

श्री ज्योतिमय बसु : अरे भाई, तुम्हारा स्टेट है, तुम्हारे स्टेट से मिनरल्स रिसोंसेज लेकर चला जायेगा, यही तुम्हारे स्टेट का काम है।

श्री डी० पी० यादव : ज्योतिर्मय बसु साहब भी इस बात की सिफारिश कर रहे हैं कि हमारा हिस्सा हमको मिलना चाहिये। 5 से10 करोड़ कम-से-कम मिलना चाहिए। बिहार के लिए यह एक मौलिक चीज हुई कि सुलतानगंज के पास एक रेल-कम-रोड ब्रिज बनाना चाहिए, जमालपुर वर्कशाप का विकास होना चाहिये, पांच सौ दस करोड़ रुपया कम-से-कम बिहार के रेल डेंबलपमैंट के लिए दिया जाना चाहिये।

एक बात की ओर मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय और आपका जो जनरल मैनेजर का आफिस है, वह बड़ा टैकनीकल है, अल्ट्रा टैक्नीकल। अगर कोई एम० पी० चिट्ठी लिखे तो उसकी जांच करेगा पी० डब्ल्यू० आई०। वहां से वह रिपोर्ट करेगा कि —

"संबंधित विभाग ने इसकी जांच की और पाया कि इसका कोई औचित्य नहीं है।"

यह बड़ा अन्फार्चुनेट है।

एक एम० पी० चिट्ठी लिखता है, उसको वहां के धरातल का ज्ञान है, उसको सोशल कन्डीसन्ज का ज्ञान है।

स्टूडेंट्स को हम कंडम करते हैं। मिसाल लीजिये, आरा से बक्सर से स्टूडेंट्स जाते है, पटना, लखीसराय, मुंगेर से स्टूडेंट्स जाते हैं, मननपुर से जाते हैं, बंसीपुर से जाते हैं। स्टूडेंट्स तो जायेंगे ही, स्टूडेंट्स कालेज तो जायेंगे ही और ट्रेन पर चढ़ेंगे ही। मैंने कई बार लिखा चिट्ठी लिखी कि ट्रेन को एक-एक मिनट के लिए रुकवा दीजिये, लेकिन बंसीपुर में जनता का और मननपुर में पाटलीपुत्र का हाल्टेज नहीं हो सका। मैं जनता हूं क्यों ?

एम० पी० का सजैश्चन इतना सस्ता है और रेल मंत्रालय के किसी अधिकारी का कलम इतना मंहगा है, यह गलत बात है। हमारे एम० पी० के सजैश्चन पर आपके जनरल मैनेजर को साथ चलना होगा और आप इस बात का आदेश दीजिये कि एम० पी० अगर कोई बात सजैस्ट करता है तो उसको जनरल मैनेजर खुद एग्जामिन करेगा। यह नहीं हो सकता है कि हम मजैश्चन दें और कैजुअल और रुटीन तरीके में आपके लोग जवाब दे दें, चलाये जायं यह नहीं चलेगा।

अगर चलेगा, तो रोज चैन-पुलिंग होगा, ड्रेज पाइप काटा जाएगा। अगर स्टुडेंट्स को सुविधायें नहीं दी जायेंगी, तो वे विनाश करेंगे. चाहे उन्हें कितना ही मनाने की कोशिश की जाये। स्टुडेंट्स से सम्बन्धित इस सोशल प्राबलम को स्टडी करने के लिए एक ग्रुप बना दिया जाये, जिसमें स्थानीय एम० पीज० और एम० एल० एज के अतिरिक्त कुछ और लोगों को भी रख दिया जाए, और उसकी रीकमेंडेशन के मुताबिक कार्यवाही की जाये।

मेल ट्रेन्ज को स्टुडेंट्स बहुत डिसटर्ब करते हैं। अगर उनके कालेज जाने के लिए मेल ट्रेन से पहले पैसेंजर ट्रेन दे दी जाये, तो यह समस्या हल हो सकती है। इस समय स्थिति यह हैं कि टूरिस्ट्स को, और खास तौर से फारेन टूरिस्ट्स को, बहुत जलील किया जाता है। कालेज जाते हुए स्टुडेंट्स को जब भी मौका मिलता है, तब वे दूसरों को तंग करते हैं। इस मामले को प्रैक्टिकल दृष्टि से देखने की कोशिश करनी चाहिए।

श्री जमीलुर्रहमान साहब ने जी० आर० पी० के फंक्शन्स के बारे में कहा है। मैं भी हाथ जोड़ कर यह विनती करना चाहता हूं कि जी० आर० पी० के इस सफेद हाथी को हटा दिया जाये। यह लुटेरा है। जब टिकट एग्जामिनर बाहर होते है, तो जी० आर० पी० का सिपाही या दरोगा टिकट दिखाने के लिए कहते हैं। अगर टिकट नहीं है, तो कहते हैं कि सामान उतारो। उसके बाद अगर उसको पैसा दे दो, तो छोड़ देंगे। टिकट को चैक करने का काम टिकट एग्जामिनर का है। जी० आर० पी० टिकट को चैक करने वाला कौन होता है--उसको इसका क्या अधिकार है ?

मेरे नाम से वथुल स्टेशन पर रिटयरिंग रूम का रिजर्वेशन था। जी.आर.पी का दरोगा इतना मन चला था कि वह उसको सुबह छः बजे लाक कर के पटना चला गया श्री शिबु सोरन के साथ भी वहां यही घटना घटी। जो रक्षक हैं, उसे जो मन करें, वह करे इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है। मंत्री महोदय स्टेट के चीफ मिनिस्टर से इस बारे में बात करें कि रेलवे के क्षेत्र में इस तरह ला एंड आर्डर के नाम पर लूट मचाने की छूट जी. आर.पी. को नहीं देनी चाहिए। यह बड़ा गम्भीर मामला है।

जमालपुर में रेलवे डिविजन बनाया जाये । वह हावड़ा से 300 मील पड़ता है। उससे काम नहीं चल सकता है।

मंत्री महोदय ने बड़ी कृपा करके मुजफ्फरपुर -सीतामढ़ी रेलवे लाइन के बारे में एनाउंस किया है उस पर सर्वे वर्क शुरू कराया जाये और काम भी शुरू कराया जाये। पार-साल माननीय पंडित जी ने कहा था कि हम डबलिंग आफ रेलवे ट्रैक शुरू कर रहे है। वथुल-बहरवा लाइन के काम को अभी हाथ में नहीं लिया गया है। मंत्री महोदय इसको नोट करलें। ललमटिया, बरहरवा, फरक्का, इस सारे क्षेत्र की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। कहलगांव और फरक्का में सुपर-थर्मल स्टेशन बनेंगे। उसी से मुजफ्फरपुर और बरौनी को कोयले की पूर्ति होगी। पावर के सम्बन्ध में यह एक बड़ा कम्पलेक्स होगा। इसलिए वहां एक स्पेशल सर्वे होना चाहिए और रेलवे ट्रैक का डबलिंग होना चाहिए।

मुजफ्फरपुर से कलकत्ता, लूपलाइन होते हुए, एक डेली जरूर चलानी चाहिए। तिनसुखिया में भागलपुर से दो बोगी जरूर जोड़नी चाहिए। आज-कल मिलिटरी वालों और आम जनता में रोज लट्ठम-लट्ठा और गुत्थम-गुत्था होता है, जो बहुत बुरा लगता है। विक्रमशिला एक्सप्रेस को भागलपुर से डेली करवाया जाये।

मैं एक और निवेदन करूंगा। कहीं कहीं जहां से रेलवे लाइन पास होती है, वहां ओपन ब्रिज है। उससे बड़ियारपुर के पास पिछले दो चार सालों में दस बारह आदमी मर चुके हैं। दो चार लाख रुपया लगा कर रेलवे ट्रेक के बगल में एक पैडस्ट्रियन रास्ता बना दिया जाये, जिससे लोग आसानी से आ सकें। उसमें ज्यादा खर्चा नहीं होगा।

अगर मंत्री महोदय रेलवे प्रशासन को सुधारना चाहते है, तो वह रेलवे के आफिसर्ज को पावर और रेसपांसिविलिटी दोनों दें। जब तक आप उनको रेस्पांसिविलिटी नहीं देंगे पावर से काम नहीं चलेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर और एग्जीक्यूटिव रेसपांसिविलिटी दोनों ही होनी चाहिए। यह हैण्डिकैप न रहे कि जब रेलवे बोर्ड से आदेश आयेगा तभी जनरल मैनेजर वह काम कर सकेगा। वह वहीं पर उसका डिस्पोजल करले, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए।

यह तमाम चीजें जो मैंने आपके सामने रखीं इन पर मुझे आशा है आप विचार करेंगे। हम आपके रेल मंत्रालय में रहने की शुभ कामना करते हैं और चाहते है कि रेल मंत्रालय सुधरे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

* श्री बी० एस० विजयराघवन (पालघाट) : सभापति महोदय, मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि रेल विकास के मामले में केरल की पूर्ण उपेक्षा हुई है। इस वर्ष के रेल बजट में हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं है। रेलवे की अध्यक्षता वह त्रिमूर्ति करती है। फिर भूतपूर्व रेल मंत्री माननीय पंडित जी भी सभा में बैठे हैं। अतः मैं अपने केरल राज्य की कुछ न्यायसगत और उचित मांगें उनके सम्मुख रखता हूं।

सर्वप्रथम में कुट्टीपुरम्—गुरुवापुर लाइन का उल्लेख करूंगा। यह दक्षिण के महानतम तीर्थस्थलों को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण लाइन है। मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में केवल यह कहा है कि सर्वेक्षण किया जायेगा। बजट में इसके लिए धन राशि नहीं रखी गई है। मैं उनसे इस लाइन के लिए कुछ धन का प्रावधान रखने को अनुरोध करता हूं।

दूसरी मांग यह है कि अल्तुर होती हुई कोलांकोड-त्रिचुर लाइन का निर्माण किया जाए। इस लाइन के निर्माण से मदुरै, पालानी, त्रिचुर, जहां प्रसिद्ध 'पूरम' मेला लगता है, और गुरुवापुर को जोड़ा जा सकता है। इस लाइन पर कुछ प्रसिद्ध तीर्थस्थल हैं और उन्हें रेल लाइन से जोड़ा जा सकता है।

* मलयालम में किए गए मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

मैं तटीय रेल लाइन की भी मांग करता हूं। यह लाइन केरल के तटीय क्षेत्रों के विकास के लिए बहुत जरूरी है। इसके लिए भी कुछ प्रावधान किया जाए।

अब मैं केरल में रेल लाइनों के बिजलीकरण पर आता हूं। केरल में बिजली पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। हम लम्बे अर्से से मांग कर रहे हैं कि केरल की फालतू बिजली का रेलवे बिजलीकरण के लिए इस्तेमाल किया जाए। इससे हम काफी डीजल बचा सकते हैं जिसकी इस समय कमी है। यह एक राष्ट्रीय सेवा होगी। रेल गाड़ियां चलाने के लिए हमें बिहार कोयला क्षेत्र से कोयला मंगाना पड़ता है। कोयले की कमी होने पर केरल में कई गाड़ियां रद्द कर दी जाती हैं और मुसाफिरों को काफी कठिनाई होती है। बिजलीकरण से इस कठिनाई को दूर किया जा सकता है। मैं मंत्री जी से इस प्रस्ताव पर विचार करने का अनुरोध करता हूं।

कन्याकुमारी से हावड़ा तक एक नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाई जानी चाहिए। विपक्ष में बैठे मेरे दोस्त इस प्रस्ताव से खुश होंगे। इस गाड़ी का नाम 'विवेकानन्द एक्सप्रेस' होना चाहिए और यह उन तीन राज्यों से होकर जाएगी। जहां विरोधी दलों की सरकारें हैं। अतः मैं पांडे जी से इस प्रस्ताव पर विचार करने का अनुरोध करता हूं।

अन्त में मैं अपने क्षेत्र पालघाट की समस्याओं का जिक्र करूंगा। कुछ वर्ष पूर्व तक केरल में ओलवाकोड ही केवल एक रेलवे डिवीजन था। अब इस डिवीजन के महत्व को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। लोगों को आशंका है कि इस डिवीजन को अन्ततः समाप्त ही कर दिया जाएगा। मालाबार और कोचीन के विकास के लिए यह डिवीजन बहुत महत्वपूर्ण है। समाचारपत्रों में इस प्रकार के प्रस्ताव की रिपोर्ट छपी है। इस आशंका को दूर किया जाए और इस डिवीजन को न केवल बरकरार रखा जाए बल्कि इसको और मजबूत किया जाना चाहिए।

मैं एक और बात कह कर अपना भाषण समाप्त करता हूं। केरल सरकार ने सवारी डिब्बा मरम्म फैक्ट्री हेतु मुफ्त भूमि देने और बिजली तथा पानी रियायती दरों पर सप्लाई करने का वचन दिया है। अतः मैं सरकार से पालघाट में कोच मरम्मत फैक्टरी स्थापित करने का अनुरोध करता हूं। इसी तरह शोर्नूर रेलवे जंक्शन को लिंक स्टेशन में बदला जाना चाहिए। इससे मालाबार कोचीन और ट्रावनकोर जुड़ जाएगें और केरल के लोग और संगठित होंगे।

महोदय, मैंने अपने राज्य के बारे में कुछ न्यायसंगत और उचित मांगें पेश की हैं। भारत में प्रति 10 लाख जनसंख्या के लिए 10 किलोमीटर लम्बी रेल लाइन है जबकि केरल में केवल चार किलोमीटर लाइन का औसत है केरल ऐसा राज्य है जो सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कमाता है। अतः रेल विकास के मामले में इसकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। इन मांगों को स्वीकार किया जाए। मंत्री जी इन मांगों को पूरी करेंगे। इस आशा के साथ में अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : भारतीय रेल सबसे बड़ा सरकारी उद्यम है। यह न केवल सबसे बड़ा सरकारी उपक्रम है अपितु देश की सभी आर्थिक गतिविधियों का केन्द्र भी है। यह सरकारी विभाग है, मंत्रालय है। पर मैं इसे सबसे बड़ा वाणिज्यिक सह-सामाजिक कल्याणकारी संगठन की संज्ञा देता हूं।

पर हमने इसके लिए क्या किया है ? ऐसे वक्त पर जबकि सारा विश्व, विशेषकर मेरा देश, उस तेल संकट से बुरी तरह ग्रस्त है जो गतिशीलता का प्रमुख साधन है, हम···दबाव में आकर···।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य अपनी जाकेट उतार कर बाहें चढ़ा कर सभा में नहीं बोल सकते।

सभापति महोदय : दुर्भाग्य से मैं कुछ लिख रहा था और मेरा ध्यान उनकी ओर नहीं गया।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं बनातवाला से अनुरोध करता हूं कि वह अपनी जाकेट मुझे उधार दे दें। मैं उनका आभारी रहूंगा।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : आशा है कि बाहों के अन्दर कुछ भी छिपा नहीं होगा।

सभापति महोदय : मैं तो यही आशा करता हूं कि आप सभी हर बात को एक खिलाड़ी की भावना से ग्रहण करेंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं उस परिवहन की बात कर रहा था जिसमें कम से कम प्राथमिक ऊर्जा नष्ट हो। अन्तर्देशीय जल परिवहन को छोड़कर रेल परिवहन द्वारा ही थलमार्ग पर यह उपलब्ध किया जा सकता है।

मैं कुछ आंकड़े दूंगा। हमने ये आंकड़े बहुत कठिनाई से पेरिस संस्थान और जर्मनी संस्थान से इकट्ठे किए हैं। इनमें कहा गया है :

1 हार्सपावर से सड़क पर 150 कि० ग्रा० भार रेल से 500 कि० ग्रा० और जलपरिवहन से 4000 कि० ग्रा० भार ढोया जा सकता है।

अब आपके पास दो विकल्प हैं। अभी हम अन्तर्देशीय जलपरिवहन को भूल जाएं। जब हम एक हार्सपावर की मोटर इस्तेमाल करते हैं तो इससे तीन गुना अधिक भार ढोया जाएगा यानि उसी प्राथमिक ऊर्जा गति के लिए यह 303.5 गुना बैठेगा। इस पर लागत कितनी आएगी पैसे में प्रति टन किलोमीटर लागत का हिसाब इस प्रकार लगाया गया है :

पूर्वी रेलवे बड़ी लाइन	4.4 पैसे
पूर्वोत्तर रेलवे छोटी लाइन	5.7 ,,
पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे	11.7 ,,
सड़क	10 ,,

अब 4.4, 5.7 और 11.7 अंकों को लें और उनका मध्यमान निकालें और उसकी सड़क परिवहन लागत से तुलना करें। आप देखेंगे कि सभी प्रकार के भ्रष्टाचार और कदाचार के बावजूद रेल परिवहन लागत आधी आती है। आप इस बारे में क्या कर रहे है यह देखना है।

जब अंग्रेज यहां आए तो भारतीय रेल प्राइवेट क्षेत्र का संगठन था। उन्होंने अन्तर्देशीय जलपरिवहन को अवरुद्ध किया। ज्योंही भारतीय रेल सरकारी सम्पति बनी विदेशी धन पोषित सड़क परिवहन लाबी रेल विकास में बाधा डालने लगी। कितनी खूबी से उन्होंने यह सब किया ? पंडित जी को स्मरण रहे कि हम मुद्रास्फीति, मूल्य वृद्धि से लड़ रहे हैं। इसका बड़ा कारक परिवहन लागत है। जितना आप सड़क परिवहन की ओर झुकेंगे उतना लोगों पर अधिक बोझ पड़ेगा। आप दलील देंगे कि हमारे पास धन नहीं है, साधन नहीं हैं, आदि। पर मेरा कहना है कि यदि आपके पास धन नहीं है तो आप जमा योजना से धन इकट्ठा क्यों नहीं करते ? सरकारी उपक्रम ऐसा कर रहे हैं। प्राइवेट कम्पनियां पैसा बना रही हैं। उनके पास पैसे की कमी नहीं है। बहाना बनाया जाता है कि प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर बाजार ऋण लेने पड़ते हैं। पर प्राइवेट कम्पनियों पर यह लागू नहीं होता। वे लोगों से पैसा लेते रहते हैं और मूलधन और ब्याज की वापसी के मामले में उनके साथ धोखाधड़ी करते हैं। पर आपको क्या कठिनाई है ? आप क्यों धन नहीं जुटापाते ? रेलों के कार्य की दयनीय दशा आपके या पंडित जी के काल में नहीं हुई, यह स्थिति पिछले 33 वर्षों से चली आ रही है। इन वर्षों में आपने क्या किया ? आपने आज सुबह भ्रष्टाचार का जिक्र किया। वस्तुतः आप मजाक कर रहे थे। आप बड़ी लाइन है, आपके पास बैठे मेरे मित्र छोटी लाइन और आपके पीछे बैठे संकरी लाइन। (व्यवधान)। चौड़ाई में वह संकरी लाइन नहीं हैं। पर शब्दावली की भावना में हैं।

आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे। क्या राजनेताओं में व्याप्त भ्रष्टाचार आप रोक सके हैं। उच्चतम पदों में व्याप्त भ्रष्टाचार रोक पाए हैं। आप दूर से ही इस बीमारी का इलाज करना चाहते हैं—पर जड़ें बीमारी पकड़ रही हैं। पंडित जी आपने क्या किया ? जब जनता पार्टी सत्ता में थी तो उच्च शक्ति डीजल इन्जन आयात किए गए। तत्कालीन चेयरमैन अब एक महत्वपूर्ण स्थान पर नियुक्त हैं। सोने की खान में। अमरीका की लोकोमोटिव कम्पनी के साथ क्या करार हुआ था ? क्या आपने उनके खिलाफ कार्यवाही की ? यदि-मैं आपके स्थान पर होता तो उन्हें हथकड़ियां लगवा देता और जेल में बन्द कर देता, जमानत भी नही होने देता ? बिजली के उपकरणों के लिए उन्होंने सीमेन के साथ क्या करार किया है ? उन्होंने कितना कमीशन लिया है ? (व्यवधान)।

नहीं, नहीं मैं राजन की बात बोलता हूं, चेयरमैन रेलवे बोर्ड वित्तीय आयुक्त का क्या हुआ ? वह अब नहीं रहे और चले गए हैं। अब आप चेयरमैन को छोड़कर टी.टी.ई. के पास जा रहे हैं।

अब हम पूंजीवादी पद्धति को लें। आप भ्रष्टाचार कभी भी समाप्त नहीं कर सकते। यह इस पद्धति का अंग है। किन्तु कुछ राहत और उपचार सम्भव है। यदि आप वर्ष तथा

वैगन का भी लक्ष्य रखें और उसे पूरा करें तो मैं निश्चित रूप से आपके समक्ष आकर सिर झुका दूंगा। किन्तु आप यह नहीं कर सकते। लेकिन आप कर क्या रहे हैं? जब तक आप जितनी मांग है उसकी पूर्ति नहीं करते आप इसे समाप्त नहीं कर सकते। मैं समझता हूं कि भारतीय रेलों में जो कुल पूंजी निवेश होता है उसका 60 प्रतिशत रेलवे लाइनों में होता है। क्या आप अपनी रेलवे लाइनों का गहन तथा उचित उपयोग कर रहे हैं? नहीं। उत्तर नहीं में है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे। प्रतिदिन आधी दर्जन गाड़ियां हावड़ा आती हैं। इन गाड़ियों में 16 अथवा 17 बोगियां होती हैं तथा एक डेक का 40 या 50 टन भार होती है जिसके लिए आप खर्च कर रहे हैं। बजाय इधर-उधर की बात करने के आप वास्तव में अपना दिमाग लगाइए आप एलुमीनियम के डिब्बे रखिये तथा दो डेक की 32 बोगियों की बड़ी-बड़ी गाड़ियां रखिये और आगे पीछे दो-दो या तीन-तीन इंजन जैसी भी आवश्यकता हो लगाइये ताकि लाइन पर कम से कम गाड़ियां रहें। हावड़ा से उत्तरी भारत को दो गाड़ियां, एक सुपर फास्ट और दूसरी फास्ट गाड़ियां चलाइए। आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कि न आप को भाड़ा मिल रहा है और न लाइन मिल रही है। यदि भारतीय रेलों को भाड़े से लाभ नहीं होता है तो वे समाप्त हो जायेंगी। आपने 33 वर्षों में ऐसा नहीं किया है। मुझे बताया गया है कि एक्सप्रेस और डाक गाड़ियों में भाड़े में हानि हो रही है। राजधानी एक्सप्रेस को 2.4 प्रतिशत हानि हो रही है। उपचार क्या है? यह मैंने आपको बता दिया है। आपके पास माल गाड़ियां हैं। यदि यह सच है तो आपकी सामान्य दर लगभग 60 वैगन की हैं। हो सकता है डीजलीकरण के बाद आपकी लम्बी गाड़ियां हों। किन्तु क्या आप जानते हैं कि ब्राजील में गाड़ियां विशेष रूप से दस हजार टन खनिज लोहा ढोती है। मुझे इसकी अभी पुष्टि करनी है क्योंकि मुझे हाल का पत्र नहीं मिला है। मैं आज सुबह जल्दी में था। किन्तु वहां माल गाड़ियां काफी बड़ी होती हैं। प्रश्न है सुरक्षा का तथा लाइन की उपयोगिता का। आपके बोर्ड अथवा मंत्रालय में इस बारे में सोचने वाला कोई नहीं है। वे रुपया बनाने में लगे हैं और बड़े अधिकारियों को खुश करने में लगे हैं चाहे भारतीय रेल भाड़ में चली जाये।

पिछले दिन मंत्री महोदय ने मीटरगेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के बारे में कहा था। क्या आप जानते हैं कि जापान और ब्राजील में मीटर गेज लाइनों पर गाड़ियां 120 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हैं। इसका क्या कारण है कि हमारी मीटरगेज लाइनों पर गाड़ियां 60 किलोमीटर अथवा 40 किलोमीटर की गति से चलती हैं? मैंने हावड़ा कटवा लाइन पर गाड़ियों की गति का हिसाब लगाया है और यह 12 मील प्रति घंटा बैठता है। मैंने यह समय सारणी से मालूम किया है।

अब आप खाली डिब्बे के भार तथा आय का अनुपात देखिए। आप सड़क परिवहन के साथ प्रतिस्पर्धा क्यों नहीं कर सकते? एक एम्बेसडर कार में घड़ा आय-भार अनुपात लगभग 1 : 1 है। चुनाव के दौरान आप आठ या दस यात्री ले जाते है। खाली एम्बेसडर कार का भार क्या है? यह आपके भार के बराबर है जो यह ढोती है। किन्तु आपके 45 टन अथवा 50 टन के डिब्बों में आपका आय भार अनुपात 12 : 1 या 10 : 1 होगा। आप 10 प्रतिशत आय

भार होने पर ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं। आप इस हिसाब से चल नहीं सकते। सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के सभापति के रूप में जब मैं केन्द्रीय जल अन्तर्देशी परिवहन निगम की जांच कर रहा था तो मुझे यह जानकर अत्यधिक संतुष्टि हुई कि इस देश में काफी शक्ति शाली सड़क परिवहन लाबी है जिसके पास बड़े संसाधन हैं। वे योजना आयोग और रेल मंत्रालय में बहुत ही सक्रिय है, विशेषरूप से नयी रेलवे लाइन सेल की विकास योजना में हमने श्री सेठ को बहुत ही सक्रिय पाया है। यदि आपको इसकी एक प्रति मिल जाये तो उनमें आप यह देखेंगे। इसके परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है? आप प्रगति नहीं कर रहे है। वह सब माल, जिस पर अधिक भाड़ा मिलता है, सड़क परिवहन में चला गया है और आपके पास चूना पत्थर, कोयला जैसे कम भाड़े का माल रह गया है। बाटा कम्पनी के जूते कारों या लारियों से जाते है, इलाहाबाद से कांटे-छुरियां लारी से जाते हैं और बिजली के उपकरण भी लारियों से जाते हैं।

33 वर्षों में आपने क्या किया? पंडित जी मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं किन्तु आपके मंत्रालय के लिए कह रहा हूं। 1947-48 में नये यातायात 54,506 किलो मीटर था और 1979-80 में 60,933 किलो मीटर रहा विकास की दर क्या है? यह 11 प्रतिशत है। आबादी की वृद्धि दर क्या है? यह 75 प्रतिशत है। क्या आप चिड़िया के पिंजरे में हाथी रखना चाहते हैं। श्री डी०पी० यादव और श्री जमीलुर्रहमान ने कहा है कि वे सभी असम्भव बातें चाहते हैं और यह नहीं हो सकता है। मैं यही कहूंगा कि भ्रष्टाचार बढ़ेगा। आज दिल्ली स्टेशन पर गाड़ी में स्थान के लिए यदि आप की जान-पहिचान है तो आपको 65 रुपए से 75 रुपये तक देने पड़ेंगे और यदि कोई जान पहिचान नहीं है तो आपको 100 रुपये देने पड़ेंगे। आगे 200 रुपये देने पड़ेंगे। कृपया यह नोट कर लीजिए। यह सब चोरी छिपे किए जाता है। आप इसे रोक नहीं सकते। पूर्ति और मांग में अन्तर बढ़ेगा और वे इसका लाभ उठाने का प्रयत्न करेंगे।

लोग मुझे क्या-क्या नाम देते हैं किन्तु मैं दो बड़े देश चीन और भारत के बीच सामान्य सम्बन्धों के पक्ष में हूं। आज जैसा अवसर फिर कभी नहीं आयेगा। आप जानते हैं वहां विकास की दर क्या है? वे 1949 में मुक्त हुए थे अर्थात् हमें आजादी मिलने के दो वर्ष बाद मुक्त हुए थे। वहां रेलों की विकास दर 300 प्रतिशत है। वे आर्थिक क्षमता की बात करते हैं। हमने एक से अधिक प्रतिवेदनों में स्पष्ट रूप से कहा है कि आर्थिक क्षमता सम्बन्धी प्रतिवेदन के सूत्र को पर्वतीय तथा अर्ध विकसित क्षेत्रों के मामले में लागू नहीं किया जाना चाहिए। किन्तु उन्होंने इसकी उपेक्षा की है और क्षमता का एक बहुत बड़ा मजाक हुआ है। यदि कल आपकी सरकार को सत्ता से हटाया जाता है और वे सत्ता में आते हैं तो आर्थिक क्षमता बढ़ेगी। श्रीमती गांधी के आने से आर्थिक क्षमता गिरी है। बोर्ड में महा प्रबन्धक को कहा गया है कि आर्थिक क्षमता का पुनः हिसाब लगाया जाना चाहिए क्योंकि यह अलाभप्रद हो गया है। यह पूरी तरह से राजनीतिक चाल है। मेरे पास सूची है। यदि आप चाहें तो मैं सभा में रख सकता हूं। मैं सम्पर्क में हूं। अतः में इस बारे में नहीं कहूंगा।

क्या आप यह सोच सकते हैं ? भारतीय रेल बिना भाड़ा- यातायात के जीवित नहीं रह सकती है । वे माल गाड़ी की समय की पावंदी के कोई आंकड़े नही रखते । क्या यह ऐसा अपराध नहीं है जिसे क्षमा नहीं किया जा सकता है ? इसका मार्ग दर्शन कौन कर रहा है ? या तो वह सड़क परिवहन लाबी की तनख्वाह पर है या इस कार्य भार को संभालने के लिए वह अयोग्य है । आपकी भाप से चलने वाली गाड़ियों के भाड़ा-यातायात की गति क्या है ? आप यह जान कर भौंचक्के रह जायेंगे । यह तीन मील प्रति घंटा है । जो पूंजी लगी है, जो निवेश हुआ है, जितना समय लगा है, जो धन का ह्रास हो रहा है, रेल पथ का जितना उपयोग हुआ है तथ जितना यातायात आदि रहा है उसका आप हिसाब लगाइए तो आप देखेंगे कि आप केवल देश के महत्वपूर्ण साधनों का अपव्य कर रहे हैं । 33 वर्षों में रेलवे बोर्ड केवल पूर्णतः निन्दा का ही पात्र रहा है ।

समय की पावन्दी क्या है ? वास्तव में यह डाक और एक्सप्रेस गाड़ियों और बड़ी लाइनों के सम्बन्ध में 64.9 प्रतिशत रही है । क्या आप सोच सकते हैं ? किन्तु यदि वे पूर्ण निष्ठा से कार्य करें तो आप देखेंगे कि यह 98.2 प्रतिशत हो जाएगी । वे कोई रुचि नहीं लेते ।

महोदय, लोक लेखा समिति को मालूम हुआ है । यदि मुझे सही याद है, कि 54 बड़ी बड़ी कम भाड़े की मदें बहुत ही रियायती दरों पर ढोई गयीं । जहां तक मुझे याद है प्रतिवेदन 1974 में मैंने ही लिखा था । किन्तु उनके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता है । कागज मिल मालिक बहुत गरीब हैं, बांस बहुत ही कम भाड़े पर ढोया जाना चाहिए । चौवन मदों को छुआ नहीं जा सकता ।

पंडित जी क्या आप किसी दूसरे दिन सभा को बतायेंगे कि आपने इस बारे में क्या किया है ? आप इस कुप्रथा को रोकने, विशेषरूप से बिरला ग्रुप को रोकने के लिए क्या कर रहे हैं । मैंने बाटा के बारे में एक पत्र लिखा था । वे माल को कम भाड़े का बता रहे हैं किन्तु परिवहन कुछ और का कर रहे हैं । वे कह रहे हैं कि आपके कांटे अधिकांशतः खराब रहते हैं । ईश्वर की कृपा से ये खराब ही रहें । जब वे 22 टन लादते हैं तो रेलवे रशीद 19½ टन की देते हैं । अतः दोनों तरफ कटौती कीजिए और इस प्रकार भारतीय रेलवे घूसखोरों के हाथों यर्तीम हो गई है ।

पांडे जी क्या आप हमें बता सकते हैं, कि आपके पास ओजस्वी व्यक्ति हैं और वास्तव में कुछ थे मैं कुछ लोगों को जानता हूं वे अच्छा काम करते हैं किन्तु ऐसे थोड़े हैं, ज्यादा नहीं हैं । तथा आपने कभी खान के मुहाने पर आरक्षित बिजली घर, ताप बिजली घर के बारे में कभी सुना है ? यह झरिया, धनबाद, रानी गंज, सिंगरानी, चिदवारा में है । आपके ध्यान में यह क्यों नहीं आया क्योंकि आपकी योजना बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा बनाई जाती हैं जो अपने उपकरण आपको बेचती हैं । यह उनके अनुकूल नहीं है । विद्युत्तीकरण की दर क्या है ? इसे हजार किलोमीटर प्रति वर्ष होनी चाहिए । 60,933 किलोमीटर में से अब तक आपने केवल 4,820 किलोमीटर का ही विद्युत्तीकरण किया है । क्या हम एक कल्पित दुनियां में नहीं

रह रहे है कि हम आये दिन आश्वासनों और प्रेस वक्तव्यों में विश्वास करते हैं। जहां तक मेरा संबंध है, यह मेरे लिए अधिक महत्वपूर्ण नहीं है।

आपके पास कोई परिवहन अर्थ शास्त्री नहीं है। एक लेखापरीक्षक आपके वित्त आयुक्त हैं। मैं भी कुछ को कई बार [illegible] हूं। मैं उन्हें पार और पीली पेन्सिल वाले कह कर पुकारता हूं। वे परिवहन अर्थशास्त्र के बारे में क्या जानें? क्या आपको शैक्षिक-योग्यता प्राप्त परिवहन अर्थ-शास्त्री नहीं मिल सकते जो सभी अधिकारियों के कार्यों पर नजर रख सकें? यदि व्यक्ति कर्तव्यनिष्ठ होगा तो वे पकड़े जायेंगे। मैं कहता हूं भारतीय रेलवे बिल्कुल अनुभवहीन व्यक्तियों द्वारा चलाई जा रही है जो इन कार्यों के लिए सर्वथा अनुपयुक्त हैं। आपको एक वर्ष में भाड़े में यात्री किराया और भाड़े में 30% वृद्धि करनी पड़ी थी। और यदि आप मूल्य समस्या को हल करना चाहते हैं तो क्या लागत में कमी नहीं आएगी? क्या आपने कभी पूंजीकरण की जांच की है? भारतीय रेलवे के पूंजीकरण की जांच करने के लिए आपके पास योग्य व्यक्ति नहीं हैं। यह चाहे 40 हजार करोड़ रुपए हों या 50 हजार करोड़ रुपए, यह सब अनुमान ही है।

कृपया हमें बताइए कि जब भाप से चलने वाली गाड़ियों में अत्यधिक कमी आ रही है तो क्या कारण है कि कोयले की खपत में कमी नहीं आ रही है? कोयले को कौन बेच रहा है? कोयले की खपत कैसे हो रही? मैं आंकड़े देता हूं। वे बुनियादी ढांचे को बनाए हुए हैं। यदि आप हावड़ा से दिल्ली की यात्रा करें तो शेडों में कोयले के ढेर पड़े देखेंगे।

वर्ष 1970 में कुल 20 बिलियन टन/किलोमीटर में भाप की गाड़ियों का भाग 20 से 30% था। वर्ष 1980 में यह 5% से 6% कम हो गया और कुल टन भार लगभग 8 बिलियन टन/किलोमीटर है। [illegible] कृपया बताना चाहिए कोयले की खपत कहां है। आप किराय तथा माल भाड़ म कमा कस कर सकत ह जब सब जगह चारा हा रहा हा?

"जितना चुरा सकते हो, जितनी जल्दी चुरा सकते हो, जहां से भी चुरा सकते हो। चुराओ।" यही एक सिद्धान्त है।

ऊर्जा सम्बन्धी प्रसाद समिति के अध्ययन दल ने आगे और डीजलीकरण रोकने की सिफारिश की। की या नहीं? उन्होंने भारतीय रेलवे के विद्युतीकरण की सिफारिश की। "आगे और डीजलीकरण न करें।" यह प्रसाद समिति के अध्ययन दल की रिपोर्ट थी। उन्होंने विद्युतीकरण की सिफारिश की। कहां है विद्युतीकरण? और मैं आपको बता चुका हूं कि विद्युतीकरण एक वर्ष में 100 किलोमीटर की गति से हो रहा है। वर्तमान बजट में आपने आंकड़ों में वृद्धि की घोषणा की है। मैं यह जानने की प्रतीक्षा में हूं कि आप क्या करते हैं। पांडे जी, आप इसे नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि रेलवे में यांत्रिकी इंजीनियर किसी और की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली हैं। आप विद्युतीकरण तो कर रहे हैं परन्तु आपके बोर्ड में एक भी विद्युत का ज्ञाता नहीं है। क्या आपके बोर्ड में एक भी सदस्य (विद्युत) है। श्रीमन् मंत्रीगण कृपया हां या न में जवाब दीजिए। नहीं, एक भी नहीं है।

चितरंजन और वाराणसी में डीजल और विद्युत इंजनों की मौजूदा निर्माण क्षमता के अनुसार अगले पांच वर्षों में लगभग 1350 इंजन उपलब्ध होंगे। और मुझे यह बताया गया है कि योजना आयोग 780 से अधिक इंजनों के लिए धन नहीं देगा। वहां कोई भूत काम कर रहा है। यदि आप अधिक लोकोमोटिव इंजनों का निर्माण करते हैं तो सड़क परिवहन वाले आपको अधिक दान नहीं देंगे। "अधिक इंजनों का निर्माण मत करना। रेलवे की सेवा अच्छी हो जाएगी। फिर यहां से गाजियाबाद तक के लिए 3000 रुपए में लारी कैसे करेंगे? अतः 1350 की क्षमता होते हुए 780 इंजन बनाइए। पांडे जी, कृपया सभा को बताइये कि क्षमता उपयोग 50% है, अधिक नहीं। पटियाला में आप एक नया संयन्त्र क्यों लगा रहे हैं, और किस लागत पर लगा रहे हैं। हमेशा ऐसा ही होता है। बन्दर को केला दिखाया जाता है। बन्दर आता है और खा जाता है। आपका अनुमान 30 करोड़ का है। इस पर व्यय होगा 200 करोड़। अपनी स्थापित निर्माण-क्षमता का आप 50% से अधिक उपयोग नहीं कर सकते परन्तु पटियाला में आप नई फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं। इसका राजनैतिक लाभ क्या है? कोई नहीं। हम जानते हैं कि विश्व बैंक आपको धन नहीं देगा। विश्व बैंक को अवश्य ही अपनी वस्तुएं, ग्राहक योग्य वस्तुएं बेचनी होंगी। इसीलिए आप एक और फैक्ट्री लगाने के लिए विवश होंगे। यदि आप विनाश नहीं चाहते तो ऐसा मत कीजिए ..(व्यवधान)। मैं समाप्त कर रहा हूं।

मैं आपका ध्यान आपके एक और कर्तव्य की ओर आकर्षित करता हूं। मैं इस सामाजिक उत्तरदायित्व, धन संबंधी उत्तरदायित्व के विरुद्ध हूं। (व्यवधान)। मैं असल में बहुत ही गंभीर व्यक्ति हूं।। (व्यवधान)। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में आपका सामाजिक उत्तरदायित्व है। मैं आपको यात्रियों की मुफ्त लाने-ले जाने के लिए नहीं कह रहा हूं परन्तु आपको इस प्रणाली को नया रूप देना होगा। टिकट ट्राम कार या बस की भांति गाड़ी में भी उपलब्ध होनी चाहिए। मैं एक दिन श्री नन्दा जी को सियालदाह प्रभाग में ले गया। मैंने उन्हें एक पंक्ति दिखाई। जब एक व्यक्ति की बारी काउन्टर पर आई तो उसी समय गाड़ी चल पड़ी है। इस प्रकार वह बिना टिकट चला गया। आपकी टिकट बेचने में रुचि नहीं है। वह टिकट नहीं खरीद सकता। अतः विशाल बम्बई, विशाल कलकत्ता, विशाल मद्रास और विशाल दिल्ली के लिए इस बहु प्रयोजनीय प्रणाली को पूर्ण गम्भीरता से लिया जाना चाहिए।

हावड़ा स्टेशन को नया रूप देना। मुझे पीकिंग की एक बात याद है। मैं वहां गया था। उसी प्लेटफार्म से वापस आते हुए मुझे अलग रास्ते से लाया गया। वहां बाहर जाने वाले यात्री अन्दर आने वाले यात्रियों को नहीं देख सकते। वहां इतनी सुन्दर व्यवस्था है। आपको सदैव टक्कर होने का खतरा नहीं रहता। बाहर जाने वाला व्यक्ति ऊपर जा रहा है और अन्दर आने वाला व्यक्ति नीचे आ रहा है। बहुत ही सुन्दर व्यवस्था है। आप किसी को वहां यह सीखने के लिए क्यों नहीं भेज देते कि काम कैसे किया जाता है?

अतिरिक्त टर्मिनस स्थल। जहां तक कलकत्ता और बम्बई का सम्बन्ध है, जैसा कि श्री रवीन्द्र वर्मा ने कहा, मैं आपको विविधीकरण के लिए उल्टाडांगा दमदम का इस्तेमाल करने का

सुझाव दूंगा। हावड़ा और बोझ नहीं उठा सकता। मेयरहट और बलियागंज तीन स्थल ऐसे है जिनका प्रयोग किया जा सकता है। लन्दन में पूरे शहर के गिर्द पांच रेलवे स्टेशन हैं। कलकत्ता में केवल दो हैं। मुझे और कुछ नहीं कहना है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समय देने के लिए आपका धन्यवाद करता हू और आशा करता हूं कि मैंने जो कुछ कहा है। उसे मंत्री महोदय समझ जाएंगे

श्री जेवियर अराकल (एर्णाकुलम) : विनियोग विधेयक पर कुछ शब्द कहने का जो मुझे अवसर मिला है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं मंत्री महोदय को गाड़ियों में गैर कानूनी और अनुचित यात्रा के संबंध में तत्परता से काम करने और इस सबन्ध में अधिकारियों से काम लेने के लिए उन्हें बधाई देता हूं। मैं आशा करता हूं कि अन्य विभागों में भी ऐसे ही कार्य किया जाएगा।

इस संबंध में मैं एक बात पर जोर देना चहता हूं। हमारे लगभग 8000 प्लेटफार्म हैं और उन पर लगभग 30,000 या 50,000 कुली काम करते हैं। मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि इन कुलियों पर क्या नियम और प्रतिबन्ध लगाए गए हैं ? क्या इस मामले में उन्हें कोई सामाजिक सुरक्षा या कोई अन्य लाभ प्राप्त है? मैं जानता हूं कि कुली कई वर्षों से रेलवे और जनता की सेवा कर रहे हैं परन्तु उनकी देखभाल नहीं हो रही है। उन्हें कोई लाभ नहीं दिया जाता। अतः मुझे सर्वप्रथम यही कहना है कि कुलियों के मामले की देखभाल की जाए।

श्री केदार पाण्डे : आपके पास कोई सुझाव है ?

श्री जेवियर अराकल : एक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली होनी चाहिए। माननीय मंत्री जी की जानकारी के लिए मैं एक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का प्रस्ताव करता हूं। जिसमें कुली और रेलवे अशंदान करेंगे और ये राशि सेवानिवृत्ति पर उन्हें दे दी जाएगी। दूसरी बात यह है कि जब यहां बजट पर चर्चा चल रही थी तो कई सदस्यों ने पश्चिमी समुद्रतट लाइन की अनिवार्यता के संबन्ध में विचार व्यक्त किये थे। प्रयास तो किया जा रहा है परन्तु इसे पूरा करने में और तीस वर्ष लग जायेंगे। आप इस पश्चिमी समुद्र तट लाइन के आर्थिक और सामाजिक पहलु को देख सकते हैं। श्री ज्योतिर्मय वसु ने जो कुछ कहा मैं उसका उल्लेख कर रहा हूं। जब तक हम अपने विभाग में परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक कोई ठोस विकास गतिविधियां नहीं चल सकती। मुझे आशंका है कि ।

श्री बसु आप मेरा ध्यान हटा रहे हैं... (व्यवधान)।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं आपको बता दूं "मेरा नाम मत लीजिए। अगर मैडम को पता लगा तो टिकट नहीं मिलेगी। (व्यवधान)।"

श्री जेवियर अराकल : हम नहीं डरते। मेरा दूसरा अनुरोध यह है कि पश्चिमी समुद्र तट लाइन को आरम्भ किया जाए (व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि वह आपके लिए टिकट की सिफारिश करेंगे तो यह आपको नहीं मिलेगी। (व्यवधान)।

श्री जेवियर अराकल : मैं चाहता हूं कि गोआ-केरल-कर्नाटक रेलवे लाइन का कार्य आरम्भ किया जाए। इस लाइन से काफी सम्भावनाएं हैं। हम इस लाइन को जितनी जल्दी संभव हो सके देखना चाहते हैं। मेरा दूसरा अनुरोध यह है कि .. (व्यवधान)।

एक माननीय सदस्य : यह गोआ में है परन्तु... (व्यवधान)।

श्री जेवियर अराकल : भारत हमारा भारत है। मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हम रेल लाइनों के विद्युतीकरण के लिए अनुरोध करते आ रहे हैं विशेष रूप से केरल में। यदि मुझे ठीक-ठीक याद है तो मेरे ख्याल से हम रेल मंत्री से वर्ष उन्नीस सौ...। मुझे ठीक वर्ष याद नहीं है, यह अनुरोध करते आ रहे हैं कि रेलवे को बिजली सस्ती दरों पर उपलब्ध कराई जाए। पिछली बार जब इस बजट पर बहस हो रही थी तो हमने रेल लाइनों के, विशेष रूप से केरल में, विद्युतीकरण का अनुरोध किया था। जहां कहीं अतिरिक्त विद्युत उपलब्ध है, वहां तत्काल काम आरम्भ कर देना चाहिए। अतः मेरा प्रश्न यह है कि रेल विभाग का उन रेल लाइनों के विद्युतीकरण के बारे में क्या दृष्टिकोण है जहां अतिरिक्त विद्युत उपलब्ध है, विशेषरूप से केरल में।

एक दूसरी लाइन भी है जो सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह कोचीन से मदुरै की लाइन है जो सर्वेक्षण के कहीं आस-पास भी नहीं है। मैं अनुरोध करता हूं कि यदि कोचीन से मुदरै तक रेल लाइन हो जाती है तो यह एक समानान्तर लाइन होगी जिसका इन पिछड़े क्षेत्रों और सम्बन्धित राज्यों के सामाजिक-आर्थिक पहलू पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। कुछ संसद सदस्यों ने एक ज्ञापन आप के विचारार्थ भेजा है। मैं जानता हूं अधिकारी गण अब कह देंगे कि यह आर्थिक दृष्टि से सक्षम नहीं है। जी हां, हम जब कभी किसी लाइन का प्रस्ताव करते हैं तो हमें यही घिसा पिटा जवाब मिलता है कि यह आर्थिक दृष्टि से सक्षम नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस क्षेत्र के उत्पादों का निर्यात करके इस लाइन से लगभग 80 करोड़ रुपये की आय होगी (व्यवधान) मैं अनुरोध करता हूं कि कोचीन-मदुरै लाइन पर विचार किया जाए। इससे तमिलनाडु, केरल और कुछ हद तक कर्नाटक के आर्थिक विकास में काफी सहायता मिलेगी।

एक अन्य बात जिसके लिए मैं अनुरोध करना चाहूंगा वह यह है कि उत्तरी और दक्षिणी एर्णाकुलम से रेलवे लाइन-जिसका एक नक्शा तैयार किया गया था - का विकास किया जाना चाहिए और वहां के मार्शलिंग यार्ड को आधुनिक रेलवे स्टेशन में बदल दिया जाना चाहिए। क्या मैं माननीय रेल मंत्री से यह अनुरोध कर सकता हूं कि वे अपने अधिकारियों को इस प्रस्ताव की जांच करने तथा इसको क्रियान्वयन के आदेश दें। यदि ऐसा किया जाता है तो इस क्षेत्र में यात्रियों व माल का बहुत आवागमन होगा तथा औद्योगिक क्षेत्र और इस क्षेत्र की अन्य चीजों का उपयुक्त विकास किया जा सकेगा। मैं ये कुछ सुझाव दे रहा हूं।

रेलवे बजट की एक मुख्य बात यह है कि इसमें राष्ट्रीय यातायात नीति तथा अन्य कुछ सिफारिशों पर विचार किया गया है और छठी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर विचार किया गया है। परन्तु यह ही पर्याप्त नहीं है। जब इसके क्रियान्वयन का प्रश्न आता है तब हम गलती करते हैं। इस योजना के क्रियान्वयन का अवलोकन करने के लिए एक उपयुक्त पर्यवेक्षी समिति होनी चाहिए।

एक माननीय सदस्य के यह कहने से कि केरल उपेक्षित है, मैं सहमत नहीं हूं। इस बजट में केरल की उपेक्षा नहीं की गई है। परन्तु जो कुछ केरल को आवंटित किया गया है, यह पर्याप्त नहीं है। हम बहुत विनम्रता-पूर्वक अनुरोध करते रहे हैं कि केरल को अधिक धन आवंटित किया जाना चाहिए। तटीय रेल मार्ग पर कार्य आरम्भ हो चुका है। दोहरी लाइनें बिछाने का काम भी आरम्भ हो चुका है। परन्तु कार्य की प्रगति बड़ी धीमी है। यही विचार मैं पहले भी व्यक्त कर चुका हूं।

ये मेरे कुछ सुझाव हैं। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री इन पर विचार करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : संबंधित सदस्यों से प्राप्त पर्चियों के आधार पर प्रस्तुत किये गये माने गये रेल बजट, 1981-82 के संबंध में अनुदानों की मांगों में कटौती प्रस्तावों की संख्या दर्शानेवाली सूची सदस्यों के सूचनार्थ सूचना पटल पर लगा दी गई है।

यदि कोई सदस्य इस सूची में कोई असंगति पाता है तो वह उसे तत्काल पटल अधिकारी के ध्यान में लाए।

श्रीमती गीता मुखर्जी (बंसकुरा) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये"।

[दक्षिण पूर्व रेलवे के खड़गपुर मन्डल में बंसकुरा और भोगपुर स्टेशनों के बीच एक नया स्टेशन खोलने की आवश्यकता (53)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें"।

श्री आर०के० महालगी (ठाणे) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

[मध्य तथा पश्चिम रेलवे के बीच गाड़ी बदलने को सुविधाजनक बनाने हेतु दादर स्टेशन (महाराष्ट्र) का विकास करने की आवश्यकता (54)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें"।

[मध्य रेलवे में "डोम्बीवाली" लोकल ट्रेन शुरू करने की आवश्यकता (55)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें"।

[महाराष्ट्र में जवार से नासिक तक रेलवे लाइन बिछाने की आवश्यकता (56)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं"।

[महाराष्ट्र में लातूर से मिराज तक बरास्ता पन्धारपुर वाली छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की आवश्यकता (57)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं"।

[नागपुर के नजदीक अजारी में रेलवे क्वार्टरों में सुधार तथा उनकी मरम्मत करने की आवश्यकता (58)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं"।

[पूणे रेलवे स्टेशन पर यात्रियों तथा कर्मचारियों को हो रही कठिनाइयों को दूर करने की आवश्यकता (59)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं"।

[रेल कर्मचारियों तथा रेल डाक सेवा कर्मचारियों के बीच उचित समन्वय की आवश्यकता (60)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं"।

[सांगली और मिराज (महाराष्ट्र) के बीच छोटी रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने में विलम्ब (61)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं"।

[लातूर और मिराज (महाराष्ट्र) (छोटी लाइन) के रेल इंजनों तथा रेल पथ की मरम्मत तथा रख-रखाव करने की आवश्यकता (62)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जाएं"।

[मध्य और पश्चिमी रेलवे को बम्बई के यात्रियों के लिए 648 ई. एम. यू. डिब्बों का निर्माण करने और उनकी सप्लाई करने में रेलवे प्रशासन की असफलता (298)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं"।

[शहाद (जिला थाणे, महाराष्ट्र) के निकट ऊपरी पुल के निर्माण में हुई कम प्रगति (299)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें"।

[बम्बई के यात्रियों के लिए दादर और थाणे, डोम्बीवाली, कल्याण तथा करजात के बीच और अधिक स्थानीय गाड़ियां चलाने की आवश्यकता (300)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जाये"।

वेतन मानों तथा रेलवे में कार परिचारकों की सेवा की दशा खराब होते जाने के बारे में भारतीय रेलवे मजदूर संघ, बम्बई द्वारा रेल मंत्रालय को दिये गये अभ्यावेदन पर की गई कार्यवाही (301)]

'कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें"।

[महाराष्ट्र में मध्य रेलवे में दिवा-पनवल सैक्शन का विद्युतीकरण करने की आवश्यकता (302)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें"।

[1-4-1980 से श्रेणी एक और दो के अधिकारियों तथा श्रेणी-तीन और चार के कर्मचारियों के स्थान बनाने का औचित्य तथा इन पर होने वाला श्रेणीवार व्यय (303)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें"।

[मध्य रेलवे के बम्बई डिवीजन में 30 जुलाई, 1977 से पहले 350 सेवा-निवृत्त कर्मचारियों के विचाराधीन पड़े मामलों को निपटाने में असफलता (304)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें"।

[दक्षिण मध्य रेलवे कार्मिक संघ द्वारा 17-11-80 को भेजे गये अपने अभ्यावेदन में की गई मांगों पर कार्यवाही करने की आवश्यकता (305)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें"।

[ए० आई० आर० आर० एम० डिवीजन, नागपुर के अध्यक्ष द्वारा 1-12-1980 के अपने अभ्यावेदन में रखी गई मांगों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में चर्चा करने की आवश्यकता (306)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें"।

[डौंड, जिला पुणे, महाराष्ट्र में क्षेत्रों में रिक्तियों को भरने में असफलता (307)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[छात्रों को रेल किराये में रियायत देने की आवश्यकता (308)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें"।

[रेलवे में समय-सारिणी और यात्री सुविधा आदि के लिए नई सलाहकार समितियां बनाने की आवश्यकता (309)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें"।

[महाराष्ट्र, में पुणे स्टेशन पर रेल कर्मचारियों और यात्रियों को होने वाली असुविधाओं की ओर रेल प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करने की आवश्यकता (310)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें"।

[मध्य रेलवे में डोम्बीवाली, जिला थाणे, महाराष्ट्र पर उपनगरीय गाड़ियों का ट्रमिनल बनाने की आवश्यकता (311)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं"।

[बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा फरवरी, 1978 में रेलवे द्वारा दायर की गई अपील को खारिज किये जाने के बावजूद थाणे न्यायालय (महाराष्ट्र) द्वारा मैसर्स साइमन गोर्डन इंडिया लिमिटेड के पक्ष में निर्णित दावों का मध्य रेलवे द्वारा भुगतान किये जाने में विलम्ब (312)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें"।

[के. एन. ओ. आर. आर. ब्रेक को फिर से उपयोग में लाने का प्रस्ताव (313)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें"।

[बलगांव-मिराज बड़ी लाइन के संबंध में 13-11-78 को कर्नाटक वाणिज्य मंडल द्वारा रेल मंत्रालय को दिये गए ज्ञापन पर कार्यवाही करने में असफलता (314)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं"।

[गाड़ियों के भली प्रकार चलने के संबंध में आरक्षण व अन्य आवश्यक मामलों के बारे में पूणे (महाराष्ट्र) के एक नागरिक द्वारा नवम्बर/दिसम्बर, 1980 में भेजे गये एक ज्ञापन में दिए गये सुझावों पर तुरन्त विचार करने की आवश्यकता (315)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें"।

[दादर-मद्रास एक्सप्रेस गाड़ी के कृष्णा रेलवे स्टेशन (दक्षिण मध्य रेलवे) पर रुकने के लिए तेलुगु विकास मंडली, अम्बरनाथ (जिला थाणे, महाराष्ट्र) द्वारा दिये गये सुझाव पर विचार करने की आवश्यकता (316)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं"।

[बम्बई से चलने वाली सभी अप और डाउन विशेष ग्रीष्मकालीन गाड़ियों को थाणे स्टेशन (महाराष्ट्र) में रोके जाने की आवश्यकता (317)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें"।

[बम्बई से पूणे और पूर्ण से बम्बई चलने वाली ग्रीष्मकालीन विशेष गाड़ियों को थाणे स्टेशन (महाराष्ट्र) में रोके जाने की आवश्यकता (318)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें"।

[बसिन्ड (शाहेपुर) जिला थाणे, महाराट्र के नियमित रेल यात्रियों द्वारा 4-12-80 को मध्य रेलवे के महाप्रबन्धक को दिये गए अभ्यावेदन में की गई शिकायतों पर तुरन्त विचार करने की आवश्यकता (319)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जाये"।

[माधवनगर और सांगली (महाराष्ट्र) के बीच रेल लाइन को बदलने में हुई प्रगति का ब्यौरा दिये जाने की आवश्यकता (320)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें"।

[रेलवे और रेल डाक सेवा विभागों के बीच सहयोग के संबंध में बी. आर. एम. एस. और एम. एम. एस. युनियन (श्रेणी-तीन, महाराष्ट्र सर्किल) के सर्किल सचिव द्वारा अक्तूबर, 1980 में रेल मंत्रालय को दिये गये अभ्यावेदन के बारे में की गई कार्यवाही को बताने की आवश्यकता (321)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये"।

[बम्बई उपनगरीय क्षेत्र में दिनोंदिन बढ़ रहे उपनगरीय यातायात से निपटने के लिए नए ई०ए०म०य० रेक्स की व्यवस्था करने में असफलता (381)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये"।

[मध्य रेलवे/पश्चिम रेलवे को उनकी उपनगरीय सेवाओं में के लिए यू०एम०ए० रेक्स न देकर विदेशों को निर्यात करना जबकि उन्हें प्राथमिकता के आधार पर रेक्स दिये जाने की जरूरत है (382)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये"।

[बार-बार अनुरोध किये जाने के बाद भी मध्य रेलवे के अधिकारियों द्वारा ठाणे, महाराष्ट्र पर 'हालीडे स्पेशल/गाड़ियों तथा कई अन्य नियमित एक्सप्रेस गाडियों जैसे 27/28 वाराणसी एक्सप्रैस, 193/194 वाराणसी वाई-वीकली एक्सप्रैस, 305 डाउन डेकन एक्सप्रेस, 308 अप कोयना एक्सप्रेस, 14 अप मद्रास जनता एक्सप्रेस, 41/170 डाउन हावड़ा-भागलपुर एक्सप्रेस, 115 डाउन लखनऊ एक्सप्रेस को रोकने में असफलता (383)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये"।

[वर्तमान बम्बई डिवीजन पर मध्य तथा पश्चिमी रेलवे दोनों में से 'बम्बई-उपनगरीय डिवीजन' नाम से अलग डिवीजन बनाने की आवश्यकता (384)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये"।

[दिवा-पानवेल-पान सेक्शन के विद्युतीकरण की नितान्त आवश्यकता क्योंकि बम्बई कल्याण क्षेत्र में केवल यही एक लाइन है जिसका विद्युतीकरण नहीं हुआ है और जिससे सेवाओं के सुधार में कठिनाई होती है (385)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये"।

[नई दिवा-वसाई सम्पर्क रेल लाइन, जिला ठाणा, महाराष्ट्र की अविलम्ब समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार विद्युतीकरण करने की आवश्यकता (385)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये"।

[ठाणे-पार क्रीक क्षेत्र अर्थात वाशी-बेलापुर आदि को बम्बई से जोड़ने के लिए समय-बद्ध कार्यक्रम और यातायात नीति समिति द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार रेल लाइन को मानखुर्द से वाशी-बेलापुर तक बढ़ाने में असफलता (387)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये"।

[थाने/बोरीवाली में सम्पर्क स्थापित करके मध्य रेलवे/पश्चिमी रेलवे के बीच सम्पर्क स्थापित करने की आवश्यकता समझने में रेल प्रशासन की असफलता (388)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये"।

[ठाणे से बेलापुर को जो ठाणे-बेलापुर बेल्ट के नाम से जाना जाता है, को रेल-गाड़ी द्वारा ठाणे पार क्रीक औद्योगिक क्षेत्र से जोड़ने के लिए प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध कार्यक्रम अपनाने में असफलता (389)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये"।

[बम्बई जैसे महानगरीय क्षेत्रों में तेज/सुरक्षित सस्ती/उचित उपनगरीय रेल सेवा प्रदान करने का नैतिक दायित्व और लाभ कमाने के व्यापारियों जैसे रवैये को छोड़ने की आवश्यकता (390)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें"।

[ठाणे रेलवे स्टेशन, मध्य रेलवे में परिचालन क्षेत्र को साफ और निर्बाध रखने की आवश्यकता तथा प्रयोक्ताओं की लगातार मांग के बाद भी ऐसा करने में असफलता (391)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें"।

[ठाणे, डोम्बीवाली कल्याण, अम्बरनाथ और उल्लासनगर स्टेशनों पर पुलिस कर्मचारियों में वृद्धि की आवश्यकता (392)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें"।

[कल्याण रेलवे स्टेशन जिला ठाणे, महाराष्ट्र प्लेटफार्म नं० 3 और 4 के ऊपर पूरी छत बनाने की आवश्यकता (393)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें"।

[महाराष्ट्र में ठाणे, डोम्बीवाली, उल्लासनगर, बादलपुर, स्टेशनों पर अधिक टिकट खिड़कियां खोलने और पर्याप्त कर्मचारियों की अविलम्ब नियुक्ति की आवश्यकता (394)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें"।

[डोम्बीवाली स्टेशन के प्लेटफार्म नं० 4 के एक भाग पर शेड बनाने की आवश्यकता (395)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें"।

[परेल, कुरला (कुरला और सियोन के बीच) विक्रोली, थाणे (कालवा वाले छोर पर) के पास इस समय उपलब्ध आंशिक सुविधाओं के स्थान पर दोनों ओर स्थानीय गाड़ियों के आने जाने के लिए सुविधायें प्रदान करने की आवश्यकता (396)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें"।

[मध्य/पश्चिम रेलवे में 30-9-77 के बाद सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों के विचाराधीन पड़े पेंशन के मामलों को बिना और विलम्ब किए निपटाये जाने की आवश्यकता (397)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें"।

[मध्य रेलवे में बम्बई उपनगरीय क्षेत्रों की उपनगरीय गाड़ियों के लिए डोम्बीवाली जिला थाणे, महाराष्ट्र को टर्मिनल बनाने की आवश्यकता (398)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें"।

[बम्बई वी० टी० स्टेशन पर उसके मस्जिद वाले किनारे की ओर सभी आठों प्लेटफार्मों के जोड़ने और डी० एन० रोड बम्बई को सीधा रास्ता उपलब्ध कराने के लिए एक ऊपरी पैदल पुल बनाये जाने की आवश्यकता (399)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें"।

[डोम्बीवाली रेलवे स्टेशन जिला थाणे, महाराष्ट्र के क्षेत्र को साफ रखने में मध्य रेलवे की असफलता (400)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें"।

[रेलवे क्षेत्र और गाड़ियों विशेषकर बम्बई उपनगरीय क्षेत्र में बढ़ते हुए अपराधों को कारगर ढंग से रोकने में असफलता (401)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें"।

[वर्तमान फाटक के निकट डोम्बीवाली स्टेशन के बम्बई वाले सिरे पर एक पैदल पुल बनाने और उनके दोनों ओर टिकट और सीजन टिकट बेचने की सुविधा करने की आवश्यकता (402)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें"।

[पश्चिम रेलवे के समान मध्य रेलवे द्वारा अपनी समय सारणी में विशेष अवकाश गाड़ियों की समय सारणी को भी शामिल करने की आवश्यकता (403)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें"।

[परेशान यात्रियों के साथ कल्याण (महाराष्ट्र) रेलवे पुलिस का रवैया और इस संबंध में रेलवे की अक्षमण्यता (404)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें"।

[बम्बई उपनगरीय सैक्शन में मोटर मैनों द्वारा जोरदार और उचित आपत्ति उठाये जाने पर मध्य रेलवे द्वारा "के० एन० ओ० आर० आर० ब्रेक पद्धति को पुन: लागू करने की योजना" पर विचार करने की आवश्यकता (405)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किए जायें"।

[कलवा स्टेशन पर दोनों प्लेटफार्मों को जोड़ने तथा कलवा कार शेड जिला थाणे महाराष्ट्र को जाने वाली रेल लाइन को पार करने के लिए शीघ्र ही एक पुल का निर्माण करने की आवश्यकता (406)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें"।

[भारी यातायात की दृष्टि से पुराने कोपरी पुल को बदलकर उसके स्थान पर चौड़ा पुल बनाए जाने की आवश्यकता (407)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें"।

[थाणे में लंबी दूरी की गाड़ियों का टर्मिनल बनाये जाने के काम को शुरू करने की आवश्यकता क्योंकि इससे अधिक संख्या में लंबी दूरी और स्थानीय गाड़ियां चल सकेंगी (408)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें"।

[महाराष्ट्र में थाणे स्टेशन को मिलाने वाली कल्याण की ओर के सिरे का सड़कों को चौड़ा करने की आवश्यकता (409)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें"।

[कल्याण स्टेशन मध्य रेलवे महाराष्ट्र के बम्बई वाले छोर पर तांगा स्टैंड और प्लेटफार्म संख्या 1/2 तथा प्लेटफार्म संख्या 1/2 और प्लेटफार्म 3/4/5/6 को मिलाने वाले दोनों पुलों को जोड़ने की आवश्यकता (410)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें"।

[कल्याण कसारा सैक्शन पर टिटवाला से आने जाने वाले यात्रियों के लिए अधिक स्थानीय गाड़ियां चलाने की आवश्यकता (411)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें"।

[सवेरे मध्याह्न पूर्व 7-00 बजे से मध्याह्न पूर्व 11.30 बजे तक बलिन्द स्टेशन पर अतिरिक्त टिकट खिड़कियां खोलने की आवश्यकता (412)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें"।

[गाड़ियों में विशेषकर बम्बई वीटी दादर, पुणे स्टेशनों पर बिना आरक्षण वाले स्थानों पर लोगों द्वारा कब्जा करने को रोकने में रेलवे अधिकारियों की असफलता (413)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें"।

[कुलगांव ग्राम पंचायत जिला थाणे, महाराष्ट्र के क्षेत्र में रेलवे सम्पत्ति के शुल्क के मामले को आपसी सहयोग से हल करने के लिए आवश्यक कदम उठाने में मध्य रेलवे अधिकारियों की असफलता (414)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें"।

[मध्य रेलवे में थाणे रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म संख्या 4/5 पर मूत्रालय बनाने की आवश्यकता (415)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें"।

[मध्य रेलवे के दादर स्टेशन में प्लेटफार्म संख्या 4 पर पार्सलों तथा अन्य माल को रखना तुरन्त बन्द करने की आवश्यकता, क्यों कि इसके कारण यात्रियों को चलने फिरने में अत्याधिक कठिनाई होती है (416)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये"।

[गत तीन वर्षों में कल्याण रेलवे यार्ड, जिला ठाणे (महाराष्ट्र) में होने वाली अनेक चोरियों को रोकने में असफलता (688)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये"।

[कल्याण में (जिला ठाणे महाराष्ट्र) रेलवे क्वार्टरों के प्रभावी अनुरक्षण और उनके लिए अधिक धन के आवंटन में असफलता (689)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये"।

[बम्बई उपनगरीय रेलवे प्लेटफार्मों पर विक्रेताओं को स्टाल लगाने के लिए अन्धाधुन्ध लाइसेंस देना जिससे यात्रियों को असुविधा होती है (690)]

"कि रेलवे बोर्डशीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये"।

[बम्बई उपनगर के स्टेशनों एवं ठाणे के बाहर दुकानदारों को केबिन या स्टाल लगाने के लिए अन्धाधुन्ध लाइसेंस देना (691)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1रुपया किया जाये"।

[मध्य रेलवे की मुख्य लाईन और हार्बर शाखा पर सीजन टिकटों के किराये में अन्तर (692)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये"।

[1979-80 और 1980-81 में ठाणे जिले में रेल लाइनों, रेल गाड़ियों और प्लेटफार्मों पर अनेक यात्रियों के मरने की दुर्घटनाओं को प्रभावी ढंग से रोकने में असफलता (693)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये"।

[रेलवे के कार्यकरण को प्रभावी बनाने के लिए जनता द्वारा निर्वाचित निकायों जैसे नगर निगम, नगरपालिका, जिला परिषद या ग्राम परिषद या ग्राम पंचायत के सुझावों को जानने के लिए उनसे सम्पर्क स्थापित करने में असफलता (694)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये"।

[रेलवे के विभिन्न विभागों में विभिन्न स्तरों पर कदाचार समाप्त करने में असफलता (695)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें"।

[बम्बई उपनगरीय यातायात को सुविधाजनक बनाने के लिए लम्बी दूरी गाड़ियों के लिए पश्चिमी रेलवे के विटार स्टेशन और मध्य रेलवे के कल्याण स्टेशन को टर्मिनल बनाने की सम्भाव्यता (696)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें"।

[बम्बई उपनगरीय क्षेत्र में चलने वाली स्थानीय गाड़ियों में महिलाओं के डिब्बों के लिये सीढ़ियों की व्यवस्था करने में असफलता (697)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं"।

[बम्बई की उपनगरीय गाड़ियों में यात्रियों की सुरक्षा के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा बनाई गई एक स्वतन्त्र योजना के खर्चे में भागीदार बनने के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ सहयोग करने की आवश्यकता (698)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जाएं"।

[डोंबीवाली, उल्हासनगर और शाहाद स्टेशनों पर और इनके आस पास के क्षेत्रों में जनसंख्या में हुई वृद्धि को देखते हुए इन स्टेशनों के विकास और सुधार की आवश्यकता (699)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं"।

[मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में अनारक्षित द्वितीय श्रेणी के डिब्बों की कमी (700)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं"।

[यात्रियों के समूह के लिए एक सांझे टिकट लेने में असुविधा जिस कारण अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण उन्हें बीच में गाड़ी बदलनी पड़ती है (701)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं"।

[माल गाड़ियों को उपयुक्त ढंग से तेल, ग्रीस इत्यादि न दिए जाने के कारण भारी संख्या में मालगाड़ियों में टूटफूट (702)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं"।

[गाड़ियों में आरक्षित कोच के स्थान पर, क्योंकि उसे किसी न किसी कारणवश गाड़ी से अलग करना पड़ता है एक अन्य कोच लगाने की आवश्यकता (703)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं"।

[जहां पार्सलों की बुकिंग अधिक संख्या में होती है वहां पार्सलों और यात्रियों के सामानों की बुकिंग हेतु अलग अलग व्यवस्था करने की आवश्यकता (704)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं'।

[उपनगरीय यात्री यातायात को सुविधाजनक बनाने के लिए बम्बई उपनगरीय लाइन पर माल गाड़ियों को रात में अर्थात 12 बजे से 4 बजे के बीच में चलाने की आवश्यकता (705)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जाए"।

[पहले की तरह सभी तेरह बम्बई उपनगरीय गाड़ियों को हार्बर लाइन पर ठाणे तक चलाने की आवश्यकता (706)]

'कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं"।

[बम्बई उपनगरीय रेल लाइन पर कुर्ला से वाशी तक चलने वाली लोकल गाड़ियों की संख्या, विशेषरूप से भीड़-भाड़ के समय बढ़ाने की आवश्यकता (707)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं"।

[कालवा कार शेड के संबंध में कालवा (जिला ठाणे) के निवासियों की शिकायतों पर विचार करने की आवश्यकता (708)]

'कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जाएं"।

[पश्चिम रेलवे के बम्बई उपनगरीय लाइन पर गोजोगेश्वरी और गोरे गांव के बीच शास्त्री नगर नामक एक स्टेशन की स्थापना करने की आवश्यकता (709)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं"।

[ठाणे जिले के उन सभी स्टेशनों के प्लेटफार्मों पर जहां औसत वर्षा 200 इंच होती है, छत डालने की आवश्यकता (710)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं"।

[बम्बई उपनगरीय क्षेत्र में भीड़-भाड़ के समय लोकल गाड़ियों में महिलाओं के लिए और अधिक डिब्बों की व्यवस्था करने की आवश्यकता (711)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं"।

[मध्य रेलवे में मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के भोजनयान में दी जाने वाली खाने की वस्तुओं तथा भोजन की गुणवत्ता में सुधार करने की आवश्यकता (712)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं"।

[जिला ठाणे (महाराष्ट्र) के भायन्दर तथा उसके आसपास क्षेत्रों के नमक व्यापारियों को उचित समय पर पर्याप्त संख्या में वैगनों की व्यवस्था करने में असफलता (713)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं"।

[रेलों में विशेष रूप से महाराष्ट्र में द्वितीय श्रेणी तथा प्रथम श्रेणी के प्रतीक्षालयों को और अधिक साफ सुथरा रखने में असफलता (714)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं"।

[रेलगाड़ियों के डिब्बों में भीड़ भाड़ को कम करने के लिए बम्बई उपनगरीय लाइन पर डबल -डेकर लोकल गाड़ी चलाने की संभाव्यता (715)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये"।

[पिछले चार महीनों से कोल्हापुर स्टेशन (महाराष्ट्र) के आरक्षण खिड़कियों पर कर्मचारियों की कमी जिसके फलस्वरूप यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है (1182)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये"।

महाराष्ट्र में मनमद से औरंगाबाद तक बड़ी लाइन के निर्माण कार्य को तेज करने की आवश्यकता (1183)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये"।

[महाराष्ट्र में सांगली-मीरज रेल लाईन के कार्य को तेज करने की आवश्यकता (1184)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये"।

[दक्षिण मध्य रेलवे के हुबली डिवीजन के प्राधिकारियों की, गाड़ियों स्टेशनों, मार्किट यार्डों तथा रेलवे कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों, विशेषकरके कोल्हापुर में, के निर्माण के प्रति उपेक्षा (1185)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये"।

[कोल्हापुर (महाराष्ट्र)—महालक्ष्मी, सायहद्वी और महिषवा से चलने वाली तीन एक्सप्रेस गाड़ियों की धीमी गति जबकि इनमें एक्सप्रेस गाड़ियों का किराया लिया जाता है (1186)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये"।

[रेल वैगनों में क्षतिग्रस्त अथवा नष्ट हुए सामानों की क्षतिपूर्ति दिये जाने की प्रक्रिया में सुधार लाने की आवश्यकता (1187)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये"।

[खाद्यान्नों को ढोने वाली माल गाड़ियों को अपने गन्तव्य स्थानों पर पहुंचने में लगने वाले समय को कम करने में असफलता (1188)]

'कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये"।

[कोल्हापुर गुड्स स्टेशन (महाराष्ट्र)पर शेडों की कमी के कारण वर्षा से मालों की क्षति के लिए क्षतिपूर्ति करने में असफलता (1189)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये"।

[महाराष्ट्र में कल्याण, मनमद चोरपोड़ी और मीरज स्टेशनों पर रेलों के माल की चोरी में वृद्धि (1190)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाए"।

[सामानों के वजन में कमी की आशंका होने पर व्यापारियों को अपने सामानों का पुन: वजन करवाने का अधिकार देने की आवश्यकता (1191)]

"कि रेल बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें"।

[जनसंख्या, यात्रियों तथा माल यातायात में वृद्धि को देखते हुए कोल्हापुर स्टेशन (महाराष्ट्र) को शीघ्र अपग्रेड करने की आवश्यकता (1192)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाए"।

[अधिक वसूली के भुगतान की व्यवस्था हुगली के स्थान पर कोल्हापुर में ही करने की आवश्यकता (1193)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जाए"।

[कोल्हापुर गुड्स स्टेशन, जहां लगभग 800 मजदूर काम करते है, उचित तथा पर्याप्त पेयजल तथा आराम शेडों की व्यवस्था करने की आवश्यकता (1194)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाए"।

[महाराष्ट्र में कोल्हापुर गुड्स स्टेशन के प्लेटफार्मों पर बरसात के मौसम में उतारे गए मालों के लिए भंडारण की क्षमता बढाने की आवश्यकता (1195)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं"।

[महाराष्ट्र में कोल्हापुर गुड्स स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या 1 और 2 पर शेड बढ़ाने की आवश्यकता (1196)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं"।

[कोयला एक्स प्रेस को मीरज से बम्बई के स्थान पर कोल्हापुर से बम्बई तक चलाने की आवश्यकता (1197)]

"कि रेलवे शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं"।

[अधिक वैगनों की भराई और उतराई हेतु कोल्हापुर गुड्स स्टेशन (मार्किट यार्ड) की क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता (1198)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं"।

[कोल्हापुर (महाराष्ट्र) में शहर के अन्दर एक स्वतन्त्र बुकिंग तथा आरक्षण कार्यालय खोलने की आवश्यकता (1199)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं"।

[यात्रियों की संख्या को देखते हुए सांगली मीरज-कोल्हापुर के बीच और अधिक स्थानीय गाड़ियां चलाने की आवश्यकता (1200)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं"।

[कोल्हापुर से नई दिल्ली के लिए एक सीधी बोगी, जो झेलम एक्सप्रेस में पुणे में जोड़ी जाये, लगाने की आवश्यकता (1201)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाए"।

[महाराष्ट्र में लातूर मीरज के बीच चलने वाली गाड़ियों में जुड़ने वाली पुराने कोयला इन्जनों को बदलने की आवश्यकता (1202)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जाएं"।

[अम्बरनाथ रेलवे स्टेशन (थाने-महाराष्ट्र) पर नई बुकिंग खिड़की का निर्माण कार्य पूरा करने तथा बुकिंग के लिए उसे शीघ्र खोलने की आवश्यकता (1203)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जाए"।

[बम्बई उपनगरीय रेलवे स्टेशन मास्टरों तथा अन्य सम्बन्धित कर्मचारियों को दैनिक टिकट किराये के रकम को जो हजारों रुपये में होता है मुख्यालय अर्थात बम्बई भेजने के स्थान पर स्थानीय राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं में रेल विभाग के लेखे में जमा करने की अनुमति देने में असफलता (1204)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जाएं"।

[गाड़ियों तथा रेलवे स्टेशनों पर दी जाने वाली चाय तथा काफी के मूल्यों में कमी करने में असफलता (1205)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं"।

[रेलवे स्टेशनों पर बेचे जाने वाले खाद्य सामग्रियों की गुणवता बढ़ाने में असफलता (1206)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं"।

[प्रथम श्रेणी और दो टीयर तथा तीन टीयर शयनयानों में चालकों द्वारा किए जाने वाले कदाचारों को रोकने में असफलता (1207)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं"।

[श्रद्धानन्द मार्किट और कुतुब रोड (गवर्नमेंट ब्याज हायर सेकेन्डरी स्कूल) को जोड़ने के लिए माल गोदाम, दिल्ली में लाहौरी गेट के समीप रेलवे लाइन पर पारपथ पुल बनाने में असफलता (1208)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं"।

[सदर बाजार स्टेशन, पर सभी यात्री गाड़ियों का ठहराव की व्यवस्था करने की आवश्यकता (1209)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[के०के० एक्सप्रेस को कन्याकुमारी तक चलाने की आवश्यकता (1210)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[सरकार द्वारा बम्बई के सहायक श्रम आयुक्त तथा कतिपय अन्य स्थानों पर इस आशय के जारी किए गये अनुदेश को वापस लेने की आवश्यकता कि रेलवे

के गैर-मान्यता प्राप्त यूनियनों द्वारा उनके समक्ष रखे गए मामलों पर विचार न किया जाये और स्थानीय वार्ता समिति को सौंपा जाये (1225)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं"।

[पुनः तोलने के बारे में दक्षिण मध्य रेलवे ने डिवीजनल मुख्यालय हुगली से आदेश लेने के स्थान पर कोल्हापुर गुड्स स्टेशन (महाराष्ट्र) के प्रभारी अधिकारी को ही शक्ति देने की आवश्यकता (1226)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाये"।

[कल्याण स्टेशन (महाराष्ट्र) पर लम्बी दूरी की गाड़ियों के लिए आरक्षण कोटे को बढ़ाने की व्यवस्था करने में असफलता (1273)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं"।

[दाभोल से हैदराबाद को जोड़ने वाली रेल परियोजना को शुरू करने की आवश्यकता (1274)]

श्री पी० के० कोडियम (अदूर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें"।

[पिछले महीनों में रेल दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या (116)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें"।

[रेलों के माल की बड़े पैमाने पर होने वाली चोरी तथा तोड़फोड़ को रोकने में असफलता (117)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें"।

[केरल में प्रस्तावित रेल डिब्बा विनिर्माण एकक की स्थापना करने की आवश्यकता (118)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें"।

[गम्भीर रेल दुर्घटनाओं को रोकने में असफलता (119)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें"।

[चलती गाड़ियों में बड़े पैमाने पर होने वाली डकैतियों तथा अन्य आपराधिक गति विधियों को रोकने में असफलता (120)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें"।

[रेल मंत्रालय के अन्तर्गत विनिर्माण यूनिटों की स्थापना करने के सम्बन्ध में केरल की लगातार उपेक्षा (121)]

"कि संयंत्र और उपस्करों की मरम्मत और अनुरक्षण शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें"।

[दक्षिण रेलवे के विलिन-सेनकोट्टा रेल लाइन पर कालथीरूटी में एक नया विराम स्थल बनाने की आवश्यकता (124)]

'कि संयंत्र और उपस्करों की मरम्मत और अनुरक्षण शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें"।

[विवलीन—शेनकोट्टे रेल लाइन पर तेन्मलाई स्टेशन का विस्तार तथा सुधार करने की आवश्यकता (125)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें"।

[अपनी वैध मांगों के समर्थन में हड़ताल में भाग लेने वाले लोको रनिंग कर्मचारियों का शोषण (971)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें"।

[केरल में रेल लाइनों के विद्युतीकरण की आवश्यकता जिससे गाड़ियों के लिए कोयला लाने की आवश्यकता से बचा जा सकता है (975)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें"।

[के० के० एक्सप्रेस, जयन्ती जनता, गीतांजली, सर्वोदय, और साबरमती लम्बी दूरी की गाड़ियों में एक-एक अनारक्षित डिब्बा लगाने की आवश्यकता ताकि ठीक गाड़ी चलने के समय पर पहुंचने वाले यात्रियों की जरूरतें पूरी हो सकें (976)]

"कि रेल पथों और निर्माणों की मरम्मत और अनुरक्षण शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें"।

[दक्षिण रेलवे के किल्लोन-शेनकोट्टा लाइन पर कुरी रेलवे स्टेशन के निकट एक ऊपरी पुल बनाने की आवश्यकता (980)]

"कि रेल पथों और निर्माणों की मरम्मत और अनुरक्षण शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें"।

[किलोनशनकोट्टा लाइन पर पुनालूर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को अधिक सुविधाएं देने की आवश्यकता (981)]

"कि रेल पथों और निर्माणों की मरम्मत और अनुरक्षण शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें"।

[मंगलौर की तरफ काम शुरू कर के मंगलौर बम्बई रेलवे के निर्माण में शीघ्रता की आवश्यकता (982)]

"कि रेल पथों और निर्माणों की मरम्मत और अनुरक्षण शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें"।

[मंगलौर की तरफ बम्बई मंगलौर लाइन के निर्माण के लिए हसन से निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों को मंगलौर लाने की आवश्यकता (983)]

"कि रेल पथों और निर्माणों की मरम्मत और अनुरक्षण शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें"।

[दक्षिण रेलवे के पललवकोट डिवीजन में शोरानूर रेलवे स्टेशन को थोड़ा सा दक्षिण में उस त्रिभुज के पार ले जाने की आवश्यकता जहां-मद्रास-कोचीन, मद्रास-मंगलौर और मंगलौर-कोचीन लाइनें गुजरती है (984)]

"कि रेल पथों और निर्माणों की मरम्मत और अनुरक्षण शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें"।

[किवलोन-मदुरै लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की आवश्यकता (985)]

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विविध व्यय (सामान्य) शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[उज्जैन-रामगंज मंडी नयी ब्राड गेज रेल लाईन का आगर-सुसनेर, झालावाड़ के रास्ते सर्वेक्षण करने की आवश्यकता (149)]

"कि रेल पथ और निर्माणों की मरम्मत और अनुरक्षक शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें"।

[नागदा मंडी से औद्योगिक क्षेत्र में आवागमन हेतु नागदा जंकशन पर फुट ओवर ब्रिज के निर्माण की अवश्यकता (153)]

"कि रेलपथ और निर्माणों की मरम्मत और अनुरक्षक शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें"।

[महिदपुर रोड पर मुख्य प्लेट फार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर आवागमन हेतु फुट ओवर ब्रिज के निर्माण की आवश्यकता (154)]

"कि रेलपथ और निर्माणों की मरम्मत और अनुरक्षक शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें"।

[नागदा जंकशन मन्डी से औद्योगिक क्षेत्र तथा रतलाम (नीतच-महू सड़क) पर ओवर ब्रिज के निर्माण की आवश्यकता (155)]

"कि रेलपथ और निर्माणों की मरम्मत और अनुरक्षण शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें"।

[बेरछा स्टेशन पर शेड के निर्माण की आवश्यकता (156)]

"कि रेलपथ और निर्माणों की मरम्मत और अनुरक्षक शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें"।

[अकोदिया स्टेशन के प्लेटफार्म को ऊंचा किए जाने की आवश्यकता (157)]

"कि रेलपथ और निर्माणों की मरम्मत और अनुरक्षक शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें"।

[नागदा जंकशन पर शुद्ध पेय जल उपलब्ध करने की आवश्यकता (158)]

"कि रेलपथ और निर्माणों की मरम्मत और अनुरक्षक शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें"।

[पार्वती स्टेशन पर शुद्ध पेय जल उपलब्ध करने की आवश्यकता (159)]

"कि कर्मचारी कल्याण शीर्षक के अन्तर्गत्त मांग में 100 रुपए कम किए जायें"।

[उज्जैन में रेल कर्मचारियों के बच्चों के लिए हायर सेकन्डरी के शिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता (160)]

"कि कर्मचारी कल्याण शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें"।

[उज्जैन में सभी चिकित्सीय सुविधायुक्त रेल अस्पताल विकसित करने की आवश्यकता (161)]

"कि कर्मचारी कल्याण शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें"।

[उज्जैन में विमनाशियन हाल का निर्माण करने की आवश्यकता (162)]

"कि कर्मचारी कल्याण शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें"।

[उज्जैन में रेल कर्मचारियों के आवास हेतु अधिक आवासीय भवन निर्मित करने की आवश्यकता (163)]

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें"।

[आर० पी० एफ० एवं जी० आर० पी० की रेलवे सम्पत्ति की लूट पाट कराने में साठगांठ की खुफिया जांच करने में असफलता (169)]

'कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें"।

[रेल दुर्घटनाओं, एवं देरी से रेल गाड़ियों को चलने से रोकने में असफलता (170)]

'कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें"।

[दिल्ली पंजाब, यू० पी०, हरियाणा की उद्योग इकाइयों को आवंटित कोयले की ढुलाई के लिए रेल वैगनों की आपूर्ति में विफलता (171)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें"।

[चेन खींचना रोकने में असफलता (172)]

"कि रेलपथ और निर्माणों की मरम्मत और अनुरक्षण शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें"।

[पतरात् स्टेशन के लोको वर्कशाप में होने वाली सैकड़ों नियुक्तियों में स्थानीय बेकारीग्रस्त युवकों को नियोजित न करने की खुली घोषणा से सरकारी अदेशों की अवहेलना तथा अधिकारियों की इस धांधली को रोकने में असफलता (173)]

"कि परिसम्पत्तियां-अधिग्रहण निर्माण और बदलाव शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें"।

[कोडरमा स्टेशन से चतरा सब डीविजन डाउन तक रेल मार्ग निर्माणार्थ सर्वेक्षण करने में विफलता (174)]

'कि परिसम्पत्ति-अधिग्रहण निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं"।

[कोरडमा रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म सं० 2 पर चाय का स्टाल और शेड बनाने में असफलता (175)]

"कि परिसम्पत्तियां-अधिग्रहण निर्माण और बदलाव शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं"।

[साहेबगंज लूप लाइन पर पाकुड रेलवे क्रासिंग गेट पर एक ओवरब्रीज जनहित में बनाने में असफलता (176)]

"कि परिसम्पत्तियां-अधिग्रहण निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं"।

[बिहार सरकार के 1980 में अनुसंसा देने पर भी पाकुड सब डिवीजन शहर के रेलवे क्रासिंग पर गेट बनाने में असफलता (177)]

"कि परिसम्पत्तियां-अधिग्रहण निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं"।

[देवघर वैद्यनाथाम से झारखन्डधाम (गिरिडीह) तक रेलपथ निर्माण कर दोनों प्राचीन शिव मन्दिरों तक यात्रियों एवं पर्यटकों हेतु यातायात की सुविधा प्रदान करने में विफलता (178)]

"कि परिसम्पत्तियां-अधिग्रहण निर्माण और बदलाव शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जाएं"।

[झुमरी तिलैया (कोडरमा) से राजगीर (नालंदा) तक रेलपथ निर्माणार्थ सर्वेक्षण कराने में असफलता (179)]

"कि परिसम्पत्तियां-अधिग्रहण निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें"।

["कोरमडा" स्टेशन के दक्षिण किनारे पर 200 मार्केट शेड़ों का निर्माण करने में असफलता (180)]

"कि परिसम्पत्तियां-अधिग्रहण निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाये"।

[स्थानीय शिक्षित बेरोजगारों को विशेष नियोजन योजना का प्रारूप अभी तक सदन में पेश करने में असफलता (181)]

"कि सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें"।

[धनबाद मंडल रेलवे के भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध सूचना देने वाले सरकारी कर्मचारी का नाम गुप्त रखकर पुरस्कृत करने के बजाय दंडित करना (271)]

"कि सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें"।

[आसनसोल में केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना करने में असफलता। पक्षपातपूर्ण ढंग से विकसित क्षेत्रों में, भूमिगत रेल, मीटरगेज को ब्राडगेज में बदलने में, मंत्रियों के इलाके में नई लाइनों के बिछाने में ही जनता से प्राप्त कोष का दुरुपयोग कर जनहित की अपेक्षा (272)]

"कि सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें"।

[रेलवे यार्ड आसनसोल, बोकारो, धनबाद, गया में लाखों रुपए मूल्य के माल, असबाब की प्रति दिन हो रही चोरियों की रोकथाम में असफलता (273)]

"कि सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें"।

[कोडरमा स्टेशन का नाम बदल कर "झूमरीतिलैया" करने में रेलवे विभाग की लालफिताशाही (274)]

"कि सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें"।

[विश्वभारती एक्सप्रेस को रामपुरहाट से 40 कि० मी० और आगे बढ़ाकर पाकुड़ बरहरवा स्टेशनों से चलाकर बंगाल से व्यापार करने वाले हजारों यात्रियों को लाभान्वित करने में विफलता (27)]

"कि सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपए कम किए जाएं"।

[पाकुड़ रेलवे कालोनी से आर० पी० एफ० बैरक को बाहर कर कालोनी स्थित रेल कर्मचारियों की इज्जत की रक्षा करने में विफलता (276)]

"कि सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें"।

[हजारीबाग रोड स्टेशन पर नीलांचल एक्सप्रेस एवं गंगा दामोदर एक्सप्रेस का दो-दो मिनट का ठहराव देने से विफलता (277)]

"कि सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें"।

[रेलभाड़े की दर वृद्धि से पूंजीपतियों को लाभ पहुंचने तथा करोड़ों गरीबों की यात्रा महंगी बनाने की गलत नीति (278)]

"कि सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें"।

[आरक्षण दर एवल्क सुपर ट्रेन शुल्क मिलाकर 20 प्रतिशत वृद्धि करने की जनता विरोधी नीति (279)]

"कि सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें"।

[700 स्वास्थ्य निरीक्षकों (पूर्वी रेलवे) को विधि कार्य भी निष्पादन करने हेतु उचित भत्ता देने में विफलता (280)]

"कि सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें"।

[150 केजुअल कोच एटेंडेंट को 10-12 वर्षों की लगातार सर्विस होने पर स्थायी नहीं करने में असफलता (281)]

"कि सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें"।

[पूर्वी रेलवे में 236 बेयरों की सेवाएं 12 वर्षों तक होने पर भी नियमित करने में असफलता (282)]

"कि सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें"।

[पूर्वी रेलवे के निगरानी निरीक्षकों की सेवा विसंगतियों को मिटाने में असफलता (283)]

"कि विविध संचालन व्यय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें"।

[गंगा दामोदर एक्सप्रेस को चौब, परसाबाद, थर्माढांड, चौधरीबांध, चिचारी स्टेशनों में 2-2 मिनट रोककर उस क्षेत्र की जनता के लिए कोडरमा अनुमंडलीय कोर्ट या पटना जाने की सुविधा प्रदान करने में असफलता (284)]

"कि विविध संचालन व्यय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें"।

[पावापुरी, नालंदा, राजगीर के तीर्थयात्रियों को पटना-रांची रोड पर स्थित कोडरमा स्टेशन पर नीलांचल एक्सप्रेस को 2 मिनट ठहराव देने में असफलता (285)

"कि विविध संचालन व्यय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें"।

[राष्ट्रीय परिवहन समिति की सिफारिशों के अनुसार पिछड़े क्षेत्रों में प्राथमिकता देकर रेल पथ निर्माण करने में विफलता (286)]

"कि परिसम्पत्तियां-अधिग्रहण निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें"।

[गिरिडीह से कोडरमा—हजारीबाग होते हुए रांची रोड़ 194 कि० मी० तक रेलवे मार्ग का निर्माण कार्य 1981 में प्रारम्भ करने में असफलता एवं पिछड़े क्षेत्र के विकास में द्रुतगति से प्राथमिकता देने में उपेक्षा (287)]

"कि सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें"।

[पटना से हावड़ा, सोनपुर से हावड़ा तथा सोनपुर से टाटा के लिए एक्सप्रेस गाड़ियां चलाने में असफलता (662)]

"कि सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें"।

[धनबाद से दिल्ली के लिए कोयला एक्सप्रेस नामक सुपर एक्सप्रेस गाड़ी चलाने में असफलता (663)]

"कि सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें"।

[पूर्व रेलवे में पूर्वी रेलवे कर्मचारी संघ को मान्यता देने में असफलता (664)]

"कि सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें"।

[स्टेशन अधीक्षण हावड़ा के अधीन कार्यरत नैमित्तिक मजदूरों को श्रेणी 'क' और 'ख' में नियमित करने में पूर्व रेलवे की असफलता (665)]

"कि सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें"।

[के० पी० ए० वर्कशाप के कुशल मजदूरों की वरिष्ठता में अनियमितताओं को दूर करने में पूर्व रेलवे की असफलता (666)]

"कि सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें"।

[पूर्व रेलवे में पिछले दस वर्षों से चली आ रही स्थानापन्न कोष अटन्डेंटों को नियमित करने में असफलता (667)]

"कि सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें"।

[मीठापुर रेलवे क्रासिंग गेट पर एक रेलवे उपरि पुल का निर्माण करने में असफलता (668)]

"कि सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें"।

[संथाल परगना जिले की जातियों को सुविधा प्रदान करने के लिए दानापुर फास्ट पैसेन्जर गाड़ी को भागलपुर से बसारवा और पाकुर स्टेशन तक चलाने में असफलता (669)]

"कि परिसम्पत्तियां-अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं"।

[गाड़ियां ठीक से चलाने के लिये हार्डिंग पार्क पटना तथा धनबाद में दो ए० जी० एम० कार्यालय (तकनीकी और प्रचालन) स्थापित करने में असफलता (680)]

"कि परिसम्पत्तियां-अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें"।

[आसनसोल में रेलवे कर्मचारियों के बच्चों के लिए एक केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना करने में असफलता (681)]

"कि विविध संचालन व्यय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें"।

[अन्य पिछड़े क्षेत्रों की उपेक्षा करके विकसित क्षेत्रों में भूमिगत रेलों, मीटर गेज लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने तथा नई रेल लाइनें बिछाने में सार्वजनिक धन का दुरुपयोग (722)]

"कि सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये"।

[रेल टिकटों के आरक्षण में व्याप्त कदाचार को रोकने में असफलता (781)]

"कि सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये"।

[धनबाद कोयला क्षेत्र को उपनगरीय रेल क्षेत्र घोषित करके धनबाद, झरिया कतरास और सिंदरी, बागमारा के बीच रेल परिवहन सेवा की व्यवस्था करने में असफलता (827)]

"कि सामान्य अधीक्षण और सेवायें शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये"।

[हजारीबाग रोड से बगोदर, अटका, विष्णुगढ़, झरापो, भाराजो, दारू और मेरू से होते हुए मुसराबाजार तक रेलवे लाइनों को बिछाने के लिए सर्वेक्षण करने में असफलता (828)]

"कि सामान्य अधीक्षण और सेवायें शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया कम किया जाये"।

[कोटा से बूंदी होते हुए चित्तोड़ तक रेलवे लाइन बिछाने में विलम्ब (829)]

"कि सामान्य अधीक्षण और सेवायें शीर्षक के अन्तर्गत को कम करके 1 रुपया कम किया जाये"।

[झालवाड़ के जिला मुख्यालय को कोटा से रेल द्वारा मिलाने में असफलता (830)]

"कि सामान्य अधीक्षण और सेवायें शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये"।

[नागरिक सुरक्षा निरीक्षकों के वेतनमान में सुधार करने में असफलता (831)]

"कि सामान्य अधीक्षण और सेवायें शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये"।

[पूर्वी रेलवे के नागरिक सुरक्षा निरीक्षकों और प्रशिक्षकों के लिए पदोन्नति के अवसर देने में रेलवे की उपेक्षा (832)]

"कि सामान्य अधीक्षण और सेवायें शीर्षक के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये"।

[कोडरमा और हजारीबाग के बीच स्टेशनों अर्थात चौधरीबंद, चिचारी, चौवे, परसाबाग और थर्माटांड पर गंगा दामोदर एक्सप्रेस के हाल्ट की व्यवस्था करने की आवश्यकता (833)]

"कि सामान्य अधीक्षण और सेवायें शीर्षक के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये"।

[मगध एक्सप्रेस को चलाने में असफलता यद्यपि उसका नाम समय धारणी में दिया हुआ है (834)]

"कि सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये"।

[कोयला क्षेत्र से टाटा, चक्रधरपुर और खड़गपुर जाने के लिए यात्रियों को सुविधायें प्रदान करने हेतु धनबाद-पटारडीह यात्री गाड़ी को आदरा तक बढ़ाने में असफलता (835)]

"कि परिसम्पत्तियां-अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये"।

[कोटाबीना लाइन पर कशोली-कवाई-छाबरा स्टेशन नामक रेलवे स्टेशन बनाने में असफलता (836)]

"कि परिसम्पत्तियां-अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये"।

[मोतीपुरा चौक झण्डी स्टेशन को स्थायी स्टेशन में बदलने में असफलता (837)]

"कि परिसम्पत्तियां-अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये"।

[माधुपुर और दुमका के बीच रेलवे लाइनें बिछाने में असफलता (838)]

"कि परिसम्पत्तियां-अधिग्रहण निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[चकाई चतरो, देवघड़ो, खरगादी, जमुआ, डूमा और तारा को नगर के रूप में विकसित करने के लिए बैद्यनाथ धाम और झारखंड धाम के बीच रेलवे लाइने बिछाने में असफलता (839)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम किया 1 रुपया किया जाये"।

[पूर्व रेलवे में कोयला एजेन्टों के मार्फत औद्योगिक इकाइयों को वैगनों के आबंटन में भ्रष्टाचार को रोकने में असफलता (1017)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 1 रुपया कम किया जाए"।

[रास्ते में खो जाने वाली वस्तुओं अन्य बहुमूल्य सामान के बदले में अदायगी करने में असफलता (1018)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए"।

[पूर्व रेलवे के गिरिडीह-मधुपुर लाइन पर एक बोगी पाटलिपुत्र एक्सप्रेस में, एक द्वितीय श्रेणी की बोगी मिथिला एक्सप्रेस में अभी तक जोड़ने में असफलता (1059)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए"।

"[एम० जी० की सवारी गाड़ी गिरिडीह-मधुपुर जंक्शन पर पुराने इंजन बदलने में असफलता (1060)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए"।

[प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के यात्री भाड़े में नगण्य वृद्धि (क्रमशः 12½% और 10%) जिसका प्रभाव करोड़ों मध्यम एवं मजदूर वर्ग पर पड़ा है (1061)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये"।

[रेलवे में हजारों आकस्मिक मजदूरों को नियमित करने में असफलता (1062)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए"।

रेलवे में ठेका प्रथा के उन्मूलन में असफलता (1063)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए"।

[लाभ-हानि में श्रमिक भागीदारी की बी० एम० एस० की राष्ट्रीय नीति देश हित, मजदूर हित एवं उद्योग हित में लागू करने में असफलता (1064)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत माँग को कम करके 1 रुपया किया जाए"।

[रेल गाड़ियों के द्वितीय श्रेणी में आरामदेह गद्दा प्रथम श्रेणी की तरह लगाकर गांधीवादी समाजवाद को लागू करने में असफलता (1065)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत माँग को कम करके 1 रुपया किया जाए"।

[रेल गाड़ियों में डकैतियां, लूट, हत्या से जानमाल की रक्षा करने में असफलता (1066)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत माँग को कम करके 1 रुपया किया जाए"।

[पूर्वी रेलवे का मुख्यालय गया या झुमरी तिलैया से हटाकर बिहार का पिछड़ापन दूर करने तथा रेलवे प्रशासन को चुस्त करने में असफलता (1067)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत माँग को कर करके 1 रुपया किया जाए"।

[वैगनों की आपूर्ति एवं प्रशासनिक व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए ए० जी० एम० का पद स्थान धनबाद में करने में असफलता (1068)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत माँग को कम करके 1 रुपया किया जाए"।

[धनबाद एवं गया के बीच स्टेशनों की जनता के लिए एक जोड़ी सवारी गाड़ी दिन में चलाने में असफलता (1069)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत माँग को कम करके 1 रुपया किया जाए"।

[रेलवे चेन पुलिंग रोकने के लिए इमरजेंसी बैल प्रणाली लागू करने में असफलता (1070)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए"।

[गया-बोधगया में देश-विदेश के यात्रियों को ठहरने के लिए रेलवे होटल बनाने में असफलता (1071)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत माँग को कम करके 1 रुपया किया जाए"।

रेलवे कर्मचारियों को उचित आवास व्यवस्था करने में असफलता (1072)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए"।

[उच्च रेल अधिकारियों और मंत्रियों को सैलून तथा प्रथम श्रेणी के वातानुकूलित डिब्बों की सुविधा देने तथा संसद सदस्यों को वह सुविधा प्रदान न करने की निति (1159)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें"।

[गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के स्कूल जाने वाले बच्चों को मुफ्त पास देने में असफलता (1217)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें"।

[सभी अपंग व्यक्तियों तथा वृद्ध पेंशन भोगियों को पास देने में असफलता (1218)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें"।

[भण्डार पर व्यय में 25 प्रतिशत कम करने में असफलता (1219)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें"।

[कुव्यवस्था के कारण गोदामों में रखी गई अधिक सामग्रियों का उपयोग करने में असफलता (1220)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें"।

[लोको रनिंग स्टाफ की समस्याओं का समाधान करने में असफलता (1221)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें"।

[हजारी बाग शहर को पतरातू और रांची से जोड़ने में असफलता (1222)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें"।

[रेलों में सेलों को समाप्त करने में असफलता (1223)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जाएं"।

[सभी सुपरफास्ट गाड़ियों में एम०एस०टी० प्रणाली समाप्त करने अथवा यात्रा में एम०एस०टी० प्रयोगकर्ताओं को प्रतिबंधित करने में असफलता (1224)]

"कि परिसम्पतियों अधिग्रहण निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें"।

[जनता तारोडिह, बरकट्टा, पेशाम, जोरासंघ कोवाड़ और पंवामा के रास्ते हजारी बाग रोड को गिरीडिह से जोड़ने की आवश्यकता (1231)]

"कि परिसम्पतियों अधिग्रहण निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें"।

[गिरीडिह बांगावाद, मिर्जागंज, खरगडिहा, मंदारों, खिजूरी, किसारी, गनवान, गोविन्दपुर से राजगीर और नालन्दा के लिए इस क्षेत्र के विकास हेतु रेलवे लाइनों का सर्वेक्षण करने में असफलता (1232)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये"।

[केवल रेल कर्मचारियों के लिए अलग वेतन आयोग गठन करने और मंहगाई भत्ते को जीवनयापन सूचकांक से जोड़कर युक्तियुक्त बनाने की आवश्यकता (1233)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये"।

[रेलवे अध्ययन दल की सिफारिशों को स्वीकार करने में असफलता (1234)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया कम किया जाये"।

[रेल भंडार नियन्त्रणालय के अधिकारियों को भ्रष्ट व्यापारियों के प्रलोभन से रोकने और रेलवे की चल सम्पति के निर्माण और मरम्मत में मितव्ययिता बरतने में असफलता (1235)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये"।

[रेलवे स्टोर इनवेंटरी के खराब रख-रखाव के कारण होने वाली दुर्घटनाओं और यांत्रिक गड़बड़ियों को रोकने में असफलता (1236)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये"।

"बिना टिकट चलने वाले, रेलवे की सम्पति चुराने वाले, माल भाड़ा का कम भुगतान करने वाले और सस्ते दाम पर रेलवे स्क्रैप खरीदने वाले, जिनसे रेलवे के राजस्व की हानि होती है, के विरुद्ध कार्रवाई करने में सतर्कता विभाग की निष्क्रियता (1237)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये"।

[रेल सेवा आचरण नियम और अनुशासन अपील नियम को, जो 1890 में ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया था, उदार और जनतांत्रिक बनाने में, जैसा कि सरकारी और निजी क्षेत्रों में किया है, असफलता (1238)]

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :- -

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये"।

[1973 के समझौते को लागू करने के लिए आन्दोलन करने वाले सैकड़ों लोको रनिंग कर्मचारियों को जबरदस्ती सेवानिवृत करना और गिरफ्तार करना (183)]

"कि विविध व्यय (सामान्य) शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये"।

[दक्षिण पूर्व रेलवे में मिदनापुर जिले के दिगाह को रेल द्वारा कलकत्ता से जोड़ने में असफलता (186)]

"कि विविध व्यय (सामान्य) शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये"।

[दक्षिण पूर्व रेलवे में खड़गपुर और पांकुरा के बीच तीसरी रेल लाइन का निर्माण आरम्भ करने में असफलता (187)]

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए"।

[शाहजहांपुर से दिल्ली तक दातागंज, विनावर, बदायूं, बिलसी और सहसवान होकर नया रेल मार्ग चालू करने में असफलता (288)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये"।

[आंवला और दिल्ली के बीच एक नया डिब्बा जोड़ने में असफलता (289)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए"।

[बरेली-बदायूं-कासगंज सैक्शन पर गाड़ियों के देर से चलने के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों को दण्ड देने में असफलता (290)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए"।

[बरेली-बदायूं-कासगंज-मथुरा सैक्शन पर नई रेल गाड़ी चलाने में असफलता (291)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए"।

[बरेली—बदायूं—कासगंज—कानपुर—लखनऊ सैक्शन पर नई गाड़ी चलाने की आवश्यकता (292)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए"।

[बरेली और बदायूं के बीच छात्रों, कर्मचारियों और मुकदमे वालों की सुविधा के लिए प्रात: और सायं गाड़ियां चलाने में असफलता (293)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए"।

[रेलवे लाइनों पर काम करने वाले गैंगमैनों को स्थायी बनाने तथा उन्हें अन्य सुविधायें प्रदान करने में असफलता (294)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए"।

[रेल कुलियों को बीमा, भविष्य निधि तथा चिकित्सा सुविधाएं देने और रेल सेवाओं में आरक्षण प्रदान करने की आवश्यकता (295)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए"।

[बरेली, बदायूं, आंवला और कासगंज स्टेशनों पर प्रतीक्षालयों और सफाई की उचित व्यवस्था का अभाव (296)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए"।

[मछलियों की ढुलाई के रेलवे भाड़े में 90 प्रतिशत रियायत न देने के कारण मछली उद्योग को हानि होना (297)]

श्री टी० आर० शमन्ना (दक्षिणी बंगलौर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें"।

[तेजी से बढ़ रहे बंगलौर शहर में परिक्रमा रेलवे बनाने की आवश्यकता (358)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाए"।

[रेल विभाग के० के० एक्सप्रेस, महालक्ष्मी एक्सप्रेस, हुबली-बंगलौर पेसेन्जर आदि गाड़ियों को समय पर चलाने में असफलता (359)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं"।

[लम्बी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए स्थानों के आरक्षण को नियमित करने में असफलता (360)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं"।

[बंगलौर मैसूर और बंगलौर-गुन्टकल लाइनों को बड़ी लाइन में बदने के काम को पूरा करने में असफलता (361)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं"।

[रेल विभाग द्वारा पुराने और भद्दे रेल डिब्बों को बदलने या उनका नवीकरण करने में असफलता (362)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं"।

[यात्रा को आरामदायक बनाने के लिए यात्रियों को रोशनी तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में असफलता (363)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं"।

[नैमित्तिक अथवा अस्थायी रूप से काम करने वाले मजदूरों को स्थायी रोजगार देने में असफलता (366)]

डा० सरदीश राय (बोलपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि परिचालन व्यय—ईंधन शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें"।

[पूर्वी रेलवे के अंडाल-सेंथिया सेक्शन पर कोयले की तस्करी रोकने में असफलता (437)]

"कि कर्मचारी कल्याण और सुविधायें शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें"।

[पूर्वी रेलवे के ए० के० (एन०जी०) लाइन पर नैमित्तिक श्रमिकों के लिए "घ" ग्रुप पदों पर नियुक्त करने में असफलता (438)]

"कि कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें"।

[रेल कर्मचारियों को पर्याप्त आवास सुविधा देने में असफलता (439)]

"कि परिसम्पत्तियां – अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए"।

[पूर्व रेलवे पर वीरभूम के जिला मुख्यालय सियूरी से हावड़ा के रास्ते अंडाल तक सीधी रेल सेवा चलाने में असफलता (440)]

"कि परिसम्पत्तियां—अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए"।

[पूर्व रेलवे के अन्डाल सेंथिया सेक्शन पर सेंथिया रेलवे स्टेशन पर लगाए गए ठंडे जल के संयंत्र की चालू करके उसका उपयोग करने में असफलता (441)]

"कि परिसम्पत्तियां—अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये"।

[पूर्व रेलवे पर ए० के० बी० के० , (एन० जी०) लाईट रेलवे के यात्रियों को न्यूनतम सुविधायें देने में असफलता 442)]

"कि परिसम्पत्तियां—अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये"।

[पूर्व रेलवे के बर्दवान-शहाबगंज सेक्शन (लूप) पर गाड़ियों के विलम्ब से चलने को रोकने में असफलता (443)]

"कि परिसम्पत्तियां—अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें"।

[(1) अंडाल-सेंथिया सेक्शन पर सियूरी रेलवे स्टेशन के निकट बोलपुर सियोरी रोड पर, (2) रलारपुर रेलवे स्टेशन के निकट सियोरी-रामपुर हैडरोड और (3)पूर्वी रेलवे के नालहाट रेलवे स्टेशन के और रूआराई रेलवे स्टेशन के निकट बर्दवान-बडहरवड़ा सेक्शनों पर सड़क उपरि पुल बनाने की आवश्यकता (444)]

"कि परिसम्पत्तियां —अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें"।

[पूर्व रेलवे के कटवा सालार सेक्शन पर गंगा टेकुरी रेलवे स्टेशन पर ऊंचा प्लेटफार्म बनाने में असफलता (445)]

"कि परिसम्पत्तियां—अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें"।

[पूर्व रेलवे के ए० के० बी० के० और बी०डी० आर० एन०जी० सेक्शनों पर नये रोलिंग स्टाक की व्यवस्था में असफलता (446)]

"कि परिसम्पत्तियां—अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं"।

[पूर्व रेलवे के ए०के०(एन०जी०)लाईन पर दसकल ग्राम और झंडासकन्दरा स्टेशनों के बीच कुमाडांगा हाल्ट पर फाटक के निर्माण की आवश्यकता (447)]

"कि परिसम्पत्तियां —अधिग्रहण निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें"।

[पूर्वी रेलवे के अन्डाल-सेंथिया और बर्दवान सेक्शन पर चलने वाली सभी गाड़ियों में बिजली, बैठने के स्थान और पेयजल की व्यवस्था करने की आवश्यकता (448)]

"कि परिसम्पत्तियां —अधिग्रहण' निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में शीर्षक के अन्तर्गत में 100 रुपये कम किए जाएं"।

[पूर्वी रेलवे के अंडाल-सेंथिया सेक्शन पर सभी गाड़ियों में अतिरिक्त डिब्बे लगाने की आवश्यकता (449)]

"कि परिसम्पत्तियां —अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं"।

[पूर्वी रेलवे के बर्दवान-बड़हवराल सेक्शन के बीच हर रोज गाड़ियां चलाने की आवश्यकता (450)]

"कि परिसम्पत्तियां—अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं"।

[पूर्वी रेलवे के बर्दवान साहबगंज सेक्शन पर तीन सौ पैंतीस अप/336 डाउन गाड़ियों को डीजल से चलाने और उन्हें राजग्राम तक चलाने की आवश्यकता (451)]

"कि परिसम्पत्तियां— अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं"।

[पूर्वी रेलवे के बर्दवान साहबगंज सेक्शन पर मयराई रेलवे स्टेशन के विद्युतीकरण करने की आवश्यकता (452)]

श्री विजय कुमार यादव (नालंदा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग मे 100 रुपए कम किए जाए"।

[संबंधित राज्य मुख्यालयों में रेलवे का क्षेत्रीय कार्यालय खोलने में असफलता (511)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग मे 100 रुपए कम किए जाए"।

रेलों के एक क्षेत्रीय कार्यालय को उन राज्यों से जहां एक से अधिक ऐसे कार्यालय हों, तथा ऐसे कार्यालयों का उक्त राज्य से कोई संबंध नहीं है, स्थानान्तरित करने में असफलता (512)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाए"।

(क्षेत्र के सभी संसद सदस्यों को शामिल करके रेलो के क्षेत्रीय परामर्शदातृ समिति का गठन करने में असफलता (513)]

'कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपए कम किए जाए"।

[रेलों के तकरीबन सभी क्षेत्रों में व्याप्त कदाचार को समाप्त करने मे असफलता (514)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपए कम किये जाए"

[चलती गाड़ियों में डकैती, चोरी, लूटमार तथा छीना-झपटी को रोकने में असफलता (515)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाए"।

[चलती गाड़ियों में यात्रियों को समाज विरोधी तत्वों तथा अपराधियों से सुरक्षा प्रदान करने में असफलता (516)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाए"।

[यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पूरे देश में गाड़ियों की पर्याप्त संख्या में व्यवस्था करने में असफलता (517)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं"।

[पूर्व रेलवे के बख्तियारपुर जंक्शन पर पंजाब मेल, तिनसुकिया मेल, डीलक्स, विक्रमशीला और जयन्ती जनता को ठहराने की व्यवस्था करने में असफलता क्योंकि एक मात्र यहीं से नालन्दा राजगृह तथा पावापुरी जैसे ऐतिहासिक स्थानों का सीधा संबंध है (518)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कमकिए जाएं"।

[जमालपुर वर्कशाप में सुधार करने में असफलता (519)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं"।

[पूरे देश में गाड़ियों को समय पर चलाने की व्यवस्था करने में असफलता (520)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं"।

[सर्वेक्षण पूरा हो जाने के बावजूद पूर्व रेलवे में राजगीर से गया बड़ी लाईन के विस्तार कार्य को शुरू करने में असफलता (521)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं"।

[पूर्व रेलवे के बख्तियारपुर-राजगीर लाईन पर पटना को जोड़ते हुए एक्सप्रेस गाड़ी चलाने में असफलता (522)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं"।

[बिहारशरीफ को जोड़ने वाली एक नई रेल लाईन बिछाने में असफलता (523)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं"।

[गाड़ियों में तथा स्टेशन आरक्षण खिड़कियों पर शयिकाओं के आरक्षण में व्याप्त कदाचार को रोकने में असफलता (524)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं"।

[पटना में गंगा नदी पर रेल पुल का निर्माण करने में असफलता (525)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं"।

[बख्तियारपुर, बिहारशरीफ तथा राजगीर रेलवे स्टेशनों की हालत में सुधार करने में असफलता (526)]

'कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपए कम किए जाएं"।

[पूर्व रेलवे में बिहारशरीफ से शेखपुरा, बरास्ता बेलछी और कोनान तक एक नई रेल लाईन का निर्माण करने में असफलता (527)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं"।

[फतुआ-रस्लामपुर लाइट रेलवे के लगभग 300 कर्मचारियों को रोजगार देने में असफलता (528)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपए कम किए जाएं"।

[कटिहार से हावडा तक सीधी तीव्रगामी गाड़ी चलाने में असफलता (529)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं"।

[पूर्व रेलवे के कलकत्ता स्थित उप महाप्रबंधक के कार्यालय को दानापुर में स्थानान्तरित करने में असफलता (530)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं"।

[प्लेट फार्म टिकटों के मूल्य में कमी करने में असफलता (531)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपए कम किए जाएं"।

[वापसी आरक्षण टिकट की व्यवस्था करने में असफलता (532)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपए कम किए जाएं"।

[सभी लोकल गाड़ियों में स्टीम इन्जन के स्थान पर डिजल इंजन लगाने में असफलता (533)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं"।

[मोकामा से आरा, जहानाबाद से पटना तथा राजगीर से बख्तियापुर तक चौहरी लाईन का निर्माण करने में असफलता (534)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जाएं"।

[हजारी बाग, दुमका, सिकन्दरी तथा अन्य आदिवासी क्षेत्रों को रेल से जोड़ने में असफलता (535)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाए"।

[पटना से हावड़ा, मद्रास, राऊरकेला, कानपुर, सिलीगुडी, भागलपुर, तथा मुजफ्फरपुर के लिए नई तेज रफ्तार वाली गाड़ियां चलाने में असफलता (536)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाए"।

[मोकामा से आरा, बखतियारपुर से राजगीर तथा पटना से जहानाबाद रेल लाइन को उपनगरीय रेल क्षेत्र घोषित करने में असफलता (537)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाए"।

[नई दिल्ली से पुरी, हावड़ा, बरास्ता, पटना, जमशेदपुर, मद्रास, राऊरकेला, हटिया, धनबाद, बोकारो, तथा बम्बई के लिए दैनिक तीव्रगामी गाड़ियां चलाने में असफलता (538)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाए"।

[राजगीर से हावड़ा तथा राजगीर से नई दिल्ली के लिए सीधी गाड़ी चलाने में असफलता (539)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं"।

[पटना-गया इकहरी लाईन को दोहरी लाईन बनाने में असफता (540)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें"।

[रेल प्रशासन में व्याप्त कदाचार को रोकने में असफलता (541)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें"।

[यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए छोटी दूरी की गाड़ियों की संख्या में वृद्धि करने में असफलता (542)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें"।

[शीघ्र डाक वितरण हेतु पूर्व रेलवे के बखतियारपुर स्टेशन पर अप और डाऊन पंजाब मेल को रोकने में असफलता (543)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें"।

[फतुहा क्षेत्र में डाक वितरण हेतु पूर्व रेलवे के फतुहा स्टेशन पर 11 अप और डाउन गाड़ी को रोकने में असफलता (544)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें"।

[बिहार सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा सूचना केन्द्र खोले जाने को देखते हुए बिहार पर्यटन विकास परिषद के कार्यालय को पटना जंक्शन क्षेत्र से हटाने में असफलता (545)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें"।

[यात्रियों की बढ़ती संख्या की आवश्यकताओं के अनुरूप पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन का विकास करने में असफलता (546)]

श्री के० ए० राजन (त्रिचूर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :-

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें"।

[गत दो वर्षों में रेलवे बोर्ड का निराशाजनक कार्यकरण जैसाकि राजस्व में कमी से पता चलता है (789)]

"कि विविध व्यय (सामान्य) शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें"।

[अन्य औद्योगिक श्रमिकों की भांति रेल कर्मचारियों को भी उत्पादकता के आधार पर बोनस को छोड़कर सांविधिक बोनस दिया जाना (790)]

"कि विविध व्यय (सामान्य) शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें"।

[रेल कर्मचारियों और अन्य औद्योगिक कर्मचारियों में बढ़ रही असमानता को देखते हुए तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को 150 रुपए का राहत भत्ता देने की आवश्यकता (791)]

"कि सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें"।

[वित्तीय मामलों, कार्मिक मामलों और सामान की सप्लाई की दुरव्यवस्था, जिसके कारण वित्तीय हानि हो रही है और कर्मचारियों में आलस्य बढ़ रहा है और वैगनों, डिब्बों और इंजनों के अनुरक्षण के लिए सामान और फालतू पुर्जों की कमी (792)]

"कि सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपए कम किए जायें"।

[केरल में रेल लाइनों के विद्युतीकरण की आवश्यकता, जहां बिजली पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है (793)]

"कि सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपए कम किए जायें"।

[उपयुक्त सुरक्षात्मक उपाय करने में असफलता जिससे घातक दुर्घटनायें बढ़ रही हैं (794)]

"कि सामान्य अधीक्षण और सेवायें शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपए कम किए जायें"।

[कम्प्यूटरों के कारण रोजगार में कमी (795)]

"कि सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपए कम किए जायें"।

[कार्मिक विभाग का पुनर्गठन कर के, जबकि अन्य विभाग उसी तरह हैं, कर्मचारियों के प्रति भेदभाव किया जाना (796)]

"कि सामान्य अधीक्षण और सेवायें शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें"।

[श्रेणी-एक के अनावश्यक पद बनाना जिससे कि प्रशासन पर भारतीय खर्च आता है और कार्य निष्पादन में गिरावट आई है (797)]

"कि संयंत्र और उपस्करों की मरम्मत और अनुरक्षण शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपए कम किये जायें"।

[रेलवे कर्मशालाओं में पुरानी पड़ गई मशीनों और उपकरणों के नवीनीकरण की आवश्यकता (798)]

"कि परिचालन व्यय-यातायात शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपए कम किए जायें"।

[रनिंग स्टाफ के साथ हुए 10 घन्टे की ड्यूटी के समझौते का उल्लंघन जिससे हड़ताल होती है (799)]

"कि परिचालन व्यय-यातायात शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपए कम किये जायें"।

[वास्तविक प्रेषितियों के स्थान पर रेलवे द्वारा अपनी मनपसंद के लोगों को कोयला भेजना जिससे प्रेषिति फर्में शिकायत और दावे करती है तथा उनके काम में गतिरोध उत्पन्न होता है (800)]

"कि परिचालन व्यय-यातायात शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपए कम किये जायें"।

[पालघाट जंकशन पर लाइनों और रेल सेवाओं तथा शंटिंग कार्य में वृद्धि के साथ-साथ पर्याप्त यार्ड कर्मचारी रखने की आवश्यकता (801)]

"कि कर्मचारी कल्याण-सुविधाएं शीर्षक के अन्तर्गत मांगमें 100 रुपये कम किए जायें"।

[गुटी में रेलवे स्कूल को हाई स्कूल तक बढ़ाना क्योंकि गुटी और गुंटाकल में उचित रेल सेवा नहीं है (802)]

"कि विविध संचालन व्यय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपए कम किये जायें"।

[131/132 जे० जे० एक्सप्रेस तथा अन्य गाड़ियों में दिए जाने वाले खाने की अधिक लागत और खराब किस्म का भोजन (803)]

'कि परिसम्पत्तियां, अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें"।

[कुर्ग के रास्ते तेलीचेरी—मैसूर लाइन का निर्माण करने में असफलता (804)]

"कि परिसम्पत्तियां, अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें"।

[यात्री गाड़ियों मे शौचालयों की खराब स्थिति जहां पानी उपलब्ध नहीं होता, शीशे टूटे हुये होते हैं और सफाई शायद ही कभी की जाती हो (805)]

"कि परिसम्पत्तियां, अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें"।

[शोरानुर स्टेशन को त्रिभुज की तरफ थोड़ा दक्षिण दिशा में हस्तान्तरित करने की आवश्यकता ताकि सभी दिशाओं में जाने वाली सभी गाड़िया ठहर सकें (806)]

श्री रामावतार शास्त्री : (पटना) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं"।

[वेतनमान की असंगति दूर होने तक तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को 150 हजार रुपए माहवारी एडहाक राशि देने की आवश्यकता (810)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं"।

[तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के रेल कर्मचारियों को टाइम बाउण्ड प्रोमोशन देने में असफलता (811)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं"।

[कैडर रिस्ट्रक्चारिंग की नीति लागू होने तक लेखा विभाग के ग्रेड 2 के लिपिकों को वरीयता के आधार पर लिपिक ग्रेड 1 में प्रोन्नति देने की आवश्यकता (812)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं"।

[रेलवे के लेखा विभाग में सब हैड की पोस्ट बरकरार रखकर 425 से 750 रुपए का ग्रेड देने की आवश्यकता (813)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं"।

[रेलवे के लेखा लिपिक ग्रेड 1 की भांति दूसरे ग्रेडों में स्टेगनेटेड लेखा श्रमिकों को आर्थिक राहत देने की आवश्यकता (814)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं"।

[लेखा कर्मचारियों को अगले ग्रेड में स्टेगनेटेड होने से बचाने के लिए रनिंग स्केल निर्धारित करने की आवश्यकता (815)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं"।

[लेखा विभाग के जिन कर्मचारियों की सेवा की अवधि तीन या चार वर्ष शेष रह गयी है उन्हें पदोन्नति देने पर भी पुराने स्थान पर ही रखने की आवश्यकता (816)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपए कम किए जाए"।

[रेल कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते को मूल वेतन में मिलाने तथा मंहगाई का नया फार्मूला तय करने में असफलता (817)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं"।

[रेल श्रमिकों के अवकाश ग्रहण करने से पूर्व उनकी संतान को रेल सेवा में भर्ती करने की आवश्यकता (818)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये"।

[रेलवे बोर्ड को समाप्त करने में असफलता (840)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये"।

[रेलवे बोर्ड की मजदूर विरोधी नीति को समाप्त करने में असफलता (841)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये"।

[रेलवे बोर्ड का बहुराष्ट्रीय कंपनियों से मिली भगत (842)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये"।

[द्वितीय श्रेणी के रेल यात्रियों के किराये में की गई दस प्रतिशत की वृद्धि को समाप्त करने की आवश्यकता (843)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये"।

[रेलवे बोर्ड की नीति को जनता एवं मजदूर पक्षी बनाने में असफलता (844)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये"।

[रेलवे को आत्म-निर्भर बनाने में असफलता (845)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये"।

[देश के पिछड़े क्षेत्रों में रेल लाइनों का विकास करने में असफलता (846)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये"।

[रेल के जनतांत्रिक तरीके से चलाने में रेल मजदूरों तथा उनकी यूनियनो से सहयोग लेने में असफलता (847)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये"।

[रेलवे बोर्ड का प्रभुत्व समाप्त करने में असफलता (848)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये"।

[रेलवे की नीति निर्धारण तथा संचालन में रेल मजदूरों का सहयोग प्राप्त करने में असफलता (849)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये"।

[रेल प्रबन्ध में मजदूरों की हिस्सेदारी की नीति को क्रियान्वित करने में असफलता (850)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये"।

[रेल के वर्तमान नौ जोनों का पुनर्गठन कर कुछ और जोन बनाने की आवश्यकता (851)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये"।

[रेल मजदूरों को उत्पादकता के आधार पर बोनस देने की नीति को रख कर बिना किसी शर्त के अन्य प्रतिष्ठानों की तरह 8.33 प्रतिशत हिसाब से बोनस देने की आवश्यकता (852)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये"।

[रेल मजदूरों का दूसरे सरकारी कारखानों के मजदूरों को मिलने वाले वेतन के बराबर वेतनमान निर्धारित करने में असफलता (853)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये"।

[गुप्त मतदान के आधार पर रेल में एक यूनियन बनाने के सिद्धांत को अमल में नहीं लाना (854)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये"।

[इंडियन रेलवे वर्कर्स फेडरेशन को मान्यता देने में असफलता (855)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये"।

रेल कर्मचारियों के लिए स्वतंत्रता पूर्व के काल में राशन की पृथक दुकानों की तरह दुकानों की व्यवस्था करने में असफलता (956)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 1 रुपया कम किया जाये"।

[लोको रनिंग स्टाफ की मांगों को पूरा करने में असफलता (857)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 1 रुपया कम किया जाये"।

[आल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के साथ वार्ता कर लोको रनिंग कर्मचारियों के असंतोष को दूर करने की आवश्यकता (858)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 1 रुपया कम किया जाए"]

[लोको रनिंग कर्मचारियों के सामूहिक छुट्टी आन्दोलन के अन्तर्गत दण्डित मजदूरों की सभी सजाओं को समाप्त करने की आवश्यकता (859)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 1 रुपया कम किया जाए"।

[पुरानी पड़ गई रेल पटरियों को बदलने में असफलता (860)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 1 रुपया कम किया जाए"।

[रेल में नैमित्तिक श्रमिक प्रथा को समाप्त करने में असफलता 861)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 1 रुपया कम किया जाए"।

[नैमित्तक मजदूरों को तीन माह के अन्तर्गत नियमित बनाने में असफलता (862)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 1 रुपया कम किया जाए"।

[रेल प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार, चोरी को समाप्त करने में असफलता (863)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 1 रुपया कम किया जाये"।

[रेलों में दिनों दिन बढ़ती हुई रेल दुर्घटनायें रोकने में असफलता 864)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 1 रुपया कम किया जाये"।

[रेलों में खानपान की निजी ठेकेदारों की व्यवस्था समाप्त कर विभागीय व्यवस्था चालू करने में असफलता (865)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अंतर्गत मांग में 1 रुपया कम किया जाए"।

विभागीय भोजनालयों के सभी बेयरों को नियमित रेल मजदूर बनाने में असफलता (866)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अंतर्गत मांग में 1 रुपया कम किया जाये"।

[रेलवे जोनों का पुनर्गठन कर बिहार में एक रेलवे जोन बनाने की आवश्यकता (867)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 1 रुपया कम किया जाये"।

[पटना में सदाकत आश्रम दीघा के निकट गंगा नदी पर एक रेल पुल का निर्माण करने में असफलता (868)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 1 रुपया कम किया जाए"।

[गाड़ियों को समय पर चलाने में असफलता (869)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए"।

[गाड़ियों को समय पर नहीं चलने के लिए रेल बोर्ड तथा नीचे के अधिकारियों को दण्डित करने की आवश्यकता (870)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 1 रुपया कम किया जाये"।

[सभी रेलों में राजभाषा अधिनियम, 1963 के आधार पर गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा तैयार किए गए वार्षिक कार्यक्रम को पेश करने में विफलता (871)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 1 रुपया कम किया जाए"।

[रेल सलाहकार समिति के निर्णयों को लागू नहीं करना (872)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 1 रुपया कम किया जाए"।

[रेल में कम्पलीमेंटरी पास देने की व्यवस्था को समाप्त करने की आवश्यकता (873)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में करके 1 रुपया कम किया जाए"।

[रेलवे की विभिन्न प्रकार की सलाहकार समितियों के गठन में अनावश्यक बिलम्ब को रोकने में असफलता (874)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 1 रुपया कम किया जाए"।

[रेल कर्मचारियों को और अधिक सुविधाएं देने की आवश्यकता (875)]

"कि रेल बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 1 रुपया कम किया जाए"।

[रेलवे को विश्व बैंक पर निर्भरता से बचाने की आवश्यकता (876)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 1 रुपया कम किया जाए"।

[रेल प्रशासन को जनतांत्रिक बनाने की आवश्यकता (877)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए"।

[कोयला और डीजल के दामों में क्रमिक वृद्धि को देखते हुए रेलों को बिजली से चलाने की आवश्यकता (878)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए"।

[रेल में बिजली के प्रयोग के लिए उनके अपने पावर-हाऊस खड़ा करने की आवश्यकता (879)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए"।

[रेलवे में बिजली पैदा करने के लिए अपने कैपटिव माइन्स रखने की आवश्यकता (880)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए"।

[रेलों में खान-पान की व्यवस्था में सुधार कर अच्छा भोजन देने की आवश्यकता (881)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये"।

[रेलवे भोजनालयों में लिए जाने वाले मूल्यों को कम करने की आवश्यकता (882)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये"।

[दूसरी श्रेणी के यात्रियों को कुछ और सुविधाएं देने की आवश्यकता (883)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये"।

[रेलों से प्रथम श्रेणी का वातानुकूलित श्रेणी को समाप्त करने की आवश्यकता (884)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये"।

[रेलों से सैलून प्रथा को बिलकुल समाप्त करने की आवश्यकता (885)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये"।

[रेल अधिकारियों की शान-शौकत और आराम पर किए जाने वाले खर्च को समाप्त करने की आवश्यकता (886)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत माँग को कम करके 1 रुपया किया जाये"।

[रेलवे के अनुसचिवीय कर्मचारियों की भर्ती पर लगी रोक को समाप्त करने में विफलता (887)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए"।

[रेल अधिकारियों की मनचाही भर्ती और कर्मचारियों की भर्ती पर रोक (888)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए"।

[भारतीय रेलों से ठेका पद्धति समाप्त करने में असफलता (907)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए"।

[रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों को भी बोनस देने की आवश्यकता (908)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए"।

[रेलों में दिनोंदिन बढ़ती हुई दुर्घटनाओं को रोकने में असफलता (909)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए"।

[रेल दुर्घटनाओं में मरने वाले व्यक्तियों के परिवार के लोगों को हवाई जहाज की दुर्घटनाओं की तरह एक लाख रुपए मुआवजा देने की असफलता (910)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें"।

[छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने में तत्परता का अभाव (911)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्ग मांग में 100 रुपए कम किए जायें"।

[गाड़ियों में चोरियों और डाके की बढ़ती हुई घटनाओं को रोकने में असफलता (912)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें"।

[पूर्व रेलवे की पटना-गया रेल लाइन को दोहरा बनाने में असफलता (913)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें"।

[बिहटा से बरास्ते बिक्रम, पालीगंज, कुर्था, अखल, होते हुए बारून तक नयी रेल लाइन बिछाने की आवश्यकता (914)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें"।

[राजगीर से गया तक एक नई रेल लाइन बिछाने की आवश्यकता (915)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें"।

[पटना से हावड़ा तक एक तेज रेल गाड़ी चलने की आवश्यकता (916)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं"।

[क्षेत्रीय मुख्यालयों, मण्डलीय मुख्यालयों तथा वर्कशाप अधीनस्थ निरीक्षण कर्मचारियों के लिए पर्याप्त संख्या में विश्रामगृहों का निर्माण करने में असफलता (917)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जाएं"।

[बड़े और महत्वपूर्ण रेल स्टेशनों पर गाड़ी टिकट परीक्षकों के लिये विश्राम करने की व्यवस्था करने में विफलता (918)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें"।

[समान काम के लिए समान वेतन मान लागू करने में असफलता (919)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं"।

[रेलवे हाकरों के सम्बन्ध में शर्मा आयोग की शिफारिशों को लागू करने में असफलता (920)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें"।

[रेलवे में कार्य विश्लेषण और मापदण्ड के आधार पर कर्मचारियों का कार्यभार निश्चित करने में असफलता (921)[

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं"।

रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों को वर्दी तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं सप्लाई करने में असफलता (922)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं"।

[लेखा कर्मचारियों को वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति करने में विफलता (923)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें"।

[भारतीय रेलवे में ऐसे कर्मचारियों को विशेष आर्थिक सहायता देने में असफलता जिनको पदोन्नति अपने वेतनमानों तक रुकी हुई है (924)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं"।

[रेलवे कर्मचारियों को प्रगति रोध से बचाने के लिये रनिंग स्केल देने की आवश्यकता (925)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें"।

[पूर्व रेलवे के दानापुर के लेखा कार्यालय में कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिये और कर्मचारी उपलब्ध कराने में असफलता (926)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग मे 100 रुपये कम किए जायें"।

[रेलवे के लेखा कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए कार्यभार का मापदण्ड निर्धारित करने की आवश्यकता (927)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं"।

[रेलवे में एच० टी० एल० आर० कर्मचारियों को ओवर कोट और बरसातीकोट की सप्लाई करने में असफलता (928)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं"।

[आल इंडिया रेलवे इम्पालाइज कनफेडरेशन को मान्यता प्रदान करने में असफलता (929)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं"।

[आल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोशिएशन को मान्यता प्रदान करने में असफलता (930)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें"।

[आल इंडिया रेलवेज मिनिस्टीरियल स्टाफ एसोशिएशन को मान्यता प्रदान करने में विफलता (931)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें"।

[इंडियन रेलवेज टिकट चैकिंग स्टाफ एसोशिएशन को मान्यता प्रदान करने में असफलता (932)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाए"।

[आल इंडिया स्टेशन मास्टर्स एण्ड असिस्टेंट स्टेशन मास्टर्स एसोशिएशन को मान्यता प्रदान करने में असफलता (933)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें"।

[इंडियन रेलवे लोको मैकेनिकल स्टाफ एसोशियेशन को मान्यता प्रदान करने में असफलता (934)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाए"।

[आल इंडिया कैरेज एण्ड वैगन स्टाफ काउंसिल को मान्यता प्रदान करने में असफलता (935)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें"।

[आल इंडिया शंटिंग केबिन एण्ड ट्रैफिक स्टाफ एसोसिएसन को मान्यता प्रदान करने में असफलता (936)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें"।

[पूर्वोतर रेलवे बड़ी लाइन निर्माण मजदूर यूनियन को मान्यता देन में असफलता (937)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जाये"।

[ईस्टर्न रेलवे इंजीनियरी कामगार यूनियन को मान्यता देने में असफलता (938)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं"।

[अखिल भारतीय रेलवे सुरक्षा बल एसोसिएशन को मान्यता देने में असफलता (939)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं"।

[आल इंडिया सिगनल एण्ड टेली-कम्युनिकेशन स्टाफ एसोसिएशन को मान्यता प्रदान करने में असफलता (940)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं"।

[शयन स्थानों के आरक्षण में कदाचार समाप्त करने में असफलता (941)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं"।

[दिल्ली के दोनों रेल स्टेशनों पर शयन स्थानों के आरक्षण में कदाचार (942)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं"।

[दक्षिण पूर्व रेलवे कम खड़गपुर मंडल के अन्तर्गत भोगपुर और पन्सकुरा के बीच एक रेल स्टेशन बनाने की आवश्यकता (943)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं"।

[गैंगमैनों की स्थिति में सुधार लाने में असफलता (944)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जाएं"।

[गैंगमैनों की न्यायोचित मांगों को स्वीकार करने में असफलता (945)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें"।

[गैंगमैनों की वर्दी देने में असफलता (946)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें"।

[सभी गैंगमैनों को सी०पी०सी० स्केल देने में असफलता (947)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें"।

[फतुहा-इस्लामपुर लाईट रेलवे को सरकारी कब्जे में लेकर बड़ी लाइन में बदलने की आवश्यकता (948)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें"।

[फतुहा-इस्लामपुर लाईट रेलवे के ठेका को समाप्त कर 12 लाख सालाना मालिकों को देना बन्द करने में असफलता (949)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें" ।

[फतुहा-स्लामपुर लाईट रेल के करीब दो सौ मजदूरों को भारतीय रेल में समाहित करने की आवश्यकता (950)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें" ।

[आरिक्षित डिब्बों में अनधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश रोकने में असफलता (951)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें" ।

[सभी रेल गाड़ियों को खुलने और गनतव्य स्थान तक जाने में दर्जनों स्थानों पर बिना ठहराव के ठहरना (952)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाए" ।

[रेलवे सुरक्षा बल के सम्बन्ध में डा० रामसुभग सिंह की अध्यक्षता में गठित उच्च शक्ति प्राप्त समिति की सिफारिशों को लागू करने में असफलता (953)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाए" ।

[रेलवे को औद्योगिक प्रतिष्ठान के रूप में चलाने में असफलता (954)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाए" ।

[रेलवे बोर्ड के भारी भरकम प्रशासन को ठीक करने में असफलता (955)]

"कि कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जाए" ।

[पूर्व रेलवे के दानापुर कालोनी में मच्छरों के प्रकोप को दूर करने में असफलता (956)]

"कि कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाए" ।

[पूर्व रेलवे के दानापुर रेलवे कालोनी में पेय जल की कमी को दूर करने में असफलता (957)]

"कि कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जाए" ।

[रेल कर्मचारियों के बच्चों के शिक्षण शुल्क के भुगतान में होने वाले विलम्ब को समाप्त करने में असफलता (958)]

"कि कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जाएं"।

[सभी रेल कालोनियों में खेलकूद की व्यवस्था करने में असफलता (959)]

"कि कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाए"।

[रेलवे स्कूलों के शिक्षकों की कठिनाइयों को दूर करने में असफलता (960)]

"कि कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं"।

[रेलवे स्कूलों की संख्या बढ़ाने की असफलता (961)]

"कि कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं"।

[रेलवे कर्मचारियों के लिए बरौनी में केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करने की आवश्यकता (962)]

"कि कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं"।

[दानापुर (खगौल) स्थित रेलवे हाई स्कूल को कालेज में परिवर्तित करने की आवश्यकता (963)]

"कि कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं"।

[रेल कर्मचारियों के लिए विश्रामगृहों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता (964)]

"कि कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं"।

[रेल कर्मचारियों के लिए अच्छे जलपान गृहों की व्यवस्था करने की आवश्यकता (965)]

"कि कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें"।

[पूर्व रेलवे के दानापुर डिवीजनल मुख्यालय में उन लोगों के लिए ठहरने की असन्तोषजनक व्यवस्था जो अपनी पेंशन लेने आते हैं (966)]

"कि कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें"।

[सभी रेल अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति करने में असफलता (967)]

"कि कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें"।

[सभी रेल अस्पतालों में महिला चिकित्सकों की नियुक्ति करने में असफलता (968)]

"कि कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें"।

[पूर्व रेलवे के दानापुर रेल कालोनी में सफाई की असन्तोषजनक स्थिति (969)]

"कि कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाए"।

[पूर्व रेलवे के पटना जंकशन के निकट रेलवे कालोनी में पेय जल की कमी को दूर करने की आवश्यकता (970)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये"।

[आवश्यकताओं के अनुसार रेलवे लाइनों में वृद्धि करने में असफलता (1005)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये"।

[पिछड़े राज्यों में रेलों के विस्तार की ओर उचित ध्यान न देना (1007)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये"।

[रेलवे बोर्ड को सार्वजनिक सेवा का माध्यम बनाने में असफलता (1008)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये"।

[रेलवे बोर्ड पर नौकरशाही नियंत्रण को समाप्त करने में असफलता (1009)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये"।

[रेलवे में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों एवं विश्व बैंक की घुसपैठ को रोकने के बजाय उन्हें रेल के अर्थतंत्र में प्रवेश करने का निमंत्रण (1010)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये"।

[रेल कर्मचारियों को उत्पादकता के आधार पर बोनस देने की शर्त समाप्त करने की आवश्यकता (1011)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1रुपया किया जाये"।

[सन 1974 की रेल हड़ताल के दौरान पेश की गई छः सूत्री मांगों को स्वीकार करने में असफलता (1012)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये"।

[समय-समय पर सभी रेल कर्मचारी संगठनों के साथ परामर्श कर मजदूरों की समस्याओं को सुलझाने की आवश्यकता (1013)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तगत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये"।

[एवजी प्रणाली को समाप्त कर एवजी कर्मचारियों को स्थायी घोषित करने में असफलता (1014)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये"।

[रेल कर्मचारियों को 1 दिसम्बर, 1980 से बकाया महंगाई के किस्त का भुगतान करने में असफलता (1015)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये"।

[रेल माल डिब्बों के आबंटन में मनमानापन, अनियमितताएं एवं भ्रष्टाचार रोकने में असफलता (1016)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें"।

[रेल कर्मचारियों को आवश्यकता के आधार पर आधारित वेतन देने में असफलता (101)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें"।

[रेलवे कर्मचारियों को सरकारी कारखानों वाला वेतनमान देने में विफलता (1020)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें"।

[जमालपुर रेलवे फैक्टरी का विस्तार कर रोजगार बढ़ाने की आवश्यकता (1021)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें"।

[पटना में एक रेल कारखाना लगाने की आवश्यकता (1022)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें"।

[पटना रेलवे जंक्शन का विस्तार करने की आवश्यकता (1023)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें"।

[पटना से रांची और रांची से पटना तक दिन में तेज रेल गाड़ियां चलाने की आवश्यकता (1024)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें"।

[तिनसुकिया मेल में पटना में यात्रियों के लिए शायिकाओं के आरक्षण की आवश्यकता (1025)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं"।

[डीलक्स गाड़ी को सप्ताह में कम से कम तीन दिन बराबर चलाने की आवश्यकता (1026)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें"।

[जयन्ती जनता गाड़ी को मुजफ्फरपुर से दिल्ली तक रोजाना चलाने की आवश्यकता (1027)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें"।

[रेलवे में भोजन की खराब व्यवस्था को सुधारने में असफलता (1028)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें"।

[केरल में एक रेल डिब्बों के कारखाना लगाने की आवश्यकता (1029)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें"।

[गैंगमैनों की सेवाएं स्थायी करने में असफलता (1030)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं"।

[सभी गैंगमैनों को सी०पी०सी० स्केल प्रदान करने में असफलता (1031)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें"।

[गैंगमैनों को दबाने और परेशान करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की आवश्यकता (1032)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं"।

[पुरानी वाष्प इंजनों को बदल कर नये इंजन चलाने में असफलता (1033)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें"।

[इंजनों की मरम्मत के लिए बोल्ट, नट आदि आवश्यक सामान मोहैय्या करने में असफलता (1034)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें"।

[रेलवे को खराब कोयले की सप्लाई बन्द करने में असफलता (1035)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें"।

[रेलवे में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं चोरी को रोकने में असफलता (1036)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं"।

[बड़े उद्योगपतियों को रेल माल डिब्बों को नियम से अधिक दिनों तक रोकने और उन्हें गोदामों के रूप में इस्तेमाल करने से मना करने में असफलता (1037)[

"कि कर्मचारी कल्याण और सुविधायें शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें"।

[रेलवे अस्पतालों में आवश्यक दवाएं सप्लाई करने में असफलता (1038)]

"कि कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें"।

[पूर्व रेलवे के दानापुर रेलवे अस्पताल में डाक्टरों और आवश्य दवाओं का अभाव (1039)]

"कि कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें"।

[सभी रेल कर्मचारियों के क्वार्टरों में पंखे लगाने में असफलता (1040)]

"कि कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें"।

[रेल कर्मचारियों को आवास की पर्याप्त सुविधाएं देने में असफलता (1041)]

"कि कर्मचारी कल्याण और सुविधायें शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें"।

[रेल कर्मचारियों के आवासों में और अधिक सुविधाएं देने में असफलता (1042)]

"कि कर्मचारी कल्याण और सुविधायें शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें"।

[रेलवे बोर्ड और भारतीय तथा विदेशी इजारेदारों का सहयोग समाप्त करने में असफलता (1084)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं"।

[दैनिक यात्रियों की कठिनाइयों को दूर करने में असफलता (1168)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं"।

[मोगलसराय में अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा रेल क्वार्टरों पर कब्जा को खाली कराने में असफलता (1169)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें"।

[गाड़ी नियंत्रकों के ज्ञापन पर विचार कर उनकी मांगों को स्वीकार करने में विफलता (1170)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें"।

[गाड़ी नियंत्रकों के पदों के अपग्रेडिंग करने में विफलता (1171)]

"कि रेल बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें"।

[पूर्वोत्तर रेलवे के सोनपुर मंडल में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणियों के रिक्त स्थानों को भरने में असफलता (1172)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें"।

[पूर्वोत्तर रेलवे के सोनपुर मंडल में रेलवे बोर्ड के 21-10-80 के आदेश के बावजूद 500 दिनों से अधिक दिनों तक काम करने वाले आकस्मिक मजदूरों को नियमित बनाने में असफलता (1173)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम कर दिए जायें"।

[पूर्व रेलवे के दानापुर मंडल में लोकल ट्रेनों के विलम्ब से चलने के कारण सरकारी कर्मचारियों के अपने कार्यालयों में विलम्ब से पहुंचना (1174)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम कर दिए जायें"।

[पूर्व रेलवे के 399 अप-पटना मोगल सराय पैसेंजर को पटना जंक्शन से समय पर नहीं खुलना (1175)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम कर दिए जायें"।

[ग्रेड बढ़ाने की सामान्य योजना के अन्तर्गत तृतीय श्रेणी के 10 संवर्ग बाह्य पदों के द्वितीय श्रेणी के पद बनाने और रेलवे बोर्ड के स्टेगनेटेड कर्मचारियों को पदोन्नति ऐसे पदों पर करने में असफलता (1176)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम कर दिए जायें"।

[22 वर्षों से भी अधिक समय से सहायक के पद पर कार्यरत व्यक्तियों के लिए पदोन्नति के मार्ग खोलने में असफलता (1177)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम कर दिए जायें"।

[दक्षिण मध्य रेलवे के रेलवे डिग्री कालेज में लेक्चरारों की भर्ती के समय आरक्षण नीति के पालन में असफलता (1178)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम कर दिए जायें"।

[चार्जमैनों, सहायक फोरमैनों, फोरमैनों, गार्डों, ड्राइवरों, पुल निरीक्षक ग्रेड-I और ग्रेड-II, यातायात निरीक्षकों और सिग्नल निरीक्षकों की श्रेणियों में पदोन्नति करते समय अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नियमों का पालन करने में असफलता (1179)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम कर दिए जायें"।

[पूर्व रेलवे के पटना जंक्शन के पूर्व और पश्चिम भाग में राजेन्द्रनगर और मिठापुर में खपरी पुल बनाने में असफलता (1180)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम कर दिए जायें"।

[पूर्व रेलवे के रानीपुर खिरकी, सुल्जारबाग स्टेशन के पूर्व लेवल क्रासिंग का निर्माण करने में असफलता (1181)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम कर दिए जायें"।

[डिलक्स एक्सप्रेस, जयन्ती जनता एक्सप्रेस, विक्रम शिला एक्सप्रेस, निलाचल एक्सप्रेस तिनसुखिया मेल, कालका मेल, दिल्ली हावड़ा एक्सप्रेस, बूफान एक्सप्रेस और आसाम मेल को समय पर चलाने में असफलता (1227)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम कर दिये जाएं"।

[तकरीबन सभी गाड़ियों का घंटों विलम्ब से चलना (1228)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम कर दिए जायें"।

[प्रथम श्रेणी प्रतीक्षालयों में अप्राधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को रोकने में असफलता (1229)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम कर दिए जायें"।

[पूर्व रेलवे के बांकाघाट, नौरा, सदिसोपुर, फूलवारी शरीफ स्टेशनों के दोनों किनारों के प्लेटफार्मों को ऊंचा उठाने तथा शेड़ों का निर्माण करने में असफलता (1230)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[रेल वैगनों के आवंटन में अनियमितताओं को दूर करने में असफलता (1247)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम कर दिए जाएं"।

[पूंजीपतियों द्वारा रेल वैगनों को लम्बी अवधि तक गोदाम के रूप में प्रयोग करने के दस्तूर पर रोक लगाने में असफलता (1248)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं"।

[1973 के समझौते को लागू करने की मांग करने वाले सैकड़ों लोको रनिंग कर्मचारियों को बर्खास्त करना (1249)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं"।

[यात्रियों को पानी, रोशनी, पंखा, सफाई जैसी सुविधाएं देने में असफलता (1250)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं"।

[आल इन्डिया गार्ड कौंसिल को मान्यता देने में विफलता (1251)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं"।

[1973 के समझौते को लागू करवाने के लिए आन्दोलन करने वाले सैकड़ों लोको रनिंग कर्मचारियों को जबरन सेवा निवृत करने, नियम 14(11) के अन्तर्गत सेवाओं से हटाने और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में गिरफ्तार करने सम्बन्धी मामलों को रद्द करने की आवश्यकता (1252)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जाएं"।

[काम के घंटों को कम करने सम्बन्धी लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन से हुए समझौते को लागू करने में असफलता (1253)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जाएं"।

[रेलवे कर्मचारियों को यात्रा भत्ता तथा समयोपरि-भत्ता का समय पर भुगतान करने में असफलता (1254)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें"।

[पूर्व रेलवे के पटना-गया-लाइन पर परसा बाजार, पोठियां, नदवां, नदौल स्टेशनों पर प्लेट फार्मों को ऊंचा करने और शडों का विस्तार करने में विफलता (1255)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम कर दिए जायें"।

[पूर्व रेलवे के पटना साहिबजंक्शन के निकट बेगमपुर महल्ला के सामने वाले पुल को आवागमन की सुविधा के लिए ऊंचा उठाने की आवश्यकता (1256)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम कर दिए जायें"।

[स्टेशन मास्टरों को सुरक्षा प्रदान करने में विफलता 1257)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम कर दिए जायें"।

[आल इन्डिया स्टेशन मास्टर्स एण्ड असिस्टंट स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन की 14 सूत्री मांगों को स्वीकार करने की आवश्यकता (1258)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम कर दिए जायें"।

[आल इन्डिया रेलवेज मिनिस्टीरियल स्टाफ एसोसिएशन की 8 सूत्री मांगों को स्वीकार करने में विफलता (1259)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम कर दिए जायें"।

[आल इन्डिया शंटिंग केबिन एण्ड ट्राफिक स्टाफ एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत 26 सूत्री मांगों को स्वीकार करने में असफलता (1260)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम कर दिए जायें"।

[आल इन्डिया कैरेज एन्ड वैगन स्टाफ कौंसिल की छब्बीस सूत्री मांगों को पूरा करने में असफलता (1261)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम कर दिए जायें"।

[हजारी बाग रास्ते रांची से गया तक नई रेलवे लाइन बिछाने की आवश्यकता (1262)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम कर दिए जायें"।

[पटना रेलवे जंक्शन स्टेशन का विस्तार करने की आवश्यकता (1263)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम कर दिए जाएं"।

[उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की आवश्यकता जो गेंगमैनों को दबाते है (1264)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम कर दिए जायें"।

[पूर्वोत्तर रेलवे के निकट चेकिंग स्टाफ एसोसिएशन की ग्यारह सूत्री मांगों को स्वीकार करने में विफलता (1265)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम कर दिये जायें"।

[अवकाश प्राप्त रेलवे कर्मचारियों को समय पर पेंशन की राशि देने में विफलता (1266)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम कर दिये जायें"।

[रेलवे के मृत पेंशन भोगियों की पत्नियों तथा आश्रितों को पेंशन की पूरी राशि देने की आवश्यकता (1267)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम कर दिये जायें"।

[रेलवे के पेंशनभोगियों के पेंशनों की राशि में अन्तर को समाप्त कर समान राशि देने की आवश्यकता (1268)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम कर दिये जायें"।

[अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षित पदों को भरने में असफलता (1.69)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम कर दिये जायें"।

[अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित पद नहीं भरे जाने पर कैरी ओवर करने की आवश्यकता (1270)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम कर दिए जायें"।

[पटना में एक रेल कारखाना स्थापित करने की आवश्यकता (1271)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम कर दिये जायें"।

[रेलवे के रिक्त पदों को भरे जाने में असफलता (1272)]

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये"।

[गुरुवायूर-कुट्टीपुरम लाइन, नीलाम्बुर-छलियम लाइन और तेलीचेरी-मैसूर लाइन (दक्षिण रेलवे) के शीघ्र सर्वेक्षण में असफलता (1128)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये"।

[शोरानूर-मंगलौर लाइन पर अधिक भीड़ भाड़ रोकने के लिए दोहरी लाइन बनाने में असफलता (1129)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये"।

[केरल में रेल लाइनें बिछाने के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था करने में असफलता (1130)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये"।

[सभी आवश्यक वस्तुओं को बढ़ाये हुए किरायों से छूट देने में असफलता (1131)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये"।

[केरल में कम से कम एक रेल कर्मशाला स्थापित करने में असफलता (1132)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये"।

[रेल किरायों और माल भाड़े (वातानुकूलित प्रथम श्रेणी को छोड़कर) में अविवेकपूर्ण असाधारण वृद्धि और उसे वापस लेने की आवश्यकता (1133)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये"।

[तिरूर (शोरानूर सैक्शन, दक्षिण रेलवे) में पान के पत्ते के व्यापारियों को बैंगनों की सप्लाई में असफलता जिससे इस पिछड़े जिले में पान पत्ता व्यापार पर कुठाराघात हुआ है (1134)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्ग मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये"।

शोरानूर--मंगलौर सेक्शन (दक्षिण रेलवे) पर शार्मण यात्री गाड़ियां रद्द किया जाना जिससे यात्रियों को बहुत बड़ी कठिनाई हो रही है (1135)।

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें"।

[शोरानूर दक्षिण रेलवे के शोरानूर-मंगलौर सैक्शन पर अधिक गाड़ियां चलाने की आवश्यकता (1136)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जाएं"।

[69/70 यरकुद एक्सप्रेस (दक्षिण रेलवे) को कालीकट तक बढ़ाने की आवश्यकता (1137)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाए"।

[तिरूप स्टेशन (शोरानूर सैक्शन, दक्षिण रेलवे) पर कर्मचारियों के लिए पर्याप्त संख्या में क्वार्टर बनाने की आवश्यकता (1138)]

"कि सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें"।

[दक्षिण रेलवे के शोरानूर-मंगलौर सैक्सन पर यात्रियों को और अधिक तथा पर्याप्त सुविधाएं देने की आवश्यकता (1139)]

"कि सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें"।

[वल्लीकुन्नू हाल्ट स्टेशन (शोरानूर सैक्शन, दक्षिण रेलवे) को ब्लाक स्टेशन में बदलने की आवश्यकता (1140)]

"कि सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें"।

[47/48 त्रिवेन्द्रम, कनानोर एक्सप्रेस को काडालुन्डी पर रोकने की आवश्यकता (1141)]

"कि सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें"।

[तिरूर (शोरानूर सैक्शन, दक्षिण रेलवे) पर रेलवे फाटक की आवश्यकता (1142)]

"कि सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें"।

[तिरूर स्टेशन के शीघ्र नवीकरण की आवश्यकता (1143)]

"कि सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें"।

[59/60 यात्री गाड़ी और 47/48 एक्सप्रेस गाड़ी (दक्षिण रेलवे) में डिब्बों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता (1144)]

"कि सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें"।

[कडालुन्डी (शोरानूर सैक्शन, दक्षिण रेलवे) पर रेलवे फाटक बनाने की आवश्यकता (1145)]

"कि सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं"।

[कलालुन्डी स्टेशन तक पहुंच सड़क की मरम्मत की आवश्यकता (1146)]

"कि सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं"।

[गाड़ी संख्या 60 (दक्षिण रेलवे) को कालीकट तथा अन्य स्टेशनों पर प्रायः देर तक रोके रखने, जिससे यात्रियों को बहुत कठिनाई होती है (1147)]

"कि सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें"।

[शोरानूर-मंगलौर सेक्शन (दक्षिण रेलवे) पर खानपान की सेवाओं में सुधार की आवश्यकता (1148)]

श्री एम० एम० लारेंस (इडुकी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए"।

[रेल दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या को रोकने में असफलता (769)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए"।

[रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षात्मक उपाय करने में असफलता (770)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए"।

[रेल कर्मचारियों को आस्थगित मजदूरी के रूप में 8.33 प्रतिशत बोनस देने में असफलता (771)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए"।

[केरल में रेल-लाइनों का विद्युतीकरण करने में असफलता (772)]

"कि विविध व्यय (सामान्य) शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें"।

[टाउन स्टेशन और एर्नाकुलम जंक्शन के बीच एक नया स्टेशन बनाने की आवश्यकता (773)]

"कि विविध व्यय (सामान्य) शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें"।

[एर्नाकुलम, विक्लिन और त्रिवेन्द्रम सेंट्रल स्टेशनों पर स्नान करने की पर्याप्त व्यवस्था करने की आवश्यकता (774)]

"कि विविध व्यय (सामान्य) शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें"।

[एर्नाकुलम, विक्लिन तथा त्रिचूर जंक्शनों पर पीने के पानी की और अधिक व्यवस्था करने की आवश्यकता (775)]

"कि विविध व्यय (सामान्य) शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें"।

[एर्नाकुलम जंक्शन पर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था करने की आवश्यकता (776)]

"कि विविध व्यय (सामान्य) शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें"।

[केरल में इडुक्की जिले के रास्ते कोचीन-बोदीनायकनूर (तमिलनाडु) तक एक नई रेल लाइन बिछाने के लिए सर्वेक्षण करने की आवश्यकता (777)]

"कि विविध व्यय (सामान्य) शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें"।

[त्रिवलिन-मदुराई-मद्रास लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की आवश्यकता (778)]

"कि विविध व्यय (सामान्य) शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें"।

[कोचीन और कोयम्बतूर के बीच दोहरी लाइन बिछाने की आवश्यकता (779)]

"कि सामान्य अधीक्षण और सेवायें शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये"।

[रनिंग स्टाफ के काम के घंटे को घटाकर 10 घंटा करने, जैसा कि 1973 में सरकार ने स्वीकार किया था, में असफलता (780)]

"कि कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाये"।

[केरल में रेल कर्मचारियों के लिए पर्याप्त संख्या में क्वार्टरों का निर्माण करने में असफलता (782)]

"कि परिसम्पत्तियां-अधिग्रहण निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें"।

[एर्नाकुलम से बैलिंगटन आईलैंड तक, वर्तमान पुल के स्थान पर, जिसकी गारन्टी अवधि समाप्त हो गई है, एक नया रेल-सड़क पुल बनाने की आवश्यकता (783)]

"कि परिसम्पत्तियां-अधिग्रहण निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें"।

[एर्नाकुलम जंक्शन के प्लेटफार्म संख्या 1 और 2 पर पर्याप्त छत डालने की आवश्यकता (784)]

"कि परिसम्पत्तियां-अधिग्रहण निर्माण और बदलाव शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जाएं"।

[केरल में चौकीदार वाले सभी फाटकों पर उपरिपुल बनाने की आवश्यकता (785)]

"कि परिसम्पत्तियां-अधिग्रहण निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं"।

[एर्नाकुलम ट्रांसपोर्ट बस स्टेशन, एलामकुलम, पचलाम, वडूटल तथा एडापल्ली में उपरिपुलों का निर्माण करने की आवश्यकता (786)]

"कि परिसम्पत्तियां-अधिग्रहण निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं"।

[नेतूर, कुणलम रेल पुल (अल्लेपी) जिसका इस समय निर्माण कार्य चल रहा है, एक पैदल पारपथ बनाने की आवश्यकता (787)]

"कि परिसम्पत्तियां-अधिग्रहण निर्माण और बदलाव शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाए"।

[केरल में एक कोच बिल्डिंग सेंटर स्थापित करने की आवश्यकता (788)]

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : उपाध्यक्ष महोदय, रेलवे भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक उपक्रम है, जिसमें 17 लाख कर्मचारी काम करते हैं और जिसको 15 करोड़ रुपये की आय प्रति-दिन होती है। जितना विकास देश का होना चाहिए, उसको दृष्टि में रखते हुए इस उपक्रम की प्रगति संतोषजनक नहीं है। मंत्री महोदय ने निर्माण के लिए 510 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, लेकिन देश के क्षेत्रफल और पिछड़े हुए विशाल क्षेत्र को देखते हुए यह रकम बहुत ही कम है और उससे पिछड़े हुए क्षेत्रों का विकास संभव नहीं है।

अंग्रेजों के समय में देश में जितनी बड़ी लाइनों और जितने निर्माण-कार्य हुए, उनकी तुलना में आजादी के 33 वर्षों का कार्यक्रम नगण्य है। उस समय जो भी बिल्डिंगें बनीं और निर्माण-कार्य हुए, वे आज भी ज्यों के त्यों हैं। लेकिन बाद में जो भी भवन आदि बनाये गए, उनमें क्रैक होने लगते हैं और लाइनें उखड़ने लगती हैं। इसमें हमारे कर्मचारियों और नेताओं सब का दोष है। इस बारे में भी चुस्ती लाने की आवश्यकता है।

जहां तक रेलवे के मुख्यालय का प्रश्न है, वह भी देश के विकास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार इतना बड़ा राज्य है, लेकिन कोई भी रेलवे का मुख्यालय वहां नहीं है। जैसी कि बिहार के अन्य माननीय सदस्यों ने भी मांग की है, पूर्वी रेलवे का मुख्यालय बिहार में ग्रांड कार्ड लाइन पर होना चाहिये, ताकि बिहार का विकास तेज रफतार से हो सके। बिहार

में कोयला, लोहा, सोना आदि मिनरल्ज का अकूत खोजाना होते हुए भी भारत के नक्शे में इसका बीसवां स्थान है। यहां के लोगों का स्थान गरीबी की रेखा के सब से नीचे है। कोयला, माइका और बिजली आदि वहां से सारे देश को जाते हैं, सब चीजें देश के विकास के लिए भेजी जाती है, लेकिन यह बहुत आवश्यक है कि वहां के लोगों का भी विकास किया जाये।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे पिछड़े क्षेत्र में रेलवे लाइनों की भयंकर कमी है और बराबर उसकी उपेक्षा होती रही है। इसलिए उन्हें इस बारे में उस क्षेत्र को प्राथमिकता देनी चाहिए। श्री यादव ने कहा है कि बिहार के पांच रेल मंत्री हो चुके हैं। लेकिन फिर भी बिहार की हालत वैसी ही पतली है। (व्यवधान) पांडे जी में कुछ अच्छी भावना है और इनके समय में कुछ प्रगति होने की आशा है।

इसी के साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जो रेलवे जंक्शन हैं उनमें हजारों एकड़ जमीन बेकार पड़ी है। मैंने पहले भी सुझाव दिया था कि देश में जो बहुत सारे शिक्षित बेरोजगार हैं उनको काम देने के लिए उन जमीनों पर विभागीय मर्केंट कांप्लेक्स बनाए जायें जिन पर उनको लगाया जाए। इस सम्बन्ध में आप विशेष नियोजन करें तो बहुत बड़ा काम हो सकता है।

अगले वर्ष के रेल बजट में 5807 करोड़ से भी ज्यादा एक वर्ष में खर्च करने की बात है। डेवलपमेन्ट के लिए 510 करोड़ रखा गया है लेकिन और जो बहुत बड़ी-बड़ी रकमें हैं वह रख-रखाव और अनुरक्षण में खर्च कर दी जाती हैं इसमें भी बहुत सारी गड़बड़ियां होती हैं। भ्रष्टाचार के चलते यह पैसा पानी की तरह खत्म हो जाता है। अगर इन्वेन्टरी स्टोर को देखा जाये तो प्रति वर्ष के आंकड़ों के अनुसार अरबो रुपये का सामान मंगाया जाता है, तीन वर्ष में वह सामान सड़ जाता है और फिर स्क्रैप में बाहर बेच दिया जाता है। आप पूरी जानकारी प्राप्त करें तो हर वर्ष अरबों रुपया इन्वेन्टरी पर खर्च किया जाता है और फिर स्क्रैप में उसको बेच दिया जाता है। इसी रुपए को निर्माण-कार्यों पर लगाया जा सकता है लेकिन इसको देखने वाला कोई नहीं है। दूसरे बड़े बड़े वेस्टेड इन्ट्रेस्ट्स हैं, बिजनेसमैन हैं जोकि बड़े बड़े अफसरों से लगाव रखते हैं, वे दो नम्बर में उस सामान को बेचते रहते हैं। अगर रेलवे अधिकारियों की जांच-पड़ताल की जाए तो पता लगेगा कि वे भ्रष्टाचार से करोड़ों रुपए की सम्पत्ति बना चुके हैं। यदि आप बिजलेन्स के द्वारा जांच करावें तो करोड़ों रुपए की सम्पत्ति निकलेगी। इस प्रकार से आज रेलवे की सम्पत्ति को लूटा जा रहा है। इस ओर मंत्री जी को विशेष ध्यान देना चाहिए।

अब मैं मंत्री जी का विशेष ध्यान पिछड़े क्षेत्रों की ओर दिलाना चाहूंगा। छोटानागपुर क्षेत्र की वर्षों से मांग रही है कि गिरिडीह से कोडरमा, कोरडमा से हजारीबाग और हजारीबाग से रांची तक एक बड़ी लाइन बिछाई जाए। अक्तूबर, 1977 में आर्डर हो चुके हैं तथा इस सम्बन्ध में अभियांत्रिक, इंजीनियरिंग एवं यातायात मूल्यांकन भी हो चुका है। 19 फरवरी को इस सदन में मंत्री जी ने जवाब दिया था कि इसकी सर्वे रिपोर्ट मिल चुकी है तथा विचार

किया जा रहा है । 11-12-80 को मंत्री जी ने इस सदन में श्री बी. एन. सिंह के सप्लीमेन्टरी क्वेश्चन के उत्तर में बताया था कि छठी योजना में इसको शामिल किया जा रहा है । लेकिन अब आप यदि बजट भाषण पढ़ें तो उसमें ऐसा लिखते हैं कि गिरिडीह से हजारीबाग रोड, हजारीबाग रोड से हजारी बाग और रांची — यह वैकल्पिक लाइन है । परन्तु रेल उपमंत्री ने 30 सितम्बर, 1980 को एक पत्र लिखकर बताया था कि इसका पहले से सर्वेक्षण हो चुका है, हजारीबाग रोड और हजारीबाग टाउन -- 1974-75 में इसका सर्वे हुआ था और उस समय 21 करोड़ के खर्चे का अनुमान लगाया गया था । उसका व्यय कम नहीं है इसलिए उस पर विचार नहीं किया जा सकता, उसके विकल्प पर विचार कर रहे हैं जो गिरिडीह से कोडरमा, कोडरमा से रांची, हजारीबाग टाउन होकर के यह लाइन मंजूर होगी । बिहार सरकार के दो मुख्य मंत्रियों-श्री कर्पूरी ठाकुर और श्री जगन्नाथ मिश्र — ने अपनी स्वीकृति भी भेज दी थी कि इसको बनाया जाए । इसमें 30 नए स्टेशन्स बनेंगे, वहां पर नए-नए बाजार बनेंगे जिससे कि सैकड़ों हजारों लोगों को रोजी-रोटी मिलेगी । साथ ही राजमाल प्रोजेक्ट, बलरामपुर प्रोजेक्ट और रामगढ़ प्रोजेक्ट- यह तीनों ही कोयला क्षेत्र से जुड़ते हैं । अभी योजना आयोग ने एक माइका का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मंजूर कर दिया है जिससे कोडरमा में 1200 मी० टन माइका पेपर बनेगा ।

श्री केदार पांडे : रांची टाउन से हजारीबाग टाउन हुआ है, हजारीबाग रोड को हम लोगों ने छोड़ दिया है, क्योंकि उससे रम्यूनरेटिव हो जाता है । इसलिए रांची टाउन से हजारी बाग से कोडरमा औपर कोडरमा से गिरीडीह-यही ठीक है । हमने हजारीबाग रोड को छोड़ दिया है ।

श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा : मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद । गिरिडीह जिला भी इन्होंने बनाया है, यह भी श्रेय इन्हीं को मिलने वाला है और मैं तो यही चाहता था । विगत भाषण में मंत्री जी ने कहा था कि छोटानागपुर लाइन बनाई जा रही है, लेकिन स्पष्ट घोषणा नहीं की थी । अब स्पष्ट हो गया है, इसलिए मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद··· (व्यवधान) ·· ।

दूसरी बात जिस की तरफ मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं — वह यह है कि झुमरी-तलैया का नाम रेडियो और सभी जगहों पर बोला जाता है जो कि ब्राडगेज लाइन पर स्थिति है, लेकिन उसके स्टेशन का नाम कोडरमा रख दिया गया है । लोग झुमरीतलैया को ढूंढ़ते हैं — इससे बड़ा कन्फ्यूजन होता है । मैं चाहता हूं कि जब इसी शहर से लाइन पास होती है तो उसका नाम झुमरीतलैया रख दीजिए । मैंने त्रिपाठी जी से भी इस सम्बन्ध में निवेदन किया था तथा उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि वे ऐसा करवा देंगे ।

धनवाद से गया तक लोगों को दिन में सवारी गाड़ियां नहीं मिलती हैं, जिस से बहुत कठिनाइयां होती है । जो भी एक्सप्रेस गाड़ियां उधर से गुजरती हैं वे चौधरी बांध, चिचाकी, परसाबाद, शर्माटाण्ड, चौबे आदि जगहों पर नहीं रुकती हैं जिससे उस क्षेत्र के लोगों को सुविधा हो सके जिनको कचहरी आदि के लिए कोडरमा आना होता है । वहां पर और कोई वैकल्पिक

साधन नहीं हैं। बीच में जंगल हैं और आवागमन के साधन भी बहुत कम हैं। इस परिस्थिति में यदि गंगा-दामोदर एक्सप्रेस को जो उसी क्षेत्र से गुजरती है इन स्टेशनों पर दो-दो मिनट के लिये रोक दी जाय तो बहुत सुविधा हो जएगी। शर्माटाण्ड रोकने से जयनगर प्रखण्ड के लोगों को सुविधा हो सकती है परसावाद रोकते हैं तो मरकच्चो प्रखण्ड की जनता को सुविधा हो सकती है और यदि चौबे रोकते हैं तो बरकट्ठा ब्लाक की जनता को सुविधा हो जाएगी। माल-गाड़ियाँ तो वहां पर चलती ही हैं, लेकिन वहां की जनता की सुविधा के लिये यह व्यवस्था अवश्य की जानी चाहिये। मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी इस दिशा में ध्यान देंगे।

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अपनी बात कहने के लिए आपने जो समय दिया है उसके लिये मैं आपका आभारी हूं।

श्रीमान मैं, अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिये रेल की मांग नहीं करने जा रहा हूं जो शायद वहां संभव नहीं है।

श्री केदार पांडे : आप का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है ?

श्री पी० नामग्याल : लद्दाख, परन्तु श्रीमान यदि आप चाहे तो आप हमारी समस्या का समाधान करने में हमारी मदद कर सकते हो। न केवल लद्दाख के लिये बल्कि सभी पहाड़ी क्षेत्रों या आदिवासी क्षेत्रों तथा अनेक गैर-आदिवासी क्षेत्रों अर्थात मध्य प्रदेश, उड़ीसा या राजस्थान जैसे राज्य का भी आप रेलवे आउट एजेन्सीज को सुदृढ़ बनाकर ये सुविधायें दे सकते हो। ट्रक सेवायें भी आपके अधिकार में हैं। बहुत से स्थानों पर डाक तथा माल और साथ में यात्रियों को भी ले जाने के लिए बसें भी हैं। इसलिए इस संबध में मेरा सुझाव है यदि आप ठीक रेल शीर्ष से लेकर दूर दराज के क्षेत्रों तक रेलवे आउट एजेन्सियों को सुदृढ़ कर सके तो शायद जनसंख्या के बड़े भाग को ये सुविधायें मिल सकती है जो अन्यथा रेलवे का लाभ नहीं उठा सकते।

मेरा निवेदन विशेषकर मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लिए होगा। आपकी श्रीनगर में एक आउट एजेन्सी है। कुछ वर्षो पहले हमने रेल प्राधिकारियों से यह अनुरोध किया था कि इस सुविधा का लद्दाख क्षेत्र में लेह व कारगिल तक विस्तार कर दिया जाये। इस तरह से हमें बहुत लाभ हो सकते हैं। इसके साथ ही हम प्राइवेट परिवहन वालों के अधिक किराया लेने के चक्कर-बाजी से तथा जम्मू व कश्मीर सरकार के उदासीन रुख से बच सकते हैं जो देश के उस क्षेत्र को अतिआवश्यक परिवहन सुविधायें प्रदान करने को तैयार नहीं है। इसलिए मेरा अनुरोध न केवल लद्दाख क्षेत्र के लिए बल्कि देश के अन्य आदिवासी क्षेत्रों के लिए भी आउट एजेन्सियों को सुदृढ़ करने का है।

दूसरी बात जो कुछ मैं उठाना चाहूंगा वह उस बारे में है जो दूसरों द्वारा पहले आम चर्चा के दौरान नहीं उठायी गयी थी। मेरा आशय जालन्धर तथा जम्मूतवी के बीच दोहरी लाइन के निर्माण से है। रेलवे पर मैं अनुभव करता हूं कि रक्षा की दृष्टि से यह एक अति संवेदन शील क्षेत्र है। इसलिए इस मार्ग पर दोहरी लाइन बिछाना आवश्यक है।

मेरा अनुरोध है कि जम्मूतवी और उधमपुर के बीच लाइन निर्माण का कार्य शीघ्र हाथ में लिया जाए। इसको पहले सर्वेक्षण किया जा चुका है। आपने आने वाले वर्षों के लिए कुछ धनराशि आबंटित करने की कृपा की है। इस पर प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाना चाहिए।

मेरी तीसरी बात यह है कि इस समय नई दिल्ली से जम्मू और पठानकोट के बीच में झेलम एक्सप्रैस तथा जम्मू मेल में स्थान न मिलने के कारण लोग बड़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। दिल्ली तथा जम्मू के बीच एक सीजनल होलीडे एक्सप्रैस हुआ करती थी। मैं सुझाव देता हूं कि इस सेवा को केवल छः महीने चलाने के स्थान पर पूरे वर्ष चालू रखना चाहिए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जब गाड़ी चलने वाली होती है तो रेलवे प्लेटफार्म पर खड़े होने का स्थान भी नहीं होता है, गाड़ी में स्थान की तो बात ही क्या है। वहां पर इतनी अधिक भीड़ रहती है। मंत्री जी को इस बात पर प्राथमिकता के आधार पर विचार करना चाहिए।

बिना टिकट यात्रियों को चैक करने के लिए शुरू किये गये अभियान के लिये मैं आप को तथा आपके दल को बधाई देता हूं। इसकी बड़ी जरूरत है। मैं समझता हूं कि आपको इस अभियान को सारे देश में चलाना चाहिए ताकि आप बहुत अच्छे ढंग तथा सरल तरीके से अपने राजस्व के घाटे को पूरा कर सकें।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

मैं पुनः माननीय उपाध्यक्ष जी को मुझे अपनी बात कहने के लिए समय देने के लिए धन्यवाद देता हूं।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, कुछ महीनों पहले, रेल प्रभारी मंत्री जी को बदला गया था। हमें खुशी है कि उन्होंने कुछ कार्यवाही करनी शुरू की है और आशा है कि कुछ नीति सम्बन्धी वक्तव्य दिये जायेंगे। यदि नीति में परिवर्तन नहीं किया जाता है तो मुझे बड़ी आशंका है कि कुछ भी नहीं होगा। मंत्री आ सकते हैं और मंत्री जा सकते हैं। यदि नीतियां सदा एक जैसी ही बनी रहती हैं तो रेलवे हमेशा खतरे में रहेगी। इसलिए मैं अपने रेल मंत्री जी को सुझाव देता हूं कि रेलवे को बचना पड़ेगा। जब तक रेलवे को बचाया नहीं जाता है तब तक राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को दलदल से नहीं निकाला जाता है जिसमें यह फंस चुकी है। रेलवे को बचाने के लिए साहसपूर्ण तथा क्रान्तिकारी उपाय करने होंगे।

रेलवे बड़े समय से संकट में है। एक कारण यह है कि आप गाय का दूध तो निकाल लेते हो परन्तु आप गाय को घास नहीं डालते हो, आप गाय को चारा नहीं डालते हो। स्वाभाविक है कि गाय दूध नहीं देगी। बहुत सी बातें रेल पर निर्भर करती हैं। परन्तु जो धन रेल पर खर्च होता है उसमें धीरे-धीरे कमी की जा रही है। जहां तक मुझे जानकारी है छठी पंचवर्षीय योजना के लिए एक अध्ययन दल नियुक्त किया गया था। तथा अपने पैरों पर खड़े

होने के लिए उन्होंने रेलवे के पुनर्वास के लिए 1200 करोड़ रुपये की सिफारिश की थी। परन्तु अब चूंकि हमारे पास धन की कमी है इसलिए हमने केवल 500 करोड़ रुपए मंजूर किए है। इससे काम नहीं बनेगा। आप केवल इतना धन व्यय कर सकते हैं परन्तु आपको उसके वांछित परिणाम नहीं मिलेंगे। इसलिए मैं सुझाव देता हूं कि रेल का पुनर्वास करने के लिए धन की व्यवस्था करनी ही होगी। अन्यथा रेलवे कभी भी समृद्ध नहीं हो सकती है चाहे आपकी कितनी सद्भावनायें क्यों न हो। कुछ गाड़ियाँ इधर-उधर आ सकती है। परन्तु अनर्थ फिर भी होगा।

अभी तक रेलें लाभ कमाने में विफल क्यों रही हैं? जब कभी भी हम इस बारे में बोलते हैं हमें सदा यही बताया जाता है कि रेलों का बहु राष्ट्रीय एवं भारत के बड़े उद्योग गृहों की सेवादासियों के रूप में उपयोग किया जा रहा है। कृपया रेलों को सेवादासियों के रूप में उपयोग न करें ...।

एक माननीय सदस्य : देवदासियां।

श्री नारायण चौबे : एक ही बात है।

रेल मंत्री ने स्वीकार किया है कि रेलों को सामाजिक दायित्व निभाने के लिए 331.76 करोड़ रुपए की क्षति उठानी पड़ी। वस्तुओं को ढोने की लागत से कम भाड़े पर ढुलाई करने से 60 करोड़ रुपए की हानि हुई अर्थात, बांस, कोयला तथा गन्ने इत्यादि की ढुलाई पर समाचार पत्र कभी मूल्य कम नहीं करते। मैं समझता हूं कि इन मामलों पर मंत्री महोदय ध्यान दें ताकि रेलों में सुधार लाया जा सके। अन्यथा मंत्री महोदय चाहे कुछ भी कहते रहें, उनके हाथ कोई अलादीन का चिराग नहीं है कि वह जो कुछ कह देंगे उसका पालन कराया जा सके।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, जैसा कि अन्य सदस्यों ने भी निवेदन किया है कि पिछले 33 वर्ष में रेलों का कार्य-निष्पादन अच्छा नहीं रहा। इन 33 वर्षों में हम 69000 किलोमीटर रेलों में से केवल 7000 किलोमीटर का विकास कर पायें हैं। भाड़े के बारे जबकि उनकी दरों में चार गुनी वृद्धि हुई है, माल-डिब्बों की संख्या केवल दुगुनी हुई है, अर्थात 1950-51 में 2,03,586 से बढ़कर 1980-81 में 4,05,185 हुई है। भाड़े की दरों में चार गुनी वृद्धि हुई है जबकि माल डिब्बों की संख्या दुगुनी हुई है। यही कठिनाई है।

रेलों में आज क्या हालत है। उन्होंने बताया है कि स्टीम इंजनों की संख्या कम होती जा रही है किन्तु अभी भी भारतीय रेलों में 8000 स्टीम इंजन कार्यरत हैं स्टीम इंजन 51 प्रतिशत ट्रियों का परिवहन करते हैं। सभी भली प्रकार जानते हैं कि रेल विभाग ने नीति निर्णय लिया कि स्टीम इंजनों के पुर्जे न बनाए जायें। श्री ज्योतिर्मय वसु ने बताया है कि रेलों में अधिक ले की खपत का एक कारण यह है कि अधिकांश इंजन खराब हालत में हैं। भारत में किसी टीम लोको शेड में पुर्जे नहीं मिलेंगे। यहाँ तक की वहां औजार भी उपलब्ध नहीं हैं। मैं ता हूं कि कम से कम इन 8000 इंजनों के लिए तो आपको अपनी वर्कशापों में पुर्जों का निर्माण करना चाहिए। रेलवे वर्कशाप इनका निर्माण कर सकती हैं। परन्तु आज हालत क्या है?

किसी भी रेलवे वर्कशाप में पुर्जे, औजार तथा कच्चा माल उपलब्ध नहीं है। इसके परिणाम-स्वरूप रेलों की क्या स्थिति हो रही है, यह मंत्री महोदय तथा रेलवे बोर्ड के अधिकारियों को पता है। आप दुर्घटनाओं के कारणों का लोह निर्माण विभाग अथवा स्थायी पथ विभाग से पता लगाने के लिए प्रयत्न कर सकते हैं। आपको पता चलेगा कि रेलपथ के बहुत बड़े भाग के बदले जाने की आवश्यकता है। भले ही आपके पास रेलें, औजार तथा कच्चा माल न हो तो भी आप गैंगमैनों पर दोष डाल देते है। आप अपना माल स्टोर विभाग से प्राप्त करते हैं। उक्त विभाग द्वारा दिए जाने वाला सारा माल घटिया किस्म का होता है। पहले जो पुर्जे दिए जाते थे वे पांच वर्ष तक काम देते थे। वही औजार अब पांच महीने चलते हैं माल कम टिकाऊ हो गया है। स्टोर्स डिपार्टमेंन्ट तनिक भी परवाह नहीं कर रहा उसे बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों से बहुत पैसा मिल जाता है। रेलें हानि उठा रही हैं। मैं 6 मिनट और लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, आपकी पार्टी को केवल 6 मिनट दिए गये हैं। हर सदस्य को अवसर दिया जायेगा।

श्री नारायण चौबे : दुर्घटनाएं जो रोजमर्रा की बात बन गई हैं। इंजनों के फेल होने की भी वैसे ही स्थिति है। रेलों में रोशनी नहीं होती। किसी प्रकार की भी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। इसके लिए किसे दोष दिया जाये ? निःसन्देह कतिपय मनुष्य ही इसके लिए दोषी है, परन्तु कुछ व्यक्ति, प्रशासन चला रहे हैं जिन्हें कि इनके लिए दोषी ठहराया जा सकता है, केवल गैंगमैनों को ही नहीं।

अधिकारियों की पदोन्नति के लिए आपने अवधि निर्धारित कर रखी है। प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे के लिए आपने अधिकारियों की संख्या बढ़ा दी है। प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे में एक महा प्रबन्धक के अलावा एक अतिरिक्त महाप्रबन्धक तथा उप-महा-प्रबन्धक भी हैं। प्रत्येक मंडल में एक डी० आर० ए० एम तीन ए०डी०आर०ए०एम०, तीन सी०एम०ई० के रैंज एण्ड वैगन और सी०एम०ई० लोको तथा कई अन्य अधिकारी भी हैं।

एक माननीय सदस्य : बेरोजगारी की समस्या भी है।

श्री नारायण चौबे : परन्तु आप रेल विभाग की ओर ध्यान दें। तीस वर्षों से गैंगमैनों का काम कर रहे व्यक्ति आज भी गैंगमैन हैं। बीस वर्षों से खलासी का कार्य कर रहे व्यक्ति, आज भी खलासी का काम कर रहे हैं।

फिटरों को कोई पदोन्नति नहीं मिलती। वे अपने वेतनमान की अधिकतम सीमा पर पहुंच चुके हैं। उन्हें क्या मिलता है ? आप कृपया इल्दिया पत्तन पर जायें। आप जायें और टाटा तथा भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों की दशा को स्वयं देखें। यदि आप तुलना करेंगे तो आप पायेंगे कि सबसे कम वेतन पाने वाले रेल कर्मचारी ही हैं। 1960 में रेलवे के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों एवं सरकारी प्रतिष्ठानों के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के कुल वेतन में 60 रुपए का अन्तर था, परन्तु आज यह अन्तर 260 रुपए का है।

पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों ने हड़ताल की धमकी दी थी । उनके वेतन बढ़ा दिए गए हैं । सरकारी उपक्रमों में उन्हें सबसे कम वेतन मिलते थे । रेलवे के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों तथा पत्तन् तथा गोदी के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वेतनों में 260 रुपए का अन्तर है ।

क्या यह न्याय है मेरा कहना है कि आप उनके साथ न्याय नहीं कर रहे हैं ।

आज भी रेलवे विभाग में नैमित्तिक श्रमिक कार्य कर रहे हैं । कई मंत्री आये और चले गए । परन्तु यह प्रणाली नहीं हटाई गई । श्री कमलापति त्रिपाठी रेल भवन के शिखर से बड़े-बड़े वायदे किए थे परन्तु आज भी नैमित्तिक श्रमिक प्रणाली बनी हुई है तथा आज भी आप रेलवे श्रमिकों को बाजार दर पर मजूरी करने पर बाध्य करते हैं । मेरा आग्रह है कि इस प्रणाली को समाप्त किया जाये ।

रेल मंत्री (श्री केदार पाण्डे) : इसका विकल्प क्या है ?

श्री नारायण चौबे : मान लीजिए आपको 30 दिन के लिए नैमित्तिक श्रमिक की आवश्यकता है । आप उन्हें रेलवे मैन का वेतन दे सकते हैं । उसे 30 से भाग दे दें । तीन महीने बाद आप उन्हें दे सकते है । आप प्रारम्भ से ही क्यों नहीं देते ।

मेरा एक सुझाव और है । लोको चल कर्मचारियों के साथ जो समझौता 10 घंटे कार्य समय के बारे में आपने 1973 में किया था, उसे क्रियान्वित किया जाना चाहिए । यूरोप में किए गए एक अध्ययन से परिणाम निकला है कि बिजली के इंजन चलाने वाले कर्मचारी 5 घंटे 20 मिनट के कार्य के बाद थक जाते हैं, उसके बाद उनका स्नायूतंत्र ठीक कार्य नहीं करता । परन्तु जहां हमारे लोको कर्मचारियों को 10 घटे, 12 घंटे और 14 घंटे तक कार्य करना पड़ता है और यदि वे यह मांग करते हैं कि 1973 में जो समझौता आपने उनके साथ किया था उसे लागू किया जाये तो आप उतना भी नहीं कर सकते । मेरा कहना है कि उस समझौता का पालन किया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करने की चेष्टा करें ।

श्री नारायण चौबे : मुझे दो तीन बातें और कहनी हैं जिसके बाद मैं समाप्त करता हूं ।

खड़गपुर सबसे बड़ी रेलवे कालोनी है । वहां पर 14,000 रेलवे क्वाटर है जिनमें से 4000 क्वार्टर 70 वर्ष पूर्व बने थे— उनका अभी तक पुनः निर्माण नहीं किया गया । रेल राज्य मंत्री श्री जाफर शरीफ 27 अगस्त, 1980 को वहां गए थे तथा खड़गपुर के सुधार के बारे में उन्होंने कुछ वायदे किए, परन्तु रेल अधिकारियों ने उन वायदों को बड़ी चतुराई से खटाई में डाल दिया । आप खडगपुर नगर को देखें । उसकी स्थिति धीरे-धीरे बिगड़ रही है ।

अद्रा-खड़गपुर रेलवे लाइन कोयला ढोने वाली लाइन थी । उसकी अब पूरी तरह उपेक्षा की जाती है । इसका सुधार किया जाना चाहिए तथा इस पर अधिक गाड़ियां, सवारी तथा माल गाड़ियां दोनों, चलायी जानी चाहिए ।

दक्षिण पूर्वी रेलवे में आप अत्यन्त विषम स्थिति का सामना कर रहे हैं। संतरागाची यार्ड में एक बड़ी बाधा पैदा हो गई है। वर्षों से हम सुन रहे हैं कि आप उसे दूर करने जा रहे हैं। यदि आप खड़गपुर-हावड़ा सेक्शन को ठीक ढंग से चलाना चाहते हैं तो अब समय आ गया है जब कि उसे नया रूप दिया जाना चाहिए।

आपके मंत्रालय ने वर्ष 1980-81 में, निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत, खड़गपुर में एक डीजल लोको शेड के निर्माण करना स्वीकार किया था। वित्तीय वर्ष 1980-81 30, 31 मार्च को समाप्त हो रहा है मैं रेल मंत्री श्री केदार पांडे को बताना चाहता हूं कि इस कार्य का अंशमात्र भी नहीं किया गया, हालांकि श्री जाफर शरीफ ने मुझे लिखा था कि उन्होंने इसे वर्ष 1980-81 के निर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकार कर लिया है। मेरा कहना है कि यह कार्य शीघ्र शुरू किया जाना चाहिए।

प्रसिद्ध समुद्री बीच दीघा को रेलपथ से जोड़ा जाये। कुछ सर्वेक्षण किए गए हैं। कृपया ध्यान दें कि यह लिंक स्थापित हो जाए।

पुरुलिया कोटशिला को बड़ी लाइन में बदला जाना चाहिए। अभी पिछले दिन ही इसके लिए बड़ा प्रदर्शन हुआ था।

बांकुरा-मेजिया कोयला बेल्ट को सर्वेक्षण के अनुसार रेल सेवाएं उपलब्ध की जानी चाहिएं। कृपया इस कार्य को शीघ्र करने की चेष्टा करें।

नीलांचल एक्सप्रेस गाड़ी, जो पुरी और दिल्ली के मध्य चलती है, को प्रतिदिन चलाया जाना चाहिए तथा इसे पुरी से कुछ समय पहले चलना चाहिए ताकि यह सांय 8 बजे तक दिल्ली पहुंच जाये, अन्यथा यदि गाड़ी देरी से आती है तो स्टेशन पर परिवहन तथा अन्य सुविधाएं मिलने में कठिनाई होती है।

हम यह भी चाहते हैं कि खड़गपुर तथा हावड़ा के बीच कुछ और स्थानीय गाड़ियां चलनी चाहिएं जिनमें से कुछ तीव्र होनी चाहिए।

मेरी अन्तिम बात औद्योगिक संबंधों के बारे में है। उचित औद्योगिक संबन्ध बने रहने चाहिए। आपने केवल ए०आ०ई०आर०एफ० और एन०एफ०आई०आर० को मान्यता दी है। क्या वे आपको लाभांश देते हैं। क्या काम करने वाले लोगों पर उनका नियंत्रण है? क्या वे किसी संकट का सामना कर सकते हैं? वे ऐसा नहीं कर सकते। आपको इस मामले पर पुनः विचार करना पड़ेगा। यदि आप इस पर पुनर्विचार नहीं करते तो आप वर्गानुसार कर्मचारी संस्थों की स्थापना को रोक नहीं सकते। ऐसी ऐसोसिएशनों से न तो रेल कर्मचारियों को ही लाभ पहुंचता है और न रेल प्रशासन को ही। यदि आप रेल कर्मचारियों की मांगों को उस रूप में स्वीकार नहीं करते तो वर्गवार एसोसिएशनें आवश्यक रूप से बनेंगी।

अन्त में मेरा आप से निवेदन है कि लोको चल कर्मचारियों को सेवा में वापिस लें तथा उनका उत्पीड़न न होने दें।

आप सभी मान्यता-प्राप्त और गैर मान्यता-प्राप्त एसोसिएशनों की बैठक बुलाएं तथा उनसे बातचीत द्वारा रेलों में औद्योगिक सम्बन्धों के बारे में नीति निर्धारित करें। तभी कुछ कार्य हो सकता है।

मुझे उम्मीद है कि आप नीति सम्बन्धी कुछ निर्णय लेंगे ताकि रेलें समृद्धि प्राप्त कर सकें तथा उनके साथ ही राष्ट्र भी समृद्धि प्राप्त कर सके।

श्री एस०बी० सिदनाल (बेलगाम) : श्रीमान मैं विनियोग विधेयक पर बोलने का अवसर देने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

श्रीमान, आज रेले सुरक्षा की दूसरी पंक्ति हैं तथा देश की अर्थ-व्यवस्था परिवहन पर निर्भर करती है। इसलिए रेल परिवहन तथा सड़क परिवहन की उचित व्यवस्था इस देश के लिए अत्यन्त आवश्यक है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सिदनाल, आप कल अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

अब सभा कल ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

———

इसके पश्चात् लोकसभा 6 01 म०प० मंगलवार 17 मार्च, 1981/26 फाल्गुन, 1902 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।